vol 0627

2

सुनन नसाई

हदीस नं. 1179

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

2

हदीस नम्बर 627 से 1179

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी **सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर**

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर **मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-
हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द 2

हदीस नम्बर 627 से 1179

-: हिन्दी तर्जुमा :-
दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त
जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी **सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर**

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर **मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सुनन नसाई (जिल्द - 2)**
तालीफ़	**इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**हाफिज मुहम्मद अमीन**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूल-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़ व तस्हीह	**हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.)**
नज़रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फी** (63758-92334)
लेज़र टाइपसेटिंग	**अब्दुल वाजिद,** (99506-96917)
मेनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर	**अली हम्जा,** (82338-55857) **अहमद अब्बास** (97397-31956)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर** 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	600	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	अप्रेल-2021	क़ीमत (मुकम्मल 7 जिल्द)	4500/-

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर**
ज़ेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

सल्फी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मकतबा अहसान
लखनऊ, यू.पी. फोन: 97931-18234

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम,
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275101 फोन: 74287-38778

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.)
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves, Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

तौसीफ बुक डिपो
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात) 094291-17111

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI
GALI No.1 NEAR RAILWAY STATION, TELI ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मज़ामीन

अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल	18
अज़ान और कलिमाते अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	21
मुअज़्ज़िन के लिये चन्द आदाब व अहकाम	107
अज़ान से मुताल्लिक़ा चन्द मारूफ़ ज़ईफ़ अहादीस़ और बिदआत का बयान	119
बाब: (1)अज़ान की इब्तेदा का बयान	133
बाब: (2) अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहने का बयान	134
बाब: (3) तर्जीअ वाली अज़ान में (पहली दफ़ा) शहादतैन को आहिस्ता और पस्त आवाज़ में कहना	135
बाब: (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान के कितने कलिमात हैं?	136
बाब: (5) अज़ान कैसे है?	137
बाब: (6) सफ़र में अज़ान कहने का बयान	140
बाब: (7) अकेले, तन्हा मुसाफ़िर भी अज़ान कहें	143
बाब:(8)दूसरे की अज़ान के काफ़ी होने का बयान	143
बाब: (9) एक मस्जिद के लिये दो मुअज़्ज़िन भी मुक़र्रर किये जा सकते हैं	145
बाब: (10) दोनों मुअज़्ज़िन इकट्ठे अज़ान कहें या अलग अलग? (एक के बाद दूसरे)	146
बाब:(11)नमाज़ के वक़्त से पहले अज़ान कहना	148
बाब: (12) सुबह की अज़ान का वक़्त	148
बाब: (13) मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में कैसा तरीक़ा अपनाए?	149
बाब: (14) अज़ान बुलन्द आवाज़ से कही जाये	150
बाब: (15) फ़ज्र की नमाज़ में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहना चाहिए	152
बाब: (16) अज़ान के आख़िरी कलिमात	153
बाब: (17) बारिश वाली रात में जमाअत की हाज़िरी से रुख़सत की अज़ान	154
बाब: (18) जो शख़्स दो नमाज़ों को पहली (नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो वह शुरू में अज़ान कहेगा	155
बाब: (19) पहली नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने के बाद दो नमाज़ें जमा करने की सूरत में एक ही अज़ान काफ़ी है	156
बाब: (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के लिये एक इक़ामत काफ़ी हो सकती है?	157
बाब: (21) फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये अज़ान	158
बाब: (22) सब फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये एक अज़ान और अलग अलग इक़ामत का काफ़ी होना	159
बाब: (23)(फ़ौत शुदा नमाज़ों में से) हर नमाज़ के लिये इक़ामत ही काफ़ी है	160
बाब: (24) जो शख़्स (इमाम) एक रकअत भूल गया (और सलाम फेर कर चल दिया) फिर उस एक रकअत को अदा करे तो इक़ामत भी कहे	161
बाब: (25) चरवाहे की अज़ान	162
बाब: (26) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की अज़ान	163

बाब: (27) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत	164
बाब: (28) इक़ामत कैसे कही जाये?	165
बाब: (29) हर आदमी अपने लिये इक़ामत कहे?	165
बाब: (30) अज़ान कहने की फ़ज़ीलत	166
बाब: (31)अज़ान कहने के लिये क़ुर्आ अन्दाज़ी करना	167
बाब: (32)ऐसा मुअज़्ज़िन रखना जो अज़ान पर तनख़्वाह न लेता हो	167
बाब: (33) मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनकर जवाब देना	168
बाब: (34) अज़ान का जवाब देने का सवाब	169
बाब: (35) मुअज़्ज़िन के शहादतैन की तरह शहादतैन पढ़ना	170
बाब: (36) जब मुअज़्ज़िन हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहे तो जवाब में क्या कहा जाये?	171
बाब: (37) अज़ान के बाद नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ना चाहिए	171
बाब: (38) अज़ान के बाद की दुआ	172
बाब: (39)हर अज़ान व इक़ामत के दरम्यान नफ़ल नमाज़ पढ़ना	174
बाब: (40) अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना सख़्त गुनाह है	174
बाब: (41) मुअज़्ज़िन इमाम को नमाज़ के वक़्त की इत्तिला करे	176
बाब: (42) मुअज़्ज़िन इमाम के आने पर इक़ामत कहे	178
मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत और उनसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	179
तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम	196
मस्जिदों से मुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल	200
बाब: (1) मस्जिदें बनाने की फ़ज़ीलत	200
बाब: (2) फ़ख़्र के लिये मस्जिदें बनाना	200
बाब: (3) कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई?	201
बाब: (4) मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत	202
बाब: (5) काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ना?	203
बाब: (6)मस्जिदे अक़्सा और उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत	204
बाब: (7) नबी (ﷺ) की मस्जिद और उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत	205
बाब: (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़्वा पर रखी गई, कौन सी है?	207
बाब: (9) मस्जिदे क़ुबा और उसमें नमाज़ की फ़ज़ीलत	208
बाब: (10) किन मसाजिद की तरफ़ दूर दराज़ से क़सदन आना जायज़ है?	209
बाब: (11)गिरजों को मसाजिद बनाना	210
बाब: (12) क़ब्रों को उखेड़ कर उनकी जगह मस्जिद बनाना	212
बाब:(13) क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत	214
बाब: (14) मस्जिदों में आने की फ़ज़ीलत	215

बाब: (15) औरतों को मस्जिदों में आने से रोकने की मुमानिअत	216
बाब: (16) किस शख़्स को मस्जिद में आने से रोका जा सकता है?	217
बाब: (17) किस शख़्स को मस्जिद से निकाला जा सकता है?	217
बाब: (18) मस्जिद में ख़ैमा लगाना	218
बाब: (19) बच्चों को मस्जिदों में ले जाना	220
बाब: (20) क़ैदी को मस्जिद के सुतून के साथ बाँधना	221
बाब: (21) मस्जिद में ऊँट दाख़िल करना	222
बाब: (22) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त और नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाने की मुमानिअत	223
बाब:(23) मस्जिद में अश्आर पढ़ने की मनाही	224
बाब: (24) मस्जिद में अच्छे शेअ़र पढ़ने की रुख़्सत	224
बाब: (25) मस्जिद में गुमशुदा जानवर (वग़ैरह) का ऐलान करने की मुमानिअ़त	225
बाब: (26)मस्जिद में अस्लहा (हथियार) नंगा करके चलना	226
बाब: (27) मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ फँसाना	226
बाब: (28) मस्जिद में चित (गुद्दी के बल) लेटना	229
बाब: (29) मस्जिद में सोना	229
बाब: (30)मस्जिद में थूकना	230
बाब: (31)मस्जिद की सामने वाली दीवार की तरफ़ खंखारने की मुमानिअ़त	230
बाब: (32) नबी (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई शख़्स नमाज़ में अपने सामने या दायें थूके	231
बाब: (33) नमाज़ी को अपने पीछे या बायीं तरफ़ थूकने की इजाज़त है	232
बाब: (34) किस पाँव से थूक को मले?	232
बाब: (35) मस्जिद को ख़लूक़ (ख़ुशबू) लगाना	233
बाब: (36)मस्जिद में दाख़िल होते और बाहर निकलते वक़्त क्या पढ़े?	233
बाब: (37) मस्जिद में दाख़िल होने के बाद बैठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म	234
बाब: (38)मस्जिद में आकर बैठने और बग़ैर नमाज़ पढ़े वापस जाने की इजाज़त	235
बाब: (39)जो मस्जिद से गुज़रे वह भी तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े	237
बाब: (40)मस्जिद में बैठ कर (अगली) नमाज़ का इन्तिज़ार करने की तर्ग़ीब	237
बाब: (41)ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने से नबी (ﷺ) की मुमानिअ़त का बयान	238
बाब: (42) उसकी रुख़्सत	239
बाब: (43)चटाई पर नमाज़ पढ़ना	239
बाब: (44)छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना	240
बाब: (45)मिम्बर पर नमाज़ पढ़ना	240
बाब: (46) गधे पर नमाज़ पढ़ना	242
क़िब्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	245
बाब: (1) (नमाज़ में) क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना	254

बाब: (2) वह हालत जिसमें (दौराने नमाज़ में) क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ मुँह करना जायज़ है	254
बाब: (3)बावजूद कोशिश के (नमाज़ पढ़ लेने के बाद सिम्ते क़िब्ला की) ग़लती का वाज़ेह होना	255
बाब: (4) नमाज़ी का सुतरा	256
बाब: (5) सुतरे के क़रीब खड़े होने का हुक्म	257
बाब: (6)(नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान) फ़ासले की मिक़्दार	258
बाब: (7) जब नमाज़ी के आगे सुतरा न हो तो कौन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं और कौन सी नहीं?	259
बाब: (8) नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान से गुज़रना सख़्त गुनाह है	263
बाब: (9)इस अम्र की रुख़्सत का बयान	264
बाब: (10)सोये हुए शख़्स के पीछे नमाज़ पढ़ने की रुख़्सत का बयान	266
बाब: (11) क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ने की मनाही	266
बाब: (12) ऐसे कपड़े की तरफ़ नमाज़ पढ़ना जिसमें तस्वीरें हों	267
बाब: (13)इमाम और मुक़्तदी के दरम्यान कोई पर्दा हो तो?	268
बाब: (14)) एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना	269
बाब: (15)एक क़मीस में नमाज़ पढ़ना	270
बाब: (16) इज़ार में नमाज़ पढ़ना	270
बाब: (17) आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना जिसका कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर हो	272
बाब: (18) आदमी का एक ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो।	272
बाब: (19) रेशम के कपड़े में नमाज़ पढ़ना	273
बाब: (20)धारीदार मुनक़्क़श चादर में नमाज़ पढ़ने की रुख़्सत	273
बाब: (21) सुर्ख़ कपड़ों में नमाज़ पढ़ना	274
बाब: (22) जिस्म से लगे हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ना	275
बाब: (23) मोज़ों में नमाज़ पढ़ना	276
बाब: (24) जूतों में नमाज़ पढ़ना	276
बाब: (25)जब इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो जूते कहाँ रखे?	277
इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	278
इमामत की मुख़्तलिफ़ (क़िस्में)	280
मुक़्तदी कहाँ खड़ा हो?	289
सफ़ बन्दी का एहतिमाम	291
सफ़बन्दी के उसूल व अहकाम	292
इमाम के फ़राइज़	296
मुक़्तदी के आदाब	299
बाब: (1) इमामत और जमाअत के मसाइल इल्म व फ़ज़ीलत वाले लोगों को इमाम बनाना चाहिए	303
बाब: (2) ज़ालिम अइम्मा (हुक्काम) के पीछे नमाज़ पढ़ना	304
बाब: (3) इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है?	306
बाब: (4) बड़ी उम्र वाले को आगे किया जाये	308
बाब: (5) जब चन्द लोग किसी जगह जमा हों और वहाँ उनकी हैसियत यकसां हो तो?	308

बाब: (6) जब चन्द लोग जमा हों और उनमें हाकिम भी हो तो?	309
बाब: (7)जब रिआया में से कोई शख़्स (इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर हाकिम आ जाये तो क्या वह पीछे हटे?	309
बाब: (8)इमाम का अपनी रईयत में से किसी आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ना	312
बाब: (9) मेहमान का इमामत कराना	314
बाब: (10) नाबीने शख़्स का इमामत कराना	314
बाब: (11) नाबालिग़ लड़के का इमामत कराना	315
बाब: (12)जब लोग इमाम को (आता) देखें तब (जमाअत के लिये) खड़े हों	316
बाब: (13)इक़ामत के बाद इमाम को कोई ज़रूरत पेश आ जाये तो?	317
बाब: (14) इमाम को अपनी नमाज़ की जगह खड़े होने के बाद याद आये कि वह तहारत की हालत में नहीं तो ...?	317
बाब: (15)जब इमाम कहीं जाये तो किसी को अपना नाइब मुक़र्रर कर दे	318
बाब: (16) इमाम की इक़्तेदा करना	320
बाब: (17)उनकी इक़्तेदा करना जो इमाम की इक़्तेदा करें	321
बाब: (18) जब तीन आदमी हों तो इमाम कहाँ खड़ा हो? और उसमें इख़्तिलाफ़	323
बाब: (19) जब (इमाम समेत नमाज़ी) तीन मर्द और एक औरत हो तो ......?	325
बाब: (20) जब (नमाज़ी) दो मर्द और दो औरतें हो तो ....?	326
बाब: (21) जब इमाम के साथ एक बच्चा और एक औरत हो तो इमाम कहाँ खड़ा हो?	327
बाब: (22) मुक़्तदी बच्चा हो तो इमाम कैसे खड़ा हो?	328
बाब: (23) कौन सा शख़्स इमाम से मुत्तसिल हो, फिर जो उससे मुत्तसिल हो?	328
बाब: (24) इमाम के आने से पहले सफ़ें सीधी की जा सकती हैं	331
बाब: (25) इमाम सफ़ों को कैसे सीधा करे?	332
बाब: (26) जब इमाम जमाअत के लिये आगे बढ़े तो सफ़ें सीधी करने के लिये कौन सा कलिमात कहे?	333
बाब: (27) इमाम कितनी दफ़ा कहे: 'बराबर हो जाओ?'	333
बाब: (28) सफ़ों को मिलाने और क़रीब क़रीब बनाने के सिलसिले में इमाम का रग़बत दिलाना	334
बाब:(29) पहली सफ़ की दूसरी सफ़ पर फ़ज़ीलत	336
बाब: (30) आख़री सफ़ का बयान	336
बाब: (31) जो सफ़ को मिलाये (उसकी फ़ज़ीलत)	337
बाब: (32)औरतों की बेहतरीन सफ़ और मर्दों की बदतरीन सफ़ का बयान	337
बाब: (33) सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना	338
बाब: (34) सफ़ में किस जगह खड़ा होना मुस्तहब है?	339
बाब: (35) इमाम के लिये नमाज़ हल्की पढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है	339
बाब: (36) इमाम को नमाज़ लम्बी करने की इजाज़त	341

बाब: **(37)** इमाम के लिये नमाज़ में किस क़िस्म का काम करना जायज़ है?	341
बाब: **(38)** इमाम से आगे बढ़ना	342
बाब: **(39)** किसी आदमी का इमाम की जमाअत से निकल कर मस्जिद के एक कोने में अलग नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ होना	344
बाब: **(40)** बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले इमाम की इक़्तेदा करना	346
बाब: **(41)** इमाम और मुक़्तदी की नियत का मुख़्तलिफ़ होना	351
बाब: **(42)** जमाअत की फ़ज़ीलत	353
बाब: **(43)** जब तीन आदमी हों तो जमाअत कैसे होगी	355
बाब: **(44)** जब नमाज़ी तीन हों, यानी एक मर्द, एक बच्चा और एक औरत तो जमाअत कैसे होगी?	355
बाब: **(45)** जब नमाज़ी दो हों तो जमाअत कैसे होगी?	356
बाब: **(46)** नफ़्ल नमाज़ के लिये जमाअत कराना	357
बाब: **(47)** फ़ौतशुदा नमाज़ की जमाअत कराना	358
बाब: **(48)** जमाअत छोड़ देने पर सख़्ती	359
बाब: **(49)** जमाअत से पीछे रहने पर सख़्ती	360
बाब: **(50)** नमाज़ों की उस जगह पाबन्दी करना जहाँ उनकी अज़ान कही जाये	361
बाब: **(51)** उज़्र की बिना पर जमाअत तर्क करना	364
बाब: **(52)** जमाअत (का सवाब) पाने की हद	366
बाब: **(53)** अगर कोई शख़्स अकेला नमाज़ पढ़ ले तो जमाअत मिलने की सूरत में दोबारा पढ़ना	367
बाब: **(54)** जो आदमी फ़ज्र की नमाज़ अकेला पढ़ चुका हो, जमाअत मिल जाने की सूरत में वह दोबारा पढ़े	368
बाब: **(55)** (अफ़ज़ल) वक़्त गुज़र जाने के बाद भी नमाज़ जमाअत के साथ दोहराना	369
बाब: **(56)** जो शख़्स मस्जिद में इमाम के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुका हो, उससे नमाज़ का साक़ित हो जाना	371
बाब: **(57)** नमाज़ के लिये दौड़ना	372
बाब: **(58)** दौड़े बग़ैर तेज़ी के साथ नमाज़ के लिये आना	373
बाब: **(59)** नमाज़ के लिये जल्दी (अव्वल वक़्त में) निकलना	374
बाब: **(60)** इक़ामत के वक़्त नमाज़ (नफ़्ल वग़ैरह पढ़ने) की कराहत	375
बाब: **(61)** जो शख़्स फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ता हो जब कि इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा हो	377
बाब: **(62)** सफ़ से पीछे अकेले आदमी की नमाज़	378
बाब: **(63)** सफ़ में मिलने से पहले ही रुकू करना	379
बाब: **(64)** ज़ुहर के बाद नमाज़ (सुन्नतें)	381
बाब: **(65)** अस्र से पहले (नफ़्ल) नमाज़ और इस मसले के मुताल्लिक़ अबू इस्हाक़ से नाक़िलीन के इख़्तेलाफ़ का ज़िक्र	382
नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल	384
बाब: **(1)** नमाज़ शुरू करते वक़्त क्या करना चाहिए?	384

बाब: (2) रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा से पहले किया जाये	386
बाब: (3) हाथों को कंधों के बराबर उठाना	387
बाब: (4)कानों के बराबर हाथ उठाना (रफ़उल यदैन करना)	388
बाब: (5) रफ़उल यदैन के वक़्त अंगूठे किस जगह हों?	389
बाब: (6) रफ़उल यदैन अच्छी तरह हाथ उठा कर किया जाये	389
बाब:(7) तकबीरे ऊला (तकबीरे तहरीमा) फ़र्ज़ है	391
बाब: (8) नमाज़ का इफ़्तेताह किस दुआ से किया जाये?	392
बाब: (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ पर रखना	394
बाब: (10) जब इमाम किसी को बायाँ हाथ दायें पर रखा देखे तो?	396
बाब: (11) नमाज़ में दायाँ हाथ बायें पर कहाँ रखा जाये?	396
बाब: (12) नमाज़ में कोख पर हाथ रखने की मुमानिअत (मनाही)	398
बाब: (13) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ कर खड़ा होना	399
बाब: (14) नमाज़ शुरू करने के बाद इमाम का कुछ देर ख़ामोश रहना	400
बाब: (15) तकबीरे तहरीमा और क़िराअते फ़ातिहा के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ	401
बाब: (16) तकबीरे तहरीमा और क़िराअत के दरम्यान एक और दुआ	402
बाब: (17) तकबीर व क़िराअत के दरम्यान एक और दुआ और ज़िक्र	403
बाब: (18) नमाज़ के इफ़्तेताह और क़िराअत के दरम्यान एक और ज़िक्र	406
बाब: (19) तकबीरे तहरीमा के बाद एक और ज़िक्र	407
बाब: (20) कोई सूरत पढ़ने से पहले सूरह फ़ातिहा से आग़ाज़ करना	408
बाब: (21)(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ने का बयान	409
बाब: (22) (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से न पढ़ना	412
बाब: (23) सूरह फ़ातिहा में (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) न पढ़ना	413
बाब: (24) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़नी वाजिब (फ़र्ज़) है	416
बाब: (25) सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत	419
बाब: (26) अल्लाह तआला के फ़रमान : 'और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपको सात (आयतें) दी हैं बार बार दोहराई जाने वाली और क़ुरआने अज़ीम।' की तफ़्सीर	420
बाब: (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क़िराअत न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से न पढ़े	423
बाब: (28) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क़िराअत न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े	424
बाब: (29) जिस नमाज़ में इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाये	425

बाब: (30) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान: 'और जब कुर्आन पढ़ा जाये तो उसे ग़ौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम रहम किये जाओ' की तफ़्सीर	426
बाब: (31) क्या मुक़्तदी इमाम की क़िराअत पर किफ़ायत कर सकता है?	428
बाब: (32) जो शख़्स क़ुर्आन मजीद पढ़ना न जानता हो, उसे कौन सी चीज़ किफ़ायत करेगी?	429
बाब: (33) इमाम 'आमीन' बलन्द आवाज़ से कहे	430
बाब: (34) इमाम के पीछे आमीन कहने का हुक्म	432
बाब: (35) आमीन कहने की फ़ज़ीलत	433
बाब: (36) इमाम के पीछे मुक़्तदी को छींक आये तो वह क्या कहे?	433
बाब: (37) क़ुर्आन मजीद का बयान	436
बाब: (38) फ़ज्र की सुन्नतों में क़िराअत	451
बाब: (39) फ़ज्र की सुन्नतों में (क़ुल या अय्युहल क़ाफ़िरून) और (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ना	452
बाब: (40) फ़ज्र की सुन्नतें हल्की पढ़ना	452
बाब: (41) सुबह की नमाज़ में सूरह रूम पढ़ना	453
बाब: (42) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से सौ (100) तक आयात पढ़ना	453
बाब: (43) सुबह की नमाज़ में सूरह क़ॉफ़ पढ़ना	454
बाब: (44) सुबह की नमाज़ में (इज़शम्सु कुव्विरत) पढ़ना	455
बाब: (45) सुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तैन पढ़ना	455
बाब: (46) मुअव्विज़तैन की क़िराअत की फ़ज़ीलत	456
बाब: (47) जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में क़िराअत का बयान	457
बाब: (48) क़ुर्आनी सज्दों का बयान सूरह स़ॉद में सज्दा करने का बयान	458
बाब: (49) सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान	459
बाब: (50) सूरह नज्म में सज्दा न करने का बयान	460
बाब: (51) (इज़स्समाउन शक़्क़त) में सज्दा करने का बयान	461
बाब: (52) सूरह (इक़रा बिस्मि रब्बिक) में सज्दा करने का बयान	463
बाब: (53) फ़र्ज़ नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत	464
बाब: (54) दिन की नमाज़ों (ज़ुहर व अस्र) में क़िराअत	465
बाब: (55) ज़ुहर की नमाज़ में क़िराअत	466
बाब: (56) नमाज़े ज़ुहर की पहली रकअ़त में क़याम लम्बा करना	467
बाब: (57) इमाम का ज़ुहर की नमाज़ में कोई आयत सुनाना	468
बाब: (58) ज़ुहर की दूसरी रकअ़त का क़याम छोटा करना	468
बाब: (59) ज़ुहर की पहली दो रकअ़तों में (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क़िराअत	469
बाब: (60) अस्र की पहली दो रकअ़तों में (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क़िराअत	470

बाब: (61) (इमाम का) क़याम और क़िराअत में तख़्फ़ीफ़ करना	471
बाब: (62) मग़रिब की नमाज़ में छोटी मुफ़स्सल सूरतें पढ़नी चाहिए	473
बाब: (63) मग़रिब की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ना	474
बाब: (64) मग़रिब की नमाज़ में सूरह मुर्सलात पढ़ना	475
बाब: (65) मग़रिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ना	476
बाब: (66) मग़रिब की नमाज़ में सूरह हाम मीम अद्दुख़ान पढ़ना	476
बाब: (67) मग़रिब की नमाज़ में सूरह अलिफ़ लाम मीम साद पढ़ना	477
बाब: (68) मग़रिब के बाद (की दो सुन्नतों में) क़िराअत	478
बाब: (69) (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ने की फ़ज़ीलत	479
बाब: (70) इशा की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ना	482
बाब: (71) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व जुहाहा) पढ़ना	483
बाब: (72) इशा की नमाज़ में सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ैतून) पढ़ना	484
बाब: (73) इशा की पहली रकअत में क़िराअत	484
बाब: (74) पहली दो रकअतों में ठहरना (उन्हें लम्बा करना)	484
बाब: (75) एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना	486
बाब: (76) सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना	488
बाब: (77) कुर्आन मजीद पढ़ने वाला जब अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह की पनाह तलब करे	489
बाब: (78) कुर्आने मजीद पढ़ने वाला जब रहमत वाली आयत पढ़े तो रहमत का सवाल करे	490
बाब: (79) एक आयत को बार बार दोहराना	490
बाब: (80) अल्लाह तआला के फ़रमान (वला तज्हर बिसलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा) 'कुर्आन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ न ज़्यादा ऊँची करें और न बिल्कुल पस्त' की तफ़्सीर	491
बाब: (81) बलन्द आवाज़ से कुर्आन पढ़ना	493
बाब: (82) हुरूफ़ को खींच खींच कर पढ़ना	493
बाब: (83) कुर्आन को ख़ूबसूरत और मुज़य्यन आवाज़ से पढ़ना	493
बाब: (84) रुकू को जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना	497
बाब: (85) रुकू को जाते वक़्त कानों के बराबर रफ़उल यदैन करना	498
बाब: (86) रुकू को जाते वक़्त कंधों के बराबर रफ़उल यदैन करना	499
बाब: (87) रुकू का रफ़उल यदैन न करने का ज़िक्र	499
बाब: (88) रुकू में कमर को सीधा रखना	500
बाब: (89) रुकू में ऐतदाल	501
रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान	502
बाब: (1) रुकू के दौरान में तत्बीक़ करना	502
बाब: तत्बीक़ की मन्सूख़ी	504

बाब: (2) रुकू में घुटनों को पकड़ना	504
बाब: (3) रुकू में हथेलियों की जगह	505
बाब: (4) रुकू में हाथों की उँगलियों की जगह	506
बाब: (5) रुकू में बाज़ूओं को पहलू से दूर रखना	507
बाब: (6) रुकू में ऐतदाल करना	507
बाब: (7) रुकू में कुर्आन मजीद पढ़ने की मनाही	508
बाब: (8) रुकू में रब तआला की अज़मत बयान करना	510
बाब: (9) रुकू का ज़िक्र	511
बाब: (10) रुकू में एक और क़िस्म का ज़िक्र	511
बाब: (11)एक और क़िस्म की तस्बीह	512
बाब: (12) रुकू में एक और ज़िक्र	512
बाब: (13) एक और क़िस्म का ज़िक्र	513
बाब: (14) एक मज़ीद ज़िक्र	513
बाब: (15) रुकू में ज़िक्र और तस्बीह छोड़ने की रूख़्सत	514
बाब: (16) रुकू मुकम्मल करने का हुक्म	516
बाब: (17) रुकू से उठते वक़्त रफ़उल यदैन करना चाहिए	516
बाब: (18) रुकू से उठते वक़्त कानों के किनारों के बराबर रफ़उल यदैन करना	517
बाब: (19) रुकू से उठते वक़्त कंधों के बराबर रफ़उल यदैन करना	517
बाब: (20) इस मौक़े पर रफ़उल यदैन करने का ज़िक्र	518
बाब: (21) जब इमाम रुकू से सर उठाये तो क्या पढ़े?	518
बाब: (22) (रुकू से उठ कर) मुक़्तदी क्या करे?	519
बाब: (23) (रब्बना वलकल हम्द) कहने का बयान	521
बाब: (24) रुकू और सज्दे के दरम्यान कितनी देर खड़ा रहना चाहिए?	524
बाब: (25) रुकू के बाद खड़ा होकर क्या पढ़े?	525
बाब: (26)रुकू के बाद कुनूत पढ़ना	527
बाब: (27) सुबह की नमाज़ में कुनूत	528
बाब: (28) जुहर की नमाज़ में कुनूत	531
बाब: (29) मग़रिब की नमाज़ में कुनूत	531
बाब: (30) कुनूत में (काफ़िरों पर) लानत करना	532
बाब: (31) कुनूत में मुनाफ़िक़ों पर लानत करना	533
बाब: (32) कुनूत छोड़ देना	534
बाब: (33) सज्दा करने के लिये गर्म कंकरियों को ठण्डा करना	535
बाब: (34) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना	535
बाब: (35) सज्दे के लिये नमाज़ी कैसे झुके?	536
बाब: (36) सज्दे में जाते वक़्त रफ़उल यदैन करना	537
बाब: (37) सज्दे में जाते या उठते वक़्त रफ़उलयदैन न करना	538
बाब: (38) सज्दे को जाते वक़्त इन्सान का कौन सा अज़्व (अंग) ज़मीन पर पहले लगना चाहिए?	538
बाब: (39) सज्दे में दोनों हाथों को चेहरे के साथ रखना	540

बाब: (40) सज्दा कितने आज़ा (अंगों) पर करे?	541
बाब: (41) उन (सात) आज़ा की तफ़्सील	541
बाब: (42) माथे पर सज्दा	542
बाब: (43) नाक पर सज्दा	542
बाब: (44) दोनों हाथों पर सज्दा	543
बाब: (45) घुटनों पर सज्दा	543
बाब: (46) दोनों पाँव पर सज्दा	544
बाब: (47) सज्दे में पाँव खड़े करना	544
बाब: (48) सज्दे में पाँव की उँगलियों को (क़िब्ले की तरफ़) मोड़ना	545
बाब: (49) सज्दे में दोनों हाथों की जगह	546
बाब: (50) सज्दे के दौरान में बाज़ू ज़मीन पर बिछाने की मुमानिअत	546
बाब: (51) सज्दा करने का तरीक़ा	547
बाब: (52) सज्दा खुला होना चाहिए	548
बाब: (53) सज्दे में ऐतदाल	549
बाब: (54) सज्दे में कमर सीधी करना	549
बाब: (55) कव्वे की तरह ठोंगें मारने की मनाही	550
बाब: (56) सज्दे में बाल समेटने की मनाही	551
बाब: (57) जो शख़्स बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ पढ़े, उसकी मिसाल?	552
बाब: (58) सज्दे में जाते वक़्त कपड़े इकट्ठे करने (समेटने) की मुमानिअत	553
बाब: (59) कपड़ों पर सज्दा करना	553
बाब: (60) सज्दा मुकम्मल करने का हुक्म है	554
बाब: (61) सज्दे में क़ुर्आन मजीद पढ़ने की मुमानिअत	554
बाब: (62) सज्दे में अच्छी तरह कोशिश से दुआ करने का हुक्म	555
बाब: (63) सज्दे में दुआ करना	556
बाब: (64) (सज्दे में) एक और क़िस्म की दुआ	557
बाब: (65) (सज्दे में) एक और क़िस्म की दुआ	558
बाब: (66) (सज्दे में) एक और दुआ	558
बाब: (67) (सज्दे में) एक और क़िस्म का ज़िक्र	559
बाब: (68) एक और क़िस्म का ज़िक्र	560
बाब: (69) (सज्दे में) एक और क़िस्म का ज़िक्र	560
बाब: (68) एक और क़िस्म का ज़िक्र	561
बाब: (71) एक और क़िस्म की दुआ	561
बाब: (72) एक और क़िस्म की दुआ	562
बाब: (73) एक और क़िस्म का ज़िक्र	563
बाब: (74) एक और क़िस्म की दुआ	564
बाब: (75) एक और क़िस्म का ज़िक्र	565
बाब: (76)सज्दे में तस्बीहात की तादाद	565
बाब: (77) सज्दे में तस्बीहात ज़िक्र न करने की रुख़्सत	566
बाब: (78) बन्दा अल्लाह तआला के सबसे ज़्यादा क़रीब कब होता है?	568
बाब: (79) सज्दे की फ़ज़ीलत	569

बाब: (80) ख़ालिस अल्लाह (ज़) के लिये सज्दा करने वाले को क्या सवाब मिलेगा?	570
बाब: (81) आज़ा-ए-सज्दा की फ़ज़ीलत	571
बाब: (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे से लम्बा हो सकता है?	572
बाब: (83) सज्दे से उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना	574
बाब: (84) पहले सज्दे से उठते वक़्त रफ़उल यदैन करना?	574
बाब: (85) सज्दों के दरम्यान रफ़उल यदैन न करना	575
बाब: (86) दो सज्दों के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ	575
बाब: (87)दो सज्दों के दरम्यान अपने चेहरे के सामने दोनों हाथ उठाना	576
बाब: (88) दो सज्दों के दरम्यान कैसे बैठना चाहिए?	577
बाब: (89) दो सज्दों के दरम्यान बैठने की मिक़्दार	578
बाब: (90) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना	579
बाब: (91) दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद सीधा बैठना	580
बाब: (92) उठते वक़्त ज़मीन पर हाथों का सहारा लेना	581
बाब: (93) उठते वक़्त हाथ ज़मीन से घुटनों से पहले उठाना	582
बाब: (94) उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना	582
बाब: (95) पहले तशह्हुद में कैसे बैठा जाये?	584
बाब: (96) तशह्हुद में बैठते वक़्त दायें पाँव की उँगलियाँ क़िब्ले की तरफ़ मोड़ना	584
बाब: (97) पहले तशह्हुद में बैठते वक़्त हाथ कहाँ रखे जायें?	585
बाब: (98) तशह्हुद में नज़र की जगह	586
बाब: (99) पहले तशह्हुद में उँगली से इशारा करना	587
बाब: (100) पहला तशह्हुद कैसे पढ़ा जाये?	587
बाब: (101) एक और क़िस्म का तशह्हुद	595
बाब: (102) एक और क़िस्म का तशह्हुद	596
बाब: (103) एक और क़िस्म का तशह्हुद	597
बाब: (104) एक और क़िस्म का तशह्हुद	597
बाब: (105) पहले तशह्हुद (क़अदे) में तख़्फ़ीफ़	599
बाब: (106) पहले तश्ह्हुद (कअदे) का तर्क करना	599

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इमाम नसाई (رحمه الله) ने नमाज़ की अहमियत व फ़ज़ीलत और उसके औक़ात बयान करने के मुत्तसिल (पे दर पे) बाद अज़ान के अहकाम व मसाइल बयान किये हैं क्योंकि नमाज़ का वक़्त होने के बाद अज़ान का हुक्म है ताकि लोगों को नमाज़ के वक़्त का इल्म हो जाये और उसके बाद नमाज़ के दीगर मसाइल बयान फ़रमाये हैं। अक्सर व बेश्तर मुसलमान दीगर मसाइल की तरह अज़ान के मसाइल में भी इफ़रात व तफ़रीत और बिदआत व ख़ुराफ़ात का शिकार हो चुके हैं। और मज़ीद लाऊड स्पीकर और मीडिया के ज़रिये से लोगों में बिदआत व ख़ुराफ़ात फैलाई जा रही हैं जिससे बज़ाहिर मालूम होता है कि ये ज़िक्र व अज़कार और अदइया (दुआ) अज़ान का हिस्सा हैं, हालांकि वह अज़ान का हिस्सा नहीं। इसी सूरते हाल को सामने रखते हुये हमने क़ारेइन की सहूलत के पेशे नज़र अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क़द्रे तफ़्सील से बयान किये हैं और मुरव्वजा (प्रचलित) बिदआत व ख़ुराफ़ात का ज़िक्र किया है।

✧ **अज़ान की लुग़वी तारीफ़:** लुग़त में '**अज़ान**' इत्तिला व ऐलान को कहते हैं। इरशादे बारी तआला है: '**अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से लोगों को इत्तिला (आम) है।**' (अत्तौबा: 9/3) और फ़रमाया: '**और लोगों में हज की मुनादी कर दें।**' (अलहज: 22/27) ये (وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) से मुश्तक़ है जिसके मानी '**बग़ौर (ग़ौर से) सुनना**' हैं। (फ़तहुलबारी: 2/77)

इमाम इब्ने अलअसीर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**जब (أَذَّنَ يُؤَذِّنُ تَأْذِينًا) से अज़ान, इस्म मुराद लेंगे तो इसके मानी नमाज़ के वक़्त की ख़बर देना होंगे।**' (अन्निहाया: 1/37)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**ये (أَذَّنَ يُؤَذِّنُ تَأْذِينًا وَأَذَانًا وَإِيذَانًا) से मस्दर है। ऐसा बुलन्द ऐलान जो कानों से सुना जा सके।**' जैसा कि इरशादे बारी तआला है: '**फिर एक ऐलान करने वाले ने बुलन्द ऐलान किया: ऐ क़ाफ़िले वालो! बेशक तुम चोर हो।**' (यूसुफ़: 12/70) (शरह अल्उम्दा अज़ शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/95)

✧ **अज़ान की शरई व इस्तिलाही तारीफ़:** (اَلْإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ) '**मख़सूस अल्फ़ाज़ के साथ नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देना (अज़ान है)।**' (फ़तहुलबारी: 2/77, वलमुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/448, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 7/651)

✧ **अज़ान की मशरूइयत:** रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का मुकर्रमा में नमाज़ के लिए सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) को कैसे जमा करते थे? इसकी सराहत नहीं मिलती, ताहम मदीना मुनव्वरा में आकर बा'जमाअत नमाज़ के लिए अन्दाज़े से आना और फिर बाद अज़ान इकट्ठा होने के लिये किसी तरीक-ए-कार का मशवरा करना इस बात पर दलालत करता है कि मक्का में नमाज़ के लिये इकट्ठा करने का कोई मारूफ़ तरीक़ा नहीं था बल्कि शायद सहाब-ए-किराम(رضی اللہ عنہم) तादाद कम होने की वजह से वैसे ही इकट्ठा हो जाते होंगे, फिर इज्तेमाई इबादत ज़रूरी भी नहीं थी जैसा कि सय्यदना सिद्दीक़ (رضی اللہ عنہ) का घर के सहन में इबादत करना मारूफ़ है। फिर जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आये तो आग़ाज़ में अन्दाज़े से नमाज़ों के औक़ात का तअय्युन होता रहा, इस ग़र्ज़ के लिये कोई ख़ास तरीक़ा न था। बिल आख़िर नबी-ए-अकरम (ﷺ) को इसकी फ़िक्र लाहिक़ हुई, तब आप (ﷺ) ने सहाबा-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) को जमा फ़रमा कर मश्वरा किया। कुछ सहाबा ने नरसंगा बजाने का मश्वरा दिया। ये इबादत के लिये यहूदियों का शिआर (तरीक़ा) था। कुछ ने बिगुल बजाने की तजवीज़ पेश की। ये ईसाइयों का शिआर था। आग रोशन करने का भी मश्वरा दिया गया ताकि लोग उसे देख कर बरवक़्त नमाज़ के लिये पहुँच सकें लेकिन ये भी मजूसी शिआर था। यहूदियों, ईसाइयों और मजूसियों के तरीक़-ए-इबादत से मुशाबिहत की वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मज़्कूरा तजावीज़ रद्द फ़रमा दीं। इस मौक़े पर उमर फ़ारूक़ (رضی اللہ عنہ) ने ये मश्वरा दिया कि नमाज़ का वक़्त होने पर किसी आदमी को मुनादी के लिये भेजा जाये ताकि उसकी इत्तिला पर लोग जमा हो जायें। ऐसे ही हुआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुनादी की ज़िम्मेदारी बिलाल (رضی اللہ عنہ) को सौंप दी। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 604) ज़हन में रहे यहाँ मुनादी से मक़सूद मुनादी अस्सलातु जामिअतुन वग़ैरह है, अज़ान नहीं जैसा कि दीगर तसरीहात से वाज़ेह होता है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो। (फ़तहुलबारी: 2/81, तहत हदीस: 604, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 7/662)

फिर 1 हिजरी में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही को ख़्वाब में मशरूअ अज़ान का तरीक़ा बताया गया, उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में पेश होकर ख़्वाब की सारी तफ़्सील ज़िक्र फ़रमाई। आप (ﷺ) ने इस ख़्वाब पर मुहरे तक़रीर व तस्दीक़ सब्त फ़रमा दी, लिहाज़ा ये तरीक़-ए-इत्तिला मुत्तफ़क़ा तौर पर शरई तरीक़ा क़रार पाया और मुसलमानों की पहचान के लिये एक अहम शिआर की हैसियत इख़्तियार कर गया। अगरचे इब्तिदा-ए-अज़ान की मशरूइयत में इख़्तिलाफ़ है कि आया ये हिजरत के पहले साल मशरूअ क़रार पाई या दूसरे साल लेकिन राजेह बात यही है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) को पहले ही साल ख़्वाब में तरीक़-ए-अज़ान सिखला दिया गया। इब्ने हजर (رحمہ اللہ) ने भी इसी को तर्जीह दी है। और जिन रिवायात में ये वज़ाहत है कि अज़ान हिजरत से पहले मशरूअ हुई, उन्हें इब्ने हजर (رحمہ اللہ) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। वह फ़रमाते हैं: '**हक़ ये है कि इन अहादीस में से कोई हदीस**

सही नहीं।' देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/79, तहत हदीस़: 604, व तोहफतुल अह्वजी, बाबो मा जाअ फ़ी बदइल अज़ान, अस्सलात बाब माजा फ़ी बदइल अज़ान: 1/480)

अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही के ख़्वाब में तालीमे अज़ान के बाद नबी (ﷺ) ने बिलाल(رضي الله عنه) को अज़ान देने की ज़िम्मेदारी सौंपी क्योंकि वह बुलन्द आवाज़ होने के साथ साथ ख़ूश इल्हान भी थे। इसके बाद दिन हो या रात, सफ़र हो या हज़र, रसूले अकरम (ﷺ) ने इसका इल्तिज़ाम किया और इसके बाद सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) इस फ़र्ज़ को अदा करते रहे। इससे बढ़ कर और क्या बात हो सकती है कि नबी (ﷺ) ने इसे मुसलमानों के माल व जान के तहफ्फुज़ के लिये शिआर क़रार दिया है। नबी (ﷺ) अय्यामे क़िताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो बाहर ही पड़ाव डालते। अगर बस्ती से अज़ान की आवाज़ बुलन्द होती तो हमला न करते वरना उन्हें ग़ैर मुस्लिम समझ कर हमला कर देते। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 610) यक़ीनन इस तरीक़े से मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम बस्ती के दरम्यान तफ़रीक़ हो जाया करती थी।

✧ **जामिइय्यत:** अल्फ़ाज़े अज़ान में उम्दा जामइयत है। अल्लामा क़ुर्तूबी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अज़ान मुख़्तसर मगर जामेअ अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हैं इसमें अक़ीदे के मसाइल (निहायत उम्दगी से) बयान हुये हैं मुअज़्ज़िन (اللهُ أَكْبَرُ) कह कर अल्लाह (عزوجل) के वजूद और कमाल का ऐलान करता है। फिर (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ) का इज़्हार करके तौहीदे इलाही का इक़रार और तमाम माबूदाने बातिला का इन्कार करता है। इसके बाद रिसालते मुहम्मदी का इक़रार करके नबी-ए-रहमत (ﷺ) को अपना हादी और मुर्शिद मानने का ऐलान करता है। इसकी गवाही के बाद अपने हम मज़हबों को रसूलुल्लाह(ﷺ) की लाई हुई शरीयते मुतह्हरा पर अमल पैरा होने की दावत देता है ताकि उन सब को अब्दी नेमतों और लाज़वाल इनामाते रब्बानी हासिल हो सकें। (फ़तहुलबारी: 3/77) इससे मिलती जुलती उम्दा तोजीह क़ाज़ी अयाज़ (رحمه الله) ने भी की है। देखिये (अल मजमूअ: 3/81)

✧ **अज़ान की अहमियत व फ़ज़ीलत:** इस्लाम में अज़ान की बड़ी फ़ज़ीलत है। ये एक अज़ीम इबादत है। इस पर अज्रे अज़ीम और बख़्शिश का वादा है। शैतान इससे सख़्त अज़ियत महसूस करता है, इतना घबराता है कि अज़ान सुनते ही पादना शुरू कर देता है और मीलों दूर भाग निकलता है। रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान दुम दबा कर भागता और पादता जाता है यहाँ तक कि भागते भागते वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ उसे अज़ान सुनाई नहीं देती। जब अज़ान ख़त्म होती है तो फिर वापस आ जाता है, फिर जब नमाज़ की इक़ामत कही जाती है तो भाग उठता है यहाँ तक कि जब इक़ामत ख़त्म होती है तो फिर पलट आता है और आदमी के दिल में वस्वसे डालता है।**' (सहीह बुख़री, हदीस़: 608)

शैतान अज़ान सुन कर पादता क्यूँ है? इसकी असल हक़ीक़त तो अल्लाह तआला ही जानता है, ताहम हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इसकी कुछ तौजीहात भी बयान की हैं, जैसे: (1) शैतान अज़ान की बजाये उस आवाज़ और हरकत के साथ मशगूल रहे ताकि अज़ान की आवाज़ उसके कानों में न पड़े।(2) ये हरकत वह बतौर अहानत व तहक़ीर करता है।(3) वह जानबूझ कर रीह (हवा) ख़ारिज नहीं करता बल्कि शिद्दते ख़ौफ़ और घबराहट की वजह से ऐसे होता है वग़ैरह। (फ़तहुलबारी: 2/85)

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अगर लोगों को इस बात का इल्म हो जाये कि अज़ान और सफ़े अव्वल की क्या फ़ज़ीलत है, फिर क़ुर्रा अन्दाज़ी के सिवा कोई और चारा-ए-कार न पायें तो इस पर ज़रूर क़ुरआ अन्दाज़ी करें ....'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 615, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 437)

अज़ान और कलिमाते अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

✧ **अज़ान का हुक्म:** पाँच वक़्त की नमाज़ और जुमा के लिये अज़ान देना फ़र्ज़े किफ़ाया है। ये क़ौल कि अज़ान सिर्फ़ सुन्नत या सुन्नते मुअक्कदा है, यानी इस मानी में कि इज्तेमाई तौर पर शहर या, बस्ती वाले इसके तर्क पर क़ाबिले मज़म्मत नहीं और न गुनाहगार होंगे, मरदूद और नाक़ाबिले हुज्जत है। पाँच वक़्त की नमाज़ की जमाअत सफ़र में हो या हज़र में, अपने वक़्त पर हो या नींद या भूलने की वजह से वक़्त के बाद, अज़ान और इक़ामत कहना ज़रूरी है।

मज़्कूरा मौक़िफ़ की ताईद नीचे दिये गये चंद दलाइल से होती है:

(1) मालिक बिन हुवैरिस (رضي الله عنه) अपनी क़ौम के चन्द अफ़राद के साथ नबी-ए-अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में बीस दिन रहे। उसके बाद जब वतन लौटने की रुख़्सत मिली तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने चन्द अहकाम जारी फ़रमाये: उन मिन जुम्ला अहकाम में से ये भी था: **'नमाज़ उसी तरह पढ़ते रहना जैसे मुझे पढ़ते हुये तुमने देखा है और जब नमाज़ का वक़्त होजाये तो तुममें से कोई एक अज़ान कहे .....'** (सहीह बुख़ारी: 631, व सहीह मुस्लिम: 674)

इस हदीस में नबी (ﷺ) ने उन्हें अज़ान का हुक्म दिया है। अम्र वुजूब पर दलालत करता है जब तक कि उससे कोई क़रीना सारिफ़ा न हो। एक हदीस में (فَأَذِّنَا) के अल्फ़ाज़ भी हैं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 658)

(2) फ़तहे मक्का के बाद अम्र बिन सलमा के वालिद ने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िरी दी। मुशर्रफ़ बा'इस्लाम होकर अपनी क़ौम की तरफ़ वापस गये और लोगों से कहा कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास से आया हूँ। आपने हुक्म फ़रमाया है कि फ़ुलां नमाज़ फ़ुलां वक़्त में और फ़ुलां, फ़ुलां वक़्त में पढ़ो।'**चुनांचे जब नमाज़ का वक़्त हो तो तुममें से कोई एक अज़ान दे।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4302)

इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) महली में ये दोनों हदीसें ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं:'**इन दो हदीसों की रू से हतमी तौर पर अज़ान का वुजूब साबित हुआ। ये वुजूब वक़्ते नमाज़ शुरू होने के साथ मशरूत है। हर नमाज़ के लिये ये आम हुक्म है। इस अम्र में इक़ामत भी दाख़िल है।**' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/123)

मज़ीद फ़रमाते हैं: अबू सुलेमान और उनके असहाब भी अज़ान व इक़ामत के वुजूब के क़ाइल हैं। हमारे इल्म के मुताबिक़ अदमे वुजूब के क़ाइलीन के पास कोई दलील नहीं इसके वुजूब के लिये यही दलील काफ़ी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी इलाक़े पर हमलावर होते तो अज़ान सुनने का इन्तेज़ार करते। अज़ान की आवाज़ आती तो हमला मुअख़्ख़र कर देते बसूरते दीगर उनके ख़ून, माल और उन्हें क़ैदी बना लेने को हलाल समझते। इस तरह ये गोया कि तमाम सहाबा का यक़ीनी इज्मा है और ये वह इज्मा है जिसकी सेहत क़तई है। (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/125)

(3) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**जिस किसी गाँव में तीन फ़र्द (भी) हों, वहाँ न अज़ान दी जाये और न उनमें नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम हो तो उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है, लिहाज़ा तुम जमाअत को लाज़िम पकड़ो, बेशक भेड़िया हमेशा दूर रहने वाली अकेली बकरी को खा जाता है।**' (मुसनद इमाम अहमद: 5/196, अल मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 36/42, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 547)

इस हदीस में अज़ान न देने की वजह से सख़्त वईद का ज़िक्र है। साहिबे मुन्तकल अख़्बार ने मज़्कूरा हदीस पर (بَابُ وُجُوبِهِ وَ فَضِيلَتِهِ) के अल्फ़ाज़ से उनवान क़ाइम किया है। इमाम शौकानी (رحمه الله) ने इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुये वजूबे अज़ान व इक़ामत का इस्बात किया है। वह फ़रमाते हैं: 'क्योंकि ऐसा तर्क जो तसल्लुते शैतान की एक क़िस्म (सूरत) है, इस से इज्तेनाब वाजिब है।' फिर क़ाइलीन वजूब का तज़्किरा करते हुये फ़रमाते हैं कि यही मौक़िफ़ इमाम अता, मालिक, अहमद बिन हंबल और अस्तख़री (رحمهم الله) का है। (नैलुल अवतार: 2/26)

(4) नबी-ए-अकरम (ﷺ) अय्यामे क़िताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो फ़ौरन हमलावर न होते बल्कि बाहर पड़ाव कर लेते। अगर बस्ती से अज़ान की सदा बुलन्द होती तो हमला न फ़रमाते वरना ग़ैर मुस्लिम समझ कर हमला कर देते जैसा कि पीछे गुज़रा है।

(5) हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'बिलाल को हुक्म दिया गया कि वह अज़ान के कलिमात दो दो बार और इक़ामत के एक एक बार कहें।'** (सहीह बुख़ारी, अज़ान, हदीस: 605 व सहीह मुस्लिम, अस्सलात, हदीस: 278) हज़रत बिलाल (ﷺ) को हुक्म देने वाले रसूलुल्लाह(ﷺ) थे। देखिये: (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 628)

इस हदीस से भी मज़्कूरा मौक़िफ़ की ताईद होती है, नीज़ मज़्कूरा तसरीह से अल्लामा ऐनी(ﷺ) की तर्दीद होती है जिन्होंने फ़रमाया कि पता नहीं यहाँ हुक्म देने वाला कौन है? नबी(ﷺ) हैं या कोई और। (तोहफतुल अह्वजी: 1/491)

(6) अज़ान के हवाले से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही का ख़्वाब सुनने के बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'इन्शाअल्लाह ये ख़्वाब सच्चा है, तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और उसे वह कलिमात सिखाओ जो तुमने देखे हैं, वह उनके साथ अज़ान कहे।'** (सुनन अबी दाऊद, अस्सलात, हदीस: 499 व इरवाउलग़लील: 1/265) मुसनद अहमद में अम्र की तसरीह है: **'फिर आप (ﷺ) ने हुक्मे अज़ान सादिर फ़रमाया।'** (मुसनद इमाम अहमद: 4/43, वल्मौसूअतुलहदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 26/400, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/193)

(7) ख़न्दक़ के मौक़े पर नबी (ﷺ) की चार नमाज़ें रह गईं। हदीस में आता है: **'तो नबी(ﷺ) ने बिलाल को हुक्म दिया और उन्होंने अज़ान कही।'** (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 663) अलग़र्ज़ राजेह मौक़िफ़ यही है कि अज़ान फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी एक शख़्स की अज़ान से दीगर अफ़राद से उसका वुजूब साक़ित हो जाता है। अगर किसी ख़ुत्बे में बिल फ़र्ज़ कोई भी अज़ान नहीं कहता तो अहले ख़ित्ता मुस्तहिक़्के इताब हैं। इस्लामी हुकूमत हो तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जायेगी।

ये मुसलमानों का एक ऐसा शिआर है जिसका नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हिजरत के पहले साल से ता-दमे हयात इल्तिज़ाम करवाया। आपकी ज़िन्दगी में एक मर्तबा भी अज़ान का तर्क करना साबित नहीं, सफ़र में न हज़र में, सिवाए अरफ़ा के दिन के, कि उस दिन एक ही अज़ान से ज़ुहर व अस्र की दो नमाज़ें दो इक़ामतों के साथ अदा कीं। इसी तरह नबी (ﷺ) ने मुज़्दलिफा की रात मग़रिब व इशा एक अज़ान और दो तकबीरों के साथ पढ़ाई। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 656, 657)

इमाम मालिक (ﷺ) से एक क़ौल मन्क़ूल है कि जिन मसाजिद में नमाज़ बा'जमाअत होती है, वहाँ अज़ान देना फ़र्ज़ है। (बिदायतुल मुज्तहिद: 1/197)

इमाम मुहम्मद बिन हसन (ﷺ) ने भी शहरियों पर अज़ान वाजिब क़रार दी है। (अल्बिनाया: 2/84, व हाशिया इब्ने आबिदीन: 1/84)

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (ﷺ) फ़रमाते हैं: सफ़र व हज़र में हर जमाअत के लिये अज़ान व इक़ामत वाजिब है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अज़ान का हुक्म दिया है और आपका हुक्म फ़र्ज़ियत का तक़ाज़ा करता है। आप (ﷺ) ने मक्का में अबू महज़ूरा (ﷺ) (मदीना में) बिलाल(ﷺ) को अज़ान देने का हुक्म दिया। ये सब वुजूबे अज़ान पर दलालत करता है। (अलऔसत लिइब्निल मुन्ज़िर: 3/24)

इमाम अबू अवाना (ﷺ) ने अपनी मुसनद में अज़ान व इक़ामत के वुजूब की तरफ़ इशारा करते हुये वाइल बिन हुज्र (ﷺ) वग़ैरह की हदीस़ पर ये अल्फ़ाज़े उन्वान क़ायम किया है: बाबु ईजाबुल अज़ान वल्इक़ामति इन्द हुज़ूरिस्सलाह ..... (मुसनद अबी अवाना: 1/276)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'दुरुस्त ये है कि अज़ान फ़र्ज़े क़िफ़ाया है। किसी शहर या बस्ती वालों के लिये अज़ान व इक़ामत का तर्क जायज़ नहीं।'** (मजमूअ अल फ़तावा: 22/64)

इमाम शौकानी (ﷺ) फ़रमाते हैं: ये इबादत इस्लाम का अज़ीम तरीन शिआर और दीन का मशहूर तरीन निशान और अलामत है क्योंकि जबसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे मशरूअ क़रार दिया है, लैल व नहार और सफ़र व हज़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात तक इस पर हमेशगी रही है, ये नहीं सुना गया कि किसी वक़्त ये तर्क हुई हो या इसके तर्क करने की रुख़्सत दी गई हो। (अस्सैलुल जर्रार: 1/430 बतहक़ीक़ सुबहय बिन हसन)

मज़ीद लिखते हैं: 'मा'हुसूल ये है कि इस जैसी अज़ीम इबादत के वुजूब में किसी को तरद्दुद का शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहाड़ पर जलती आग से ज़्यादा रोशन है और इसके दलाइल रोज़े रोशन की तरह हैं। (अस्सैलुल जर्रार: 1/432)

नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (ﷺ) फ़रमाते हैं: इसके वुजूब में इख़्तिलाफ़ है लेकिन (दलाइल का) ज़ाहिर वुजूब ही है। (अरोज़तुन्नदिय्या: 1/244 मअत्तअलीक़ातिर्रजिय्या)

मुहद्दिसुल अस्र शैख़ अल्बानी (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'कई हदीसों में हुक्मे अज़ान साबित**

है, वुजूब तो इससे भी कम तर से साबित हो जाता है, इसलिए हक़ ये है कि अज़ान फ़र्ज़े किफ़ाया है।' (तमामुलमिन्नत, सफ़ा: 144) वल्लाहु आलम!

✧ **जानते बूझते वक़्त से पहले या देर से अज़ान देने का हुक्म:** फ़र्ज़ नमाज़ों की अज़ान उनके असल औक़ात से पहले नहीं देनी चाहिए, ख़ुसूसन फ़ज्र और मग़रिब की अज़ान। इस तरह रोज़ेदार के लिये वक़्ते जवाज़ वक़्ते हुर्मत क़रार पाता है जो कि हक़ीक़त में दुरुस्त नहीं। कुछ औक़ात अज़ाने फ़ज्र अपने असल वक़्त, यानी तुलूअे फ़ज्रे सादिक़ से भी पहले सुनने में आती है। शरअन ये दुरुस्त नहीं। इसी तरह अज़ाने मग़रिब भी ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद ताख़ीर से नहीं देनी चाहिए जबकि फ़ी ज़माना दायमी औक़ात की तक़वीमात आम दस्तियाब हैं। इन मुसद्दक़ा औक़ात की तहदीद के बाद एहतियातन ताख़ीर दुरुस्त नहीं, ख़ुसूसन रमज़ान में।

सलमा बिन अक्वा (ﷺ) फ़रमाते हैं:'**हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मग़रिब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ा करते थे जब सूरज पर्दे में छुप जाता।'** (सहीह बुख़ारी, अलमवाक़ीत, हदीस: 561 व सहीह मुस्लिम, हदीस: 636) जब बरवक़्त अज़ान होगी तो तभी इस हद तक जल्दी हो सकती है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मेरी उम्मत उस वक़्त तक ख़ैर में रहेगी या फ़रमाया: फ़ितरत पर रहेगी जब तक कि मग़रिब को मुअख़्ख़र न करेगी कि सितारे निकल आयें।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 418)

हमारे मुआशरे में आम मसाजिद में जो जानबूझकर ताख़ीर होती है, सो होती है, शीया मक्तबे फ़िक्र से वाबस्ता अवाम व ख़्वास में इससे भी बढ़ कर इसका इज़्हार होता है। मग़रिब की अज़ान इस हद तक देर से कही जाती है कि सितारे निकल ही आते हैं। इस क़द्र ताख़ीर बिदअत है। हदीस की रोशनी में ऐसे लोग फ़ितरत से दूर और ख़ैर से महरूम क़रार पाते हैं जैसा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के मज़्कूरा फ़रमाने आली से ज़ाहिर होता है। नीज़ आप(ﷺ) ने फ़रमाया: **'लोग जब तक जल्द इफ़्तारी करते रहेंगे, ख़ैर में रहेंगे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1957)

इमाम इब्ने दक़ीक़ अलईद फ़रमाते हैं: **'इस हदीस में शीया की तर्दीद है कि वह सितारों के ज़ाहिर होने तक इफ़्तारी मुअख़्ख़र करते हैं। और शायद लोगों का हमेशा जल्दी इफ़्तारी करना ही वुजूदे ख़ैर का सबब है क्योंकि जो ताख़ीर से इफ़्तारी करता है, वह ख़िलाफ़े सुन्नत फ़ेअल का मुर्तकिब होता है।'** (फ़तहुलबारी: 4/199, हदीस: 1957, वलइद्दतु अला इहकामिल अहकाम शरह उम्दतिल अहकाम लिल अल्लामा इब्ने दक़ीक़ अल ईद: 3/213)

ग़र्ज़, इसकी ताख़ीर आम दिनों में दुरुस्त है न ख़ास, यानी रमज़ानुल मुबारक में, जैसा कि

मज़्कूरा पहली हदीस़ से वाज़ेह होता है, इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह मसनून आमाल व अफ़आल ही पर इक्तिफ़ा करें, इन्शाअल्लाह इसमें उम्मत के लिए ख़ैर व बरकत है और अपनी क़यास आराइयों या एहतियाती तदाबीर से परहेज़ ही बेहतर है।

✧ **हालते सफ़र में अज़ान की मशरूइयत:** हालते सफ़र में भी अज़ान व इक़ामत मसनून व मुस्तहब है। अगर गर्द व नवाह (आस-पास) में क़रीब क़रीब अज़ान नहीं होती तो तब इसकी मज़ीद ताकीद है बल्कि उस वक़्त ये वुजूब का दर्जा रखती हैं मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास दो आदमी आये, उनका इरादा सफ़र का था तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम दोनों (सफ़र पर) निकलो तो (नमाज़ का वक़्त होने पर) अज़ान कहो, फिर इक़ामत कहो, फिर तुम दोनों में से बड़ा इमामत कराये।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 630)

बिलाल (ﷺ) के हवाले से अबू जुहैफ़ा और अबू क़तादा (ﷺ) की अहादीस़ भी इस बात पर दलालत करती हैं कि सफ़र में अज़ान व इक़ामत का एहतिमाम करना चाहिए। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 633, व हदीस़ अबी क़तादा फ़ी स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 680, 681) हुनैन से वापसी पर भी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हालते सफ़र में अज़ान कहलवाई थी। उसे सुन कर अबू महज़ूरा और उनके साथी नक़लें उतारने लगे थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनकी अज़ान पसन्द आ गई और उन्हें मक्के का मुअज़्ज़िन मुक़र्रर कर दिया। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस़: 634)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इस पर अक्स़र अहले इल्म का अमल है, उन्होंने सफ़र में अज़ान देना पसन्द किया है। और कुछ ने कहा है कि (सिर्फ़ इक़ामत किफ़ायत कर जाती है, अज़ान तो सिर्फ़ वह देगा जो लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। पहला क़ौल ज़्यादा स़ही हैं अहमद और इस्हाक़ का क़ौल भी यही है।'** (जामेअ तिमिज़ी, हदीस़: 205) बहरहाल अगर हालते सफ़र में दो या इससे ज़्यादा अफ़राद जमा हों तो उन्हें अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ से मालूम होता है।वल्लाहु आलम!

✧ **अकेले शख़्स़ की अज़ान व इक़ामत का हुक्म:** आबादी और ग़ैर आबादी में नमाज़ पढ़ने वाला अकेला शख़्स़, हुसूले फ़ज़ीलत की ख़ातिर अज़ान व इक़ामत कह सकता है। ये उसके हक़ में मुस्तहब है अगरचे इससे पहले अज़ान व इक़ामत के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी जा चुकी हो। लेकिन जब आबादी में हो तो इस बात का ख़ास़ ख़्याल रखा जाये कि उसकी इस अज़ान व इक़ामत से लोग शुब्हे का शिकार न हों, इसलिए अज़ान देते वक़्त आवाज़ पस्त रखी जाये। यही हुक्म इक़ामत का है, नीज़ लाऊड स्पीकर क़तअन इस्तिमाल न किया जाये। ये इक़्दाम इन्तिशार का बाइस़ होगा।

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'जब अकेला नमाज़ पढ़े तो अज़ान और इक़ामत कह ले, ये मुझे ज़्यादा महबूब है। अगर बिला अज़ान सिर्फ़ इक़ामत से नमाज़ पढ़े तो ये जायज़ है। और अगर अज़ान व इक़ामत के बग़ैर ही नमाज़ पढ़ ले तो उस पर नमाज़ दोहराना वाजिब हैं। मेरे नज़दीक अकेले शख़्स के लिये अज़ान व इक़ामत कहना इसलिए पसन्दीदा है कि इसके मुताल्लिक़ अबू सईद ख़ुदरी(رضي الله عنه) की हदीस़ आती है, नीज़ इसलिए कि कोई गुमान करने वाला ये न समझ ले कि अज़ान सिर्फ़ लोगों को जमा करने के लिये होती है। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने मालिक बिन हुवैरिस़ और उनके चचाज़ाद को अज़ान का हुक्म दिया था जबकि उनके साथ कोई और जमाअत न थी। अज़ान और इक़ामत का हुक्म सिर्फ़ उन्हीं दोनों का था।'** (अलऔसत: 3/60) इस मौक़िफ़ के दलाइल नीचे दिये गये हैं:

उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना है: **'तुम्हारा रब बकरियों के उस चरवाहे पर ताज्जुब करता है (जैसे भी उसकी शान के लायक़ है) जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हुये) नमाज़ के लिये अज़ान कहता और नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: देखो मेरे इस बन्दे को जो नमाज़ के लिये अज़ान और इक़ामत कहता है (और) मुझ से डरता है। मैंने अपने इस बन्दे को बख़्श दिया और जन्नत में दाख़िल कर दिया है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1203, व सुनन नसाई, हदीस़: 667, हदीस़ सही है, देखिये अल इर्वा लिल अल्बानी, हदीस़: 214)

सय्यदना सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब आदमी चटियल मैदान (बे आबाद ज़मीन) में हो और नमाज़ का वक़्त हो जाये तो वह वुज़ू कर ले, अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर लें फिर अगर (सिर्फ़) तकबीर कहता (और नमाज़ पढ़ता) है तो उसके साथ उसके दोनों फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं और अगर वह अज़ान और इक़ामत कहता है तो उसके पीछे अल्लाह के वह लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं जिनके दोनों किनारे दिखाई नहीं देते।'** (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 1955, हदीस़ सही है, मुलाहिज़ा फ़रमाये सहीह तर्ग़ीब: 249)

इमाम अहमद (رحمه الله) का क़ौल है कि अगर कोई मस्जिद में आये और देखे कि नमाज़ हो चुकी है तो वह अज़ान व इक़ामत से मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है। (अल इये मुग़नी: 1/467)

इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने इमाम अता (رحمه الله) से मुअल्लक़न नक़ल किया है कि अकेला आदमी इक़ामत कह सकता है, नीज़ उन्होंने अपनी सुनन में अबू उस्मान के हवाले से ज़िक्र किया है कि हमारे पास अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) तशरीफ़ लाये जबकि हम नमाज़े फ़ज्र पढ़ चुके थे, उन्होंने अज़ान

कही, फिर इक़ामत कह कर अपने साथियों को नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई।

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने सय्यदना अनस (رضي الله عنه) का ये असर सहीह बुख़ारी में मुअल्लक़ ज़िक्र किया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 645)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इब्ने अबी शैबा, अबू यअला और बैहक़ी ने इसे सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से मौसूलन सही सनद के साथ रिवायत किया है।'** (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी, 1/209, व तमामुल मिन्नत, हदीस: 155)

इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने इन्हीं आसार की बिना पर अकेले आदमी के लिये अज़ान व इक़ामत के इस्तिहबाब का उनवान क़ायम किया है।

अल मुख़्तसर: मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में अकेले आदमी के लिये अज़ान व इक़ामत की मशरूइयत व इस्तिहबाब का इस्बात होता है। बेहतर है कि इस क़िस्म के अमल से पहले लोगों की ज़हन साज़ी और मसले की वज़ाहत की गई हो बसूरते दीगर फ़ित्ने का ख़दशा हो सकता है, जबकि बिला अज़ान व इक़ामत नमाज़ के जवाज़ में तो कोई कलाम नहीं।वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

✧ **क़ज़ा नमाज़ों के लिये अज़ान:** भूलने, सो जाने या किसी ऐसी मसरूफ़ियत की सूरत में जिसमें इन्सान बे इख़्तियार हो, या किसी माक़ूल शरई उज़्र और मजबूरी की सूरत में एक या कई सारी नमाज़ें रह जायें तो उन्हें अदा करते वक़्त अज़ान और इक़ामत कहना मसनून व मशरूअ है। अगर नमाज़ें ज़्यादा हों तो आग़ाज़ में एक अज़ान और हर नमाज़ के लिये सिर्फ़ इक़ामत किफ़ायत कर जाती है।

सय्यदना अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर से वापस लौटे तो रात भर चलते रहे यहाँ तक कि जब हमें नींद आने लगी तो आप (ﷺ) आराम के लिये उतर गये और बिलाल (رضي الله عنه) से फ़रमाया: **'आज रात हमारा पहरा देना।' वह बयान करते हैं कि फिर बिलाल की आँखें भी उन पर ग़ालिब आ गईं, यानी सो गये और वह अपने ऊँट से टेक लगाये हुये थे, चुनांचे नबी (ﷺ) जागे न बिलाल और न कोई और सहाबी, यहाँ तक कि जब सूरज की शुआयें पड़ीं तो सबसे पहले जागने वाले रसूलुल्लाह (ﷺ) थे, आप घबरा गये और फ़रमाया: 'ओ बिलाल!' उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान हों! जो चीज़ आप पर ग़ालिब आ गई वह मुझ पर भी ग़ल्बा पा गई। फिर (नबी(ﷺ) और सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم)) वहाँ से चल दिये (और कुछ दूर जाकर उतरे) तब आप (ﷺ) ने वुज़ू किया और बिलाल (رضي الله عنه) को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिये इक़ामत कही और आपने उन्हें फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। आप (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाया: 'जो शख़्स नमाज़ भूल**

जाये तो उसे जब याद आये उसी वक़्त पढ़ लिया करे। बेशक अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: मेरी याद के लिये नमाज़ क़ायम करो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल्अल्बानी, हदीस: 462)

दूसरे तरीक़ से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें वह जगह छोड़ने का हुक्म दिया। इसमें ये भी सराहत है।'**आप (ﷺ) ने बिलाल (رضي الله عنه) को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान और इक़ामत कही और आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 436)

इस हदीस की रोशनी में वाज़ेह हुआ कि इस क़िस्म की सूरते हाल में अज़ान दी जा सकती है। लेकिन अगर एक दो या ज़्यादा अफ़राद हों और नमाज़ अपने शहर या बस्ती में फ़ौत हुई हो तो फिर अज़ान कहना ज़रूरी नहीं, साबिक़ा अज़ान ही किफ़ायत कर जायेगी।

साहिबे मुग़नी फ़रमाते हैं: '**जिसकी कुछ नमाज़ें रह जायें तो उसके हक़ में अफ़ज़ल ये है कि वह पहली नमाज़ के लिये अज़ान कह ले और फिर हर नमाज़ के लिये अलग अलग इक़ामत कहें**' (अल मुग़नी: 1/462)

अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि ख़न्दक़ के दिन मुशरिकों ने हमें नमाज़े ज़ुहर से मशग़ूल रखा यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया, ये वाक़िया, क़िताल के बारे में नाज़िल होने वाले अहकाम से पहले का है, तो अल्लाह तआला ने ये फ़रमान नाज़िल कर दिया: '**और अल्लाह मोमिनों को क़िताल के लिये काफ़ी हो गया।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिलाल (رضي الله عنه) को हुक्म दिया, उन्होंने ज़ुहर की इक़ामत कही तो आप (ﷺ) ने वह नमाज़ वैसे ही पढ़ाई जैसे उसके वक़्त में पढ़ाया करते थे, फिर उन्होंने अस्र की इक़ामत कही तो आपने वह वैसे ही पढ़ाई जैसे उसके वक़्त में पढ़ाया करते थे, फिर उन्होंने मग़रिब की अज़ान कही और आपने वह नमाज़ उसके वक़्त ही में पढ़ाई।**'(सुनन नसाई, हदीस: 662 व इरवाउल ग़लील: 1/257) कुछ रिवायात में चार नमाज़ों के रह जाने का ज़िक्र भी आता है। इसमें कोई तआरुज़ (इख़्तिलाफ़)नहीं क्योंकि ये मुहासरा कई दिन रहा, इसलिए उ़लम-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने इस इख़्तिलाफ़ को कस्रतें वाक़िये पर महमूल किया है। वल्लाहु आलम!

✧ **सहरी के वक़्त अज़ान:** रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में सहरी के वक़्त, फ़ज्रे सादिक़ से पहले, सोये हुये लोगों को जगाने और क़ियामुल लैल करने वालों को वापस पलटने या क़रीब फ़ज्रे सादिक़ की इत्तिला देने की ख़ातिर, अज़ान देना मुस्तहब है। अहनाफ़ के सिवा जम्हूर फ़ुक़हा व मुहद्दिसीने इ़ज़ाम, इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और अबू यूसुफ़ (رحمهم الله) वग़ैरह सहरी के वक़्त इस अज़ान के मुस्तहब

होने के क़ाइल हैं। (अलफ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्ला: 1/540) यही मौक़िफ़ सही अहादीस़ की रोशनी में राजेह है।

(1) अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**यक़ीनन बिलाल रात को (सहरी के वक़्त) अज़ान देता है लिहाज़ा खाओ पियो, यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दे।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 617 व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1092)

(2) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: '**तुममें से किसी एक को बिलाल की अज़ान उसकी सहरी से न रोके, क्योंकि वह तो इसलिए अज़ान देता है ताकि तुम्हारे क़ियाम करने वालों को लौटाये और सोये हुओं को जगाये।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 621, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1093)

(3) सय्यदा आयशा (ﷺ) से भी ऊपर वाली, इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस़ की तरह मरवी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 623, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1092)

(4) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) से मरवी है कि मैंने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना: '**तुममें से किसी को बिलाल की अज़ान सहरी के मुताल्लिक़ धोखे में मुब्तला न करे (कि रुक जाओ और सहरी न खाओ)**' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1094)

इन चन्द सही अहादीस़ से मालूम हुआ कि तुलूअे फ़ज्र से पहले मज़्कूरा ग़र्ज़ के लिये अज़ान देना मुस्तहब है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) भी फ़ज्र से पहले अज़ान को मुस्तहब क़रार देते हैं, नीज़ उनके नज़दीक दोनों अज़ानों के लिये अलग अलग मुअज़्ज़िन का होना भी मुस्तहब है। (शरह अल उमदा: 2/115)

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) ने भी इसकी मशरूइयत व इस्तिहबाब को पुर ज़ोर तरीक़े से साबित किया है। जिन कुछ लोगों ने इसे क़यास व उसूल के ख़िलाफ़ क़रार दिया है, दलाइल से उनका रद किया है और सही अहादीस़ की रोशनी में उनके इस रवैये को रद्दे सुन्नत से ताबीर फ़रमाया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (आलामुल मूक़िईन: 2/325) मज़ीद देखिये: (सुबुलुस सलाम बितअलीकिल अल्बानी: 1/372)

मल्हूज़ा: कुछ लोग सिर्फ़ रमज़ान ही में सहरी की अज़ान के क़ाइल हैं, दीगर अय्याम में नहीं, उनके नज़दीक (فكلوا واشربوا) इसका वाज़ेह क़रीना है लेकिन ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। रमज़ान के अलावा दीगर अय्याम में भी ये अज़ान मसनून व मुस्तहब है, क्योंकि सहाब-ए-किराम(ﷺ) तक़रीबन सारा साल

ही वक़्तन फ़वक़्तन रोज़ों का एहतिमाम फ़रमाते थे। वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के उस्वा या हुक्म व तर्ग़ीब को बाद वालों से कहीं ज़्यादा अहमियत देते थे। इत्तेबा-ए-रसूल की वह अमली तसवीर थे, और ख़ैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इसलिए पुरा साल ही उन्हें इस अज़ान की ज़रूरत रहती थी।

रमज़ानुल मुबारक के अलावा दीगर जिन अय्याम के रोज़ों की तर्ग़ीब व तशवीक़ या जो इस बारे में आपका अमल मन्क़ूल है, इसकी ज़रा सी झलक दर्ज ज़ेल तफ़्सील से मुलाहिज़ा फ़रमाइये:

(1) रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल के छ: रोज़े।
(2) रमज़ान के बाद, पूरे मुहर्रम के रोज़ों को, अफ़ज़लुस्सियाम क़रार दिया गया है।
(3) हर महीने में तीन दिन के रोज़े। अफ़ज़ल और बेहतर है कि ये तीन रोज़े अय्यामे बीज़ में रखे जायें।
(4) अय्यामे बीज़ (चाँद की 13, 14 और 15) के रोज़े।
(5) हर हफ़्ते सोमवार और जुमेरात का रोज़ा।
(6) अक्सर माहे शाबान या तक़रीबन सारा शाबान ही रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखते।
(7) सुनन अबू दाऊद में बसनद सही मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़िल्हिज्जा के इब्तिदाई नो दिनों के रोज़े रखा करते थे।
(8) आशूरा मुहर्रम का रोज़ा बल्कि दस मुहर्रम के साथ नो मुहर्रम के रोज़े की तर्ग़ीब।
(9) ग़ैर हाजियों के लिये यौमे अरफ़ा के रोज़े की तर्ग़ीब व तशवीक़।
(10) इसी पर बस नहीं बल्कि आप (ﷺ) ने सियामे दाऊदी को (أحبُّ الصيام) क़रार दिया है। इससे मुराद ये है कि इन्सान एक दिन रोज़ा रखे और दूसरे दिन न रखे इस सूरत में आधा साल रोज़ों ही में गुज़रता है, नीज़ रोज़े की तर्ग़ीब व तशवीक़ और फ़ज़ीलत कुछ उमूमी दलाइल से भी मन्क़ूल हैं इसके लिये कुतुबे अहादीस में मुताल्लिक़ा अबवाब देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि ज़िहार, क़त्ल और क़सम वग़ैरह में इसे बतौरे कफ़्फ़ारा मज़्कूरा बाला मअरूज़ात की रोशनी में वाजेह होता है कि सिर्फ़ (كُلُوا وَاشْرَبُوا) का क़रीना ही मुद्दई के इस्बात के लिये काफ़ी नहीं बल्कि सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) की रोज़ा रखने की आदत आम थी। वह रमज़ान शरीफ़ के अलावा भी रोज़ों का एहतिमाम फ़रमाया करते थे, इसलिए उन्हें फ़ज्र से पहले अज़ान की ज़रूरत भी रहती थी। व बिल्लाहित्तौफ़ीक़!

✧ **वबा या किसी ना गहानी आफ़त में अज़ान की हक़ीक़त:** अवामुन्नास से सुना है और मुशाहिदा भी है कि किसी वबा, सख़्त बारिश, तूफ़ान, आँधी या किसी नागहानी आफ़त की वजह से लोग मसाजिद में या मकानों की छत पर अज़ानें देना शुरू कर देते हैं। ऐतक़ाद ये होता है कि नाज़िल

शुदा वबा-ए-आम इस इज्तेमाई या उ़मूमी अज़ानों से टल जाती है। इस अ़मल का सुबूत सुन्नते सहीहा से नहीं मिलता। ये ईजादे बन्दा है। अज़ान का असल महल वही है जो कुर्आन व हदीस की रोशनी में मुतय्यन है, इसलिए इस क़िस्म की वबाओं या आफ़तों का बेहतरीन तोड़ रूजू इलल्लाह और तौब-ए-सादिक़ा है क्योंकि इस क़िस्म की आफ़तों का नुज़ूल इन्सानी बद उनवानियों और नाफ़रमानियों का नतीजा होता है जिससे निजात का सिर्फ़ एक ही हल है और वह है तौबा व इस्तिग़फ़ार और ख़ुलूस निय्यत से आमाले सालेहा की तरफ़ कोशिश और रग़बत व सबक़त। वल्लाहु आलम!

इरशादे बारी तआला है: '**ज़ाहिर हुआ फ़साद ख़ुश्की और समन्दर में बवजह उसके जो लोगों के हाथों ने कमाया ताकि वह (अल्लाह) उन्हें उनके बाज़ उन आमाल का मज़ा चखाये जो उन्होंने किये ताकि वह वापस पलट आयें।**'(सूरह अर्रूम: 30/41)

सूरह यूनुस में अल्लाह तआला फ़रमाता है:'**सो कोई ऐसी बस्ती क्यूँ न हुई जो ईमान लाई हो तो उसके ईमान लाने ने उसे नफ़ा दिया हो, क़ौमे यूनुस के सिवा, जब वह ईमान ले आये तो हमने उनसे दुनिया की ज़िन्दगी में ज़िल्लत का अज़ाब हटा दिया और उन्हें एक वक़्त तक फ़ायदा दिया।**' (युनूस: 10/98)

हज़रत नूह (عليه السلام) ने अपनी क़ौम को बरमला अल्फ़ाज़ में तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की दावत दी: '**तो मैंने कहा: अपने रब से माफ़ी माँग लो, यक़ीनन वह हमेशा से बहुत माफ़ करने वाला है। वह तुम पर बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा और मालों और बेटों के साथ तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग़ात अता करेगा और तुम्हारे लिये नहरें जारी करेगा।**' (नूह 71/10-12)

अल मुख़्तसर, किताब व सुन्नत में इस क़िस्म की बहुत सी हिदायात व इरशादात मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ़ इख़्लास व अमल की है।

ऊपर ज़िक्र किये गए मसले के मुताल्लिक़ एक रिवायत मन्क़ूल है लेकिन वह सनदन साक़ितुल ऐतबार है। रिवायत के अल्फ़ाज़ यूँ हैं: '**जब कोई बड़ी आफ़त उतर आये या तारीक आँधी चले तो तुम्हें तकबीर कहनी चाहिए क्योंकि ये तारीक ग़ुबार को दूर कर देती है।**' (मुसनद अबी यअ़ला, हदीस: 1947, व अमलुल यौम व लैला, हदीस: 285)

इस रिवायत की बुनियाद पर मुमकिन था कि ज़ेरे बहस अज़ान दुरुस्त ठहरती लेकिन ये ज़ईफ़ तो कजा परले दर्जे की मनड़ंत रिवायत है।

ये रिवायत तीन वजहों से नाक़ाबिले हुज्जत है: **(1)** इसकी सनद में अम्बसा बिन अ़ब्दुर्रहमान

है। इमाम अबू हातिम ने इसे 'मतरूकुल हदीस़' कहा है और फ़रमाया कि ये अहादीस़ घड़ा करता था। इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने फ़रमाया: लोगों ने इसे तर्क कर दिया है।(2) मुहम्मद बिन ज़ाज़ान मुन्करूल हदीस़ है और इस लायक़ है कि इसकी हदीसें न लिखी जाये।(3) इसकी सनद में वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है जो तदलीसे तस्विया करता है और उसने मज़्कूरा हदीस़ अन से बयान की है, लिहाज़ा मज़्कूरा इलल दो वजहों की बिना पर ये रिवायत मनघड़ंत, नाक़ाबिले इल्तिफ़ात और मरदूद है। शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने भी इसे मौज़ूअ कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (उज़ालतुर्राग़िब अल्मुतमन्नी अज़ सलीम ईद हिलाली: 1/338, व सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा: 5/283, हदीस़: 2256, वल्क़ौलुलमक़्बूल फ़ी तख़्रीज स़लातिर रसूल, स़फ़ा: 312)

एक रिवायत इन अल्फ़ाज़ में भी आती है: **'जब जिन्न भूत मुख़्तलिफ़ शक्लें इख़्तियार करके नमूदार हों तो तुम अज़ान दे लिया करो।'** (मुसनद अहमद: 3/305, वग़ैरह)

ये हदीस़ ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'इसके रिजाल स़िक़ह हैं, मगर अक्स़र के नज़दीक हसन का सय्यदना जाबिर (ﷺ) से सिमाअ साबित नहीं (अजालतुर रागिब फी तहक़ीक व तख़रीज अमलुल यौम वल्लैला लिल हिलाली) शैख अल्बानी फर्माते हैं ये सनद जईफ है और इसके रिजाल सिका हैं इस हदीस की सिर्फ एक इल्लत है और वह ये है कि हसन बसरी और जाबिर के माबैन इन्क़िताअ है क्योंकि उन्होंने जाबिर से सुना नहीं जैसा कि अबू हातिम और बज़्ज़ार (ﷺ) ने फ़रमाया।'** (अस्सिलसिलतु ज़ईफ़ा: 3/277, हदीस़: 1140) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (उजालतुर्राग़िब: 2/594)

अइम्म-ए-फ़न की इन तस़रीहात से मालूम हुआ कि ये रिवायत इस्तिनादी हैसियत की मालिक नहीं क्योंकि सनदन नाक़ाबिले हुज्जत है।

अलग़र्ज़! मस़ाइब व आलाम या आसमानी आफ़ात की वजह से मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर रस्मे अज़ान दुरुस्त नहीं और न ये इस क़िस्म की आफ़ात व मस़ाइब का शरई हल है बल्कि दुरुस्त हल वही है जो ऊपर ज़िक्र हुआ, लिहाज़ा इस तरह के ख़ुदसाख़्ता रस्म व रिवाज से किनारा कशी लाज़मी है। व बिल्लाहित तौफ़ीक़!

✧ **अहले तशय्युअ (शीया) की अज़ान:** यहाँ ये बात क़ाबिले ज़िक्र है कि अहले सुन्नत के तमाम मसालिक की अज़ान में कोई फ़र्क़ नहीं। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। सबकी अज़ान का तरीक़ा एक और तादादे कलिमात भी यकसां हैं, सिवाए शीया के कि उनकी अज़ान व इक़ामत अपनी तर्ज़ की है। कोई तरीक़-ए-इबादत ऐसा होगा जिसमें वह दीगर मुसलमानों के शरीक कारों यहाँ तक कि

कलिम-ए-तय्यबा भी मुख़्तलिफ़ है। उनके यहाँ इसमें कुछ इज़ाफ़ा है जिसकी हैसियत उनके यहाँ वाजिबी है। ग़र्ज़ अगर अज़ान में इस क़िस्म के इज़ाफ़े किये गये हैं तो ये कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं।

मक़सद सिर्फ़ ये है कि उनकी रिवाज की गई अज़ान ग़ैर शरई और सरासर ख़िलाफ़े हक़ीक़त है। अहले सुन्नत के यहाँ इसकी हैसियत एक बिदई अज़ान की हैं फ़िक़्हे जाफ़रिया की मोतबर कुतूब में भी फ़ी ज़माना राइज अज़ान की कोई दलील या असल नहीं। अहले सुन्नत और उनकी अज़ान में सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उनके यहाँ (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) के बाद (حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ) दो मर्तबा कहना है। बाक़ी पूरी अज़ान वही है जो अहले सुन्नत की अज़ान है बल्कि फ़िक़्हे जाफ़रिया की रू से अज़ान में (أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللهِ) का इज़ाफ़ा करना गुनाह और बिदअत है। मज़ीद तफ़्सील के लिये किताब **'आपके मसाइल और उनका हल'** अज़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (1/102-107) देख ली जाये। मन्दरजा ज़ेल (नीचे दिए गए) इक़्तिबासात उन्हीं के मज्मूअ-ए-फ़तावा से दिये जा रहे हैं।

शीया मक्तबे फ़िक्र की मोतबर किताब (मल्ला यहज़ुरुहुल फ़कीह : 1/188) पर इब्ने बाबविया कुमय ने अल्फ़ाज़े अज़ान नक़ल करने के बाद लिखा है: (जिसका तर्जुमा ये है): 'यही अज़ान सही है, न इसमें ज़्यादती की जायेगी और न कमी। और मुफ़व्विज़ा फ़िर्क़ा पर अल्लाह तआला की लानत हो, उन्होंने बहुत सी रिवायात घड़ीं और अज़ान में (مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) के कलिमात दो मर्तबा कहने के लिये बढ़ा दिये और उनकी कुछ रिवायात में (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) के बाद (أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللهِ) दो दफ़ा ज़िक्र किया गया है। इन मुफ़व्विज़ा में से कुछ ने इन अल्फ़ाज़ की बजाये ये अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं: (أَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا) ये बात यक़ीनी है कि सय्यदना अली (رضي الله عنه) अल्लाह के वली और सच्चे अमीरुल मोमिनीन हैं और मुहम्मद व आले मुहम्मद ख़ैरुल बरिय्या हैं लेकिन ये अल्फ़ाज़ असल अज़ान में नहीं हैं। मैंने ये अल्फ़ाज़ इसलिए ज़िक्र किये हैं ताकि उनकी वजह से वह लोग पहचाने जायें जो मुफ़व्वज़ा होने की अपने ऊपर तोहमत लिये हुये हैं, इसके बावजूद अपने आपको शिया में शुमार करते हैं।'

शीया मज़हब की मोतबर किताब अल्मब्सूत: (1/99) तबअ तिहरान में लिखा है: 'बहरहाल अज़ान में (أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَآلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) कहना जैसा कि शाज़ रिवायात में आया है, उनके कहने पर कोई कारबन्द नहीं और अगर कोई शख़्स अज़ान में ये कलिमात कहे तो वह गुनाहगार होगा, इसके अलावा ये कलिमात, अज़ान की फ़ज़ीलत और कमाल में से नहीं हैं।'

बहरहाल अज़ान में इस क़िस्म के इज़ाफ़ात का मुर्तकिब इन्सान फ़िक़्हे जाफ़रिया की रू से भी बिदअती क़रार पाता है। मज़ीद देखिये: (फ़िक़्हे इमाम जाफ़र सादिक़ अज़ मुहम्मद जव्वाद: 1/166, वल्लुम्अतुत दमिश्किया: 1/240)

याद रहे! मौजूदा अहले तशय्युअ (शीया) अज़ान के किसी एक तरीक़े पर मुत्तफ़िक़ नहीं बल्कि उनके यहाँ मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ में क़द्रे कमी बेशी के साथ अज़ान दी जाती है जो इस बात की दलील है की उनके पास मुरव्वजा (प्रचलित) अज़ान की कोई ठोस दलील नहीं है।

अब रिवाज पज़ीर अज़ाने शीया मुलाहिज़ा फ़रमाइये, अगर इसके तर्जुमे पर ग़ौर कर लिया जाये तो उनके अफ़कार व नज़रियात और दावत भी खुल कर सामने आ जाती है।

'अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मोमिनों के अमीर, मुत्तक़ीन के इमाम और मुश्रिकीन के क़ातिल, सय्यदना अ़ली मुर्तज़ा अल्लाह के वली और रसूलुल्लाह (ﷺ) के वसी हैं, (वसीयतकर्दा, शीया के बक़ौल रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़िन्दगी ही में अपने बाद उनकी ख़िलाफ़त की वसीयत कर चुके थे, जबकि ये बात हक़ीक़त के सरासर ख़िलाफ़ है) और नबी (ﷺ) के ख़लीफ़-ए-बिला फ़स्ल हैं। (ख़लीफ़तुर्रसूल, रसूलुल्लाह (ﷺ) के अव्वलीन ख़लीफ़ा, जबकि अहले तशय्युअ के सिवा बाक़ी तमाम मसालिक अहले सुन्नत के नज़दीक ख़लीफ़-ए-बिल अफ़ज़ल सय्यदना अबू बक्र को नाहक़ या ग़ासिबाना ख़िलाफ़त कहते हैं) मैं गवाही देता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन, इमामे मुत्तक़ीन और क़ातिले मुश्रिकीन सय्यदना अ़ली (ﷺ) मख़्लूक़ पर अल्लाह की हुज्जत हैं। आओ नमाज़ की तरफ़, आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ़, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ़, आओ बेहतरीन अ़मल की तरफ़, आओ बेहतरीन अ़मल की तरफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं।'

तर्जुमा और मुख़्तसर वज़ाहत सिर्फ़ इसलिये की ताकि अ़रबी से नाबलद (अपरिचित) अ़वाम भी शीया के इन ख़ुद साख़्ता इज़ाफ़ों और उनके मानी व मक़ासिद और शीयाई नज़रियात का बख़ूबी अन्दाज़ा लगा सकें। अल मुख़्तसर (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ) के बाद (أَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) से लेकर (حجة الله على الخلق) और दो दफ़ा (حي على الفلاح) के बाद दो मर्तबा (حي على خير العمل) और इख़्तिताम में (لا إله إلا الله) के बाद मज़ीद एक दफ़ा और इसका इज़ाफ़ा, ये सब ईजादे बन्दा और इख़्तिराआते अहले तशय्युअ हैं। मसनून और मुत्तफ़क़ अ़लैह अज़ाने मुहम्मदी में ये इज़ाफ़ात बे अ़सल और बिदआते शीया में से हैं।

मल्हूज़ाः सुनन बैहक़ी वग़ैरह में एक रिवायत आती है जिससे पता चलता है कि आग़ाज़ में सय्यदना बिलाल (ﷺ) (حي على خير العمل) कहा करते थे, अज़ान के बाद आप (ﷺ) ने इसके बजाये (الصلاة خير من النوم) की तल्क़ीन फ़रमाई। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है और पाय-ए-सुबूत को नहीं

पहुँचती। इमाम बैहक़ी (ﷺ) ने इसे नक़ल करने के बाद ख़ुद इसकी तज़्ईफ़ की वज़ाहत फ़रमाई हैं वह लिखते हैं: 'नबी(ﷺ) ने जो अज़ान बिलाल और अबू महज़ूरा को सिखाई है, उसमें आप (ﷺ) से इन अल्फ़ाज़ की तालीम का सुबूत नहीं मिलता, लिहाज़ा अहम अज़ान में इस इज़ाफ़े को मकरूह समझते हैं।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/425, ये रिवायत तबरानी कबीर: 1/352 में भी आती है)

इमाम शौकानी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस रिवायत की सनद में अब्दुर्रहमान बिन अम्मार बिन सअद ज़ईफ़ रावी है। (अस्सैलुल जर्रार: 1/447 बि तहक़ीक़ मुहम्मद सबही हसन हलाक़)

अज़ान के इख़्तिताम के बारे में सय्यदना बिलाल (ﷺ) से मन्क़ूल है कि अज़ान के आख़री कलिमात (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) हैं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 650, 651, 653) बहरहाल इन मज़्कूरा अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा ख़ास अक़ाइद व नज़रियात की ग़म्माज़ी करता है, इसलिये इसकी निशानदेही एक ज़रूरी अम्र था। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

✧ **दाढ़ी मुंड की अज़ान:** दाढ़ी मुंडवाना कबीरा गुनाह है। अहले इल्म ने ऐसे फ़र्द को फ़ासिक़ क़रार दिया है जबकि अज़ान देना बाइसे इज़्ज़त व शर्फ़ अमल है, इसलिये इसके लिये किसी परहेज़गार और दीनदार शख़्स ही का इन्तिख़ाब होना चाहिए। इस मामले में तर्जीह उसे ही हासिल है लेकिन चूंकि दाढ़ी मुंड भी मुसलमान होता है, इसलिये वह अज़ान कह सकता है। ये जवाज़ मअल कराहत है,बेहतर है कि ऐसे शख़्स को इस अज़ीम मन्सब पर फ़ाइज़ न किया जाये। हाँ कभी कभार तालीफ़े क़ल्ब की ग़र्ज़ से मौक़ा दिया जा सकता है।

इमाम इब्ने हज़्म (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**फ़ासिक़ बिला शुब्हा हममें से ही एक है क्योंकि वह मुसलमान है और रसूलुल्लाह (ﷺ) के उस फ़रमान के तहत दाख़िल है कि 'तुममें से कोई एक अज़ान कहे।'जबकि आदिल (बासफ़ा मुत्तक़ी परहेज़गार) के इन्तिख़ाब और चुनाव में तो कोई इख़्तिलाफ़ नहीं।**' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/141, मसला: 323, मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: फ़तावा अहीनुल ख़ालिस: 3/277)

✧ **औरत की अज़ान व इक़ामत का मसला:अव्वलन (पहली बात)**- औरत मस्जिद में मुअज़्ज़िन नहीं हो सकती जैसे वह मर्दो की इमाम नहीं हो सकती, अलबत्ता औरत औरतों की इमाम बन सकती हैं ऐसी सूरत में नमाज़ के लिये उनमें से किसी एक का अज़ान व इक़ामत कह लेना जायज़ है, बशर्ते कि सब औरतें ही हों और अज़ान पस्त आवाज़ के साथ कही जाये जैसा कि मदरसे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर तालिबात या किसी कॉन्फ्रेंस वग़ैरह की सरकारी ख़्वातीन कि इनमें से कोई एक अज़ान व इक़ामत कह सकती है क्योंकि ये भी एक क़िस्म का ज़िक्र है, इसलिये कम अज़ कम जवाज़ या इस्तिहबाब की हद तक इसकी गुंजाइश मौजूद है यहाँ तक कि अकेली औरत भी

पस्त आवाज़ में अज़ान व इक़ामत कह सकती है जैसे अकेला मर्द ऐसा कर सकता है।**सानियन (दूसरी बात)**- औरतों के मुताल्लिक़ किसी सही मुस्तनद दलील से इसकी मुमानिअत भी मन्क़ूल नहीं कि उनके हक़ में इसकी मशरूइयत महल्ले नज़र हो। **सालिसन (तीसरी बात)**- जो हुक्म मर्दों के लिये है वही औरतों के लिये है, सिवाये उन अहकाम के जो दलील की रोशनी में मर्दों या औरतों के लिये ख़ास हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं बल्कि जवाज़ व इस्तिहबाब की हद तक औरतों के लिये भी मज़्कूरा क़ुयूद (क़ैद) की रोशनी में इसकी गुंजाइश है लेकिन ये उनके हक़ में ज़रूरी नहीं।

इस मौक़िफ़ के दलाइल: वहब बिन कैसान फ़रमाते हैं: **'इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा गया कि क्या औरतों पर अज़ान है? तो आप गुस्से में आगये और फ़रमाया: मैं उन्हें अल्लाह तआला के ज़िक्र से रोकूं?'** (अलमुसन्नफ़ लि इब्ने अबी शैबा: 1/253, शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसकी सनद को जय्यिद कहा हैं देखिये: तमाममुल मिन्नत, सफ़ा: 153)

मालूम हुआ कि इब्ने उमर (ﷺ) की राय में औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है क्योंकि ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। मोतमिर बिन सुलैमान अपने बाप सुलैमान बिन तरख़ान से बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: **'हम अनस बिन मालिक (ﷺ) से पूछा करते थे कि क्या औरतों पर अज़ान व इक़ामत (वाजिब) है तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर लिया करें तो वह ज़िक्र है।'** (अल मुसन्नफ़ लि इब्ने अबी शैबा: 1/252) वल्लाहु आलम! इनका मक़सद ये हो कि अज़ान व इक़ामत इनके हक़ में ज़रूरी नहीं और न वह शरअन इसकी मुकल्लफ़ हैं,लेकिन जवाज़ की हद तक उन्हें इजाज़त है।

सय्यदा आयशा (ﷺ) के मुताल्लिक़ मरवी है कि वह अज़ान और इक़ामत कह लिया करती थीं। (अल्मुस्तदरक लिल हाकिम: 1/203 वल सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/408)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) वहब बिन कैसान के वास्ते से मरवी इब्ने उमर (ﷺ) के मज़्कूरा असर की तौसीक़ करते हुये फ़रमाते हैं: **'और इसकी ताईद उस असर से भी होती है जो बैहक़ी में बवास्त-ए-लैस, अता से मरवी है, वह आयशा (ﷺ) के बारे में बयान करते हैं कि आप अज़ान और इक़ामत कह लिया करती थीं और औरतों की इमामत भी करती और उनके दरम्यान में खड़ी होती।'** (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 2/271)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने आयशा (ﷺ) के मज़्कूरा असर को क़वी क़रार दिया है। अलग़र्ज़ ये असर क़ाबिले इस्तिदलाल है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमामुलमिन्नत, सफ़ा: 153) जबकि हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने अत्तल्खीसुल हबीर: 1/378, हदीस: 313 के तहत इस पर सुकूत फ़रमाया है।

सुनन बैहक़ी में अम्र बिन अबू सलमा के हवाले से मरवी है कि उन्होंने कहा: **'मैंने इब्ने सौबान से पूछा: क्या औरतों पर इक़ामत है? तो उन्होंने मुझे बयान किया कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बताया कि मैंने मकहूल से (इसके मुताल्लिक़) पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि अगर वह अज़ान व इक़ामत कह लें तो ये अफ़ज़ल है और अगर सिर्फ़ तकबीर ही पर इक्तिफ़ा करें तो ये भी जायज़ है। (आगे मज़ीद) इब्ने सौबान ने फ़रमाया कि अगर वह इक़ामत भी न कहें (तो ये भी जायज़ है) क्योंकि इमाम ज़ोहरी ने बवास्त-ए-अरवा, आयशा (ﷺ) से बयान किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि हम बिला इक़ामत (भी) नमाज़ पढ़ लिया करती थीं। (इमाम बैहक़ी फ़रमाते हैं:) अगर ये असर सही है तो भी उनके माबैन किसी क़िस्म का इख़्तिलाफ़ नहीं क्योंकि मुमकिन है कि सय्यदा आयशा (ﷺ) कभी अज़ान व इक़ामत कह लेती हों और कभी तर्क कर देती हों, इसलिये कि दोनों सूरतों का जवाज़ मौजूद है। वल्लाहु आलम! और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) के हवाले से ज़िक्र किया जाता है कि उनसे पूछा गया: क्या औरत इक़ामत कह सकती है? तो उन्होंने जवाब दिया: हाँ!** (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/408)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इब्ने सौबान के मज़्कूरा असर को सनदन हसन क़रार दिया है। ये ख़ुद हसनुल हदीस और बाक़ी रावियाने हदीस सिक़ात हैं। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा: 2/269, हदीस: 879)

इमाम अबू दाऊद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'मैंने इमाम अहमद से सुना, उनसे पूछा गया कि क्या औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है? उन्होंने फ़रमाया कि इब्ने उमर से पूछा गया कि क्या औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है तो उन्होंने जवाब दिया: क्या मैं अल्लाह(عزوجل) के ज़िक्र से रोकूं? क्या मैं अल्लाह (عزوجل)के ज़िक्र से मना करूं?'** (मसाइल अबी दाऊद: 29 बहवाला अस्सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा: 2/270)

मालूम हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह) के नज़दीक भी औरत के लिये अज़ान व इक़ामत की गुंजाइश है।

इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) फ़रमाते हैं: औरतों पर अज़ान व इक़ामत (ज़रूरी) नहीं। अगर वह अज़ान और इक़ामत कह लें तो अच्छा है। इसकी वाज़ेह दलील ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का हुक्म अज़ान सिर्फ़ उसके लिये है जिस पर आप (ﷺ) ने नमाज़ बा'जमाअत फ़र्ज़ की है जैसा कि आपका ये फ़रमान है: **'तुम्हारा कोई एक अज़ान कहे और तुममें से बड़ा इमामत कराये।'** जबकि औरतें उनमें से नहीं हैं जिन्हें इसका हुक्म दिया गया है।

जब ये बात दुरुस्त है (कि औरतों पर अज़ान ज़रूरी नहीं और न वह वुजूबी तौर पर इसकी मुकल्लफ़ हैं) तो ये अल्लाह तआला का ज़िक्र है और इसी तरह इक़ामत भी, लिहाज़ा अपने अपने औक़ात में इन दोनों को बजा लाना अच्छा अमल है। बवास्त-ए-इब्ने जुरैज अता से हमें रिवायत मिली है कि औरत अपने लिये इक़ामत कह सकती है और इमाम ताऊस फ़रमाते हैं: कि **'सय्यदा आयशा उम्मुल मोमिनीन (ﷺ) अज़ान और इक़ामत कह लिया करती थीं।'** (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/129, मसला: 320 व: 4/219, 220, मसला: 491)

इमाम इब्ने क़ुदामा (رحمه الله) इस बारे में फ़रमाते हैं: **'और क्या उनके लिये अज़ान व इक़ामत कहना मसनून है? तो उसके बारे में इमाम अहमद से मरवी है कि अगर वह दे लें तो कोई हर्ज नहीं और अगर न दें तो भी जायज़ है।'**

नीज़ लिखते हैं: **'और शाफ़ेई ने फ़रमाया कि अगर वह अज़ान व इक़ामत कह लें तो कोई हर्ज नहीं .... यही क़ौल इस्हाक़ (رحمه الله) का है।'** (अल मुग़नी: 1/467)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) के बक़ौल भी औरत अज़ान व इक़ामत की मुकल्लफ़ नहीं, ख़्वाह अकेली हो या कई एक हों, लेकिन क्या सिरे से उनके लिये इसका जवाज़ ही महल्ले नज़र है? या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: **'उसके अज़ान देने में कोई हर्ज नहीं, इमाम अहमद ने इसकी तस़रीह फ़रमाई है क्योंकि (हनाबिला में से) इमाम नजाद ने इब्ने उमर(ﷺ) के हवाले से नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया: मैं अल्लाह तआला के ज़िक्र से नहीं रोकता। हमारे अस़हाब ने कहा है कि ये (जवाज़) उस वक़्त है जब वह अपनी आवाज़ बुलन्द न करे वरना मकरूह होगा। अगर वहाँ कुछ मर्द और अजनबी लोग उसकी आवाज़ सुनते हों तो उसका हराम क़रार दिया जाना ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं तो कोई हर्ज नहीं .....'** (शरह अल्उम्दा लिशैख़ुल इस्लाम: 2/102)

मल्हूज़ा: पस्त आवाज़ रखने की नोबत वहाँ आती है जहाँ अजनबी मर्द क़रीब हों, लेकिन अगर इज्तिमा सिर्फ़ औरतों का हो और वहाँ मज़्कूरा ख़दशा न हो तो फिर इतनी आवाज़ बुलन्द करने में कोई हर्ज नहीं कि जिससे इज्तिमागाह में मौजूद औरतें सुन सकें जैसा कि ख़्वातीन के कुछ तब्लीग़ी व इस्लाही प्रोग्रामों में इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है।

बहरहाल अइम्मा में से इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (رحمهما الله) औरत के लिये अज़ान व इक़ामत की मशरूइयत व जवाज़ के क़ाइल हैं।

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी औरतों की अज़ान व इक़ामत की मशरूइयत की वज़ाहत की है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (तमामुल मिन्नत, सफ़ा: 153-155)

आइने का दूसरा रुख़: दूसरी राय ये है कि अज़ान व इक़ामत औरतों के हक़ में मशरूअ और जायज़ नहीं। उनकी बुनियादी दलील एक तो मरफ़ूअ हदीस है और दूसरी इब्ने उमर (رضي الله عنه) का मौक़िफ़ असर है। अस्मा बिन्ते अबू बक्र (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरतों पर अज़ान व इक़ामत नहीं है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/408, वलकामिल इब्ने अदी: 2/479) इस हदीस के बाद इमाम बैहक़ी फ़रमाते हैं: हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली ने इसी तरह रिवायत किया है और वह ज़ईफ़ है।

हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली पर सख़्त जरह है: इमाम इब्ने अदी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इसकी तमाम मर्वियात मौज़ूअ (मनघड़ंत) हैं। इनमें से जो मारूफ़ुल मतन हैं, वह इस सनद से बातिल हैं और जो हकम की, बवास्त-ए-क़ासिम बिन मुहम्मद और ज़ोहरी, मैंने रिवायत लिखी हैं, वह सबकी सब ऐसी हैं कि उन पर सिक़ा रावी मुताबिअत नहीं करते, उसका ज़ोफ़ उसकी हदीस पर वाज़ेह होता है। (अल कामिल .... 2/483)

इमाम अहमद (رحمه الله) ने इसकी तमाम अहादीस को मौज़ूअ क़रार दिया है। इमाम सईदी और अबू हातिम ने इसे कज़्ज़ाब कहा है जबकि इमाम नसाई, दारकुतनी और एक जमाअत ने इसे मतरूकुल हदीस कहा है। (मीज़ानुल ऐतदाल: 1/572) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस हदीस को मौज़ूअ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा, हदीस: 879)

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) अगर ज़ेरे बहस मसले में इसे बतौर इस्तिदलाल पेश न करते तो बेहतर था। देखिये: (शरह अल्उम्दा अज़ शैख़ुल इस्लाम: 2/101)

इसकी ग़ैर मशरूइत पर इब्ने उमर (رضي الله عنه)का नीचे दिया गया असर भी बतौर दलील पेश किया जाता है। नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: **'औरतों के लिये अज़ान व इक़ामत नहीं है।'** (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/408)

इब्ने हजर (رحمه الله) ने अत्तल्खीसुल हबीर में इसकी सनद को सही क़रार दिया है जबकि इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन उमर अल्उमरी ज़ईफ़ रावी है। याद रहे ये असर मौक़ूफ़ होने के साथ साथ इस्नादी ऐतबार से पाय-ए-सबूत को नहीं पहुँचता बल्कि इसके बरअक्स उनसे इसका जवाज़ मरवी है। इसकी सनद को शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने जय्यिद क़रार दिया है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमामुल मिन्नत, सफ़ा: 153) वह असर ये है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) से औरतों की अज़ान व इक़ामत के बारे में

पूछा गया तो वह ग़ुस्से हुये और जवाब दिया कि क्या मैं उन्हें अल्लाह तआला के ज़िक्र से रोकूं? ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इब्ने उमर (ﷺ) औरत की अज़ान व इक़ामत की मशरूइयत व जवाज़ के क़ाइल थे। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अस्सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा: 2702, हदीस़: 879)

कुछ लोग औरत की अज़ान व इक़ामत की मुमानिअत पर बतौर दलील उम्मे वरक़ा (ﷺ) की हदीस़ भी पेश करते हैं। इसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी मुलाक़ात के लिये उनके घर जाया करते थे। आप (ﷺ) ने उम्मे वरक़ा के लिये एक मुअज़्ज़िन का तक़र्रुर (चुनना) भी फ़रमाया जो उनके लिये अज़ान कहा करता था ...... (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 592)

जवाब: अव्वल - इस हदीस़ में औरत की अज़ान की नफ़ी है न रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे बस़राहत रोका है, लिहाज़ा इसकी इबाहत (जाइज़ होने) व हुर्मत के लिये दीगर दलाइल व क़राइन की ज़रूरत है। चूंकि अज़ान के लिये मर्दों ही का इन्तिख़ाब होता है, इसलिये हस्बे मामूल नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने वहाँ भी मर्द ही का तक़र्रुर फ़रमाया। इससे औरत की अज़ान व इक़ामत की नफ़ी कशीद करना महल्ले नज़र है।

स़ानियन - मर्द के इन्तिख़ाब या तक़र्रुर से औरत की अज़ान व इक़ामत की नफ़ी करना ऐसे है जैसे औरतों को मस्जिद में नमाज़ बा'जमाअत से रोकना जबकि नमाज़ बा'जमाअत का हुक्म सिर्फ़ मर्दों को है, औरतों के हक़ में नमाज़ बा'जमाअत की मशरूइयत के दलाइल व क़राइन मौजूद हैं। यही सूरते हाल औरत की अज़ान की है कि स़हाबा व ताबेईन से, किताब व सुन्नत के उमूमी दलाइल की रोशनी में, इसकी इजाज़त व इबाहत मन्क़ूल है।

अलग़र्ज़! अपनी कोशिश की हद तक इस मसले के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से कोई वज़ाहत या इसकी मुमानिअत हमें नहीं मिली, दूसरा ये कि ग़ैर मशरूइयत के लिये इब्ने उमर(ﷺ) के हवाले से जो उसकी नफ़ी ज़िक्र की जाती है, इसकी इस्नादी हैसियत भी महल्ले नज़र है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

✧ **अज़ान का जवाब:** अज़ान का जवाब देना इन्तिहाई फ़ज़ीलत का हामिल अमल है। मुख़्तलिफ़ अहादीस़ में इसका हुक्म है, इसलिये दीगर मस़रूफ़ियात तर्क करके तवज्जह से अज़ान सुनी जाये और उसका जवाब भी दिया जाये। इस फ़ज़ीलत वाले अमल में ग़फ़लत का शिकार नहीं होना चाहिए और न इससे बे'ऐतनाई बरतते हुये दीगर उमूर को तर्जीह देनी चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों का एक अज़ीम शिआर और अहम इबादत की तरफ़ दावत है। इसके अलावा इस क़ौली जवाब के साथ साथ अमली जवाब, यानी नमाज़ बा'जमाअत के लिये भी कमर बस्ता हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह

(ﷺ) ने फ़रमायाः **'जब तुम अज़ान सुनो तो वही कुछ कहो जो मुअज़्ज़िन कहता है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीसः 611, व सहीह मुस्लिम, हदीसः 383) बज़ाहिर इस हदीस से ये मालूम होता है कि तमाम कलिमाते अज़ान का जवाब वही देना चाहिए जो मुअज़्ज़िन कहता है, लेकिन दूसरी हदीस में मज़ीद ये वज़ाहत भी है कि जब मुअज़्ज़िन हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह पर पहुँचे तो उसके जवाब में ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा जाये।

यह्या फ़रमाते हैं: **'मुझे हमारे एक भाई ने बयान किया कि जब वह हय्य अलस्सलाह कहे तो (सामेअ) ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे। और उसने फ़रमायाः मैंने तुम्हारे नबी(ﷺ)को इसी तरह फ़रमाते हुये सुना है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीसः 612, 613)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः जब मुअज़्ज़िन **'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर'** कहे और तुममें से कोई एक भी (सुनने वाला) **'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर'** कहे, फिर वह **'अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाह'** कहे और ये (सुनने वाला) भी **'अश्हदु अन् ला इलाह इल्लल्लाह'** कहे, फिर वह **'अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह'** कहे और ये भी 'अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह' कहे, फिर वह 'हय्य अलस्सलाह' कहे और ये **'ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह'** कहे, फिर वह **'हय्य अलल फ़लाह'** कहे और ये **'ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह'** कहे फिर वह **'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर'** कहे और ये भी **'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर'** कहे, फिर वह **'ला इलाह इल्लल्लाह'** कहे और ये भी **'ला इलाह इल्लल्लाह'** दिल से कहे तो जन्नत में दाख़िल हो जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 385 व सुनन अबी दाऊद, हदीसः 527)

इस हदीस से अज़ान के जवाब की मशरूइयत व फ़ज़ीलत के साथ साथ उसकी कैफ़ियत भी साबित हुई, यानी मसनून ये है कि कलिमाते अज़ान सुन कर मुअज़्ज़िन की मुताबिअत करते हुये जवाब साथ साथ ही दिया जाये। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'मैं कहता हूँ - इस मसले में वह रिवायत सरीह है जो नसाई ने उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के वास्ते से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) वैसे ही कहते जैसे मुअज़्ज़िन कहता, यहाँ तक कि वह ख़ामोश हो जाता।'** (फ़तहुलबारीः 2/91) यानी नबी (ﷺ)मुअज़्ज़िन का जवाब उसकी पैरवी में उसी लम्हे देते थे। अगर किसी वजह से अज़ान का जवाब नहीं दिया जा सका और अभी ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं हुआ तो बाद में भी दिया जा सकता है। (शरह अल्मुहज़्ज़बः 3/127, व फ़तहुलबारीः 2/91)

✧ **क्या मुअज़्ज़िन का जवाब देना वाजिब है?**: इस मसले में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। अहनाफ़, अहले ज़ाहिर और इब्ने वहब वग़ैरह का मौक़िफ़ वुजूब का है। उनकी दलील मज़्कूरा रिवायत

है जिसमें है: (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ) जबकि जुम्हूर और अहनाफ़ में से इमाम तहावी(رحمه الله) का मौक़िफ़ ये है कि ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**इस हदीस़ के साथ मुअज़्ज़िन की अज़ान के वुजूबी तौर पर जवाब देने का इस्तिदलाल किया गया है ये मौक़िफ़ इमाम तहावी (رحمه الله) ने सल्फ़ की एक जमाअत से नक़ल किया है। हनफ़िया, अहले ज़ाहिर और इब्ने वहब का भी यही क़ौल है, जबकि जुम्हूर ने मुस्लिम वग़ैरह की हदीस़ से इस्तिदलाल किया है ....**' (फ़तहुलबारी: 2/93) यानी जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मौक़िफ़ ये है कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं कि तर्के जवाब पर इन्सान गुनाहगार और अल्लाह तआला का नाफ़रमान ठहरे बल्कि ये मुस्तहब है।

मुस्लिम की जिस हदीस़ की तरफ़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इशारा किया है वह ये है: सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि जब फ़ज्र तुलूअ हो जाती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमले का इरादा फ़रमाते। आप तवज्जो फ़रमाते कि क्या अज़ान होती है कि नहीं, अगर आप अज़ान सुनते तो रुक जाते वरना हमला कर देते, (इसी तरह एक दफ़ा) आपने एक आदमी को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हुये सुना तो फ़रमाया: '**(ये) फ़ितरत पर है।**' फिर उसने '**अश्हदु अन्‌ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन् ला इलाह इल्लल्लाह**' कहा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**तू आग से निकल गया।**' स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) ने देखा तो वह बकरियों का चरावाहा था। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 382) वजहे इस्तिदलाल ये है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बजाये जवाब के और कलिमात फ़रमाये तो ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस वक़्त अज़ान का जवाब नहीं दिया, लिहाज़ा ये अम्र के लिये क़रीन-ए-स़ारिफ़ा है जिसके मानी ये हैं कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस इस्तिदलाल का तआक़ुब किया गया है कि हदीस़ में ये नहीं है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके मिस्ल जवाब नहीं दिया। मुमकिन है नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने जवाब दिया हो और रावी ने उसे नक़ल न किया हो .... (फ़तहुलबारी: 2/93) इब्ने हजर ने और भी एहतिमालात ज़िक्र किये हैं। इसके लिये महूला मुक़ाम देख लिया जाये। इसका जवाब ये दिया जाता है कि आप (ﷺ) ने अज़ान का जवाब दिया होता तो रावी ज़रूर नक़ल करता, लिहाज़ा (इस हदीस़ में) अ़द्मे नक़ल अ़द्मे वुजूद की दलील है जबकि दूसरी दलील इससे ज़्यादा वाज़ेह और मुद्दआ पर ठोस क़रीन-ए-स़ारिफ़ा है।

स़अ़लबा बिन अबू मालिक क़ुरज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:'**जब उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) मिम्बर पर तशरीफ़ लाते तो स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) बातें कर रहे होते थे यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन ख़ामोश हो जाता। जब हज़रत उमर मिम्बर पर खड़े हो जाते तो कोई भी बात न**

करता, यहाँ तक कि उमर (ﷺ) अपने दोनों ख़ुत्बे पूरे कर लेते, फिर जब आप मिम्बर से उतरते और अपने दोनों ख़ुत्बे पूरे कर चुके होते, तो फिर वह बातें करते।' (अलमौत्ता लिल इमाम मालिक, हदीस: 7, नुस्ख़ा फ़वाद, व शरह मआनी अलअसार: 1/370) शैख़ अल्बानी(رحمه الله) ने इस असर की सनद को सही क़रार दिया है। देखिये: (अस्सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा: 1/202)

इस असर से मालूम हुआ कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) अज़ान के वक़्त बातें कर लिया करते थे और इस पर उमर फ़ारूक़ (ﷺ) ने भी कोई इन्कार नहीं फ़रमाया। मज़्कूरा असर की मुताबिअत मिलने पर शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'हाँ मैंने इसका एक क़वी मुताबिअ पाया है। इसे इब्ने अबी शैबा ने मुसन्नफ़: (2/124) में यज़ीद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से सअलबा बिन अबू मालिक कुरज़ी से रिवायत किया है, वह फ़रमाते हैं: मैंने सय्यदना उमर और उस्मान (ﷺ) को पाया है, जब इमाम जुमा के दिन निकलता तो हम नमाज़ छोड़ देते और जब वह कलाम करता तो हम गुफ़्तगू तर्क कर देते।'** (तमामुल मिन्नत, सफ़ा: 340, शैख़(رحمه الله) ने इसकी सनद सही क़रार दी है) नीज़ फ़रमाते हैं: इस असर में इस बात की दलील है कि मुअज़्ज़िन का जवाब देना वाजिब नहीं क्योंकि अहदे उमर में असना-ए-अज़ान गुफ़्तगू होती रही है और उमर फ़ारूक़ (ﷺ) ने इस पर सुकूत फ़रमाया है। काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा गया कि जवाबे मुअज़्ज़िन के वुजूब को फेरने वाला क़रीन-ए-सारिफ़ा कौनसा है? तो मैंने इसी असर की रोशनी में जवाब दिया।' (तमामुल मिन्नत, सफ़ा 340)

अलग़र्ज़! सहाब-ए-किराम (ﷺ) के इस तर्ज़े अमल और उमर फ़ारूक़ (ﷺ) की अदमे नकीर से मालूम हुआ कि मुअज़्ज़िन को जवाब देना वाजिब नहीं, लेकिन इसके ये मानी भी नहीं कि इन्सान इसे ग़ैर वाजिब समझते हुये रफ़्ता रफ़्ता बिल्कुल ही ग़फ़लत का शिकार हो जाये और ये अज़ीम सुन्नत भूली बिसरी हो जाये।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'ये ज़िक्र मुस्तहब है और इसका इस्तिहबाब ताकीदी है क्योंकि नबी (ﷺ) ने इसका हुक्म दिया है और अम्र कम अज़ कम इस्तिहबाब पर दलालत करता है।'** (शरह अल्उम्दा: 2/122)

✧ **मसनून दरूद और दुआएँ:** सुनने वाले को चाहिए कि अज़ान का जवाब देने के बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) पर मसनून दरूद शरीफ़ और मसनून दुआ पढ़े। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम मुअज़्ज़िन को सुनो तो जो वह कहता है तुम भी वैसे ही कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, इसलिये कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा तो अल्लाह तआला उसके बदले में उस पर दस रहमतें भेजेगा, फिर मेरे लिये अल्लाह सुब्हान व तआला से मक़ामे वसीला का सवाल**

करो वह जन्नत में एक मन्ज़िल है जो अल्लाह के बन्दों में से सिर्फ़ एक बन्दे के लायक़ है और मुझे उम्मीद है कि वह मैं ही हूँगा, लिहाज़ा जिसने मेरे लिये वसीले का सवाल किया तो उसके लिये मेरी शफ़ाअत लाज़िमी हो गई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 384)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स अज़ान सुन कर ये दुआ पढ़े, क़यामत के दिन वह मेरी सिफ़ारिश का हक़दार ठहरेगा:

(اَللّٰهُمَّ! رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَّهُ)

'ऐ अल्लाह! इस कामिल पुकार और क़ायम रहने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद (ﷺ) को मन्ज़िले वसीला और फ़ज़ीलत से सरफ़राज़ फ़रमा और उन्हें उस मक़ामे महमूद पर खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा फ़रमाया है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 614)

ये दुआ पढ़ना भी मसनून है: सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के हवाले से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स मुअज़्ज़िन की निदा सुन कर ये कलिमात पढ़ेगा, उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे:

(أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا)

(सहीह मुस्लिम, हदीस: 386)

✧ **मज़कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) दुआ में कुछ इज़ाफ़ों की हक़ीक़त:** सहीह बुख़ारी की मज़्कूरा दुआ के जो कलिमात मज़्कूरा सुतूर में लिखे गये हैं, वही मोतबर और मुस्तन्द ज़रिये से मरवी हैं। इस दुआ में और भी कुछ इज़ाफ़े ज़िक्र किये जाते हैं जो तहक़ीक़ी तौर पर पाय-ए-सुबूत को नहीं पहुँचते।

मौलाना सादिक़ सियालकोटी (رحمه الله) सलातुर्रसूल में फ़रमाते हैं: मसनून दुआए अज़ान में चन्द अल्फ़ाज़ लोगों ने बढ़ा रखे हैं और वह अल्फ़ाज़ मुरव्वजा (प्रचलित) कुतुबे नमाज़ में भी मौजूद हैं। दुआ-ए-मसनून के जुम्ले (وَالْفَضِيلَةَ) के बाद (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ) की ज़्यादती करते हैं और आगे (وَعَدْتَّهُ) के ख़ालिस दूध में (وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) का पानी मिला रखा है और फिर आख़िर में दुआए पाक के अस्ले मुसफ़्फ़ा में (أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ) की आमेज़िश की है। (अल्क़ौलुल मक्बूल फ़ी शरह व तअ्लीक़ सलातुर्रसूल, सफ़ा: 304)

मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस मतने हदीस में कुछ और इज़ाफ़े भी कुछ के यहाँ मन्क़ूल हैं, इसलिये इन पर तम्बीह करना ज़रूरी है।

(1) (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) इन अल्फ़ाज़ के मुताल्लिक़ शैख़ (رحمه الله) की तहक़ीक़ का ख़ुलासा मुलाहिज़ा फ़रमाइये: ये अल्फ़ाज़ सुनन बैहक़ी में आते हैं लेकिन ये शाज़ (ज़ईफ़) हैं क्योंकि सनद में मज़कूर रावी अली बिन अयाश से मरवी किसी तुरुक में उनका ज़िक्र नहीं मिलता, सिर्फ़ सहीह बुख़ारी को इमाम बुख़ारी (رحمه الله) से रिवायत करने वाले रावी कशमीनी ने इनका ज़िक्र किया हैं जबकि दीगर तमाम रावी, जिन्होंने सहीह बुख़ारी को इमाम बुख़ारी(رحمه الله) से रिवायत किया है, ने इन अलफ़ाज़ को ज़िक्र नहीं किया, इसलिये बवजह इख़्तिलाफ़ ये शाज़ हैं, यही वजह है कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी फ़तहुलबारी में इन कलिमात को क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं समझा क्योंकि उनकी आदत है कि वह हदीस़ के मुख़्तलिफ़ तुरुक में वारिद ज़्यादात (इज़ाफ़ों) को जमा करते हैं लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया। इस बात की मज़ीद ताईद इससे भी होती है कि इमाम बुख़ारी (رحمه الله) की किताब 'अफ़्आलुल इबाद' में भी ये रिवायत है लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा मौजूद नहीं, जबकि सनद भी एक है .... बहरहाल ये इज़ाफ़ा दीगर रावियाने किताब की मुख़ालिफ़त की वजह से शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। (अलइरवा: 1/260, 261) मज़ीद देखिये: (अजालतुर्राग़िब अल्मुतमन्नी: 1/147, हदीस़: 96)

(2) सुनन बैहक़ी में इस दुआ में मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं: (اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ) लेकिन बक़ौल शैख़ अल्बानी (رحمه الله), ये कलिमात किसी और किताब में मरवी नहीं, इसलिये साबिक़ा इज़ाफ़े की तरह ये इज़ाफ़ा भी शाज़ और ज़ईफ़ है।

(3) शरह मआनिल आसार के एक नुस्ख़े में (سيدنا محمد) का इज़ाफ़ा भी मिलता है लेकिन ये भी मुदरज और शाज़ है।

(4) इब्ने सुन्नी के एक नुस्ख़े में (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ) का भी इज़ाफ़ा है जो कि मुदरज (किसी रावी या फ़र्द का दाख़िलकर्दा) है, हदीसे रसूल का हिस्सा नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने अत्तल्ख़ीसुल हबीर में और अल्लामा सख़ावी ने अल्मक़ासिदुल हसना में सराहत की है कि ये इज़ाफ़े हदीस़ के किसी तरीक़ में मौजूद नहीं है। (इरवाउलग़लील: 1/260, 261)

सलातुर्रसूल के मुहक़्क़िक़ फ़रमाते हैं: ये अल्फ़ाज़ हदीस़ के किसी तरीक़ में भी नहीं हैं।

मुल्ला अली क़ारी फ़रमाते हैं: (اَلدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ) के अल्फ़ाज़ जो आम तौर पर मशहूर हैं उनके बारे में इमाम बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मुझे हदीस़ के किसी तरीक़ में भी नज़र नहीं आये।

मल्हूज़ा: शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की मज़्कूरा बात दुरुस्त है कि इब्ने सुन्नी के एक नुस्ख़े में (اَلدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ) के अल्फ़ाज़ हैं जो कि मुदरज हैं शैख़ सलीम हिलाली ने भी इसकी वज़ाहत की है, मज़ीद फ़रमाते हैं: 'नुस्ख़-ए-'मीम' में (وَقَعَ فِي "م" اَلدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَهِيَ مُدْرَجَةٌ كَمَا فِي

(تخريج الحديث)है, ये इज़ाफ़ा मुदरज है जैसा कि तख़रीजे हदीस में है।' तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (उजालतुर्राग़िबअल्मुतमन्नी फी तख़्रीज़े किताब 'अमलुल यौम वल्लैला' अज़ सलीम ईद अलहिलाली: 1/148)

शैख़ की नुस्ख़-ए-'मीम' से मुराद, दायरतुल मआरिफ़ अल उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन का मतबूआ नुस्ख़ा है। इसकी तहक़ीक़ पर ज़हबी अलअस्र शैख़ अब्दुर्रहमान मुअल्लमी(رحمه الله) की नज़रे सानी है। देखिये: (उजालतुर्राग़िबअल्मुतमन्नी: 1/26)

(5) हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि (أرحم الراحمين) के अल्फ़ाज़ राफ़ेई ने अलमुहर्रिर में ज़िक्र किये हैं: उनका भी किसी तरीक़ में ज़िक्र नहीं मिलता। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अत्तल्खीसुल हबीर: 1/375, मुअस्ससाकुर्तुबा, व इरवाउलग़लील: 1/261, वल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 203)

✧ **अज़ान के बाद बिला ज़रूरत मस्जिद से निकलना:** अज़ान सुन कर मस्जिद से बिला उज़्र निकल आना और नमाज़ के लिये न पलटना शरअन हराम है। ऐसा करने वाला गुनाहगार और रसूलुल्लाह (ﷺ) का नाफ़रमान है।

अबू शअसा फ़रमाते हैं कि हम मस्जिद में अबू हुरैरह (رضي الله عنه) के साथ बैठे हुये थे। मुअज़्ज़िन ने अज़ान कही तो एक आदमी मस्जिद से खड़ा हुआ और चल दिया। अबू हुरैरह (رضي الله عنه) पीछे से उसे देखते रहे यहाँ तक कि वह मस्जिद से निकल गया, तब अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: **'उसने अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़रमानी की है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 655) इसकी दीगर तुरुक में सराहत है कि ये अस्र की अज़ान थी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 536)

अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स मेरी इस मस्जिद में अज़ान सुने, फिर बिला ज़रूरत बाहर निकले और वापस न आये तो वह मुनाफ़िक़ है।'** यानी अज़ान सुन कर मस्जिद से निकल जाना और फिर वापस न आना मुनाफ़िक़ाना रविश है। (अल्मुअजमुल औसत लित्तबरानी: 4/502, हदीस: 3854) ये हदीस हसन सही है। (सहीह तर्ग़ीब लिल अल्बानी, हदीस: 262)

हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) की हदीस के अल्फ़ाज़ ये हैं: **'जो मस्जिद में हो और अज़ान हो जाये, फिर बिला ज़रूरत मस्जिद से निकल जाये और वापसी का इरादा भी न रखता हो तो वह मुनाफ़िक़ है।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 734, शैख़ अल्बानी ने इसे सही लिग़ैरिही कहा है, सहीह तर्ग़ीब, हदीस: 263)

सईद बिन मुसय्यब की मुर्सल हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अज़ान के बाद मस्जिद से मुनाफ़िक़ ही निकलता है, हाँ मगर वह शख़्स जिसे किसी ज़रूरत ने निकाला हो और वह वापसी का इरादा भी रखता हो (तो वह मुनाफ़िक़ नहीं)।'** (अलमरासील अबी दाऊद: 25, ये हदीस साबिक़ा शवाहिद की बिना पर सही है। देखिये: सहीह तर्ग़ीब वत्तरहीब, हदीस: 264)

इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'जो कोई मस्जिद में हो और अज़ान शुरू हो जाये तो उसके लिये मस्जिद से निकलना हलाल नहीं है मगर ये कि वह बे'वुज़ू हो या किसी ज़रूरत की ख़ातिर निकले।'** (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/147 मसला: 228)

✧ **इक़ामत का हक़दार कौन है?:** बेहतर ये है कि जिस ने अज़ान दी हो वही इक़ामत कहे, अहादीसे बिलाल से यही ज़ाहिर होता है। सय्यदना अनस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि बिलाल(رضي الله عنه) को हुक्म दिया गया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार और इक़ामत के एक एक बार कहे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 605, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 378) सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) ही के हवाले से आता है कि वह अज़ान देते, फिर ज़रा रुकते, जब देखते कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ ला रहे हैं तो इक़ामत कहते। (सहीह मुस्लिम: 606)

सफ़र में भी इसका एहतिमाम था। इसकी दलील वह मारूफ़ हदीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के आख़िरी हिस्से में पड़ाव किया और फ़ज्र की अज़ान कहने के लिये सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) की ड्यूटी लगाई। अल मुख़्तसर हुआ यूँ कि जैसे बाक़ी सो गये वैसे ही बिलाल (رضي الله عنه) पर भी नींद ग़ालिब आ गई यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया तो नबी (ﷺ) ने बिलाल(رضي الله عنه) को अज़ान कहने का हुक्म दिया, फिर उन्होंने ही तकबीर कही। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, 681, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 436) ग़र्ज़ इसकी बाबत उमूमन जो रिवायात मन्क़ूल हैं उनमें मुअज़्ज़िन ही के इक़ामत कहने का ज़िक्र मिलता है।

दूसरा नज़्म व ज़ब्त का तक़ाज़ा भी यही है कि जो अज़ान कहता है वही इक़ामत कहे। हाँ! अगर इमाम या मुअज़्ज़िन से पेशगी इजाज़त ले ली जाये तो कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बिन पूछे इक़ामत कहेगा तो मुमकिन है कि मुअज़्ज़िन इस हरकत से ख़फ़ा हो और इस रंजिश का ज़ुबान से इज़्हार न करे लेकिन दिल में कुढ़ता रहे जिससे मज़ीद नफ़रतें जन्म ले सकती हैं बल्कि कुछ मसाजिद में इसी वजह से लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुँच जाती है, इसलिए मुअज़्ज़िन को भी चाहिए कि वह अपने दीगर नमाज़ी दोस्तों की ख़्वाहिश का ख़्याल रखे।

अलग़र्ज़! मुअज़्ज़िन के सिवा किसी दूसरे शख़्स के इक़ामत कहने की मुमानिअत किसी सही हदीस में मरवी नहीं है, लिहाज़ा (من أذن فهو يقيم) 'जो अज़ान कहे वही तकबीर कहे।' से जो दूसरे के लिये

इक़ामत की मुमानिअत का इस्तिदलाल किया जाता है वह दुरुस्त नहीं क्योंकि ये हदीस़ ज़ईफ़ है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा,हदीस़: 35, व ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 9/184-188, हदीस़: 83)

इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'अज़ान देने वाले के अलावा किसी दूसरे के लिये इक़ामत कहना जायज़ है क्योंकि इस बारे में कोई स़ही नह्य(मुमानिअत) मरवी नहीं।और (إنما يقيم من أذن) वाला अस़र अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अनअम के तरीक़ से मरवी है और वह हलाक होने वाला (ज़ईफ़) है।'** (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/127)

✧ **इक़ामत (तकबीर) का जवाब:** जैसे अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है, उसी तरह तकबीर का जवाब भी मुस्तहब है। इसकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की अहादीस़ का उमूम है। रसूलुल्लाह (ﷺ)ने फ़रमाया: **'जब तुम (नमाज़ के लिये) आवाज़ सुनो तो वैसे ही कहो जैसे मुअज़्ज़िन कहता है।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 6111, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 383) यहाँ लफ़्ज़ (النداء) आम है जो अज़ान और इक़ामत दोनों को शामिल है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) मज़्कूरा हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं: **'इस हदीस़ के साथ इक़ामते मुअज़्ज़िन के जवाब की मशरूइयत का इस्तिदलाल किया गया है।'** (फ़तहुल बारी:2/92)

इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'अल्फ़ाज़े तकबीर में मुअज़्ज़िन की पेरवी करना क़द क़ामतिस्सलाह (इक़ामत का जवाब देना) मुस्तहब है मगर कलिमाते इक़ामत (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) के वक़्त (أقامها الله وأدامها) कहे।'** (शरह अल्मुहज़्ज़ब: 3/125-124)

यही बात फ़ुक़हा-ए-हनाबिला वग़ैरह ने भी कही है।

✧ **अक़ामहल्लाह व अदामहा की तहक़ीक़:** इक़ामत का जवाब मतलूब है 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में 'अक़ामहल्लाह' व 'अदामहा' के जो अल्फ़ाज़ इमाम नववी की इबारत में ज़िक्र हुये हैं, वह स़ही सनद से मरवी नहीं हैं:

सय्यद साबिक़ (رحمه الله) ने भी फ़िक़्हुस्सुन्नह में इक़ामत का जवाब मुस्तहब क़रार दिया है, और वह 'अक़ामहल्लाह' व 'अदामहा' की मशरूइयत के क़ाइल भी हैं। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) उनके जवाब में फ़रमाते हैं: 'मैं कहता हूँ: बल्कि मुस्तहब ये है कि वह इक़ामत कहने वाले की तरह 'क़दक़ामतिस्सलाह' ही कहे क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान: **'जब तुम मुअज़्ज़िन को सुनो तो वही कहो जो मुअज़्ज़िन कहता है।'** का तक़ाज़ा उमूम का है, लिहाज़ा 'क़दक़ामतिस्सलाह' की

तख़्सीस इस जैसी हदीस से जायज़ नहीं क्योंकि ये ज़ईफ़ है। इसे इमाम नववी और इब्ने हजर अस्क़लानी(ﷺ) वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। (तमामुलमिन्नत, सफ़ा: 149, 150) तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 84)

और 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में 'अक़ामहल्लाह' व 'अदामहा' दो मर्तबा कहने का ज़िक्र जिस हदीस से मिलता है वह रिवायत इस्नादी ऐतबार से पाय-ए-सुबूत को नहीं पहुँचती। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने इसे तल्ख़ीस में ज़ईफ़ कहा है। (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 1/377)

इसकी सनद में मुहम्मद बिन साबित अलअब्दी ज़ईफ़ हैं। दूसरे उनके शैख़ मज्हूल हैं। तीसरे शहर बिन हौशब हैं जब ये बयान करने वाले अकेले हों तो सूए हिफ़्ज़ की वजह से ज़ईफ़ होते हैं।

शैख़ अल्बानी (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'ये ज़ईफ़ सनद है। मुहम्मद बिन साबित अलअब्दी ज़ईफ़ हैं और उनके शैख़ मज्हूल हैं। उनका नाम बयान नहीं हुआ और शहर बिन हौशब सूए हिफ़्ज़ की वजह से ज़ईफ़ हैं, इसीलिये इमाम नववी और इब्ने हजर अस्क़लानी (ﷺ) ने फ़रमाया कि ये हदीस ज़ईफ़ है। और इमाम बैहक़ी (ﷺ) ने भी इसके ज़ौफ़ की तरफ़ इशारा किया है।' मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इरवाउल ग़लील: 1/258, उजालतुर्राग़िब अल्मुतमन्नी लिल हिलाली, हदीस: 105, वल्क़ौलुलमक़्बूल, सफ़ा: 298)

अल हासिल! 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में इन कलिमात का कहना मसनून नहीं क्योंकि मज़्कूरा इल्लतों की बिना पर ये अल्फ़ाज़ क़ाबिले हुज्जत नहीं, लिहाज़ा उमूमी हुक्म (مثل ما يقول) को मद्दे नज़र रखते हुये यही बात दुरुस्त है कि 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में यही कलिमात, यानी 'क़दक़ामतिस्सलाह' ही दो मर्तबा कहे जायें।वल्लाहु आलम!

और रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये अल्फ़ाज़ भी मन्क़ूल हैं: **'जब तुम अज़ान देने वाले को सुनो कि वह नमाज़ के लिये इक़ामत कह रहा है तो जो वह कहता है तुम भी वही कहो।'** (मुसनद अहमद: 3/238)

अल्लामा सिन्धी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि (يثوب) के मानी **'इक़ामत कहने'** के हैं, लिहाज़ा जैसे अज़ान का जवाब दिया जाता है, ऐसे ही इक़ामत का भी जवाब देना चाहिए, देखिये: (अल्मोसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 24/386)

तस्वीब वाली मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसकी सनद में इब्ने लहीआ मारूफ़ सीउल हिफ़्ज़, ज़ईफ़ रावी हैं, दूसरे ज़ब्बान बिन फ़ाइद ज़ईफ़ुल हदीस हैं। (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 334)

तीसरे सहल बिन मुआज़ बिन अनस हैं कि जब उनसे रिवायत करने वाले ज़ब्बान हों तो उनकी हदीस़ क़ाबिले हुज्जत नहीं होती। (तक़रीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 420) लेकिन शैख़ अल्बानी(رحمه الله) ने स़हीहैन वग़ैरह के शवाहिद से मज़्कूरा हदीस़ को स़ही क़रार दिया है।वह फ़रमाते हैं: (نعم الحديث صحيح، فإن له شواهد) तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सिलसिलतुस्सहीहा: 3/317, हदीस़: 1328) और शैख़ (رحمه الله) हदीस़ की शरह करते हुये फ़रमाते हैं: '**तस्वीब से मुराद नमाज़ की तरफ़ बुलाना है जैसा कि क़ामूस में है, लिहाज़ा ये (उमूमन) अज़ान और इक़ामत दोनों को शामिल है।**' (अस्सिलसिलतु अस्स़हीहा: 3/317, हदीस़: 1328)

✧ **कलिमाते अज़ान व इक़ामत:** अहदे नबवी में अज़ान दो तरीक़े से होती थी। स़ही तरीन रिवायत के मुताबिक़ एक तरीक़ा तो वह है जिसमें अज़ान के पन्द्रह कलिमात हैं और इक़ामत के ग्यारह कलिमात, जिसकी पहली दलील हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही की हदीस़ है जिसमें कलिमाते अज़ान दर्ज ज़ेल हैं:

(الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) को ख़्वाब में सिखाई गई अज़ान की (إنها لرؤيا حق) कह कर तौसीक़ व तस्दीक़ फ़रमाई और उन्हें हुक्म दिया कि ये अज़ान बिलाल को सिखा दें क्योंकि वह ख़ुश इल्हान और बुलन्द आवाज़ हैं, तो उन्होंने हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) को अज़ान के पन्द्रह और इक़ामत के ग्यारह कलिमात सिखाये। इक़ामत के कलिमात दर्ज ज़ेल हैं:

(الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)

(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 706, व मुसनद इमाम अहमद: 4/43, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/189, सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/390, 391, व सुनन दारकुतनी: 1/532, तबअ़ दारुलमअरिफ़ा)

इमाम दारकुतनी (رحمه الله) अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस़ के बारे में फ़रमाते हैं: '**इब्ने इस्हाक़ अ़न मुहम्मद बिन इब्राहीम अ़न मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद अ़न अबीह की हदीस़ मुत्तस़िल है।**' (सुनन दारकुतनी: 1/533)

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस़ हसन सही है।**' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 189)

इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (ﷺ) ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ के हवाले से मन्क़ूल **इस हदीस़ को सनदन स़ाबित और स़ही क़रार दिया है।** (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/197)

इमाम बैहक़ी, मुहम्मद बिन यह्या ज़ुहली के हवाले से लिखते हैं: '**अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, क़िस्स़-ए-अज़ान की बाबत मरवी अहादीस़ में, इस हदीस़ से ज़्यादा स़ही हदीस़ कोई नहीं जो बवास्ता मुहम्मद बिन इस्हाक़ अन मुहम्मद बिन इब्राहीम तैमी अन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, मरवी है क्योंकि मुहम्मद ने अपने बाप (अब्दुल्लाह) से सुना है जबकि इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सिमाअ़ स़ाबित नहीं। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी की किताबुल इलल में है, फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी(ﷺ) से इस हदीस़, यानी हदीसे मुहम्मद बिन इब्राहीम के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया: मेरे नज़दीक ये हदीस़ स़ही है।**' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/291)

इमाम ख़त्ताबी (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**ये हदीस़ और क़िस्स़ा मुख़्तलिफ़ असानीद से मरवी है लेकिन ये सनद स़ही तरीन है।**' (मआ़लिमुस्सुनन: 1/131)

इमाम नववी (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**इमाम अबू दाऊद ने इसे स़ही सनद से रिवायत किया है।**' (अलमोजूअ़ शरह अलमुहज़्ज़ब: 3/82)

शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने इसकी सनद को '**हसन स़ही**' क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (स़हीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 513, तल्ख़ीसुल हबीर, हदीस़: 292, बतहक़ीक़ अबू आसिम)

मुहद्दिसीन (ﷺ) के अक़वाल की रोशनी में तस्हीह हदीस़ की नुक़ूल ज़िक्र करने का मक़सद सिर्फ़ ये है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस़ में अज़ान व इक़ामत का स़ही तरीन तरीक़ा वही है जो ऊपर बयान हुआ है, बिलख़ुसूस इक़ामत का कि इसके कलिमात मुफ़रद हैं, सिवाये अल्लाहु अकबर और क़दक़ामतिस्सलाह के, कि ये कलिमात दो दो बार हैं।

अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस बिन मालिक (ﷺ) की स़ही अहादीस़ की रोशनी में कलिमाते इक़ामत ग्यारह हैं, जिसे उ़र्फ़े आम में इकहरी तकबीर से ताबीर किया जाता है। आग़ाज़ और आख़िर में अल्लाहु अकबर दो दो मर्तबा है जैसा कि हदीसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद में गुज़रा

है, बाक़ी तमाम कलिमात, सिवाये 'क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह' के, एक एक दफ़ा ही कहे जायें। (मज़ीद देखिये: औनुलमाबूद: 1/492)

मल्हूज़: मज़्कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) रिवायत में अज़ान के आग़ाज़ में कलिमाते तकबीर चार मर्तबा आये हैं। इसी तरह बवास्ता ज़ोहरी, सईद बिन मुसय्यब, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से भी आग़ाज़े अज़ान में कलिमाते तकबीर चार ही मन्क़ूल हैं। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 499) इमाम अबू दाऊद (رحمه الله) ने ये रिवायत मुअल्लक़न ज़िक्र की है, ताहम मुसनद अहमद में मौसूलन भी मन्क़ूल है। (मुसनद इमाम अहमद: 4/42, 43) लेकिन इस रिवायत में बज़ाहिर ज़ौफ़ है, वह ये कि इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी हैं और तहदीस व सिमाअ की तसरीह भी मौजूद नहीं।

इसका जवाब ये है कि यहाँ मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुन्फ़रिद नहीं बल्कि यूनुस बिन यज़ीद, मामर बिन राशिद और शोएब बिन अबी हम्ज़ा इसकी मुताबिअत करते हैं, लिहाज़ा तदलीस का एहतिमाल रफ़ा हो गया।

इमाम शौकानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**ज़ोहरी से मुहम्मद बिन इस्हाक़ की इन रिवायत से मुताबिअत उस एहतिमाले तदलीस को रफ़ा कर देती है जिसका इब्ने इस्हाक़ के अनअना में एहतिमाल है।**' (नैलुल अवतार: 2/41)

इसी तरीक़ के बारे में इमाम हाकिम (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**इस मसले में उम्दा तरीन सईद बिन मुसय्यब की रिवायत है।**' (अल मुसतदरक लिल हाकिम: 3/336)

मुहद्दिस अलअस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद, (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 513)

इमाम अबू दाऊद (رحمه الله) ने ज़ोहरी से, मअमर और यूनुस के वास्ते से शुरू अज़ान में कलिमाते तकबीर सिर्फ़ दो दफ़ा नक़ल किये हैं, इसी वजह से कुछ अइम्म-ए-किराम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की अज़ान में सिर्फ़ दो दफ़ा कलिमाते तकबीर पर इक्तिफ़ा करने के भी क़ाइल हैं लेकिन राजेह बात ये है कि इस (दो दफ़ा वाले) इज़ाफ़े से ये रिवायत मुर्सल है। हाफ़िज़ इब्ने हजर और इमाम बैहक़ी (رحمه الله) के हवाले से इसके इरसाल को तर्जीह देते हुये शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**बहरहाल हदीस सही है, लेकिन इसमें तर्जीह तकबीर (आग़ाज) अज़ान में चार दफ़ा अल्लाहु अकबर कहना) सही तरीन है जैसा कि मज़्कूरा दोनों रिवायतों में है।**' (सहीह सुनन अबी दाऊद, (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 514)

बिल फ़र्ज़ अगर अज़ान की इब्तिदा में सिर्फ़ दो दफ़ा कलिमाते तकबीर की सेहत तस्लीम कर ली जाये, तब भी ये उसूल है कि सिक़ह की ज़्यादती क़ुबूल की जाती है, नीज़ तर्बीअ तकबीर के नाक़िलीन भी तादाद में ज़्यादा हैं। इस सूरत में दोनों अहादीस मामूल बिहा रहती हैं। इमाम नववी (ﷺ) ने भी क़ाज़ी अयाज़ के हवाले से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत में तर्बीअ ही को मशहूर क़रार दिया है। ये मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और जुम्हूर उलमा (ﷺ) का है। देखिये: (सहीह मुस्लिम मअ नववी, हदीस: 379)

दूसरी दलील हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: **'सय्यदना बिलाल(ﷺ) को (कलिमाते) अज़ान दो-दो बार और (कलिमाते) इक़ामत एक-एक बार कहने का हुक्म दिया गया, सिवाये 'क़द क़ामतिस्सलाह' के (कि ये कलिमात दो दो बार कहने हैं।)'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 605, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 378)

इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने हदीस: 607 पर (الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة) का उनवान क़ायम किया है, यानी सिवाये क़द क़ामतिस्सलाह के इक़ामत इकहरी है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) मज़्कूरा हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: **'ये हदीस उस शख़्स के ख़िलाफ़ हुज्जत है जो ये गुमान करता है कि अज़ान की तरह कलिमाते इक़ामत भी दो दो बार हैं।'** (फ़तहुल बारी: 2/84)

शवाफ़ेअ का मशहूर क़ौल यही है। इमाम नववी (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'(इमाम) अहमद और जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है कि इक़ामत के ग्यारह कलिमात हैं .... (इमाम) अबू हनीफ़ा ने फ़रमाया है कि इक़ामत के सतरह कलिमात हैं। सभी कलिमात दो दो बार कहे जायें लेकिन ये मज़हब शाज़ है।'** (शरह अन्नववी: 4/105)

इमाम ख़त्ताबी फ़रमाते हैं: **'इक़ामत के अल्फ़ाज़ एक-एक बार कहने का मौक़िफ़ अक्सर उलम-ए-अम्सार का है। हरमैन, हिजाज़, शाम, यमन, मिस्र, मग़रिब और गिर्दो-नवाह के इस्लामी ममालिक में इसी पर अमल है। ये क़ौल हसन बसरी, मकहूल, ज़ोहरी, मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद बिन हम्बल, इस्हाक़ बिन राहवे और दीगर अइम्मा(ﷺ) का है।'** (मआलिमुस्सुनन: 1/131)

तीसरी दलील इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस है, वह फ़रमाते हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहे जाते थे और इक़ामत (तकबीर) के एक-एक बार, सिवाये इसके कि मुअज़्ज़िन क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह कहा करता था, यानी**

दो बार।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 510, व सुनन नसाई, हदीस: 629, व मुसनद इमाम अहमद: 2/87) इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि अहदे रिसालत में बिल इस्तिमरार (मुसलसल) यही अमल जारी रहा जैसा कि अल्फ़ाज़े हदीस (كان كان) से वाज़ेह होता है। ये हैं वह तीन अहादीस जिनमें अज़ान के पन्द्रह और इक़ामत के ग्यारह कलिमात का सही सनद के साथ ज़िक्र मौजूद है। इनके अलावा कुछ दीगर सहाबा(ﷺ) की रिवायात हैं लेकिन इस्नादी ऐतबार से ये रिवायत ज़ईफ़ हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमायें। (अत्तिब्यान फ़ी तख़रीज व तबवीब अहादीस बुलूग़ुल मराम: 3/101-103)

✧ दोहरी इक़ामत के मुताल्लिक़ हनफ़िया के दलाइल और उनका तहक़ीक़ी जायज़ा: हनफ़िया के नज़दीक कलिमाते इक़ामत कुल सतरह हैं, और शहादतैन, हैअलतैन और इक़ामत तीनों दो-दो बार और शुरू में तकबीर चार मर्तबा कही जायेगी। गोया अज़ान के पन्द्रह कलिमात में सिर्फ़ दो मर्तबा क़द क़ामतिस्सलाह का इज़ाफ़ा हैअलतैन के बाद किया जायेगा। (दर्से तिर्मिज़ी, अज़ मौलाना तक़ी उस्मानी: 1/458)

अबू महज़ूरा की अज़ाने तर्जीअ वाली रिवायत के अलावा, बिजातिही सही और मुत्तसिल सनद से मरवी किसी और हदीस में दोहरी इक़ामत का सुबूत नहीं मिलता। इस बारे में जितनी रिवायात बतौर हुज्जत पेश की जाती हैं सनदन ज़ईफ़ हैं दलाइल का तक़ाबुली (कम्पेरेटिव) जायज़ा लेकर ख़ुद फ़ैसला फ़रमायें कि कौनसी इक़ामत अफ़ज़ल और मुवाफ़िक़े सुन्नत है? रही इक़ामते बिलाल, तो हज़रत अनस और इब्ने उमर (ﷺ) से मन्कूल सही अहादीस में मज़्कूर है कि बिलाल (ﷺ) की इक़ामत इकहरी होती थी। जिन रिवायात में हज़रत बिलाल से दोहरी इक़ामत का ज़िक्र मिलता है वह तमाम रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, सिवाये एक हदीस के। अगरचे वह भी सनदन कमज़ोर है जैसा कि अक्सर मुहद्दिसीन का रूझान है, ताहम कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक बवजहे-मुताबिअत व इत्तिसाल क़ाबिले इस्तिदलाल बन जाती है। तफ़्सील आइन्दा बहस में मुलाहिज़ा फ़रमायें।

पहली दलील: अबू जुहैफ़ा (ﷺ) से मरवी है, वह फ़रमाते हैं: **'बिलाल (ﷺ) नबी(ﷺ)के लिये अज़ान व इक़ामत के कलिमात दो-दो बार कहते थे।'** (सुनन दारक़ुतनी: 1/535, वलमोजम अलकबीर लित्तबरानी: 22/100, वलमोजम अल्औसत, हदीस: 7820)

जवाब: इसकी सनद में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बिन तुफ़ैल अल्बुकाई मुतकल्लम फ़ीह है। इमाम वकीअ फ़रमाते हैं: **'वह झूठ बोलने से कहीं बाला हैं।'** (अत्तारीख़ुल कबीर: 3/360) ये उनकी तज़ईफ़ की तरफ़ इशारा है।

❁ इब्ने अबी हातिम, यह्या बिन मुईन के हवाले से नक़ल करते हैं: **'ज़ियाद बुकाई की हदीस**

किसी खाते की नहीं, लेकिन मग़ाज़ी में मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं।' (अल्जरह वत्तअदील: 3/538)

❀ इमाम अ़ली बिन मदीनी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'मैं ज़ियाद बिन अ़ब्दुल्लाह बुकाई से रिवायत नहीं करता।'** (अज़्ज़ुअफ़ा लिलउ़क़ैली: 2/435)

❀ इमाम इब्ने हिब्बान (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'वह ग़लतियाँ करने वाला कस़ीरुल वहम था, जब मुतफ़र्रिद हो तो उसकी रिवायत से हुज्जत पकड़ना जायज़ नहीं।'** फिर मज़्कूरतुस्सदर रिवायत ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं: **'ये रिवायत बातिल है क्योंकि बिलाल (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की मौजूदगी में कभी भी इस तरह अज़ान और इक़ामत के दो-दो मर्तबा कलिमात नहीं कहे। उनकी अज़ान दो-दो कलिमात और इक़ामत इकहरी होती थी।'** (किताबुल मजरूहीन: 1/384, 385)

❀ इमाम इब्ने अ़दी (رحمه الله) ने ज़ियाद की ये रिवायत नक़ल करने के बाद फ़रमाया है: **'मेरे इल्म की हद तक इदरीस से ज़ियाद के अ़लावा कोई और ये रिवायत बयान नहीं करता।'** (अल कामिल: 4/137)

यही बात इमाम तबरानी ने अल्औसत: (7820) में ज़ेरे बहस़ हदीस़ के बाद फ़रमाई है।

❀ इमाम नसाई (رحمه الله) ने एक दफ़ा इसे ग़ैर क़वी और एक मर्तबा ज़ईफ़ क़रार दिया है। (तहज़ीबुहल कमाल: 6/390)

❀ इब्ने इस्हाक़ (رحمه الله) की रिवायात में इसे (أَثْبَتُ النَّاسِ) क़रार दिया गया है गोया दीगर की रिवायात में इसकी ये हैसियत नहीं, मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मीज़ानुल ऐ़तदाल: 2/91)

❀ हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इसकी हदीस़ में इब्ने इस्हाक़ के अ़लावा दींगर की रिवायात में ज़ौफ़ है।'** (तक़रीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 346, रक़म: 2096)

❀ अ़ल्लामा ज़ैलई (رحمه الله) ने नस़बुर्रअया: (1/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है और मुअ़द्दिलीन व जारेहीन के अक़वाल भी नक़ल किये हैं। अगर कुतूबे रिजाल की तरफ़ रुजूअ किया जाये तो पता चलता है कि जुम्हूर के नज़दीक ये ज़ईफ़ है।

बहरहाल अइम्म-जरह व तादील के अक़वाल की रोशनी में वाज़ेह हुआ कि जब ये रावी मुन्फ़रिद हो तो मरदूद और नाक़ाबिले हुज्जत होगा। वल्लाहु आ़लम!

अलहासिल! ये हदीस़ ज़ईफ़ है और इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल बातिल है।

दूसरी दलील: हम्माद अन इब्राहीम अन अलअस्वद के तरीक़ से मन्क़ूल ये रिवायत है: **'बिलाल (ؓ) दो-दो कलिमात के साथ अज़ान और इक़ामत कहा करते थे।'** (अल मुसन्नफ़ लिअब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 1790, 1791, व मआनिल आसार लित्तहावी: 1/134, व सुनन दारक़ुतनी: 1/535)

जवाब: इस तरीक़ से ये रिवायत ज़ईफ़ हैं इसकी सनद में हम्माद बिन अबू सुलैमान मुत्तकल्लम फ़ीह है।

❁ इमाम अबू हातिम (رحمه الله) इसकी बाबत फ़रमाते हैं: **'ये क़ाबिले हुज्जत नहीं।'** (अल्जरह वतअ्दील: 3/147)

❁ इब्ने सअ्द और इमाम दारक़ुतनी (رحمه الله) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदाल: 1/599, वलमुग़नी फ़ीज्ज़ुअफ़ा: 1/288)

❁ हाफ़िज़ इबने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'सदूक़ है लेकिन इसके औहाम भी हैं।'** (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 269)

दूसरे इसकी सनद में इब्राहीम नख़ई हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) के नज़दीक ये दूसरे मर्तबे के मुदल्लिस रावी हैं। इमाम हाकिम (رحمه الله) ने उनकी तदलीस की तसरीह की है। (तबक़ातुल मुदल्लिसीन, सफ़ा: 32) लेकिन इब्ने हजर (رحمه الله) के नज़दीक इस तबक़े के लोग मुहतमिलुत तदलीस हैं क्योंकि उनसे क़लील और नादिर तौर पर तदलीस साबित है, अलबत्ता ये हदीस़ मज़्कूरा बाला पहली इल्लत की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत है।

❁ इमाम ज़ैलई (رحمه الله) ने नसबुर्रअ्या: (1/269) में ये हदीस़ नक़ल की है लेकिन मज़्कूरा असल इल्लत की तरफ़ इशारा नहीं फ़रमाया।

सुनन दारक़ुतनी: (1/535) में यही हदीस़ दूसरी सनद से भी मरवी है जिसमें सुफ़ियान सौरी, अबू मअ्शर ज़ियाद बिन कुलैब से रिवायत करते हैं लेकिन सुफ़ियान सौरी का अबू मअ्शर से सिमाअ साबित नहीं है जैसा कि कुतूबे रिजाल में उनके सवानेह से ज़ाहिर होता है। साहिबुल जोहर अन्नक़ी: (1/425) का इसकी सनद को जय्यिद क़रार देना ग़ैर जय्यिद है। इसी वास्ते से ये रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में भी है। देखिये: (1/463, हदीस: 1791) मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अलमौसूअतुलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/357)

तीसरी दलील: जुनादा बिन अबू उमैया सय्यदना बिलाल (ﷺ) के मुताल्लिक़ बयान करते हैं कि वह अज़ान और इक़ामत में दो दो कलिमात कहा करते थे। (मुसनद अश्शामिय्यीन लित्तबरानी, हदीस: 1334, वत्तल्ख़ीसुलहबीर: 1/356)

जवाब: ये हदीस ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने अत्तल्ख़ीसुलहबीर में इसकी सनद ज़ईफ़ क़रार दी है। इसमें अब्दुल अज़ीज़ बिन उबैदुल्लाह हैं।

❁ इमाम अबू हातिम (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'मेरे नज़दीक वह एक अजीब, ज़ईफ़ और मुन्करुल हदीस रावी हैं। उनकी हदीस लिखी जा सकती हैं ये मुन्कर और हसन दोनों क़िस्म की रिवायात बयान करते हैं।'** (अल्जरह वत्तअदील: 5/387)

❁ इब्ने अबी हातिम (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'मैंने उनके मुताल्लिक़ इमाम अबू ज़रआ से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: ये कमज़ोर और मुज़्तरिबिल हदीस हैं।'** (अलजरह वत्तअदील: 5/388)

❁ इमाम नसाई (ﷺ) ने उन्हें ग़ैर सिक़ह और इमाम अबू दाऊद (ﷺ) ने (لَيْسَ بِشَيْءٍ) फ़रमाया है। (तहज़ीबुल कमाल: 11/515)

❁ हाफ़िज़ ज़ैलई हनफ़ी (ﷺ) ने नसबुर्रअया: (1/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है और इस पर सुकूत इख़्तियार किया है, हालांकि ये मज़्कूरा इल्लत की वजह से मरदूद है।

❁ इमाम ज़हबी (ﷺ) फ़रमाते हैं: ये कमज़ोर हैं। अबू हातिम, इब्ने मुईन और अली बिन मदीनी ने इन्हें ज़ईफ़ क़रार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदाल: 2/632) मज़ीद देखिये: (अलकामिल फ़िज़्ज़ुअफ़ा: 6/498, वलमुग़नी फ़िज़्ज़ुअफ़ा: 1/632)

❁ हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने भी तक़रीब (सफ़ा: 614) में उन्हें ज़ईफ़ कहा है।

चौथी दलील और इसका इब्ताल: दोहरी इक़ामत के लिये बतौर हुज्जत सुवैद बिन ग़फ़ला की रिवायत भी पेश की जाती है, वह फ़रमाते हैं: **'मैंने बिलाल (ﷺ) को अज़ान और इक़ामत के दो दो कलिमात कहते हुये सुना।'** (शरह मआनी अल आसार: 1/134)

जवाब: अफ़सोस कि हामिलीने फ़िक़्हे हनफ़ी की ये दलील भी ज़ईफ़ है। इसकी सनद में मारूफ़ सीउल हिफ़्ज़ रावी शरीक बिन अब्दुल्लाह नख़ई, कूफ़ी हैं।

❁ हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'सदूक़ कसीरुल ख़ता हैं' जबसे कूफ़ा में अहद-ए-क़ज़ा पर फ़ाइज़ हुये, उनका हाफ़िज़ा ख़राब हो गया।'** (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 436) और इब्ने हजर (ﷺ) ने उन्हें मुदल्लिसीन के तबक़-ए-सानिया में शुमार किया है और कहा है कि ये तदलीस से इज़्हारे बराअत करते थे। (तबक़ातुल मुदल्लिसीन, सफ़ा: 37)

मज़्कूरा रिवायत की सनद में आं मौसूफ़ इमरान बिन मुस्लिम से बसेग़ा-ए-अन रिवायत कर रहे हैं।

अलग़र्ज़ सय्यदना बिलाल (ﷺ) से मज़्कूरा मुतअद्दीद (कई) अस्नाद से मन्क़ूल चारों रिवायात ज़ईफ़ हैं, और उनसे बुख़ारी व मुस्लिम में मन्क़ूल ईतारे इक़ामत (इकहरी तकबीर) की सही रिवायात के मुख़ालिफ़ व मुआरिज़ होने की वजह से ये शाज़ व मुन्कर भी हैं। मुसनद अहमद के मुहक़्क़िक़ीन फ़रमाते हैं: **'ये अहादीस़ अपने ज़ौफ़ के साथ साथ इब्ने उमर और अनस (ﷺ) से मरवी सही अहादीस़ के मुख़ालिफ़ भी हैं क्योंकि उनमें तो ये है कि बिलाल इकहरी इक़ामत कहा करते थे।'** (अलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/357)

इसलिये अस़हाबुर्राय और हामिलीने अहादीसे ज़ईफ़ा व मुन्करा का इन रिवायात से दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल बातिल हैं अस्रे हाज़िर के कुछ हज़रात ने भी इन दलाइले ज़ईफ़ा का सहारा लेकर अपने मौक़िफ़ के इस्बात की कोशिश की है लेकिन अफ़सोस कि हक़ाइक़ की रोशनी में उनका मुद्दा साबित न हो सका। देखिये: (दर्से तिर्मिज़ी: 1/460)

पाँचवीं दलील: अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत हैं इसमें है: **'अज़ान और इक़ामत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के कलिमात दो-दो हुआ करते थे।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 194, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, रक़म: 380)

जवाब: ये रिवायत मुन्क़तअ है क्योंकि इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सिमाअ साबित नहीं। इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله) फ़रमाते हैं:**'अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सिमाअ नहीं किया।'** (जामेअ तिर्मिज़ी: 1/376 बशरह अहमद शाकिर)

❀ इमाम दारक़ुतनी (رحمه الله)फ़रमाते हैं: **'इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सिमाअ साबित नहीं है।'** (सुनन दारक़ुतनी: 1/533)

❀ इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इब्ने अबी लैला ने मुआज़ बिन जबल और साहिबे अज़ान अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही से नहीं सुना, इसलिये ये दुरुस्त नहीं कि ग़ैर साबित रिवायत को साबित शुदा अहादीस़ के मुक़ाबले में क़ाबिले हुज्जत माना जाये।'** (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/200)

❀ इसी तरह इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा ने मुहम्मद बिन यह्या के हवाले से भी नक़ल फ़रमाया है कि **'इब्ने अबी लैला ने इब्ने ज़ैद को नहीं पाया।'** (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/198)

❀ इमाम बैहक़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इस्नादी इख़्तिलाफ़ के साथ साथ ये रिवायत मुर्सल**

भी है क्योंकि अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की मुआ़ज़ बिन जबल से मुलाक़ात हुई है न अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/421)

बहरहाल अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद की ये रिवायत मुन्क़तअ़ है और ज़ेरे बहस मसले में एहतिजाज व इस्तिदलाल की सलाहियत से आ़री है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इमाम हाकिम और बैहक़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अज़ान व इक़ामत के दो-दो कलिमात के बारे में अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से मन्क़ूल तमाम रिवायात मुन्क़तअ़ हैं।'** (तल्ख़ीसुल हबीर: 1/355)

छठी दलील: छठी दलील, मुआ़ज़ बिन जबल (رضي الله عنه) की रिवायत है। ये रिवायत सुनन अबी दाऊद में यज़ीद बिन हारून, अ़न अलमसऊदी, अ़न अ़म्र बिन मुर्रा, अ़न इब्ने अबी लैला, अ़न मुआ़ज़ बिन जबल के तरीक़ से मरवी है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 507)

❀ ये तवील रिवायत है, इसमें क़िस्स-ए-अज़ान भी है। इसके आग़ाज़ में अल्लाहु अकबर सिर्फ़ दो मर्तबा है जबकि दीगर सही तरीन रिवायात में तर्बीअ़ (अल्लाहु अकबर चार मर्तबा) है।

❀ ये रिवायत मुन्क़तअ़ है क्योंकि इब्ने अबी लैला का मुआ़ज़ बिन जबल (رضي الله عنه) से सिमाअ़ साबित नहीं जैसा कि गुज़िश्ता बहस में क़द्रे तफ़्सील से गुज़र चुका है।

❀ इसकी सनद में मसऊदी हैं जिनका नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह है। ये सूए हिफ़्ज़ की वजह से ज़ईफ़ हैं। अइम्म -ए-किबार ने इन्हें मुख़्तलत क़रार दिया है। इब्ने नुमैर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सिक़ह थे लेकिन आख़िर में इख़्तिलात का शिकार हो गये। (तहज़ीब अत्तहज़ीब: 6/161) दीगर अइम्म-ए-जरह व तादील के अक़वाल भी साबिक़ ज़िक्र मरजअ़ में देखे जा सकते हैं।

❀ इनसे रिवायत करने वाले यज़ीद बिन हारून हैं और ये वह हैं जिन्होंने मसऊदी से इख़्तिलात के बाद रिवायात ली हैं।ऐसी मरवियात मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले हुज्जत होती हैं जब तक कि कोई मुस्तनद मुताबिअ़त या शवाहिद न हों। मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर फ़रमाते हैं:**'सिक़ह थे लेकिन आख़िर में इख़्तिलात का शिकार हो गये। अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी और यज़ीद बिन हारून ने उनसे इख़्तिलात के बाद सुना है।'** (अल्कवाकिबुन्नीरात, सफ़ा: 288)

इस तस़रीह से बिलयक़ीन मालूम हुआ कि मज़्कूरा सनद नाक़ाबिले हुज्जत है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'सदूक़ हैं लेकिन मौत से पहले इख़्तिलात का शिकार हो गये थे।'** (तक़रीब अत्तहज़ीब: 1/578)

अलहासिल: मुन्फ़रिद होने की सूरत में उनकी इख़्तिलात के बाद की रिवायात ज़ईफ़ क़रार पाती हैं।

❀ ये रिवायत दीगर उन असह (बहुत सहीह) रिवायात के मुख़ालिफ़ व मुआरिज़ भी है जिनमें इकहरी इक़ामत का ज़िक्र हैं इस लिहाज़ से ये रिवायत मुन्कर क़रार पाती है।

इमाम दारक़ुतनी (رحمه الله) ने भी इस रिवायत के अदमे सुबूत ही को राजेह क़रार दिया है, वह फ़रमाते हैं: **'यानी आमश और मसऊदी के तुरुक से मन्क़ूल मज़्कूरा रिवायत बतौर ख़ास नाक़ाबिले हुज्जत है। बहरहाल इब्ने अबी लैला के हवाले से मन्क़ूल सनद व मतन में शदीद इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ हुआ हैं हाँ, अम्र बिन मुर्रा से रिवायत लेने में शोबा मसऊदी की मुताबिअत करते हैं जैसा कि सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506 में है।'** (सुनन दारक़ुतनी: 1/533)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'ये सनद ज़ईफ़ है इसके तमाम रावी सिक़ह हैं लेकिन मसऊदी इख़्तिलात का शिकार हो गया था, अगरचे अम्र बिन मुर्रा से शोबा उनकी मुताबिअत करते हैं लेकिन उन्होंने इसकी सनद और मतन में मुख़ालिफ़त की है।'** (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल), हदीस: 524)

आमश अन अम्र बिन मुर्रा के मुताल्लिक़ इमाम दारक़ुतनी (رحمه الله) ने जो अपनी सुनन में ज़िक्र फ़रमाया है और इस तरीक़ को ग़ैर साबित कहा है, वह मुसनद अहमद: (5/232) में है। इसकी सनद यूँ है: **'अबू बक्र बिन अयाश, अन आमश, अन अम्र बिन मुर्रा, अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, अन मुआज़ बिन जबल'** इस सनद का इन्क़िताअ वाज़ेह है क्योंकि यहाँ इब्ने अबी लैला बराहे रास्त मुआज़ बिन जबल से बयान कर रहे हैं।

अलग़र्ज़! अगरचे शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने शोबा की मुताबिअत और तहावी और इब्ने अबी शैबा की रिवायत की वजह से, जिसकी वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आ रही है, इसके कुछ मतन को क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है लेकिन इसके बावजूद इब्ने अबी लैला और मुआज़ बिन जबल के माबैन इन्क़ताअ बरक़रार है, इसलिये ये रिवायत इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ़ है। इस्नादी इख़्तिलाफ़ और तुरुक की हैसियत जानने के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 2/430-433, वलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/355, तल्ख़ीसुल हबीर: 1/353)

सातवीं दलील: मौलाना तक़ी उस्मानी लिखते हैं: **'तहावी और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा वग़ैरह की मुतअद्दिद (कई) रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख़्वाब में अज़ान के साथ इक़ामत भी सिखाई गई थी और वह भी अज़ान की तरह तशफ़ीअ (दोहरे कलिमात) पर मुश्तमिल थी इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सरीह और सही रिवायत मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में मरवी है।'** (दर्से तिर्मिज़ी: 1/459)

मौलाना मौसूफ़ ने ये पूरी रिवायत नक़ल की है। हम इसी तरह ये रिवायत असल मराजिअ से नक़ल करते हैं: '**अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से मरवी है, वह फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के असहाब ने बयान फ़रमाया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुये और फ़रमाया: अल्लाह के रसूल! मैंने ख़्वाब में देखा है गोया एक आदमी दीवार के ऊपर खड़ा है और उस पर दो सब्ज़ चादरें हैं, उसने अज़ान और इक़ामत दो-दो कलिमात से कही, फिर वह बैठ गया। रावी ने कहा: चुनांचे जब बिलाल ने ये सुना तो वह खड़े हुये और उन्होंने भी अज़ान और इक़ामत दो-दो कलिमात से कही और फिर बैठ गये।**' (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 1/231, व शरह मआनिल आसार: 1/134, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/420) इस हदीस से अज़ान की तरह दोहरी इक़ामत का भी इस्बात होता है।

जवाब: यहाँ चन्द बातें क़ाबिले तवज्जह व इस्लाह हैं।

अव्वलन - मौलाना तक़ी उस्मानी साहब का ये फ़रमाना महल्ले नज़र है कि तहावी और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा वग़ैरह की मुतअद्दिद रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख़्वाब में अज़ान के साथ इक़ामत भी सिखाई गई थी और वह भी अज़ान की तरह तशफ़्फ़ीअ पर मुश्तमिल थी, क्योंकि हक़ीक़त इस तरह है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की मुतअद्दिद रिवायात नहीं बल्कि ये रिवायत मुतअद्दिद असानीद व तुरुक से मरवी हैं इन इस्नादी व मुतून में इज़्तिराब व इख़्तिलाफ़ है जैसा कि आग़ाज़ में वज़ाहत के साथ ये बात गुज़र चुकी है। इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से अज़ान और दोहरी इक़ामत के मुताल्लिक़ जो असानीद रिवायत की हैं उनमें मामला ख़लत मलत कर दिया है।**' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/197)

मौलाना साहिब ने इस इस्नादी इख़्तिलाफ़ को तअद्दुदे रिवायात पर महमूल किया है जबकि ये बात क़ाबिले इस्लाह थी।

सानियन - इन तमाम मुतअद्दिद (कई सारी) रिवायात में सिर्फ़ तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत ही नहीं बल्कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की असह तरीन रिवायत में ईतार (इकहरी) इक़ामत मन्क़ूल है जैसा कि आग़ाज़ में अइम्मा की तसरीहात नक़ल की गई हैं। बतौर हवाला दर्ज ज़ेल कुतूब की मराजिअत फ़रमा ली जाये तो बेहतर होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 499, व जामेअ तिर्मिज़ी: 189, व मुसनद इमाम अहमद: 4/43, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/190, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/390, व सुनन दारक़ुतनी: 1/532, तबअ दारुल मारिफ़ा)

सालिसन - तहावी और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में उनके बक़ौल 'मुतअद्दिद रिवायात' से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से जो तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत मन्क़ूल है, सिवाये इस मज़्कूरा तरीक़ के बाक़ी तमाम तुरुक मुर्सल या मुन्क़तअ हैं।

मुलाहिज़ा फ़रमाइये:

❀ बवास्ता-ए-गुन्दर अन शोबा अन उर्वा बिन मुर्रा अन इब्ने अबी लैला क़ाल हद्दसना अस्हाबना इस तरीक़ में अस्हाबुना का तअय्युन नहीं है। अस्हाब ताबेईन भी हो सकते हैं और सहाब-ए-किराम (ﷺ) भी अगरचे यहाँ दूसरा एहतिमाल क़वी है।

❀ बवास्त-ए-हुसैन अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अनिन्नबिय्य(ﷺ) ये तरीक़ मुर्सल व मुन्क़तअ है क्योंकि ये ताबेई हैं और बराहे रास्त नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बयान कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 1/232)

❀ मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में इस सनद से ये रिवायत है: (अन इब्ने अबी लैला अन अम्र बिन मुर्रा, अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला क़ाला: काना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अलअनसारी ..... यशफ़उलअज़ान वलइक़ामत) (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 1/234)

इस सनद में दो इल्लतें हैं: **(1)** इब्ने अबी लैला से मुराद मुहम्मद बिन अबदुर्रहमान बिन अबी लैला हैं। ये सख़्त सय्यिउल हिफ़्ज़ हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'सदूक़ हैं लेकिन इन्तिहाई सूए हिफ़्ज़ का शिकार थे।'** (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 871) **(2)** अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के माबैन इन्क़िताअ है। हालत में ये रिवायत मुर्सल है और राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ बवजहे-इन्क़िताअ, मुर्सल रिवायत अइम्म-ए-मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले हुज्जत होती है।

ये हैं मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की 'मुतअद्दिद रिवायात' जिनका मौलाना तक़ी उस्मानी साहिब ने हवाला दिया है। मज़्कूरा तफ़्सील से उनकी इस्नादी हैसियत भी वाज़ेह हो गई है।

अब ज़रा शरह तहावी की 'मुतअद्दिद रिवायत' का भी मुख़्तसरन जायज़ा ले लिया जाये ताकि इस तअद्दुदे रिवायात की हक़ीक़त भी बख़ूबी अयां (जाहिर) हो जाये।

ये हदीस शरह मआनिल आसार में इब्ने अबी लैला से तीन तरुक से मरवी है देखिये: (शरह मआनिल आसार, बाब इक़ामा कैफ़ हिया?: 1/133, 134)

पहला तरीक़: अन आमश अन अम्र बिन मुर्रा अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, अन्ना अब्दल्लाह इब्ने ज़ैद .... आमश का नाम सुलैमान बिन महरान है और ये मारूफ़ मुदल्लिस हैं। (तब्क़ातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर, सफ़ा: 37)

अहनाफ़ के यहाँ भी मुदल्लिस की मुअनअन या मअन्नन (अन या अन्न से बयानकर्दा) रिवायत

ज़ईफ़ होती हैं। तदलीस के साथ साथ इसमें इन्क़िताअ भी है। मुहद्दिसीन (ﷺ) ने इस रिवायत को मुर्सल क़रार दिया है जैसा कि इससे मुताल्लिक़ा बहस में गुज़र चुका है क्योंकि इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सिमाअ व लिक़ा (मुलाक़ात) साबित नहीं है।

दूसरा तरीक़: यह्या बिन यह्या अन्नीशापुरी क़ाल: हद्दसना वकीअ अन आमश अन अम्र बिन मुर्रा अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला क़ाल अख़बरनी असहाब मुहम्मद (ﷺ) अन्न अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी ...... (ये तरीक़ मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 1/231 के हवाले से गुज़रा है।) इस सनद में भी अगरचे आमश हैं लेकिन अम्र बिन मुर्रा से शोबा उन की मुताबिअत करते हैं जैसा कि सुनन अबी दाऊद 'अस्सलात' हदीस 806 और अलमुसन्नफ लिइबने अबी शैबा 1/232 वग़ैरह में है, लिहाज़ा तदलीस का ख़दशा टल जाता है। दूसरा इस बात का तअय्युन भी हो गया कि अस्हाबुना से इब्ने अबी लैला की मुराद असहाबे मुहम्मद (ﷺ) हैं और ये क़तई बात है कि इब्ने अबी लैला की तक़रीबन एक सौ बीस सहाब-ए-किराम (ﷺ) से मुलाक़ात हुई हैं अलग़र्ज़ इस तरह इल्लते इन्क़िताअ व इरसाल भी मुर्तफ़िअ हो जाती है और अइम्म-ए-फ़न्ने हदीस व रिजाल के यहाँ ये तरीक़ मौसूल क़रार पाता है जैसा कि इसकी क़द्रे तफ़्सील आइन्दा आ रही है।

बहरहाल मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की राय या अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस के हवाले से उनकी मज़्कूरा तहक़ीक़ मअल एहतिराम इन्तिहाई मफ़लूज है। उन्हें तशफ़ीअ इक़ामत के मुताल्लिक़ अली अलल इत्लाक़ ये बात अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की तरफ़ मन्सूब नहीं करनी चाहिए थी और न ये कहना चाहिए था कि इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सरीह और सही रिवायत मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में मरवी है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से असह तौर पर अलल इतलाक़ जो रिवायत मन्क़ूल है और जिसकी असहियत का कुछ ज़िक्र अइम्म-ए-किबार के कलाम की रोशनी में बिल इख़्तिसार गुज़र चुका है, वह ईतारे (इकहरी) इक़ामत के मुताल्लिक़ है न कि तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत के।

मौलाना मौसूफ़ अगर यूँ फ़रमाते कि इब्ने अबी लैला के हवाले से मन्क़ूल मुतअद्दिद तुरुक व असानीद में इब्ने अबी शैबा वग़ैरह का ये तरीक़ सबसे ज़्यादा सरीह और सही है तो ये बात दुरुस्त होती। बहरहाल सिर्फ़ यही एक तरीक़ बवजहे-मुताबिअत इस्नादी ऐतबार से दर्जे-ए-सेहत को पहुँचता है अगरचे इसे भी कुछ दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इस्नादी इख़्तिलाफ़ व इज़्तिराब की बिना पर ज़ईफ़ क़रार दिया हैं इसके अलावा नबी-ए-अकरम (ﷺ) की किसी सही मरफ़ूअ हदीस में दोहरी इक़ामत का तज़्किरा मौजूद है न उसूलन ये बात दर्जे-ए-सुबूत व क़ुबूल को पहुँचती है।

❁ अल्लामा ज़ैलई इब्ने दक़ीक अलईद के हवाले से नक़ल करते हैं: '**अल इमाम में इब्ने दक़ीक़**

अलईद फ़रमाते हैं: इस हदीस़ के रिजाल स़ही के रिजाल हैं। अ़दालते स़हाबा के हवाले से एक जमाअ़त के मज़हब की रोशनी में ये मुत्तस़िल है।' (नस़बुर्रअया: 1/267)

۞ अ़ल्लामा इब्ने तुरकमानी हनफ़ी ने भी इब्ने हज़्म के हवाले से इस तरीक़ की स़ेहत नक़ल फ़रमाई है और इसे क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है। (अल्जोहरून्नकी: 1/421)

۞ मुहद्दिसुल अ़स्र शैख़ नास़िरूद्दीन अल्बानी (رحمه الله) ने भी इसकी सनद को स़ही क़रार दिया है, वह फ़रमाते हैं: **'शैख़ैन की शर्त के मुताबिक़ इसकी सनद स़ही है, इसे इब्ने हज़्म, इब्ने दक़ीक़ अलईद और इब्ने तुरकमानी ने स़ही क़रार दिया है।'** (स़हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्स़ल): 2/426 मज़ीद तफ़्स़ील के लिये शैख़ अहमद शाकिर की शरह तिर्मिज़ी: (1/371, हदीस़: 194) भी मुलाहिज़ा फ़रमा ली जाये।

फ़न्ने हदीस़ व रिजाल की रोशनी में इन्स़ाफ़ का तक़ाज़ा यही है कि ये हदीस़ क़ाबिले हुज्जत है, इस लिये दीगर अस़हाबुल इल्म का इस मज़्कूरा तरीक़ को भी इख़्तिलाफ़े तुरुक व असानीद के पेशे नज़र ज़ईफ़ क़रार देना महल्ले नज़र है। याद रहें इस हदीस़ की रोशनी में अगर कभी कभार दोहरी इक़ामत पर भी अ़मल कर लिया जाये तो जायज़ है। वल्लाहु आलम!

तीसरा तरीक़: ये सनद फ़हद के वास्ते से है जो इमाम तहावी (رحمه الله) के उस्ताद हैं। देखिये: (शरह मआनिल आसार: 1/134) ये तरीक़ फ़हद की वजह से मख़्दूश है। इनका नाम फ़हद बिन सुलैमान अन्नहास है।

इब्ने अबी हातिम फ़रमाते हैं: **'मैंने उनके फ़वाइद लिखे हैं लेकिन उनसे सिमाअ़ मुक़द्दर में न था।'** (अल्जरह वत्तअदील: 7/89)

इमाम इब्ने इब्नुल कत्तान फ़ासी फ़रमाते हैं: **'उनकी अ़दालत स़ाबित नहीं है यहाँ तक कि उनके तफ़र्रुदात में उन्हें क़ाबिले हुज्जत समझा जाये, अगरचे ये मशहूर हैं।'** (बयानुल वहम वलइब्हाम: 3/571, रक़म: 1358)

इस सनद में अ़ली बिन मअ़्बद से रिवायत करने वाले फ़हद मुन्फ़रिद हैं, गोया बजाये ख़ुद ये तरीक़ भी मजरूह है।

आठवीं दलील: अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) की हदीस़ है, वह फ़रमाते हैं: **'नबी-ए-अकरम(ﷺ)ने मुझे इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये।'**(शरह मआनिल आसार: 1/135, व दर्से तिर्मिज़ी: 1/460)

जवाब:

अव्वलन - तसनिय-ए-इक़ामत के इस्बात में अबू महज़ूरा (ﷺ) की इस रिवायत को पेश करना हमारे नज़दीक सीना ज़ोरी हैं वह इस तरह कि इसी रिवायत में दोहरी अज़ान का भी ज़िक्र है जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (ﷺ) दोहरी अज़ान की मशरूइयत के क़ाइल नहीं। ग़ौर फ़रमाइये! हदीस एक ही है जिसमें दोहरी अज़ान और दोहरी इक़ामत दोनों का ज़िक्र है। इस हदीस में मज़्कूरा दोहरी अज़ान के तो इमाम साहिब सिरे से क़ाइल ही नहीं जबकि इसी हदीस से दोहरी इक़ामत को अस्हाबुर्राय अपने तक़्लीदी मज़हब और मफ़ाद की ख़ातिर बतौर हुज्जत पेश करते हैं।

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)

सानियन - अल्लामा तहावी हनफ़ी (ﷺ) ने इक़ामत के बाब में हनफ़िया के मौक़िफ़ के इस्बात की ख़ातिर कम व बेश तीन चार असानीद से अबू महज़ूरा (ﷺ) की दोहरी इक़ामत की रिवायत नक़ल की है, ये बावर कराने के लिये कि अबू महज़ूरा (ﷺ) दोहरी इक़ामत ही कहा करते थे और उन्हें यही सिखाई गई थी। हमें अबू महज़ूरा (ﷺ) की दोहरी इक़ामत से क़तअन कोई इन्कार है न फ़रार लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि अल्लामा तहावी (ﷺ) ने अपनी असानीद से ज़ेरे बहस मसले में सिर्फ़ उनके तस्निय-ए-इक़ामत ही का ज़िक्र किया है जबकि ऐन उन्हीं असानीद से मन्क़ूल उनकी दोहरी अज़ान का यहाँ ज़िक्र नहीं फ़रमाया। ज़न्ने ग़ालिब ये है कि उन्होंने बग़र्ज़ इख़्तिसार ऐसे किया होगा क्योंकि जब उन्होंने यही रिवायत अज़ान के बाब में ज़िक्र की है तो वहाँ तर्जीअ का ज़िक्र मौजूद है। देखिये: (शरह मआनिल आसार: 1/130) लेकिन तर्जीअ की इन रिवायात के बाद इसे सुन्नत समझ कर क़बूल नहीं किया बल्कि उन्होंने दीगर दलाइल से मुआरज़ा (झगड़ा) करके तर्जीअ की नफ़ी की है। देखिये: (शरह मआनिल आसार: 1/132)

सालिसन- इन्हीं असानीद से सहीह मुस्लिम और सुनन अरबअ वग़ैरह में ये हदीस तर्जीअ (दोहरी अज़ान) के साथ मुफ़स्सल तौर पर मन्क़ूल है।

❀ सही मुस्लिम में इस हदीस की सनद आमिर अल्अहवल के वास्ते से मक्हूल पर मिल जाती है और इसमें ये वज़ाहत है कि नबी (ﷺ) ने उन्हें भी अज़ान सिखाई है और वह तर्जीअ के साथ है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 379)

❀ सुनन अबू दाऊद में इस रिवायत की सनद एक वास्ते से अफ़्फ़ान, सईद बिन आमिर और हज्जाज से जा मिलती है। इसमें है: **'बेशक अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन्हें अज़ान के उन्नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 502) यानी इसमें तर्जीअ का ज़िक्र है।

शरह मआनिल आसार: (1/134) में सिर्फ़ दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है जबकि अबू दाऊद में एक वास्ते से अल्लामा तहावी (رحمه الله) के शैख़ अबू आसिम पर सनद मिल जाती है, बाक़ी सिलसिल-ए-रिजाल वही है। इसमें तर्जीअ का ज़िक्र है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 501)

❀ जामेअ तिर्मिज़ी में भी सनद एक वास्ते से अफ़्फ़ान पर जा मिलती है और बाक़ी तमाम सिलसिल-ए-रिजाल वही है जो शरह मआनिल आसार में है और यहाँ भी ये सराहत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन्हें अज़ान के उन्नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये, यानी सिर्फ़ इक़ामत ही का ज़िक्र नहीं, मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 192)

❀ सुनन नसाई में भी दो तरीक़ से, यानी हम्माम से दो वास्तों से और हज्जाज से एक वास्ते से सनद मिलती है, बाक़ी वही सिलसिला है जो शरह मआनिल आसार में है। लेकिन यहाँ दोनों तरीक़ों में तर्जीअ और दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है। देखिये: (सुनन नसाई: हदीस: 631-632)

❀ सुनन इब्ने माजा और सही इब्ने ख़ुज़ैमा में भी अबू आसिम पर सनद मिलती है। यहाँ भी तसनिय -ए-इक़ामत से पहले तर्जीअ का ज़िक्र मौजूद है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 708, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 377) मज़ीद देखिये: (सुनन दारक़ुतनी: 1/520 अन हम्माम बिही)

इस सिलसिल-ए-इस्नाद को यहाँ ज़िक्र करने का मक़सद सिर्फ़ ये है कि मौलाना तक़ी उस्मानी समेत दीगर हामिलीन फ़िक़्ह हनफ़ी इस हक़ीक़त से बाख़बर हों ..... और यक़ीनन ये फ़ुज़ला बाख़बर होंगे .... कि उनकी पेशकर्दा मज़्कूरा हदीस उनकी नहीं बल्कि हमारी दलील बनती है क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) तर्जीअ के क़ाइल ही नहीं जबकि हम बि हम्दिल्लाह तआला इस सुन्नते तर्जीअ और तसनिय-ए-इक़ामत दोनों के क़ाइल हैं। मुहद्दिसे जलील इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा(رحمه الله) का भी यही मौक़िफ़ है कि अगर अज़ान दोहरी हो तो इक़ामत भी दोहरी हो और अगर अज़ान बिला तर्जीअ हो तो इक़ामत भी इकहरी होनी चाहिए जैसा कि सही अहादीस के ज़ाहिर से मालूम होता है। देखिये: (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/194, फ़तहुल बारी: 2/84) इस तरह नहीं कि हदीस का एक हिस्सा ले लिया और दूसरा तर्क कर दिया।

✧ **दाव-ए-नस्ख़ और इसकी हक़ीक़त:** हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कुछ अहनाफ़ ने (हदीस अनस, जिसमें इकहरी इक़ामत का ज़िक्र है, के) नस्ख़ का दावा किया है, वह कहते हैं कि आग़ाज़ में ईतारे इक़ामत का हुक्म था, फिर अबू महज़ूरा की हदीस से मन्सूख़ हो गया, यानी अबू महज़ूरा की वह रिवायत जो असहाबुस्सुनन ने रिवायत की है और इसमें दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है। और ये हदीस अनस से मुताख़्ख़िर है,लिहाज़ा हदीसे अनस की नासिख़ होगी। लेकिन इन पर ये ऐतराज़ वारिद

होता है कि अबू महज़ूरा ही की हदीस़ के कुछ हसन तुरुक में तर्जीअ़ तकबीर और तर्जीअ़ का भी ज़िक्र है, लिहाज़ा उन्हें इस तर्जीअ़ का भी लाज़िमी तौर पर क़ाइल होना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) ने हदीसे अबू महज़ूरा की वजह से मुद्दइयाने नस्ख़ की तर्दीद फ़रमाई है और उन्होंने इस बात से दलील पकड़ी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) फ़तहे मक्का के बाद मदीना वापस तशरीफ़ ले गये थे और आपने सय्यदना (बिलाल (رضي الله عنه)) के बाद इसी तरह अज़ान दी जैसा कि सुनन दारकुतनी और मुस्तदरक हाकिम में स़राहत है। (फ़तहुल बारी: 2/84) मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (नस़बुर्रअया: 1/273) नस्ख़ के क़ौल को इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई(رحمه الله) ने भी तस्लीम नहीं किया। देखिये: (नस़बुर्रअया: 1/273) जहाँ तक अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) की अज़ान के आग़ाज़ में तकबीर (अल्लाहु अकबर कहने) का मसला है, क्या चार मर्तबा अल्लाहु अकबर का ज़िक्र है या सिर्फ़ दो मर्तबा? तो इस बारे में अर्ज़ है कि सिर्फ़ दो मर्तबा का भी ज़िक्र मिलता है जैसा कि स़हीह मुस्लिम में है जबकि दीगर तमाम मुफ़स्सल तुरुक और असानीद से मरवी हदीस़ में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा है और यही असह है जैसा कि मसल-ए-तर्जीअ़ अज़ान में ये बहस़ आयेगी। जबकि तर्जीअ़ तो बिहम्दिल्लाह मज़्कूरा तमाम तुरुक में मौजूद है।

राबिअ़न - अगर इकहरी इक़ामत के नस्ख़ की बात है तो इब्ने हज़्म (رحمه الله) ने इसके बरअ़क्स दावा किया है। उनका कहना है कि दोहरी इक़ामत का हुक्म मुतक़द्दिम है और इकहरी का मुताख़िखर। दलील के तौर पर अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की रिवायत पेश करते हैं, इसमें स़राहत है: ये रिवायत मअ़ तहक़ीक़ तख़रीज गुज़र चुकी है। मज़ीद देखिये: (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/157)

वह फ़रमाते हैं: **'ये सनद कूफ़ियों की सनद की निस्बत स़ेहत के इन्तिहाई दर्जे पर फ़ाइज़ है, तो दुरुस्त ठहरा कि तस़नीय-ए-इक़ामत (दोहरी इक़ामत) यक़ीनन मन्सूख़ होगी, बिलाशुब्हा आग़ाज़ में ऐसे ही था। और अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने एक स़नद बीस स़हाबा-ए-किराम (ﷺ) से अख़ज़ किया है। बिलाल और उ़मर (رضي الله عنه) को भी पाया है, लिहाज़ा उनके क़ौल का बुत्लान (बातिल होना) बिल यक़ीन ज़ाहिर हो गया।'** (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/158)

फ़रमाइये! अब क्या ख़याल है? इब्ने हज़्म (رحمه الله) तो सिरे से दोहरी इक़ामत के क़ाइल ही नहीं बल्कि इस क़ौल को बातिल ठहराते हैं। अलग़र्ज़ बिला नसे स़रीह या क़तई तारीख़ी तअ़य्युन के बग़ैर सरसरी दलाइल ही से नस्ख़ का दावा यक़ीनन नाक़ाबिले क़ुबूल होता है। अब क्या इब्ने हज़्म के इस दाव-ए-नस्ख़ को क़ुबूल फ़रमा लेंगे?

ख़ामिसन - हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) से जैसे दोहरी इक़ामत मरवी है, अक्सर और असह तुरुक में इसी तरह है जैसा कि क़द्रे तफ़्सील से इस पर बहस हो चुकी है, वैसे ही उनसे और उनकी आल औलाद से इकहरी इक़ामत भी मन्क़ूल है। इमाम दारक़ुतनी (ﷺ) ने अपनी सुनन में हसन सनद से नक़ल फ़रमाया है कि इब्राहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मलिक बिन अबू महज़ूरा फ़रमाते हैं: **'मैंने अपने बाप दादा और अहल को इस तरह इक़ामत कहते हुये पाया है और फिर इकहरी तकबीर ज़िक्र फ़रमाई।'** (सुनन दारक़ुतनी: 1/519)

इमाम शाफ़ेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने बज़ाते ख़ुद इब्राहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ को इकहरी इक़ामत कहते हुए सुना है। देखिये: (किताबुल इल्म, हदीस: 137 व सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/393, व मअरिफ़ा अस्सुनन वल आसार, हदीस: 2575, व नसबुर्रअया: 1/273)

अत्तारीखुल कबीर में इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने इनके बारे में फ़रमाया है: **'इब्राहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने जद्दे अमजद अब्दुल मलिक से सुना है और अब्दुल मलिक ने अबू महज़ूरा से ये सुना है कि बेशक नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें अज़ान के दो-दो कलिमात और इक़ामत का एक-एक कलिमात सिखाया, उनसे हुमैदी और अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब ने सुना है।'** (अत्तारीख़ुलकबीर: 1/304)

लीजिये सय्यदुल मुहद्दिसीन इमाम बुख़ारी ने भी मुस्तन्द तौर पर साबित कर दिया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अबू महज़ूरा को तसनिय-ए-अज़ान और इकहरी तकबीर की भी तल्क़ीन फ़रमाई थी, गोया उनसे इकहरी तकबीर का भी इस्बात हुआ, लिहाज़ा मौलाना तक़ी उस्मानी और दीगर फ़ुज़ला की अबू महज़ूरा की पेशकर्दा दोहरी इक़ामत की दलील कारगर साबित न हुई। मज़ीद देखिये: (सुनन दारक़ुतनी: 1/523) हदीस के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: **'नबी (ﷺ) ने अबू महज़ूरा को हुक्म दिया कि वह अज़ान दो-दो और इक़ामत एक-एक कलिमे के साथ कहें।'** साहिबे नसबुर्रअया ने यहाँ सुकूत फ़रमाया है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (नसबुर्रअया: 1/273) यानी अगर उनके सामने कोई क़ाबिले नक़्द बात होती तो ज़रूर ज़िक्र फ़रमाते।वल्लाहु आलम!

सादिसन - बिल फ़र्ज़ अगर अबू महज़ूरा (ﷺ) से मरवी किसी तरीक़ में सिर्फ़ दोहरी इक़ामत का ज़िक्र हो, इसके साथ दोहरी अज़ान का ज़िक्र न हो तो भी उसूली तौर पर दीगर सिक़ात के इज़ाफ़े को मद्दे नज़र रखा जायेगा। चूंकि दीगर मुफ़स्सल रिवायात में दोहरी अज़ान का भी ज़िक्र है, इसलिये अबू महज़ूरा की रिवायत से मुकम्मल इस्तिदलाल इसी सूरत में दुरुस्त हो सकता है जब उनकी तर्जीअ वाली अज़ान भी तस्लीम की जाये।

नवीं दलील: इब्राहीम नख़ई (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'सौबान (ﷺ) अज़ान और तकबीर दो-दो कलिमात के साथ कहा करते थे।'** (शरह मआनिल आसार: 1/136)

जवाब: ये असर मुन्क़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि इब्राहीम का सौबान से सिमाअ है न मुलाक़ात। अली बिन मदीनी (ﷺ) फ़रमाते हैं:**'इब्राहीम नख़ई की नबी-ए-अकरम(ﷺ) के सहाब-ए-किराम (ﷺ) में से किसी से मुलाक़ात नहीं हुई।'** (इललुल हदीस व मअरिफ़तुर्रिजाल, सफ़ा: 75) ये क़ौल इब्ने अबी हातिम ने भी ज़िक्र किया है। देखिये: (किताबुल मरासील, रक़म: 19)

❁ इमाम अबू ज़रआ फ़रमाते हैं: **'इब्राहीम जब सय्यदा आयशा (ﷺ) के पास आये तो छोटे बच्चे थे ओर उनसे कुछ भी नहीं सुना।'** (किताबुल मरासील, रक़म: 22)

❁ इमाम अबू हातिम उनके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: **'इब्राहीम नख़ई की सिवाय सय्यदा आयशा(ﷺ) के किसी और सहाबी से मुलाक़ात नहीं हुई और उनसे उन्हें शर्फ़े सिमाअ नसीब नहीं हुआ क्योंकि जब वह उनके पास आये थे तो छोटे से बच्चे थे। हाँ अनस (ﷺ) को पाया है लेकिन उनसे सिमाअ नहीं किया।'** (किताबुल मरासील, रक़म: 21)

❁ इमाम अजली फ़रमाते हैं: **'इब्राहीम बिन यज़ीद ने नबी (ﷺ) के सहाबा में से किसी से हदीस बयान नहीं की। सहाब-ए-किराम (ﷺ) में से एक जमाअत को उन्होंने पाया है और हज़रत आयशा को सिर्फ़ देखा है।'** (तारीख़ुस सिक़ात, रक़म: 45)

❁ यह्या बिन मईन (ﷺ) फ़रमाते हैं: उन्हें हज़रत आयशा (ﷺ) के यहाँ लाया गया था। (किताबुल मरासील, रक़म: 20)

❁ अल्लामा ज़हबी (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'उन्होंने ज़ैद बिन अरक़म वग़ैरह को देखा है लेकिन किसी सहाबी से उनका सिमाअ साबित नहीं।'** (मीज़ानुल ऐतदाल: 1/74, 75)

अल्जरह वत्तअदील: (2/18) में भी उनके हालात मौजूद हैं, मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: 1/155)

अल मुख़्तसर मज़्कूरा असर ज़ईफ़ होने की वजह से इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल भी ज़ईफ़ होगा।

दसवीं दलील: सलमा बिन अक्वा (ﷺ) के हवाले से बयान किया जाता है कि वह दोहरी इक़ामत कहा करते थे। ये असर इब्राहीम बिन इस्माईल बिन मजमअ अन उबैद मौला सलमा बिन अल अक्वा के वास्ते से मन्क़ूल है। (मआनिल आसार: 1/136)

जवाब:अव्वलन - पहले मौक़ूफ़ अस़र की तरह ये भी मौक़ूफ़ ही है और मौक़ूफ़ मरफ़ूअ हदीस़ का मुआरिज़ नहीं बन सकता।**स़ानियन** - इसकी सनद में इब्राहीम बिन इस्माईल नामी रावी है जो कि ज़ईफ़ है।

۞ इमाम बुख़ारी (رحمہ اللہ) ने इसे कस़ीरुल वहम क़रार दिया है। (तारीख़ुल कबीर: 1/271)

۞ इमाम अबू हातिम (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: **'इसकी हदीस़ लिखी जा सकती है लेकिन इसके साथ हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती।' मज़ीद फ़रमाते हैं: 'कस़ीर अल वहम और ग़ैर क़वी है।'** (अल्जरह वत्तअ़दील: 2/84)

۞ इमाम अबू ज़रआ (رحمہ اللہ) कहते हैं: मैंने अबू नुऐम को ये फ़रमाते हुये सुना है कि इसकी हदीस़ दो पैसों के मसावी भी नहीं है। (अज्जरह वत्तअ़दील: 2/84)

۞ इमाम यह्या बिन मईन (رحمہ اللہ) ने इसे ज़ईफ़ और एक दफ़ा **'वह कुछ भी नहीं'** कहा है। (अज्जिरह वत्तअ़दील: 2/84, व किताब अल्मजरूहीन लि इब्ने हिब्बान: 1/99)

۞ इमाम इब्ने हिब्बान इसके बारे में फ़रमाते हैं: **'वह सनदों को उलट पलट कर देता और मुर्सल रिवायात को मरफ़ूअ बना देता था।'** (किताब अल्मजरूहीन: 1/99)

۞ इमाम नसाई ने इसे ज़ईफ़ कहा है। (अल कामिल: 1/233)

۞ इमाम दारक़ुतनी ने मतरुक क़रार दिया है। (अज्ज़ईफ़ा वलमतरुकीन, रक़म: 30, मज़ीद देखिये:अज़्ज़ईफ़ा वलमतरुकीन इब्ने अलजौज़ी, रक़म: 28, वज्जुअफ़ाउल कबीर लिल उकैली: 1/43, व मीज़ानुल ऐ़तदाल: 1/19)

अल हास़िल! अइम्म-ए-फ़न और मुहद्दिस़ीन की मज़्कूरा तस़रीहात की रोशनी में चूंकि ये रावी ज़ईफ़ है, इसलिये इसकी नक़लकर्दा रिवायत भी नाक़ाबिले हुज्जत होगी, लिहाज़ा इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल बातिल है।

गयारहवीं दलील: ग्यारहवीं दलील मुस़न्नफ़ इब्ने अबी शैबा में मन्क़ूल हज़रत अ़ली (رضی اللہ عنہ) का अस़र है, ये अस़र मअ़ सनद यूँ हैं: **'सय्यदना अ़ली (رضی اللہ عنہ) कहा करते थे: अज़ान और इक़ामत के कलिमात दो-दो हैं। एक दफ़ा आप एक मुअज़्ज़िन के पास आये जो इकहरी इक़ामत कह रहा था तो उससे फ़रमाया: तूने दोहरी तकबीर क्यूँ न कही तेरी माँ न रहे।'** (मुस़न्नफ़ इब्ने अबी शैबा, बाब मन कान यशफ़उल इक़ामा ....., 2/10 तबअ़ जदीद, मकतबा अर्रुश्द)

मल्हूज़ा: कुछ नुस्ख़ों में मज़्कूरा सनद में ख़राबी वाक़ेअ हुई है:

❀ हुशैम अ़न अ़ब्दुर्रहमान की बजाये हुशैम बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन यह्या वाक़ेअ हुआ है लेकिन अस़ल में ये हुशैम अ़न अ़ब्दुर्रहमान है।

❀ दूसरे अ़न अनिर्रबीअ़ बिन क़ैस और कुछ नुस्ख़ों में हजीअ़ बिन क़ैस है, जबकि दुरुस्त हजनअ़ बिन क़ैस है जैसा कि इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने ज़िक्र फ़रमाया है। (तारीख़ुल कबीर: 8/256 (नीज़ इब्ने अबी हातिम ने भी हजनअ़ ही तहरीर फ़रमाया है। (अल्जरह वत्तअ़दील: 9/122)

लिसानुल मीज़ान में हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) और मीज़ानुल ऐतदाल में हाफ़िज़ ज़हबी(رحمه الله) ने भी हजनअ़ ही लिखा है। (लिसानुल मीज़ान: 6/252, मीज़ानुल ऐतदाल: 4/293) जबकि अ़ल्लामा ज़हबी (رحمه الله) ने अल मुग़नी फ़ीज्ज़ुअफ़ा में अल हुजैअ़ (तस़ग़ीर के साथ) ही रहने दिया है। (अल मुग़नी फ़िज्ज़ुअफ़ा: 2/476)

मक़्तबा अर्रुश्द की मतबूअ़ मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के मुहक़्क़िक़ीन फ़रमाते हैं: (फ़ी (मीम) 'अलहजीअ़' वफ़ी त, स) 'अलअजीअ़' व कलाहुमा ख़ता) 'नस्ख़ (मीम) में हजीअ़ और नस्ख़ (त, स) में अलअ़जीअ़ है और ये दोनों लफ़्ज़ ग़लत हैं।' देखिये:(तअ़लीक़ुल मुसन्नफ़ लि इब्ने अबी शैबा: 2/10)

जवाब: अव्वलन -इस अस़र की सनद में हुशैम बिन बशीर सुलमी अबू मुआविया हैं। ये रावी कस़ीरूत तदलीस हैं। अ़ल्लामा अ़जली फ़रमाते हैं: **'स़िक़ह हैं लेकिन तदलीस किया करते थे।'** (तारीख़ अस्सिकात, रक़म: 1745)

❀ इमाम इब्ने सअ़द फ़रमाते हैं:**'अबू मुआविया हुशैम बिन बशीर स़िक़ह, कस़ीरुल हदीस़ और स़ब्त थे लेकिन बहुत ज़्यादा तदलीस किया करते थे, लिहाज़ा अपनी जिस हदीस़ में अख़बरना कहें तो वह हुज्जत होगी और जिसमें अख़बरना न कहा हो उसकी कोई हैसियत नहीं।'** (तबक़ात इब्ने सअ़द: 7/313)

❀ अ़ल्लामा ज़हबी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:**'उनका मौक़िफ़ था कि अ़न के साथ तदलीस करना जायज़ है।'** (मीज़ानुल ऐतदाल: 4/307)

❀ हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं:**'स़िक़ह और स़ब्त थे लेकिन कस़ीरुत तदलीस थे और इरसाले ख़फ़ी भी बहुत करते थे।'** (तक़रीब अत्तहज़ीब: 1943)

तबक़ातुल मुदल्लिसीन (स़फ़ा: 51) में फ़रमाते हैं: **'अपनी स़क़ाहत के बावजूद तदलीस में मारूफ़ थे।'**

सानियन - इसकी सनद में हजनअ बिन क़ैस मुतक़ल्लिम फ़ीह है। मज़्कूरा मसादिर में कुछ अइम्मा ने उनके ज़ोफ़ की तरफ़ इशारा किया है।

अलग़र्ज़! हज़रत अली (ﷺ) का ये असर इन दो बुनियादी इल्लतों की वजह से साक़ितुल ऐतबार है, इसलिये इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, फिर ये कौन सी मरफ़ूअ रिवायत है कि जिसे लाज़िमन क़ाबिले अमल समझा जाये या तआरुज़ की सूरत में जमा व तत्बीक़ की कोशिश की जाये। ये मौक़ूफ़ असर बिल फ़र्ज़ अगर सनदन सही भी होता, तब भी मरफ़ूअ रिवायात का मुआरिज़ नहीं हो सकता था।

ये हैं वह चन्द बुनियादी दलाइल जिनकी बुनियाद पर अहले तक़्लीद दोहरी इक़ामत और उसके इस्तिहबाब के क़ाइल हैं।

ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि मज़्कूरा तमाम दलाइल तहक़ीक़ी जायज़े में नाक़ाबिले ऐतबार हैं जैसा कि अइम्म-ए-फ़न हदीस व रिजाल की तसरीहात की रोशनी में ये गुज़र चुका है। इन तमाम असानीद व तुरुक़ और रिवायात में सिर्फ़ अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला का वह तरीक़ जो मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा और शरह मआनिल आसार में हद्दसनी असहाब मुहम्मद (ﷺ) की तसरीह से मन्क़ूल है, क़ाबले हुज्जत है अगरचे इसकी सनद में आमश मुदल्लिस हैं लेकिन अबू दाऊद के तरीक़ में इमाम शोबा उनकी मुताबिअत करते है।

इस एक तरीक़ से दोहरी इक़ामत का जवाज़ निकलता है जबकि इसके मुक़ाबले में हज़रत इब्ने उमर और अनस (ﷺ) वग़ैरह की सही तरीन रिवायात मन्क़ूल हैं जिनमें ईतारे इक़ामत (इकहरी तकबीर) ही का बयान है, फिर ये ज़्यादा भी हैं, नीज़ इनसे ईतारे इक़ामत के दवाम का मफ़हूम भी मुतरश्शेह होता है। ख़ुसूसन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही वाली वह रिवायत जो आग़ाज़े बहस में गुज़री है, सरीह और अपने मुद्दआ में वाज़ेह तरीन हैं इसमें भी इकहरी इक़ामत ही का ज़िक्र है, लिहाज़ा अगर किसी मौक़े पर इकहरी अज़ान के साथ दोहरी इक़ामत कह दी जाये तो ये दुरुस्त है लेकिन इकहरी इक़ामत को मन्सूख़ या मतरुक क़रार दे कर दोहरी इक़ामत को मुस्तहब और अफ़ज़ल क़रार देना यक़ीनन दलाइल की रोशनी में मरदूद और इसका इस्बात मुश्किल है, नीज़ ये दावा कि सय्यदना बिलाल (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद अज़ान दिया करते और दोहरी इक़ामत कहा करते थे, बिला दलील है, इसलिये कि जिन तुरुक व असानीद या रिवायात में दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है, बजाये ख़ुद वह सब ज़ईफ़ और ग़ैर मोतबर हैं, लिहाज़ा अल्लामा तहावी (ﷺ) का ये फ़रमाना दुरुस्त नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद हज़रत बिलाल (ﷺ) अज़ान और तकबीर के दो-दो कलिमात कहा करते थे और इससे हदीसे अनस के मज़मून की नफ़ी होती है। (शरह मआनिल आसार: 1/134)

अ़ल्लामा इब्ने हज़्म (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'हमने वह कुछ ज़िक्र कर दिया है जिसमें अहले नक़ल में से कोई दो भी इख़्तिलाफ़ नहीं करते कि सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) की वफ़ात के बाद किसी एक के लिये भी, कभी अज़ान नहीं दी सिवाये एक दफ़ा के और वह भी शाम में, लेकिन वह उस वक़्त भी अपनी अज़ान मुकम्मल न कर पाये थे।'**(अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/152)

मालूम हुआ कि इमाम तहावी (رحمه الله) का मज़्कूरा दावा ज़ईफ़ रिवायात की वजह से ज़ईफ़ है, नीज़ मौलाना तक़ी उ़स्मानी साहब का दर्से तिर्मिज़ी: (1/458-460) में दोहरी इक़ामत पर ज़ोर देना और ये बावर कराना कि मस्लके अहनाफ़ राजेह और दोहरी इक़ामत ही मुस्तहब है, ये सब मरजूह व मरदूद है और उनके ज़िक्रकर्दा दलाइले हनफ़िया ज़ईफ़ और साक़ितुल ऐ़तबार हैं, सिवाये एक दलील के, जैसा कि इससे क़ब्ल ज़िक्र हुआ। इसी तरह मौलाना अमीनुल्लाह पेशावरी का ये फ़रमाना कि दोहरी इक़ामत के मुताल्लिक़ भी बहुत ज़्यादा अहादीस़ आती हैं, मज़्कूरा मारूज़ात की रोशनी में दुरुस्त नहीं। शायद उन्होंने इस कस़रत के मुताल्लिक़ हुस्ने ज़न से काम लिया है वरना उनकी अस़ल हक़ीक़त तो साबिक़ा औराक़ में वाज़ेह की जा चुकी है। देखिये: (फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस़: 3/234)

बहरहाल अफ़ज़ल ये है कि अगर अज़ान दोहरी हो तो तकबीर भी दोहरी वरना इकहरी तकबीर ही मुस्तहब हैं शहरे हिन्द वग़ैरह में अहनाफ़ का एहतिमाम के साथ रिवाजशुदा तरीक़-ए-इक़ामत स़ही और मुस्तहब तो दूर स़रीह और मज़बूत दलाइल की रोशनी में मसनून भी नहीं ठहरता।वल्लाहु आ़लम! वमा अ़लैना इल्लल बलाग़!

✧ **तर्जीअ़ वाली अज़ान व इक़ामत:** अहदे नबवी में अज़ान का दूसरा तरीक़ा ये था कि अज़ान देते वक़्त शहादतैन के कलिमात (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह और अश्हदुअन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) पहले पस्त आवाज़ में और फिर दोबारा बुलन्द आवाज़ से कहे जाते थे। शहादतैन के इस तकरार की वजह से इसे अज़ाने तर्जीअ़ या दोहरी अज़ान कहा जाता है ये अज़ान मसनून हैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) को अज़ान का ये तरीक़ा सिखाया। इसके उन्नीस कलिमात होते हैं और तकबीर के सतरह। जबकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की मौजूदगी में सारी उ़म्र बिलाल (رضي الله عنه) ने बिला तर्जीअ़ अज़ान दी है जिससे मालूम होता है कि अज़ाने तर्जीअ़ (दोहरी अज़ान) भी मसनून और क़ाबिले अ़मल है लेकिन चूंकि आप (ﷺ) की मौजूदगी में और आपकी इजाज़त से अज़ाने बिलाल पर अ़मल होता रहा है, इसलिये इसे इस हैसियत से वजहे तर्जीअ़ हासिल है। यही वजह है कि इब्ने उ़मर और अनस (رضي الله عنه) ने अज़ाने बिलाल के मुताल्लिक़ जो फ़रमाया है, वह तशफ़ीअ़ अज़ान (कलिमाते अज़ान दो-दो दफ़ा) और ईतारे इक़ामत (इकहरी इक़ामत) ही है। जबकि ये हक़ीक़त

वाज़ेह है कि सय्यदना अनस (ﷺ) की मरवियात नबी-ए-अकरम (ﷺ) की आख़िरी उम्र की हैं, इसलिये इन मरवियात के बारे में नस्ख़ का गुमान यक़ीनन कमज़ोर ही होगा। हाँ, जिस रिवायत के मुताल्लिक़ दलील से और पुख़्तगी के साथ नस्ख़ का सुबूत मिल जाये तो उसे मन्सूख़ समझा जायेगा।

दोहरी अज़ान का ताल्लुक़ सिर्फ़ फ़ज्र या इशा ही के साथ नहीं बल्कि पाँचों नमाज़ों के लिये अज़ाने तर्जीअ दी जा सकती है जिस तरह कि अबू महज़ूरा (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में इसी तरीक़-ए-अज़ान पर कारबन्द रहे। अलग़र्ज़, अज़ान का ये तरीक़ा मन्सूख़ है न बिल्कुल मतरुक, बल्कि मसनून है।

इमाम नववी (ﷺ) फ़रमाते हैं:'**अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) फ़रमाते हैं: (अज़ान में) तर्जीअ और ग़ैर तर्जीअ दोनों तरीक़े ही मसनून हैं।**' (अल मजमूअ: 3/102)

तरफ़ैन में इफ़रात व तफ़रीत है, जबकि यहाँ हक़ बैन-बैन (बीचो-बीच) है। न सिरे से दोहरी अज़ान का इन्कार और इसकी सुन्नियत से फ़रार दुरुस्त है जैसा कि अहनाफ़ का मोतबर और सिफ़ती बिही क़ौल है और न इकहरी अज़ान से फ़रार और तर्जीअ का इस्बात व तर्जीह, जैसा कि शवाफ़ेअ का मौक़िफ़ है बल्कि अज़ान के दोनों तरीक़े ही मसनून हैं जैसा कि इमाम अहमद व इस्हाक़ (ﷺ) के हवाले से गुज़रा है और जिस पर आमिलीन बिलहदीस अमल पैरा हैं।

क़ाज़ी अयाज़ (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**अहले हदीस, यानी अहमद, इस्हाक़, तबरी और इमाम दाऊद (ﷺ) तर्जीअ और बिना तर्जीअ दोनों में इख़्तियार का मौक़िफ़ रखते हैं क्योंकि जब अहादीस सही हों और बाहम उनमें इख़्तिलाफ़ हो और मुतक़द्दिम व मुताख़्ख़िर की मअरिफ़त भी हासिल न हो तो इस सूरत में उनका यही उसूल है कि ऐसी अहादीस में वुस्अत और इख़्तियार होता है।**' (इकमालुल मुअल्लिम: 2/245व फ़तहुल बारी, 2/84, हदीस: 607)

शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**और अज़ान के कुछ तरीक़े हैं: सही तरीन बिलाल (ﷺ) का तरीक़ा है। अहदे नबवी में दो-दो कलिमात के साथ अज़ान और एक-एक कलिमे के साथ इक़ामत होती थी, सिवाये क़द क़ामतिस्सलाह के (कि इसे दो मर्तबा दोहराया जाता) दूसरा अबू महज़ूरा (ﷺ) का तरीक़ा है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें अज़ान के उन्नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये और मेरे नज़दीक उनकी हैसियत क़ुर्आनी हुरूफ़ (क़िराआत) की मानिन्द है, सब ही शाफ़ी और काफ़ी हैं, यानी दोनों तरह अज़ान देना मसनून और दुरुस्त है।**' (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा: 1/593, 594)

✧ दोहरी अज़ान व इक़ामत के दलाइल:

पहली हदीस - सय्यदना अबू महज़ूरा (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अज़ान**

के उन्नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 379, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 502)

इमाम नववी (رحمه الله) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: **'इस हदीस में इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर उलमा के मौक़िफ़ की वाज़ेह हुज्जत व दलालत है कि अज़ान में तर्जीअ साबित और मशरूअ है। तर्जीअ से मुराद शहादतैन को पहले दो बार पस्त आवाज़ में कह कर दोबारा दो दफ़ा बुलन्द आवाज़ से देहराना है। इमाम अबू हनीफ़ा और कूफ़ियों का क़ौल है कि तर्जीअ (दोहरी अज़ान) मशरूअ व मसनून नहीं। उनका अमल अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस पर है और इसमें तर्जीअ नहीं है और जुम्हूर की दलील ये सहीह हदीस है। और ज़्यादती (इज़ाफ़ा) मुक़द्दम होती है, फिर अबू महज़ूरा की हदीस अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस से मुताख़्ख़िर भी है क्योंकि अबू महज़ूरा की हदीस, वाक़िय-ए-हुनैन के बाद सन 8 हिजरी की है और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस आग़ाज़ की है। इस सब के साथ साथ अहले मक्का, मदीना और बाक़ी तमाम शहरों के लोगों का अमल भी इसका ताईद करने वाला है।'** (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/107, 108)

और अल मज्मूअ शरह अल्मुहज्ज़ब: 3/102 में फ़रमाते हैं: अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) की हदीस को चार वजहों से हदीसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद पर फ़ौक़ियत हासिल है: (1) ये मुताख़्ख़िर है। (2) हदीसे अबू महज़ूरा में इज़ाफ़ा है और सिक़ह का इज़ाफ़ा क़ुबूल होता है। (3) अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) को नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद अज़ान सिखाई है। (4) अहले हरमैन का अमल भी तर्जीअ का है। हदीस अबू महज़ूरा की शरह में अल्लामा सनआनी फ़रमाते हैं: **'ये हदीस अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस पर इज़ाफ़ा क़ाबिले क़ुबूल होता है।'** (सुबुलुस्सलाम: 1/362, मअ तालीक़ अल अल्बानी)

दूसरी हदीस - अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: **'अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ख़ुद मुझे अज़ान सिखाई है।'** आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'कहो! अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अश्हदुअन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह'** (आप (ﷺ) ने फ़रमाया:) **फिर दोबारा यही कलिमात कहो ओर अपनी आवाज़ को बुलन्द करो, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,ला इलाह इल्लल्लाह।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 503, व सुनन नसाई, हदीस: 633, व सुनन इब्ने माजा,

हदीस: 708) अबू दाऊद वग़ैरह में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अज़ान का एक-एक हर्फ़ सिखाया है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 191) मालूम हुआ नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें बड़े एहतिमाम से दोहरी अज़ान सिखाई थी।

तीसरी हदीस - अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ की: **'मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 500)

ये अल्फ़ाज़ मसल-ए-तर्जीअ में फ़ैसला कुन हैं क्योंकि अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से तरीक़-ए-अज़ान सीखने की दरख़्वास्त की थी जिसके जवाब में आप (ﷺ) ने उन्हें दोहरी अज़ान व इक़ामत की तालीम दी।

मल्हूज़ा: सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर सिर्फ़ दो मर्तबा मरवी है जबकि इसके अलावा वह दीगर कुतूबे सुनन में अज़ाने अबू महज़ूरा के आग़ाज़ में ये अल्फ़ाज़ चार मर्तबा मन्क़ूल हैं। कुछ ने इसे रावी का तसर्रुफ़ क़रार देते हुए कहा है कि मुस्लिम की इस रिवायत में इख़्तिसार है जबकि दीगर रावियों की रिवायात मुफ़स्सल हैं, इसलिए उनका नक़लकर्दा इज़ाफ़ा क़बूल करना ज़रूरी है, याद रहे मशरूअ तरीक़ा यही है कि तर्जीअ वाली अज़ान के आग़ाज़ में भी तरबीअ तकबीर ही का एहतिमाम किया जाये।

क़ाज़ी अयाज़ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ अक्सर नुस्ख़ों में दो दफ़ा ही तकबीर मन्क़ूल है और वह फ़रमाते हैं:**'फ़ारसी के कुछ तुर्रुक़ में चार दफ़ा कलिमाते तकबीर मन्क़ूल हैं।'** (इकमालुल मुअल्लिम: 2/244)

इमाम नववी (رحمه الله) ने भी उनके हवाले से यही बात नक़ल की है, और उन्होंने फ़रमाया है कि चार दफ़ा कलिमाते तकबीर का इज़ाफ़ा सिक़ात का इज़ाफ़ा है, इसलिये इसे क़ुबूल करना लाज़िमी है। (शरह सहीह मुस्लिम लि नववी: 4/107) जबकि शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ मुस्लिम की रिवायत में दो दफ़ा कलिमाते तकबीर का ज़िक्र शाज़ हैं फ़तहुल बारी में अल्लामा इब्ने अल कत्तान के कलाम से भी यही मुतरश्शेह (वाज़ेह) होता है, वह फ़रमाते हैं: **'इसमें दुरुस्त तरबीअ तकबीर ही है क्योंकि उन्नीस कलिमाते अज़ान इसी तरह पूरे होंगे।'** मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 2/418, हदीस: 517)

हमारे ख़्याल में अगर दो दफ़ा कलिमाते तकबीर को शाज़ न भी क़रार दिया जाये, तब भी ज़्यादती-ए-सिक़ह के उसूल के मुताबिक़ तरबीअ तकबीर ही लाज़िम ठहरती है क्योंकि इस तरह दोनों रिवायात मामूल बिही रहती हैं और तज़ाद भी रफ़ा हो जाता है। वल्लाहु आलम!

मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में दोहरी अज़ान मसनून व मशरूअ क़रार पाती है अगरचे इस पर कभी कभार अ़मल हो, लेकिन सिरे से इसे मन्सूख़ कहना या इसकी ग़ैर मशरूइयत का डिंडोरा पीटना यक़ीनन मरजूह और नाक़ाबिले इल्तिफ़ात मौक़िफ़ है।

अ़दमे सुन्नियत या इसकी अ़दमे मशरूइयत के क़ाइलीन के कुछ इश्कालात या ऐतराज़ात हैं जिनका इज़ाला लाज़िमी है, इसलिये मुन्दर्जा ज़ेल सुतूर में इनका बिल इख़्तिसार जायज़ा लिया जाता है ताकि मसले की हक़ीक़त अ़ला वजहिल बसीरत उभर कर सामने आ जाये। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

✧ दोहरी अज़ान की ग़ैर मशरूइयत के मुताल्लिक़ चन्द उ़लम-ए-अहनाफ़ की तस़रीहात:

❀ अ़ल्लामा तहावी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**दोहरी अज़ान की नफ़ी के बारे में हमने जो कुछ बयान किया है ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद का क़ौल है।**' (शरह मआनिल आसार: 1/132)

❀ स़ाहिबे बिदायतुल मुब्तदी ने भी ग़ैर सुन्नियत व मशरूइयत का मौक़िफ़ इख़्तियार किया है वह फ़रमाते हैं: '**अज़ान में तर्जीअ़ नहीं है।**' इसकी शरह में स़ाहिबे हिदाया ने अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) के मुताल्लिक़ इन अल्फ़ाज़ में तअस्सुर क़ायम किया है: '**अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) ने जो तरीक़-ए-अज़ान रिवायत किया है, ये बतौर तालीम था (कि तौहीद व रिसालत का यक़ीन उनके अन्दर पेवस्त हो जाये, इसलिये शहादतैन के कलिमात दोहराये गये) लेकिन उन्होंने इसे तर्जीअ़ समझ लिया।**' (अलहिदाया: 1/44) स़हाबी के बारे में स़ाहिबे हिदाया की ये राय सूए ज़न पर मबनी हैं इस क़िस्म के एहतिमालात के बयान और तौजीहात से गुरेज़ करना। इस क़िस्म की तावीलात व तौजीहात से फ़ायदा उठाते हुए दुशमनाने सुन्नत और मुन्किरीने हदीस़ ज़ख़ीर-ए-अहादीस़ को निशाना बनाते हैं और इससे स़हाबा की अ़दालत मजरूह होती है। बहरहाल ये एक जसारत है। इससे बाज़ रहना चाहिए।

❀ स़ाहिबे कुदूरी भी (स़फ़ा: 21 पर) (وَلَا تَرْجِيعَ فِيهِ) से दोहरी अज़ान की ग़ैर मशरूइयत का फ़ैस़ला सुनाते हैं जिस पर स़ाहिबे तन्क़ीह ने भी मुवाफ़िक़त की मुहर स़ब्त कर दी है।

❀ स़दरूश्शरीआ ने भी यही मौक़िफ़ इख़्तियार किया है। (अन्निक़ाया: 1/203)

❀ स़ाहिबे तन्वीरुल अब्सार भी फ़रमाते हैं: कि अज़ान में तर्जीअ़ मशरूअ़ नहीं है जबकि शारेह तन्वीरूल अब्सार ने इस मसनून अ़मल को मकरूह क़रार दिया है मज़ीद ये कि स़ाहिबे रद्दुल मुख़्तार ने भी इन्हीं की मुवाफ़िक़त की हैं मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (रद्दुल मुख़्तार: 1/386, 387)

❀ साहिबे कन्जुल दक़ाइक़ फ़रमाते हैं: (سَنَّ لِلْفَرَائِضِ بِلَا تَرْجِيع) कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अज़ान फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये **'बिला तर्जीअ'** ही मसनून क़रार दी है।

❀ साहिब अल्बहरुर्राइक़ 'बिला तर्जीअ' की शरह करते हुए फ़रमाते हैं:**'अबू महज़ूरा ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हुक्म से शहादतैन को दोहराया जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सहाबा को तालीम देने में ये आदत थी, इसलिये नहीं कि ये सुन्नत है।'** (अलबहरूर्राइक़ शरह कन्ज़ुद्दक़ाइक़: 1/50)

ये हैं किबार उलम-ए-अहनाफ़ की तसरीहात। इससे बख़ूबी अन्दाज़ा हो जाता है कि दोहरी अज़ान के मुताल्लिक़ इनके ख़्यालात क्या हैं। मुन्दरजा ज़ेल सुतूर में उनके अहमे दलाइल या इश्कालात व ऐतराज़ात का ज़िक्र और तजज़िया होगा ताकि ज़ेरे बहस मसले की हक़ीक़त वाज़ेह हो जाये।

✧ **दोहरी अज़ान के बारे में इश्कालात व ऐतराज़ात:**(1) अल्लामा तहावी हनफ़ी ख़ुलासतन फ़रमाते हैं: **'एहतिमाल है कि वह तर्जीअ जो अबू महज़ूरा ने बयान की है, वह सिर्फ़ इसलिये थी कि उन्होंने नबी (ﷺ) की हस्बे मन्शा आवाज़ बुलन्द न की थी, इसलिये उन्हें नबी (ﷺ)ने फ़रमाया: लौटो और अपनी आवाज़ को खींचो (बुलन्द करो) हदीस में अल्फ़ाज़ ऐसे ही हैं।'** (मआनिल आसार: 1/132)

जवाब: साहिबे तोहफ़तुल अह्वज़ी: (1/487) इसके जवाब में फ़रमाते हैं: ये तावील मरदूद है क्योंकि अबू दाऊद की रिवायत में अल्फ़ाज़ यूँ हैं: (ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ) यानी सुम्मा की ज़्यादती के साथ। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 503)

गोया नबी (ﷺ) ने जानबुझकर इस तर्तीब को मल्हूज़ रखने की तल्क़ीन फ़रमाई है क्योंकि सुम्मा के अन्दर तर्तीब मअत्तराख़ी के मानी मौजूद हैं।

अल्लामा सिन्धी(رحمه الله) सुनन इब्ने माजा, बाब तर्जीअ फ़िल अज़ान के तहत मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की शरह में फ़रमाते हैं: **'ये अल्फ़ाज़ इस बात में सरीह हैं कि आप (ﷺ) ने उन्हें तर्जीअ (दोहरी अज़ान) का हुक्म दिया था, लिहाज़ा इससे जो ये वहम पैदा होता है कि आपने उन्हें ये हुक्म बतौर तालीम दिया था और उन्होंने इसे तर्जीअ समझ लिया, साक़ित हो जाता है और अज़ाने बिलाल में अदमे (ग़ैर) तर्जीअ का सबूत मिलता है। इस इल्म (हदीस) की जिसे अदना पहचान भी हासिल है, वह इस बात को बिला शक जानता है।'** आख़िर में फ़रमाते हैं: **'वाज़ेह मफ़हूम यही है कि (तर्जीअ और अदमे तर्जीअ) दोनों तरह जायज़ है।'** (हाशिया अस्सिन्धी अला सुनन इब्ने माजा: 1/392)

दूसरा एहतिमाल इसलिये भी बातिल है कि ख़ुद अबू महज़ूरा (ﷺ) ने बिज्ज़ब्त ये बयान फ़रमाया है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें अज़ान के उन्नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये हैं जैसा कि अबू दाऊद वग़ैरह की हदीस़ में गुज़र चुका है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 502)

इसी तरह इमाम इब्ने जोज़ी वग़ैरह का ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि चूंकि अबू महज़ूरा (ﷺ) मुसलमान नहीं थे, इसलिये नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने शहादतैन को दोहराया ताकि उनके दिल में ईमान पुख़्ता हो जाये, वह उन कलिमात को ख़ूब ज़हन नशीन कर लें और फिर अपने दीगर ग़ैर मुस्लिम साथियों को भी इसकी तल्क़ीन करें। इसी तरह का एहतिमाल स़ाहिबे हिदाया (1/44) ने भी ज़िक्र किया है, जो मअ़ल जवाब (जवाब के साथ) गुज़िश्ता बहस़ में गुज़र चुका है।

अल मुख़्तस़र, ये दोनों एहतिमाल ज़हनी इख़्तिराअ़ हैं, हक़ीक़त से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं क्योंकि अबू महज़ूरा (ﷺ) ने इस तरीक़े से एक दो या तीन चार दफ़ा अज़ान नहीं दी बल्कि ता'हयात इस पर कारबन्द रहे। उनकी वफ़ात तक़रीबन 59 हिजरी में हुई। इस दौरान में बहुत से स़हाब-ए-किराम (ﷺ)और ताबेईने इ़ज़ाम का मक्का मुकर्रमा में आना जाना रहा लेकिन किसी एक से भी तर्जीअ़ की नफ़ी या तर्दीद मन्क़ूल नहीं जो इस बात की क़वी दलील है कि अबू महज़ूरा (ﷺ) का तरीक़-ए-अज़ान मसनून व मशरूअ़ है, कि ये अबू महज़ूरा के सूए फ़हम का नतीजा था। वल्इयाज़ु बिल्लाह!

अ़ल्लामा ज़ैलई हनफ़ी फ़रमाते हैं: '**ये तीनों अक़वाल (व तौजीहात) क़रीबुल मानी हैं। इन एहतिमालात की सुनन अबू दाऊद की इस रिवायत से तर्दीद होती है (अबू महज़ूरा फ़रमाते हैं:)मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।**' इस रिवायत में ये भी है: '**फिर तू अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह और अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह और इन कलिमात के साथ आवाज़ को पस्त रख, फिर दोबारा इन कलिमात को बुलन्द आवाज़ से कह।**' तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इस तरीक़े को अज़ान का तरीक़ा क़रार दिया है। (नस़बुर्रअया: 1/263)

स़ाहिबे तोहफ़तुल अह्वजी अ़ल्लामा मुबारकपूरी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**इन अक़वाल की तर्दीद की और वजहें भी हैं: एक ये है कि इन अक़वाल से, अबू महज़ूरा (ﷺ) के बारे में सूए ज़न और बिला दलील उनकी तरफ़, ख़ता की निस्बत का पहलू निकलता है।**' और दूसरा ये कि अबू महज़ूरा मक्का में मुक़ीम थे और वहाँ अज़ान देते रहे यहाँ तक कि अल्लाह को प्यारे हो गये। आपकी वफ़ात 59 हिजरी में हुई। इस मुद्दत के दौरान में जो स़हाबा या ताबेईन भी मक्का में मुक़ीम थे, वह आपकी दोहरी अज़ान सुनते रहे, नीज़ अय्यामे हज में जो भी मक्का मुकर्रमा आता वह आपकी

अज़ान सुनता था। ये मुक़ाम मुसलमानों की इज्तेमागाह है, इसलिये अगर अबू महज़ूरा की अज़ान ग़ैर मशरूअ व मसनून होती या उनकी ग़लती का नतीजा होती तो यक़ीनन ये हज़रात ज़रूर तर्दीद करते और अबू महज़ूरा की इस ग़लती पर उन्हें कभी बरक़रार न रहने देते। लेकिन अबू महज़ूरा की दोहरी अज़ान पर किसी एक सहाबा या दूसरे फ़र्द से इस क़िस्म का इन्कार साबित नहीं, लिहाज़ा इस तरह इन मज़्कूरा अक़्वाल का बुत्लान ज़ाहिर होता है। मज़ीद ये कि दोहरी अज़ान, अज़ान का एक मसनून तरीक़ा है।

आगे फ़रमाते हैं: **'बल्कि अहनाफ़ के तरीक़े के मुताबिक़ इसकी सुन्नियत पर इज्मा-ए-सहाबा साबित हो चुका है, ग़ौर कीजिये!'** (तोहफ़तुल अह्वजी, शरह जामेअ तिर्मिज़ी: 1/487, 488)

मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फ़रमाते हैं: **'अहदे शाफ़ेई तक दोहरी अज़ान बदस्तूर जारी रही है। सलफ़ (رحمهم الله) हर साल मौसमे हज में हाज़िर होते थे लेकिन किसी ने इसका इन्कार नहीं किया, इसलिये इसे मकरूह न कहा जाये।'** (अलअरफ़ुश्शज़ी, सफ़ा: 107)

साहिबे मिर्आत के बक़ौल दोहरी अज़ान के हवाले से अहनाफ़ के कई अक़्वाल हैं: कुछ इसे मकरूह और कुछ ख़िलाफ़ेऔला और मुबाह कहते हैं। साहिबे फ़ैज़ुल बारी का कहना है कि तहक़ीक़ के तहत इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ दोहरी अज़ान की अफ़ज़लियत में रह जाता है। (मिरआतुल मफ़ातीह: 1/422)

अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) की अहादीस का एक जवाब अल्लामा इब्ने हम्माम हनफ़ी ने भी दिया है। वह ये है कि मोअज्म तबरानी औसत की हदीस में अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे अज़ान का एक-एक हर्फ़ सिखाया है,फिर वह बिला तर्जीअ अज़ान का तरीक़ा बयान करते हैं। (अलऔसत लित्तबरानी, हदीस: 1106) इमाम मौसूफ़ फ़रमाते हैं: **'इस हदीस में उन्होंने तर्जीअ का ज़िक्र नहीं किया, लिहाज़ा दोनों अहादीस आपस में मुतआरिज़ हुई और साक़ितुल ऐतबार क़रार पाईं जबकि इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) की रिवायात मुआरिज़ से सालिम हैं।'** (फ़तहुल क़दीम बहवाला तोहफ़तुल अह्वजी: 1/486)

मुल्ला अली क़ारी ने इसका तआक़ुब करते हुये फ़रमाया: **'इसकी वज़ाहत यूँ है कि एक हदीस में तर्जीअ का अदमे ज़िक्र इसका मुआरिज़ व मुख़ालिफ़ शुमार नहीं होगा क्योंकि जिसने याद किया है वह उस शख़्स के मुक़ाबले में हुज्जत व दलील है जिसने याद नहीं रखा और सिक़ह की ज़्यादती (इज़ाफ़ा) मक़बूल होती है। हाँ, अगर वह तर्जीअ की नफ़ी की सराहत करते तो तब ये मुआरिज़ होती (लेकिन नफ़ी की सराहत मौजूद नहीं है) इसके साथ साथ ये उसूल भी है कि मुस्बत नफ़ी पर मुक़द्दम होता है।'** (मिरक़ातुल मफ़ातीह: 2/335)

ग़ौर फ़रमाइये! उसूली बात है: अगर एक चीज़ एक हदीस़ में ज़िक्र नहीं होती तो उसके ये मानी नहीं कि सिरे से उसका वुजूद ही नहीं होता बल्कि कुछ औक़ात यूँ होता है कि वह चीज़ किसी दूसरी हदीस़ में मज़्कूर होती है, या कभी हदीस़ में इख़्तिसार और कभी इज्माल होता है तो मुख़्तसर और मुजमल हदीस़ को तो बुनियाद नहीं बनाया जाता बल्कि जहाँ तक हो सके उसकी तमाम तफ़ासील और दलाइल को सामने रखा जाता है ताकि किसी हुक्म के शरई इस्तिम्बात व इस्बात में तिश्नगी न रहे और नुसूस से अला वजहिल् बसीरत इस्तिदलाल हो, लिहाज़ा किसी चीज़ के अन्दर नुक़्स और कमी की बजाये उसकी ज़्यादती क़ाबिले इल्तिफ़ात होती है। उसूल से इसकी ताईद होती है।

अलग़र्ज़! ये वह बुनियादी इश्कालात हैं जो अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन पेश करते हैं लेकिन हक़ीक़त ये है कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं, सिर्फ़ क़यास आराइयाँ या कुछ एहतिमालात हैं जिनकी वजह से एक मुसल्लम अमल या मसनून तरीक़-ए-अज़ान का इन्कार या उसकी सुन्नियत से इन्हिराफ़ दुरुस्त नहीं, मज़ीद तसल्ली के लिये तोहफ़तुल अह्वजी: 1/485, 488, हदीस़: 191 देखी जाये। साहिबे तोहफ़ा: 1/486) कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन ने अहादीसे अबू महज़ूरा का जवाब देने की सई ग़ैर मशकूर की हैं उनके सब जवाब मख़्दूश हैं वह फ़रमाते है: '**अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन ने इन अहादीस़ का जवाब दिया है लेकिन तमाम जवाबात मख़्दूश और इन्तिहाई कमज़ोर हैं और हक़ ये है कि दोनों तरीक़े ही मशरूअ व मसनून हैं।**' मज़ीद देखिये: (मिरआतुल मफ़ातीह: 1/422) यही वजह है कि कुछ उलम-ए-अहनाफ़ ने भी अज़ाने तर्जीअ के मसनून होने का या अदमे कराहत का ऐतराफ़ किया है जैसा कि मुल्ला अली क़ारी और मौलाना अनवर शाह कशमीरी की तसरीहात गुज़रीं।

✧ **फ़ज्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहने की मशरूइयत:** फ़ज्र की अज़ान में हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद दो दफ़ा '**अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम**' कहना मसनून और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीम है। ये अहदे नबूवत के बाद की ईजाद या पैदावार नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते या बावर कराते हैं:

(1) अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: '**ये सुन्नत है कि जब मुअज़्ज़िन अज़ाने फ़ज्र में हय्य अलल फ़लाह कहे तो (उसके बाद) अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहे।**' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 386, व सहीह व सुनन दारक़ुतनी: 1/536, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/423 व क़ाल: इस्नादु सहीह)

शरह मआनिल आसार: (1/137) में ये हदीस़ इन अल्फ़ाज़ से मरवी है: '**सुबह की नमाज़**

(कि अज़ान) में जब मुअज़्ज़िन हय्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम दो मर्तबा कहता।' (तल्ख़ीसुल हबीर: 1/358, इमाम इब्ने अस्सकन ने इसे सहीह क़रार दिया है)

अल्लामा तहावी (ﷺ) ने इसी सनद से ये रिवायत शरह मुश्किल अल आसार (15/365, हदीस: 6084) में इन अल्फ़ाज़ से ज़िक्र फ़रमाई है, सय्यदना अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'सिर्फ़ सुबह की नमाज़ में कहा जाता, जब मुअज़्ज़िन हय्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम दो दफ़ा कहता।'** (शैख़ शुऐब अरनाउत ने इसकी सनद को सही अला शर्तिश्शैख़ैन क़रार दिया है)

शैख़ अल्बानी (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'इसकी सनद सही है, अगर इसमें हुशैम का अनअना न होता, फिर मैंने सुनन दारक़ुतनी और सुनन बैहक़ी में इसका मुताबेअ पा लिया और इमाम बैहक़ी (ﷺ) ने कहा कि सनद सही है।'** (सुबुलुस्सलाम बितअलीकिल अल्बानी: 1/359)

(2) इसकी मशरूइयत की दूसरी दलील अबू महज़ूरा (ﷺ) की वह हदीस है जिसमें वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से तरीक़-ए-अज़ान सीखने की दरख़्वास्त करते हैं: **'मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।'** तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन्हें तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान सिखाई। हदीस के आख़िर में है: **'अगर सुबह की नमाज़ (के लिये अज़ान) हो तो कहो: अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम (नमाज़ नींद से बेहतर है। नमाज़ नींद से बेहतर है।)'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 500, व मुसनद इमाम अहमद: 3/408, 409 सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/421, 422)

अबू दाऊद के दूसरे तरीक़ के अल्फ़ाज़ ये हैं: **'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम सुबह की पहली अज़ान में कहो।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 501)

सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: (1/201) हदीस: 375 में (فِي الْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ) के अल्फ़ाज़ हैं। ये हदीस सुनन बैहक़ी: (1/423) में भी है और सही है। एक दूसरी सनद से मरवी अल्फ़ाज़ यूँ हैं: **'अबू महज़ूरा(ﷺ) (अज़ान) फ़ज्र में ' अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम' कहा करते थे।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504)

(3) तीसरी हदीस इब्ने उमर (ﷺ) की है, वह फ़रमाते हैं: **'पहली अज़ान में हय्य अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ कहे जाते थे।'** (शरह मआनिल आसार: 1/137, व मुश्किलुल आसार: 15/364, सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/423) हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने इसकी सनद को हसन कहा है। (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 1/359) मुश्किलुल आसार के मुहक़्क़िक़ शैख़ शुऐब ने इसकी सनद क़वी क़रार दी है।

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसकी सनद जय्यिद क़रार दी है। (सुबलुस्सलाम बतअलीक़ अल्बानी: 1/360), और इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से भी ये मन्क़ूल है कि उन्होंने अपने मुअज़्ज़िन को कहा कि: '**जब तुम फ़ज्र की अज़ान में हय्य अलल फलाह पर पहुँचो तो अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहो।**' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/423, व सुनन दारक़ुतनी: 1/537)

साहिबे अत्तिब्यान फ़ी तख़रीज व तबवीब अहादीस बुलूग़ुल मराम ने इसकी सनद क़वी क़रार दी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) ने इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से मुअ़ल्लक़न इनका अपना फ़ेअ़ल नक़ल किया है। (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 198) और इसमें ये सराहत है कि वह ये कलिमात नमाज़े फ़ज्र में कहा करते थे।

(4) चौथी दलील सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) की हदीस है। इसमें अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद के ख़्वाब का ज़िक्र है, ये ख़्वाब सुन कर आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '**इन्शाअल्लाह ये सच्चा ख़्वाब है, फिर आपने इसी तरीक़े से अज़ान देने का हुक्म फ़रमाया। सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) अबू बक्र(رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा गुलाम थे, ये अज़ान दिया करते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ की तरफ़ बुलाते। रावी कहता है: (एक दफ़ा) बिलाल आये और आप (ﷺ) को सुबह के वक़्त (नमाज़) फ़ज्र की तरफ़ बुलाया। उन्हें कहा गया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) सोये हुए हैं। रावी ने कहा: तो बिलाल (رضي الله عنه)ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा। सईद बिन मुसय्यब फ़रमाते हैं: (उस वक़्त से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज्र (कि अज़ान) में दाख़िल कर लिये गये।**' (मुसनद इमाम अहमद: 4/42, 43)

इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लिस रावी हैं और अ़न से बयान करते हैं। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) इस मज़्कूरा रिवायत के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: फिर मैंने बैहक़ी में बसनद सही सईद बिन मुसय्यब से इसका एक दूसरा तरीक़ पा लिया .... (इमाम ज़ोहरी फ़रमाते हैं:) तो सईद बिन मुसय्यब ने अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद का क़िस्सा और उसका ख़्वाब बयान किया यहाँ तक कि उन्होंने फ़रमाया: फिर बिलाल ने अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम का इज़ाफ़ा फ़रमाया, वह इस तरह कि जब बिलाल पहली अज़ान दे कर रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आये तो उन्हें कहा गया कि आप (ﷺ) सो रहे हैं।

सुनन बैहक़ी में इससे आगे ये अल्फ़ाज़ हैं: '**तो बिलाल ने बुलन्द आवाज़ से 'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम' की मुनादी की, लिहाज़ा नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में ये अल्फ़ाज़ मुक़र्रर कर दिये गये।**' (सुनन अल कुब्रा, लिल बैहक़ी: 1/423)

इन सही अहादीस़ से स़ाबित हुआ कि फ़ज्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहना सुन्नत है। ये बिदअत है न ग़ैर मशरूअ जैसा कि कुछ का ख़्याल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो। (अस्सैलुल जर्रार: 1/447)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्नुल मुबारक और अहमद ने जो तफ़्सीर बयान की है कि **'तस्वीब से मुराद ये है कि मुअज़्ज़िन फ़ज्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहे, यही क़ौल सही है, अहले इल्म ने इसे पसन्द किया है और ये उनकी राय है।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 198)

कुछ लोग कहते हैं कि इन कलिमात का आग़ाज़ दौरे फ़ारूक़ी में हुआ। इससे पहले ये कलिमात अज़ाने फ़ज्र में दिये जाते थे और दलील के तौर पर हस्बे ज़ेल अस़र पेश करते हैं:

इमाम मालिक (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि उन्हें ये ख़बर पहुँची है कि मुअज़्ज़िन आया और उमर फ़ारूक़(رضي الله عنه) को सुबह की नमाज़ की अज़ान देने लगा क्योंकि वह सोये हुए थे। तो उसने कहा: अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम। उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) ने हुक्म ये कलिमात सुबह की अज़ान में कहा करो। (अलमौता लिल इमाम मालिक: 1/72, नुस्ख़ा, फ़वाइद) ये अस़र इमाम मालिक की बलाग़ात में से हैं शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'ये अस़र मुअज़ल या मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है।'** (तहक़ीक़ हिदायतुर्रुवात: 1/313)

उमर फ़ारुक (رضي الله عنه) से बिल फ़र्ज़ अगर ये बात सनदन स़ाबित भी हो तो तब भी इसकी तौजीह और उनका मक़स़द यही है कि इन कलिमात का अस़ल महल सुबह की अज़ान ही है जैसा कि अहादीस़ से स़ाबित है, इन अलफ़ाज़ को अज़ान ही में कहा करो जबकि दीगर औक़ात में इन कलिमात का इस्तिमाल, ख़्वाह किसी को मुतनब्बह करने के लिये ही क्यूँ न हो, जायज़ नहीं, इसलिये हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने इसे बतौर ख़ास़ तल्क़ीन फ़रमाई। वल्लाहु आलम!

अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहने का अस़ल महल: राजेह बात ये है कि ये कलिमात तुलूअे फ़ज्र के - --, सुबह की अज़ान में दो मर्तबा हय्य अलल फ़लाह के बाद कहे जायें। ये जुम्हूर उलमा का मौक़िफ़ हैं दलाइल व क़राइन की रोशनी में यही मौक़िफ़ अक़रब अलस्सवाब है।

इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) के कलाम से भी बज़ाहिर इसकी ताइद होती है। वह फ़रमाते हैं: **'अगर मुअज़्ज़िन नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम का इज़ाफ़ा करे तो ये अच्छा है।'** (अल महल्ली: 3/150)

फ़ज्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मशरूइयत व सुन्नियत का इस्बात करते हुए इमाम तहावी (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'ये इब्ने उमर और अनस (ﷺ) ख़बर देते हैं कि इन कलिमात के साथ मुअज़्ज़िन सुबह की अज़ान दिया करता था, लिहाज़ा इससे जो हमने मुद्दआ ज़िक्र किया, साबित हो गया (यानी इसकी मशरूइयत) ये अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद (ﷺ) का क़ौल है।'** (शरह मआनिल आसार: 1/137)

शरह मुश्किलुल आसार में फ़रमाते हैं: **'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के सुबह की अज़ान में कहने का वुजूब साबित हो गया जिस तरह हमने कहा है जैसा कि इन आसार व रिवायात में है।'** (मुश्किलुल आसार: 15/267)

इमाम नववी (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'हम ज़िक्र कर चुके हैं कि तस्वीब (अस्सलात ख़ैरुम्मिनन्नौम) कहना सुबह की अज़ान में मसनून है।'** (वल मौजूअ शरह अल्मुहज्जब: 3/102)

इमाम इब्ने क़ुदामा फ़रमाते हैं: **'मुअज़्ज़िन को सुबह की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम दो मर्तबा कहना चाहिए।'** (अल मुग़नी: 1/453)

इस क़ौल की शरह में इमाम इब्ने तैमिया (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'ये इसलिये कि सुबह का वक़्त लोगों की नींद का वक़्त होता है तो (शारेअ (ﷺ) की तरफ़ से) उस वक़्त इन कलिमात का इज़ाफ़ा मुस्तहब समझा गया, दीगर नमाज़ों के बरख़िलाफ़, मुअज़्ज़िन ख़्वाह अन्धेरे में अज़ान दे या रोशनी होने पर, बराबर है क्योंकि फ़िल जुम्ला उस वक़्त नींद का गुमान होता है।'** (शरह अल्उम्दतु लिशैख़िल इस्लाम: 2/109)

इमाम शौकानी (ﷺ) इन कलिमात की मशरूइयत बयान करते हुए फ़रमाते हैं: **'इसके मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहादीस मरवी हैं, कुछ सही, कुछ हसन दर्जे की और कुछ ज़ईफ़, इसलिये इसे बिदअत कहने की कोई सूरत नहीं और ये नमाज़े फ़ज्र के साथ ख़ास है ....'** (अस्सैलुल जर्रार: 1/448)

इन अइम्म-ए-मुहक़्क़िक़ीन के कलाम से मालूम हुआ कि इन अल्फ़ाज़ का असल महल नमाज़े फ़ज्र की अज़ान है। इस मौक़िफ़ के मज़ीद सरीह दलाइल ज़िक्र करने से पहले दूसरे मौक़िफ़ के हामिलीन का नुक़्त-ए-नज़र बयान करना मुनासिब मालूम होता है जिनके नज़दीक अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम का असल महल फ़ज्र की पहली अज़ान है जिसे उर्फ़े आम में अज़ान सहरी या अज़ाने तहज्जुद कहा जाता है। इनके बक़ौल, दूसरी अज़ान, यानी नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में, इन कलिमात का कहना मशरूअ व

मसनून नहीं। ये मौक़िफ़ अ़ल्लामा इब्ने रसलान, अ़ल्लामा सनआनी और मुहद्दिस अलअ़स्र शैख़ नासिरूद्दीन अल्बानी (رحمہم اللہ) वग़ैरह का है। (सुबुलुस्सलाम बितअ़लीक़िल अल्बानी: 1/359, 360)

✧ हामिलीने मौक़िफ़े हाज़ा के दलाइल:

(1) अबू महज़ूरा (ﷺ) की हदीस़ में ये तस़रीह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें दोहरी अज़ान सिखाई और इसमें ये वज़ाहत भी मौजूद है: **'जब सुबह की पहली अज़ान हो तो उस वक़्त अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहना।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 501, व सुनन नसाई, हदीस़: 634) तहावी में इन अल्फ़ाज़ से मरवी है: **'सुबह की अज़ान अव्वल में रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें ये कलिमात सिखाये।'** (शरह मआनिल आसार: 1/137, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/422)

(2) अबू महज़ूरा (ﷺ) का फ़ेअ़ल भी अज़ाने अव्वल ही में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहने का है। फ़रमाते हैं: **'मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में अज़ान दिया करता था और फ़ज्र की पहली अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहता ....'** (सुनन नसाई, हदीस़: 648, व शरह मुश्किलुल आस़ार: 15/363, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/422)

(3) इब्ने उ़मर (ﷺ) की हदीस़ है, वह फ़रमाते हैं:

(كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ)

(शरह मआनिल आसार: 1/137, व शरह मुश्किलुल आस़ार: 15/364, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/423)

इमाम सनआनी वग़ैरह का इस्तिदलाल ये है कि इन मज़्कूरा रिवायात में अज़ाने अव्वल की क़ैद है, इसलिये जो रिवायात मुत्लक़, यानी बिला क़ैद हैं उन्हें इस तक़यीद पर महमूल किया जायेगा, नीज़ अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मशरूइयत की वजह भी ये है कि इसके ज़रिये से सोये हुए लोगों को जगाया जाये। उनके बक़ौल तुलूअ़े फ़ज्र के बाद की अज़ान में इन कलिमात की मशरूइयत नहीं है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सुबुलुस्सलाम: 1/359, 360)

(4) इस मौक़िफ़ की दलील में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मशरूइयत के तहत मुन्दरजा चौथी हदीस़ को भी पेश किया जाता है। इसके लिए गुज़िश्ता सफ़हात मुलाहिज़ा फ़रमाइये। इसमें महल्ले इस्तिशहाद दर्जे ज़ेल अल्फ़ाज़ हैं: (أَنَّ بِلَالًا أَتَى بَعْدَمَا أَذَّنَ التَّأْذِينَةَ الْأُولَى ......)

✧ **पहले मौक़िफ़, यानी नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में इन कलिमात की मशरूइयत के दलाइल:** बिलाशुबहा मुत्लक़ रिवायात मुक़य्यद पर महमूल होती हैं लेकिन ये भी हक़ीक़त है कि मुख़्तलिफ़ तुरुक़ व रिवायात की रोशनी में किसी मसले की नौइयत या उसके दुरुस्त मफ़हूम का तअय्युन होता है। यहाँ इसी उसूल को मद्दे नज़र रखा जायें इस तौर से देखा जाये तो मुख़्तलिफ़ रिवायात के पेशे नज़र पता चलता है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में कहना मसनून है जो अहदे रिसालत के ऐतबार से सुबह की दूसरी अज़ान है।

(1) सय्यदना अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं: (مَا كَانَ التَّثْوِيبُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ) यहाँ (إِلَّا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ) में हस्र है। (शरह मुश्किलुल आसार: 15/365) सलातुल ग़दात के हक़ीक़ी और मुतबादिर मआनी नमाज़े फ़ज्र के हैं। अबू बरज़ा(ﷺ) की हदीस में है: **'आप (ﷺ) सुबह की नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग़ होते जब आदमी अपने साथ बैठे आदमी को पहचान लेता।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 547)

ताजुल उरूस में भी सलातुल ग़दात के मानी सलातुस्सुबह ही के दिये गये हैं जिससे मालूम हुआ कि अज़ाने अव्वल से मुराद फ़ज्र की अज़ान है, इसे इक़ामत के मुक़ाबले में अव्वल क़रार दिया गया है क्योंकि शरीयत में इक़ामत को भी अज़ान कहा जाता है, इसलिये कि ये नमाज़ खड़ी होने की इत्तिला का ज़रिया होती है।

क़ुर्आन मजीद में है: **'और आप उन लोगों को मत दूर करें जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं।'** (अल अन्आम: 52) सईद बिन मुसय्यब , मुजाहिद, हसन और क़तादा(رحمهم الله) फ़रमाते हैं कि इससे फ़र्ज़ नमाज़ मुराद है। (इब्ने कसीर)

इमाम मुजाहिद से ये क़ौल भी मन्क़ूल है कि इससे सुबह और अस्र की फ़र्ज़ नमाज़ें मुराद हैं। (फ़तहुल क़दीर, 2/171) जबकि तहावी में ये अल्फ़ाज़ हैं: **'सुबह की नमाज़ में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा जाता था।'** (शरह मआनिल आसार: 1/137)

(2) इन अल्फ़ाज़ की मशरूइयत के हवाले से अबू महज़ूरा की रिवायत गुज़री है इसमें इन कलिमात के बारे में ये तसरीह मौजूद है। **'अगर सुबह की नमाज़ हो (तो तब ये कलिमात कहने हैं।)'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 500) सलातुस्सुबह **'सुबह की नमाज़'** के मुतबादिर मानी तुलूअे फ़ज्र के बाद फ़र्ज़ नमाज़ ही के हैं। इससे भी इन कलिमात के महल का तअय्युन होता है।

इस मौक़िफ़ की तक़वियत के लिये एक क़रीना ये भी है कि अबू महज़ूरा (ﷺ) इन मज़्कूरा कलिमात को पहली अज़ान में कहने के पाबन्द थे और वह ये कलिमात कहते थे जैसा कि सराहत है: (وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504)

सवाल ये है कि क्या इस हदीस़ में (فِی الْأُوْلٰی مِنَ الصُّبْحِ) अज़ाने अव्वल से मुराद वाक़ेई अज़ाने सहरी है जो हक़ीक़त में सोये हुओं को बैदार करने या क़याम करने वालों के लिये इस्तिराहत (आराम) वग़ैरह के लिये पलटने की एक इत्तिला हुआ करती थी? या इससे मुराद नमाज़े फ़ज्र की अज़ान है? जो तुलूअे फ़ज्र के बाद होती है और इसे अज़ाने अवल, इक़ामत के मुक़ाबले में कहा गया है क्योंकि शरीयत में तकबीर को भी एक लिहाज़ से अज़ान कहा गया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'हर दो अज़ानों के बीच नमाज़ है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624) गोया हर अज़ान और तकबीर के दरम्यानी वक़्फ़े में कम अज़ कम दो रकअत नमाज़ पढ़ना मशरूअ है।

स़ानियन -क्या मक्के में अबू महज़ूरा (ؓ) तुलूअे फ़ज्र से पहले, यानी अज़ाने सहरी दिया करते थे? और क्या इस हदीस़ (فِی الْأُوْلٰی مِنَ الصُّبْحِ)के अलावा भी किसी दूसरी स़रीह दलील या क़रीने से इस मौक़िफ़ की ताईद होती है? अगर अबू महज़ूरा (ؓ) पहली अज़ान दिया करते थे तो फिर दूसरी अज़ान कौन देता था? ये कुछ इश्कालात हैं।

जहाँ तक इसकी तस़रीह और दूसरे मुअज़्ज़िन की तअय्युन की बात है तो बज़ाहिर इसका मुस्तनद ज़रिये से अस़्बात मुश्किल है। कुतुबे सियर व फ़िक़्ह में रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िनों के हवाले से जो ज़िक्र हुआ है, वह ये है कि मदीने में बिलाल बिन रबाह और अम्र बिन उम्मे मक्तूम अज़ान दिया करते थे। क़ुबा में सअद अलक़ुर्ज़ (जबकि ये सनदन ज़ईफ़ है) और मक्का में सिर्फ़ अबू महज़ूरा .... (ؓ).

इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) अपनी तहक़ीक़ का ख़ुलास़ा पेश करते हुए फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के चार मुअज़्ज़िन थे, दो मदीने में और वह थे बिलाल बिन रबाह, ये वह पहले शख़्स़ हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में सबसे पहले अज़ान दी, और दूसरे अम्र बिन उम्मे मक्तूम क़ुरशी। क़ुबा में अम्मार बिन यासिर के आज़ादकर्दा ग़ुलाम सअद अल क़ुर्ज़ और मक्का में अबू महज़ूरा औस बिन मुग़ीरा थे .... (ؓ) ..... इनमें से तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान व इक़ामत अबू महज़ूरा (ؓ) कहा करते थे। (ज़ादुल मआद: 1/124, बतहक़ीक़ शुऐब अरनाउत)

मुमकिन है कोई कहे: अद्मे ज़िक्र अद्मे वुजूद को मुस्तल्ज़म (लाज़िमी) नहीं, यानी अबू महज़ूरा(ؓ) के साथ दूसरे मुअज़्ज़िन के अदमे ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि दूसरा मुअज़्ज़िन था ही नहीं लेकिन ये बात कमज़ोर लगती है, चूंकि अज़ान इबादत और इस्लाम का एक अहम शिआर है, इसलिये अगर मक्के में तुलूअे फ़ज्र से पहले अबू महज़ूरा (ؓ) पहली अज़ान दिया करते या उनकी मौजूदगी में ये अज़ान हुआ करती थी तो ज़रूर मन्क़ूल होती और इसका ज़िक्र मिलता जैसा कि मदीने में

रसूलुल्लाह (ﷺ) के दो मुअज़्ज़िनों बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम (رضی اللہ عنہ) का वाज़ेह बयान मिलता है, और ये भी कहा जा सकता है कि वह ख़ुद ही दोनों अज़ानें दे लिया करते और पहली में ये कलिमात कह लेते होंगे लेकिन पहले एहतिमाल की तरह ये भी कमज़ोर है और एहतिमाल बराये एहतिमाल है। अगर ऐसा होता तो यक़ीनन नक़ल होता अगरचे सहरी की अज़ान की मशरूइयत अपनी जगह मुसल्लम है।

लिहाज़ा जब हक़ीक़त ये है तो यक़ीनी तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ हदीस़ में मन्क़ूल अल्फ़ाज़ (فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ يا فِي الْأَوَّلِ) से तुलूअे फ़ज्र के बाद वाली दूसरी अज़ान ही मुराद है क्योंकि मक्का में अज़ान देने के मुताल्लिक़ सिर्फ़ उन्हीं का ज़िक्र मिलता है, और तकबीर के मुक़ाबले में अज़ाने फ़ज्र पर अज़ान अव्वल का इस्तेमाल अहदे रसूल में मारूफ़ था।

मज़्कूरा इस्तेलाह या '**अज़ाने अव्वल**' के इस मानी में इस्तेमाल की मज़ीद तौसीक़ व तस्दीक़ मन्दरजा ज़ेल अहादीस़ से भी होती है।

अबू इस्हाक़ कहते हैं: '**मैंने असवद बिन यज़ीद से उस हदीस़ के मुताल्लिक़ पूछा जो उन्हें सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ बयान फ़रमाई है। फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) रात की अव्वल हिस्से में सोते और आख़िरी हिस्से में जागते, फिर अगर आप(ﷺ)को अपनी अहलिया से कोई हाजत होती तो पूरी फ़रमा लेते, फिर सो जाते। जब पहली अज़ान का वक़्त होता, सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) ने फ़रमाया: तो फ़ौरन उठते ..... अल्लाह की क़सम! उन्होंने (सिर्फ़) ये नहीं फ़रमाया कि उठते (बल्कि 'फ़ौरन उठते' फ़रमाया) ..... फिर अपने ऊपर पानी बहाते ..... अल्लाह की क़सम! उन्होंने ये नहीं फ़रमाया कि गुस्ल फ़रमाते और मैं उनकी मुराद को जानता हूँ (यानी पानी बहाने से मुराद गुस्ल करना ही था)..... अगर आप (ﷺ) जुन्बी न होते तो नमाज़ के लिये वुज़ू करने वाले इन्सान का सा वुज़ू कर लेते, फिर (फ़ज्र की) दो रकअतें (बतौर सुन्नत) अदा फ़रमाते।**' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 739, व मुसनद इमाम अहमद: 6/102, वल मोसुअतुल हदीस़ीया मुसनद इमाम अहमद: 41/233)

सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से मन्क़ूल दूसरे तरीक़ के अल्फ़ाज़ ये हैं: '**जब मुअज़्ज़िन नमाज़े फ़ज्र की अज़ान से ख़ामोश होता और तुलूअे फ़ज्र वाज़ेह हो चुकी होती और मुअज़्ज़िन आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो चुका होता, आप उठते और हल्की सी दो रकआत अदा फ़रमाते, फिर दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन इक़ामत के लिये आ जाता।**' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: (122)-736)

असवद बिन यज़ीद से मरवी मज़्कूरा हदीस में (الاذان الاول) के अल्फ़ाज़ हैं। इस अज़ाने अव्वल से कौन सी अज़ान मुराद है? सियाक़े हदीस से बिल यक़ीन साबित होता है कि यहाँ ये इक़ामत के मुक़ाबले में है। सय्यदा आयशा (ﷺ) ने अज़ाने अव्वल, तुलूअे फ़ज्र के बाद होने वाली अज़ान को और अज़ाने सानी इक़ामत को क़रार दिया है। मालूम हुआ ये इस्तेमाल मारूफ़ व मानूस था।

बवास्त-ए-ज़ोहरी अन उर्वा सय्यदा आयशा (ﷺ) से ये अल्फ़ाज़ मरवी है:'**जब मुअज़्ज़िन नमाज़े फ़ज्र की पहली अज़ान से ख़ामोश होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उठते और अच्छी तरह तुलूअे फ़ज्र वाज़ेह होने के बाद नमाज़े फ़ज्र से पहले दो हल्की सी रकअतें अदा फ़रमाते, फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन इक़ामत के लिये आ जाता।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 626)

और सहीह बुख़ारी ही में ये हदीस: (हदीस:1170) में इन अल्फ़ाज़ में मरवी है: '**फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो दो ख़फ़ीफ़ सी रकअतें अदा फ़रमाते।**' सहीह मुस्लिम के अल्फ़ाज़ हैं: (हदीस: (122)-736) सुनन अबू दाऊद में है: '**जब मुअज़्ज़िन नमाज़े फ़ज्र की पहली अज़ान देकर ख़ामोश होता।**' (सुनन अबू दाऊद, हदीस: 1336) यानी आप फ़ज्र की दो हल्की सी सुन्नतें अदा फ़रमा लेते। ये हदीस सुनन नसाई (हदीस: 686) में भी है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत में बसराहत अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ इक़ामत के मुक़ाबले में, नमाज़े फ़ज्र की अज़ान पर किया गया है:'**तो जब मुअज़्ज़िन नमाज़े सुबह की पहली अज़ान देकर ख़ामोश हो जाता।**' (सुनन इब्ने माजा: 1358)

सय्यदा आयशा (ﷺ) ने इस हदीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ियामुल लैल के हवाले से बयान फ़रमाया है और इसके ज़िम्न में नमाज़े फ़ज्र की दो सुन्नतों का भी ज़िक्र फ़रमा दिया।

ग़ौर फ़रमाइये! इस हदीस में सय्यदा आयशा (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र की अज़ान पर अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ किया है जिसके साफ़ मानी ये हैं कि ये इस्तेमाल मारूफ़ व मशहूर था। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं:'**ऊला से मुराद वह अज़ान है जो (तुलूअे फ़ज्र के वक़्त) दुख़ूले वक़्त पर दी जाती है, ये इक़ामत के ऐतबार से पहली है।**' (फ़तहुल बारी: 2/109, तहत हदीस: 626)

ताबेईन के यहाँ भी अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ ब'मुक़ाबिल-ए-इक़ामत, अज़ान पर होता था। बवास्त-ए-अब्दुर्रज़्ज़ाक़, इब्ने जुरैज से मरवी है, वह फ़रमाते हैं कि मैंने अता से पूछा: '**जिसने हालते इक़ामत में तकबीर सुन ली और पहली, यानी अज़ान न सुनी (तो क्या करे?) उन्होंने जवाब दिया: अगर उसे ग़ालिब गुमान हो कि वह नमाज़ पा लेगा तो ज़रूर आये।**' (अल मुसन्नफ़ लि अब्दिर्रज़्ज़ाक़: 1/500)

उनका यही फ़तवा (सफ़ा: 496) में तफ़्सीलन मज़्कूर है इसमें इमाम अता फ़रमाते हैं: **'पहली अज़ान सिर्फ़ इसलिये होती है कि लोग मुतलअ (ख़बरदार) हो जायें।'** (यहाँ भी अता (رحمه الله) ने इक़ामत के ऐतबार से अज़ान को अज़ाने अव्वल क़रार दिया है।

नुऐम बिन नह्हाम फ़रमाते हैं: **'एक ठण्डी सुबह मैं अपनी बीवी के साथ उसकी चादर में लेटा हुआ था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने सुबह की नमाज़ के लिए अज़ान देना शुरू कर दी। जब मैंने अज़ान सुनी तो कहा: काश ये कलिमात (भी) कह दे, और जो बैठा रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। कहते हैं: जब उसने अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा तो (उसके बाद) कहा: और जो बैठा रहे उस पर कोई हर्ज नहीं।'**(सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/423, वल मुसन्नफ़ लि अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 1/501, हदीस: 1926)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इसकी सनद को सही कहा है। (फ़तहुल बारी: 2/99) जबकि इमाम इब्ने अब्दुल बर्र ने अल इस्तीआब में इनसे रिवायत करने वाले मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस के उनसे अद्मे सिमाअ का गुमान ज़ाहिर किया है। (ما أظنه سمع من نعيم) (अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 29/454)

लेकिन ये हदीस मुख़्तलिफ़ तुरुक और मुताबिआत की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (उनैस अन्सारी फ़ी तख़रीज व तहक़ीक़ अहादीसुल्लती ज़करहा अलहाफ़िज़ इब्ने हजर फ़ी फ़तहुल बारी: 1/470, हदीस: 319)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे क़वी क़रार दिया है। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 2/342) जबकि मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि मैंने ख़्वाहिश की कि काश (صلوا في رحالكم) कह दे, लिहाज़ा जब उसने हय्य अलल फ़लाह कहा तो (صلوا في رحالكم) के कलिमात कह दिये।

इस हदीस में कोई इब्हाम (शक व शुब्हा) नहीं। इसमें इस बात की सराहत है कि मुअज़्ज़िन ने अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में कहे थे, इसी लिये नुऐम बिन अब्दुल्लाह नह्हाम ने ये ख़्वाहिश की कि काश मुअज़्ज़िन रुख़्सत के कलिमात, यानी (صلوا في رحالكم) कह दें अगर ये तुलूअे फ़ज्र से पहले की अज़ान, यानी सहरी की अज़ान होती तो नुऐम (رضي الله عنه) क़तअन मज़्कूरा तमन्ना न करते।

इस मौक़िफ़ की मज़ीद ताईद सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) की मन्दरजा ज़ेल हदीस से भी होती है, ये हदीस **'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मशरूइयत'** के तहत हदीस: 4 में गुज़र चुकी है। इसमें ये अलफ़ाज़ भी हैं: **'तो बिलाल आये और आप (ﷺ) को सुबह के वक़्त (नमाज़े) फ़ज्र की तरफ़**

बुलाया, उन्हें कहा गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सोये हुये हैं, रावी ने कहा: तो बिलाल(ﷻ) ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा। सईद बिन मुसय्यब ने कहा: (उस वक़्त से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज्र (की अज़ान) में दाख़िल कर लिये गये हैं।' (मुसनद इमाम अहमद: 4/43, 44)

सुनन बैहक़ी के दूसरे तरीक़ में कुछ यूँ वज़ाहत है: **'बिलाल (ﷻ) पहली अज़ान कह कर रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आये, उन्हें कहा गया कि आप सो रहे हैं। तो सय्यदना बिलाल (ﷻ) ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मुनादी की, लिहाज़ा नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में ये कलिमात मुक़र्रर कर दिये गये।'** (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/423) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसकी सनद सही क़रार दी है। (सुबुलुस्सलाम बितअलीकिल अल्बानी: 1/358)

सुनन इब्ने माजा में ये अलफ़ाज़ हैं: **'सय्यदना बिलाल (ﷻ) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको नमाज़े फ़ज्र की इत्तिला देने लगे तो कहा गया: आप तो सो रहे हैं, तो बिलाल ने अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा। (उस वक़्त से) ये कलिमात अज़ाने फ़ज्र में मुक़र्रर कर दिये गये और इसी पर ये मामला पक्का हो गया।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 716- शैख़ अल्बानी ने सही इब्ने माजा में इसे सही क़रार दिया है।)

मल्हूज़ा हदीस में (التَّأْذِينَةُ الْأُولَى) (पहली अज़ान) से मुराद तुलूअे फ़ज्र के बाद की अज़ान है, इस मफ़हूम की ताईद मन्दरजा ज़ेल क़राइन से होती है और वह हैं 'नमाज़े फ़ज्र की तरफ़' जैसा कि पहली हदीस में है। दूसरा (فَأُثَوِّبُ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ) तीसरा आख़िरी हदीस में है: (يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ) इसके हक़ीक़ी और मुतबादिर मानी वही हैं जो ऊपर ज़िक्र हुए, यानी तुलूअे फ़ज्र के बाद फ़र्ज़ नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में।

और बुख़ारी और मुस्लिम वग़ैरह की रिवायत से ये इशारा मिलता है कि मुअज़्ज़िन रसूलुल्लाह(ﷺ) को तुलूअे फ़ज्र के बाद अज़ान देकर नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आता था। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 736) ये हदीस इसी बहस में गुज़र चुकी है।

अलग़र्ज़! हदीसे बिलाल में इन मज़्कूरा कलिमात का मिस्दाक़ तुलूअे फ़ज्र के बाद की अज़ान है, इसलिये शैख़ अल्बानी (رحمه الله) वग़ैरह का सिर्फ़ अज़ाने अव्वल और (التَّأْذِينَةُ الْأُولَى) के अल्फ़ाज़ को बुनियाद बना कर उसे अज़ाने सहरी या तुलूअे फ़ज्र से पहले की अज़ान क़रार देना महल्ले नज़र है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमामुल मिन्नत, सफ़ा: 146-148)

✧ **एक और दलील और उसका जवाब:** सलातुर्रसूल के मुहक़्क़िक़ शैख़ अबू अब्दुल सलाम (हफिज़हुल्लाह) ने भी अपनी इस तहक़ीक़ में इस बात को तर्जीह दी है कि ये कलिमात अज़ाने अव्वल, यानी तुलूअे फ़ज्र से पहले की अज़ान में कहे जायें। इस मौक़िफ़ की ताईद में मज़ीद एक ताबेई का असर पेश किया है। ये असर, ताबेई कबीर सुवैद बिन ग़फ़ला (رحمه الله) का हैं इसमें है कि उन्होंने अपने मुअज़्ज़िन से कहा कि हय्य अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा करो क्योंकि ये बिलाल की अज़ान है।

इस असर की नस यूँ हैं:

(عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنِهِ إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ: "اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" فَإِنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ)

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 1/236)

इस असर की सनद के तमाम रावी सिक़ह और मारूफ़ हैं जैसा कि शैख़ अबू अब्दुस्सलाम (हफिज़हुल्लाह) ने भी फ़रमाया है। देखिये: (अल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 287)

वजहे इस्तिदलाल ये है कि ताबेई जलील सुवैद बिन ग़फ़ला (رحمه الله) ने अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के इज़ाफ़े समेत इसे अज़ाने बिलाल क़रार दिया है और बुख़ारी वग़ैरह की अहादीस में ये सराहत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है कि '**बिलाल रात को अज़ान देता है, लिहाज़ा खा पी लिया करो।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 617)

इस हदीस की रू से जब बिलाल (رضي الله عنه) रात के वक़्त तुलूअे फ़ज्र से पहले अज़ान देते थे तो ला'महाला अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के कलिमात भी वही कहते होंगे क्योंकि इसे अज़ाने बिलाल क़रार दिया गया है, लिहाज़ा मालूम हुआ कि बिलाल (رضي الله عنه) ये कलिमात, अज़ाने अव्वल में कहा करते थे। ये है इस्तिदलाल। बज़ाहिर ये इस्तिदलाल बड़ा वक़ीअ और मज़बूत लगता है लेकिन चन्द वजहों से कमज़ोर और क़तईयत का हामिल नहीं।

अव्वल - इस असर का हमारे मौज़ूअ से बसराहत ताल्लुक़ नहीं, वह इस तरह कि इसमें इन कलिमात के महल का तअय्युन नहीं कि क्या वह ये कलिमात तुलूअे फ़ज्र से पहले की अज़ान में कहा करते थे या तुलूअे फ़ज्र के बाद क्योंकि उन्होंने मुख़्तलिफ़ हालात में अज़ान दी है, कभी पहली और कभी दूसरी। हाँ, इससे सिर्फ़ ये मालूम होता है कि सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) अज़ान में ये कलिमात कहा करते थे। यूँ समझिये कि इससे इन कलिमात की मशरूइयत का इस्बात (सुबूत) होता है न कि महल का तअय्युन।

सानियन - शैख़ अबू अ़ब्दुस्सलाम (हफिजहुल्लाह) के अन्दाज़े इस्तिदलाल से यूँ लगता है कि सय्यदना बिलाल (ﷺ) अज़ाने सहरी ही दिया करते थे। तभी उनका मुद्दआ वाज़ेह हो सकता है जबकि हक़ीक़त में ऐसा क़तअन नहीं, सय्यदना बिलाल (ﷺ) से सही अहादीस की रोशनी में नमाज़े फ़ज्र की अज़ान देना भी साबित है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये:

(1) उनैसा (ﷺ) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दें तो खाओ पियो और जब बिलाल अज़ान दें तो मत खाओ पियो'** (सुनन नसाई, हदीस: 641, व मुसनद इमाम अहमद: 6/433, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 404, वग़ैरह)

मल्हूज़ा ये रिवायत कुछ दीगर तुरुक से भी मरवी है, जब ख़ुबैब बिन अ़ब्दुर्रहमान से इमाम शोबा बयान करते हैं तो शक के साथ रिवायत करते हैं: (إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ) जबकि मज़्कूरा रिवायत मन्सूर बिन ज़ाज़ान के तरीक़ से बिला शक व तर्दीद के बिल जज़्म मन्क़ूल है। शक का दारोमदार शोबा पर है जैसा कि इब्ने हजर (رحمه الله) ने इमाम इब्ने मुन्दा के हवाले से फ़तहुल बारी में ज़िक्र किया है। (फ़तहुल बारी: 2/102, तहत हदीस: 620)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ भी इमाम शोबा ही इस रिवायत में मुतरद्दिद हैं। शैख़ (رحمه الله) ने बवास्त-ए-मन्सूर मरवी जज़्म वाली रिवायत को तर्जीह दी है। (इर्वाउल ग़लील: 1/238)

बहरहाल इस रिवायत की सनद सही है जैसा कि सही सुनन नसाई वग़ैरह में शैख़ (رحمه الله) ने तसरीह फ़रमाई है। मज़ीद देखिये: (अलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 45/428)

अलग़र्ज़! मुद्दआ वाज़ेह है कि बिलाल (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र की अज़ान भी कहा करते थे।

(2) सय्यदा आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब अम्र बिन उम्मे मक्तूम अज़ान दें तो खाओ पियो, वह नाबीने शख़्स हैं। और जब बिलाल अज़ान दें तो अपने हाथों को (खाने से) उठा लो क्योंकि बिलाल सुबह (तुलूअे फ़ज्र) होने पर ही अज़ान कहते हैं।'** (मुसनद इमाम अहमद: 6/185, 186, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 406)

सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा के ये अल्फ़ाज़ हैं: (وَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ) इसकी सनद जय्यिद है जैसा कि इब्ने ख़ुज़ैमा की तहक़ीक़ में है। दूसरी सनद से आयशा (ﷺ) से ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं: **'जब अम्र बिन उम्मे मक्तूम अज़ान दें (तो खाते रहो) क्योंकि वह नाबीने हैं, लिहाज़ा वह तुम्हें धोखे में मुब्तला न करें (कि खाने से रुक जाओ और उसे तुलूअे फ़ज्र की अज़ान समझ बैठो)**

और जब बिलाल अज़ान दें तो कोई खाना न खाये।' इस मुख़्तलिफ़ तुरुक से मरवी हदीस़ से भी पता चला कि बिलाल (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र की अज़ान भी दिया करते थे। (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 408-हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने ये हदीस़ फ़तहुल बारी में भी ज़िक्र की है, देखिये: फ़तहुल बारी: 2/103, तहत हदीस़: 620)

✧ **एक इश्काल और उसका हल:** बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह की आम अहादीस़ में है कि बिलाल(ﷺ) तुलूअ़े फ़ज्र से पहले, रात की अज़ान, यानी अज़ाने सहरी दिया करते थे जो सोने वालों को जगाने और क़ियाम करने वालों को लौटाने और आराम करने के लिये होती थी, जबकि उनैसा वग़ैरह की अहादीस़ में ये है कि इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) ये अज़ान दिया करते थे और बिलाल दूसरी अज़ान देते थे। इब्ने अ़ब्दुल बर्र वग़ैरह ने इस ज़ाहिरी हदीस़ी इख़्तिलाफ़ की बिना पर इन रिवायात में क़ल्ब के वक़ूअ़ का दावा किया है। उनका कहना है कि इस मसले में दुरुस्त रिवायत बिलाल की है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) का रूझान भी आग़ाज़ में यही था और मज़्कूरा रिवायात को वह भी मक़्लूब ही समझते थे लेकिन इब्ने ख़ुज़ैमा की गुज़िश्ता स़रीह रिवायत मिलने के बाद उनका मौक़िफ़ बदल गया और उनका इन रिवायात में वहम का ख़दशा भी टल गया। ग़र्ज़ ये रिवायात स़ही हैं उनकी स़ेहत को मानते हुए इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (ﷺ) ने दोनों रिवायात के बीच ये तत्बीक़ दी है कि मुमकिन है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) की मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुख़्तलिफ़ ड्यूटियाँ लगाई हों, यानी दोनों रात की अज़ान बारी बारी देते हों। कभी बिलाल और कभी इब्ने उम्मे मक्तूम, लिहाज़ा इससे दोनों क़िस्म की रिवायात का ज़ाहिरी तआरुज़ रफ़ा (इख़्तिलाफ़ दूर) हो जाता है। (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/212)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि इब्ने ख़ुज़ैमा और ज़बई ने दोनों हदीस़ों के बीच तत्बीक़ दी है जिसका मा'हस़ल ये है कि एहतिमाल है कि अज़ाने सहरी, बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम के दरम्यान बारी बारी हो, और नबी-ए-अकरम (ﷺ) लोगों को बा'ख़बर कर देते हों कि इनमें से पहले की अज़ान रोज़ा रखने वाले पर कोई चीज़ हराम नहीं करती और न, दूसरी अज़ान के बरख़िलाफ़, नमाज़े फ़ज्र के दुख़ूले वक़्त पर ये दलालत करती है। इमाम इब्ने हिब्बान ने इसे बतौर एहतिमाल नहीं बल्कि बिल जज़्म ज़िक्र किया है। इमाम ज़िया वग़ैरह ने इनकी तर्दीद की है।

दूसरा क़ौल ये है कि अज़ान बारी बारी न थी बल्कि उनकी दो मुख़्तलिफ़ हालतें थीं। आग़ाज़ में जब अज़ान की मशरूइयत हुई तो बिलाल (ﷺ) अकेले ही अज़ान दिया करते थे और सुबह की अज़ान उस वक़्त तक न देते जब तक फ़ज्र तुलूअ़ न हो जाती, लिहाज़ा इसी मफ़्हूम पर उर्वा की रिवायत, जो वह बनी नज्जार की एक औ़रत से रिवायत करते हैं, महमूल की जायेगी। वह फ़रमाती हैं: बिलाल मेरे घर

(की छत) पर बैठ जाया करते, मदीने में ये सबसे ऊँचा धर था, जब सुबह को (तुलूअ होता) देखते तो अंगड़ाई लेते, फिर अज़ान कहते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 519) इसकी सनद हसन है। और बवास्त-ए-हुमैद सय्यदना अनस की हदीस़ कि एक साइल ने नमाज़ के वक़्त के मुताल्लिक़ पूछा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने तुलूअे फ़ज्र होने पर अज़ान दी। (सुनन नसाई, हदीस़: 643) इसकी सनद स़ही हैं फिर उनके बाद आप (ﷺ) ने इब्ने उम्मे मक्तूम को मुक़र्रर कर दिया, ये रात की अज़ान कहा करते थे और बिलाल (ؓ) बदस्तूर पहली हालत पर बरक़रार रहे, इसी तौजीह पर उनैसा वग़ैरह की हदीस़ महमूल होगी, फिर आख़िरकार इब्ने उम्मे मक्तूम की कमज़ोरी की वजह से उन्हें पीछे कर दिया और उनके साथ ऐसा आदमी मुतय्यन कर दिया जो उनके लिये तुलूअे फ़ज्र का ख़याल रखता और बिलाल की अज़ान रात के वक़्त मुक़र्रर होगी। इसका सबब वह था जो हदीस़ में बयान हुआ है कि उन्होंने फ़ज्र की अज़ान में एक मर्तबा ग़लती की और तुलूअे फ़ज्र से पहले ही अज़ान दे दी। नबी (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह लौटें और ये कहें: (أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ) '**ख़बरदार! बेशक बन्दा सो गया था।**' यानी नींद के ग़ल्बे की वजह से तुलूअे फ़ज्र वाज़ेह न हो सकी। ये हदीस़ अबू दाऊद वग़ैरह ने हम्माद बिन सलमा अ़न अय्यूब अ़न नाफ़ेअ अ़न इब्ने उ़मर के तरीक़ से मौसूल और मरफ़ूअ रिवायत की है, इस हदीस़ के रिजाल स़िक़ह और हाफ़िज़ हैं.... (फ़तहुल बारी: 2/103)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इस हदीस़ को क़वी क़रार दिया है, फ़रमाते हैं: '**ये तुरुक बाज़ बाज़ को वाज़ेह तक़वियत देते हैं।**' (फ़तहुल बारी: 2/103)

और इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**वल्लाहु आलम इसीलिये बिलाल का अज़ाने अव्वल देने पर तक़र्रुर हुआ।**'

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:'**इस हदीस़ की सनद मुस्लिम की शर्त के मुताबिक़ स़ही है, इसे इब्ने तुर्कमानी और हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने क़वी क़रार दिया है।**' (सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 542)

मज़्कूरा (امرأة بني نجار) वाली हदीस़ की सनद शैख़ अल्बानी ने हसन क़रार दी है। (सुनन अबी दाऊद, (मुफ़स्सल), हदीस़: 532)

अल मुख़्तस़र, अहादीस़ की रोशनी में इब्ने हजर (رحمه الله) की मज़्कूरा तस़रीह से मालूम हुआ कि बिलाल (ؓ)नमाज़े फ़ज्र की अज़ान भी कहा करते थे।

अल हास़िल: मज़्कूरा सुवैद बिन ग़फ़ला के अस़र से स़िर्फ़ अज़ाने बिलाल में इन कलिमात (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) की मशरूइयत का इस़्बात होता है, न कि पहली या दूसरी अज़ान में इसका

तअय्युन, इसलिये उसके लिए दूसरी सरीह रिवायात व क़राइन की ज़रूरत है और वह बि हम्दिल्लाह कुछ तफ़्सील से गुज़र चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौमनमाज़े फ़ज्र की अज़ान में कहा जाता था। वल्लाहु आलम!

मशाहीर उलम-ए-अरब का भी यही मौक़िफ़ है जैसा कि दर्ज ज़ेल सवाल, जवाब से वाज़ेह है।

एक साइल ने कहा: मैंने पढ़ा है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ फ़ज्र की पहली अज़ान में कहे जायें लेकिन दौरे हाज़िर में हम इन अल्फ़ाज़ को दूसरी अज़ान में सुनते हैं। उम्मीद है आप दलील के साथ वज़ाहत फ़रमायेंगे?

जवाब: इस जुम्ले को अज़ाने फ़ज्र में कहा जाये। अज़ाने फ़ज्र से मुराद वह अज़ान है जिसे तुलूअे फ़ज्र के बाद फ़र्ज़ नमाज़ के अदा करने के लिये कहा जाता है। अहादीस में जो ये आया है कि इसे अज़ाने अव्वल में कहा जाये तो ये अहादीस सही हैं लेकिन अव्वल से मुराद अज़ान है, जिसे इब्तिदा-ए-वक़्त में मीनार के पास कहा जाता है और इन अहादीस में अज़ाने सानी से मुराद इक़ामत है क्योंकि इक़ामत को भी अज़ान कहा जाता है जैसा कि हदीस में है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यानी अज़ान व इक़ामत के दरम्यान नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 838) देखिये: (फ़तावा इस्लामिया (उर्दू): 1/335, मतबूआ दारुस्सलाम, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/225)

✧ **असना-ए-अज़ान में अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम मु की मशरूइयत:** क्या बारिश की सूरत में ये रुख़सत है कि आदमी मस्जिद में हाज़िर न हो और घर ही में फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर ले? जी हाँ, रसूलुल्लाह(ﷺ)से बसनद सही इसकी रुख़सत साबित है।रसूलुल्लाह (ﷺ)ने अज़ान में (صلوا في رحالكم) कहला कर घर या अपनी मन्ज़िल में रह कर नमाज़ पढ़ने की रुख़सत दी है।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) वग़ैरह का यही फ़तवा है, नीज़ वह मज़्कूरा कलिमात की, असना-ए-अज़ान में, मशरूइयत के क़ाइल भी हैं जैसा कि हदीस से साबित होता है। इमाम अबू हनीफ़ा(رحمه الله) असना-ए-अज़ान में इसके क़ाइल नहीं, हामिलीने फ़िक़्हे हनफ़ी भी इसी मौक़िफ़ के क़ाइल हैं कि ये कलिमात अज़ान में न कहे जायें, दरआं हाल ये कि उनका मौक़िफ़ सही हदीस की रोशनी में मरजूह है। मौलाना अब्दुल हई लखनवी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:'**लेकिन ये रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपके सहाबा से बिल यक़ीन साबित है, इनमें से एक इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) हैं जैसा कि अबू दाऊद और बुख़ारी ने रिवायत किया है।**' (अत्तअलीक़ुल मुम्जिद, सफ़ा: 126)

✧ **मशरूइयत के दलाइल:** इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) वग़ैरह की अहादीस से बारिश के वक़्त इन कलिमात की मशरूइयत व सुन्नियत का सबूत मिलता है।

(1) हज़रत नाफ़ेअ फ़रमाते हैं: '**इब्ने उमर (ﷺ) ने मुक़ामे ज़ज्नान पर ठण्डी रात में अज़ान दी, फिर फ़रमाया: 'कि अपनी अपनी मनाज़िल में नमाज़ पढ़ लो।' फिर उन्होंने हमें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुअज़्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते कि वह अज़ान दे, फिर उसके बाद बहालते सफ़र ठण्डी या बारिश वाली रात में (صلوا في رحالكم) कहे, कि नमाज़ अपने अपने पड़ाव की जगह में पढ़ लें।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632, इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने यही हदीस, बाब अर्रुख़्सतु फ़िल्मतरि वल्इलाति अय्युसल्ली फ़ी रहलिही के तहत भी ज़िक्र की है। व सहीह मुस्लिम, हदीस: 697, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1062, व सुनन नसाई, हदीस: 655 अन मालिक अन नाफ़ेअ)

(2) अब्दुल्लाह बिन हारिस फ़रमाते हैं: '**इब्ने अब्बास (ﷺ) ने हमें कीचड़ वाले दिन ख़ुत्बा दिया तो जब मुअज़्ज़िन हय्य अलस्सलाह पर पहुँचा तो उसे हुक्म दिया कि वह अस्सलातु फिर रिहाल की मुनादी करे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ़ देखा तो इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: ये काम उस (मुअज़्ज़िन) ने किया है जो इस (मुअज़्ज़िन) से बेहतर है। और ये (जुम्ला) वाजिब है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 616)

सहीह बुख़ारी वग़ैरह की एक रिवायत में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: '**जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो तो हय्य अलस्सलाह न कहना बल्कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहना। तो लोगों ने इसे नापसन्द किया। इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: ये काम उस शख़्सियत (रसूलुल्लाह (ﷺ)) ने किया है जो मुझसे बेहतर है। बेशक जुमा वाजिब है और मैंने ये ना'पसन्द समझा है कि तुम्हें तंगी में मुब्तला करूं और तुम गीली मिट्टी और कीचड़ में चलो। और एक रिवायत में है कि मैंने ना'पसन्द किया है कि तुम्हें गुनाहगार करूं।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 901, अल अज़ान, हदीस: 668, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 699, मज़ीद देखिये: मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: 1/203)

अबू दाऊद की रिवायत में है: '**तुम कीचड़ और बारिश में चल कर आओ।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1066)

(3) अम्र बिन औस फ़रमाते हैं: '**क़बील-ए-सक़ीफ़ के एक आदमी ने हमें ख़बर दी है कि उसने बहालते सफ़र नबी-ए-अकरम (ﷺ) के मुअज़्ज़िन को बारिश वाली रात में सुना है कि वह कह रहा था: हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फ़लाह, सल्लू फ़ी रिहालिकुम।'** (सुनन नसाई, हदीस: 654)

(4) अबू मलीह अपने वालिद गिरामी के हवाले से बयान करते हैं: '**वह हुदैबिया के दिनों में नबी(ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुए। जुमे का दिन था और बारिश हो गई, इतनी कि**

उनके जूतों के तलवे भी न भीगे तो आप (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने अपने पड़ाव ही पर नमाज़ें पढ़ लें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1059, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 936)

(5) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: **'हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के हमराह एक सफ़र पर निकले तो हम पर बारिश हो गई। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो तुममें से चाहता है वह अपने पड़ाव ही पर नमाज़ पढ़ ले।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 698)

(6) मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस तैमी नुऐम बिन नह्हाम से रिवायत करते हैं, वह फ़रमाते हैं:**'सर्द सुबह के वक़्त मैं अपनी बीवी के साथ उसकी चादर में लेटा हुआ था कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने नमाज़े फ़ज्र के लिये अज़ान शुरू कर दी, जब मैंने अज़ान सुनी तो (दिल में) कहा: काश! ये कह दे: जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। फ़रमाते हैं: जब उसने अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा तो उसने कह दिया: जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। और एक रिवायत में है: 'तो मैंने आरज़ू की कि ये सल्लू फ़ी रिहालिकुम कह दे कि तुम अपनी अपनी मन्ज़िल में नमाज़ पढ़ लो' तब जब मुअज़्ज़िन हय्य अलल फ़लाह पे पहुँचा तो उसने सल्लू फ़ी रिहालिकुम कह दिया। बाद में मैंने इसके मुताल्लिक़ पूछा तो (पता चला कि) उसे ये हुक्म नबी (ﷺ) ने दिया था।'** (मुसन्नफ़ लिअब्दिर्रज़्ज़ाक़: 1/105, व मुसनद इमाम अहमद: 4/220, वलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453 वल हदीस हसन)

मज़्कूरा बाला सही अहादीस से पता चला कि बारिश की सूरत में अज़ान में अला सल्लू फिर रिहाल के कलिमात कहे जा सकते हैं और ये अमल मसनून है। इन कलिमात की ग़र्ज़ यही है कि लोग रस्ते की अज़ियत से महफ़ूज़ रहें और अगर अपने अपने घरों में नमाज़ अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक रुख़सत है।

इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمہ اللہ) हदीसे इब्ने अब्बास पर उनवान क़ायम करते हुए फ़रमाते हैं:**'इमाम का मुअज़्ज़िन को इस बात का हुक्म देना कि वह अज़ाने जुमा में ये कहे कि नमाज़ घरों में पढ़ लो ताकि सामेअ को इल्म हो जाये कि बारिश के दिन जुमा से पीछे रहना जायज़ और मुबाह है।'** (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 3/180)

इमाम बग़वी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं:**'अहले इल्म की एक जमाअत ने बारिश और कीचड़ में नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रह जाने की रुख़सत दी है। और हर वह उज़्र जिसकी बिना पर नमाज़ बा'जमाअत तर्क हो सकती है, उसी उज़्र की वजह से जुमा भी छोड़ना जायज़ है।'** (शरह अस्सुन्नह: 3/353)

इमाम नववी (ﷺ) इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं:'**ये हदीस़ बारिश और इस क़िस्म के दीगर उज़्रों में नमाज़ बा'जमाअत की तख़्फ़ीफ़ (रुख़्सत) की दलील हैं अगर कोई उज़्र न हो तो जमाअत में हाज़िरी ताकीदी है। जो कोई इसकी तकलीफ़ उठाता है और मशक़्क़त बर्दाश्त करके जमाअत में हाज़िर होता है तो उसके लिये ये मशरूअ है क्योंकि दूसरी हदीस़ में है: 'जो कोई अपनी मन्ज़िल पर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले और ये इजाज़त सफ़र में मशरूअ है ....'** (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस़: 697)

और सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं: '**इस हदीस़ में इस बात की दलील है कि बारिश वग़ैरह की उज़्र से जुमा साक़ित हो जाता है। ये हमारा (शवाफ़ेअ) और दीगर उलमा का मौक़िफ़ है।**' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस़:699)

शरह अल महज़ब में जुमा की अदायगी और अद्मे अदायगी के बारे में लोगों की छ: अक्साम बनाई गई हैं। इनमें दूसरी क़िस्म उन लोगों की है जिनके हक़ में जुमा जायज़ और मशरूअ तो होता है लेकिन लाज़िमी नहीं। इनमें वह भी हैं जिनके रास्ते बारिश से मुतास्सिर हो चुके हों या दीगर साहिबे उज़्र लोग। (अल मजमूअ शरह अल्मुहज्जब: 4/369)

अल मुग़नी में है:'**उस आदमी पर भी जुमा वाजिब नहीं जिसके रास्ते में बारिश हो कि उससे कपड़े भीगते हों या इस क़द्र कीचड़ हो कि वहाँ चल कर मशक़्क़त उठाना पड़े।इमाम मालिक (ﷺ) से मन्क़ूल है कि वह बारिश को उज़्र नहीं गरदानते थे कि इस वजह से आदमी नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रहे।**' (अल मुग़नी इब्ने क़ुदामा: 2/195)

इमाम बुख़ारी (ﷺ) इब्ने अब्बास (ﷺ) की मज़्कूरा रिवायत, जो कि अला सल्लू फिर रिहाल की मशरूइयत के तहत गुज़र चुकी है, '**किताब अल जुमा**' के तहत भी लाये हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) इसकी शरह में फ़रमाते हैं:'**मुसनफ़ (ﷺ) ने यहाँ इस्माईल की सनद से, जो कि इब्ने उलय्या के नाम से मारूफ़ हैं, हदीसे इब्ने अब्बास ज़िक्र की है जो तर्जुमतुल बाब के मुवाफ़िक़ हैं जुम्हूर भी इसी के क़ाइल हैं।**' (फ़तहुल बारी: 2/384) यानी बारिश एक शरई उज़्र है, इसकी वजह से जुमा तर्क किया जा सकता है। लेकिन घर में नमाज़ अदा की जायेगी।

अल्लामा ऐनी (ﷺ) इमाम किरमानी का क़ौल नक़ल फ़रमाते हैं कि क्या बारिश ही तर्के जमाअत के लिये शरई उज़्र बन सकती है या आँधी, तूफ़ान और (यख़) सर्दी भी? आख़िर में उनके हवाले से फ़रमाते हैं:'**तो उन्होंने जवाब दिया कि इल्लत और सबब को देखते हुए इन (तीनों) में से हर चीज़ तर्के जमाअत के लिये एक मुस्तक़िल (शरई) उज़्र है और वह इल्लत मशक़्क़त है।**' (उम्दतुल क़ारी: 4/270, तबअ़ा दारुल फ़िक्र)

अल हासिल! अइम्म-ए-मज़्कूरा उज़्रों में तर्के जमाअत के क़ाइल हैं, उन्हीं की बात अक़रब इलस्सवाब है क्योंकि शरअन उनकी वजह से रुख़्सत है, नीज़ इस क़िस्म की रुख़्सत से इन्हिराफ़ व इन्क़िबाज़ शरई मिज़ाज के भी ख़िलाफ़ है। (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (अल हज:22/78)

✧ **शरई उज़्र और उनसे मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल:** अज़ान में अला सल्लू फ़िर रिहाल की मशरूइयत के इस्बात के बाद और ये कि बारिश एक शरई उज़्र है जिसकी वजह से तर्के जुमा व जमाअत की रुख़्सत है, ये मुनासिब मालूम होता है कि इससे मुताल्लिक़ा तीन चार मसाइल की निशानदेही भी इख़्तिसार के साथ कर दी जाये। ये मसाइल हस्बे ज़ेल हैं:

- क्या मतर (बारिश) ही शरई उज़्र है या रीह (आँधी और तूफ़ान) और बर्द (सर्दी) भी?
- ऊपर दी गई रुख़्सत सिर्फ़ रात के साथ ख़ास है या दिन के वक़्त भी?
- क्या अला सल्लू फ़िर रिहाल कहने और तर्के जुमा व जमाअत की इजाज़त सिर्फ़ सफ़र के साथ ख़ास है?
- कलिमाते तरख़ीस अला सल्लू फ़िर रिहाल का असल महल क्या है?

(1) बारिश, आँधी और सख़्त सर्दी, तीनों शरई उज़्र है: दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि बारिश, आँधी और सख़्त सर्दी में से हर एक चीज़ मुस्तक़िल शरई उज़्र है। इसकी दलील इब्ने उमर (ﷺ) वग़ैरह की हदीस है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 697) इसके ये अल्फ़ाज़ हैं: '**सर्द या बारिश वाली रात में**' यहाँ अव शक के लिये नहीं कि रावी को तरद्दुद है बल्कि ये '**तन्वीअ**' यानी बयाने नोअ के लिये है। इसकी मज़ीद वज़ाहत मुसनद अबू अवाना की हदीस से होती है। इब्ने उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**रसूलुल्लाह (ﷺ) बहालते सफ़र, जब सर्द रात होती, या बारिश वाली या आँधी वाली तो मुअज्जिन को हुक्म फ़रमाते कि वह अला सल्लू फ़िर रिहाल कहे।**' (मुसनद अबी अवाना: 1/361)

इमाम बग़वी (ﷺ) ने इन अल्फ़ाज़ से अबू अवाना के वास्ते से ये हदीस शरह अस्सुन्नह में ज़िक्र की है। (शरह अस्सुन्नह: 3/352, हदीस: 798)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**हर्फ़ 'अव' बयाने नोअ व क़िस्म के लिये है न कि शक के लिये। सही अबू अवाना में है: 'सर्द या बारिश वाली या आँधी और तूफ़ान वाली रात' इस हदीस में इस बात की दलील है कि जमाअत से पीछे रहने के लिये इन तीनों में से हर एक चीज़ (शरई) उज़्र है।**' (फ़तहुल बारी: 2/113)

इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस़ बतरीक़े शाफ़ेई भी मरवी है। इसमें हदीस़ **'अव'** के साथ नहीं बल्कि **'वाव'** आतिफ़ा के साथ है।**'बारिश वाली रात, ठण्डी रात और तूफ़ानी रात'** (शरह अस्सुन्नह: 3/353) लिहाज़ा इस सूरत में तरद्दुद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।

अल हासिल! इस हदीस़ की रोशनी में बिल यक़ीन मालूम हुआ कि मज़्कूरा तीनों उज़्रों में से अगर कोई भी पाया जाये तो शरअ़न तर्के जमाअ़त की रुख़्सत है। इसकी मज़ीद ताईद नुऐम बिन नह्हाम (ﷺ) की उस हदीस़ से भी होती है जिसमें वह फ़रमाते हैं कि मैं सर्द रात में अपनी अहलिया के हमराह लिहाफ़ में लेटा हुआ था .... (كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ) बिल आख़िर मुअज़्ज़िन ने नबी (ﷺ) के हुक्म से अला सल्लू फ़िर रिहाल कह दिया जैसा कि आग़ाज़े बहस़ में गुज़र चुका है। मज़ीद देखिये: (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/423)

(2) रुख़्सत का ताल्लुक़ स़िर्फ़ रात ही से नहीं, दिन से भी है: अला सल्लू फ़िर रिहाल कहने की रुख़्सत रात के साथ ख़ास़ है या दिन के वक़्त भी ये कलिमात कहे जा सकते हैं ताकि रुख़्सत क़बूल करते हुए अगर कोई इन्सान जुमा व जमाअ़त से जानबूझ कर भी पीछे रह जाये तो गुनाहगार न हो?

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं:'**(अबू अ़वाना की) हदीस़ का ज़ाहिर तो ये है कि ये तीनों उ़ज़्र रात के साथ ख़ास़ हैं, लेकिन सुनन में बवास्ता इब्ने इस्हाक़ अ़न नाफ़ेअ जो हदीस़ मरवी है, उसके ये अल्फ़ाज़ हैं: 'बारिश वाली रात और सर्द सुबह में।'** और सुनन ही में बसनद सही अबू मलीह अ़न अबीह के वास्ते से ये हदीस़ भी मरवी है कि **'एक दिन बारिश हुई तो आप (ﷺ) ने उन्हें रुख़्सत दे दी।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1057)**मैंने किसी हदीस़ में बस़राहत ये नहीं देखा कि (तूफ़ान या) आँधी भी दिन के वक़्त रुख़्सत के लिये उ़ज़्र है, लेकिन क़यास इसके इल्हाक़ का तक़ाज़ा करता है।'** (फ़तहुल बारी: 2/113) यानी इल्लते मशक़्क़त का ये तक़ाज़ा है कि दिन में भी इस सूरत में रुख़्सत होनी चाहिए। बवास्ता इब्ने इस्हाक़ मन्क़ूल हदीस़ में (وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ) की ताईद नुऐम बिन नह्हाम की हदीस़ से भी होती है, इसमें (غَدَاةٍ بَارِدَةٍ) के अल्फ़ाज़ आते हैं। (सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/423)

मज़्कूरा क़राइन से ज़ाहिर होता है कि अगर इल्लत को देखा जाये तो जैसे रात के वक़्त तूफ़ान और आँधी के ख़दशात व नुक़सानात का अन्देशा होता है वैसे ही दिन के वक़्त भी उनसे दो चार होना बईद नहीं। वल्लाहु आलम!

(3) क्या मज़्कूरा रुख़्सत स़िर्फ़ सफ़र के साथ ख़ास़ है?: हक़ बात ये है कि बारिश वग़ैरह में अला सल्लू फिर रिहाल की रुख़्सत आ़म है, ख़्वाह हालते सफ़र हो या हज़र। अव्वल तो इसलिये कि हज़र में भी इस क़िस्म की मशक़्क़त का सामना करना पड़ जाता है जो सफ़र में पेश आती है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) की हदीस़ की शरह में लिखते हैं: **'सफ़र में' इसका ज़ाहिर तो यही है कि रुख़सत सफ़र के साथ ख़ास़ है। और नमाज़ बा'जमाअ़त से मुताल्लिक़ा मसाइल में आइन्दा आने वाली मालिक अ़न नाफ़ेअ़ की रिवायत मुत्लक़ है और जुम्हूर ने इसी को लिया है, लेकिन मुत्लक़ को मुक़य्यद पर महमूल करने का क़ायदा इस बात का तक़ाज़ा करता है कि ये रुख़सत मुत्लक़ मुसाफ़िर के साथ ही ख़ास़ हो और उसके साथ वही शख़्स़ मुलहक़ (शामिल) हो जिसे वाक़ेई हज़र में मशक़्क़त का सामना करना पड़ता है, न कि वह आदमी भी जो इस क़िस्म की मशक़्क़त से दो चार नहीं होता।'** (फ़तहुल बारी: 2/113)

दूसरे नुऐ़म बिन नह्हाम की गुज़िश्ता हदीस़ मुत्लक़ है और ये वाक़िया हालते हज़र व इक़ामत का है जैसा कि सियाक़े हदीस़ से ज़ाहिर है। मुस़न्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ और मुसनद अहमद में बस़राहत ये अल्फ़ाज़ मरवी हैं: (فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُولَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ) (मुस़न्नफ़ लिअ़ब्दिर्रज़्ज़ाक़: 1/501 वल् मौसूअतल हदीसि़या मुसनद इमाम अहमद: 29/453)

इससे मालूम हुआ कि हालते इक़ामत में भी, जबकि सख़्त सर्दी हो **'अला स़ल्लू फ़िर रिहाल'** कहना मसनून है, नीज़ हदीसे इब्ने अ़ब्बास का ताल्लुक़ भी हालते इक़ामत से है कि उन्होंने बारिश के मौक़े पर मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया कि **'हय्य अ़लस्सलाह और हय्य अ़लल फ़लाह'** के बजाये **'अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह के बाद स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम'** कहना। उन्होंने इसकी ये वजह बयान की कि कीचड़ और बारिश में चल कर मस्जिद में आने से तुम्हें तंगी का सामना करना पड़ेगा। (मुख़्तस़र स़हीह बुख़ारी: 1/203)

ग़र्ज़ हदीसे इब्ने अ़ब्बास भी मुत्लक़ है। इसमें इस रुख़सत की तख़्सीस़ हालते सफ़र से नहीं, इसलिये इससे भी हालते इक़ामत में स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम की मशरूइयत अख़्ज़ होती है जैसा कि जुम्हूर उ़लमा का मौक़िफ़ है, यानी हालते हज़र में अगर बारिश या सख़्त आँधी या शदीद सर्दी की वजह से मस्जिद में जाना सख़्त मशक़्क़त का बाइस़ हो, तो घर में नमाज़ पढ़ने की रुख़सत है। और मुक़ीम हज़रात के लिये भी स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम के अल्फ़ाज़ अज़ान में कहे जा सकते हैं।

(4) अला स़ल्लू फ़िर रिहाल: जब मालूम हुआ कि ये कलिमात मशरूअ़ व मसनून हैं तो सवाल है कि क्या ये कलिमात दौराने अज़ान में कहे जायें या अज़ान के बाद? इमाम शाफ़ेई(رحمه الله) वग़ैरह फ़रमाते हैं कि ये अस़ना-ए-अज़ान में कहे जा सकते हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) इसके क़ाइल नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक ये अल्फ़ाज़ अज़ान के बाद कहे जा सकते हैं, दौराने अज़ान में नहीं। ताहम दुरुस्त मौक़िफ़ ये है कि ये अल्फ़ाज़ दौराने अज़ान में, यानी हय्य अ़लस्सस़लाह और हय्य अ़लल

फ़लाह के बाद, उसी तरह अज़ान के बाद और हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फ़लाह की जगह पर भी कहे जा सकते हैं। ये तीनों तरीक़े जायज़ हैं। इनमें से किसी तरीक़े का इन्कार बे'महल और दलाइल की रोशनी में नाक़ाबिले इल्तिफ़ात है जैसा कि आइन्दा मुख़्तसर बहस से वाज़ेह होगा।

हैअलतैन और अज़ान के बाद उनकी मशरूइयत: नाफ़ेअ (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं कि इब्ने उमर(ﷺ) ने ज़ज्नान मक़ाम पर सर्द रात में अज़ान देना शुरू की, फिर उन्होंने सल्लू फ़िर रिहालिकुम कहा, उन्होंने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुअज़्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते थे, वह अज़ान कहता: (ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) फिर वह हालते सफ़र में आपके हुक्म से सर्द या बारिश वाली रात में, अज़ान के बाद सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहता। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632) सहीह मुस्लिम वग़ैरह में (فِي آخِرِ نِدَائِهِ) **'अपनी अज़ान के आख़िर में (ये कलिमात कहते)'** के अल्फ़ाज़ मन्क़ूल हैं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 697)

(فِي آخِرِ نِدَائِهِ) में एहतिमाल है कि क्या ये कलिमात तख़्मीसे अज़ान से फ़राग़त के बाद कहने हैं जैसा कि (ثُمَّ يَقُولُ فِي إِثْرِهِ) के मनतूक़ से मालूम होता है या फ़राग़त से पहले जैसा कि हदीसे इब्ने अब्बास में है। इस तरह इसमें और हदीस इब्ने अब्बास में तत्बीक़ की सूरत पैदा हो जाती है। (कज़ा क़ालल कुतुर्बी बितसर्रुफ़िन)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمہ اللہ) (ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ) की तशरीह में फ़रमाते हैं: **'ये इस बात में सरीह है कि मज़्कूरा क़ौल अज़ान से फ़राग़त के बाद कहना है।'** (फ़तहुल बारी: 2/113)

इमाम नववी (رحمہ اللہ) इन अहादीस की शरह में लिखते हैं: इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस में है कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम नफ़्से अज़ान में कहना है जबकि इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस में है कि उन्होंने ये अल्फ़ाज़ अज़ान के आख़िर (बाद) में कहे हैं। ये दोनों तरीक़े जायज़ हैं। इमाम शाफ़ेई(رحمہ اللہ) ने अपनी किताब 'उल उम्म' की किताब अल अज़ान में इसकी तसरीह फ़रमाई है। इस बारे में हमारे जुम्हूर असहाब ने इनकी मुताबिअत की है, लिहाज़ा असना-ए-अज़ान और उसके बाद, दोनों तरह जायज़ है क्योंकि दोनों तरीक़ों का सुन्नत से सबूत मिलता है। लेकिन अगर अज़ान के बाद कह लिये जायें तो ये बेहतर है क्योंकि इस तरह अज़ान की तर्तीब व तन्सीक़ अपनी असल वज़अ पर बरक़रार रहती है। (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697)

बहरहाल हदीस की रोशनी में इमाम नववी (رحمہ اللہ) असना-ए-अज़ान में भी इन अल्फ़ाज़ की मशरूइयत के क़ाइल हैं। जो हज़रात सिर्फ़ अज़ान के बाद इन कलिमात के क़ाइल हैं उनके मौक़िफ़ को उन्होंने ज़ईफ़ और हदीसे इब्ने अब्बास के सरीह अल्फ़ाज़ के मुख़ालिफ़ क़रार दिया है। फ़रमाते हैं: (وَهٰذَا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697, व फ़तहुल बारी: 2/98)

इस बात की दलील कि हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद भी ये अल्फ़ाज़ कहे जा सकते हैं, सुनन नसाई की एक हदीस़ है। इसमें है कि बनू स़क़ीफ़ के एक आदमी ने नबी(ﷺ) के एक मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनी, यानी सफ़र में बारिश की रात ... वह कह रहा था: **(हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़ला, स़ल्लू फ़िर रिहालकुम)'आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामरानी की तरफ़, अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ लो।'** (सुनन नसाई, हदीस़: 654, व सुनन अल कुबरा, लिन नसाई, हदीस़: 1629, बइश्राफ़ अश्शैख़ शुऐब अरनाउत)

दूसरी नुऐम बिन नह्हाम की हदीस़ है। इसमें भी हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद अला स़ल्लू फ़िर रिहाल की मशरूइयत का ज़िक्र है। (मुसन्नफ़ लिअब्दिर्रज़्ज़ाक़: 1/501, वसुनन अल कुब्रा लिलबैहक़ी: 1/423, मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) नुऐम बिन नह्हाम की मज़्कूरा हदीस़ के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: **'एक दूसरी हदीस़ में भी ये अल्फ़ाज़ इकट्ठे वारिद हैं। इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ वग़ैरह ने इसे स़ही सनद के साथ नुऐम बिन नह्हाम (رضي الله عنه) से रिवायत किया है।'** (फ़तहुल बारी: 2/98, 99)

एक इश्काल की वज़ाहत: दोनों कलिमात को जमा करने से एक इश्काल पैदा होता है, वह ये कि इनका इज्तिमाअ गोया इज्तिमा-ए-नक़ीज़ैन (ज़िद्दैन) (Opposite) है क्योंकि हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह के मानी हैं 'आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह की तरफ़, यानी कहने वाला कह सकता है कि पहले नमाज़ की तरफ़ बुलाया जा रहा है, फिर फ़ौरन ही घर में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, क्या माजरा है?

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इस इश्काल का जवाब देते हुए फ़रमाते हैं कि इन दोनों क़िस्म के कलिमात में जमा व तत्बीक़ मुमकिन है और जो तनाक़ुज़ व तआरुज़ ज़िक्र किया गया है वह लाज़िम नहीं आता, वह इस तरह कि घरों में नमाज़ पढ़ने के मानी ये हैं कि ये रुख़सत उसके लिए है जो उसे क़ुबूल करे और नमाज़ की तरफ़ बुलाने के मानी ये हैं कि जो मशक़्क़त उठा कर तकमीले फ़ज़ीलत के लिये आये तो ये उसके हक़ में मन्दूब (बेहतर) है। इस मफ़हूम की ताईद स़हीह मुस्लिम में जाबिर(رضي الله عنه) की हदीस़ से होती है। (हदीस़: 698) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के हमराह सफ़र पर निकले तो बारिश हो गई, बिल आख़िर आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो अपने पड़ाव पर नमाज़ पढ़ना चाहता है, वह पढ़ ले।'** (फ़तहुल बारी: 2/113)

इब्ने हजर (رحمه الله) के इस पेशकर्दा हल के बाद यक़ीनन मज़्कूरा इश्काल रफ़ा हो जाता है, यानी इस सूरत में हय्य अलस्ससलाह के मानी ये होंगे कि जो अज़ीमत (मुकम्मल इरादे) इख़्तियार करते

हुए आ सकता है आ जाये और अला स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम का मतलब होगा कि जो इस मौक़े पर रुख़सत इख़्तियार करना चाहता है वह रुख़सत से फ़ायदा उठा ले। ग़र्ज़, हक़ीक़त में कोई तआरुज़ और इख़्तिलाफ़ नहीं है।

अला स़ल्लू फ़िर रिहाल हैअ्लतैन की जगह पर: ये भी जायज़ है कि कलिमाते तख़ीस़ अला स़ल्लू फ़िर रिहाल, हय्य अ़लस्स़लाह, हय्य अ़लल फ़लाह, की जगह पर कह लिये जायें। तब ये कलिमात चार दफ़ा कहे जायेंगे। इसकी दलील गुज़िश्ता हदीस़ इब्ने अ़ब्बास है। उन्होंने मुअज़्ज़िन से कहा: **'जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो तो हय्य अलस सलाह न कहना बल्कि स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहो। यूँ लगा जैसे लोगों ने इसे ना'पसन्द किया। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: ये काम उस शख़्सियत ने किया जो मुझसे बेहतर थी, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने। बेशक जुमा वाजिब है और मैंने ये पसन्द नहीं किया कि तुम्हें तंगी में फँसाऊं और तुम गीली मिट्टी और कीचड़ में चल कर आओ। और एक रिवायत में है कि मैंने मुनासिब न समझा कि तुम्हें गुनाह में मुब्तला करूं।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 901, हदीस़: 668, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 699 मज़ीद देखिये: मुख़्तस़र स़हीह बुख़ारी लिल अल्बानी: 1/203)

मज़्कूरा हदीसे इब्ने अ़ब्बास से इस्तिदलाल करते हुए इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمه الله), तर्जुमतुल बाब में फ़रमाते हैं: **'इमाम मुअज़्ज़िन को हय्य अ़लस्स़लाह हज़फ़ करने और उसके बदले में घरों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे सकता है।'** (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1865) गोया इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمه الله) के नज़दीक मज़्कूरा हदीस़ की रोशनी में हय्य अ़लस्स़लाह वग़ैरह हज़फ़ करना जायज़ है, जबकि इसकी जगह अला स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम के कलिमात कहना मक़सूद हों।

इब्ने हजर (رحمه الله) इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمه الله) के इसी इस्तिदलाल के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: **'इब्ने ख़ुज़ैमा से मन्क़ूल है कि उन्होंने हदीसे इब्ने अ़ब्बास को उसके ज़ाहिर मानी पर महमूल किया है और ये कि मानी को देखते हुए ये कलिमात हैअ्लतैन की जगह पर कहे जायें ....'** (फ़तहुल बारी: 2/113)

मुअज़्ज़िन के लिये चन्द आदाब व अहकाम

✧ **मुअज़्ज़िन की फ़ज़ीलत:** मुअज़्ज़िन की बड़ी फ़ज़ीलत है, ख़ुसूसन जबकि वह पूरी ज़िम्मेदारी से इस अमानत को अदा करे। ख़ुश इल्हान और कलिमात की दुरुस्त अदायगी करने वाले मुअज़्ज़िन को तर्जीह देनी चाहिए क्योंकि अज़ान की अपनी ही तास़ीर है। हुनैन से वापसी पर रास्ते में जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो अज़ान कही गई। अबू महज़ूरा (ﷺ) भी अपने साथियों के हमराह उधर

मौजूद थे ये अभी तक मुसलमान नहीं हुये थे उन्होंने अपने साथियों से मिल कर नक़ल उतारना शुरू कर दी। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनकी अज़ान सुनकर फ़रमाया: **'मैंने इनमें से एक ऐसे इन्सान की अज़ान सुनी है जिसकी आवाज़ ख़ूबसूरत है .....'** (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /201) बाद में उन्हें इस्लाम की तौफ़ीक़ मिली और बा'क़ायदा मुअज़्ज़िन मुक़र्रर कर दिये गये।

(1) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुअज़्ज़िनों को अमीन क़रार दिया है। फ़रमाया: (المؤذنون أمناء) (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 3/16) और फ़रमाया: (والمؤذن مؤتمن)(सहीह तर्ग़ीब लिल अल्बानी, रक़म:237)

(2) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'क़यामत के दिन मुअज़्ज़िनों की गर्दनें सबसे लम्बी होंगी।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 387) ये उनके शर्फ़ व मन्ज़िलत और सरबुलन्दी की अलामत होगी।

(3) इसके हक़ में नबातात व जमादात भी क़यामत के दिन गवाही देंगे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिन्न, इन्सान और कोई दूसरी चीज़, जो भी मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनती है, क़यामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी।'** (सहीह बुख़ारी: 609, व फ़तहुल बारी: 2/88)

इस उमूम की तस्दीक़ मज़ीद इस हदीस से होती है: **'मुअज़्ज़िन की आवाज़, दरख़्त, कच्ची ईंट, पत्थर, जिन्न और इन्सान, जो कोई भी सुनता है, वह उसके हक़ में गवाही देगा।'** (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/203)

(4) एक हदीस में हर रुतबो व याबिस (तर और ख़ुश्क चीज़) की गवाही का भी ज़िक्र है। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: **'हर तर और ख़ुश्क चीज़ उसके हक़ में गवाही देगी।'** (सुनन अबी दाऊद: 515)

(5) नबी (ﷺ) की ज़बाने अतहर से उसके हक़ में बख़्शिश की दुआ निकली है: (واغفر للمؤذنين)**'अल्लाह! मुअज़्ज़िनों की मग़फ़िरत फ़रमा।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 517)

(6) मुअज़्ज़िन की अज़ान नेकी की तरफ़ दावत है। नेकी की दावत व दलालत सवाब में यकसाँ नियत का तक़ाज़ा करती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने किसी भलाई की तरफ़ रहनुमाई की तो उसे नेकी करने वाले के सवाब के मसावी (बराबर) अज्र मिलेगा।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1893) इसलिये मुअज़्ज़िन को मस्जिद में हाज़िर होकर बा'जमाअत नमाज़ अदा करने वाले हर नमाज़ी के मिस्ल अज्र मिलता है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'उसे हर उस शख़्स के मिस्ल अज्र मिलेगा जिसने उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी।'** (सुनन नसाई, हदीस: 647)

(7) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मुअज़्ज़िन को, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है, बख़्श दिया जाता है।'** (सुनन अबी दाऊद: हदीस: 515) यानी बिल फ़र्ज़ अगर उसके गुनाह इस क़द्र

भी हों जो इतनी जगह में आयें जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो भी माफ़ कर दिये जाते हैं, लिहाज़ा जिस क़द्र बुलन्द आवाज़ से वह अज़ान कहेगा, उसी क़द्र बख़्शिश का मुस्तहिक़ ठहरेगा। वल्लाहु आलम।

(8) जो मुअज़्ज़िन लगातार बारह बरस अल्लाह (ﷻ) की रज़ाजोई के लिये, बग़ैर किसी लालच के अज़ान देता है, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत लाज़िमी क़रार दे देता है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिस शख़्स ने बारह बरस अज़ान दी, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जाती है। हर दिन की अज़ान पर उसके लिये साठ नेकियाँ और हर इक़ामत की तीस नेकियाँ लिखी जाती हैं।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 728, वल मुस्तदरक लिल हाकिम: 1/205)

मज़्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ौफ़ में इख़्तिलाफ़ है, ताहम शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सिलसिलतु सहीहा, रक़म: 42, व सहीह तर्ग़ीब लिल अल्बानी: 1/218, व सुनन इब्ने माजा, बतहक़ीक़ दुक्तूर बश्शार अवाद, रक़म: 728)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस से मज़्कूरा मुद्दत तक लगातार अज़ान देने वाले मुअज़्ज़िन की फ़ज़ीलत ज़ाहिर है। लेकिन ये बात मख़्फ़ी नहीं कि ये फ़ज़ीलत उस मुअज़्ज़िन के साथ मशरूत है जो ख़ालिसतन अल्लाह तआला की रज़ाजोई के लिये अज़ान देता है। उसका मक़सूद व मतलूब हुसूले रिज़्क़, रियाकारी और शोहरत न हो क्योंकि इसके मुताल्लिक़ किताब व सुन्नत के बहुत से दलाइल हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि अल्लाह (ﷻ) सिर्फ़ वही आमाल क़बूल फ़रमाता है जो ख़ालिसतन उसकी ख़ातिर किये जायें। ये साबित है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं आपसे अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत करता हूँ। इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने जवाबन फ़रमाया: तो मेरे ऊपर गवाह हो जा कि मैं तुझ से अल्लाह की ख़ातिर बुग़्ज़ रखता हूँ। उसने कहा: क्यूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: क्योंकि तू अज़ान तरन्नुम (तकल्लुफ़) से कहता है और इस पर उजरत वसूल करता है। (अस्सिलसिलतुस सहीहा, रक़म: 42)

अल हासिल! अज़ान हो या तकबीर, सिर्फ़ इसी अन्दाज़ में कही जायें जिससे उनके असली अल्फ़ाज़ व हुरूफ़ में तब्दीली वाक़ेअ न हो क्योंकि हुरूफ़ व अल्फ़ाज़ की ग़लत अदायगी से मानी बदल जाते हैं। जहाँ कलिमात के मख़ारिज का ख़्याल रखना लाज़िमी है, वहाँ उससे भी बढ़ कर अहम बात ये है कि असल हुरूफ़ की वज़अ और बनावट तब्दील न हो। ख़ुश इल्हानी और सोज़े आवाज़ यक़ीनन मतलूब है क्योंकि सामेईन के नुफ़ूस पर उसके गहरे असरात मुरत्तब होते हैं लेकिन उसके ये मानी भी नहीं

कि ख़ुश इल्हानी की ख़ातिर यूँ सुर और तरन्नुम की कोशिश की जाये कि हुरूफ़ की असल बनावट ही तबाह हो जाये। ज़बर की जगह खड़ा ज़बर और खड़े ज़बर की जगह दो मद के बक़द्र और मद हो तो उसकी दराज़ी में बेहद सुर की खींचाई, ये ग़ैर मतलूब हैं। कुछ क़ुर्रा भी कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ़ से काम लेते हैं, हालांकि हुरूफ़ के मख़ारिज का ख़्याल रखते हुए अपने ढंग और उस्लूब में अज़ान देने का जो मज़ा और इज़्हारे हक़ीक़त होता है वह नक्क़ाली में नहीं।

ग़र्ज़, मुमकिन हद तक ऐसे मुअज़्ज़िन का तक़र्रुर व इन्तिख़ाब हो जो अज़ान व इक़ामत के आदाब के साथ साथ दुरुस्त अज़ान कहने की सलाहियत व महारत भी रखता हो। हमारे यहाँ आम मसाजिद में ऐसे मुअज़्ज़िन बकसरत हैं जो अज़ान देने का जज़्बा-ए-फ़रावां रखते हैं लेकिन उनकी अज़ान अपनी मादरी ज़बान, यानी पंजाबी की तर्ज़ो धुन पर होती है। बहरहाल अगर सही अज़ान कहने वाले अफ़राद की कामयाबी हो तो कम अज़ कम दस्तयाब मुअज़्ज़िनों की तर्बियत का बन्दोबस्त ज़रूर होना चाहिए।

नबी (ﷺ) के मुन्तख़ब मुअज़्ज़िनीन जैसे सय्यदना बिलाल, अम्र बिन उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) हैं, इनमें हुस्ने सौत के साथ साथ अदायगि-ए-हुरूफ़ की सलाहियत भी कमाल दर्जे की थी। साहिबे सुनन वलमुब्तदेआत ने हुरूफ़ को हद से ज़्यादा खींच कर गाने की तर्ज़ पर अज़ान कहने को बिदअत क़रार दिया है। वह फ़रमाते हैं: (وَالتَّمْطِيطُ وَالتَّغَنِّي بِالْأَذَانِ بِدْعَةٌ) (सुनन वलमुब्तदेआत, सफ़ा: 49)

शैख़ अली महफ़ूज़ फ़रमाते हैं: '**वह बिदआत जिनकी कराहत तहरीमी है, उनमें से अज़ान में तल्हीन भी है। तल्हीन से मुराद उम्दा और शानदार तरीक़े से पढ़ना है, यानी गाने की सी ऐसी सुर और आवाज़ बनाना कि जिससे कलिमाते अज़ान और उसकी कैफ़ियाते हरकात व सकनात में तब्दीली वाक़ेअ हो। कुछ हुरूफ़ में कमी वाक़ेअ हो या इनमें ज़्यादती और ये सब अज़ान की लय और तरन्नुम बहाल रखने के लिये हो, तो ये उस्लूब जैसे क़ुर्आन मजीद की तिलावत में हलाल नहीं, इसी तरह बिल इज्मा अज़ान में भी हलाल नहीं।**' (अल इब्दाअ, सफ़ा: 160) और इस क़िस्म के मुक़द्दस अमल पर उजरत तय करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। यक़ीनन ये वतीरा इख़्लास के मुनाफ़ी है। इसे सिर्फ़ माल कमाने का ज़रिया न बनाया जाये। लेकिन मसाजिद की इन्तिज़ामिया या मुख़य्यर (मुतवल्ली) हज़रात को भी चाहिए कि ऐसे लोग अगर ग़रीब और ज़रूरतमन्द हों तो उनका ख़ास ख़्याल रखें। हालात के पेशे नज़र उनकी भरपूर मुआवनत करें ताकि माँगने या तय करने की नोबत ही न आये।

सुतूरे बाला (ऊपर लिखी लाईनों) में मज़्कूर कुछ ऐसे इम्तियाज़ात इन्सान को अज़ान देने की वजह से नसीब होते हैं, क्या इन ख़ुसूसियात और सआदतों का मुस्तहिक़ हर मुअज़्ज़िन ठहरता है या

उनका मिस्दाक़ वह चन्द मुअज़्ज़िन हैं जिनके अन्दर इस अज़ीम ओहदे से हमकिनार होने की वह शरई इस्तिदाद और सलाहियत पाई जाती है जिसका मुतअद्दिद अहादीस में ज़िक्र है और उलमा ने इसे मुअज़्ज़िन के आदाब क़रार दिया है? यक़ीनन मुअख़्ख़रुज़्ज़िक्र बात ही दुरुस्त है। मुअज़्ज़िन के लिये ज़रूरी है कि वह इन हस्बे ज़ेल आदाब का ख़्याल रखे।

✧ **हुस्ने निय्यत:** मुअज़्ज़िन के लिये इख़्लासे नियत ज़रूरी है। उसे ये काम हुसूले सवाब और अल्लाह तआला की रज़ाजोई के लिये करना चाहिए। सिर्फ़ हुसूले शोहरत या दुनियावी मफ़ाद ही उसके पेशे नज़र न हो और न इस मुबारक अमल को पेशे या कस्बे मआश (माल कमाने) का ज़रिया बनाये।

उस्मान बिन अबू अलआस (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**आख़िरी चीज़ जिसका रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे हुक्म फ़रमाया, वह ये थी कि ऐसा मुअज़्ज़िन रखना जो अपनी अज़ान पर उजरत वसूल न करता हो।**' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 209, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 714) इस हदीस के बाद इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**अहले इल्म के यहाँ इस हदीस पर अमल है। उन्होंने ये ना'पसन्द किया है कि मुअज़्ज़िन अज़ान पर उजरत वसूल करे। और उन्होंने मुअज़्ज़िन के हक़ में ये पसन्द किया है कि वह अपनी अज़ान में हुसूले सवाब की नियत रखे।**'

✧ **बा'वुज़ू होकर अज़ान देना:** अगरचे अज़ान के लिये बा'वुज़ू होना शर्त या वाजिब नहीं लेकिन ये मुस्तहब और अफ़ज़ल ज़रूर है। इब्राहीम नख़ई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**बिला वुज़ू अज़ान कहने में कोई हर्ज नहीं।**' (ज़िकरहुल बुख़ारी मुअल्लक़न, फ़तहुल बारी: 2/114)

सुनन सईद बिन मन्सूर और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में ये असर मौसूलन बयान हुआ है और इसकी सनद सही है। देखिये: (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: 1/206) लेकिन चूंकि अज़ान भी दीगर अज़कार की तरह एक ज़िक्र है, इसलिए बिला तहारत व वुज़ू, जवाज़ के बावजूद, ना'पसन्दीदा है। मुहाजिर बिन क़ुन्फ़ुज़ (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आया, आप पेशाब कर रहे थे। मैंने आपको सलाम कहा लेकिन आपने उसका जवाब न दिया यहाँ तक कि आपने वुज़ू किया, फिर (सलाम का जवाब न देनें की) वजह बयान की और फ़रमाया: '**मैंने बिला तहारत (वुज़ू) अल्लाह तआला जल्ला जलालुहू का ज़िक्र करना नापसन्द समझा।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 17, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 350, व सिल्सिलतुस्सहीहा: 834, वलमौसूआ अलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 34/361, 362)

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जिस आदमी ने जनाबत की हालत में अज़ान या इक़ामत कही तो उस पर कोई इआदा नहीं है (कि अज़ान और इक़ामत दोबारा कहे) क्योंकि जुन्बी

आदमी पलीद नहीं होता (उसकी नजासत हुक्मी है) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की एक आदमी से मुलाक़ात हुई और आप उसकी तरफ़ लपके तो उसने कहा: (अल्लाह के रसूल!) में जुन्बी हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मुसलमान पलीद नहीं होता।'** नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ये भी मरवी है कि आप हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करते थे। बा'वुज़ू होकर अज़ान देना मुझे ज़्यादा महबूब है और मैं जनाबत की हालत में इक़ामत को मकरूह समझता हूँ क्योंकि इस तरह वह तोहमत का शिकार होता है और उसकी नमाज़ भी फ़ौत हो सकती है। (अलऔसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/38, वलमौसूआ अल्फिक्हिया अल्मयस्सरा: 1/377)

मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (رحمه الله) का क़ौल है कि तमाम अज़कार यहाँ तक कि सलाम करने में भी अस़ल ये है कि इन्सान बा'तहारत हो, ये अफ़ज़ल है और अज़ान बिल औला इसमें दाख़िल है लेकिन बिला वुज़ू अज़ान को हम कराहते तन्ज़ीही पर महमूल करते हैं। (वल मौसूअतूलफ़िक़्हिया अल्मयस्सरा अज़ हुसैन बिन ऊदा: 1/377)

✧ **ऊँची जगह से अज़ान कहना:** ऊँची जगह से अज़ान कहना मुस्तहब है ताकि मुमकिना हद तक लोग वक़्ते नमाज़ से आगाह हो जायें लेकिन फ़ी ज़माना लाऊडस्पीकरों से ये ज़रूरत बख़ूबी पूरी हो जाती है। इस उम्दा ईजाद से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। इसके होते हुए भी इससे किनारा कशी इख़्तियार करके ऊँची जगह से अज़ान देना माक़ूल मालूम नहीं होता क्योंकि लाऊडस्पीकर से मज़्कूरा मक़सद बदर्ज-ए-अतम्म हासिल होता है, अलबत्ता जहाँ लाऊडस्पीकर न हो, वहाँ अज़ान के लिये ऊँची जगह का एहतिमाम करना ज़रूरी है।

बनू नज्जार की एक ख़ातून से रिवायत है, उन्होंने कहा कि **'मेरा घर मस्जिद के अतराफ़ के घरों में सबसे ऊँचा था। बिलाल (رضي الله عنه) फ़ज्र की अज़ान उसी पर आकर दिया करते थे ....'** (सुनन अबी दाऊद: 519, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 3/7, हदीस: 532)

मन्दरजा बाला आदाब के लिये देखिये: (फ़िक्हुस्सुन्नह: 1/151, 152)

✧ **क़िब्ला रुख़ होना:** क़िब्ला रुख़ होकर अज़ान देना मुस्तहब है। इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। इमाम इब्ने क़ुदामा फ़रमाते हैं: **'मुस्तहब ये है कि क़िब्ला रुख़ होकर अज़ान कही जाये। हमें इसमें किसी इख़्तिलाफ़ का इल्म नहीं है।'** (अल मुग़नी: 1/472)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने सअद अल क़ुर्ज़ से मरवी इस हदीस को कि सय्यदना बिलाल(رضي الله عنه) जब अज़ान के लिये अल्लाहु अकबर कहते तो क़िब्ला रू हो जाते, ज़ईफ़ कहा है। इसके बाद फ़रमाते हैं: **'लेकिन इसका हुक्म सही है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने नींद में जिस फ़रिश्ते को देखा**

था उसकी अज़ान में इस्तिक़बाले क़िब्ला साबित है .... (वह हदीस़ ये है) अब्दुल्लाह बिन ज़ैद आये और फ़रमाया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने देखा कि एक आदमी आसमान से उतरा है और दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और उसने क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया ....' (इरवाउल ग़लील: 1/250, हदीस: 232) ये हदीस़ इमाम इस्हाक़ बिन राहवह की मुसनद में है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने इसे तल्ख़ीसुल हबीर: (1/363, हदीस: 299) में मुसनद इस्हाक़ के हवाले से बा'सनद ज़िक्र किया है।)

और शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने मुसनद सिराज के हवाले से नक़ल किया है कि मजमअ बिन यहया फ़रमाते हैं: **'मैं अबू उमामा बिन सहल के साथ था और उनका मुँह मुअज़्ज़िन की तरफ़ था। मुअज़्ज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा जबकि वह क़िब्ला रुख़ था।'** (इर्वाउलग़लील: 1/251) इसकी सनद सही है जैसा कि शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने फ़रमाया है। मज़्कूरा हदीस़ और सहाबी-ए-रसूल के इस अमल से वाज़ेह होता है कि क़िब्ला रुख़ मुँह करके अज़ान देना मुस्तहब है। वल्लाहु आलम।

✧ **कानों में ऊँगलियाँ देना:** कानों में दोनों ऊँगलियाँ देकर अज़ान कहना मसनून व मशरूअ है। इसका सुबूत सय्यदना बिलाल (ﷺ) के अमल से मिलता है। अबू जुहैफ़ा फ़रमाते हैं: **'मैंने बिलाल को देखा कि वह अज़ान दे रहे हैं और घूम रहे हैं और अपने मुँह को इधर उधर (दायें और बायें) फिरा रहे हैं जबकि उनकी दोनों ऊँगलियाँ उनके दोनों कानों में थीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सुर्ख़ ख़ैमे में थे .....'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 197, व मुसनद इमाम अहमद: 4/307, 308) इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने इसे मुअल्लक़न ज़िक्र किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने इसे मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के हवाले से इसे मौसूल ज़िक्र किया है और इसकी सनद को शैख़ैन की शराइत पर सही क़रार दिया है। (मुख़्तसर सहीह अल बुख़ारी लिल अल्बानी: 1/206)

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) इस हदीस़ के बाद फ़रमाते हैं: **'अहले इल्म के यहाँ इसी पर अमल हैं उनके यहाँ ये अमल मुस्तहब है कि मुअज़्ज़िन अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ अपने कानों में दाख़िल करे।'** इमाम इब्ने क़ुदामा (ﷺ) ने भी इमाम तिर्मिज़ी का मज़्कूरा क़ौल नक़ल किया है और इस अमल को पसन्दीदा क़रार दिया है। (अल मुग़नी: 12268)

ख़ुलास़-ए-कलाम ये है कि अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ कानों में डाल लेना मुस्तहब है। शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने सय्यदना बिलाल (ﷺ) के मज़्कूरा अमल को हुक्मी तौर पर मरफ़ूअ

क़रार दिया है क्योंकि बिलाल (ﷺ) का ये अमल नबी-ए-अकरम (ﷺ) की मौजूदगी में होता था जैसा कि इसकी वज़ाहत आगे आ रही है।

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने सय्यदना बिलाल के इस अमल के बाद इब्ने उमर (ﷺ) से मुअल्लक़न बसेग़ा-ए-जज़्म नक़ल किया है कि वह अज़ान के वक़्त अपनी ऊँगलियाँ कानों में दाख़िल नहीं करते थे। (फ़तहुल बारी: 2/114) जिससे बज़ाहिर तआरुज़ (इख़्तिलाफ़) नज़र आता है।

अव्वलन -इसमें तत्बीक़ की एक सूरत ये लगती है कि अगर कानों में ऊँगलियाँ न भी डाली जायें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम!

सानियन - शैख़ हुसैन बिन औदा फ़रमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद शैख़ अल्बानी (رحمه الله) से पूछा कि इन दोनों के दरम्यान जमा व तत्बीक़ की क्या सूरत है? तो शैख़ (رحمه الله) ने इन अल्फ़ाज़ जवाब दिया: अगर दो अहादीस़ हों, एक में किसी इबादत का सुबूत और दूसरी में नफ़ी हो तो इस सूरत में बिला शक व शुब्हा इस़्बात नफ़ी पर मुक़द्दम होता हैं अब हमारे पास एक तरफ़ तो सय्यदना बिलाल(ﷺ) का वह ख़ास़ अमल है जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) के ज़माने में अदा होता था, फिर ग़ालिब गुमान यही है कि ये अमल नबी-ए-अकरम (ﷺ) की मौजूदगी में होता था, लिहाज़ा इस तरह इसका हुक्म, मरफ़ूअ हदीस़ का होगा जबकि इब्ने उमर (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब अमल में फ़िक़्ही तौर पर ये कुव्वत व स़लाहियत नहीं, इसलिये बिला तरद्दुद (बग़ैर पसो-पेश के)कानों में ऊँगलियाँ रखने का बिलाल (ﷺ) का अमल इब्ने उमर (ﷺ) के तर्के अमल पर तर्जीह की हैसियत रखता है। (तअ़लीक़ुल मौसूअतिल फ़िक़्हिया: 1/380)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इब्ने उमर के मज़्कूरा अस़र को मुस़न्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और मुस़न्नफ़ इब्ने अबी शैबा के हवाले से मौसूल ज़िक्र किया है और इसकी सनद जय्यद क़रार दी है। देखिये: (मुख़्तस़र स़हीह बुख़ारी लिल अल्बानी: 1/206, व फ़तहुल बारी: 2/114, हदीस़: 634)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने कानों में ऊँगलियाँ दाख़िल करने के मुताल्लिक़ तग़लीक़ अत्तअ़्लीक़ में कुछ शवाहिद ज़िक्र किये हैं। (फ़तहुल बारी: 2/115)

मल्हूज़ा सवाल पैदा होता है कि अज़ान के वक़्त कौन सी ऊँगलियाँ कानों में दाख़िल की जायें? इसके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि जिस ऊँगली का कान में डालना मुस्तहब कहा गया है उसकी तअ़य्युन मन्क़ूल नहीं। इमाम नववी (رحمه الله) ने बिलजज़्म कहा है कि ये अँगुश्ते शहादत की उंगली है। (फ़तहुल बारी: 2/116) वल्लाहु आलम।

✧ **खड़े होकर अज़ान देना:** मसनून ये है कि मुअज़्ज़िन खड़े होकर अज़ान कहे। हाँ, अगर किसी क़िस्म का उ़ज्र हो तो बैठ कर भी अज़ान दी जा सकती है क्योंकि अज़ान से असल मक़सद लोगों को वक़्ते नमाज़ की इत्तिला देना है जो बैठ कर भी हासिल हो सकता है। इसकी दलील इब्ने अबी लैला की वह हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को नमाज़ बा'जमाअत के लिये इकट्ठा करने की ख़्वाहिश ज़ाहिर फ़रमाई थी। इस हदीस में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: **'यहाँ तक कि मैंने ये इरादा भी किया कि कुछ मर्दों को हुक्म करूं और वह टीलों पर खड़े होकर मुसलमानों के लिये वक़्ते नमाज़ की मुनादी करें।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506, व सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, हदीस: 378)

इस हदीस से खड़ेहोकर अज़ान देने की मशरूइयत अख़ज़ होती है। मुसलमानों में खड़े होकर अज़ान देने का तरीक़ा शुरू से चला आ रहा है। अ़ल्लामा इब्ने क़ुदामा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इब्ने मुन्ज़िर ने फ़रमाया: जिन उ़लमा से मुझे याद है उन सबने इस बात पर इज्मा किया है कि सुन्नत तरीक़ा खड़े होकर अज़ान देना ही है।'** (अल मुग़नी: 1/469)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी मज़्कूरा क़ौल नक़ल किया है और इसे बरक़रार रखा है।(तल्ख़ीसुल हबीर: 1/362, हदीस: 299)

हसन बिन मुहम्मद फ़रमाते हैं: **'मैं अबू ज़ैद अन्सारी (رضي الله عنه) के पास आया तो उन्होंने बैठे बैठे ही अज़ान और इक़ामत कही, एक आदमी आगे बढ़ा और उसने हमें नमाज़ पढ़ाई। अबू ज़ैद लंगड़े थे, उनकी टाँग अल्लाह तआ़ला के रास्ते (जिहाद) में टूटी थी।'** (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/392 - हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी तल्ख़ीसुल हबीर: 2/362 में इस असर को बरक़रार रखा है और कोई जरह नहीं की। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इरवा, हदीस: 225 में इसकी सनद को हसन क़रार दिया है।)

सहाब-ए-रसूल के इस अ़मल से पता चलता है कि बवजहे उ़ज्र अज़ान और इक़ामत बैठ कर भी कही जा सकती है, और इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं कि इब्ने उ़मर ऊँट पर अज़ान दे लिया करते थे, फिर उतरते और इक़ामत कहते।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तल्ख़ीस में ये क़ौल नक़ल करके इसे बरक़रार रखा है। देखिये: (तल्ख़ीसुल हबीर: 1/362) सुनन बैहक़ी में अल्फ़ाज़ यूँ हैं, नाफ़ेअ फ़रमाते हैं: **'इब्ने उ़मर बसा औक़ात सुबह की अज़ान अपनी ऊँटनी पर दिया करते थे, फिर ज़मीन पर इक़ामत कहते।'** शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस असर को हसन क़रार दिया है। देखिये: (इरवाउल ग़लील, हदीस: 226)

✧ **बा'आवाज़े बुलन्द अज़ान कहना:** बा'आवाज़े बुलन्द अज़ान देना मुस्तहब और मतलूब है क्योंकि जहाँ तक मुअज़्ज़िन की आवाज़ जाती है, वहाँ तक हर चीज़ उसके लिये क़यामत के दिन गवाह होगी। अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू सअसआ अन्सारी से फ़रमाया: मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसन्द है, लिहाज़ा जब तुम अपनी बकरियों के हमराह जंगल में रहो तो नमाज़ के लिये अज़ान कहो और अपनी आवाज़ को बुलन्द करो क्योंकि जो इन्सान, जिन्न या कोई दूसरी चीज़ मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनती है जहाँ तक वह पहुँचती है, क़यामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी। अबू सईद ने फ़रमाया: मैंने ये अल्लाह के रसूल(ﷺ) से सुना है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 609)

✧ **सिर्फ़ गर्दन मोड़ कर दायें और बायें इल्तिफ़ात करना:** मुअज़्ज़िन के लिये मसनून है कि वह अज़ान देते वक़्त हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते हुए सिर्फ़ अपना मुँह और गर्दन दायें और बायें फेरे, पूरे बदन या सीने को फेरना ग़ैर मसनून अमल है उसकी दलील अबू जुहैफ़ा का क़ौल है, वह कहते हैं: **'मैं अज़ान के वक़्त उनका मुँह इधर उधर देख रहा था।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 634)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं कि बवास्त-ए-वकीअअन सुफ़ियान सहीह मुस्लिम में रिवायत इससे अतम्म (मुकम्मल) है। (फ़तहुल बारी: 2/115) यानी इसमें इधर उधर की बजाये **'दायें और बायें जानिब'** की सराहत मन्क़ूल है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 503) इसके अलफ़ाज़ ये हैं: **'तो मैं उनका मुँह इधर उधर, यानी दायें और बायें जानिब फेरते वक़्त हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते हुए देख रहा था।'** सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत में मज़ीद वज़ाहत मन्क़ूल है अबू जुहैफ़ा फ़रमाते हैं: **'मैंने बिलाल को देखा कि वह वादी-ए-अब्तह की तरफ़ निकले और अज़ान कही, जब हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन को दायें और बायें फेरा और ख़ुद पूरे नहीं घूमे ....'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 520, वत्तल्ख़ीसुल हबीर: 1/363 हदीस: 300)

इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि सय्यदना बिलाल (ﷺ) ने सिर्फ़ अपनी गर्दन दायें और बायें फेरी है। रहा हदीस में (ولم يستدر) का इज़ाफ़ा तो मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ में ये मुन्कर है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल), हदीस: 533) क्योंकि इसकी सनद में क़ैस बिन रबीअ सीउल-हिफ़्ज़ हैं लेकिन चूंकि सुफ़ियान उनकी मुताबिअत करते हैं, इसलिए मज़्कूरा रिवायत सही है, सिवाये (ولم يستدر) के कि उनके बयान करने में क़ैस बिन रबीअ मुतफ़र्रिद हैं। अबू दाऊद की यही मज़्कूरा रिवायत इमाम नववी (رحمه الله) ने अल

मजमूअ: (3/9) में ज़िक्र करके (وتربيتبر) के इज़ाफ़े समेत इसकी सनद को सही क़रार दिया है जबकि उसकी इस्नादी हैसियत अयां है, इसलिये शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने उनकी इस तसहीह को ग़ैर सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 3/10) बल्कि शैख़ (رحمه الله) ने इसे इमाम नववी (رحمه الله) का वहम क़रार दिया है। इसके बरख़िलाफ़ **'घूमने'** के अल्फ़ाज़ सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) वग़ैरह के तरीक़ में मरवी हैं। देखिये: (मुसनद इमाम अहमद: 3/308, वलमौसूआ अल हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 31/52) मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान, अल्फ़ाज़ यूँ हैं: अबू जुहैफ़ा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: **'मैंने बिलाल को देखा कि वह अज़ान कह रहे थे और घूम रहे थे।'**

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) ने इस हदीस को हसन सही क़रार दिया है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 197) इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने अपनी सुनन: (1/296) और हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने फ़तहुल बारी: (2/115) में इन अल्फ़ाज़ को मालूल क़रार दिया है। लेकिन ये अल्फ़ाज़ दुरुस्त हैं जैसा कि मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान मरवी रिवायत में है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) का यही मौक़िफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) से मन्क़ूल इन अल्फ़ाज़ के मुताल्लिक़ तबसरे के बाद शैख़ ने इनका जवाब दिया है और मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की सेहत का इस्बात किया है।देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल), हदीस: 533)

बिल फ़र्ज़ अगर अदमे इस्तिदार और इस्बाते इस्तिदार की रिवायत को क़बूल कर लिया जाये जबकि सानी अज़्ज़िक्र का इस्बात मअ तहक़ीक़ होता है तो बज़ाहिर दोनों रिवायात में तआरुज़ पैदा होता है इसका हल ये है कि जिस हदीस में **'घूमने'** और जिस रिवायत में इसकी नफ़ी है उसे सीने और पूरे बदन समेत घूमने पर महमूल किया जाये और इन्शाअल्लाह यही हक़ है।

इमाम बैहक़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:**'एहतिमाल है कि यहाँ हदीस में हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त घूमने से हज्जाज की मुराद, इल्तिफ़ात (दायें और बायें गर्दन घुमा कर देखना) हो, लिहाज़ा इस तौजिह से ये हदीस बाक़ी रावियों के मुवाफ़िक़ होगी। लेकन हज्जाज बिन अरतात क़ाबिले हुज्जत नहीं।'**(सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/395, 396)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) इसके बारे में फ़रमाते हैं: **'जमा व तत्बीक़ की यही सूरत इख़्तियार करना ज़रूरी है क्योंकि हदीस में घूमने का ज़िक्र दूसरे तुरुक़ में औन से साबित है ....'** (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 3/10, हदीस: 533)

इमाम नववी (ﷺ) हदीस़ में जिक्र इस घूमने के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं:'**मुख़्तलिफ़ रिवायात में जमा व तत्बीक़ की ख़ातिर घूमने को इल्तेफ़ात पर महमूल किया जायेगा।**' (अल मजमूअ शरह मुहज़्ज़ब: 3/116)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) मज़ीद वज़ाहत से रिवायात के बीच यूँ तत्बीक़ देते हैं:'**और तत्बीक़ मुमकिन है कि जिसने घूमना स़ाबित किया है, उसका मक़स़द सर का घुमना है और जिसने उसकी नफ़ी की है उसका मक़स़द पूरे बदन को घुमाना है।**' (फ़तहुल बारी: 2/115)

इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (ﷺ) घूमने की मशरूइयत की तर्जुमतुल बाब (उन्वान) में यूँ तौज़ीह फ़रमाते हैं:'**अज़ान में मुअज़्ज़िन के हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त एक जानिब मुँह फेरने का बयान और इस बात की दलील कि वह सिर्फ़ अपना मुँह फेरेगा न कि पूरा बदन और चेहरे के फेरने से मुँह का फेरना मुमकिन है।**' (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/202, व फ़तहुल बारी: 2/115)

इमाम इब्ने कुदामा ने अल मुग़नी: (1/472) में इसी तरीक़े को मुस्तहब क़रार दिया है। बहरहाल मज़्कूरा तस़रीहात से मालूम हुआ कि पूरे बदन या सीने को दायें बायें फेरना मशरूअ नहीं है, इसी लिये शैख़ अल्बानी (ﷺ) फ़रमाते हैं: '**रहा सीने को फेरना तो सुन्नत में क़तअन इसकी अस़्ल नहीं मिलती और गर्दन फेरने की रिवायात में इसका कुछ ज़िक्र है।**' (तमामुल मिन्नत, स़फ़ा: 150)

इमाम नववी (ﷺ) फ़रमाते हैं:'**सुन्नत ये है कि हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते हुए दायें और बायें मुँह करे और (पूरे बदन के साथ) न घूमे।**' मज़ीद फ़रमाते हैं:'**हमारे अस़्हाब (शवाफ़ेअ) ने कहा: इल्तिफ़ात से मुराद ये है कि अपनी गर्दन और सर को मोड़े, क़िब्ले से अपने सीने को न फेरे ....मुस़न्निफ़ के क़ौल 'वरना घूमे' के यही मानी हैं ..... यही स़ही और मशहूर क़ौल है जिसकी इमाम शाफ़ेई (ﷺ) ने स़राहत की है और जुम्हूर उलमा ने क़तइय्यत ज़ाहिर की है।**' (अल मजमूअ: 3/115)

✧ **कैफ़ियते इल्तेफ़ात:** दायें बायें मुँह करने की इमाम नववी (ﷺ) ने तीन मुस्तहब सूरतें बयान की हैं।(1) दायें तरफ़ मुँह करके दो दफ़ा हय्य अलस्सलाह कहे, फिर बायें तरफ़ मुँह करके हय्य अलल फ़लाह दो मर्तबा कहा जाये। ये उनके नज़दीक स़ही तरीन सूरत है।(2) दायें जानिब मुँह करके हय्य अलस्सलाह एक दफ़ा कहा जाये, फिर क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया जाये,फिर दोबारा हय्य अलस्सलाह कहते हुए दायें जानिब मुँह फेर लिया जाये, फिर बायें जानिब हय्य अलल फ़लाह कहते हुए

इसी तरह किया जाये।(3) इमाम क़फाल का क़ौल है कि एक दफ़ा हय्य अलस्सलाह कहते हुए दायें जानिब मुँह फेरा जाये और एक दफ़ा बायें जानिब, इसी तरह हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त एक दफ़ा दायें जानिब और दूसरी दफ़ा बायें जानिब मुँह फेरा जाये। (अल मजमूअ: 3/115)

इमाम औज़ाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**क़िब्ले की तरफ़ मुँह रखे, जब हय्य अलस्सलाह कहे तो अगर चाहे तो अपनी दायें जानिब मुँह फेरे और हय्य अलस्सलाह दो मर्तबा कहे, फिर इसी तरह अपने बायें जानिब भी फेरे और दो मर्तबा हय्य अलल फ़लाह कहे।**' (अलऔसत: 3/26)

अज़ान से मुताल्लिक़ा चन्द मारूफ़ ज़ईफ़ अहादीस और बिदआत का बयान

अज़ान एक इस्लामी शिआर है। मुसलमान इसका इज़्हार करने के पाबन्द हैं। उन्हीं अल्फ़ाज़ व कलिमात के साथ अज़ान दी जानी चाहिए जो शरई तौर पर साबित हैं इसकी कैफ़ियत व हैयत में तब्दीली दुरुस्त है न कुछ अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा ही क्योंकि ये इबादत है और इबादात की बुनियाद अदिल्ल-ए-शरइय्या साबिता पर होती है, इसलिए इसमें कमी व इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं। इस अज़ीम शिआर का आग़ाज़ '**अल्लाहु अकबर**' से होता है और इख़्तिताम '**ला इलाह इल्लल्लाह**' पर और बस। अहादीसे सहीहा से यही साबित है। अपनी तरफ़ से इसके साथ किसी साबिक़े या लाहिक़े की ज़रूरत नहीं। अज़ान का मसनून तरीक़ा वही है जो गुज़िश्ता सफ़हात में ज़िक्र हुआ। ख़ैरुल क़ुरून में यही तरीक़ा राइज था। मुहिब्बाने सुन्नत ने इसकी तल्क़ीन व तालीम की। लेकिन अफ़सोस! हामिलीने बिदआत व ख़ुराफ़ात ने सही सुन्नत और सिराते मुस्तक़ीम से इन्हिराफ़ की वजह से इसके दरम्यान या इसके शुरू और आख़िर में कुछ ईजादे बन्दा नौइयत के अलफ़ाज़ व कलिमात दाख़िल कर लिये जिसकी मिसाल अहदे नबवी में तो कुजा बाद के ज़मान-ए-सलफ़ में भी नहीं मिलती। व इलल्लाहिल मुश्तका!

मसनून व मशरूअ अज़ान की अहमियत उजागर करने और फ़ी ज़माना इस शिआर के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी सनाअत व क़बाहत के इज़्हार की ख़ातिर चन्द बिदआते अज़ान का बयान ज़रूरी समझा गया है जिन्हें अब इश्क़े रसूल या मोहब्बते अहले बैत के ख़ूबसूरत लेबल के साथ बड़ी धूम धाम और बे'ख़ौफ़ी से रिवाज दिया जा रहा है और इन बिदआत व ख़ुराफ़ात पर अपने ज़ोम में नाज़ किया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन!

मन्दरजा ज़ेल सुतूर (नीचे की लाइन) में अव्वलन बिल इख़्तिसार बिदअत और इसकी सनाअत व क़बाहत का ज़िक्र होगा, सानियन अज़ान के साथ इन ख़ुदसाख़्ता मुल्हक़ा इज़ाफ़ात और कलिमात का तज़्किरा भी होगा जिन्हें गोया अज़ान का हिस्सा या उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल समझ लिया गया है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह!

✧ **बिदअत के मानी व मफ़हूम:** बिदअत अरबी लफ़्ज़ है। ये (فِعْلَة) के वज़न पर इस्मे हैयत है और (بَدَع) से माख़ूज़ हैं साबिक़ा नमूने के बग़ैर किसी चीज़ की इख़्तिराअ के मानी देता है। अगरचे हर अच्छी और बुरी ईजादकर्दा नई चीज़ पर इसका इत्लाक़ होता है लेकिन उर्फ़ में इसका अक्सर इस्तेमाल क़ाबिले मज़म्मत चीज़ ही पर होता है। इरशादे बारी तआला है: **'फ़रमा दीजिये! मैं रसूलों में कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ।'** (अल अहक़ाफ़: 6/9) यानी मुझसे पहले भी कई रसूल हो गुज़रे हैं, और फ़रमाया: **'वह आसमानों और ज़मीन को बिला नमूना पैदा करने वाली ज़ात है।'** (अल हदीद: 57/27) मज़ीद फ़रमाया: **'और रोहबानियत को उन्होंने ख़ुद ईजाद कर लिया।'** (अल हदीद: 57/27) तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल्इअतिसाम लिश्शातबी: 1/49, व इल्म उसूल अल बिदअ लिअली बिन हुसैन अल असरी, सफ़ा: 23, वलबिदआ व असरिहस्सय्यिइ फ़िल्उम्मत लिल्हिलाली, सफ़ा: 7)

अल्लामा जोहरी फ़रमाते हैं: **'मैंने ये चीज़ बिला मिसाल बनाई है, यानी मैंने ईजाद की है।'** और बिदअत के मुताल्लिक़ रक़मतराज़ (लिखते) हैं: **'तकमीले दीन के बाद इसमें किसी चीज़ की ईजाद।'** (अस्सिहाह लिल जोहरी: 3/986, अल्क़ामूसुल मुहीत, सफ़ा: 702)

अरब के यहाँ (فلان بدع في كذا) उस चीज़ पर बोला जाता है जो मुस्तहसन (क़ाबिले सताइश) हो और हुस्न में उसकी कोई साबिक़ा मिसाल न हो गोया न हुस्न में उस जैसी हो और न उसके मुशाबेह ही, बिदअत को बिदअत भी इसीलिये कहते हैं कि राइज शुदा सूरत की शरीयत में कोई मिसाल व तश्बीह नहीं होती। (अल्इअतिसाम: 1/49) यानी इसका शरीयत से क़तअन कोई ताल्लुक़ नहीं होता।

लफ़्ज़े बिदअत आम है। इसका इत्लाक़ दिल के ईजादकर्दा ख़्यालात व तसव्वुरात, ज़बान के बयानकर्दा ग़ैर शरई फ़रमूदात और आज़ा के आमाल व अफ़आल पर होता है। (बितसर्रुफ़िन: इल्म उसूल अलबिदअ लिअली बिन हसन, सफ़ा: 23, वल बिदआ व असरिहस्सय्यिई फ़िल्उम्मत लिल्सलीम ऐदुल हिलाली, सफ़ा: 8)

ग़र्ज़ आमाल व अफ़आल के साथ-साथ बिदअत के तहत दिल व दिमाग़ के वह तसव्वुरात व नज़रियात भी दाख़िल हैं जिनकी शरअे मतीन में कोई असल और साबिक़ा मिसाल न हो।

✧ **बिदअत की इस्तिलाही तारीफ़:** बिदअत की जामेअ नाफ़ेअ तारीफ़ अल्लामा शातबी(رحمه الله) ने की है, फ़रमाते हैं: **'दीन में कोई भी ख़ुदसाख़्ता तरीक़ा जो किसी शरई तरीक़े से मिलता जुलता हो, उस पर चल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत व इताअत में मुबालग़ा मक़सूद हो (तो ये बिदअत है)'** (अलएतसाम: 1/50)

मालूम हुआ बिदआत का मुर्तकिब अपने ज़ौम में इस क़िस्म के क़ौल व फ़ेअ्ल से तक़र्रुबे इलाही और मज़ीद सवाब की नियत रखता है, उसे ये अमल बज़ाहिर इबादत और नेकी लगता है, इसीलिये बिदअती इन्सान उसे गुनाह नहीं समझता। नतीजतन वह बिदआत में आगे ही बढ़ता जाता है। उसके मुक़ाबले में दीगर गुनाह का मुर्तकिब ख़ुद को कम अज़ कम गुनाहगार ज़रूर समझता है जिसका नतीजा ये होता है कि ज़िन्दगी के किसी मोड़ पर ताइब व नादिम होकर अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ और गुनाहों से किनारा कशी इख़्तियार कर लेता है। कभी सिरे से बिदई अमल की दीन में न कोई बुनियाद होती है और न उसका सुबूत। और कभी दीन में उसकी कोई असल होती है लेकिन उसके लिये कैफ़ियत व हैयत और ज़मानी व मकानी वह हदबन्दी कर ली जाती है जिसका शरीयत में सुबूत नहीं होता तो तब भी वह बिदअत हैं मिसाल के तौर पर क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में ज़िक्रअज़्कार और मुख़्तलिफ़ औराद की मशरूइयत मन्क़ूल है। इन्सान की मर्ज़ी है उठते बैठते, चलते फिरते जैसे भी चाहे ज़िक्र कर सकता है। उसकी कोई क़ैद नहीं, सिवाये उन आमाल व औराद के जिनकी बजा आवरी के लिये ख़ास कैफ़ियात या ज़मान व मकान की तहदीद है तो उन्हें इसी सूरत में बजा लाना सुन्नत है। मसनून कैफ़ियात व हैयात और क़ैदे ज़मान व मकान से बाला होकर या फिर जिसकी कोई ख़ास सूरत व कैफ़ियत मन्क़ूल नहीं, उसे ख़ास वक़्त या ख़ास शक्ल के साथ इज्तिमाई सूरत में अदा करना, इस तरह दावत देना या इसमें कमी बेशी का मुर्तकिब होना बिदअत है। ये गुनाहे कबीरा है और इसके मुर्तकिब के लिये आग की वईद है, जैसे सुब्हानल्लाह, अल हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर मसनून अज़कार हैं। अब अगर चन्द अफ़राद मिल कर एक आवाज़ सोज़ के साथ ये ज़िक्र करते हैं तो ये बिदअत है क्योंकि ज़िक्र की जो इज्तिमाई कैफ़ियत इख़्तियार की गई है, ये रसूलुल्लाह (ﷺ) से मरवी नहीं। ये गुमराही और ज़लालत है अगरचे ऐसा करने वाले इसे तक़र्रुबे इलाही और नेकी ही गरदानें।

हमारे मुआशरे में इस क़िस्म की रूहानी मजालिस की भरमार है। कहीं अल्लाहु की इज्तिमाई सदायें बुलन्द होती हैं, कहीं ला इलाह इल्लल्लाह के वज्द से लोग बेहाल होते हैं और कहीं **'सुन्नतों भरे इज्तिमा'** में मौज़ूअ व मनघड़ंत और ज़ईफ़ क़िस्सों व रिवायात की रोशनी में **'इस्लामी भाइयों'** को नित नये **'ईमान अफ़रोज़'** आमाल व अज़कार से गर्माया जाता है। ये सब तरीक़-ए-इबादत व रियाज़त और कैफ़ियाते अज़्कार बिदअत हैं।

इसकी दलील मुलाहिज़ा फ़रमायें! अम्र बिन सलमा कहते हैं: **'हम नमाज़े फ़ज्र से पहले अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) के दरवाज़े के पास बैठ जाया करते थे। जब वह निकलते तो हम सब उनके साथ मस्जिद की तरफ़ चल पड़ते। (एक दिन) अबू मूसा अशअरी आये और उन्होंने पूछा: क्या अबू अब्दुर्रहमान बाहर तशरीफ़ ला चुके हैं? हमने कहा: नहीं। तो वह भी**

हमारे साथ बैठ गये। जब वह निकले तो हम खड़े हो गये। अबू मूसा (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! अभी अभी मैंने मस्जिद में एक अजीबो-ग़रीब काम देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह! मैंने ख़ैर ही देखी है। उन्होंने पूछा: वह क्या? अबू मूसा (ﷺ) ने फ़रमाया: बशर्ते ज़िन्दगी आप जल्द ही उसे देख लेंगे उन्होंने कहा: मैंने देखा है कि कुछ लोग मुख़्तलिफ़ हल्क़ों में बैठे हैं और नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहे हैं। हर हल्क़े में एक आदमी है और (दीगर) अहले हल्क़ा के हाथों में कंकरियाँ हैं। वह कहता है: सौ मर्तबा अल्लाहु अकबर कहो। तो वह (बुलन्द आवाज़ से) अल्लाहु अकबर सौ मर्तबा कहते हैं। फिर वह कहता है: सौ दफ़ा ला इलाह इल्लल्लाह कहो। तो वह सब सौ मर्तबा ला इलाह इल्लल्लाह कहते हैं। फिर वह कहता है: सौ मर्तबा सुब्हानल्लाह कहो। तो वह सौ मर्तबा सुब्हानल्लाह कहते हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) ने अबू मूसा (रजि.) से पूछा: तो तुमने उनसे क्या कहा? अबू मूसा (ﷺ) ने जवाब दिया कि मुझे आपकी राय या हुक्म का इन्तेज़ार था, इसलिये मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। इब्ने मसऊ़द(ﷺ)ने फ़रमाया: क्या तुमने उन्हें ये हुक्म नहीं दिया कि वह अपनी सय्यिआत (गलतियाँ) शुमार करें? और इस बात की ज़मानंत न दी कि इस (तरह गुनाह शुमार करने) से उनकी हसनात ज़ाया नहीं होंगी? फिर वह चल पड़े।हम भी उनके साथ चल दिये यहाँ तक कि वह एक गिरोह के पास आये और वहाँ खड़े हो गये और पूछा: ये क्या है जो मैं तुम्हें करते हुए देख रहा हूँ? उन्होंने जवाब दिया: अबू अ़ब्दुल्लाह ये कंकरियाँ हैं, उनके साथ हम अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह और सुब्हानल्लाह की तस्बीहात शुमार करते हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) ने फ़रमाया: तुम अपने गुनाहों को शुमार करो, मैं ज़मानत देता हूँ कि उससे (गुनाहों को शुमार करने से) तुम्हारी कोई नेकी ज़ाया नहीं होगी। अफ़सोस! अरे उम्मते मुहम्मदिया! तुम किस क़द्र जल्द हलाक हो रहे हो। तुम्हारे नबी (ﷺ) के ये स़हाबा ब'कस़रत हैं। आप(ﷺ) के कपड़े अभी तक बोसीदा नहीं हुए। अभी तक आपके बर्तन भी नहीं टूटे (और तुमने बिदआत शुरू कर ली हैं।) उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! क्या तुम ऐसी मिल्लत व तरीक़ पर हो जो मिल्लते मुहम्मदी से ज़्यादा रास्त है? या तुम गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले हो? उन्होंने कहा: 'अल्लाह की क़सम! अबू अ़ब्दुर्रहमान! हमने नेकी ही का इरादा किया है।' इब्ने मसऊ़द(ﷺ) ने फ़रमाया: 'कितने ही लोग भलाई के ख़्वाहाँ और मुतलाशी हैं लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते।' हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान फ़रमाया: 'बेशक एक क़ौम क़ुर्आन पढ़ेगी लेकिन वह उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा।' अल्लाह की क़सम! मुझे नहीं मालूम कि शायद उनके अक्स़र लोग तुममें से हों। ये कह कर इब्ने मसऊ़द (ﷺ) वापस पलट आये रावि-ए-हदीस़ अ़म्र बिन सलमा ताबेई

फ़रमाते हैं: हमने देखा कि उनमें से अक्सर यौमे नहरवान के मौक़े पर ख़ारजियों के साथ मिलकर हमारे ऊपर नेज़ा ज़नी कर रहे थे।' (सुनन दारमी: 1/48, 49, वलबिदआ व असरहस्सय्यिइ फिल उम्मत लिसुलैम ईद हिलाली, सफ़ा: 38)

इब्ने मसऊद (ﷺ) के इस नासिहाना वाज़ और इत्तेबा-ए-सुन्नत से सरशार उनके जज़्बात व फ़रमूदात पर उन्होंने कान नहीं धरा बल्कि अपने इस अमल पर अड़े रहे और जवाब ये दिया कि हमारा इरादा नेक ही है। जिसका नतीजा ये निकला कि वह गुमराह हो गये और ख़वारिज से मिलकर आम सहाब-ए-किराम (ﷺ) और मुसलमानों के मुक़ाबले में सफ़ आरा हुए और बेदीन होकर मरे।

दूसरी मिसाल ये समझिये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म है।**'ऐ ईमान वालो! तुम (भी) उन पर ख़ूब दरूद व सलाम भेजो।'** (अल अहज़ाब: 33/56) मुख़्तलिफ़ मौक़े पर इसके पढ़ने की तल्क़ीन की गई है जैसा कि कुतूबे अहादीस में मिलता है। एक दफ़ा दरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है, दस गुनाह माफ़ होते हैं और दस दर्जात की बुलन्दी की ज़मानत है। अहादीस में इसके पढ़ने के लिये कई ख़ास मौक़े की तहदीद भी है, जैसे नमाज़ में तशहहुद की हालत में और मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनने के बाद वग़ैरह, लिहाज़ा जिन मौक़े की तहदीद के साथ उसकी मशरूइयत है, उसे उन्हीं मौक़े पर पढ़ना मुस्तहब व मसनून होगा। मज़ीद बरां इसका हुक्म आम भी है लेकिन इसके पेशे नज़र किसी कैफ़ियत व हालत को ख़ास नहीं किया जा सकता, जैसे अज़ान से पहले या बाद में लाऊडस्पीकर पर 'सलात व सलाम' कहना जिसे उर्फ़े आम में 'सलात' से ताबीर किया जाता है। ये बिदअत है, इसलिये कि इस ज़मानी तक़ईद के साथ अज़ान से पहले या बाद में शरीयत में इसकी असल मौजूद नहीं क्योंक अहदे नबवी या ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन वग़ैरह के अदवार (दौर) में भी मुरव्वजा (प्रचलित) अग़राज़ से पढ़े जाने वाले दरूद व सलाम के असबाब व दवाई और मुक़्तजियात मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका सुबूत तो कुजा बाद के सुनहरी अदवार में भी इसकी असल नहीं मिलती, हालांकि वह नेकी के ज़्यादा हरीस और मोहब्बते रसूल में हमसे कहीं ज़्यादा जज़्बात के हामिल थे, लिहाज़ा ये अन्दाज़े दरूद व सलाम ईजादे बन्दा है और शरीयत में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा है अगरचे इसमें नेक नियती ही कारफ़रमा होती है।

ग़ौर फ़रमाइये! इब्ने उमर (ﷺ) के सामने किसी आदमी ने छींक मारी और बजाये सिर्फ़ मसनून ज़िक्र (اَلْحَمْدُلِلّٰه) के, उसने (اَلْحَمْدُلِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰه) कह दिया। अगरचे उसका नेकी का जज़्बा था लेकिन जलीलुल क़द्र सहाबी इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें इस तरह तालीम नहीं दी बल्कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को छींक आये तो वह 'अल्हम्दुलिल्लाह कहे' ये नहीं फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर दरूद व सलाम पढ़े।'** (जामेअ तिर्मिज़ी हदीस: 2738, वल हदीस हसन, तफ़सील के लिये देखिये: अलबिदआ, सफ़ा: 49)

सहाबी-ए-रसूल इब्ने उमर (ﷺ) की हमीयते दीनी देखिये! बिदअत की किस तरह तर्दीद फ़रमाते हैं, बावजूद ये कि कहने वाले की नियत भी नेक थी लेकिन इब्ने उमर (ﷺ) इस हक़ीक़त को समझते थे कि **'बेहतरीन तरीक़ा, तरीक़-ए-मुहम्मदी है।'** इसलिये आपने उसकी तर्दीद फ़रमाई और उसके बे 'महल दरूद व सलाम की कोई परवाह न की। उसे उस चीज़ की तालीम दी जो ख़ालिस और मिलावट से पाक, ऐन सुन्नत के मुताबिक़ थी। लेकिन आज के आशिक़ाने रसूल की मोहब्बत भी अजीब है। मिलते वक़्त मसनून सलाम की जगह **'मदीना मदीना'** कहते हैं। जो मोहब्बत के ज़्यादा ही दावेदार होते हैं, वह बजाये अस्सलामुअलैकुम और जवाब में वअलैकुम अस्सलाम के ख़ुद साख़्ता दरूद व सलाम की सदायें बुलन्द करते हैं। फ़ोन व गुफ़्तो-शुनीद हो या बराहे रास्ते, कुछ से यही अन्दाज़े सलाम देखने और सुनने में आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन! लिहाज़ा ये और इस क़िस्म की दीगर मुअय्यना, ख़ुदसाख़्ता और बनावटी कैफ़ियात व आमाल बिदअत नहीं तो और क्या हैं? इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें किसी चीज़ के इज़ाफ़े की ज़रूरत नहीं। फ़रमाने इलाही है: **'आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम बतौर दीन पसन्द किया है।'** (अल मायदा: 5/3)

इमाम इब्ने कसीर (رحمه الله) इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: इस उम्मत पर अल्लाह तआला की ये सबसे बड़ी और अज़ीमुश्शान नेमत है कि उसने उनके लिए उनके दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया है। अब उन्हें इस्लाम के सिवा किसी और दीन की ज़रूरत है न अपने नबी(ﷺ) के सिवा किसी और नबी की। यही वजह है कि अल्लाह तआला ने आपको ख़ातिमुल अम्बिया बनाकर क़यामत तक के जिन्नों और इन्सानों के लिये मबऊस फ़रमाया है, लिहाज़ा अब हलाल वह है जिसे नबी (ﷺ) हलाल क़रार दें, हराम वह है जिसे आप हराम कहें, दीन वह है जो आप पेश फ़रमायें और आप जो भी फ़रमायें वह हक़ और सच है, इसमें किज़्ब (झूठ) व शक का अदना सा भी शायबा तसव्वुर नहीं किया जा सकता जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: **'और आपके परवरदिगार की बातें सच्चाई और इन्साफ़ में पूरी हैं।'** (अल अनआम: 6/115) यानी अल्लाह तआला की ये बातें ख़बर के ऐतबार से सच और अम्र व नही के ऐतबार से अदल व इन्साफ़ पर मबनी हैं। (तफ़्सीर इब्ने कसीर (उर्दू): 2/274, मतबूआ दारुस्सलाम) ग़र्ज़ अब ये नहीं हो सकता कि कोई आये और अपनी मर्ज़ी से किसी ज़िक्र, इबादत, या तरीक़-ए-इबादत की कैफ़ियत ख़ुद मुतय्यन कर ले।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दीन की हर हर बात की ख़ूब तौज़ीह फ़रमा दी है, आप (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'कोई भी ऐसी चीज़ बाक़ी नहीं रहीं जो जन्नत के क़रीब और दोज़ख़ से दूर करती हो, मगर वह तुम्हारे सामने बयान कर दी गई है।'** (अलमुअजम अल कबीर तबरानी: 2/186, हदीस:

1647, सिलसिलतुस्सहीहा, हदीस: 1803, व इल्म उसूल अलबिदअ लिअली बिन हसन अलअसरी, सफ़ा: 19, इसकी सनद सही है।)

इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) के गुज़िश्ता वाक़िये से पता चला कि जिस तरह ज़िक्र अज़्कार के लिये ख़ुद साख़्ता कैफ़ियत व हैयत का तअय्युन नाजायज़ है अगरचे असल ज़िक्र की मशरूइयत साबित है, इसी तरह अपनी तरफ़ से किसी मुतअय्यन मसनून अमल में कमी बेशी करना भी दुरुस्त नहीं। इसकी दलील वह हदीस है जो इमाम बुख़ारी व मुस्लिम (رحمهما الله) ने अपनी अपनी सहीह में दर्ज फ़रमाई है। सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि तीन लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के घर आये और आप (ﷺ) की इबादत के मुताल्लिक़ पूछा। जब वह उन्हें बताई गई तो गोया उन्होंने उसे कम समझा और कहा: हमारी रसूलुल्लाह (ﷺ) से क्या निस्बत? अल्लाह तआला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फ़रमा दिये हैं। (इसलिये हमें आपकी निस्बत बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए।) एक ने कहा: मैं सारी रात ही क़ियाम करूंगा। दूसरे ने कहा: मैं सारा साल रोज़े रखूंगा और कोई रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा: मैं औरतों से अलग थलग तजर्रुद की ज़िन्दगी गुज़ारूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो पूछा: तुमने ये ये बातें की हैं? अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारी निस्बत अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला और तुमसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ लेकिन मैं रोज़ा रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ, क़ियाम भी करता हूँ और सोता भी हूँ और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ, लिहाज़ा जिसने मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ा, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5063, व सहीह मुस्लिम: 1401)

इसमें कोई शक नहीं कि उनका इरादा नेक था। कस्रते इबादत के मुतमनी थे। मुस्तज़ाद ये कि अस्हाबे रसूल थे लेकिन आप (ﷺ) ने इस नियत और तर्ज़े इबादत को ख़िलाफ़े सुन्नत क़रार दिया और उसे क़तअन पसन्द नहीं फ़रमाया। आज के दौर में चिल्लाकशी, मुतसव्विफ़ाना तर्ज़े इबादत व रियाज़त और महफ़िले समाअ में ढोल की थाप पर मशाइख़ की धमाल, मौसीक़ी की धुन पर रक़्स के ज़ाविये और तालियों की गूंज में ठुमके लगाना कौन सा तरीक-ए-इबादत है? इस बाब में क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में अपने नुक़्त-ए-नज़र से आगाह फ़रमाइये।

✧ **अज़ान से पहले या बाद में सलात व सलाम पढ़ना:** अज़ान से पहले या बाद में मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़े के मुताबिक़ बुलन्द आवाज़ से या लाऊडस्पीकर पर सलात व सलाम पढ़ना ख़िलाफ़े सुन्नत बल्कि बिदअत है क्योंकि ज़मान-ए-नबूवत में इसका क़तअन सुबूत नहीं मिलता, हालांकि ये मुमकिन था, और मोहब्बते रसूल में सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) कहीं ज़्यादा आगे थे लेकिन उन्होंने इस क़िस्म की कोई जुर्अत नहीं की। मुरव्वजा (प्रचलित) सूरत व अल्फ़ाज़ के साथ दरूद का रिवाज बहुत बाद का है।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हर क़िस्म का ज़िक्र अज़ान से पहले मकरूह है जैसा कि कुछ मुअज़्ज़िन अज़ान से पहले (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) (बनी इस्राईल: 17/111) पढ़ते हैं, और कुछ इक़ामत कहने वाले (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ) वग़ैरह पढ़ते हैं, ये सब मकरूह है क्योंकि ये ईजादे बन्दा है और हर क़िस्म की बिदअत व इख़्तिराअ ज़लालत और गुमराही है, ख़ुसूसन इस (क़िस्म के अज़्कार) से शरई शिआर में तग़य्युर वाक़ेअ होता है, और ज़िक्र अज़ान के बाद पढ़ा जाये, इसका हुक्म भी यही है। (शरह अल्उम्दा शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/112)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी अज़ान से पहले या बाद में इस तरह के औराद व अज़्कार की अद्मे मशरूइयत का इशारा फ़रमाया है। इसके तहत शैख़ इब्ने बाज़ (رحمه الله) फ़तहुल बारी: (2/92) के हाशिये में लिखते हैं: '**और दुरुस्त ये है कि लोगों ने अज़ान से पहले बुलन्द आवाज़ से जो तस्बीह व ज़िक्र और अज़ान के बाद नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर सलात व सलाम की नई रस्म निकाली है ..... जैसा कि शारेह ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया है ..... बिदअत हैं हुक्मरानों पर ज़रूरी है कि इसकी तर्दीद करें ताकि अज़ान में इस क़िस्म की चीजें दाख़िल न हों जिनका अज़ान से ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह तआला ने हमारे लिये जो कुछ मशरूअ क़रार दिया है, उसमें बिदआत से किफ़ायत है। मुतनब्बा रहो।**'

शैख़ अली महफ़ूज़ अपनी किताब अल इब्दाअ में फ़रमाते हैं: अज़ान के बाद नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर दरूद व सलाम भेजने में कोई कलाम नहीं बल्कि ये मतलूब है। इसके मुताल्लिक़ सही अहादीस वारिद हैं जिनमें अज़ान सुनने वाले हर फ़र्द से इसका जवाब मतलूब है .... इख़्तिलाफ़ तो इस बात में है कि क्या उसका मारूफ़ कैफ़ियत में बुलन्द आवाज़ से पढ़ना दुरुस्त है? दुरुस्त बात यही है कि अज़ान की तरह इसे इस मुरव्वजा (प्रचलित) कैफ़ियत व हैयत से पढ़ना, जैसा कि मुअज़्ज़िनों की आदत है कि वह इसे बड़े सुर और तरन्नुम से पढ़ते हैं, मज़मूम बिदअत हैं क्योंकि ये एक दीनी शिआर में ऐसी इख़्तिराअ है जो रसूलुल्लाह (ﷺ), सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) और सल्फ़े सालेहीन अइम्मा में से किसी से मन्क़ूल नहीं। उनके बाद किसी के लिये ये जायज़ नहीं क्योंकि ये इज्म-ए-उम्मत इबादत सिर्फ़ उन फ़रामीन पर मौक़ूफ़ है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के वास्ते से मन्क़ूल हैं। इन मज़्कूरा शख़्सियात के सिवा किसी शख़्स के इस्तिहसान (अच्छा समझने) या किसी आदिल या ज़ालिम बादशाह के इख़्तिराअ से ये साबित नहीं होती।

अल्लामा इब्ने हजर हैसमी (رحمه الله) ने फ़तावा अल हदीसिया अल कुब्रा में फ़रमाया: हमारे मशाइख़ वग़ैरह से फ़तवा तलब किया गया कि क्या अज़ान के बाद नबी (ﷺ) पर इस मुरव्वजा (प्रचलित) कैफ़ियत के मुताबिक़, जो कि मुअज़्ज़िन इख़्तियार करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ा जा सकता

है? तो उन्होंने जवाब दिया: असल सुन्नत है (यानी आप (ﷺ) पर दरूद व सलाम पढ़ना तो मशरूअ है) लेकिन दरूद व सलाम की कैफ़ियत बिदअत हैं इमाम शअरानी (हनफ़ी) अपने उस्ताद से नक़ल करते हुए फ़रमाते हैं: **'जिस अन्दाज़ में (आज-कल) मुअज़्ज़िनीन दरूद व सलाम पढ़ते हैं, इस सूरत में न नबी-ए-अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में इसका रिवाज था और न ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के अहद में बल्कि ये मिस्र में रवाफ़िज़ के अय्याम में था।'**

शैख़ मुहम्मद अब्दा मिस्री (رحمه الله) ने भी मुअज़्ज़िनों के इस वतीरे को बिदअत क़रार दिया है, और उन्होंने ये भी वाज़ेह फ़रमाया कि शरीयत में बिदअते हसना का क़तअन कोई तसव्वुर नहीं बल्कि इबादात में इस क़िस्म की हर बिदअत गुमराही है। तफ़सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल इब्दाअ फ़ी मज़ार अलइब्तिदाअ, सफ़ा: 158, 159)

मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़े से पढ़ा जाने वाला बा'आवाज़े बुलन्द या स्पीकरी दरूद सऊदी उलमा और मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक भी बिदअत है।

मुफ़्ति-ए-आज़म सऊदी अरब शैख़ इब्ने बाज़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर मुअज़्ज़िन इन अल्फाज को अज़ान ही की तरह बुलन्द आवाज़ से कहता है तो ये बिदअत है क्योंकि इससे ये वहम होता है कि शायद ये भी अज़ान का हिस्सा है। और अज़ान में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। अज़ान का आख़िरी कलिमा **'ला इलाह इल्लल्लाह'** है। इसमें इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। अगर ये जायज़ होता तो सलफ़ सालेहीन (رحمهم الله) सबक़त का मुज़ाहिरा करते बल्कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ख़ुद उम्मत को ये सिखाते और इसका हुक्म फ़रमाते। याद रहे कि नबी (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अम्र नहीं है तो वह मरदूद है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1718, व फ़तावा इस्लामिया: 1/332 (उर्दू), मतबूआ दारुस्सलाम, मज़ीद देखिये: सुनन वल मुब्तदिआत, सफ़ा: 48, 49)

मज़्कूरा तसरीहात से मालूम हुआ कि अज़ान से पहले या बाद में मख़्सूस अन्दाज़ में दरूद व सलाम पढ़ना ग़ैर मसनून बल्कि बिदअत है। इसकी मुरव्वजा (प्रचलित) कैफ़ियत व हैयत की कोई असल नहीं। अआज़नल्लाहु मिन्हा!

✧ **अंगूठेचूमना:** जब मुअज़्ज़िन अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है तो हमारे यहाँ कुछ लोग अपने दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिलाकर चूमते और उन्हें आँखों पर फेरते हैं। ऐतक़ाद ये होता है कि ऐसा करने वाले की आँखें कभी ख़राब नहीं होतीं, और वह इस अमल को मोहब्बते रसूल का हिस्सा समझते हैं। इस अमल में बज़ाहिर तीन क़बाहतें हैं: (1) ये बाद की इख़्तिराअ है। ख़ैरुल क़ुरून

में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर इसकी कोई अहमियत या असल होती तो यक़ीनन सहाब-ए-किराम (ﷺ) और ताबेईने इज़ाम हमसे कभी पीछे न रहते बल्कि हमसे सबक़त करते।(2) एक बे'बुनियाद अमल की ज़ईफ़ फ़ज़ाइल से पुश्त पनाही, यानी इसके बारे में कोई भी सही हदीस साबित नहीं जबकि सही फ़रमाने रसूल है: **'जिसने जानबूझ कर मेरी तरफ़ झूठ मनसूब किया तो वह जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले।'** इस मफ़हूम की अहादीस दर्जे-ए-तवातुर को पहुँचती हैं। जानते बुझते मनघड़ंत और ज़ईफ़ क़िस्म की रिवायात से फ़ज़ाइल व मनाक़िब का इस्बात शरअन ममनूअ और क़ाबिले वईद है।

साहिबे **'अस्सुनन वलमुब्तदिआत'** (सफ़ा: 49 पर) फ़रमाते हैं: **'दोनों अंगूठों के नाख़ुनों को बोसा देकर आँखों पर फेरना, ये ऐतक़ाद रखते हुए कि इस तरह करने वाले की आँखें कभी ख़राब नहीं होतीं, जहालत और बिदअत है और ये कहना कलामे बातिल है।'**(3) इस तरह करने वाले उमूमन मसनून अमल से महरूम रहते हैं। सुन्नत तरीक़ा तो ये है कि अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह के जवाब में यही कलिमात दोहराये जायें, लेकिन उन्हें इसकी तौफ़ीक़ नहीं होती बल्कि कुछ लोग अपनी ला'इल्मी की वजह से अंगूठे चूमते वक़्त **'सदक़े या रसूलुल्लाह'** का इज़ाफ़ा भी करते हैं।

अलग़र्ज़! नियत ख़्वाह कितनी ही आला और अक़ीदत कितनी ही ज़्यादा हो, मक़बूल अमल वही होगा जो ऐन तरीक़-ए-मुस्तफ़ा के मुताबिक़ होगा।**'बेहतरीन तरीक़ा तरीक़-ए-मुहम्मदी है।'**

✧ **अज़ान के बाद घूम फिर कर मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-इत्तिला:** लोगों को वक़्ते नमाज़ से बा'ख़बर करने का बेहतरीन शरई तरीक़ा मसनून अज़ान है। इसकी मशरूइयत से पहले सहाब-ए-किराम(ﷺ) ने लोगों को बा'ख़बर करने के लिए मुख़्तलिफ़ तरीक़े बताये लेकिन अल्लाह तआला की तरफ़ से इत्तिला आने के बाद उन सब तरीक़-ए-बशरी को रद्द कर दिया गया। अल्लाह तआला को जो तरीक़ा पसन्द था, उसने हमारे लिये अज़ान की सूरत में एक दीनी शिआर क़रार दे दिया। इस मसनून तरीक़े की एक ख़ास हैसियत, अहमियत और तासीर है, लिहाज़ा इसकी अहमियत व तासीर को बरक़रार रखना एक दीनी फ़रीज़ा है, इसलिए इसके मुतबादिल या इसके साथ हर वह अमल या तरीक़ा जो इस ग़र्ज़ के लिये इख़्तियार किया जाये, मरदूद और क़ाबिले तर्क है। इस तम्हीद की रोशनी में ग़ौर किया जाये तो क्या मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-ऐलान, जो कि बिल यक़ीन कुछ लोगों के यहाँ नमाज़ खड़ी होने की मुसद्दक़ा इत्तिला की हैसियत रखते हैं, शरअन दुरुस्त हैं? या उनकी हैसियत एक इख़्तिराअ और बिदअत की है? यक़ीनन मुअख़्ख़रुज़्ज़िक्र बात ही दुरुस्त है। अज़ान के बाद ऐलान के मुख़्तलिफ़ तरीक़े इख़्तियार किये जाते हैं।

(1) उमूमन इस मक़सद के लिये उर्फ़न 'सलात' कहा जाता है जिससे फौरन यही समझा जाता है कि वक़्ते नमाज़ क़रीब है। ये तरीक़ा तक़रीबन पाँचों नमाज़ों में इख़्तियार किया जाता है।

(2) कुछ मुअज़्ज़िन या उनके क़ायम मक़ाम लाऊडस्पीकर पर नमाज़ की तरफ़ बुलाते हैं। ये मुनादी अपनी अपनी ज़बान में होती है। बसा औक़ात बसराहतः अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कह कर बुलाया जाता है और साथ ही ये ख़बर भी दी जाती है कि नमाज़ खड़ी होने में इतने मिनट बाक़ी हैं। ये ऐलान कई दफ़ा सुनने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है।

(3) नमाज़े फ़ज्र के वक़्त चूंकि उमूमी तौर पर लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, इसलिए उन्हें बेदार करने के लिए '**इस्लामी भाईयों**' की मुख़्तलिफ़ टोलियाँ निकलती हैं जो '**मीठे मीठे इस्लामी भाईयों**' को मीठे मीठे लब व लहजे और मसहूर कुन ऐलान से बेदार करने की कोशिश करते हैं। इस अमल को वह सवाब समझते हैं जबकि हक़ीक़तन ये बिदअत और ख़िलाफ़े सुन्नत अमल है। ये और इस क़िस्म का कोई भी शिआर, जो मज़्कूरा ग़र्ज़ के लिए इख़्तियार किया जाये, मज़मूम और बिदअत होगा।

सलफ़ के यहाँ यही ममनूअ '**तस्वीब**' है जिसकी चन्द मुरव्वजा (प्रचलित) सूरतें ऊपर बयान हुईं। इब्ने उमर (ﷺ) के हवाले से इमाम मुजाहिद बयान करते हैं कि मैं इब्ने उमर (ﷺ) के साथ था (नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में दाख़िल हुआ) तो मुअज़्ज़िन ने (अज़ान देने के बाद) दोबारा नमाज़ के लिए ऐलान किया तोः इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमायाः '**मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि ये अमल बिदअत है।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीसः 538, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीसः 198, मुअल्लक़न, वल मुसन्नफ़ लिअब्दिर्रज़्ज़ाक़ः 1/475) और मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में ये सराहत है कि उन्होंने फ़रमायाः'**हमें इस बिदअती के पास से ले चलो।**'

इस ख़िलाफ़े सुन्नत अमल को जलीलुल क़द्र सहाबी ने बिदअत क़रार दिया और मस्जिद से निकल गये और वहाँ नमाज़ भी नहीं पढ़ी। फ़ी ज़माना इस क़िस्म की तस्वीब की मुख़्तलिफ़ सूरतें देखने में आती हैं जो सबकी सब बिदअत हैं।

मल्हूज़ा मज़्कूरा बाला और इस क़िस्म की जो भी सूरत इख़्तियार की जाये, जिसका अन्दाज़ ऐलानिया हो, नाजायज़ है। यहाँ इससे ये सूरत मुस्तस्ना है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ हो या अज़ान से बे'ख़बर हो तो शख़्सी तौर पर राह गुज़रते हुए उसे बा'ख़बर किया जा सकता है या उसे जो क़रीब है या जिसने जगाने या बा'ख़बर करने का कहा है तो उसे बा'ख़बर करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि इसकी ताईद हज़रत बिलाल (ﷺ) की हदीस से होती है। वह ख़ुद नबी (ﷺ) को इत्तिला दिया करते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीसः (122)-736)

मुताख़्खिरीने अहनाफ़ के यहाँ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब (दोबारा इत्तिला या ऐलान) मुस्तहसन है। इमाम अबू यूसुफ़ के मौक़िफ़ के मुताबिक़ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब जायज़ है। उनके नज़दीक ख़ासी मसरूफ़ियात की हामिल शख़्सियात,जैसे: हुक्मरान, क़ाज़ी और मुफ़्ती वग़ैरह को अज़ान के बाद दोबारा मुत्तलअ किया जा सकता है ताकि वह भी बरवक़्त नमाज़ बा'जमाअत अदा कर सकें। (अल हिदाया: 1/45, वल्इब्दाअ, सफ़ा: 154)

मुमकिन है उनका इस्तिदलाल मज़्कूरा हदीसे बिलाल से हो। बिल फ़र्ज़ अगर इस क़िस्म की शख़्सियात का इस्तिसना कर भी लिया जाये, तब भी मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-ऐलान बे'असल ठहरते हैं। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) का मौक़िफ़ ये है कि अगर इस क़िस्म की शख़्सियात किसी वजह से अज़ान नहीं सुन सकें तो हदीसे बिलाल से इस्तिदलाल करते हुए नमाज़ बा'जमाअत के लिये उन्हें बा'ख़बर किया जा सकता है। (शरह अल्उम्दा: 2/111) लेकिन अगर अज़ान सुनते हों तो मकरूह है। हदीसे बिलाल के ज़ाहिर को मद्दे नज़र रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि इमाम के लिये इस क़िस्म की इत्तिला की रुख़सत है न कि बा'आवाज़ बुलन्द ऐलान और इस ग़र्ज़ के लिये दीगर अज़्कार व तस्बीहात या सलात व सलाम की इजाज़त। मुअज़्ज़िन ज़रूरत के पेशे नज़र उसे बा'ख़बर कर सकता है ताकि उसकी ताख़ीर या अदमे हुज़ूरी बाक़ी नमाज़ों के लिये बाइसे मशक़्क़त न हो। वल्लाहु आलम! बहरहाल इस हदीस से मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-इत्तिला व ऐलानात का जवाज़ निकालना ना'मुमकिन है। वल्लाहु आलम!

✧ **अज़ान से पहले तअव्वुज़ व तस्मिया या ज़िक्र व तिलावत?:** अज़ान एक अहम दीनी शिआर है। ये अल्लाह तआला की किब्रियाई व अज़मत के बर्मला इज़्हार और तौहीद व रिसालत के इक़रार व इस्बात का दूसरा नाम है। इसकी बुनियाद ख़ालिसतन शरअ मतीन, यानी वह्ये इलाही पर है, लिहाज़ा इसमें ख़िलाफ़े सुन्नत इज़ाफ़े या किसी क़िस्म की इख़्तिराअ व ईजाद की क़तअन गुंजाइश नहीं। याद रहे अज़ान से पहले तअव्वुज़ व तस्मिया का इल्तेज़ाम, अगरचे ये अमल हुसूले बरकत की ख़ातिर ही क्यूँ न हो, शरअन ममनूअ है, और इससे पहले या बाद किसी क़िस्म के ज़िक्र या तिलावत को मामूल बना लेना भी नाजायज़ है क्योंकि इस क़िस्म के आमाल व अज़्कार का अज़ान से पहले सुबूत नहीं मिलता, लिहाज़ा जिस चीज़ का तर्क मन्क़ूल है, उसका न करना ही मसनून व मशरूअ है, जैसे अहदे नुबूवत और अहदे सहाबा में था कि उनसे अज़ान से पहले किसी ज़िक्र व अज़्कार का मुस्तनद ज़रिये से सुबूत मिलता है और न तअव्वुज़ व तस्मिया का। उनका शुरू अज़ान में बजा लाना ग़ैर मसनून और बसूरते इल्तिज़ाम बिदअत है।

'अलइक़्नाअ' और इसकी शरह में है कि फ़ज्र से पहले अज़ान के अलावा जो तस्बीह, ज़िक्र,

नात ख़्वानी वग़ैरह और बुलन्द आवाज़ से लाऊडस्पीकर में दुआ की जाती है, ये सब ग़ैर मसनून हैं। उलम-ए-किराम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इन्हें मुस्तहब कहता हो बल्कि ये मिनजुम्ला बिदआते मकरूहा से हैं क्योंकि इनका वजूद न अहदे रसूल में था और न अहदे सहाबा में, उनके अहदे मुबारक में इसकी कोई असल नहीं मिलती, लिहाज़ा किसी के ये लायक़ नहीं कि उनका हुक्म दे या न करने वाले पर किसी क़िस्म की जरह क़दह करे .... (बहवाला अद्दीनुल ख़ालिस: 3/280)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अज़ान से पहले किसी ज़िक्र को इससे मिलाना मकरूह है जैसा कि कुछ मुअज़्ज़िन अज़ान से पहले ये आयत पढ़ते हैं: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) और कुछ मुअज़्ज़िन इक़ामत कहते हुए ये पढ़ते हैं (إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ) (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ) वग़ैरह (وَكُلُّ هٰذَا مُحْدَثٌ وَكُلُّ) (بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ لَاسِيَّمَا وَهُوَ تَغْيِيْرٌ لِلشِّعَارِ الْمَشْرُوْعِ، وَكَذٰلِكَ إِنْ وَصَلَهُ بِذِكْرٍ بَعْدَهُ) (शरह अल्उम्दा: 2/112) क्योंकि ये बिदअत है और हर क़िस्म की बिदअत गुमराही है, ख़ुसूसन इससे एक मशरूअ शिआर (अज़ान) में तब्दीली लाज़िम आती है। इसी तरह अगर कोई अज़ान के बाद भी कोई ज़िक्र मिलता है (तो वह भी बिदअत है।)

अइम्म-ए-किराम की इन तसरीहात से बख़ूबी मालूम हुआ कि दीन में इस क़िस्म की इख़्तिराआत मज़मूम हैं। अपने नतीजे के ऐतबार से बिदअत बाइसे ज़लालत है।

✧ **अज़ाने मग़रिब के बाद एक ज़ईफ़ दुआ की निशानदेही:** हर अज़ान का जवाब देना मुस्तहब और मसनून है। जवाब के बाद मसनून दरूद शरीफ़ और उसके बाद मारूफ़ दुआ (اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ —) वग़ैरह पढ़ना बाइसे फ़ज़ीलत अमल है। इसकी क़द्रे तफ़्सील गुज़र चुकी है। मज़ीद बरां अज़ाने मग़रिब के बाद एक ख़ास दुआ का ज़िक्र भी मिलता है। ये रिवायत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) के वास्ते से मरवी है जो कि सनदन ज़ईफ़ है।

फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे तालीम दी कि मग़रिब की अज़ान के वक़्त ये (दर्ज ज़ेल) दुआ पढ़ा करूं: (اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ) **'ऐ अल्लाह! बेशक ये वक़्त है कि तेरी रात आ रही है, तेरा दिन जा रहा है और तेरी तरफ़ पुकारने वालों की सदायें हैं, लिहाज़ा तू मुझे बख़्श दे।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 530, वल मुस्तदरक लिल हाकिम: 1/199, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 12410 व अमलुल यौमि वल्लैला इब्नुस्सुन्नी, बतहक़ीक़ अश्शैख़ सुलैम ईद अल हिलाली, हदीस: 650)

इमाम नववी (رحمه الله) ने शरह अल्मुहज़्ज़ब में इसकी सनद ज़ईफ़ क़रार दी है और सबबे ज़ुअफ़ रावी की **'जहालत'** बताया है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है।

तिर्मिज़ी में ये रिवायत बवास्त-ए-हफ़्सा बिन्ते अबी कसीर अन अबीहा अबी कसीर मरवी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'ये हदीस ग़रीब है (यहाँ ज़ईफ़ मुराद है।) हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़ से जानते हैं, हमें हफ़्सा बिन्ते अबी कसीर का पता है न उसके बाप का।'** (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 3589)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इसकी सनद ज़ईफ़ है। मसऊदी मुख़्तलत है और अबू कसीर मजहूल है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये हदीस ग़रीब है और अबू कसीर को हम नहीं जानते।'** (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 85)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) के शागिर्दे रशीद, मुहक़्क़िक़ शैख़ सुलैम हिलाली ने भी इसे ज़ईफ़ कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (उजालतुर्राग़िब अल मुतमन्नी फ़ी तख़रीज किताब अमलुल योमि वल्लैला लिल हिलाली: हदीस: 650, वल्क़ौलुल मक़बूल, हदीस: 304)

✧ **सदक्त व बरर्ता की इस्नादी हैसियत:** अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के जवाब में (صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ) और कुछ के यहाँ (وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ) के अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये जाते हैं जबकि इन कलिमात की कोई असल नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तल्ख़ीस में इसकी सराहत फ़रमाई है। (तल्ख़ीसुल हबीर: 1/377, मतबूआ मक्तबा क़ुर्तुबा) इसलिये इसे मशरूअ क़रार देना दुरुस्त नहीं। इमाम नववी (رحمه الله) ने जो इसकी मशरूइयत की तसरीह की है, वह महल्ले नज़र है। वह फ़रमाते हैं: **'और सामेअ अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के जवाब में दो मर्तबा (صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ) कहें 'तूने सच कहा और नेकी की है।'** (अल मजमूअ शरह मुहज़्ज़ब: 3/125, वल्क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 297, 298)

सही अहादीस की रोशनी में (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ) के उमूम का तक़ाज़ा यही है कि जिन कलिमात का दीगर अहादीस की रू से इस्तिसना नहीं हुआ जिसे अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ हैं तो उनके जवाब में वही कलिमात दोहराये जायें, इसलिये (صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ) कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनका शरअन सुबूत नहीं मिलता, रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल से, फ़ेअल से और न तक़रीर से।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الأذان

अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1)अज़ान की इब्तेदा का बयान

(١): باب بَدْءُ الأَذَانِ

(627) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि जब मुसलमान मदीना आये तो वह इकट्ठे होते और नमाज़ के वक़्त का अन्दाज़ा लगाते थे। कोई शख़्स उस (नमाज़) का ऐलान न करता था। एक दिन उन्होंने इस मसले के बारे में बातचीत की। चुनांचे किसी ने कहा: ईसाइयों जैसा नाक़ूस (घंटा) बना लो। किसी ने कहा: बल्कि यहूदियों जैसा नरसिंगा (धोतू) बना लो। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: तुम (नमाज़ के वक़्त) कोई आदमी (गलियों में) क्यों नहीं भेज देते जो नमाज़ का ऐलान करे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाल! उठो और नमाज़ का ऐलान करो।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ ‏"‏ ‏.‏

(627) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 604, व मुस्लिम, हदीस: 377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1590, 1591.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पहली दो तजवीज़ों को रद्द करने की एक वजह ये थी कि इसमें ग़ैर मुसलमानों से मुशाबिहत थी जबकि दीनी उमूर में ग़ैर मुसलमानों से मुशाबिहत दुरुस्त नहीं बल्कि दुनियावी उमूर में भी उनसे इम्तियाज़ चाहिए।(2) नाक़ूस एक लकड़ी होती थी जिसे दूसरी लकड़ी पर मारते थे तो आवाज़ पैदा होती थी, फिर लोहे या पीतल पर लकड़ी मारने लगे।(3) क़र्न सींग की शक्ल का एक आला है जिसके एक तरफ़ फूँक मारी जाये तो दूसरी तरफ़ से आवाज़ पैदा होती है। आज कल का सायरन भी क़र्न जैसी आवाज़ पैदा करता है, इसी तरह नाक़ूस की मौजूदा सूरत घंटी है, लिहाज़ा

मुसलमानों को अपनी इबादात के मौक़े पर घंटी या सायरन से इज्तिनाब करना चाहिए।(4) हज़रत बिलाल (ﷺ) को ऐलान का हुक्म देना अज़ान की मशरूइयत से पहले की बात है। वह गलियों में 'नमाज़ तैयार है।' की आवाज़ देते थे। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और कुछ दीगर सहाबा को ख़्वाब में अज़ान दिखाई गई तो फिर बिलाल (ﷺ) को अज़ान कहने पर मुक़र्रर किया गया। ये बाद की बात है। अगर इस ऐलान से अज़ान मुराद हो तो ये रिवायत मुख़्तसर होगी जिसमें इससे पहले काफ़ी इबारत हज़फ़ है मगर ये बईद तौजीह है, पहली बात दुरुस्त है।(5) कुछ रिवायात में आग की तजवीज़ का भी ज़िक्र है मगर इसे भी रद्द कर दिया गया क्योंकि ये मजूस का मज़हबी निशान है, नीज़ आग हर वक़्त नज़र नहीं आती और न बारिश वग़ैरह में इसे जलाना मुमकिन है।(6) अहम उमूर बाहमी मशवरे से तय करने चाहिए। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और मश्वरा देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह इख़्लास के साथ सही सही मश्वरा दे।(7) अज़ान खड़े होकर देना मशरूअ है।

(٢) باب تَثْنِيَةُ الأَذَانِ

बाब : (2) अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहने का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ .

(628) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (ﷺ) को हुक्म दिया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहें और इक़ामत एक-एक बार।

(628) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (5)-378,बुख़ारी: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 1592.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ أَنَّكَ تَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ .

(629) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अज़ान के कलिमात दो-दो बार थे और इक़ामत (तकबीर) के एक-एक बार, मगर ये कि तू क़दक़ामतिस्सलाह (दो मर्तबा) कहे।

(629) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 510, 511, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1593, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा 374, व इब्ने हिब्बान, 290, 291, वल हाकिम: 1/197, 198, ज़हबी: 1/329, दारकुतनी: 1/239, वग़ैरहुम।

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन रिवायात से मालूम होता है कि इक़ामत के अक्सर कलिमात एक-एक है। मगर अहनाफ़ अज़ान व इक़ामत को बराबर रखते हैं, यानी दो-दो कलिमात और उसे ज़रूरी समझते हैं, यानी इकहरी इक़ामत को काफ़ी नहीं समझते, हालांकि ये रिवायात इन्तिहाई सही हैं मगर वह उनकी बेतुकी तावीलात करते हैं कि यहाँ साँस का ज़िक्र है, यानी अज़ान के कलिमात को दो साँसों में अदा किया जाये और इक़ामत के कलिमात को एक साँस में। लेकिन ये तावील बातिल हो जाती है जब क़दक़ामतिस्सलाह को मुस्तसना किया जाता है। अगर साँस की बात होती तो इस इस्तिसना की ज़रूरत न पड़ती क्योंकि ये एक ही साँस में अदा किये जाते हैं।(2) अज़ान के अक्सर कलिमात दो-दो हैं, सब नहीं, जैसे: आख़िर में ला इलाह इल्लल्लाहु एक दफ़ा है और शुरू में अल्लाहु अकबर चार दफ़ा है मगर वह दो-दो इकट्ठे कहे जाते हैं। इसी तरह इक़ामत के अक्सर कलिमात इकहरे हैं जब कि शुरू में अल्लाहु अकबर दो दफ़ा है मगर उन्हें इकट्ठा कहा जाता है। मज़ीद तफ़सील के लिये इस किताब का इब्तिदाइया देखिये।

बाब : (3) तर्जीअ वाली अज़ान में (पहली दफ़ा) शहादतैन को आहिस्ता और पस्त आवाज़ में कहना

باب:(٣) خَفْضُ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

(630) हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उन्हें (अपने पास) बैठाया और हरफ़न हरफ़न (एक-एक कलिमा करके) अज़ान सिखाई। (रावि-ए-हदीस) इब्राहीम ने कहा कि वह बिल्कुल हमारी अज़ान की तरह थी। (बिश्र बिन मुआज़ कहते हैं कि) मैंने उनसे कहा: ज़रा मुझे सुना दो। तो उन्होंने कहा: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर दो बार, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह दो बार, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह दो बार, फिर इससे मुख़्तलिफ़ (बुलन्द) आवाज़ के साथ कहा जो इर्द गिर्द के लोगों को सुनाई देती थी: अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह दो बार, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह दो बार, हय्य अलस्सलाह दो बार,

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَجَدِّي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْعَدَهُ فَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ مِثْلُ أَذَانِنَا هَذَا . قُلْتُ لَهُ أَعِدْ عَلَىَّ . قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ - بِصَوْتٍ دُونَ ذَلِكَ الصَّوْتِ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ

إِلاَّ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

हय्य अलल फ़लाह दो बार, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह।

(630) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 191, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 38.

फ़ायदा : पिछले बाब में अज़ान के कलिमात दो-दो कहे गये हैं और इस रिवायत में शहादतैन, यानी (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) चार चार दफ़ा हैं। दरअसल अज़ान के दो तरीक़े हैं। एक वह और एक ये तर्जीअ वाला। दोनों जायज़ हैं। पहला तरीक़ा हज़रत बिलाल (ﷺ) से मरवी है और दूसरा हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) से।

(٤): بَابٌ كَمِ الأَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

बाब : (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान के कितने कलिमात हैं?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَذَانُ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً " . ثُمَّ عَدَّهَا أَبُو مَحْذُورَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ .

(631) हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अज़ान में उन्नीस (19) कलिमात और इक़ामत में सतरह (17) कलिमात सिखाये, फिर अबू महज़ूरा (ﷺ) ने उन्नीस (19) और सतरह (17) कलिमात शुमार किये।

(631) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 192, व मुस्लिम, हदीस: 379, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1594.

फ़ायदा : अज़ान के उन्नीस (19) कलिमात इस तरह हैं: अल्लाहु अकबर चार मर्तबा, शहादतैन चार चार मर्तबा, हय्य अलस्सलाह दो मर्तबा, हय्य अलल फ़लाह दो मर्तबा, अल्लाहु अकबर दो मर्तबा और ला इलाह इल्लल्लाह एक मर्तबा। और इक़ामत के सतरह कलिमात इस तरह हैं कि शहादतैन चार चार की बजाये दो-दो दफ़ा और क़दक़ामति स्सलाह, दो दफ़ा, बाक़ी कलिमात अज़ान की तरह। इस तफ़्सील से मालूम हुआ कि अज़ान के शुरू में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा है न कि दो मर्तबा जैसा कि पिछली रिवायत से वहम पड़ता था। तर्जीअ ये है कि शहादतैन के कलिमात पहले दो-दो दफ़ा पस्त आवाज़ से कहे जायेंगे और फिर दो-दो दफ़ा बुलन्द आवाज़ से बाक़ी सारी अज़ान बुलन्द आवाज़ से

होगी। याद रहे कि ये तफ़्सील सिर्फ़ हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) वाली अज़ान व इक़ामत की है। अज़ान और इक़ामत के अल्फ़ाज़ के हवाले से मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

बाब : (5) अज़ान कैसे है?

باب(٥) كَيْفَ الأَذَانُ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَذَانَ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

(632) हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) ने कहा: मुझे रसूल (ﷺ) ने अज़ान सिखाई और फ़रमाया: (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर) 'अल्लाह सबसे बड़ा है ...' (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह) 'मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।' (अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं।' फिर दोबारा कहे: (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह) 'नमाज़ के लिये आओ, नमाज़ के लिये आओ।' (हय्य अलल फ़लाह, हय्य अल फ़लाह) 'कामयाबी के लिये आओ, कामयाबी के लिये आओ।' (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) 'अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई बरहक़ माबूद नहीं।'

(632) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 379, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1595.

फ़ायदा : ये वह अज़ान है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू महज़ूरा (ؓ) को फ़तहे मक्का के मौक़े पर सिखाई थी। इसे तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान कहा जाता है। सही रिवायात के बावजूद अहनाफ़ तर्जीअ वाली अज़ान के क़ाइल व फ़ाइल नहीं बल्कि इस हदीस़ की मुख़्तलिफ़ तावीलें करते हैं, जैसे: अबू महज़ूरा (ؓ) समझ नहीं सके। आपने उन्हें अज़ान सिखाते वक़्त शहादतैन को दोहराया था जिस तरह उस्ताद एक मुश्किल लफ़्ज़ को बार बार दोहराता है, मक़सद तकरार नहीं होता बल्कि समझाना मक़सूद होता है, इसी तरह आपने तो इसलिये तकरार किया था कि वह नौ मुस्लिम थे, तौहीद व रिसालत को उनके ज़हन में पुख़्ता करने के लिये आपने तकरार किया। अबू महज़ूरा (ؓ) समझे कि शायद ये तकरार अज़ान का हिस्सा है। या उन्होंने पहले शर्माते हुए शहादतैन को पस्त आवाज़ से अदा किया, आपने फ़रमाया: ऊँची आवाज़ से दोबारा पढ़ो और अबू महज़ूरा (ؓ) समझे कि तरीक़ा ही ये है कि पहले आहिस्ता शहादतैन को अदा किया जाये, फिर बुलन्द आवाज़ से वग़ैरह, मगर एक ख़ाली ज़हन वाला शख़्स़ इन तावीलात को मज़्हका ख़ेज़ क़रार देगा कि जिस स़हाबी को रसूलुल्लाह(ﷺ) सिखा रहे हैं वह तो स़ही नहीं समझे और ये समझ गये जो कि कई सौ साल बाद आये, और अबू महज़ूरा (ؓ) ये अज़ान फ़तहे मक्का से लेकर आपकी ज़िन्दगी के आख़िर तक, फिर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के अहद में भी कहते रहे। हज्जतुल विदा के दिन भी इसमें आते हैं जब आप और हज़ारों स़हाबा मक्का में मौजूद थे। ताज्जुब है रसूलुल्लाह (ﷺ), स़हाब-ए-किराम और बाद में ख़ुलफ़ा- ए-राशिदीन इस ग़लती पर मुतन्नबा (आगाह) न हो सके, कई सौ साल बाद आने वाले मुतन्नबह हो गये। हक़ीक़त ये है कि दोहरी अज़ान (तर्जीअ वाली) और इकहरी इक़ामत (बिलाल वाली) क़तअन स़ही हैं। अहनाफ़ सिर्फ़ तक़्लीद के ज़ेरे अस़र उनसे मुन्किर हैं और ये तक़्लीद की क़बाहतों में से एक है।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ، أَخْبَرَهُ - وَكَانَ، يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حَتَّى جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ - قَالَ قُلْتُ لأَبِي مَحْذُورَةَ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَأَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ

(633) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुहैरिज़ से रिवायत है .... वह यतीम थे और उन्होंने हज़रत अबू महज़ूरा (ؓ) की गोद में परवरिश पाई थी यहाँ तक कि ख़ुद अबू महज़ूरा (ؓ) ने उन्हें शाम की तरफ़ तैयार करके भेजा .... उन्होंने फ़रमाया: मैंने (शाम आते वक़्त) हज़रत अबू महज़ूरा से गुज़ारिश की कि मैं शाम जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वहाँ मुझसे आपकी अज़ान के बारे में पूछा जायेगा (आप मुझे कुछ बता दीजिये) तो अबू महज़ूरा (ؓ) ने फ़रमाया कि मैं कुछ लोगों के साथ निकला। हम हुनैन के रास्ते में थे कि

أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلاَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ فَظَلِلْنَا نَحْكِيهِ وَنَهْزَأُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا حَتَّى وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ " . فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَىَّ وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ " قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ " . فَقُمْتُ فَأَلْقَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ " قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . ثُمَّ قَالَ " ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ " . ثُمَّ قَالَ " قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

अल्लाह के रसूल (ﷺ) हुनैन से वापस तशरीफ़ लाये और आप रास्ते ही में हमें मिले। रसूलुल्लाह(ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने आपकी मौजूदगी में नमाज़ की अज़ान कही। हम आपसे कुछ दूर थे। हमने मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनी तो हम उनकी नक़ल उतारने लगे और मज़ाक़ करने लगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह आवाज़ सुन ली तो आपने हमें बुलवाया यहाँ तक कि हम आपके सामने खड़े हो गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से वह कौन है जिसकी बुलन्द आवाज़ मैंने सुनी है?' मेरे साथियों ने मेरी तरफ़ इशारा किया और उन्होंने सच कहा। आपने उन सबको छोड़ दिया और मुझे ठहरा लिया और फ़रमाया: 'उठो नमाज़ की अज़ान कहो।' मैं उठा तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने बनफ़्से नफ़ीस मुझे अज़ान सिखाई। आपने फ़रमाया: 'कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।' फिर आपने फ़रमाया: 'अपनी आवाज़ बुलन्द करो और दोबारा कहो: अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह।' फिर जब मैंने अज़ान मुकम्मल कर

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَىْءٌ مِنْ فِضَّةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ . فَقَالَ " قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ " . فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلاَةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

ली तो आपने मुझे बुलाया और एक थेली दी जिसमें कुछ चाँदी थी। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मक्का मुकर्रमा में अज़ान पर मुक़र्रर फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें मुक़र्रर कर दिया।' तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुक़र्रर किये हुए गवर्नर मक्का हज़रत अत्ताब बिन असीद (رضي الله عنه) के पास आया। फिर मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के हुक्म से गवर्नर के सामने अज़ान कहता रहा।

(633) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1596.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये तफ़्सीली रिवायत है जो अहनाफ़ की बयानकर्दा तावील के ख़िलाफ़ है। क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे शख़्स को मुअज़्ज़िन मुक़र्रर फ़रमा दिया जिसे सही तौर पर अज़ान समझ ही में न आई थी? **(2)** कुतुबे अहादीस और दीगर कुतुबे फ़िक़्ह में जहाँ भी अज़ान का बयान है, वह इन कलिमात ही से शुरू होती है। कहीं भी आपको अज़ान की इब्तेदा (अस्सलातु वस्सलामुअलैक या सय्यिदी या रसूलल्लाह) से नहीं मिलेगी। इन ख़ुदसाख़्ता कलिमात से जो लोग अज़ान की इब्तिदा करते हैं, वह फ़रमाने रसूल और सहाबा के तरीक़े की खुल्लम ख़ुल्ला मुख़ालिफ़त कर रहे है। ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाने बारी तआला है: **'जो लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) के हुक्म की मुख़ालिफ़त करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें (दुनिया में) कोई मुसीबत या (क़यामत में) दर्दनाक अज़ाब न आ पहुँचे।'** (सूरह अन्नूर: 24:63)

باب (٦): الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ

बाब : (6) सफ़र में अज़ान कहने का बयान

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

(634) हज़रत अबू महज़ूरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हुनैन (की वादी) से निकले हम मक्का वाले दस लड़के उन

السَّائِبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلاَةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلاَءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ " . فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَذَّنَّا رَجُلٌ رَجُلٌ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ " تَعَالَ " . فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَرَّكَ عَلَىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ " اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ " . قُلْتُ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَّمَنِي كَمَا تُؤَذِّنُونَ الآنَ بِهَا " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

(मुसलमानों) की तलाश में निकले। हमने उन्हें सुना, वह नमाज़ की अज़ान कह रहे थे। हम भी खड़े हो कर उन्हें मज़ाक़ करते हुए अज़ान कहने लगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने उनमें से एक अच्छी आवाज़ वाले लड़के की आवाज़ सुनी है।' सो आपने हमें बुला भेजा। हममें से हर एक ने बारी बारी अज़ान कही। मैं सबसे आख़िर में था। जब मैंने अज़ान कही तो आपने फ़रमाया: 'इधर आओ।' और मुझे अपने सामने बिठा लिया और मेरी पेशानी पर हाथ फेरने लगे और तीन दफ़ा मेरे लिये बरकत की दुआ की। फिर फ़रमाया: 'जाओ, बैतुल्लाह के पास अज़ान कहा करो।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कैसे (अज़ान कहूँ)? तो आपने मुझे अज़ान सिखाई जैसा कि तुम अब कहते हो: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह और सुबह की पहली अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम 'नमाज़ नींद से बेहतर है।' उन्होंने कहा: आपने मुझे इक़ामत दोहरी सिखाई: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " . فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ قَالَ وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह क़दक़ामतिस्सलाह, क़दक़ामतिस्सलाह, 'नमाज़ खड़ी हो गई, नमाज़ खड़ी हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाह इल्लल्लाह।

इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मुझे ये हदीस़ उ़स्मान बिन साइब ने अपने वालिद और अ़ब्दुल मलिक बिन अबू महज़ूरा की वालिदा से बयान की है और उन दोनों ने ये हदीस़ ख़ुद हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) से सुनी है।

(634) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 501, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/201, इब्ने हिब्बान वग़ैरह, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1597.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यही बात अस़ल सनद में भी मज़्कूर है, अलबत्ता इसमें सिमाअ़ और तहदीस़ की स़राहत नहीं जब कि यहाँ सिमाअ़ की स़राहत है, इसके अ़लावा कोई फ़र्क़ नहीं है।**(2)** ये रिवायत भी पहली रिवायत ही है। तफ़्सीलात में कुछ फ़र्क़ है जो एक दूसरे को मिलाकर हल हो सकता है।**(3)** 'सुबह की पहली अज़ान' इससे मुराद फ़ज्र की अज़ान ही है। इसे पहली, इक़ामत के लिहाज़ से कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी अज़ान है। इस हदीस़ से स़रीह तौर पर स़ाबित होता है कि सुबह की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से स़ाबित हैं न कि ये हज़रत उ़मर (ﷺ) का इज़ाफ़ा है जैसा कि अहले तशय्युअ (शीया) का ख़याल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।**(4)** पिछली रिवायत में थैली देने का भी ज़िक्र है। ये थैली अज़ान की उजरत नहीं क्योंकि अज़ान के लिये मुक़र्रर तो उसके बाद हुआ। ये तो नौ मुस्लिमीन के लिये तालीफ़े क़ल्ब के क़बील से है जिस तरह कि नबी (ﷺ) ने ग़नाइमे हुनैन में से नौ मुस्लिम हज़रात को बड़े अ़तिय्ये दिये थे।

बाब : (7) अकेले, तन्हा मुसाफ़िर भी अज़ान कहें

باب (٧): أَذَانِ الْمُنْفَرِدِينَ فِي السَّفَرِ

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ " إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا " .

(635) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं और मेरा चचाज़ाद भाई और एक बार फ़रमाया: मैं और मेरा एक साथी नबी (ﷺ) के पास आये। (वापसी के वक़्त) आपने फ़रमाया: 'जब तुम सफ़र करो तो अज़ान व इक़ामत कहा करो और (जमाअत के वक़्त) तुममें से बड़ा इमामत कराये।'

(635) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 630, व मुस्लिम, हदीस़: (293)-674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1598, तिर्मिज़ी: हदीस़: 205.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर मुसाफ़िर ऐसी जगह है जहाँ अज़ान नहीं होती या सुनाई नहीं देती तो उसे अज़ान कह कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। एक से ज़्यादा हों तो नमाज़ बा'जमाअत करायें, अलबत्ता अगर अज़ान होती है या सुनाई देती है तो फिर अज़ान देना कोई ज़रूरी नहीं। (अज़ानुल हय्यि यक्फ़ीना) (2) अज़ान तो कोई शख़्स भी कह सकता है, छोटा हो या बड़ा, आम हो या आलिम, मगर जमाअत के लिये मुनासिब ये है कि अफ़ज़ल हो, इल्म में या उम्र में या मर्तबे में, इसलिये नबी (ﷺ) ने इमामत के लिये बड़े की क़ैद लगाई जब कि अज़ान के लिये सिर्फ़ ये फ़रमाया कि अज़ान कहो, यानी तुममें अज़ान व इक़ामत होनी चाहिए, कोई एक कह दे।

बाब : (8) दूसरे की अज़ान के काफ़ी होने का बयान

باب (٨): اِجْتِزَاءُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ

(636) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और हम सबके सब नौजवान हम उम्र थे। हम आपके पास बीस रातें ठहरे। रसूलुल्लाह (ﷺ) बड़े रहम करने वाले और निहायत नरम दिल थे।

شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَاهُ مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ " ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ".

आपने महसूस फ़रमाया कि हमको घर वालों का इश्तियाक़ (तमन्ना) हो गया है तो आपने हमसे पूछा कि तुम किन किन को घर छोड़ कर आये हो? हम सबने (अपने अपने हिसाब से) आप को बताया। आपने फ़रमायाः 'तुम अपने घर बार की तरफ़ लौट जाओ, उनके पास रहो, उन्हें तालीम दो और उन्हें इस्लामी अहकाम बताओ। जब नमाज़ का वक़्त आये तो तुममें से एक आदमी अज़ान कहे और बड़ा जमाअत कराये।'

(636) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 6008, व मुस्लिम, हदीसः (692)-674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1599.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साबिक़ा हदीस में है कि आपने फ़रमाया थाः 'तुम अज़ान कहो।' इससे ग़लतफ़हमी हो सकती थी कि शायद सब अज़ान कहें। ये रिवायत वज़ाहत करती है कि सिर्फ़ एक आदमी अज़ान कहे, दूसरे लोग उसी की अज़ान पर इक्तिफ़ा करें। बाब का मक़सद भी यही है।(2) अहकामे दीन का इल्म हासिल करना चाहिए अगरचे इसके लिये दूर दराज़ का सफ़र भी करना पड़े।(3) दीन से नावाक़िफ़ आदमी को तालीम देना आलिम पर फ़र्ज़ है।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، فَقَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ هُوَ حَيٌّ أَفَلاَ تَلْقَاهُ . قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ فَذَهَبَ أَبِي بِإِسْلاَمِ أَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلْنَاهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى

(637) हज़रत अय्यूब से रिवायत है कि मुझे पहले ये रिवायत अबू क़िलाबा ने हज़रत अ़म्र बिन सलमा से बयान की, फिर अबू क़िलाबा कहने लगे कि अ़म्र बिन सलमा (ﷺ) ज़िन्दा हैं तुम उनसे मिल क्यू नहीं लेते! अय्यूब ने कहाः मैं उनसे जाकर मिला और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब फ़तहे मक्का का वाक़िया हुआ तो हर क़ौम ने अपने ऐलाने इस्लाम में एक दूसरे से सबक़त की कोशिश की। मेरे वालिद मोहतरम भी हमारी बस्ती वालों के इस्लाम का ऐलान करने के लिए आपके पास हाज़िर हुए। जब वह वापस

الله عليه وسلم حقًّا فقال " صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " .

आये तो हम उनके इस्तिक़बाल के लिये गये! उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे पास अल्लाह तआला के सच्चे रसूल (ﷺ) के पास से आ रहा हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'फुलां नमाज़ फुलां वक़्त पढ़ो और फुलां नमाज़ फुलां वक़्त और जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो तुममें से एक आदमी अज़ान कहे और जो ज़्यादा क़ुर्आन पढ़ा हुआ है वह इमामत करे।'

(637) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1600

फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इमामत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वह शख़्स है जो क़ुर्आन का ज़्यादा माहिर और हाफ़िज़ हो और क़ुर्आनी उलूम से भी बहरावर हो। उसके मुक़ाबले में ख़ाली आलिमे दीन का दर्जा भी दूसरे नम्बर पर है।

باب (۹): اَلْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

बाब : (9) एक मस्जिद के लिये दो मुअज़्ज़िन भी मुक़र्रर किये जा सकते हैं

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " .

(638) हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ बिलाल (رضی اللہ عنہ) रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा तुम खाते पीते रहना यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (رضی اللہ عنہ) अज़ान कहें।

(638) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 620, मौता: 1/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1601.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर एक नमाज़ के लिये दो अज़ानें हों (जैसे फ़ज्र और जुमा मुबारक) तो मुअज़्ज़िन भी दो चाहिए ताकि आवाज़ का इम्तियाज़ रहे और लोग पहली और दूसरी अज़ान में इम्तियाज़ कर सकें। (2) आपके दौरे मुबारक में सलाते फ़ज्र के लिये दो अज़ानें हुआ करती थीं। एक फ़ज्र के तुलूअ से पहले ताकि लोग जाग जायें और जरूरी काम से फ़ारिग़ हो लें क्योंकि क़ुदरती तौर पर उस वक़्त बाक़ी नमाज़ों के औक़ात के मुक़ाबले में ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। अगर एक अज़ान पर

इक्तिफ़ा करते तो लोग जमाअत से रह जाते और दूसरी अज़ान तुलूअे फ़ज्र के बाद नमाज़े फ़ज्र का कुर्ब ज़ाहिर करने के लिये ताकि लोग घरों से चल पड़ें क्योंकि आप (ﷺ) अज़ान और इक़ामत में ज़्यादा फ़ासला नहीं फ़रमाते थे बल्कि अन्धेरे में नमाज़ शुरू फ़रमाते थे। पहली अज़ान बिलाल (ؓ) कहते और दूसरी इब्ने उम्मे मक्तूम (ؓ) **(3)** पहली अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी न सहरी के लिये, बल्कि ये असल अज़ान से थोड़ी देर पहले होती थी। मक़सद ऊपर बयान हो चुका है। तहज्जुद नफ़ल हैं और नफ़ल नमाज़ के लिये अज़ान नहीं, जैसे सलातुल ईद, सलातुल कुसूफ़, सलातुल इस्तिस्क़ा (बारिश) और तरावीह वग़ैरह, लिहाज़ा तहज्जुद के लिये भी अज़ान नहीं होगी। सहरी वैसे ही अज़ान से ग़ैर मुताल्लिक़ है। अज़ान नमाज़ के लिये है न कि खाने के लिये। हाँ! इन दो अज़ानों से कोई सहरी का फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा ले, मना नहीं जैसा कि हदीस़ के अन्दर इशारा मौजूद है मज़ीद इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " .

(639) हज़रत इब्ने उमर (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ बिलाल रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा खाते पीते रहो यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान सुनो।'

(639) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: (36)-1092, बुख़ारी 617, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1602.

باب (١٠): هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى

बाब : (10)
दोनों मुअज़्ज़िन इकट्ठे अज़ान कहें या अलग अलग? (एक के बाद दूसरे)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " . قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا .

(640) हज़रत आयशा (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब बिलाल अज़ान कहें तो खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दें।' और इन दोनों अज़ानों के दरम्यान स़िर्फ़ इतना फ़ासला होता था कि एक उतरता और दूसरा चढ़ जाता था।

(640) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: (38)-1092, बुख़ारी: 622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1603

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'एक उतरता और दूसरा चढ़ जाता था।' इससे क़िल्लत में मुबालग़ा मक़सूद है, जैसा कि उर्फ़ में इस क़िस्म के जुम्ले मशहूर हैं, वरना तो दो अज़ानों का कोई फ़ायदा न हुआ। इमाम नववी (ﷺ) ने अपनी अक्सर किताबों में इस बात की तसरीह की है कि अज़ाने अव्वल का आग़ाज़ रात के दूसरे निस्फ़ हिस्से से होता हैं उनका कहना है कि उलमा के यहाँ इसका मफ़हूम ये है कि पहला मुअज़्ज़िन अज़ान के बाद बैठा ज़िक्र व दुआ करता रहता था यहाँ तक कि फ़ज्र तुलूअ होती और उसे नज़र आने लगती तो वह नीचे उतर कर दूसरे मुअज़्ज़िन को ऊपर भेज देता था। ख़ुसूसन इसलिए भी कि दूसरे मुअज़्ज़िन हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) नाबीने थे, फ़ज्र नहीं देख सकते थे, उन्हें इत्तिला देना ज़रूरी था। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) इस क़ौल की तर्दीद में फ़रमाते हैं: सियाक़े हदीस की वाज़ेह मुख़ालिफ़त के साथ साथ यहाँ इस अम्र की भी ज़रूरत है कि वह कौन सी ख़ास दलील है जिसकी बिना पर उन्होंने इस मानी की तसहीह की है और ये मफ़हूम मुराद लिया है यहाँ तक कि उनके लिये तावील करना जायज़ होगी? देखिये: (फ़तहुल बारी: 2/125) बहरहाल लगता है कि दोनों अज़ानों के दरम्यान बहुत ज़्यादा फ़ासला न होता था, उसे मिनटों ही में बयान किया जा सकता है, घण्टों में नहीं, यानी अन्दाज़न 20, 30 मिनट का फ़ासला होता होगा। वल्लाहु आलम! **(2)** रिवायत से साबित हुआ कि दो मुअज़्ज़िन अलग अलग अज़ान की पहचान की सहूलत के लिये थे न कि इसलिये कि दोनों इकट्ठे अज़ान कहें। इसका तो कोई फ़ायदा ही न था।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ، أُنَيْسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَلاَ تَأْكُلُوا وَلاَ تَشْرَبُوا " .

(641) हज़रत उनैसा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान कहें तो तुम खाते-पीते रहो और जब बिलाल अज़ान कहें तो खाना पीना बंद कर दो।'

(641) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1604.

फ़ायदा : साबिक़ा रिवायात से मालूम होता है कि बिलाल पहली अज़ान कहते थे और इब्ने उम्मे मक्तूम दूसरी। इस रिवायत में उलट है कि इब्ने उम्मे मक्तूम पहली अज़ान कहते थे और बिलाल दूसरी। मुमकिन है कि वह आपस में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की इजाज़त से बारी बदलते रहते हों। ये भी हो सकता है कि इब्तिदा में हज़रत बिलाल (ﷺ) पहली अज़ान कहते हों और हज़रत अम्र बिन उम्मे मक्तूम (ﷺ) दूसरी, फिर बाद में बिलाल (ﷺ) के ज़िम्मे दूसरी अज़ान हो गई हो और अम्र बिन उम्मे मक्तूम (ﷺ) के ज़िम्मे पहली। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने फ़तहुल बारी में इस बात का इशारा

किया है। अम्र बिन उम्मे मक्तूम से मुराद अब्दुल्लाह बिन उम्मे कुल्सूम ही हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) के नज़दीक इनका असल नाम अम्र है जबकि उन्होंने अब्दुल्लाह भी सेग़-ए-तमरीज़ के साथ बयान किया है। देखिये: (तक़रीबुत्तहज़ीब: 1/734 व 2/255) जबकि हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर वग़ैरह ने इस हदीस में क़ल्ब वाक़ेअ होने का दावा किया है और कहा है कि दुरुस्त रिवायत इब्ने उमर (رضي الله عنه) वग़ैरह की है। लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं बल्कि हदीस सहीह है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुल बारी: 2/103) वल्लाहु आलम!

बाब : (11) नमाज़ के वक़्त से पहले अज़ान कहना

باب (١١): اَلْأَذَانُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا " . يَعْنِي فِي الصُّبْحِ .

(642) हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ बिलाल रात को अज़ान कहते हैं ताकि सोने वाले को जगायें और क़ियाम करने वाले को क़ियाम से लौटायें (ताकि हम कुछ आराम कर लें) और सुबह सादिक़ ऐसी नहीं होती (जैसी बिलाल की अज़ान के वक़्त होती है।)'

(642) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (60)-1093, बुख़ारी : 621, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1605.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) फ़ज्र तुलूअ होने से पहले अज़ान कहते थे। कुछ का ख़याल है कि वह फ़ज्रे काज़िब का वक़्त होता था जैसा कि इस हदीस में इशारा है। ये अज़ान दरअसल सुबह की नमाज़ की तैयारी के लिये होती थी ताकि लोग अपनी मसरूफ़ियात (क़ज़ाए हाजत, गुस्ल वग़ैरह) से दूसरी अज़ान तक फ़ारिग़ हो जायें, दूसरी अज़ान के बाद मस्जिद में पहुँच जायें और नमाज़ अव्वल वक़्त पर पढ़ी जा सके।(2) पहली अज़ान का एक मक़सद ये भी था कि जो तहज्जुद वग़ैरह पढ़ रहे हैं, वह नमाज़ को मुख़्तसर कर दें और वित्र वग़ैरह पढ़ लें क्योंकि फ़ज्र का वक़्त होने वाला है।

बाब : (12) सुबह की अज़ान का वक़्त

باب (١٢): وَقْتُ أَذَانِ الصُّبْحِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ سَائِلاً،

(643) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुबह के वक़्त के बारे में पूछा तो आपने (पहले दिन) बिलाल को

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَ الْفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ " هَذَا وَقْتُ الصَّلاَةِ " .

हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान कही जूहीं फ़ज्र तुलूअ हुई। जब अगला दिन हुआ तो आपने फ़ज्र की नमाज़ को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि ख़ूब रोशनी हो गई, फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई। फिर फ़रमाया: 'ये है नमाज़े सुबह का वक़्त (यानी कल और आज की नमाज़ों के दरम्यान)'

(643) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/121, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1606, हदीस: 545 में देखें।

फ़ायदा : मालूम हुआ अज़ान का वक़्त तुलूऐ फ़ज्र है। मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

باب (١٣): كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

बाब : (13) मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में कैसा तरीक़ा अपनाए?

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالاً

(644) हज़रत अबू जुहैफ़ा (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी (ﷺ) के पास आया तो बिलाल (رضي الله عنه) बाहर निकले और अज़ान कही। वह अपनी अज़ान में ऐसे दायें बायें मुँह मोड़ते थे।

(644) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 634, व मुस्लिम, हदीस: 503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1607.

फ़ायदा : वैसे तो अज़ान क़िब्ला रुख़ कही जाती है मगर (हय्य अलस्सलाह) कहते वक़्त मुँह दायें तरफ़ और (हय्य अलल फ़लाह) कहते वक़्त मुँह बायें तरफ़ किया जाता है ताकि दायें बायें भी आवाज़ पहुँच सके और ये सुन्नत है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये वक़्ती ज़रूरत थी जो लाऊडस्पीकर की ईजाद से पूरी हो गई है, लिहाज़ा अब दायें बायें रुख़ करने की ज़रूरत नहीं लेकिन ये तौजीह सरासर नबवी तरीक़-ए-कार के ख़िलाफ़ है। बज़ाहिर इसमें कोई हिक्मत हो या न हो, बहरहाल नबी (ﷺ) के तरीक़ों पर अमल पैरा होने ही में ख़ैर और भलाई है।

बाब : (14)
अज़ान बुलन्द आवाज़ से कही जाये

باب (١٤): رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيُّ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(645) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू स़अ़स़ आ अन्सारी से कहा: तहक़ीक़ मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और स़हरा के दिलदादा हो, इसलिये जब तुम अपनी बकरियों और स़हरा में हो और तुम अज़ान कहो तो बुलन्द आवाज़ से अज़ान कहा करो, इसलिये कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ की इन्तिहा तक जो भी जिन्न व इन्स या कोई और चीज़ उसे सुनती है, क़यामत के दिन उसके लिये गवाही देगी। अबू सईद (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने ये बात अल्लाह के रसूल (ﷺ) से सुनी है।

(645) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 609, मौत्ता: 1/69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1608.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ आदमी अकेला हो और बस्ती से बाहर हो, तब भी अज़ान कहे कि ये मुसलमानों का शिआ़र बन चुका है, और मुमकिन है वहाँ क़रीब कोई और चरवाहा या मुसाफ़िर हो तो वह भी मिल जायेगा और नमाज़ बा'जमाअ़त पढ़ी जायेगी। और अगर वहाँ कोई भी मौजूद न हो तो उसके पीछे दीगर मख़्लूक़ात, यानी फ़रिश्ते वग़ैरह नमाज़ अदा करते हैं। (तफ़्सील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस़: 668) **(2)** अज़ान, तल्बीया और तकबीर, यानी जिसमें अल्लाह तआ़ला की बुज़ुर्गी बयान हो, जिस क़द्र भी बुलन्द आवाज़ से हों उतना ही बेहतर है। अज़ान तो वैसे भी लोगों को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये है, इसलिये हर मुमकिन हद तक बुलन्द आवाज़ से होनी चाहिए ताकि दूर दूर तक इत्तिला हो सके, और क़यामत के दिन तमाम चीज़ें उस मुअज़्ज़िन के ईमान की गवाही देंगी, मुअज़्ज़िन को और क्या चाहिए! **(3)** जिन्न भी बनी आदम की आवाज़ सुनते हैं। **(4)** मख़्लूक़ भी एक दूसरे के हक़ में गवाही देगी।

(646) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुँह मुबारक से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'मुअज़्ज़िन की बख़्शिश की जाती है जहाँ तक उसकी (अज़ान की) आवाज़ पहुँचे और हर ख़ुश्क व तर चीज़ (जानदार और बेजान) उसके लिये गवाही देगी।'

(646) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 515, इब्ने माजा, हदीस: 724, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1609, व सहीह इब्ने हिब्बान (मवारिद), हदीस: 292.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَهُ مِنْ، فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ " .

फ़ायदा : यानी बिल फ़र्ज़ उसके गुनाह इतनी जगह को भरते हों जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तब भी अज़ान की बरकत से उसे माफ़ी हो जायेगी।

(647) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ अल्लाह तआला पहली सफ़ पर ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है और उसके फ़रिश्ते रहमत की दुआ करते हैं और मुअज़्ज़िन के उसकी आवाज़ पहुँचने की जगह तक के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं और उसकी अज़ान सुनने वाली हर जानदार बेजान चीज़ उसके ईमान की तस्दीक़ करेगी। और उसे उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ने वालों के बराबर सवाब मिलेगा।

(647) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1610, अबू इस्हाक़ तक़दीम, हदीस: 96, व हसन अल मुन्ज़िरी: 1/176.

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुअज़्ज़िन लोगों को नेकी की तरफ़ रहनुमाई करता है, लिहाज़ा उसे उनकी नमाज़ के सवाब के बराबर हिस्सा मिलेगा, बग़ैर इसके कि उनके सवाब में कोई कमी हो।(2) 'ईमान की तस्दीक़' क़यामत के दिन अल्लाह तआला के सामने या अज़ान के मौक़े पर।(3) (यूसल्लूना)

अल्लाह तआला रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। फ़रिश्ते वास्ते बनते हैं, या फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं जिसके नतीजे में अल्लाह तआला ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है।

बाब : (15) फ़ज्र की नमाज़ में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहना चाहिए

باب (١٥): اَلتَّثْوِيبُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

(648) हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से अज़ान कहा करता था और मैं फ़ज्र की पहली अज़ान में (हय्य अलल फ़लाह) के बाद (अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह) कहा करता था।

(648) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1611, सुनन अल कुब्रा लिलबैहक़ी: 1/422, हदीस़: 634.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ.

(649) हज़रत सुफ़ियान की ये हदीस़ इसी सनद के साथ हमें अम्र बिन अली के वास्ते से भी पहुँची है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं: (सनद में मज़्कूर हज़रत सुफ़ियान के उस्ताद) अबू जाफ़र से, अबू जाफ़र फ़र्राअ मुराद नहीं।

(649) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1612, अल मुसनद अहमद: 3/408.

फ़ायदा : ये हदीस़ इस बात की स़रीह नस़ और दलील है कि सुबह की अज़ान में (अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम) कहने का हुक्म आग़ाज़ में ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ही ने दिया था। इसका इन्तिसाब हज़रत उमर (ﷺ) की तरफ़ करना महज़ झूठ और इफ़्तरा है, हक़ीक़त से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

बाब : (16) अज़ान के आख़िरी कलिमात

باب (١٦): آخِرُ الأَذَانِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ آخِرُ الأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

(650) हज़रत बिलाल (ﷺ) बयान करते हैं कि अज़ान के आख़िरी कलिमात (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह) हैं।

(650) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1613, देखें हदीस: 633, 634 वग़ैरहुम।

फ़ायदा : आख़िरी कलिमात ज़ब्त करने का मक़सद ये है कि कोई शख़्स इब्तिदा पर क़यास करते हुए अल्लाहु अकबर चार दफ़ा और ला इलाह इल्लल्लाह को दीगर कलिमात पर क़यास करते हुए दो दफ़ा न कह दे या शुरू में अशहदु का इज़ाफ़ा न कर दे। चूंकि ये आख़िरी कलिमात बाक़ी अज़ान के अन्दाज़ से मुख़्तलिफ़ हैं, इसलिये उन्हें ख़ुसूसन ज़ब्त किया।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلاَلٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

(651) हज़रत अस्वद से मन्क़ूल है कि हज़रत बिलाल (ﷺ) की अज़ान के आख़िरी कलिमात (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह) थे।

(651) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1614, ये हदीस पहले बयान की जा चुकी है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، مِثْلَ ذَلِكَ .

(652) हज़रत इब्राहीम नख़ई की ये रिवायत आमश के वास्ते से भी हम तक पहुँची है।

(652) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1615, ये हदीस पहले बयान की जा चुकी है।

फ़ायदा : हदीस: 651 में हज़रत इब्राहीम नख़ई के शागिर्द मन्सूर थे जब कि हदीस: 652 में उनके शागिर्द आमश हैं।

خْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ آخِرَ الأَذَانِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

(653) हज़रत अबू महज़ूरा (ﷺ) से रिवायत है कि अज़ान का आख़िरी कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह है।

(653) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1616.

بَاب (١٧): الأَذَانُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

बाब : (17) बारिश वाली रात में जमाअत की हाज़िरी से रुख़सत की अज़ान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، يَقُولُ أَنْبَأَنَا رَجُلٌ، مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

(654) बनू सक़ीफ़ के एक आदमी से रिवायत है कि उसने दौराने सफ़र में बारिश वाली रात में नबी(ﷺ) के मुअज़्ज़िन को यूँ कहते सुना: (हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, सल्लू फ़िर रिहालिकुम) यानी 'अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़ लो।'

(654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/370, हदीस: 23528, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1617.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि (हय्य अलस्सलाह) और (हय्य अलल फ़लाह) एक-एक दफ़ा कहा जायेगा, लेकिन ये इख़्तिसार है, आम अज़ान की तरह बारिश वाली अज़ान में भी ये कलिमात दो-दो दफ़ा ही कहे जायेंगे बल्कि (सल्लू फ़ी बुयूतिकुम या अला सल्लू फ़िर रिहालिकुम) भी दो दफ़ा कहा जायेगा।**(2)** (सल्लू फ़िर रिहालिकुम) से मिलता जुलता कोई और लफ़्ज़ भी कहा जा सकता है, जैसे: (सल्लू फ़ी बुयूतिकुम) या (अला सल्लू फ़िर रिहालि) वग़ैरह। ये अल्फ़ाज़ (हय्य अलस्सलाह) के मनाफ़ी नहीं क्योंकि (हय्य अलस्सलाह) का मक़सूद है 'नमाज़ पढ़ो' और अगर उससे मुराद ये हो कि नमाज़ के लिये मस्जिद में आओ तो ये ख़िताब बारिश की सूरत में हाज़िरीन से होगा और ग़ाइबीन से ख़िताब (अला सल्लू फ़िर रिहालि) होगा।**(3)** ये अल्फ़ाज़ इस रिवायत के मुताबिक़ तो (हय्य अलल फ़लाह) के बाद कहे जायेंगे और यही मुनासिब है ताकि लोगों को रुख़सत का इल्म साथ ही हो जाये। कुछ रिवायात में ये अल्फ़ाज़ अज़ान के बाद हैं जिससे मालूम होता है कि ये कलिमात अज़ान के बाद अलग कहे जायेंगे ताकि अज़ान की असली सूरत में फ़र्क़ न

आयें सहीहैन में इब्ने अब्बास (ﷺ) की रिवायत से मालूम होता है कि ये कलिमात (हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) की जगह कहे जायेंगे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 901, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 699) सब रिवायात सही हैं, लिहाज़ा तीनों तरह जायज़ है। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये इस किताब का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

(655) इमाम नाफ़ेअ (رحمه الله) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने ठण्डी हवा वाली रात में अज़ान कही तो फ़रमाया: (अला सल्लू फ़िर रिहाल) 'ख़बरदार! घरों में नमाज़ पढ़ लो।' क्योंकि नबी (ﷺ) मुअज़्ज़िन को हुक्म देते, जब बारिश वाली ठण्डी रात होती कि वह (अज़ान में) कहे: (अला सल्लू फ़िर रिहाल)

(655) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 666, व मुस्लिम, (22)-697, मौत्ता: 1/73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1618.

फ़ायदा : 'घरों में नमाज़ पढ़ लो।' के ऐलान से मालूम हुआ कि बारिश वग़ैरह में दो नमाज़ों को इकट्ठा करने की बजाये ये ऐलान कर देना ज़्यादा सही है क्योंकि नबी (ﷺ) ने जमा करने की बजाये घरों में नमाज़ पढ़ने की रुख़्सत इनायत फ़रमा दी है, फिर जमा करने की क्या ज़रूरत है। अगरचे कुछ रिवायात के मफ़हूम (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلَا مَطَرٍ) और कुछ सहाबा से ऐसे मौक़े पर जमा करने का सुबूत मिलता है जिससे उसके जवाज़ में शक नहीं रहता, लेकिन नबी (ﷺ) से बारिश के मौक़े पर जमा करने की बजाये रुख़्सत के ऐलान ही का सुबूत मिलता है।

باب (١٨): اَلْأَذَانُ لِمَنْ يَّجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُوْلٰى مِنْهُمَا

बाब : (18) जो शख़्स दो नमाज़ों को पहली (नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो वह शुरू में अज़ान कहेगा

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَارَ

(656) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चले यहाँ तक कि अरफ़ा में आये तो वहाँ वादि-ए-नमिरा में अपने लिये ख़ैमा लगा हुआ पाया, चुनांचे आप उसी में

رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

उतरे यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने हुक्म दिया, (आपकी ऊँटनी) क़स्वा पर पालान कसा गया। जब आप वादि-ए-नमिरा के बीच में पहुँचे तो लोगों को ख़ुत्बा दिया, फिर बिलाल ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही तो आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो अस्र की नमाज़ पढ़ाई और उनके दरम्यान कोई (नफ़ल) नमाज़ नहीं पढ़ी।

(656) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1619.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमीरा अरफ़ात से मुत्तसिल एक वादी है जो अरफ़ात में शामिल नहीं। इस जगह ख़ुत्ब-ए-हज और ज़ुहर व अस्र की नमाज़ें जमा होती हैं। फिर वुक़ूफ़ अरफ़ात में होता है। आज कल मस्जिदे नमिरा इसी वादी में बनी हुई है। तौसीअ की बिना पर कुछ हिस्सा अरफ़ात में आ गया है।(2) जब दो नमाज़ों को पहली के वक़्त में जमा करेंगे तो सिर्फ़ पहली के लिये अज़ान कहेंगें हाँ, दोनों नमाज़ों के लिये इक़ामत अलग अलग होगी क्योंकि इक़ामत सिर्फ़ जमाअत की इत्तिला देने के लिये है, और जमा की सूरत में दूसरी अज़ान की ज़रूरत इसलिये भी नहीं कि लोग पहले से जमा हैं।(3) दो नमाज़ों के जमा का मसनून तरीक़ा ये है कि दरम्यान में नवाफ़िल न पढ़े जायें।

بَاب (١٩): الْأَذَانُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا

बाब : (19) पहली नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने के बाद दो नमाज़ें जमा करने की सूरत में एक ही अज़ान काफ़ी है

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ دَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

(657) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (वापसी के दौरान में) चले यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। वहाँ मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामतों से पढ़ीं और उनके दरम्यान नवाफ़िल नहीं पढ़े।

(657) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1218, देखें हदीस: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1620.

(658) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि हम मुज़्दलिफ़ा में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के साथ थे। आप ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही और हमें मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: नमाज़ के लिये उठो, चुनांचे आपने हमें इशा की नमाज़ दो रकअत पढ़ाई। मैंने कहा: ये कैसी नमाज़ है? फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इस जगह ऐसे ही नमाज़ पढ़ी थी।

(658) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1621.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا مَعَهُ بِجَمْعٍ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ الصَّلاَةَ . فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ قَالَ هَكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ .

बाब : (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के लिये एक इक़ामत काफ़ी हो सकती है?

باب (٢٠): الْإِقَامَةُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

(659) हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी है कि उन्होंने मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक इक़ामत से पढ़ीं, फिर उन्होंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान किया कि उन्होंने ऐसे ही किया था और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि नबी (ﷺ) ने भी ऐसे ही किया था।

(659) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1622.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(660) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मुज़्दलिफा में (मग़रिब और इशा की) नमाज़ें एक इक़ामत के साथ पढ़ीं।

(660) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

बयान की जा चुकी है, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1623.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلاَ بَعْدُ .

(661) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी थीं। आपने उनमें से हर नमाज़ अलग इक़ामत से पढ़ी और उनमें किसी नमाज़ से भी आगे या पीछे नफ़ल नहीं पढ़े।

(661) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1624.

फ़ायदा : इस रिवायत में हर नमाज़ के लिये अलग इक़ामत का ज़िक्र है जबकि पिछली तीन रिवायात में दोनों के लिये एक इक़ामत का ज़िक्र है और ये चारों रिवायात हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ही से हैं। पिछले बाब की पहली रिवायत हज़रत जाबिर (ﷺ) से है और इसमें सराहतन दो इक़ामतों का ज़िक्र है और यही सही है। हज़रत उसामा (ﷺ) से भी दो इक़ामतों की सराहत आई है, लिहाज़ा जिस रिवायत में एक इक़ामत का ज़िक्र है उससे मुराद हर नमाज़ के लिये एक इक़ामत होगी या फिर एक इक़ामत वाली रिवायत शाज़ है। लेकिन कुछ का कहना है कि जब इस तरह तत्बीक़ मुमकिन है तो फिर शज़ूज़ के दावे की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अज़ान एक ही काफ़ी है क्योंकि वह सिर्फ़ लोगों को बुलाने के लिये होती है। जमा की सूरत में दूसरी नमाज़ के लिये लोग पहले से मौजूद होते हैं।

باب (٢١): اَلْأَذَانُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

बाब : (21) फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये अज़ान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَلِكَ قَبْلَ

(662) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि हमें मुश्रिकों ने जंगे ख़न्दक़ के दिन ज़ुहर की नमाज़ से मसरूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया, लड़ाई (की नमाज़) के बारे में जो कुछ नाज़िल हुआ (यानी सलाते ख़ौफ़ का तरीक़ा) ये उससे पहले की बात है, चुनांचे अल्लाह तआला ने ये आयत उतार दी: 'अल्लाह तआला मोमिनों को लड़ाई से काफ़ी हो गया।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ } فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً فَأَقَامَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا .

बिलाल (ﷺ) को हुक्म दिया तो उन्होंने ज़ुहर की नमाज़ की इक़ामत कही तो आपने इस तरह नमाज़ पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फिर अस्र की इक़ामत कही तो आपने वह नमाज़ भी उसी तरह पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फिर बिलाल (ﷺ) ने मग़रिब की अज़ान कही तो आपने उसे उसके वक़्त में पढ़ा।

(662) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1625, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 996, व इब्ने हिब्बान (मवारिद): 285.

फ़वाइद व मसाइल : (1)मालूम हुआ कि फ़ौत शुदा नमाज़ सिर्फ़ इक़ामत से अदा की जायेगी और वक़्ती नमाज़ के लिये अज़ान कही जायेगी ताकि लोगों को इश्तेबाह न हो क्योंकि आप शहर और आबादी में थे। जब सहरा में सुबह की नमाज़ फ़ौत हुई थी तो आपने अज़ान कहलवा कर नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि वहाँ इश्तेबाह का ख़तरा न था। गोया फ़ौत शुदा नमाज़ के लिये अज़ान न तो ज़रूरी है और न मना है, मौक़ा महल देखा जायेगा। मज़ीद देखिये हदीस: 622, **(2)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: (1/505) में बाब यूँ है: (الأذان للفوائت من الصلوات) इस उन्वान से वाज़ेह होता है कि इमाम नसाई (رحمہ اللہ) का रूझान बज़ाहिर हर फ़ौत शुदा नमाज़ के लिए अज़ान की मशरूइयत का है लेकिन हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) की हदीस में अगर वाक़ेई अज़ान का ज़िक्र महफ़ूज़ और साबित है, फिर तो मशरूइयत यक़ीनी है और मुसन्निफ़ (رحمہ اللہ) का इस्तिदलाल भी वाज़ेह है। लेकिन ऐसा लगता नहीं क्योंकि दीगर मुख़्तलिफ़ तुरुक में अज्ज़न की बजाये इक़ाम के अल्फ़ाज़ मन्क़ूल हैं। वल्लाहु आलम। मज़ीद देखिये: (इर्वा: 1/657, व ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 8/99)

باب (٢٢): اَلاِجْتِزَاءُ لِذٰلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَّاحِدٍ وَّالْإِقَامَةُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا

बाब : (22) सब फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये एक अज़ान और अलग अलग इक़ामत का काफ़ी होना

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ

(663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि तहक़ीक़ मुश्रिकीन ने नबी(ﷺ) को जंगे ख़न्दक़ में एक दिन चार नमाज़ों से रोके

شَغَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

रखा। आपने बिलाल (ﷺ) को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही, चुनांचे आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो आपने अस्र की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो आपने मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ी।

(663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 623 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1626.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत अगरचे इन्क़िताअ की वजह से सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की बिना पर दुरुस्त है क्योंकि ये मफ़हूम और वाक़िया दीगर स़ही अहादीस़ में मौजूद है।**(2)** अस़ल में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें फ़ौत हुई थीं। मग़रिब का वक़्त हो चुका था। अज़ान कहलाई गई। तीनों नमाज़ें पढ़ी गईं। ज़ुहर और अस्र तो क़ज़ा थीं मगर मग़रिब वक़्त के आख़िर में पढ़ी गई। इतने में इशा का वक़्त हो गया तो साथ ही वह भी पढ़ ली गई। गोया अदायगी के लिहाज़ से चार इकट्ठी थीं वरना हक़ीक़तन मग़रिब और इशा अपने अपने वक़्त में थीं। अदायगी को देखते हुए रावी ने चार नमाज़ों से रोके जाने का ज़िक्र कर दिया। जंग तो मग़रिब के वक़्त बंद हो गई थी। अगर कुछ देर भी हो गई तो इशा की नमाज़ के फ़ौत होने का तो इम्कान ही नहीं। साबिक़ा रिवायत में इसकी स़राहत हैं अगर अलग अलग वाक़िया हो तो दूसरी बात है और यही बात स़ही है क्योंकि दीगर रिवायात से इसकी ताईद होती है। देखिये फ़वाइद व मसाइल हदीस़: 664.

لِاكْتِفَاءُ بِالْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

बाब : (23)(फ़ौत शुदा नमाज़ों में से) हर नमाज़ के लिये इक़ामत ही काफ़ी है

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

(664) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि हम एक जंग में थे तो मुश्रिकों ने हमें ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ों से रोके रखा। जब मुश्रिकीन पीछे हट गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया। उसने ज़ुहर की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने नमाज़ पढ़ी, फिर उसने अस्र की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने अस्र पढ़ी, फिर उसने

مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا فَأَقَامَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّيْنَا ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ " مَا عَلَى الأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ " .

मग़रिब की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर उसने इशा की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'रूए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा कोई जमाअत (इस वक़्त) अल्लाह (عزوجل) का ज़िक्र नहीं कर रही।'

(664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1627.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पीछे गुज़र चुका है कि बे'वक़्त अज़ान से चूंकि दूसरे लोगों को इश्तिबाह का ख़तरा हो सकता है, लिहाज़ा मौक़ा महल का लिहाज़ रखा जाये, जैसे: अगर किसी नमाज़ का वक़्त शुरू हुआ है तो अज़ान कह कर फ़ौत शुदा नमाज़ें और वक़्ती नमाज़ पढ़ ली जाये जैसा कि हदीस: 663 में है और अगर किसी नमाज़ का वक़्त नहीं रहा, वक़्त क़रीबुल इख़्तिताम है तो फ़ौत शुदा नमाज़ें पहले पढ़ ली जायें, फिर वक़्ती नमाज़ के लिये अज़ान कह ली जाये जैसा कि हदीस: 662 में है और अगर सब ही क़ज़ा हैं और किसी नमाज़ का वक़्त नहीं तो फिर सबके लिये सिर्फ़ इक़ामत ही कह ली जाये, जैसे हदीस: 664 में है और अगर सहरा है, किसी के लिये इश्तिबाह का ख़तरा मुमकिन नहीं तो कोई भी वक़्त हो, अज़ान कह कर फ़ौत शुदा नमाज़ पढ़ ली जाये जैसा कि हदीस: 622 वग़ैरह में है। वल्लाहु आलम! (2) सहीह बुख़ारी में हज़रत अली (رضي الله عنه) से सिर्फ़ अस्र की नमाज़ फ़ौत होने का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4111) वह अलग वाक़िया होगा क्योंकि जंगे ख़न्दक़ कई दिन होती रही। वल्लाहु आलम!

الإِقَامَةُ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ

बाब : (24) जो शख़्स (इमाम) एक रकअत भूल गया (और सलाम फेर कर चल दिया) फिर उस एक रकअत को अदा करे तो इक़ामत भी कहे

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ،

(665) हज़रत मुआविया बिन हुदैज (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन

حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِي أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ . قَالُوا هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

नमाज़ पढ़ी और सलाम फेर दिया (और मस्जिद से बाहर चले गये) हालांकि एक रकअ़त बाक़ी थी। एक आदमी पीछे से जाकर आपको मिला और बतलाया कि आप एक रकअ़त भूल गये हैं आप दोबारा मस्जिद में दाख़िल हुए और बिलाल को हुक्म दिया। उन्होंने इक़ामत कही तो आपने लोगों को फ़ौत शुदा रकअ़त पढ़ाई। मैंने ये बात जाकर दूसरे लोगों को बतलाई तो उन्होंने मुझसे कहा: क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो? मैंने कहा नहीं मगर ये कि मैं उन्हें दोबारा देखूं। इत्तेफ़ाक़न वह मेरे पास से गुज़रे तो मैंने कहा: ये हैं वह। लोगों ने कहा: ये तल्हा बिन उ़बैदुल्लाह हैं।

(665) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1628.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरते वाक़िया यूँ मालूम होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सलाम फेर कर मस्जिद से निकल गये। हज़रत तल्हा ने जाकर आपको ख़बर दी। चूंकि फ़ासला हो चुका था, लिहाज़ा आपने नई इक़ामत कहलवाई ताकि नमाज़ी जमा हो जायें, अगरचे ये भी कहा जा सकता है कि आप मस्जिद से बाहर न गये थे, इस सूरत में मस्जिद में दाख़िल होने से मुराद नमाज़ की जगह पर वापस आना हैं लुग़वी तौर पर इसे मस्जिद कहा जा सकता है। लेकिन पहली बात ज़्यादा मुनासिब है और हदीस के ज़ाहिर से क़रीब तर भी। **(2)** अहनाफ़ इस सूरत में नमाज़ के बातिल होने और नये सिरे से सारी नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं और इस हदीस को इब्तिदाई दौर पर महमूल करते हैं मगर ये बात बिला दलील है। वल्लाहु आलम!

أَذَانُ الرَّاعِي

बाब : (25) चरवाहे की अज़ान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(666) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रबीआ (ﷺ) से रिवायत है कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। आपने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो अज़ान कह रहा था। आप उसकी अज़ान का जवाब देने लगे। जब वह (अश्हदु अन्न मुहम्मदर

فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - قَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ هَذَا لَرَاعِي غَنَمٍ أَوْ رَجُلٌ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ " . فَهَبَطَ الْوَادِيَ فَإِذَا هُوَ بِرَاعِي غَنَمٍ وَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ قَالَ " أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا " .

रसूलुल्लाह) तक पहुँचा तो आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ ये शख़्स बकरियों का चरवाहा है या अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ है।' फिर आप उस वादी में उतरे तो पता चला कि वह बकरियों का चरवाहा है। आप एक मरी हुई बकरी के पास से गुज़रे। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें यक़ीन है कि ये बकरी अपने घर वालों के नज़दीक बेक़द्र है?' सहाबा ने अर्ज़ किया: हाँ आपने फ़रमाया: 'दुनिया अल्लाह तआला के नज़दीक इस (बकरी) से भी बढ़ कर ज़लील है।'

(666) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1629.

फ़ायदा : सहरा में जहाँ अज़ान की आवाज़ न सुनाई देती हो, वहाँ कोई अकेला मुसाफ़िर या चरवाहा नमाज़ पढ़ना चाहे तो अज़ान कहे, अलबत्ता अगर क़रीबी बस्ती की अज़ान सुनाई देती हो तो वह काफ़ी है अलग अज़ान ज़रूरी नहीं , और देखिये: (हदीस: 645)

الْأَذَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

बाब : (26) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की अज़ान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " .

(667) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला बकरियों के उस चरवाहे से ताज्जुब करता है जो किसी पहाड़ की चोटी पर रहता है और अज़ान कह कर नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: 'मेरे इस बन्दे को देखो। अज़ान कहता है और नमाज़ क़ाइम करता है। मुझसे डरता हैं मैंने अपने बन्दे को माफ़ कर दिया और उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया।'

(667) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 1203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1630, व सहीह इब्ने हिब्बान: 260.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी फ़ैसला कर दिया कि ये जन्नत में जायेगा या मैं उसे जन्नत में दाख़िल करूंगा। बात क़तई होने की वजह से माज़ी के अल्फ़ाज़ में इसका ज़िक्र है। (2) 'ताज्जुब करता है।' ख़ुशी, नाराज़ी, ताज्जुब और रहमत वग़ैरह अल्लाह तआला के औसाफ़ हैं, जैसे भी उसकी ज़ात के लायक़ हैं, उनकी तावील करने की ज़रूरत नहीं। क़ुर्आन मजीद और हदीस शरीफ़ में इनका ज़िक्र आम है। अगर ये अल्फ़ाज़ अल्लाह तआला के लिये मुनासिब न होतें तो यूँ ज़िक्र न होता। रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआला के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं।

बाब : (27) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत

الْإِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

(668) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ की सफ़ में बैठे हुए थे .... अलहदीस

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي صَفِّ الصَّلاَةِ الْحَدِيثَ .

(668) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1631, अबू दाऊद, हदीस: 861, इब्ने माजा, हदीस: 460, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 545.

फ़ायदा : इमाम साहब ने तफ़्सीली रिवायत ज़िक्र नहीं की। ये मुसीउस्सलाह की हदीस के नाम से मशहूर है। लेकिन इससे इस्तिदलाल वाज़ेह नहीं होता। जबकि सुनन अबू दाऊद के एक तरीक़ में इक़ामत की तसरीह मौजूद है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इक़ामत कह, फिर उसके बाद तकबीर (तहरीमा) कह ....' देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 807) और सुनन अल कुबरा लिन नसाई: (1/507) में नफ़्स उसी उन्वान के तहत मज़्कूर हदीस में इक़ामत का ज़िक्र मौजूद है। इस तरह हदीस से इमाम साहब (रह.) का इस्तिदलाल वाज़ेह है कि अकेला शख़्स भी इक़ामत कह सकता है अगरचे उसके साथ कोई और नमाज़ पढ़ने वाला न हो क्योंकि इस सूरत में उसके पीछे अल्लाह तआला की मख़्लूक़ के बेशुमार लश्कर नमाज़ अदा करते हैं। हदीस में है: 'अगर (सिर्फ़) इक़ामत कहता है तो उसके साथ, उसके साथ वाले दोनों फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं और अगर अज़ान और इक़ामत कहता है तो उसके पीछे इस क़द्र अल्लाह के लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं कि उनकी दोनों अतराफ़ नहीं देखी जा सकतीं (क्योंकि सफ़ें बहुत दराज़ होती हैं।)' देखिये: (सहीह तर्ग़ीब वत्तरहीब लिल अल्बानी: 1/295) मालूम हुआ अकेला आदमी अज़ान भी दे सकता है और इक़ामत

भी कह सकता है, बिल ख़ुसूस जब कि वह आबादी से बाहर हो। बहरहाल अकेले आदमी का इक़ामत कहना बे'फ़ायदा नहीं है। वल्लाहु आलम!

बाब : (28) इक़ामत कैसे कही जाये?

كَيْفَ الْإِقَامَةُ

(669) जामेअ मस्जिद के मुअज़्ज़िन अबू मुसन्ना ने कहा: मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से अज़ान के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में अज़ान दो-दो कलिमात थे और इक़ामत एक-एक कलिमा, मगर जब तू (क़दक़ामतिस्सलाह) कहे तो वह दो मर्तबा है। जब हम (क़दक़ामतिस्सलाह) के अल्फ़ाज़ सुनते तो वुज़ू करते, फिर नमाज़ के लिये जाते।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ، فَقَالَ كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.

(669) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 629 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1632.

फ़ायदा : ये कभी कभार की बात होगी, जैसे: खाने या नींद की वजह से, वरना सहाब-ए-किराम(ﷺ) अक्सर पहले से मस्जिद में मौजूद होते थे। (इक़ामत की बहस के लिये देखिये हदीस: 1629 और इस किताब का इब्तिदाइया)

बाब : (29) हर आदमी अपने लिये इक़ामत कहे?

إِقَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

(670) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे और मेरे साथी को कहा: 'जब नमाज़ का वक़्त आये तो तुम अज़ान कहो, फिर इक़ामत कहो, फिर तुममें से बड़ा इमामत करवाये।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِصَاحِبٍ لِي " إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا " .

(670) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 635 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1633.

फ़ायदा : इन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि तुम सब अज़ान कहो और सब इक़ामत कहो बल्कि मतलब ये है कि तुममें से कोई एक शख़्स अज़ान और इक़ामत कहे। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 635, 636) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने मुख़्तलिफ़ सफ़र में सिर्फ़ एक ही अज़ान कहलवाई है, और सफ़र और हज़र का फ़र्क़ भी मोतबर नहीं, हुक्म एक ही है, लिहाज़ा इस हदीस से इमाम नसाई (رحمه الله) का हर आदमी के लिये इक़ामत की मशरूइयत का इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम!

बाब : (30)
अज़ान कहने की फ़ज़ीलत

فَضْلُ التَّأْذِينِ

(671) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ के लिये अज़ान कही जाती है तो शैतान हवा छोड़ता (पादता) हुआ भागता है यहाँ तक कि अज़ान नहीं सुनता। जब अज़ान मुकम्मल हो जाती है तो आ जाता है, फिर जब इक़ामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है, यहाँ तक कि इक़ामत मुकम्मल हो जाती है तो वापस आ जाता है, यहाँ तक कि आदमी और उसके दिल के दरम्यान वस्वसे डालता है, उसे कहता है: फ़ुलां चीज़ याद कर, फ़ुलां चीज़ याद कर। ऐसी चीज़ें जो पहले उसके ज़हन में नहीं थीं यहाँ तक कि आदमी की ये हालत हो जाती है कि वह नहीं जानता कि कितनी नमाज़ पढ़ी है?'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الْمَرْءُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى " .

(671) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 608, मौत्ता: 1/69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1634, मुस्लिम, हदीस: (19)-389.

फ़वाइद व मसाइल :(1) 'हवा छोड़ता (पादता)' ज़ाहिर है कि इससे हक़ीक़तन हवा छोड़ना (पादना) ही मुराद है। अगर शैतान खा पी सकता है तो बाक़ी लवाज़िम से इन्कार क्यूँ? कुछ लोगों ने इससे नफ़रत मुराद ली है लेकिन ये तावील बिला दलील है। वल्लाहु आलम **(2)** 'वस्वसे डालता है।' यानी उसकी तवज्जह नमाज़ की बजाये इधर उधर मबज़ूल कराता है। लअनहुल्लाह!

बाब : (31)अज़ान कहने के लिये कुर्आ अन्दाज़ी करना

الِاسْتِهَامُ عَلَى التَّأْذِينِ

(672) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर लोग अज़ान और सफ़े अव्वल की फ़ज़ीलत को जानते और फिर कुरआ अन्दाज़ी के अलावा कोई चार-ए-कार न पाते तो उनके लिये ज़रूर कुरआ अन्दाज़ी करते। अगर लोग ज़ुहर की नमाज़ जल्दी (अव्वल वक़्त में) पढ़ने की फ़ज़ीलत जानते तो एक दूसरे से आगे भागते और अगर इशा और फ़ज्र की फ़ज़ीलत को जानते तो ज़रूर आते, ख़्वाह घिसट कर ही आना पड़े।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " .

(672) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 541 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1635.

फ़ायदा : इशारतन मालूम होता है कि अगर कभी कुरआ अन्दाज़ी तक नौबत पहुँच जाये तो तनाज़अ (विवाद) ख़त्म करने के लिये कुरआ भी डाला जा सकता है।

बाब : (32)ऐसा मुअज़्ज़िन रखना जो अज़ान पर तनख़्वाह न लेता हो

اتِّخَاذُ الْمُؤَذِّنِ الَّذِي لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

(673) हज़रत उस्मान बिन अबुल आस (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुज़ारिश की कि आप मुझे मेरी क़ौम का इमाम मुक़र्रर फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'तुम उनके इमाम हो। नमाज़ पढ़ाते वक़्त उनमें से कमज़ोर तरीन आदमी का लिहाज़ रखना और ऐसा मुअज़्ज़िन रखना जो अपनी अज़ान पर तंख़्वाह न लेता हो।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . فَقَالَ " أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ

(673) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद,

بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا " .

हदीस: 531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1636, व सहीह हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 1/199-201, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 468.

फ़ायदा : अज़ान, नमाज़ या तालीम की उजरत लेना जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक जायज़ हैं हाँ, न ले तो औला (दुरुस्त) हैं याद रहे कि अज़ान वग़ैरह देना उजरत के साथ इस तरह मशरूत न हो कि अगर उसकी उजरत और तनख़्वाह न मिले तो अज़ान भी न दे, ये चीज़ सराहतन दीनी रूह और इख़्लास के मुनाफ़ी है। ग़ालिबन हदीस में इसी क़िस्म की शर्त के पेशे नज़र ऐसे मुअज़्ज़िन को न रखने की तर्ग़ीब है न कि सिरे से उसका तआवुन ही नहीं हो सकता, ऐसा क़तअन नहीं। अगर कोई बरसरे रोज़गार न हो, सिर्फ़ इसी क़िस्म की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ हो तो उसकी रोज़मर्रा ज़रूरियात का बन्दोबस्त अच्छा होना चाहिए, वरना वह दिल जमई से अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकेगा और बिल आख़िर छोड़ने पर मजबूर होगा तो इस क़िस्म की दीनी ज़िम्मेदारियाँ फिर कौन निभायेगा? वल्लाहु आलम!

الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

बाब (33)
मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनकर जवाब देना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".

(674) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम अज़ान सुनो तो उसी तरह कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है।'

(674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 611, व मुस्लिम, हदीस: 383, मौत्ता: 1/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1637.

फ़वाइद व मसाइल :(1) मुअज़्ज़िन की अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है या वाजिब? जुम्हूर इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। उनकी दलील सहीह मुस्लिम की हदीस है जिसमें है कि जब मुअज़्ज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा, आपने फ़रमाया: 'ये फ़ितरत पर है।' और जब शहादतैन कही तो आपने फ़रमाया: 'तू आग से निकल गया।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:382) उनके बक़ौल आप (ﷺ) ने यहाँ जवाब की बजाये ये कलिमात फ़रमाये हैं, अगर जवाब दिया होता तो ज़रूर मन्क़ूल होता, लिहाज़ा ये अदमे वुजूब की दलील है। जबकि दीगर कुछ उलमा की राय वुजूब की है क्योंकि अहादीस का ज़ाहिर यही है, मज़ीद ये कि वुजूब से फेरने वाला कोई सरीह क़रीना भी मौजूद नहीं और किसी चीज़ का अदमे ज़िक्र उसके अदमे वुजूब का तक़ाज़ा नहीं करता। यहाँ भी ऐसे ही है, यानी इस हदीस में ये तो नहीं कि आपने जवाब

नहीं दिया, मुमकिन है जवाब भी दिया हो और ये कलिमात भी कहे हों और रावी ने बग़र्ज़े इख़्तिसार हदीस़ में मज़्कूर मज़ीद फ़ायदे का ज़िक्र कर दिया और जवाब को आम शोहरत की बिना पर तर्क कर दिया हो जैसा कि कुछ औक़ात रावी ऐसा तसर्रुफ़ करते हैं। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुल बारी: 2/110) **(2)** अज़ान का जवाब साथ साथ देना बेहतर और अफ़ज़ल है, ताहम मजबूरी की हालत अज़ान के आख़िर में भी दिया जा सकता है। वल्लाहु आलम।**(3)** तमाम कलिमात के जवाब में वही कलिमात कहे जायेंगे मगर (हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) के जवाब में (ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह) 'गुनाह से बचना और नेकी करना अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ के बग़ैर मुमकिन नहीं।' कहा जायेगा अहादीस़ में इसकी सराहत है। कुछ रिवायात में (अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम) के जवाब में (सदक़्ता व बरर्ता) के अल्फ़ाज़ आये हैं मगर ये साबित नहीं, लिहाज़ा असल कलिमात ही कहे जायें। तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

बाब (34)
अज़ान का जवाब देने का सवाब

ثَوَابُ ذَلِكَ

(675) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि बिलाल(ﷺ) खड़े होकर अज़ान कहने लगे। जब वह ख़ामोश हुए तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने इन कलिमात की तरह कलिमात (जवाबन) कहे, वह यक़ीनन जन्नत में दाख़िल होगा।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدٍ الزُّرَقِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(675) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1641, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 294, हाकिम: 1/204.

फ़ायदा : इस हदीस़ के मानी बज़ाहिर वही हैं जो मुसन्निफ (लेखक) (رحمه الله) ने मुराद लिये हैं कि जो शख़्स अज़ान का जवाब दे वह जन्नत में जायेगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (35) मुअज़्ज़िन के शहादतैन की तरह शहादतैन पढ़ना

لِقَوْلُ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي هَكَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(676) हज़रत मुजम्मिअ़ बिन यह्या अन्सारी ने कहा: मैं हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ के पास बैठा था कि मुअज़्ज़िन ने अज़ान शुरू कर दी। उसने दोबार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा तो आपने भी दोबार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा। फिर उसने दोबार अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह कहा तो आपने भी दोबार अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह कहा। फिर उसने अश्हदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो आपने भी दो मर्तबा अश्हदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा। फिर फ़रमाया: मुझे हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान इसी तरह बयान किया।

(676) तख़रीज : (सनद सही) हुमैदी, हदीस: 606, मुसनद अहमद: 4/93-98, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1639, बुख़ारी, हदीस: 914.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُجَمِّعٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، - رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ.

(677) हज़रत मुआविया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, जब कि आप(ﷺ) ने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनी थी, कि आप इस तरह फ़रमा रहे थे जिस तरह मुअज़्ज़िन कह रहा था।

(677) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1638.

बाब : (36) जब मुअज़्ज़िन हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहे तो जवाब में क्या कहा जाये?

الْقَوْلُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ .

(678) हज़रत अल्क़मा बिन वक़्क़ास से रिवायत है, उन्होंने कहा: तहक़ीक़ मैं हज़रत मुआविया (ﷺ) के पास था जब उनके मुअज़्ज़िन ने अज़ान शुरू की। हज़रत मुआविया ने भी इसी तरह कहा जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता था यहाँ तक कि जब उसने (हय्य अलस्सलाह) कहा तो आपने (ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह) कहा, फिर जब उसने (हय्य अलल फ़लाह) कहा तो आपने फिर (ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह) कहा और उसके बाद इस तरह कहा जिस तरह मुअज़्ज़िन ने कहा। फिर फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह फ़रमाते सुना है।

(678) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/91,92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1640, बुख़ारी, हदीस: 612, 613 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ إِنِّي عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

बाब : (37) अज़ान के बाद नबी (ﷺ) पर दरूद पढ़ना चाहिए

الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الأَذَانِ

(679) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब तुम मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनो तो जिस तरह वह कहे उसी तरह तुम भी कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो। जो शख़्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा अल्लाह तआला उस पर दस दफ़ा रहमत नाज़िल फ़रमायेगा, फिर

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ " .

अल्लाह तआला से मेरे लिये मक़ामे वसीला का सवाल करो ये जन्नत में एक मक़ाम है जो अल्लाह तआला के सब बन्दों में से सिर्फ़ एक बन्दे के लायक़ है और मुझे उम्मीद है कि वह बन्दा मैं हूँगा, लिहाज़ा जो शख़्स मेरे लिये मक़ामे वसीला की दुआ करेगा उसके लिये मेरी शफ़ाअत लाज़िम होगी।'

(679) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 384, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1642.

फ़ायदा : अज़ान कहने के बाद दरूदे इब्राहीमी पढ़ा जायेगा, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये ख़ुसूसी दुआ की जायेगी जिसकी तफ़्सील अगली अहादीस में आ रही है।

الدُّعَاءُ عِنْدَ الأَذَانِ

बाब (38) अज़ान के बाद की दुआ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " .

(680) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मुअज़्ज़िन की अज़ान सुने और कहे: (अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह ..... व बिमुहम्मदिर्रसूलन) 'मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। मैं अल्लाह को बतौर रब और इस्लाम को बतौर दीन और मुहम्मद (ﷺ) को बतौर रसूल पसन्द करता हूँ।' तो उसके गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(680) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (13)-386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1643.

फ़ायदा : यक़ीनन जो शख़्स अक़ीदे में रासिख़ हो और सिद्क़ (सच्चे) दिल से इन बातों का मोतरिफ़ हो (ऐतराफ करता हो) उसे वाक़ई अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देता है, ख़्वाह कितने ही गुनाहों का मुर्तकिब हो। भला उसकी बख़्शिश और बन्दे के दरम्यान कौन हाइल हो सकता है?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(681) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अज़ान सुनने के बाद ये कहे: (अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहिद्दअवतित्ताम्माति..... वबअ़सहु मक़ाम्म महमूद निल्लज़ी वअ़त्तहू) 'ऐ अल्लाह! इस मुकम्मल दावत और क़ाइम होने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद (ﷺ) को (जन्नत में) मक़ामे वसीला और फ़ज़ीलत अ़ता फ़रमा और आपको मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ फ़रमा जिसका तूने उनसे वादा कर रखा है।' उसके लिये क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअ़त लाज़िम हो गई।'

(681) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 614, 4719, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1644.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुकम्मल दावत से मुराद अज़ान है क्योंकि इसमें तमाम उसूले दीन मौजूद हैं जिनकी तरफ़ इस्लाम दावत देता है। चूंकि इस अज़ान का हुक्म अल्लाह तआ़ला ने दिया है, इसलिये इसे इस मुकम्मल दावत का रब कहा गया।(2) सलाते क़ाइमा से मुराद वह नमाज़ है जो अभी बा'जमाअ़त क़ायम होगी। (3) अल वसीला की तफ़्सीर तो हदीस: 679 में गुज़र चुकी है कि वह जन्नत में एक मक़ाम है जो सिर्फ़ एक शख़्स को मिलेगा और वह शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) ही होंगे। अल फ़ज़ीला से मुराद भी कुछ लोगों के नज़दीक एक मक़ाम है, मगर किसी हदीस से इस मफ़हूम की ताईद नहीं होती, लिहाज़ा इससे मुराद फ़ज़ीलत होगी जो नबी (ﷺ) को सब लोगों, उम्मतों और अम्बिया(عليهم السلام) पर हासिल होगी, जन्नत से बाहर भी और जन्नत के अन्दर भी। और मक़ामे महमूद हश्र के रोज़ आपको नसीब होगा जब सब अम्बिया की उम्मतें आपके पास चल कर आयेंगी और आपसे शफ़ाअ़ते कुब्रा की दरख़्वास्त करेंगी। आप अपने रब (عزوجل) के इन्तिहाई क़रीब पहुँच कर सज्दे में गिर जायेंगे और अपने रब तआ़ला की बेमिसाल तारीफ़ें करेंगे, जब कि तमाम ख़लाइक़ आपकी तारीफ़ें कर रही होगी। अल्लाह तआ़ला आपको प्यार मोहब्बत से सज्दे से उठायेगा और आपकी शफ़ाअ़त क़बूल फ़रमायेगा। इसे मक़ामे महमूद कहने की वजह यही है कि आप ये मक़ाम, हम्द से हासिल करेंगे। आप अपने रब की हम्द करेंगे और सब लोग आपकी हम्द कर रहे होंगे। इस मक़ाम का वादा कुर्आन मजीद में है: 'उम्मीद है आप का रब आपको अन क़रीब मक़ामे महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमायेगा।' (बनी इस्राईल: 17/79)(4) सुनन बैहक़ी की रिवायत में इस दुआ के आख़िर में

'यक़ीनन तू वादे की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता।' के अल्फ़ाज़ भी हैं लेकिन ये शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं, मज़ीद ये कि कुछ लोग (والدرجة الرفيعة) का इज़ाफ़ा भी करते हैं मगर वह हदीस़ की कुतूब में नहीं बल्कि बेअस़ल अल्फ़ाज़ हैं, इसलिये मसनून अल्फ़ाज़ ही काफ़ी वाफ़ी हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (इरवाउल गलील: 1/261, वलक़ौलुल मक़बूल फ़ी शरह व तालीक़ स़लातुर्रसूल, स़फ़ा: 302 और इस किताब का इब्तिदाइया)

बाब : (39)हर अज़ान व इक़ामत के दरम्यान नफ़ल नमाज़ पढ़ना

الصَّلاَةُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

(682) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर दो अज़ानों (अज़ान व इक़ामत) के दरम्यान (नफ़ल) नमाज़ है। हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है। हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है, उस शख़्स के लिये जो पढ़ना चाहे।'

(682) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 624-627, व मुस्लिम: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1645.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़ाबित हुआ कि हर अज़ान व इक़ामत के दरम्यान नफ़ल नमाज़ का वक़्फ़ा होना चाहिए। जो पढ़ना चाहे वह कम अज़ कम दो रकअत पढ़ ले और ये मग़रिब की अज़ान व इक़ामत के दरम्यान भी होगा।(2) मग़रिब से क़ब्ल दो रकअतों के बारे में नबी (ﷺ) के तरग़ीबी हुक्म के साथ साथ आपकी तक़रीर भी इसकी अहमियत पर दलालत करती है, किबार स़हाब-ए-किराम (ﷺ) अ़हदे नुबूवत में इस पर अ़मल पैरा थे, और अ़हदे नुबूवत के बाद ताबेईने इ़ज़ाम के यहाँ भी ये अ़मल मामूल बिह था और ताहाल हामिलीने किताब व सुन्नत के यहाँ ब'तौफ़ीक़ अल्लाह बदस्तूर जारी है जैसा कि इसकी तफ़्स़ील किताब अल्मुवाक़ीत के इब्तिदाइये में ब'उ़नवान 'नमाज़ मग़रिब से पहले, अज़ान और इक़ामत के दरम्यान, दो रकअत नमाज़ का इस्तिहबाब' में गुज़र चुकी है, वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइयें।(3) जहाँ मुअक्कदा सुन्नतें हैं वहाँ तो वक़्फ़ा है ही, बाक़ी नमाज़ों में भी मुस्तहब्र है। अहनाफ़ मग़रिब की नमाज़ में वक़्फ़े के क़ाइल नहीं कि इससे ताख़ीर हो जायेगी, हालांकि चन्द मिनट के वक़्फ़े से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा जबकि अहनाफ़ मग़रिब की अज़ान बसा औक़ात पाँच पाँच मिनट ताख़ीर से कहते हैं, बिल ख़ुस़ूस़ रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तारी के वक़्त कुछ (बरेलवी) हनफ़ी मसाजिद में सिर्फ़ इफ़्तारी के ऐलान पर इक्तिफ़ा किया जाता है, फिर पाँच सात मिनट बाद, हस्बे ज़रूरत खा पी कर, अज़ान दी जाती है जो कि क़तअ़न सुन्नत के ख़िलाफ़ अ़मल है, अगर इस एहतियात से नमाज़ में ताख़ीर नहीं होती तो हल्की सी

मसनून दो रकअतों से कैसे ताख़ीर होगी सुन्नत पर अमल तो बरकत व सवाब का मूजिब है। (4) दो अज़ानों से मुराद हक़ीक़ी अज़ानें नहीं क्योंकि उनके दरम्यान तो फ़र्ज़ नमाज़ होती हैं और यहाँ (لِمَنْ شَاءَ) के अल्फ़ाज़ हैं कि जो पढ़ना चाहे, गोया ये फ़र्ज़ नमाज़ नहीं, लिहाज़ा दो अज़ानों से मुराद अज़ान और इक़ामत हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ .

(683) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि (रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में) जब मुअज़्ज़िन (मग़रिब की) अज़ान कहता तो नबी (ﷺ) के बहुत से अस्हाब उठते और नमाज़ पढ़ने के लिये जल्दी जल्दी सुतूनों का रुख़ करते यहाँ तक कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाते तो वह इस हाल में होते थे, यानी मग़रिब से पहले की सुन्नतें पढ़ रहे होते थे और अज़ान व इक़ामत के दरम्यान कोई ज़्यादा फ़ासला न होता था।

(683) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1646.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुतूनों का रुख़ इसलिये करते थे कि उन्हें सुतरा बना सकें क्योंकि जब कोई शख़्स अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके सामने सुतरे का होना ज़रूरी है। अगर जमाअत हो रही हो तो सिर्फ़ इमाम के सामने सुतरा काफ़ी होता है।(2) आप तशरीफ़ लाते तो वह इसी हाल में होते थे, यानी नवाफ़िल पढ़ रहे होते थे, मगर आप उन्हें मना न फ़रमाते थे। इसे सुन्नते तक़रीरी कहते हैं, यानी आपने इस काम पर उन्हें बरक़रार रखा, रोका नहीं।(3)'ज़्यादा फ़ासला न होता था।' दो रकअत पढ़ने के लिये ज़यादा वक़्त की ज़रूरत भी न थी। नबी (ﷺ) के तशरीफ़ लाने तक वह तक़रीबन तक़रीबन फ़ारिग़ हो जाते थे।

बाब : (40) अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना सख़्त गुनाह है

التَّشْدِيدُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

(684) हज़रत अबू शअसाअ से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को देखा जब कि एक आदमी अज़ान के बाद मस्जिद में से गुज़रा यहाँ तक कि मस्जिद से बाहर निकल गया तो हज़रत

وَمَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَتَّى قَطَعَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: इस शख़्स ने हज़रत अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़रमानी की है।

(684) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: (259)-655, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1647.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अज़ान के बाद बिला वजह मस्जिद से जाना मना है। अगर कोई मजबूरी हो, जैसे: वुज़ू करना हो या किसी और जगह जमाअत करवानी हो तो मस्जिद से निकल सकता है क्योंकि वह नमाज़ से फ़रार नहीं हो रहा। हदीस में मज़्कूर शख़्स के मुताल्लिक़ हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) को यक़ीन था कि वह बिला वजह गया है। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।**(2)** अबुल क़ासिम, रसूलुल्लाह (ﷺ) की कुन्नियत थी।**(3)** इस क़िस्म की रिवायत जो ज़ाहिरन आपका फ़रमान न हो मगर सहाबी ने वह बात जज़्मन कही हो, हुक्मन मरफ़ूअ रिवायत के ज़ुमरे में शामिल है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَخْرَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

(685) हज़रत अबू शअसाअ से मन्क़ूल है कि एक आदमी नमाज़ की अज़ान के बाद मस्जिद से निकला तो हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: इस शख़्स ने अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़रमानी की है।

(685) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 1648, ये हदीस पहले बयान की जा चुकी है।

إِيذَانُ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلاَةِ

बाब : (41) मुअज़्ज़िन इमाम को नमाज़ के वक़्त की इत्तिला करे

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى

(686) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) इशा की नमाज़ से फ़राग़त के बाद से फ़ज्र तुलूअ होने तक ग्यारह रकअत पढ़ते थे। हर दो रकअतों पर सलाम फेरते और आख़िर में एक रकअत अलग पढ़ते और इतना (लम्बा) सज्दा करते कि तुममें से कोई शख़्स पच्चास आयात पढ़ सकता था। फिर सर उठाते फिर जब मुअज़्ज़िन

الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ .

फ़ज्र की अज़ान से फ़ारिग़ होता और आपको फ़ज्र नज़र आने लगती तो आप दो हल्की रकअतें (सुबह की सुन्नत) पढ़ते। फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन आपको इक़ामत की इत्तिला देने आता। फिर आप उसके साथ निकल जाते।

इमाम ज़ोहरी के शागिर्द इस हदीस़ के बयान में लफ़्ज़ी तौर पर एक दूसरे से कमी बेशी करते हैं।

(686) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 736, बुख़ारी, हदीस़: 994, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 1649.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ में इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी (رحمه الله) के तीन शागिर्द हैं: इब्ने अबी ज़िअब, यूनुस और अम्र बिन हारिस़। ज़ाहिर है कि जब तीन शख़्स रिवायत बयान करें तो उनमें कभी कुछ न कुछ लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ हो ही सकता है, चूंकि तीनों रावी सिक़ह हैं, लिहाज़ा मतन पर कोई मनफ़ी अस़र मुरत्तब न होगा। **(2)** ग्यारह रकअत तहज्जुद नबी (ﷺ) का उमूमी मामूल था। कभी कभार आप तेरह रकअत भी पढ़ लेते थे। इनमें दो रकअतें इशा के बाद की सुन्नतें होतीं, या आप(ﷺ) इफ़्तिताही तौर पर दो रकआत आग़ाज़ में पढ़ लेते जैसा कि कुछ रिवायात से ज़ाहिर होता है। रमज़ानुल मुबारक में यही ग्यारह रकअत क़ियामे रमज़ान या तरावीह बन जाती थीं, अलबत्ता आप उन्हें लम्बा कर लेते थे। आपसे तरावीह और तहज्जुद अलग अलग पढ़ना स़ाबित नहीं। ये एक ही नमाज़ है आम हालत में तहज्जुद या वित्र और रमज़ान में तरावीह।**(3)** सुन्नते फ़ज्र के बाद लेटना मसनून है, तहज्जुद पढ़ने और सुन्नतों के बाद फ़ज्र की नमाज़ तक लेट सकता है, मगर वुज़ू का ख़्याल रहे।**(4)** एक वित्र बाक़ी से अलग पढ़ना जायज़ है। अहनाफ़ तीन रकअत एक सलाम के साथ पढ़ने के क़ाइल हैं। इस रिवायत से उनके मौक़िफ़ की तर्दीद होती है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(687) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम कुरैब से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से पूछा: रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ कैसी थी? तो उन्होंने बताया कि आपने वित्र समेत ग्यारह रकअत पढ़ीं, फिर आप सो गये यहाँ तक कि आपको (गहरी) नींद आ गई। मैंने आपको ख़र्राटे भरते देखा। फिर

بِاللَّيْلِ فَوَصَفَ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى اسْتَثْقَلَ فَرَأَيْتُهُ يَنْفُخُ وَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَقَالَ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

आपके पास हज़रत बिलाल (ﷺ) आये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो गया है। आप उठे और दो रकअतें (सुन्नते फ़ज्र) पढ़ीं, फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। (नया) वुज़ू नहीं किया।

(687) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 183, व मुस्लिम, हदीस: (182)-763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1650, अबू दाऊद, हदीस: 1364.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की नींद नाक़िज़ (वुज़ू टूटने वाली) नहीं थी क्योंकि आपका दिल जागता रहता था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 7281) यानी आपको हदस (बे वुज़ू होने) वग़ैरह का पता चल जाता था। ख़र्राटे भरना गहरी नींद की दलील है।

إِقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ

बाब : (42)
मुअज़्ज़िन इमाम के आने पर इक़ामत कहे

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ "

(688) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इक़ामत हो जाये तो खड़े न हुआ करो यहाँ तक कि मुझे आता हुआ देख लो।'

(688) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (156)-604, बुख़ारी, हदीस: 637, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1651.

फ़ायदा : कभी ऐसा होता कि आप (ﷺ) मुअज़्ज़िन से कहते तुम इक़ामत कहो, मैं आता हूँ।मुअज़्ज़िन का अन्दाज़ा होता कि अब आप आ रहे हैं, मुअज़्ज़िन इक़ामत कह देता मगर आपको कुछ देर हो जाती। आपने महसूस फ़रमाया कि इससे लोगों को नाहक़ तकलीफ़ होगी, इसलिये आपने उन्हें खड़ा होने से रोक दिया, जब तक कि आप तशरीफ़ ले न आयें। इसी से मुअल्लिफ़ (लेखक) (رحمه الله) ने इस्तिदलाल किया है कि जब उठना इमाम को देख कर है तो पहले इक़ामत कहने से क्या फ़ायदा? लिहाज़ा इमाम को आता देख कर इक़ामत कही जाये और ये सही बात है। पहले ही इक़ामत कह देना मुश्किलात का सबब है। अल्लाह के रसूल (ﷺ) की बात कुछ और थी।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत और उनसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

मसाजिद दुनिया में अल्लाह का घर हैं। ये ज़मीन के मुबारक और पाकीज़ा तरीन टुकड़े हैं। इनमें मोमिन दिलों को ज़िला मिलती है, फ़रिश्ते उतरते हैं, रहमतों का पे दर पे नुज़ूल और सकीनत की मूसलाधार बारिश होती है और मीरासे नबवी की तक़सीम और इल्मे वह्य की ख़ैरात बटती है। मसाजिद जन्नत के बाज़ार हैं। आख़िरत के ताजिर उन्हें आबाद करते हैं और इनमें अल्लाह तआला के साथ आख़िरत की नफ़ामन्द तिजारत करते हैं। शायद मसाजिद में ख़रीद व फ़रोख़्त की मुमानिअत की वजह भी यही है कि लोग वहाँ उख़रवी तिजारत और हुसूले जन्नत का सौदा करने में मशग़ूल होते हैं। वल्लाहु आलम!

तारीख़ शाहिद है कि मसाजिद अज़ीम इन्क़िलाबी तहरीक का गहवारा रही हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा आते ही सबसे पहले मस्जिदे नबवी की तामीर की और अल्लाह के ज़िक्र और इबादात की अदायगी के साथ साथ इससे जामिअतुल उलूम का काम लिया। दर्स व तदरीस और वाज़ व तब्लीग़ का सिलसिला इसमें जारी रहा। ये अस्हाबे सुफ़ा का हॉस्टल (दारुल इक़ामा) और सरकारी मेहमानों की क़यामगाह थी। ग़ज़्वात व सराया के लश्कर यहाँ से रवाना किये जाते थे। बैतुलमाल की तक़सीम इसी में होती थी, और ये दारुल क़ज़ा और इस्लामी रियासत के सरबराह का सेक्रेटेट भी थी।

इस्लामी रियासत की तामीरात में सबसे अहम इमारत मस्जिद है। ख़ुलफ़ा और उमरा, क़ाइदीन और ज़ुअमा, मुहद्दिसीन और फ़ुकहा, मुफ़स्सिरीन और कुज़ात, असातिज़ा और उदबा, मुजाहिदीने इस्लाम और शोहदा, मुफ़क्किरीन और फ़ुक़हा, मुफ़्तियान और नुबला, दीन के दाई और इस्लामी शुअरा मसाजिद ही से पैदा हुए। (अफ़सोस! आज मसाजिद इस सआदत से महरूम हैं।) इस तरह जो काम मसाजिद ने किया, वह दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और इदारे न कर सके।

मस्जिदे बुनियादी तौर पर अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये है। नमाज़ जैसे अहम फ़रीज़े की अदायगी मस्जिद में होती है। ऐतकाफ़ मस्जिद में किया जाता है। दर्स व तदरीस और वाज़ व तब्लीग़ मस्जिद में होती है। इसके अलावा मसाजिद बाहम (आपस में) मेल जोल, जान पहचान और हाल अहवाल की आगही का ज़रिया भी हैं। इस्लाम ने इस्लाहे नफ़्स के लिये मसाजिद की तामीर पर ज़ोर

दिया और उसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत व अहमियत बयान की है। नीचे मस्जिद की फ़ज़ीलत और आदाब व अहकाम इख़्तिसार से बयान किये जाते हैं।

✧ **मस्जिद की फ़ज़ीलत:** इस्लाम में मस्जिद को बहुत ज़्यादा मक़ाम व मर्तबा और फ़ज़ीलत हासिल है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**अल्लाह तआला के नज़दीक महबूब तरीन जगहें मसाजिद हैं।**' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 671) और इरशादे गिरामी है: '**जिसने अल्लाह की रिज़ा के लिये मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिये उसकी मिस्ल जन्नत में घर बनायेगा।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 450, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 533)

इस्लाम ने मस्जिद को फ़ज़ीलत व अज़मत बख़्शने का एक मुन्फ़रिद अन्दाज़ अपनाया कि हर आने वाले को हुक्म दिया कि वह मस्जिद को एक तोहफ़ा पेश करे जिस तरह कि आदमी अपने दोस्त या क़रीबी साथी को तोहफ़ा पेश करता है। ये तोहफ़ा दो रकअतों का तोहफ़ा है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो वह दो रकअतें पढ़े बग़ैर न बैठे।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 444, हदीस: 1163, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 714) ये तोहफ़ा जुम्ला तहाइफ़ से इन्फ़िरादियत में अपनी मिसाल आप हैं इसमें पेश करने वाले का अपना ही फ़ायदा है। ये मुसलमान की बुलन्द पाया इस्लामी अदब की तरफ़ रहनुमाई करता है।

आदाब व अहकाम

✧ **अज़ान सुन कर मस्जिद में आना:** अज़ान सुन कर नमाज़ के लिये मस्जिद में आना ज़रूरी हैं हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैंने इरादा किया कि मैं लकड़ियों का हुक्म दूं कि उन्हें इकट्ठा किया जाये, फिर नमाज़ का हुक्म दूं तो उसके लिये अज़ान कही जाये, फिर किसी आदमी को हुक्म दूं कि वह लोगों की इमामत कराये, फिर मैं ख़ुद उन लोगों के पीछे जाऊं जो नमाज़ में शरीक नहीं होते, और उनके घरों को उन पर आग लगा कर जला दूं।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 644, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 651) और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि एक नाबीना शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे पकड़ कर मस्जिद में ले आये। उसने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से घर में नमाज़ पढ़ने की रुख़्सत तलब की। आपने उसे रुख़्सत दे दी। जब वह वापस जाने लगा तो आपने उसे बुलाकर पूछा: '**क्या तुम नमाज़ की पुकार (अज़ान) सुनते हो?**' उसने अर्ज़ किया: **जी हाँ,** तो आपने फ़रमाया: '**फिर अज़ान का जवाब दो, यानी मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज़**

पढ़ो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 653) अलबत्ता ख़ौफ़, बारिश, सख़्त आँधी और शदीद बीमारी ऐसे उज़्र हैं जिनकी वजह से घर में नमाज़ अदा करना जायज़ है और शदीद भूख की सूरत में खाने का हाज़िर होना और पेशाब पाख़ाने की हाजत, ये दो ऐसे उज़्र हैं कि इनमें से किसी एक के लाहिक़ होने की सूरत में नमाज़ बा'जमाअत के लिये हाज़िर होना मना है।

✧ **क्या जुन्बी और हाइज़ा मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं?:** जुम्हूर उलमा-ए-किराम के नज़दीक उनका दाख़िला ममनूअ है। हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'मैं हाइज़ा औरत और जुन्बी के लिये मस्जिद (में दाख़िला) हलाल नहीं करता।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 232) लेकिन ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं क्योंकि ये सनदन ज़ईफ़ हैं इसकी सनद में जसरा बिन्ते दुजाजा हैं इमाम बुख़ारी (رحمه الله) इसके बारे में फ़रमाते हैं: 'जसरा के पास अजाइब (अजीब व ग़रीब रिवायात) हैं।' (अत्तारीख़ुल कबीर: 2/67) इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने इमाम बुख़ारी (رحمه الله) का मज़्कूरा क़ौल नक़ल करके इस हदीस के ज़ोअफ़ की तरफ़ इशारा किया है। (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/443) इमाम ख़त्ताबी(رحمه الله) के बक़ौल उलमा की एक जमाअत ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया हैं (मआलिमुस्सुनन: 1/67) इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) ने इसे बातिल कहा है। (अल्महल्ली इब्ने हज़्म: 2/186) वह फ़रमाते हैं कि हाइज़ा, निफ़ास वाली औरत और जुन्बी मर्द ये सब मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई मुमानिअत साबित नहीं। (अल महल्ली: 2/184) इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'उसूली तौर पर अदमे मुमानिअत है। जो (हाइज़ा के लिये दुख़ूले मस्जिद को) हराम क़रार देता है, उसके पास कोई सही और सरीह दलील नहीं हैं' और इमाम नववी ने अब्दुल हक़ अशबैली के हवाले से इन अल्फ़ाज़ के साथ इसकी तज़ईफ़ नक़ल की है, फ़रमाते हैं: 'ये हदीस साबित नहीं होती।' (अलमजमूअ शरह अल्मुहज्जब: 2/184, 185) इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) ने भी इसे ग़ैर साबित कहा है। (अलऔसत: 2/110) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे इरवाउल ग़लील: (1/210) में ज़ईफ़ कहा है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 9/86-92, हदीस: 32, वल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 120) दूसरी इल्लत इसमें ये है कि इसकी सनद में इख़्तिलाफ़ और इज़्तिराब है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, (मुफ़स्सल): 9/88, वल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 121)

और मानिईन का इस्तिदलाल अल्लाह तआला के इस फ़रमान से भी है: **'और न जनाबत (नापाकी) की हालत में (नमाज़ के क़रीब जाओ) हाँ, अगर राह चलते गुज़रो तो और बात है।'** (अन्निसा: 4/43) इसकी तफ़्सीर में उलमा के दो क़ौल हैं: **(1)** इससे मुराद मुसाफ़िर है, यानी जब वह जुन्बी हो और पानी न मिले तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। ये क़ौल हज़रत अली (ﷺ) और

हसन बिन मुस्लिम, इब्ने ज़ैद, मुक़ातिल और ज़ुजाज (رحمہم اللہ) वग़ैरह से मरवी है। इमाम क़ुर्तुबी के बक़ौल ये क़ौल सईद बिन ज़ुबैर, मुजाहिद और हकम (رحمہم اللہ) का भी है। (तफ़्सीर अल क़ुर्तुबी: 6/340, अन्निसा 3/4, बतहक़ीक़ दुक्तूर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुहसिन अत्तुर्की) एक रिवायत के मुताबिक़ ये तफ़्सीर, इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से भी मन्क़ूल है। उनसे (اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ) की तफ़्सीर में मस्जिद से जुन्बी के गुज़रने की जो इजाज़त मन्क़ूल है, वह सनदन मज़्कूरा क़ौल की निस्बत कमज़ोर है, यानी इब्ने अब्बास से दो रिवायतें मन्क़ूल हैं। जिसमें (اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ) की तफ़्सीर मुसाफ़िर से की गई है, वह इस्नादी ऐतबार से ज़्यादा क़वी है। दूसरा ये कि शुरू आयत में नमाज़ का ज़िक्र है, न कि मस्जिद का। यानी जुन्बी के लिये बिला ग़ुस्ल नमाज़ के क़रीब आना दुरुस्त नहीं, सिवाये मुसाफ़िर के कि वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। (तफ़्सीर अल क़ुर्तुबी: 6/340) क्योंकि उनके बक़ौल उमूमन हज़र में पानी मौजूद होता है। इसमें मुक़ीम ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़े जबकि मुसाफ़िर के लिये रुख़्सत है। **(2)** दूसरा क़ौल ये है कि जुन्बी मस्जिद में दाख़िल न हो मगर उसमें से गुज़र सकता है। (तफ़्सीर अल् मवारदी, सूरह अन्निसा: 4/43)

✧ **क़ाइलीने जवाज़ के दलाइल:** जो उलमा जुन्बी मर्द, हायज़ा और निफ़ास वाली औरत के लिये मस्जिद में दाख़िला जायज़ और मुबाह क़रार देते हैं, उनके दलाइल नीचे दिये गये हैं:

(1) मुमानिअत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं कि हमें दुख़ूले मस्जिद से मुमानिअत की कोई हुज्जत और दलील मालूम नहीं। (अलऔसत: 2/110)

(2) **'मोमिन नापाक नहीं होता।'** लिहाज़ा जनाबत की हालत में उसे मस्जिद में दाख़िल होने की इजाज़त है।

(3) अहदे नुबुवत में अस्हाबे सुफ़्फ़ह मस्जिदे नबवी में सोया करते थे और यक़ीनन उनमें वह लोग भी होते थे जिन्हें एहतिलाम होता था, इसके बावजूद उन्हें मस्जिद में सोने से नहीं रोका गया, लिहाज़ा इससे जुन्बी के मस्जिद में दाख़िल होने का जवाज़ मालूम होता है।

(4) मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होना और ठहरना जायज़ है जैसा कि सुमामा बिन उसाल(رضی اللہ عنہ) को जब पकड़ कर लाया गया तो मस्जिदे नबवी के सुतून के साथ बाँध दिया गया, और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ईसाई वुफ़ूद मस्जिदे नबवी में हाज़िर होते थे और आप उन्हें वहीं ठहराते थे जबकि उनके यहाँ जनाबत से पाकी तो कजा, वह आम हालात में भी नापाक ही होते हैं। जब उनके लिये ये जायज़ है तो मुसलमान जुन्बी के लिये तो बिल औला मस्जिद में दाख़िल होना जायज़ है।

(5) असल अदमे हुर्मत है जैसा कि इमाम नववी (ﷺ) ने फ़रमाया जो लोग दुख़ूले मस्जिद से रोकते हैं और उसे हराम कहते हैं, उनके पास कोई सही और सरीह दलील नहीं है। (अल मजमूअ: 2/184)

(6) सफ़रे हज में जब हज़रत आयशा (ﷺ) हाइज़ा हुईं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें सिर्फ़ तवाफ़े काबा से रोका, इसलिये नहीं कि काबा मस्जिद के अन्दर है बल्कि इसलिए कि काबा के तवाफ़ को नमाज़ क़रार दिया गया है और हाइज़ा के लिये नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं।

(7) हज़रत आयशा (ﷺ) के बक़ौल एक स्याह फ़ाम लौण्डी को आज़ाद कर दिया गया, वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर मुसलमान हो गई। आप (ﷺ) ने उसके सोने के लिये बा'क़ायदा एक ख़ैमा मस्जिद में लगवा दिया। इमाम इब्ने हज़्म (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ये औरत मस्जिद में रिहाईश पज़ीर थी और ये बात मालूम है कि औरतों को हैज़ भी आता है लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे रोका नहीं। (अल महल्ली: 2/186) ये इस बात की दलील है कि हाइज़ा औरत मस्जिद में ठहर सकती है।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) दोनों जुन्बी के लिये मस्जिद में बैठने और ठहरने की इजाज़त देते हैं, बशर्ते कि वह बा'वुज़ू हो। (अलऔसत: 2/108)

मज़्कूरा दलाइल से मालूम हुआ कि जुन्बी, हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत के लिये मस्जिद में जाना, ठहरना और वहाँ क़ियाम करना जायज़ है। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि इन्सान गुस्ल करने के बाद दाख़िल हो, या अगर किसी उज़्र की वजह से गुस्ल मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम बा'वुज़ू होकर दाख़िल हो, इन्शाअल्लाह ये अमल उसके हक़ में मुस्तहसन होगा। वल्लाहु आलम!

✧ **मस्जिद में आने की फ़ज़ीलत:** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स अपने घर में वुज़ू करे, फिर किसी फ़रीज़े की अदायगी के लिये अल्लाह के घरों में से किसी घर (मस्जिद) की तरफ़ चले तो उसके एक क़दम पर एक गुनाह माफ़ होता है और दूसरे क़दम पर एक दर्जा बुलन्द होता है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 666)

✧ **मस्जिद की तरफ़ आते हुए सुकून से चलना:** मस्जिद की तरफ़ आते हुए बिल्कुल आराम और सुकून से चलना चाहिए। दौड़ कर या तेज़ चल कर आना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे सांस फूल जायेगा और आदमी सुकून से नमाज़ नहीं पढ़ सकेगा जबकि नमाज़ में इत्मीनान ज़रूरी है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम नमाज़ की तरफ़ आओ तो आराम और सुकून से आओ, फिर जितनी नमाज़ जमाअत के साथ पा लो उतनी पढ़ लो और जो बाक़ी रह जाये, उसे (बाद में) पूरा कर लो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 635)

✧ मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त की दुआएँ:

(1) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए: (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) 'ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 713)

(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब मस्जिद में दाख़िल होते तो कहा करते थे: (أَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) **'मैं शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो इन्तेहाई अज़मत वाला है, उसके इन्तिहाई मोहतरम चेहरे की पनाह लेता हूँ और उसके अज़ली ग़ल्बे और इक्तिदार की पनाह लेता हूँ।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 426)

(3) हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मस्जिद में दाख़िल होते तो फ़रमाते थे: (بِسْمِ اللّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) **'अल्लाह के नाम से दाख़िल होता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।'** (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 314, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 771)

✧ मस्जिद से निकलते वक़्त की दुआएँ:

(1) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब आदमी मस्जिद से बाहर निकले तो कहे (اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल माँगता हूँ।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 713)

(2) हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मस्जिद से निकलते तो फ़रमाते थे: (بِسْمِ اللّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ) **'अल्लाह के नाम से बाहर निकलता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे लिये अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।'** (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 314, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 771)

✧ **मस्जिद में दाख़िल होते हुए पहले दायाँ पाँव अन्दर रखना:** मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखना चाहिए और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर निकालना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ये बात सुन्नत से साबित है कि मस्जिद

में दाख़िल होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखे और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर रखे। (अल मुस्तदरक लिल हाकिम: 1/218)

✧ **मस्जिद में ख़ास जगह मुतअय्यन करना:** मस्जिद में नमाज़ की ख़ातिर अपने लिये ख़ास जगह मुतय्ययन करना दुरुस्त नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शहल (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई शख़्स मस्जिद में अपने लिये जगह ख़ास कर ले जैसे कि ऊँट (बाड़े में अपने लिये जगह) ख़ास कर लेता है। (सुनन नसाई, हदीस: 1113, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 862, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1429)

✧ **तहिय्यतुल मस्जिद:** मस्जिद में बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़नी चाहिए: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो वह दो रकअतें पढ़े बग़ैर न बैठे।'** (सहीह बुख़ारी,हदीस: 444, 1163, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 714) तहिय्यतुल मस्जिद के बारे में अहले इल्म की दो राय हैं: कुछ वजूब के और जुम्हूर इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। दलाइल पर ग़ौर करने से मालूम होता है कि तहिय्यतुल मस्जिद के बारे में ताकीदी हुक्म है। ये मुस्तहब महज़ नहीं अगरचे क़रीन-ए-सारिफ़ा की बिना पर वाजिब कहना मुश्किल है। वल्लाहु आलम! अलग़र्ज़ आदमी को चाहिए कि मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़े। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि मख़सूस दो रकअतें ही पढ़े बल्कि फ़र्ज़, सुन्नत, नफ़ल जो भी पढ़ ले तो ये नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद से काफ़ी हो जायेगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में जमाअत के वक़्त तशरीफ़ लाते थे। कहीं मन्कूल नहीं कि आप (ﷺ) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों और अगर नमाज़ के वक़्त के अलावा कोई आये तो फिर बैठने से पहले कम अज़ कम दो रकअत पढ़ ले।

✧ **मस्जिद में बैठने और नमाज़ का इन्तिज़ार करने की फ़ज़ीलत:** रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब आदमी मस्जिद में दाख़िल होता है तो जब तक वह नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा रहता है, वह नमाज़ में समझा जाता है और नमाज़ के बाद जब तक वह बा'वुज़ू नमाज़ वाली जगह बैठा रहता है, फ़रिश्ते उसके लिये रहमत की दुआएँ करते रहते हैं। कहते हैं: (اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ) 'ऐ अल्लाह! इस शख़्स को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह इस पर रहम फ़रमा।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 477, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 649)

✧ **बे'वुज़ू आदमी का मस्जिद में दाख़िल होना और वहाँ बैठना:** मज़्कूरा हदीस से ये मफ़हूम भी समझ में आता है कि बे'वुज़ू आदमी मस्जिद में दाख़िल हो सकता है और वहाँ बैठ भी सकता है।

✧ **अज़ान के बाद नमाज़ पढ़े बग़ैर मस्जिद से निकलना:** अज़ान होने के बाद नमाज़ पढ़े बग़ैर मस्जिद से निकलना मना है। हज़रत अबू शअसाअ बयान करते हैं कि हम मस्जिद में हज़रत

अबू हुरैरह (ﷺ) के साथ बैठे थे कि मुअज़्ज़िन ने अज़ान दे दी। एक आदमी मस्जिद से खड़ा होकर (बाहर की तरफ़) चल दिया। हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) उसकी तरफ़ नज़र फेर कर देखते रहे यहाँ तक कि वह मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) ने फ़रमाया: उस शख़्स ने अबुल क़ासिम (ؓ) की नाफ़रमानी की है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 655) अलबत्ता अगर कोई शख़्स वुज़ू करने के लिये या क़ज़ा-ए-हाजत वग़ैरह के लिये या उसके अलावा किसी ज़रूरी काम की ग़र्ज़ से आरज़ी तौर पर मस्जिद से बाहर गया हो और उसका इरादा मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने का हो तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह अगर कोई आदमी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना चाहता हो तो वह भी जा सकता है। मज़्कूरा हदीस से वह शख़्स मुराद है जो किसी शख़्स को मिलने या किसी और काम की ग़र्ज़ से मस्जिद में आया और अज़ान हो गई। अज़ान के बाद वह मस्जिद से निकल गया क्योंकि उसका इरादा नमाज़ पढ़ने का नहीं था।

✧ **मस्जिद में शोर मचाना:** मस्जिद में आवाज़ ऊँची करना मना है। ये मस्जिद के अदब के मुनाफ़ी है। इससे नमाज़ में ख़लल पैदा होता है और तवज्जह नमाज़ से हट जाती है। हज़रत साइब बिन यज़ीद (ؓ) फ़रमाते हैं कि मैं मस्जिद में खड़ा था कि एक आदमी ने मुझे कंकरी मारी। मैंने देखा तो वह उमर बिन ख़त्ताब (ؓ) थे। उन्होंने फ़रमाया: उन दो आदमियों को मेरे पास लाओ। मैं उन्हें उनके पास लाया। हज़रत उमर (ؓ) ने उनसे पूछा: तुम कौन हो? या पूछा: तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा: हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। हज़रत उमर (ؓ) ने फ़रमाया: अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता। तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद में अपनी आवाज़ें बुलन्द करते हो? (सहीह बुख़ारी, हदीस: 470)

मस्जिद में ज़रूरत के तहत दुनियावी बात चीत भी जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ؓ) से साबित है, लेकिन मस्जिद के तक़द्दुस और नमाज़ियों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह अगर लोग नमाज़ पढ़ रहे हों तो तिलावते क़ुर्आन भी आहिस्ता आवाज़ में करनी चाहिए, बा'आवाज़े बुलन्द तिलावत ममनूअ है।

✧ **मस्जिद में सोना:** मस्जिद में सोना जायज़ है। अस्हाबे सुफ़्फ़ह मस्जिद ही में सोते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) से मरवी है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मस्जिदे नबवी में सोया करते थे जबकि वह नौजवान और ग़ैर शादी शुदा थे और उनका घर बार न था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 440, हदीस: 1121, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2479) इसके अलावा एक रिवायत में यूँ है कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत फ़ातिमा (ؓ) से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले गये तो मालूम हुआ कि

हज़रत अली (ﷺ) नाराज़ होकर घर से निकल गये हैं और यहाँ क़ैलूला) दोपहर के खाने के बाद ज़रा सोना) नहीं किया। हज़रत अली (ﷺ) उस वक़्त मस्जिद में क़ैलूला फ़रमा रहे थे और नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें मस्जिद से जाकर उठाया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 441)

✧ **औरत का मस्जिद में आना:** औरत के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। लेकिन अगर वह मस्जिद में आकर नमाज़ अदा करना चाहे और किसी क़िस्म के फ़ित्ने का अन्देशा न हो तो उसे रोकना दुरुस्त नहीं। अगर मस्जिद में दुरूस और वाज़ व नसीहत का एहतिमाम हो और औरत उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहती हो तो उसका मस्जिद में आना और भी अच्छा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद में आने की इजाज़त तलब करे तो वह उसे (मस्जिद में आने से) न रोके।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5238, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 442)

✧ **औरत का मस्जिद में सोना:** अगर किसी फ़ित्ने का ख़ौफ़ न हो तो औरत भी मस्जिद में सो सकती है। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक स्याह फ़ाम लड़की मुसलमान हुई तो उस (की रिहाइश) के लिये मस्जिद में ख़ैमा लगाया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 439) औरत अगर ऐतकाफ़ करना चाहती है तो उसके लिये भी मस्जिद ही में ऐतकाफ़ करना ज़रूरी है। घर में ऐतकाफ़ ग़ैर मसनून है। उम्महातुल मोमिनीन (ﷺ) मस्जिद ही में ऐतकाफ़ किया करती थीं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2033, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1173)

✧ **मस्जिद में ख़ैमा लगाना:** मस्जिद में ख़ैमा लगाना दुरुस्त है। हज़रत सअद (ﷺ) जब जंगे ख़न्दक़ के दिन ज़ख़्मी हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके लिये मस्जिद में ख़ैमा लगाया ताकि क़रीब से उनकी एयादत कर सकें। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 463, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1769) और देखिये, मज़्कूरा दोनों अहादीस।

✧ **मस्जिद में बच्चों को लाना:** बच्चों को अपने साथ मस्जिद में लाना चाहिए ताकि उनकी मस्जिद में आने की आदत पुख़्ता हो जाये, और सात साल तक वह नमाज़ का तरीक़ा और मस्जिद के आदाब वग़ैरह अच्छी तरह सीख जायें। इसके अलावा बिल्कुल छोटे बच्चों को भी मस्जिद में लाना जायज़ है। हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ाते हुए अपनी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठाये होते थे। आप जब सज्दे में जाते तो उसे नीचे उतार देते और जब सज्दे से उठते तो उसे (दोबारा) उठा लेते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 516, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 543) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मैं नमाज़ शुरू करता हूँ तो**

ज़रा लम्बी पढ़ने का इरादा होता है, फिर मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज़ मुख़्तसर कर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके रोने से माँ के दिल पर क्या गुज़रती है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 709, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 470)

✧ **मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होना:** मुश्रिक व काफ़िर आदमी मस्जिद में आ सकता है। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज्द की तरफ़ घुड़ सवारों का एक दस्ता भेजा। वह बनू हनीफ़ा क़बीले के एक आदमी सुमामा बिन उसाल को पकड़ लाये। उन्होंने उसे मस्जिद के एक सुतून के साथ बाँध दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 462, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1764)

✧ **मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करना:** मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त मना है क्योंकि मसाजिद ज़िक्रे इलाही के लिये बनाई गई हैं। अगर उनमें ख़रीद व फ़रोख़्त की इजाज़त दी जाये तो ये तिजारती मंडियाँ बन जायेंगी और अपना असली मक़ाम खो देंगी। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम किसी शख़्स को मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करते देखो तो उसे कहो कि अल्लाह तआला तुम्हारे कारोबार और तिजारत में नफ़ा न दे।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 1321)

✧ **मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना:** मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करने से मना किया गया है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो किसी आदमी को मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते सुने तो उसे ये कहे कि अल्लाह करे वह चीज़ तुम्हें वापस न मिले। मस्जिदें इस मक़सद के लिये तो नहीं बनाई गई।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 568) (ضَالَّة) असल में गुमशुदा जानवर को कहते हैं। बित्तबअ बाक़ी चीज़ों का भी यही हुक्म है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे को (ضَالَّة) नहीं कहते जबकि अल्लामा इब्ने असीर (رحمه الله) के बक़ौल इसका इत्लाक़, हैवान और ग़ैर हैवान, यानी हर ज़ाया होने वाली चीज़ पर होता है। (अन्निहाया)

✧ **मस्जिद में अश्आर पढ़ना:** मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ना जायज़ है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से बयान करते हैं कि हज़रत उमर (ﷺ) हज़रत हस्सान बिन साबित (ﷺ) के पास से गुज़रे जबकि वह मस्जिद में शेअर पढ़ रहे थे। हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें घूर कर देखा तो वह कहने लगे: (घूरते क्यूँ हो?) मैं (इस मस्जिद में) उस वक़्त भी शेअर पढ़ा करता था जब इसमें आपसे बेहतर शख़्सियत मौजूद थी, यानी नबी-ए-अकरम(ﷺ)। फिर वह (हस्सान) हज़रत अबू हुरैरह की तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: **'ऐ हस्सान! मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ अल्लाह! इसकी रूहुल क़ुदुस से ताईद फ़रमा।'** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! हाँ। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3212,

व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2485) एक हदीस में मस्जिद में अश्आर पढ़ने की मुमानिअत वारिद है। (सुनन नसाई, हदीस: 716) लेकिन इससे मुराद वह अश्आर हैं जो मुबालिग़ा आराई और कुफ़्र व शिर्क पर मुश्तमिल हों। शिर्किया नज़्में नातें भी इसी ज़ुमरे में आती हैं वरना शिर्क और ग़ुलू की आमेज़िश से पाक हम्दें नातें और ऐसे अश्आर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं जिनसे मक़सूद नेकी की रग़बत दिलाना, इस्लाम की नुसरत व ताईद और कुफ़्र की मज़म्मत हो। वल्लाहु आलम।

✧ **मस्जिद में थूकना:** मसाजिद अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये बनाई जाती हैं और उन्हें ज़ाहिरी और बातिनी हर क़िस्म की ग़लाज़त से पाक रखने का हुक्म है। थूक ग़लाज़त का सबब है और ये आदाबे मस्जिद, शाइस्तगी और नज़ाफ़त के ख़िलाफ़ है, और ये ज़ौक़े सलीम पर भी गिरां गुज़रता है, इसलिये मस्जिद में थूकने से मना फ़रमाया गया है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफ़्फ़ारा ये है कि उसे दफ़न कर दिया जाये।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 415, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 552) दफ़न इस सूरत में हो सकता है जब मस्जिद का फ़र्श कच्चा हो। अगर फ़र्श पक्का है तो पानी या कपड़े वग़ैरह से मुकम्मल तौर पर सफ़ाई ज़रूरी है। शदीद मजबूरी के पेशे नज़र जब थूक ज़ब्त करना आदमी के बस में न हो तो मस्जिद में थूकने की इजाज़त है, सामने या दायें नहीं बल्कि बायें जानिब जबकि उस जानिब कोई दूसरा शख़्स न हो, या अपने बायें पाँव के नीचे थूक सकता है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से कोई नमाज़ में ख़ड़ा हो तो वह अपने सामने न थूके क्योंकि जब तक वह नमाज़ की हालत में होता है, अल्लाह तआला से सरगोशी करता है और अपनी दायें जानिब भी न थूके क्योंकि उसकी दायें जानिब फ़रिश्ता होता है बल्कि वह बायें जानिब या (बायें) पाँव के नीचे थूके और (बाद में) उसे दफ़न कर दे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 416) जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस में पीछे थूकने का भी ज़िक्र है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 571) लेकिन इस सूरत में भी ये ख़याल रखना ज़रूरी है कि उसके पीछे कोई नमाज़ी न हो।

रसूलुल्लाह (ﷺ) के ये फ़रामीन उन मसाजिद के लिये हैं जिनके फ़र्श कच्चे हों। आज कल आम तौर पर मस्जिदों के फ़र्श पुख़्ता हैं बल्कि उनमें उम्दा क़िस्म के क़ालीन होते हैं, लिहाज़ा अगर ये ज़रूरत पेश आये तो अपने कपड़े, रूमाल या टिशू वग़ैरह में थूक कर उसे मसल देना चाहिए। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 417, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 550)

✧ **मस्जिद में खाना वग़ैरह खाना:** मस्जिद में खाना खाना जायज़ हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़ ज़ुबैदी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी-ए-अकरम (ﷺ) के ज़माने-ए-मुबारक में

मस्जिद में बैठ कर गोश्त रोटी खा लिया करते थे। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3300) लेकिन मस्जिद में खाना खाते वक़्त सफ़ाई का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। खाने पीने की चीज़ मस्जिद में न गिरने दी जाये।

✧ **बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में आना:** बदबूदार चीज़ खा कर मस्जिद में आना जायज़ नहीं। हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो आदमी ये पौधा, यानी लहसुन, प्याज़ और गन्दना खाये तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब न आये क्योंकि फ़रिश्तों को उससे तकलीफ़ महसूस होती है जिससे इन्सान तकलीफ़ महसूस करते हैं।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 854, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 564, हदीस: 708) मज़्कूरा तीन चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब हो, वह मना है, जैसे: हुक्क़ा, सिगरेट और इस तरह की दूसरी चीज़ें (मूली, नस्वार वग़ैरह) जिन्हें खाने से डकार के वक़्त या वैसे मुँह खोलने से बू आती है क्योंकि फ़रिश्ते और इन्सान उससे तकलीफ़ महसूस करते हैं। मना की वजह चूंकि बू है, लिहाज़ा अगर किसी तरीक़े से हतमी तौर पर उनकी बू ख़त्म कर ली जाये, जैसे: उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली जाये जिससे उनकी बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना जायज़ होगा लेकिन बेहतर ये है कि इस क़िस्म की चीज़ें खा कर मस्जिद का रूख़ न किया जाये। एहतियात इसी में है।

✧ **बदबूदार चीज़ खा कर आने वाले को मस्जिद से निकालना:** हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'ऐ लोगो! तुम इन दो बदबूदार चीज़ों को खाते हो, यानी लहसुन और प्याज़, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि जब आप किसी आदमी से उनकी बू पाते तो उसके मुताल्लिक़ आप हुक्म फ़रमाते तो उसे बक़ीअ (मदीना से मुत्तसिल जगह जहाँ क़ब्रें थीं) की तरफ़ निकाल दिया जाता। जिसने उन्हें खाना ही हो, वह उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म कर ले।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 567) साबित हुआ कि अगर कोई शख़्स बू वाली चीज़ खा कर मस्जिद में आ जाये तो उसे बतौर तम्बीह या सज़ा और लोगों और फ़रिश्तों को तकलीफ़ से बचाने के लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। लेकिन मसलिहत का ख़्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि इस तरह करने से फ़ित्ना व फ़साद बरपा हो जाये या कोई नया मुसलमान हुआ हो और इन मसाइल से अभी ना'वाक़िफ़ हो तो वह इस रवैये से मुतनफ़्फ़िर होकर दीन से दूर हो जाये और मस्जिद में आना ही छोड़ दे।

✧ **मस्जिद में फ़ैसले करना:** मस्जिद में किसी तनाज़ा का फ़ैसला किया जा सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान मस्जिद में लिआन करवाया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 423, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1492)

✧ **मस्जिद में हद क़ायम करना और क़िसास लेना:** मस्जिद में हद क़ायम करना मना है क्योंकि इससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल होने का ख़तरा है मस्जिद में शोर व ग़ोग़ा होने का इम्कान है, और मुमकिन है कि सज़ा पाने वाले का ख़ून या गन्दगी ख़ारिज हो जिससे मस्जिद आलूदा हो जाये। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷻ) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मस्जिद में क़िसास लेने, शेअर पढ़ने और हद क़ायम करने से मना फ़रमाया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4490, व मुसनद अहमद: 3/434)

मसाजिद तो इस ग़र्ज़ से बनाई जाती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ी जाये, तिलावते क़ुर्आन हो और अल्लाह का ज़िक्र किया जाये। क़िसास और हुदूद अगरचे शरई उमूर हैं मगर उनसे मस्जिद का अदब क़ायम नहीं रहता। इसी तरह लग्व और बेहूदा अश्आर पढ़ना भी नाजायज़ है, अलबत्ता अल्लाह की हम्द व सना, रसूलुल्लाह (ﷺ) की नात और शरई मज़ामीन पर मुश्तमिल अश्आर पढ़े और सुने जा सकते हैं जैसा कि तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

✧ **मस्जिद में जंगी मश्क़ करना:** मस्जिद में ऐसा खेल जो जंगी मश्क़ के क़बील से हो, जायज़ है। हज़रत आयशा (ﷻ) फ़रमाती हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप अपनी चादर के साथ मेरे लिये पर्दा किये हुए थे और मैं हब्शियों को देख रही थी जो मस्जिद में खेल रहे थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 454, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 892) ये ईद का दिन था और उनका खेल नेज़े और ढाल के साथ था। इस क़िस्म की जंगी मश्क़ का मुज़ाहिरा मस्जिद में जायज़ है।

✧ **मस्जिद में माल तक़सीम करना:** मस्जिद में माल की तक़सीम जायज़ है। वह माल ग़नीमत हो या ज़कात व उश्र का माल और सदक़-ए-फ़ित्र हो या वैसे ही फ़ुक़रा व मसाकीन के साथ तआवुन की ग़र्ज़ से इकट्ठा किया गया माल हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बहरैन से आया हुआ जिज़्ये का माल मस्जिद में रखवाया और वहीं तक़सीम किया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 421)

✧ **मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा करना:** मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा करना नबी-ए-अकरम(ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷻ) के अमल से साबित है। इसे मकरूह या नाजायज़ कहना दुरुस्त नहीं। हज़रत आयशा (ﷻ) फ़रमाती हैं: **'अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैज़ा के दोनों बेटों सुहैल और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में अदा फ़रमाई।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 973) इसके अलावा हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (ﷻ) का जनाज़ा मस्जिद में पढ़ाया गया था, और हज़रत आयशा (ﷻ) ने भी सअद बिन अबी वक़्क़ास का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। देखिये: (तबक़ात इब्ने सअद: 3/206, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/526, 527) लिहाज़ा नबी(ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷻ) के इस पर अमल पैरा होने की वजह से बग़ैर किसी कराहत के मस्जिद में जनाज़ा पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफ़ज़्ल और बेहतर है। वल्लाहु आलम!

✧ **नमाज़े ईद अदा करना:** नमाज़े ईद, ईदगाह में अदा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदगाह ही में नमाज़े ईद अदा फ़रमाया करते थे। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फ़ित्र और ईदल अज़्हा के दिन ईद की अदायगी के लिये ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 956) हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इस ईदगाह के बारे में लिखते हैं कि ये ईदगाह जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ा करते थे मस्जिदे नबवी की मशरिक़ी जानिब बक़ीअ के पास थी। मस्जिदे नबवी और उसके दरम्यान तक़रीबन एक हज़ार हाथ का फ़ासला था। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/579, तहत हदीस: 956) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईद के दिन नमाज़े ईद की अदायगी के लिये सुबह सुबह ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 973) अलबत्ता शरई उज़्र (आँधी, बारिश वग़ैरह) की बिना पर नमाज़े ईद मस्जिद में भी अदा की जा सकती है। वल्लाहु आलम!

✧ **मस्जिद में हथियार नंगा रखना:** मस्जिद में बिला ज़रूरत हथियार नहीं ले जाना चाहिए। अगर ज़रूरत की बिना पर ले जाना पड़े तो कम अज़ कम उसे नंगा रखने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये इज्तिमा की जगह है, किसी को नुक़सान पहुँच सकता है, जैसे: अगर तीर हैं तो उनके फल पकड़ ले ताकि क़रीब से गुज़रते हुए किसी को उनकी नोक वग़ैरह न लग जाये, तलवार है तो उसे नियाम में रखे और अगर बन्दूक़ वग़ैरह है तो वह लोड नहीं होनी चाहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद से तीर लेकर गुज़र रहा था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: **'उनके फल थाम ले।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 451, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2614 ये अल्फ़ाज़ सहीह मुस्लिम के हैं।)

✧ **सफ़र से वापसी पर मस्जिद में दो रकअतें पढ़ना:** सफ़र से वापसी पर मस्जिद में जाकर दो रकअतें पढ़ना मसनून है। हज़रत काब बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ अदा फ़रमाते।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4418, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 716)

✧ **मस्जिद में तश्बीक देना:** मस्जिद की तरफ़ जाते वक़्त और मस्जिद में पहुँच कर जब तक आदमी नमाज़ की नियत से और नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा रहे, उस वक़्त तक तश्बीक (एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की ऊँगलियों में दाख़िल करना) नाजायज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से कोई वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर मस्जिद का क़सद करे तो अपने हाथ की उँगलियाँ एक दूसरी में न दे क्योंकि (जब तक वह नमाज़ के इन्तिज़ार में है) वह नमाज़ ही में (समझा जाता) है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 563) ताहम अगर नमाज़ के इन्तिज़ार में न हो

और न नमाज़ की नियत से हो बल्कि वैसे ही बैठा हो या कोई चीज़ समझाना मक़सूद हो तो फिर मस्जिद में तश्बीक जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि **'रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें ज़ुहर व अस्र की नमाज़ों में से एक नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद सलाम फेर दिया और मस्जिद में एक लकड़ी थी उसके साथ टेक लगाकर खड़े हो गये। आपने दायें हाथ को बायें पर रखा और एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में डालीं और अपना दायाँ रुख़सार बायें हाथ की पुश्त पर रखा।'** (सहीह बुख़ारी, 482, व सहीह मुस्मि, हदीस: 573)

✧ **ज़िक्र की महफ़िल मुन्अक़िद करना:** मस्जिद में महफ़िले ज़िक्र मुन्अक़िद करना दुरुस्त है लेकिन ज़िक्र से मुराद दर्से क़ुर्आन, दर्से हदीस और वाज़ व नसीहत की मजालिस हैं न कि मुरवज्जा (रिवाज़शुदा) ख़ुद साख़्ता ज़िक्र के लिये हल्क़े बनाना और न ख़ुद साख़्ता दरूद व सलाम और शिर्किया नातों के लिये मज्लिसें मुन्अक़िद करना। हज़रत अबू वाक़िद लैसी (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे कि बाहर से तीन आदमी आये, उनमें से दो आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस में हाज़िरी की ग़र्ज़ से आगे बढ़े और तीसरा वापस चला गया। (बाक़ी मान्दा) दो में से एक ने मज्लिस के हल्क़े में ख़ाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया, दूसरा सबसे पीछे बैठ गया, जबकि तीसरा वापस चला गया था। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ारिग़ हुए तो आपने फ़रमाया: **'क्या तुम्हें उन तीनों के मुताल्लिक़ एक बात न बताऊं? एक शख़्स तो अल्लाह की तरफ़ बढ़ा और अल्लाह ने उसे अपने साय-ए-आतिफ़त में ले लिया और दूसरे शख़्स ने अल्लाह से हया की तो अल्लाह ने भी उससे हया की। तीसरे ने रूगर्दानी की इसलिये अल्लाह ने भी उसे ऐराज़ किया।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 474, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2176)

ज़िक्र अगरचे मसनून हो, तब भी उसके लिये मजमअ इकट्ठा करना और हल्क़ा बनाकर एक शख़्स की तल्क़ीन या इशारे पर ब'आवाज़े बुलन्द ज़िक्र करना बिदअत है। सहाब-ए-किराम (ﷺ) इस तरीक़े को बिदअत समझते थे। देखिये: (सुनन दारमी, हदीस: 212)

✧ **मस्जिद में मिस्वाक करना:** मस्जिद में मिस्वाक करना जायज़ है। कुछ हज़रात का इसे मकरूह कहना बे'दलील है। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: **'अगर मेरी उम्मत पर मशक़्क़त न होती तो मैं उन्हें हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म देता।'** अबू सलमा (ﷺ) कहते हैं: चुनांचे मैंने देखा कि हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद(ﷺ) मस्जिद में बैठे हुए थे और मिस्वाक उनके कान पर रखी हुई थी जैसे किसी मुन्शी का क़लम उसके कान पर होता है, जब नमाज़ के लिये उठते तो मिस्वाक कर लेते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 47, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 23)

✧ **सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ना:** जमाअत के लिये सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना दुरुस्त नहीं क्योंकि सुतूनों की वजह से सफ़ टूट जाती है, अलबत्ता जब आदमी अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो सुतूनों के दरम्यान खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है। नबी (ﷺ) ने ख़ान-ए-काबा के अन्दर दो यमनी सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी: 1598, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1329)

✧ **इमाम का ऊँची जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ाना:** ब'वक़्ते ज़रूरत इमाम ऊँची जगह खड़ा होकर नमाज़ पढ़ा सकता है, जैसे: नमाज़ का तरीक़ा सिखाने के लिये, और अगर मस्जिद का फ़र्श ही इस तरह का हो कि इमाम की जगह मुक़्तदियों की जगह से क़द्रे ऊँची हो तो इसमें भी इन्शाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) को नमाज़ का तरीक़ा सिखलाने के लिये मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई। सज्दा नीचे उतर कर अदा फ़रमाते और बाक़ी नमाज़ मिम्बर पर अदा करते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 917, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544)

✧ **तबर्रुक के लिये मसाजिद का सफ़र करना:** तबर्रुक की ग़र्ज़ से तीन मसाजिद के अलावा किसी और की तरफ़ रख़ते सफ़र बाँधना ममनूअ है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**तीन मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिदे की तरफ़ (हुसूले बरकत के लिये) रख़ते सफ़र न बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, मस्जिद अक़्सा और मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी)**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1197, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 827, बाद हदीस: 1338), यानी इन तीन मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ़ सफ़र करने की मुमानिअत बतौरे ख़ास क़सदे ज़ियारत व सवाब या उसे मुतबर्रुक समझने की सूरत में है। अगर ये नियत न हो बल्कि सफ़र का कोई और मक़सद हो तो फिर सफ़र करना ममनूअ नहीं है। वल्लाहु आलम!

✧ **मस्जिद में निकाह पढ़ाना:** मस्जिद में निकाह पढ़ाना जायज़ है लेकिन मस्जिद में उसके ख़ुसूसी एहतिमाम से मुताल्लिक़ मरवी रिवायत ज़ईफ़ है। गोया मस्जिद में निकाह पढ़ाने का हुक्म नहीं है न मस्जिद में निकाह पढ़ाना मसनून अमल ही है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, अलबत्ता निकाह के लिये कोई मस्जिद का इन्तिख़ाब करता है तो ऐसा करना जायज़ है। वल्लाहु आलम!

✧ **मस्जिद में घंटी वाली घड़ी लगाना:** मस्जिद में घण्टी वाली घड़ी लगाना दुरुस्त नहीं क्योंकि घण्टी शैतान का बाजा है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**घण्टी शैतान के बाजे हैं।**' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2114) और नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**फ़रिश्ते उस जमाअत के साथ नहीं होते जिसमें कुत्ता या घण्टी हो।**' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2113)

✧ **केलण्डर लगाना:** मस्जिद में शिर्किया केलण्डर लगाना दुरुस्त नहीं। इरशादे बारी तआ़ला है: '**बेशक मसाजिद अल्लाह के लिये हैं, लिहाज़ा तुम (इनमें) अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो।**' अलबत्ता किताब व सुन्नत की रोशनी में तौहीद और अहकाम व मसाइल पर मंबनी इश्तिहारात वग़ैरह लगाने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आ़लम!

✧ **घर में मस्जिद बनाना:** घर में नमाज़ के लिये ख़ास जगह मुतअय्यन करना दुरुस्त है। हज़रत इत्बान बिन मालिक (ﷻ) ने जब रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। आप मेरे घर तशरीफ़ लायें और एक जगह नमाज़ पढ़ें जिसे मैं मस्जिद बना लूं तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) उनके घर तशरीफ़ ले गये और नमाज़ पढ़ी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 425, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 33, बाद हदीस: 657) वैसे तो उम्मते मुहम्मदिया पर अल्लाह तआ़ला का ये एहसाने अ़ज़ीम है कि सारी ज़मीन ही उसके लिये मस्जिद बनाई गई है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**मेरे लिये तमाम ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली चीज़ बनाई गई है, लिहाज़ा मेरी उम्मत के किसी आदमी को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाये, उसे वहीं नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 335, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 521) अलबत्ता चन्द जगहें ऐसी हैं जहाँ नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं। वह जगहें नीचे बताई गई हैं:

(1) **कूड़े करकट की जगह:** क्योंकि ये जगह पाक नहीं होती जबकि जगह का पाक साफ़ होना, शराइते नमाज़ से है।

(2) **ज़बह ख़ाना:** ख़ून और दूसरी चीज़ों की वजह से वह जगह साफ़ नहीं रहती और एक मुतअफ़्फ़न (बदबूदार) माहौल होता है, इसलिये वहाँ नमाज़ पढ़ने से ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ और इत्मिनान व सुकून का हुसूल ना'मुमकिन होता है, ताहम अगर वहाँ ऐसी जगह है जो इन आलूदगियों से महफ़ूज़ हो तो वहाँ नमाज़ अदा की जा सकती है।

(3) **क़ब्रिस्तान:** क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मना फ़रमाया है आपने फ़रमाया: '**क़ब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ न पढ़ो और न उन पर बैठो।**' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 972) और नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: '**घरों में नमाज़ पढ़ा करो, उन्हें क़ब्रिस्तान न बनाओ।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 434, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 777)

(4) **शारेअ़े आम:** आम लोगों की गुज़रगाह पर नमाज़ पढ़ना लोगों के लिये मूजीबे अज़ियत होगा, और तवज्जह और ख़ुशूअ भी नहीं रह सकता।

(5) **बैतुल्लाह की छत:** बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं क्योंकि नमाज़ की अदायगी के लिये ज़रूरी है कि बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह हो जबकि बैतुलाह की छत पर नमाज़ पढ़ने से ये मक़सूद हासिल नहीं होता। इरशादे बारी तआला है: '**आप अपना चेहरा मस्जिदे हराम की तरफ़ फेरें।**' (अल बक़रः 2/149)

(6) **हमाम:** क्योंकि वह ख़ुद इज़ाल-ए-नजासत का महल है।

(7) **ऊँटों का बाड़ा:** नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 736, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 769, मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: सुनन नसाई की हदीस़: 736, 737 और उनके फ़वाइद व मसाइल)

तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम

✧ **मस्जिदें बनाना, उन्हें ख़ुशबू लगाना और स़ाफ़ सुथरा रखना:** हजरत आयशा(ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और ये कि उन्हें स़ाफ़ सुथरा रखा जाये और ख़ुशबू लगाई जाये। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 455, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 594)

✧ **फ़ख़्र व मुबाहात के लिये मस्जिदें बनाना:** फ़ख़्र और हुसूले शोहरत के लिये मस्जिद बनाना मना है। नबी-ए-अकरम ने उसे क़ियामत की निशानी क़रार दिया है हज़रत अनस(ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि लोग मस्जिदों में बाहम फ़ख़्र नहीं करने लगेंगे।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 449, व सुनन नसाई, हदीस़: 690)

✧ **आराइश व ज़ेबाइश:** नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '**मुझे मसाजिद की आराइश व ज़ेबाइश और उन्हें चूना गच (कलर) करने का हुक्म नहीं दिया गया।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 448) मौसमी तग़य्युरात व आफ़ात से तहफ्फ़ुज़ (सुरक्षा की) ख़ातिर हस्बे ज़रूरत मसाजिद को पुख़्ता बनाने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ मुराद मस्जिद की आराइश व ज़ेबाइश और नक़्श व निगार है जिसका मस्जिद की पुख़्तगी से कोई ख़ास़ ताल्लुक़ नहीं होता। इससे ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ मुतास्सिर होता है, और ये फ़ख़्र व मुबाहात की बुनियाद है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 690 और इसके फ़वाइद व मसाइल)

✧ **क़ब्र पर मस्जिद बनाना:** क़ब्र पर मस्जिद बनाना हराम है। ये यहूद व नस़ारा का वतीरा रहा है। हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ब्र को पुख़्ता बनाने, उस पर

बैठने और उस पर इमारत तामीर करने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 970) और नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें (सज्दागाह) बना लिया।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 437, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 530) और एक रिवायत में है: **'जब इन (यहूद व नसारा) में सालेह आदमी फ़ौत हो जाता तो ये उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 427, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 428)

✧ **मुश्रिकीन के क़ब्रिस्तान ख़त्म करके मस्जिद बनाना:** मुश्रिकीन, यहूद व नसारा और दीगर कुफ़्फ़ार के क़ब्रिस्तान ख़त्म करके वहाँ मस्जिद बनाना दुरुस्त हैं नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने जिस जगह मस्जिदे नबवी तामीर की (ये खण्डहर थे और) वहाँ मुश्रिकीन की क़ब्रें थीं। आपने उन्हें उखाड़ दिया और उस जगह मस्जिद तामीर की। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 428, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 524) मुसलमानों की क़ब्रें क़ाबिले एहतिराम हैं, लिहाज़ा मस्जिद बनाने के लिये उन्हें उखाड़ना दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम!

✧ **गिरजे को मस्जिद बनाना:** गिरजे को मस्जिद बनाना दुरुस्त है लेकिन ज़ाहिरी शक्ल व सूरत मस्जिद जैसी करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर इसमें बुत हों तो उनको वहाँ से निकालना और तसावीर को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। हज़रत तल्क़ बिन अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम अपनी क़ौम के वफ़द के तौर पर नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, आपकी बैअत की, आपके साथ नमाज़ें पढ़ीं और आपसे वुज़ू का बचा हुआ पानी माँगा और बताया कि हमारा एक गिरजा है। आपने वुज़ू किया और बचा हुआ पानी हमें दिया और फ़रमाया: **'जब तुम अपने इलाक़े में पहुँचो तो अपने गिरजे को तोड़ देना और उसकी जगह ये पानी छिड़क देना और उस जगह को मस्जिद बना लेना।' हम अपने इलाक़े में वापस पहुँचे तो अपने गिरजे को तोड़ दिया, फिर उसकी जगह वह मुबारक पानी छिड़का और उस जगह मस्जिद बना ली।'** (सुनन नसाई, हदीस: 702) ये गिरजा उनका अपना था, इसलिये उन्होंने उसे मुन्हदिम (ध्वस्त) कर दिया था। अगर किसी इलाक़े के लोग मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता कि ये (ला इकराह फ़िद्दीन) के ख़िलाफ़ है।

✧ **मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना:** मस्जिद की तामीर में माली तआवुन के साथ साथ बनफ़्से नफ़ीस ख़ुद भी शिर्कत करनी चाहिए। ये एक मसनून अमल है और निहायत सआदत और शर्फ़ का बाइस है। जब मस्जिदे नबवी की तामीर हुई तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद इसमें एक आम

आदमी की हैसियत से काम किया और सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 428, 447, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 524)

✧ **ग़सब शुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना:** ग़सबशुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना दुरुस्त नहीं। ज़मीन ग़सब करना एक मज़मूम फ़ेअल है। जब किसी और मक़सद के लिये ज़मीन ग़सब करना नाजायज़ है तो मस्जिद जैसे बाइसे शर्फ़ व फ़ज़ीलत काम के लिये ज़मीन ग़सब करना कैसे दुरुस्त हो सकता है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने बालिश्त भर ज़मीन को भी ग़सब किया तो क़ियामत के दिन उसे सात ज़मीनों का तौक़ पहनाया जायेगा।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2453, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1612)

✧ **मस्जिद का मेहराब:** इसका आग़ाज मालूम नहीं कब से हुआ? इसकी हैसियत सिर्फ़ एक अलामत की है। क़ुर्आन व सुन्नत में कोई ऐसी दलील नहीं जिससे मेहराब का मसनून व मशरूअ होना साबित हो, ताहम इसमें कोई शरई क़बाहत भी नहीं, बशर्ते कि मसूनन समझ कर उसे न बनाया जाये और उसके आदाब व अहकाम वही होंगे जो दीगर मस्जिद के लिये हैं। वल्लाहु आलम!

✧ **सुतून सफ़ों का ख़्याल रख कर बनाना:** मस्जिद की तामीर के वक़्त इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जाये कि सुतून सफ़ों के दरम्यान न आयें बल्कि सफ़ से आगे या पीछे हों क्योंकि सफ़ के दरम्यान सुतून आने से सफ़ टूट जाती है।

✧ **मस्जिद को किसी की तरफ़ मनसूब करना:** मस्जिद को किसी क़बीले, बिरादरी या किसी आदमी की तरफ़ मनसूब करना दुरुस्त है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 420, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1870)

✧ **मस्जिद के लिये ख़ादिम रखना:** इरशादे बारी तआला है: **'इमरान की बीवी ने कहा: ऐ मेरे रब! मेरे पेट में जो कुछ है, उसे मैं तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानती हूँ।'** (आले इमरान: 3/35) अल्लाह के नाम आज़ाद करने का मतलब मस्जिद की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ करना हैं हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं: **'नबी-ए-अकरम (ﷺ) के ज़माने में एक औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थीं।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 460, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 956) इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने इस हदीस पर इन अल्फ़ाज़ में बाब क़ायम किया है: **'मस्जिद के लिये ख़ादिम रखने का बयान।'**

✧ **मस्जिद को गिरा कर दोबारा तामीर करना:** मसलिहत के पेशे नज़र मस्जिद गिरा कर दोबारा तामीर की जा सकती है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ऐ आयशा! अगर तेरी क़ौम नौ मुस्लिम न**

होती तो मैं काबे को तोड़ कर उसके दो दरवाज़े बनाता। एक दरवाज़े से लोग दाख़िल होते और दूसरे से बाहर निकलते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 126, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1333)

✧ **मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना:** मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना जायज़ है। देखिये: (फ़तावा अहीनुल ख़ालिस: 3/476)

✧ **मस्जिद का मीनार बनाना:** मस्जिद का मीनार बनाना दुरुस्त है लेकिन इस्राफ़ से बचा जाये, तामीर में गुलू न हो। जवाज़ सिर्फ़ इस हद तक है कि मालूम हो कि ये मस्जिद है, यानी इसे सिर्फ़ मस्जिद के लिये एक निशानी की हैसियत दी जाये और बस, जैसे मेहराब की हैसियत है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा को (عليه السلام) को भेजेगा। वह ज़र्द रंग की दो चादरों में, फ़रिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे हुए दमिश्क़ के मशरिक़ी जानिब सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2937)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الأذان

मस्जिदों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1) मस्जिदें बनाने की फ़ज़ीलत

باب (١): الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

(689) हज़रत अम्र बिन अब्सा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने (इस ग़र्ज़ से) मस्जिद बनाई कि उसमें अल्लाह तआला का ज़िक्र किया जाये, अल्लाह (ﷻ) जन्नत में उसका घर बनायेगा।'

(689) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767, बुख़ारी, हदीस: 450, व मुसनद, हदीस: 533/24-25 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्जिद बनाने का मक़सद ये है कि वहाँ अल्लाह तआला का ज़िक्र होना चाहिए। **(2)** झगड़े, ज़िद, तअस्सुब, रिया और शोहरत की ख़ातिर मस्जिद बनाना कोई फ़ज़ीलत वाला काम नहीं। **(3)** मस्जिद पर अपना नाम कन्दा करवाना (खुदवाना) या तख़्तियाँ लगवाना भी रिया और शोहरत के ज़ेल में आ सकता है, इसी तरह किसी मख़सूस फ़िर्क़े के लिये मस्जिद बनाना भी कि इसमें दूसरे फ़िर्क़ों का दाख़िला मना हो, मस्जिद के मक़सद के ख़िलाफ़ और बे'फ़ायदा है। सही नियत के साथ मस्जिद बनाना जन्नत में अपना घर बनाने के मुतरादिफ़ है। **(4)** घर बनाने की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ ताज़ीमन है वरना अल्लाह तआला तो अपने हुक्म से घर पैदा करता है।

बाब : (2) फ़ख़्र के लिये मस्जिदें बनाना

باب (٢): الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ،

(690) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये क़ियामत की निशानी है कि लोग मसाजिद में एक दूसरे पर फ़ख़्र करेंगे।'

(690) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 449,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ" مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " .

इब्ने माजा, हदीस़: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 768, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/282.

फ़ायदा : नेक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ना मुस्तहब है। इरशादे बारी तआला है: 'नेकियों और भलाइयों में एक दूसरे से सबक़त करो।' (अल बक़र: 2/148) इस लिहाज़ से मस्जिद की तामीर एक मुस्तहसन अमल और ईमान की दलील है, लेकिन तामीरे मसाजिद में सिर्फ़ रोज़मर्रा की ज़रूरियात को मद्दे नज़र रखना चाहिए जो वाक़ेई इन्सानी ज़रूरत और फ़ितरत का तक़ाज़ा है, यानी मौसमी बदलाव (आँधी, तूफ़ान, गर्मी और सर्दी वग़ैरह) से तहफ्फ़ुज़ के पेशे नज़र मसाजिद की इमारतों में इस्तिहकाम होना चाहिए लेकिन उनकी इस तरह तज़ईन व आराइश और बेजा ज़ेब व ज़ीनत न की जाये जिस तरह यहूद व नस़ारा के मअ़बद ख़ाने होते हैं। अहादीस़ में इसकी सख़्त मुमानिअ़त आई है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 448) और सिर्फ़ मस्जिदें बनाना ही मक़सद न हो बल्कि उन्हें आबाद करना पहला मक़सद होना चाहिए वरना सिर्फ़ तामीरी मुक़ाबलाबाज़ी और फ़ख़्र व मुबाहात की ख़ातिर उनकी तामीरात में मुबालिग़ा आराई क़ुर्बे क़ियामत की निशानी है।

باب :(٣)
ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلاً

बाब : (3)
कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई?

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّكَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلاً قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " . قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ " الْمَسْجِدُ الأَقْصَى " . قُلْتُ وَكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ عَامًا

(691) हज़रत इब्राहीम से रिवायत है कि मैं गली में अपने वालिद मोहतरम पर क़ुर्आन मजीद की क़िराअत कर रहा था, जब मैंने सज्दे की आयत पढ़ी तो आपने वहीं सज्दा कर दिया। मैंने कहा: अब्बा जान! आप रास्ते में सज्दा कर रहे हैं? फ़रमाने लगे: मैंने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से सुना, वह फ़रमाते थे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई? आपने फ़रमाया: मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह)' मैंने कहा: फिर कौनसी? आपने फ़रमाया: 'मस्जिदे अक़्स़ा (बैतुल मक़्दिस)' मैंने कहा: उनके दरम्यान कितना फ़ास़ला है? आपने फ़रमाया: 'चालीस

وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ " .

साल, वैसे सारी ज़मीन तेरे लिये नमाज़ की जगह है, जहाँ भी तेरे लिये नमाज़ का वक़्त हो जाये, नमाज़ पढ़ ले।'

(691) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2/520, बुख़ारी, हदीस: 3366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 769.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़मीन पाक हो तो किसी भी जगह सज्दा किया जा सकता है और नमाज़ पढ़ी जा सकती है। गली हो या बाज़ार, घर हो या मस्जिद। पलीद जगह पर नमाज़ और सज्दा जायज़ नहीं, चाहे वह मस्जिद ही में क्यूँ न हो। **(2)** मशहूर ये है कि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह(عليه السلام) ने बनाया और बैतुल मक़्दिस हज़रत सुलैमान (عليه السلام) ने बनाया। इन दोनों अम्बिया (عليهم السلام) के दरम्यान एक हज़ार साल से ज़्यादा फ़ासला है। इस हदीस की रू से चालीस साल का फ़ासला है, इसलिये कहा गया है कि इस हदीस में आदम (عليه السلام) की बिना का ज़िक्र है उन्होंने पहले बैतुल्लाह बनाया, फिर चालीस साल बाद बैतुल मक़्दिस बनाया। और क़ुर्आन में जो तामीरे काबा और उसकी बुनियादें उठाने की निस्बत इब्राहीम और इस्माईल (عليهما السلام) की तरफ़ है तो उससे साबिक़ा मुन्हदिम इमारत की बुनियादें नये सिरे से उठाना और उसकी तामीर करना मुराद है, अलबत्ता अहले किताब के नज़दीक बैतुल मक़्दिस हज़रत याक़ूब (عليه السلام) ने बनाया। अगर ये क़ौल सही हो तो फिर कोई इश्काल नहीं रहता क्योंकि। याक़ूब (عليه السلام) हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की ज़िन्दगी में पैदा हो चुके थे। **(3) 'सारी ज़मीन मस्जिद है'** अहादीस में कुछ मक़ामात मुस्तस्ना हैं, उनके अलावा बाक़ी हर पाक जगह पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अ़ल्लामा इक़बाल ने क्या अजीब नुक्ता निकाला है कि सारी ज़मीन मस्जिद है और मस्जिद पर काफ़िरों का क़ब्ज़ा तस्लीम नहीं किया जा सकता, लिहाज़ा सारी ज़मीन आज़ाद कराओ।

باب (٤): فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

बाब : (4) मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(692) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना कि जो शख़्स इस (रसूलुल्लाह (ﷺ) की) मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो मस्जिदे नबवी की नमाज़ दूसरी मसाजिद की हज़ार नमाज़ से अफ़ज़्ल है, मगर मस्जिदे काबा में

وسلم فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الصَّلاَةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ".

नमाज़ (मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़्ल है।)

(692) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/334, हदीस: 27374, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 770, मुस्लिम, हदीस: 1396.

फ़ायदा : मस्जिदे हराम में पढ़ी हुई नमाज़ आम मस्जिद की नमाज़ से एक लाख और मस्जिदे नबवी की नमाज़ से एक सौ दर्जा अफ़ज़्ल है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1406) ये बात दूसरी सही अहीदस में सराहतन मन्कूल है, लिहाज़ा ये ग़लत मानी करने की ज़रूरत नहीं कि मस्जिदे नबवी की नमाज़ मस्जिदे हराम की नमाज़ से अफ़ज़्ल है, लेकिन हज़ार दर्जे अफ़ज़्ल नहीं बल्कि हज़ार से कम दर्जे अफ़ज़्ल है क्योंकि ये मानी दूसरी सही अहादीस के ख़िलाफ़ है।

باب(٥): الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ

बाब : (5) काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ना?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

(693) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ), उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तल्हा (ﷺ) बैतुल्लाह में दाख़िल हुए और उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया (ताकि लोग रश न करें) फिर जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दरवाज़ा खोला तो मैं सबसे पहले दाख़िल हुआ। मैं बिलाल (ﷺ) से मिला। मैंने उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने काबे में नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली सफ़ के बायें तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है।

(693) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1598, व मुस्लिम: 1329/393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 771.

फ़वाइद व मसाइल : (1) काबे में आपका नमाज़ पढ़ना सही साबित है, अलबत्ता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि अब कोई काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ सकता है? अल्लामा इराक़ी (رحمه الله) के बक़ौल अगरचे नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने काबा के अन्दर सिर्फ़ नफ़ल नमाज़ पढ़ी है लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ भी

इसके तहत दाख़िल हैं क्योंकि उसूली तौर पर नफ़ल और फ़र्ज़ नमाज़ें अरकान व वाजिबात और शराइत के ऐतबार से जमीअ अहकाम में यकसां है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) उलमा के इस इख़्तिलाफ़ को बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (رحمه الله) के नज़दीक नफ़ल नमाज़ पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं जबकि फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी मकरूह है और बक़ौल इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) नफ़ल और फ़र्ज़ दोनों क़िस्म की नमाज़ें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि तहारत, वुज़ू और क़िब्ले के हुक्म में (चन्द मख़्सूस अहकाम के सिवा) दोनों बराबर हैं। मुलाहिज़ा कीजिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 8/499) **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में काबे के छः सुतून थे। तीन अगली सफ़ में, तीन पिछली सफ़ में। बायें तरफ़ के सुतूनों को यमनी कहा जाता था।

باب(٦): فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلاَةِ فِيهِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلاَلاً ثَلاَثَةً سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

बाब : (6) मस्जिदे अक़्सा और उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

(694) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज़रत सुलैमान बिन दाऊद (عليه السلام) ने जब बैतुल मक़्दिस बनाया तो अल्लाह तआला से तीन ख़ुसूसियात माँगीं: ऐसा फ़ैसला जो अल्लाह तआला के हुक्म के मुवाफ़िक़ हो। ये मान ली गई। ऐसी हुकूमत जो उनके बाद किसी के लायक़ न हो। ये भी मान ली गई। जब आप मस्जिद (बैतुल मक़्दिस) बनाने से फ़ारिग़ हुए तो ये दुआ माँगी कि जो शख़्स भी इस मस्जिद में आये और उसे आने पर नमाज़ ही ने उभारा हो तो उसे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह उसकी माँ ने उसे (गुनाहों से पाक) जना था।'

(694) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 772, इब्ने माजा, हदीस: 1408, इब्ने ख़ुज़ैमा, 2/288, हदीस: 1334, इब्ने हिब्बान, हदीस: 633.

फ़ायदा : पहली दो दरख़्वास्तों पर क़ुबूलियत हो गई और उसका बयान भी हदीस़ में आ गया। तीसरी दरख़्वास्त पर क़ुबूलियत का ज़िक्र पहली दो की तरह हदीस़ में नहीं आया, अलबत्ता रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसके बारे में ये ज़रूर फ़रमाया है कि **'हमें उम्मीद है कि अल्लाह (ﷻ) ने उन (सुलैमान(ﷺ)) को ये भी अ़ता कर दिया होगा।'** (मुसनद अहमद: 2/176) लिहाज़ा उसकी भी क़ुबूलियत मालूम होती है। वल्लाहु आलम! बैतुल्लाह के बारे में तो अहादीस़ में ज़िक्र है कि जो उसका हज करे वह गुनाहों से कुल्लियतन पाक हो जाता है जैसे उसे उसकी माँ ने जना हो। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1521, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1350)

बाब : (7) नबी (ﷺ) की मस्जिद और उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

باب(٧): فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلاَةِ فِيهِ

(695) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के दो शागिर्द हज़रत अबू सलमा और अबू अ़ब्दुल्लाह अग़र्र बयान करते हैं कि हमने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है मगर मस्जिदे हराम में (मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़ल है) क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) आख़िरी नबी हैं और आपकी मस्जिद आख़िरी मस्जिद है। अबू सलमा और अबू अ़ब्दुल्लाह ने कहा: इसमें हमें कोई शक नहीं था कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) अल्लाह के रसूल (ﷺ) की हदीस़ ही बयान कर रहे हैं। इस यक़ीन ने हमें हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से इसकी तहक़ीक़ करने से रोके रखा यहाँ तक कि जब अबू हुरैरह (ﷺ) फ़ौत हो गये तो हमने इस बात का तज़्किरा किया और एक दूसरे को मलामत की कि क्यूँ न हमने इस बारे में उनसे तहक़ीक़ की? यहाँ तक कि वह स़राहतन इस हदीस़ को, अगर उन्होंने

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدُهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعْنَا أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلاَوَمْنَا أَنْ لاَ نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ "

इसे आपसे सुना था, रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ मन्सूब कर देते। हमारी यही हालत थी कि हमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ के साथ मज्लिस का इत्तिफ़ाक़ हुआ। हमने उनके सामने ये हदीस़ और इस बारे में हमसे होने वाली कोताही का ज़िक्र किया तो अ़ब्दुल्लाह बिन इब्राहीम हमें कहने लगे: मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं आख़िरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद (किसी नबी की) आख़िरी मस्जिद है।'

(695) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1394/507, बुख़ारी, हदीस़: 190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 773.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) जब आख़िरी नबी हैं तो आपकी मस्जिद लाज़िमन आख़िरी मस्जिद होगी जिसे किसी नबी ने अपने हाथ से बनाया हो। मुसलमानों का क़िब्ला सबसे पहली मस्जिद जिसे अव्वलीन नबी ने बनाया और मुसलमानों का मर्कज़ सबसे आख़िरी मस्जिद है जिसे आख़िरी नबी ने बनाया। वाह रे फ़ज़ीलत! और क़ियामत तक रहेगी। (देखिये फ़वाइद हदीस़: 692)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ " .

(696) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (ﷺ) से मन्कूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे घर और मेरे मिम्बर का दरम्यानी फ़ास़ला जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है।'

(696) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1390, बुख़ारी, हदीस़: 1195, मौत्ता: 1/197, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 774.

फ़ायदा : इस रिवायत के मफ़हूम में मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं: ये हिस्सा जन्नत से लाया गया है और जन्नत में मुन्तक़िल किया जाएगा। यहाँ इबादत करना जन्नत में जाने का हतमी ज़रिया है। ये हिस्सा नुज़ूले रहमते इलाही में जन्नत की तरह है। आख़री दो मफ़हूम ज़्यादा मुनासिब हैं गोया आप के क़दम

मुबारक क़दमों की बकस्रते तशरीफ़ की बिना पर ये हिस्सा जन्नत नज़ीर बन गया। सुब्हान अल्लाहि वबि हम्दिह सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे घर से मुराद हज़रत आयशा (ﷺ) का हुज्रा है। रियाज़ अलजन्ना की पैमाइश तक़रीबन 75 x 75 (फ़ीट) है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ " .

(697) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे इस मिम्बर के पाये जन्नत में गड़े हुए हैं।'

(697) तख़रीज : (सनद सहीह) अल हुमैदी, हदीस: 290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 775, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1034.

फ़ायदा : इस हदीस के मफ़हूम के बारे में भी रियाज़ु जन्नह वाले तीनों अक़वाल बयान किये गये हैं। आख़िरी मफ़हूम ज़्यादा मोतबर है। वल्लाहु आलम!

बाब : (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़्वा पर रखी गई, कौन सी है?

باب(٨): ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ تَمَارَى رَجُلاَنِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَقَالَ الآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ مَسْجِدِي هَذَا "

(698) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि दो आदमियों का उस मस्जिद के बारे में इख़्तिलाफ़ हो गया जिसकी बुनियाद शुरू दिन से तक़्वा पर रखी गई है। एक शख़्स ने कहा: वह मस्जिदे क़ुबा है। दूसरे ने कहा: वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की मस्जिद है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) है।'

(698) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 776.

फ़ायदा : अहले तफ़्सीर के मुताबिक़ (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى) (अत्तौबा: 108) से मुराद मस्जिदे क़ुबा है क्योंकि ये शाने नुज़ूल के ज़्यादा मुवाफ़िक़ है मगर इस हदीस की रू से इससे मुराद मस्जिदे नबवी है। दरअसस़ल दोनों मस्जिदें इन अल्फ़ाज़ का मिस्दाक़ हैं क्योंकि दोनों मस्जिदों की बुनियाद रसूलुल्लाह

(ﷺ) ने रखी है और ज़ाहिर है दोनों की बुनियाद लाज़िमन तक़्वा पर है मगर चूंकि मस्जिदे नबवी की बाक़ी तामीर भी आपने फ़रमाई और आपकी बाक़ी ज़िन्दगी इसी मस्जिद में गुज़री, इसी मस्जिद को आपके शब व रोज़ से बरकतें हासिल हुईं, लिहाज़ा ये मस्जिद ही ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि इसे इसका मिस्दाक़ क़रार दिया जाये, अलबत्ता मस्जिदे क़ुबा को भी हफ़्ते के बाद कुछ देर के लिये आपकी ज़ियारत और क़दम बोसी नसीब होती थी, लिहाज़ा इसमें भी ख़ैरे कसीर है। तभी तो वहाँ भी नमाज़ियों का हर वक़्त हुजूम रहता है, अगरचे मस्जिदे नबवी का मुक़ाबला नहीं किया जा सकता।

बाब : (9) मस्जिदे क़ुबा और उसमें नमाज़ की फ़ज़ीलत

باب(۹): فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلاَةِ فِيهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا ‏.‏

(699) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी पैदल और कभी सवार मस्जिदे क़ुबा में तशरीफ़ ले जाया करते थे।

(699) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1399/519, बुख़ारी, हदीस: 1193, मौत्ता: 1/217, हदीस: 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777.

फ़ायदा : आपके तशरीफ़ ले जाने का मक़सद अपनी इब्तिदाई मस्जिद की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और वहाँ के मुसलमानों से मुलाक़ात था क्योंकि ये मस्जिद बहुत दूर थी। उन लोगों का आपके पास आना मुश्किल था, बजाये इसके कि वह सब आते, आपका वहाँ तशरीफ़ ले जाना आसान था। इस तरह वहाँ के लोगों से मुलाक़ात भी हो जाया करती थी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِرْمَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ ‏"‏ ‏.‏

(700) हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी (घर से) निकला, यहाँ तक कि इस मस्जिद, यानी मस्जिदे क़ुबा में आया और इसमें नमाज़ पढ़ी तो उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा।'

(700) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1412, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 778, इब्ने माजा, हदीस: 1411 वग़ैरह.

फ़ायदा : दूर दराज़ से तक़र्रुब और तबर्रुक का क़सद करके मस्जिदे क़ुबा में जाना दुरुस्त नहीं क्योंकि ये

ख़ुसूसियत मसाजिदे सलासा (बैतुल्लाह, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा) ही को हासिल है, अलबत्ता क़ुर्ब व जवार से मस्जिदे क़ुबा में आना फ़ज़ीलत का बाइस है, यानी जो शख़्स मदीना मुनव्वरा में मस्जिदे नबवी की नियत से हाज़िर हुआ हो या मदीना मुनव्वरा का वासी हो, वह मस्जिदे क़ुबा को जाये ताकि ये फ़ज़ीलत हासिल कर सकें इस तरह सब अहादीस पर अमल हो जायेगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (10) किन मसाजिद की तरफ़ दूर दराज़ से क़सदन आना जायज़ है?

باب(١٠): مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

(701) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन मसाजिद के अलावा किसी जगह की तरफ़ दूर दराज़ से सवारियाँ कस के न जाया जाये। (और वह तीन मस्जिदें ये हैं:) मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " .

(701) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1189, व मुस्लिम, हदीस: 1397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 779.

फ़ायदा : किसी जगह को ख़ुसूसन मुतबर्रक समझना, वहाँ हाज़िरी को अफ़ज़्ल समझना और तक़र्रुब व ख़ुसूसी सवाब की नियत से दूर दराज़ का सफ़र करके मशक़्क़त उठा कर वहाँ जाना जायज़ नहीं, ख़्वाह वह मस्जिद हो या कोई क़ब्र वग़ैरह। ये फ़ज़ीलत सिर्फ़ तीन मसाजिद को हासिल है: मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा सिर्फ़ इनकी ज़ियारत के लिये और वहाँ अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की नियत से सफ़र करके जाना जायज़ है। इनके अलावा किसी और मस्जिद या क़ब्र वग़ैरह के साथ इन जैसा ख़ुसूसी सुलूक करना इन तीन अफ़ज़्ल मसाजिद की तौहीन है जो क़तअन जायज़ नहीं, अलबत्ता किसी इमारत को तारीख़ी नुक़्त-ए-निगाह से देखने जाना या सियाहत के तौर पर वहाँ घूमना फिरना जायज़ है क्योंकि ये शरई मसला नहीं, जैसे: कोई शख़्स शाही मस्जिद या ताज महल वग़ैरह देखने जाये जिसमें तक़र्रुब और सवाब का क़सद न हों कुछ हज़रात ने इस रिवायत का मतलब ये बयान किया है कि इन तीन के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ़ जाना जायज़ नहीं, अलबत्ता क़ुबूरे सालेहीन की तरफ़ तक़र्रुब व तबर्रुक की नियत से जाना जायज़ है। मगर ये अजीब बात है कि मस्जिदें जो कि हदीसे सही की रू से रूए अर्ज़ के बेहतरीन टुकड़े हैं, वहाँ तो तक़र्रुब की नियत से जाना मना हो मगर क़ुबूरे सालेहीन, जिन पर आपने मसाजिद बनाने और नमाज़ पढ़ने से रोका है और जिन पर हाज़िरी

शिर्क तक भी पहुँचा सकती है, वहाँ तक़र्रुब व तबर्रुक के लिये जाना जायज़ हो। अगर वाक़िअतन क़ुबूरे सालेहीन मुतबर्रक मुक़ामात हैं तो आपने वहाँ नमाज़ पढ़ने और उन पर मसाजिद बनाने से क्यूँ रोका है? क्या उसका कोई माकूल जवाब दिया जा सकता है? लिहाज़ा इस रिवायत का सही मफ़हूम वही है जो पहले बयान हुआ। वल्लाहु आलम!

बाब : (11)गिरजों को मसाजिद बनाना

بَاب (١١): اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

(702) हज़रत तल्क़ बिन अली (ﷺ) बयान करते हैं कि हम अपनी क़ौम के वफ़्द के तौर पर नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुए। हमने आपकी बैअत की और आपके साथ नमाज़ें पढ़ीं और हमने आपको बताया कि हमारे इलाक़े में हमारा एक गिरजा है और हमने आपसे आपके वुज़ू से बचा हुआ पानी माँगा। आपने पानी मंगवाया, फिर वुज़ू किया और कुल्ली की, फिर इस (पानी) को एक झागल में उण्डेल दिया और फ़रमाया: 'जाओ, जब तुम अपने इलाक़े में पहुँचो तो अपने गिरजे को तोड़ देना और उसकी जगह ये पानी छिड़क देना और उस जगह को मस्जिद बना लेना।' हमने कहा कि हमारा इलाक़ा बहुत दूर है और गर्मी सख़्त है। ये पानी (वहाँ पहुँचते पहुँचते) ख़ुश्क हो जायेगा। आपने फ़रमाया: 'इसमें और पानी मिला लिया करना, बिलाशुब्हा इससे इसकी पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा होगा।' हम वापस चले यहाँ तक कि जब अपने इलाक़े में पहुँचे तो हमने अपना गिरजा तोड़ दिया, फिर उसकी जगह वह मुबारक पानी छिड़का और उस जगह मस्जिद बना ली, फिर हमने उसमें अज़ान कही। इस गिरजे में क़बील-ए-बनू तै का

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُلاَزِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا فَقَالَ " اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا " . قُلْنَا إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ وَالْمَاءَ يَنْشَفُ . فَقَالَ " مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ طِيبًا " . فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالأَذَانِ . قَالَ وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ قَالَ دَعْوَةُ حَقٍّ . ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِنْ تِلاَعِنَا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ .

एक आदमी राहिब (के तौर पर रहता) था। जब उसने अज़ान सुनी तो कहने लगा: ये सच्ची दावत है, फिर वह एक टीले की तरफ़ गया उसके बाद हमें नज़र न आया।

(702) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी शैबा: 2/80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 780, सहीह इब्ने हिब्बान: 304

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वफ़्द हिजरत के पहले साल ही आया था। उस वक़्त मस्जिदे नबवी की तामीर हो रही थीं। हज़रत तल्क़ बिन अली (ﷺ) ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था और गारा तैयार किया था। **(2)** ये गिरजा उन लोगों का अपना ही था। जब वह मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने गिरजे को मस्जिद में बदल लिया। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि गिरजा भी अल्लाह तआला ही की इबादत के लिये बनाया गया था, अलबत्ता ज़ाहिरी शक्ल व सूरत मस्जिद जैसी बनाना ज़रूरी है, और अगर इसमें बुत या मुजस्समे हों तो उनका निकालना ज़रूरी है, तसवीरें हों तो उन्हें मिटाना ज़रूरी है, अलबत्ता अगर ग़ैर मुस्लिम मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता कि ये आज़ादि-ए-मज़हब के ख़िलाफ़ है। **(3) 'वुज़ू का पानी'** से मुराद वह पानी भी हो सकता है जो वुज़ू में इस्तेमाल होता है। इस जगह ये मानी मुनासिब हैं क्योंकि ये पानी तबर्रुक के लिये था, लेकिन हदीसे मज़्कूर में (فضل طهوره) का लफ़्ज़ है, इसलिये तर्जुमा में इससे मुराद वह पानी लिया गया है जिससे वुज़ू किया गया और कुछ बर्तन में बच गया। इसमें चूंकि बार बार आपका दस्ते मुबारक दाख़िल होता रहा है, लिहाज़ा वह भी मुतबर्रक था। **(4)** रसूले अकरम(ﷺ) से मुताल्लिक़ा चीज़ों से तबर्रुक तो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। सहाब-ए-किराम(ﷺ) ने आपके लुआबे मुबारक, पसीने, ख़ून, प्यारी ज़ुल्फ़ों, नाख़ुनों, लिबास शरीफ़, नअलैन मुबारक, वुज़ू के बा'बरकत पानी और आपके जिस्म और उससे लगने वाली हर चीज़ से बरकत हासिल की, मगर क्या ये सुलूक नबी (ﷺ) के बाद किसी और के साथ भी किया जा सकता है? सहाबा व ताबेईन ने तो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन तक के साथ ऐसा नहीं किया। इसका रिवाज तबअ ताबेईन के बाद उस वक़्त पड़ा जब तसव्वुफ़ का रिवाज हुआ, इसलिये अब ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी को क़तअन मुकद्दस और मुबारक नहीं कहा जा सकता। **(5) 'इससे पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा होगा।'** यानी मज़ीद पानी जो मिलाया जायेगा, उसके मिलाने से पहले पानी के तबर्रुक में कमी न आयेगी क्योंकि दूसरा पानी भी तो पाक ही है। पहले थोड़ा पानी मुतबर्रक था, मज़ीद मिलाने से ज़्यादा पानी मुतबरक हो जायेगा। तबर्रुक तो उसमें मौजूद है। इससे ये मालूम हुआ कि मुतबर्रक पानी, जैसे: ज़मज़म दूर तक ले जाया जा सकता है और उसमें मज़ीद पानी भी मिलाया जा सकता है। **(6)** मालूम होता है कि वह राहिब दावत सुनते ही

मुसलमान हो गया और अल्लाह तआला ने उसे ग़ायब कर दिया। कोई मस्लिहत हो गई या कहीं दूर दराज़ निकल गया होगा क्योंकि गिरजा तो मुन्हदिम कर दिया गया था। वल्लाहु आलम!

باب (١٢): نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

बाब : (12) क़ब्रों को उखेड़ कर उनकी जगह मस्जिद बनाना

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فِي عُرْضِ الْمَدِينَةِ فِي حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - رَدِيفُهُ وَمَلأٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ " يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا " . قَالُوا وَاللَّهُ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ أَنَسٌ وَكَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ

(703) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: जब अल्लाह के रसूल(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो आप मदीना मुनव्वरा के एक किनारे (क़ुबा में) एक क़बीले में उतरे जिन्हें बनू अम्र बिन औफ़ कहा जाता था। आप उनमें चौदह रातें ठहरे, फिर आपने बनू नज्जार के सरदारों की तरफ़ पैग़ाम भेजा। वह तलवारें लटकाये हुए आये। ऐसे महसूस होता है कि मैं अब भी देख रहा हूँ अल्लाह के रसूल (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर हैं, हज़रत अबू बक्र (ﷺ) आपके पीछे बैठे हैं। और बनू नज्जार के सरदार आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ तक कि आपने हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) के घर के सामने पड़ाव डाला। (शुरू शुरू में) आप को जहाँ नमाज़ का वक़्त हो जाता था, नमाज़ पढ़ लेते थे। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज़ पढ़ते रहे, फिर आपको मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया तो आपने बनू नज्जार के सरदारों को बुला भेजा। वह आये तो आपने फ़रमाया: 'ऐ बनू नजार! मुझसे अपने इस अहाते का भाव (क़ीमत) करो।' उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हम तो इसकी क़ीमत सिर्फ़ अल्लाह तआला से लेंगे। हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि इस अहाते में मुश्रिकों की क़ब्रें

وَكَانَتْ فِيهِ خَرِبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةِ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

थीं, कुछ वीराना (खण्डहर) था और खजूरों के दरख़्त थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया तो मुश्रिकों की क़ब्रें उखेड़ दी गईं, दरख़्त काट दिये गये और वीराने हमवार कर दिये गये। उन्होंने मस्जिद के क़िब्ले वाली जानिब खजूर के दरख़्तों की लाइन लगा दी और पत्थरों की चौखट बनाई। सहाब-ए-किराम (ﷸ) पत्थर उठाते थे और रजज (शेअ़र) पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) भी उनके साथ थे। वह (सब) कहते थे: ऐ अल्लाह! आख़िरत की ख़ैर के सिवा कोई ख़ैर नहीं। अन्सार व मुहाजिरीन की मदद फ़रमा।

(703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 428, व मुस्लिम,: 524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 781.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हिजरत के मौक़े पर तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र है। आप मदीना मुनव्वरा की मुज़ाफ़ाती बस्ती क़ुबा में ठहरे थे। आप चन्द दिन यहाँ ठहरे रहे, चार या चौदह दिन। **(2)** बनू नज्जार आपका ननिहाल था। हाशिम की बीवी और अ़ब्दुल मुत्तलिब की वालिदा इस क़बीले से थीं। आपने उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करनी चाही, इसलिए उन्हें पैग़ाम भेजा। **(3)** बकरियों के बाड़े से मुराद वह जगह है जहाँ बकरियाँ बाँधी जाती हों। **(4)** ये अहाता आपकी आरज़ी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने था। आपने उसे मस्जिद और अपनी रिहाइश के लिये मुनासिब ख़्याल फ़रमाया। **(5)** 'मुश्रिकीन की क़ब्रें' चूंकि मुश्रिकीन की क़ब्रें क़ाबिले एहतिराम नहीं हैं, लिहाज़ा उन्हें उखेड़ा जा सकता है। ये क़ब्रें पुरानी थीं। उनके क़रीबी वारिसीन फ़ौत हो चुके होंगे वरना मुसलमान वारिसीन की दिल शिकनी भी मना है। रिवायात में है कि वह अहाता बनू नज्जार के दो यतीम बच्चों का था, इसीलिये आपने बावजूद पेशकश के बिला क़ीमत लेना मन्ज़ूर न किया बल्कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷸ) को कह कर उन बच्चों को क़ीमत दिलवाई। **(6)** 'रजज' एक क़िस्म का शेअ़र और हम आहन्ग सा कलाम होता है। इसमें वज़न भी होता है अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी जंग में या किसी ख़ास मौक़े पर इस क़िस्म का कलाम पढ़ लिया तो आप शाइर न बन गये क्योंकि शाइर वह होता है जो शेअ़र को बतौर पेशा और फ़न अपनाता है, न कि वह जो कभी कभार कोई हम आहन्ग और बावज़न कलाम बोल ले जिसमें शेअ़र कहने का कोई क़सद भी न हो या किसी का कहा हुआ अशआर पढ़ ले।

बाब : (13)
क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत

باب (۱۳): النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَيُونُسَ، قَالاَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " .

(704) हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) बयान करते हैं जब अल्लाह के रसूल (ﷺ) की वफ़ात का वक़्त क़रीब हुआ तो आप अपनी चादर कभी चेहरे अनवर पर डाल लेते, फिर जब घबराहट होती तो उसे चेहरे से हटा लेते। इसी हालत में आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर जिन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया।'

(704) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3453, 3455, व मुस्लिम, हदीस: 531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 782.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब अम्बिया की क़ब्रों को सज्दागाह (मस्जिदें) बनाना क़ाबिले लानत फ़ेअ़ल है तो दीगर लोगों की क़ब्रों के साथ ऐसा मामला करना कब जायज़ होगा? अगली रिवायत में नेक लोगों की क़ब्रों को मस्जिदें बनाने का ज़िक्र है। गोया यहूद व नसारा ने अम्बिया की क़ब्रों को भी और सालेहीन की क़ब्रों को भी मस्जिदें (इबादतगाहें) बना लिया था और यूँ वह ग़ैरुल्लाह की पूजा करते थे, जैसे आज मुसलमान कहलाने वाला एक फ़िर्क़ा भी इसी तरीक़े पर गामज़न है। अल्लाह तआला! उनकी हिदायत फ़रमाये **(2)** किसी मुअय्यन फ़र्द पर लानत भेजना मना है मगर किसी वस्फ़ पर जायज़ है, जैसे: अल्लाह चोर पर लानत करे। क़ब्रों को मस्जिदें बनाने वालों पर अल्लाह की लानत हो, इसी तरह जिस शख़्स का कुफ़्र पर मरना क़तई हो, उस पर लानत करना भी जायज़ है, जैसे: फ़िरऔन, अबू जहल लानहुमुल्लाह! **(3)** नबी (ﷺ) को मुर्हरक़ा की तेज़ी थी, इसलिये घबराहट महसूस होती थी मगर उस वक़्त भी तब्लीग़ से ग़ाफ़िल न हुए .... (ﷺ).

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ،

(705) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (ﷺ) ने एक गिरजे का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने हब्शा में (हिजरते हब्शा के दौर में) देखा था। उसमें तस्वीरें थीं तो

وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَتَاهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا تِيكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उन (ईसाइयों) की ये आदत थी कि जब उनमें कोई नेक आदमी फ़ौत हो जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना देते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। क़ियामत के दिन अल्लाह तआला के नज़दीक ये तमाम मख़्लूक़ में से बदतरीन होंगे।'

(705) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 427, व मुस्लिम, हदीस: 528, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 783.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा (رضي الله عنهما) अपने अपने ख़ाविन्दों के साथ हब्शा की तरफ़ हिजरत करने वालों में शामिल थीं। वह ईसाइयों का मुल्क था। **(2)** नेक आदमी की क़ब्र पर मस्जिद बनाकर उसमें उस नेक आदमी और दूसरे सालेहीन की तस्वीरें बनाते थे। मक़सद तो ताज़ीम और उनकी याद होती थी मगर आहिस्ता आहिस्ता उन तस्वीरों की पूजा शुरू हो जाती थी, इसलिये शरीअत ने क़ब्रों पर मस्जिदों से मुत्लक़न मना कर दिया कि ये शिर्क का ज़रिया बन सकती हैं और वाक़ेअतन जिन क़ब्रों पर या उनके क़रीब मसाजिद बनी हुई हैं, उन क़ब्रों की पूजा होती है, इसलिये उन्हें बदतरीन मख़्लूक़ कहा गया। **(3)** सालेहीन से मुराद अम्बिया के हवारी (अव्वलीन पैरोकार) या उलमा व रोहबान हैं क्योंकि इसाई उन्हें नबीयों की तरह समझते और उनकी ग़ैर मशरूत इताअत करते थे।

باب : (١٤)
الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

बाब : (14)
मस्जिदों में आने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "حِينَ يَخْرُجُ

(706) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी जब अपने घर से मस्जिद के लिये निकलता है और क़दम उठाता है तो (हर क़दम के लिये) एक पाँव उठाने पर नेकी लिखी जाती है और दूसरा पाँव उठाने पर एक बुराई मिटाई जाती है।'

(706) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:

الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تُكْتَبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُو سَيِّئَةً " .

2/421, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 784.

फ़ायदा : दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि एक पाँव नेकी लिखता है और दूसरा पाँव बुराई मिटाता है पाँव की तरफ़ निस्बत मजाज़न होगी। दोनों मानों का नतीजा एक ही है, बस इतनी बात है कि दूसरे मानी में ज़्यादा बलाग़त पाई जाती है। वल्लाहु आलम!

باب (١٥): النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ، مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

बाब : (15) औरतों को मस्जिदों में आने से रोकने की मुमानिअत

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا " .

(707) हज़रत इब्ने उमर (﵁) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी की औरत मस्जिद में जाने की इजाज़त तलब करे तो वह उसे न रोके।'

(707) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5238, मुस्लिम, हदीस़: 442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 785.

फ़ायदा : औरतें बूढ़ी हों या जवान बा'पर्दा होकर हर नमाज़ के लिये मस्जिद में आ सकती हैं। अगरचे औरतों के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़्ल है मगर जमाअत के अपने फ़वाइद हैं। औरत बा'पर्दा होकर जमाअत के वक़्त के क़रीब आये और जमाअत ख़त्म होते ही वापस चली जाये ताकि मर्दों से इख़्तिलात न हो, सुन्नतें घर जाकर पढ़े। इन शराइत के साथ औरत इजाज़त तलब करे तो शौहर या वली को रोकने का इख़्तियार नहीं, उसे इजाज़त दे देनी चाहिए, अलबत्ता अगर ग़ैर मामूली हालात हों, अमन व अमान नापैद हो तो फिर सिर्फ़ नमाज़ ही नहीं बल्कि बाक़ी कामों के लिये भी बाहर जाना जायज़ न होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ब्याह शादी, मर्ग व सोग, मेल मुलाक़ात, दरबारों और पीरों के पास हाज़िरी, ख़रीदारी, इलेक्शन के वोटों और बाहर ज़मीन के काम काज वग़ैरह के लिये औरत जाये तो कोई डर नहीं मगर नमाज़ के लिये मस्जिद में आये तो फ़साद का डर है। अहनाफ़ सिर्फ़ बूढ़ी औरतों को रात के वक़्त इजाज़त देते हैं, मगर क्या वह बाक़ी उमूर के लिये भी ये पाबन्दी क़ायम करेंगे? नीज़ ये सहाबियात के तर्ज़े अमल और हदीस़ शरीफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

बाब : (16) किस शख़्स को मस्जिद में आने से रोका जा सकता है?

باب (١٦): مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ " . قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ " الثُّومِ " . ثُمَّ قَالَ " الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ " .

(708) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ये पौधा (अता ने) पहले दिन (हदीस़ बयान करते हुए) कहा: लहसुन, फिर (दूसरे मौक़े पर) कहा: लहसुन और प्याज़ और गन्दना (प्याज़ी) खाये तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब न आये क्योंकि फ़रिश्तों को उस चीज़ से तकलीफ़ होती है जिससे इन्सान तकलीफ़ महसूस करते हैं।

(708) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 564/74, बुख़ारी, 854, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 786, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1806.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि मस्जिदें मलाइक-ए-रहमत का मक़ाम हैं, लिहाज़ा ऐसी चीज़ जिसकी बू उ़मूमन या डकार के वक़्त या मुँह खोलते वक़्त इर्द गिर्द के साथियों को महसूस हो, खा कर मस्जिद में आना मना है क्योंकि ये चीज़ फ़रिश्तों और फ़रिश्ता स़िफ़त नमाज़ियों के लिये तकलीफ़देह है। मज़्कूरा तीन चीज़ों के अ़लावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब है, वह मना है, जैसे: मूली, हुक़्क़ा, सिगरेट और नस्वार वग़ैरह। कुछ अहले इल्म ने उस शख़्स को भी आने से मना किया है जिसके मुँह से या किसी और अ़ज़्व से बीमारी की बिना पर बू आती हो और लोगों के लिये नफ़रत का बाइस़ हो। **(2)** ये पाबन्दी स़िर्फ़ मसाजिद के लिये है, बाक़ी नहीं। **(3)** चूंकि मना की वजह बदबू है, लिहाज़ा अगर किसी तरीक़े से उनकी बू ख़त्म कर ली जाये, जैसे: उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली जाये जिससे मुँह की बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना जायज़ होगा। लेकिन बेहतर ये है कि इस क़िस्म की चीज़ें खाकर मस्जिद का रुख़ न किया जाये। एहतियात इसी में है।

बाब : (17) किस शख़्स को मस्जिद से निकाला जा सकता है?

باب (١٧): مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ

(709) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि ऐ लोगो! तुम उन दो बदबूदार पौधों

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا .

को खाते हो, यानी लहसुन और प्याज़, हालांकि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि जब आप किसी आदमी से उनकी बू पाते तो उसके बारे में आप हुक्म फ़रमाते और उसे बक़ीअ (मस्जिदे नबवी से मुत्तसिल क़ब्रिस्तान) की तरफ़ निकाल दिया जाता, लिहाज़ा जिनको उन्हें खाना ही हो, वह उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म कर ले।

(709) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787.

फ़ायदा : अगर कोई शख़्स बू वाली चीज़ खा कर मस्जिद में आ जाये तो उसे बतौर सज़ा या लोगों और फ़रिश्तों को तकलीफ़ से बचाने के लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। ये हदीस सिर्फ़ मस्जिद के बारे में है।

باب (١٨): ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ

बाब : (18) मस्जिद में ख़ैमा लगाना

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ

(710) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ऐतकाफ़ का इरादा फ़रमाते तो सुबह की नमाज़ पढ़ कर ऐतकाफ़ वाली जगह में दाख़िल होते। एक दफ़ा आपने रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अश्रे में ऐतकाफ़ का इरादा फ़रमाया, चुनांचे आपने हुक्म दिया और आपके लिये (मस्जिद में) एक ख़ैमा लगाया गया। हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) ने हुक्म दिया तो उनका ख़ैमा भी लगा दिया गया। जब हज़रत ज़ैनब (رضي الله عنها) ने उनका ख़ैमा लगा देखा तो उन्होंने भी ख़ैमा लगवा लिया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सब कुछ देखा तो फ़रमाया: 'क्या ये नेकी का इरादा रखती हैं? (यानी नहीं रखती।') फिर (नाराज़ी की बिना

पर) आपने उस साल रमज़ान में ऐतकाफ़ न किया बल्कि शव्वाल के दस दिन ऐतकाफ़ किया।

صلى الله عليه وسلم قَالَ " آلْبِرَّ تُرِدْنَ " . فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

(710) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2033, व मुस्लिम, हदीस: 1173/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 788.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐतकाफ़ एक इबादत है और बग़ैर पर्दे के मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ख़ैमा खड़ा करना ज़रूरी है। **(2)** नबी (ﷺ) की बीवियाँ एक से ज़्यादा थी। और ब'तकाज़-ए-बशरियत सौकनों में चिपक़लिश होती है, इसी चिपक़लिश के नतीजे में हज़रत ज़ैनब (رضي الله عنها) ने ख़ैमा लगवाया कि मैं इस सआदत से पीछे क्यूँ रहूँ? अल्लाह! अल्लाह! नेक लोगों की चश्मक भी नेकी के इज़ाफ़े के लिये होती है, मगर आपने इस चश्मक को बरदाश्त न किया, इसलिए आपने ख़ुद भी ऐतकाफ़ का इरादा मौक़ूफ़ फ़रमा दिया। **(3)** अगर कोई ऐतकाफ़ का इरादा व नियत कर ले मगर कोई रुकावट पेश आ जाये तो मुनासिब है कि क़ज़ा दे, ख़्वाह रमज़ानुल मुबारक के बाद ही हो। **(4)** नबी-ए-अकरम(ﷺ)के ख़ैमे उठाने की असल वजह उम्महातुल मोमिनीन की आपस की चश्मक और मुनाफ़सत थी, जिसका हदीस से इशारा मिलता है। कुछ उलमा का ख़्याल है कि ये हुक्म औरतों के मस्जिद में ऐतकाफ़ बैठने की वजह से था, बिलख़ुसूस जबकि मर्दों से इख़्तिलात का भी अन्देशा हो अगरचे वहाँ ख़ाविन्द भी मोतकिफ़ हो। लेकिन क़ाबिले ग़ौर बात ये है कि अगर अदमे जवाज़ की बात होती तो उन्हें आग़ाज़ ही में नबी (ﷺ) रोक देते और आख़िर में ये न फ़रमाते .... क्या ये नेकी का इरादा रखती हैं .....? **(5)** अहनाफ़ में औरतों के घरों में ऐतकाफ़ बैठने का रिवाज है, लेकिन ये बिला दलील है। क़ुर्आन व हदीस की रू से ऐतकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद ही में हो सकता है। अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) का अमल भी उसी का मूईद (ताईद करने वाला) है, इसलिये औरत मस्जिद ही में ऐतकाफ़ बैठे, घर में नहीं, ताहम उसके लिये ज़रूरी है कि किसी क़िस्म के फ़ित्ने का ख़दशा न हो। आज कल कुछ बड़ी मर्कज़ी मस्जिदों में औरतों के लिये ऐसा महफ़ूज़ इन्तिज़ाम कर दिया गया है कि वहाँ मर्दों से इख़्तिलात भी नहीं होता और उनकी इज़्ज़त व इस्मत को भी ख़तरा नहीं होता, इसलिए ऐसी जगहों पर उसकी गुंजाइश है। वल्लाहु आलम!

(711) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि सअद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) जंगे ख़न्दक़ के दिन ज़ख़्मी हो गये। एक क़ुरैशी आदमी (हिब्बान बिन अरक़ा) ने उनके बाज़ू की बड़ी रग में तीर मारा।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ

أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ رَمْيَةً فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके लिये मस्जिद में ख़ैमा लगा दिया ताकि आप क़रीब से उनकी एयादत कर लिया करें।

(711) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 463, व मुस्लिम, हदीस: 1769/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 789.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एयादत के अलावा एक और सबब इलाज भी था जैसा कि सही अहादीस में है कि आप उनका इलाज भी करते रहे थे, लेकिन उस रग में ज़ख़्म हो जाये तो उमूमन ख़ून नहीं रुकता बल्कि मौत यक़ीनी हो जाती है। **(2)** इस हदीस से हज़रत सअद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) की मन्क़बत व मर्तबत भी ज़ाहिर होती है। मज़ीद ये कि मरीज़ की तीमारदारी करना सुन्नत है, इससे उसकी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है।

باب : (١٩)
إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ

बाब : (19)
बच्चों को मस्जिदों में ले जाना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا .

(712) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम एक दफ़ा मस्जिद में बैठे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (अपनी नवासी) उमामा बिन्ते अबू अलआस बिन रबीअ को उठाये हुए हमारे पास आये। वह अभी बच्ची थी। उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) थीं। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई जब कि वह बच्ची आपके कन्धे पर थी। आप जब रुकू फ़रमाते तो बच्ची को उतार देते और जब खड़े होते तो उसे दोबारा उठा लेते यहाँ तक कि आपने इसी तरह नमाज़ मुकम्मल की।

(712) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 543, बुख़ारी,: 5996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 790.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ उलमा का कहना है कि मुमकिन है घर में कोई बच्ची उठाने वाला न हो या बच्ची ज़िद करती हो या आपने उम्मत को तंगी से बचाने के लिये ऐसे किया हो क्योंकि किसी को मजबूरी पेश आ सकती है। बहर सूरत वजह जो भी हो, इस हदीस़ से इसका जवाज़ ही साबित होता है बल्कि ये कहना बेहतर है कि आपने ये अमल बयाने जवाज़ के लिये किया है ताकि इस क़िस्म के मौक़े पर उम्मत का कोई फ़र्द तंगी या हर्ज में मुब्तला न हो क्योंकि हदीस़ में इस क़िस्म की कोई वजह बयान नहीं हूई। रहा ये कि अमले क़लील जायज़ है और कस़ीर नाजायज़, तो इस मौक़े की भी अहादीस़ से ताईद नहीं होती जिस तरह कि यहाँ है। हाँ! ज़रूरत के पेशे नज़र या इस्लाहे नमाज़ के लिये अमले कस़ीर में भी कोई क़बाहत नहीं। मालकिया फ़र्ज़ नमाज़ में इसके क़ाइल नहीं, हालांकि मजबूरी तो फ़र्ज़ नमाज़ में भी पेश आ सकती है, और ये फ़र्ज़ नमाज़ ही थी बल्कि कुछ रिवायात में सराहत है कि वह ज़ुहर या अस्र की नमाज़ थी। बहर सूरत बिला वजह ऐसे नहीं करना चाहिए, मजबूरी हो तो कम से कम फ़ालतू हरकत के साथ ऐसे किया जा सकता है। (2) मज़्कूरा हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि मस्जिद में बच्चों को लाया जा सकता है, तर्जुमतुल बाब से इमाम स़ाहिब (رحمه الله) का यही मक़सद है, बल्कि हस्बे ज़रूरत दौराने नमाज़ में उठाया भी जा सकता है। और वह हदीस़ जिसमें बच्चों को मसाजिद में ले जाने से मना किया गया है, ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 750, व ज़ईफ़ अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब लिल अल्बानी, हदीस़: 186)

बाब : (20) क़ैदी को मस्जिद के सुतून के साथ बाँधना

باب (٢٠): رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

(713) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक घूड़सवार दस्ता नज्द की तरफ़ भेजा। वह क़बील-ए-बनू हनीफ़ा के एक आदमी को, जिनका नाम स़ुमामा बिन उस़ाल था, पकड़ कर लाये। ये यमामा वालों के सरदार थे। आपने उन्हें मस्जिद के एक सुतून के साथ बाँध दिया। ये रिवायत मुख़्तस़र है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرُبِطَ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ . مُخْتَصَرٌ .

(713) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 469, व मुस्लिम, 1764, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 791.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आप के दौर में कोई जेल तो थी नहीं और उसकी ज़रूरत भी न थी। कभी कभार कोई क़ैदी आता था, इसलिये उन्हें मस्जिद के सुतून से बाँध दिया गया। इसमें एक और मक़सद भी था कि वह मुसलमानों को इबादत करते, चलते फिरते और एक दूसरे से मिलते जुलते देख कर मुतास्सिर हों और मुसलमान हो जायें और ऐसे ही हुआ। वह मस्जिद, वहाँ आमाले सालेहा की बरकत और रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुस्ने ख़ल्क़ से मुतास्सिर होकर मुसलमान हुए। **(2)** क़िस्स-ए-सुमामा बिन उसाल (ﷺ) की ये रिवायत तो मुख़्तसर है लेकिन सहीहैन में इस वाक़िये की तफ़्सीली रिवायत मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2372, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 764)

बाब : (21) मस्जिद में ऊँट दाख़िल करना

باب (٢١): إِدْخَالِ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

(714) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आप हज्रे अस्वद को छड़ी से छूते थे।

(714) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1607, व मुस्लिम, हदीस: 1272, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 792.

फ़ायदा : ऊँट पर तवाफ़ का बड़ा मक़सद लोगों को मनासिके हज की तालीम देना था ताकि लोग आँखों से देख कर हज के तरीक़े जान लें। आपने सारा हज ही ऊँट पर किया था। ये तवाफ़े ज़ियारत (10 ज़िलहिज्जा) की बात है। एक ज़ेली मक़सद दुश्मनों से आपकी हिफ़ाज़त भी था। कुछ ने इसे आपकी ख़ुसूसियत क़रार दिया है लेकिन इस ख़ुसूसियत की कोई दलील नहीं बल्कि एक मौक़े पर आप (ﷺ) ने उम्मे सलमा (ﷺ) को भी ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ करने की इजाज़त दी थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1626) लिहाज़ा इससे ख़ुसूसियत का दावा मजरूह हो जाता है। ये भी कहा गया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊँटनी पर तवाफ़ किसी मर्ज़ या भीड़ की वजह से किया था, लेकिन ये भी एक तौजीह ही है, इसकी भी कोई बुनियाद नहीं। असल बात ये है कि ज़रूरत को देखा जाये। अगर किसी दौर में इसकी ज़रूरत महसूस हो तो शरअन इसकी इजाज़त है अगरचे इस दौर में ऊँट या किसी दूसरे हलाल जानवर पर तवाफ़ अक़्लन महाल लगता है लेकिन बात ज़ाब्ते और उसूल की है क्योंकि अगर आज ये नौबत नहीं आई तो आइन्दा किसी भी वक़्त इस क़िस्म के हालात पेश आ सकते हैं। जो

लोग ऊँट वग़ैरह हलाल जानवरों पर तवाफ़ के क़ाइल नहीं हैं, दरअसल उसकी वजह ये है कि वह उनके पेशाब और गोबर को नजिस और पलीद समझते हैं, हालांकि ऐसी बात क़तअन नहीं। अहादीस़ की रोशनी में हक़ बात यही है कि उनका पेशाब और गोबर नापाक और पलीद नहीं, हाँ! ये अलग बात है कि इन्सान अपनी तबई नफ़ासत की वजह से उससे कराहत महसूस करता है, वरना इस तरह तो वह थूक और बलग़म वग़ैरह से भी घिन खाता है। क्या उनके लगने से कपड़े पलीद हो जाते हैं या नीचे गिरने से ज़मीन नजिस हो जाती है? तर्जुमतुल बाब में इमाम नसाई (रह.) का रुझान भी यही लगता है कि ज़रूरत के पेशे नज़र ऊँट वग़ैरह को मस्जिद में दाख़िल किया जा सकता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (22) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त और नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाने की मुमानिअत

باب (٢٢): النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ، قَبْلَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ .

(715) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़(ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने जुम्अतुल मुबारक के दिन नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाने और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है।

(715) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 1079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 793, तिर्मिज़ी: 322, मुसनद अहमद: 2/179.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़े जुमा से पहले इल्मी हल्क़े क़ायम करना जुमा की अहमियत को कम करता है, इसी लिये जुमा के दिन दीनी तालीमी इदारों में छुट्टी की जाती है। या जुम्अतुल मुबारक के ख़ुत्बे के दौरान में हल्क़े बनाना मना है बल्कि सब लोग एक हल्क़े की सूरत में इमाम की तरफ़ मुँह करके बैठें या मतलब ये है कि ख़ुत्ब-ए-जुमा में हल्क़े की सूरत में न बैठें बल्कि सफ़ों की सीध में बैठें ताकि बाद में नमाज़ की अदायगी में दिक़्क़त न हो, अलबत्ता सफ़ की सीध में बैठ कर मुँह इमाम की तरफ़ ही किया जाये। (2) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त का जुमा से ताल्लुक़ नहीं बल्कि मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करना हर वक़्त मना है क्योंकि इसमें शोर व गुल, झगड़ा और तकरार होता है ये सब चीज़ें मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ हैं। मस्जिद तो इबादत, ज़िक्र और क़िराअते क़ुर्आन के लिये बनाई

जाती है, और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त की इजाज़त से नमाज़ वग़ैरह में रुकावट पड़ेगी और मस्जिद को आने वाला ख़ालिस इबादत के लिये नहीं बल्कि ख़रीद व फ़रोख़्त की नियत से भी आयेगा, इस तरह वह आने के सवाब से महरूम रहेगा। मस्जिद की तरफ़ नमाज़ की तैयारी और नियत के साथ आना भी तो बड़े सवाब का काम है।

बाब : (23) मस्जिद में अश्आर पढ़ने की मुमानिअत

باب (٢٣): النَّهْيِ عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ

(716) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़(ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मस्जिद में अश्आर पढ़ने से मना फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ .

(716) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 794, मुसनद अहमद: 2/179, अतराफ़ अलमुसनद: 4/32, हदीस़: 5171.

फ़ायदा : अश्आर आम तौर पर मुबालिग़ा आराई बल्कि किज़्ब का शाहकार होते हैं, इसलिये उनसे मना फ़रमाया वरना अगर कोई शेअर हम्द व नात और वाज़ व नसीहत के क़बील से हो तो उन्हें पढ़ा जा सकता है जैसे हज़रत हस्सान (ﷺ) के इस्लामी अश्आर, उसके बावजूद शेअरों की कस़रत अच्छी चीज़ नहीं, इसलिए कि शेअर कुर्आन से ग़ाफ़िल कर देते हैं। शेअरों का क़ाफ़िया और वज़न दिल को लुभाता है, इसलिये अल्लाह वालों के अलावा दूसरे लोगों को कुर्आन की बजाये शेअरों में ज़्यादा मज़ा आता है।

बाब : (24) मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ने की रुख़सत

باب (٢٤): الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

(717) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) हज़रत हस्सान बिन स़ाबित(ﷺ) के पास से गुज़रे जब कि वह मस्जिद में शेअर पढ़ रहे थे। हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें घूर कर देखा तो वह कहने लगे: मैंने उस वक़्त भी

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ أَنْشَدْتُ

وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ " . قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ .

(मस्जिद में) शेअर पढ़े हैं जब इसमें आपसे बेहतर शख़्सियत मौजूद थी, (यानी नबी(ﷺ)) फिर वह (हस्सान (ﷺ)) हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है: '(ऐ हस्सान!) मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ अल्लाह! उसकी रूहुल कुदुस से ताईद फ़रमा।' अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ!

(717) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3212, व मुस्लिम: 2475/151, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 795 ·

फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इस्लाम की ताईद व हिमायत और दीगर इसी क़िस्म की बातों के लिये मसाजिद में अश्आर पढ़ना जायज़ है।

باب (٢٥): النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

बाब : (25) मस्जिद में गुमशुदा जानवर (वग़ैरह) का ऐलान करने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَجَدْتَ " .

(718) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी आया और मस्जिद में गुमशुदा जानवर का ऐलान करने लगा, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह करे तुझे न मिले।'

(718) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 568, 569, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 796.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ रिवायात में है कि वह आदमी मस्जिद में मुँह अन्दर करके कहने लगा: किसी ने मेरा सुर्ख़ ऊँट देखा है? तो आपने ये फ़रमाया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 569) **(2)** मस्जिद को ऐसे ऐलान की जगह बनाना दुरुस्त नहीं। हाँ! अगर कोई नमाज़ी आदमी नमाज़ पढ़ने आये और अपनी गुमशुदा चीज़ का तज़्किरा साथियों से कर दे तो मना नहीं क्योंकि ये उर्फ़न ऐलान में नहीं आता। **(3)** हदीस में सिर्फ़ जानवर का ज़िक्र है मगर उसके अलावा दीगर चीज़ें जिनके ज़ाया होने का

ख़तरा होता है, उनका भी यही हुक्म है उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे का ऐलान इसमें नहीं आता क्योंकि उसको (ضَالَّةٌ) नहीं कहते।

बाब : (26) मस्जिद में अस्लहा (हथियार) नंगा करके चलना

باب (٢٦): إِظْهَارِ السِّلاَحِ فِي الْمَسْجِدِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ، - بَصْرِيٌّ - وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذْ بِنِصَالِهَا " . قَالَ نَعَمْ .

(719) सुफ़ियान कहते हैं कि मैंने अम्र से पूछा: क्या आपने जाबिर (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है कि एक आदमी अपने तीर लेकर मस्जिद से गुज़रा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'उनकी नोकों को हाथ में पकड़ लो।' उसने कहा: जी हाँ।

(719) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 451, व मुस्लिम, हदीस: 2614/120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 797.

फ़ायदा : तफ़्सीली रिवायत में है कि उसने तीरों को नोकों की जानिब से नंगा किया हुआ था। ख़तरा था कि वह किसी को लग न जायें, इसलिये आपने फ़रमाया: 'तीरों की नोकों को पकड़ लो ताकि नुक़सान न पहुँचायें।' गोया मस्जिद में अस्लहा लाया जा सकता है मगर बन्द हालत में ताकि किसी को इत्तेफ़ाक़न लग न जाये। अगरचे अस्लहे से परहेज़ ही बेहतर है क्योंकि अस्लहे की मौजूदगी में इश्तेआल (गुस्सा) आ जाये तो उसे चलाया जा सकता है जिससे बहुत बड़ा फ़साद रू नुमा होने का ख़तरा है।

बाब : (27) मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ फँसाना

باب : (٢٧) تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا أَصَلَّى هَؤُلاَءِ قُلْنَا لاَ . قَالَ

(720) हज़रत अस्वद से रिवायत है कि मैं और अल्क़मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के यहाँ गये। आपने हमसे पूछा: इन लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने कहा: नहीं। फ़रमाया: उठो और नमाज़ पढ़ो। हम आपके पीछे खड़े होने लगे तो आपने हममें से एक को अपनी दायीं और

قُومُوا فَصَلُّوا . فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ .

दूसरे को बायीं तरफ़ खड़ा कर लिया और उन्होंने बग़ैर अज़ान व इक़ामत के नमाज़ पढ़ाई और जब रुकू करते थे तो अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान रख लेते थे। फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह करते हुए देखा है।

(720) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 534, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 798.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहिब का तशबीक पर इस्तिदलाल वाज़ेह है कि हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) ने तशबीक नमाज़ के अन्दर की। और नमाज़ उमूमन मस्जिद में पढ़ी जाती है, लिहाज़ा मस्जिद में तशबीक जायज़ है, अलबत्ता उस पर ऐतराज़ है कि रुकू में तशबीक करके दोनों हाथों को घुटनों के दरम्यान रखना जिसे इल्मी इस्तेलाह में तत्बीक़ कहते हैं, बिल इत्तेफ़ाक़ मन्सूख़ है, लिहाज़ा मन्सूख़ से इस्तिदलाल कैसे हो सकता है जिस तरह कि इमाम नसाई (رحمه الله) ने किया है? तो उसका जवाब ये है कि नस्ख़ रुकू या नमाज़ के अन्दर है, आगे पीछे मस्जिद में मना नहीं। हज़रत इब्ने मसऊद(رضي الله عنه) को इस नस्ख़ का इल्म न हुआ जबकि दीगर सहाबा, जैसे: हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) से सराहतन इसका नस्ख़ साबित है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 535) यहाँ एक और क़ाबिले ग़ौर मसला ये है कि अगर कोई मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा हो या घर से नमाज़ की नियत से निकला हो तो क्या तशबीक कर सकता है? अहादीस को देखा जाये तो कुछ अहादीस में इसकी मुमानिअत है और कुछ में इसका इस्बात और जवाज़ है, यानी कुछ मौक़ो पर ख़ुद नबी (ﷺ) ने तशबीक की है। उसकी तत्बीक़ ये है, जिस की वज़ाहत इब्ने मुनीर ने फ़रमाई है कि बिला वजह या बिला ज़रूरत एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मम्नूअ है क्योंकि ये अमल अबस और बेफ़ायदा है। अगर तालीम व तफ़हीम या तमसील की ख़ातिर हो तो दुरुस्त है। और जहाँ कहीं अहादीस में इसका इस्बात है, वहाँ यही मक़सूद है। कुछ के बक़ौल अगर नमाज़ में हो या नमाज़ का क़सद हो तो मना है। मुमानिअत की अहादीस को इसी पर महमूल किया जायेगा। लेकिन अगर नमाज़ का क़सद न हो बल्कि वैसे ही मस्जिद में बैठा हो तो इस तरह तशबीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि हुर्मत की एक ख़ास हालत या ख़ास वक़्त है, लिहाज़ा औक़ाते नमाज़ के अलावा जब भी चाहे, जायज़ है। इमाम नसाई (رحمه الله) की तबवीब से भी उसकी ताईद होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/732, हदीस: 481) तशबीक की हुर्मत पर दलालत करने वाली कुछ रिवायात को

कुछ उलमा ने कमज़ोर क़रार दिया है लेकिन उनकी हुज्जियत व सेहत ही राजेह है। देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 3/93) **(2)** दो मुक़्तदियों का इमाम के दायें बायें खड़ा होना भी मन्सूख है। उसका नस्ख़ भी मुत्तफ़क़ अलैह है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत अनस (ﷺ) के घर के अन्दर नमाज़ पढ़ना इसकी दलील है जिसमें आपने अनस और उनके भाई को अपने पीछे और उनकी वालिदा या दादी को उनके पीछे खड़ा किया था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 380, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 658) **(3)** मस्जिद में अज़ान और जमाअत हो चुकी हो तो फिर मस्जिद के अन्दर या क़रीबी मुहल्ले में बग़ैर अज़ान व इक़ामत के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अस़ल अज़ान व इक़ामत काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) और उन अस्हाब वग़ैरह का मौक़िफ़ यही है कि जब अज़ान और इक़ामत के साथ नमाज़ बा'जमाअत हो चुकी हो तो उसके बाद आने वाले लोग अज़ान और इक़ामत के बग़ैर नमाज़ पढ़ें, यानी उन्हें पहले वाले लोगों की अज़ान और इक़ामत ही काफ़ी है। अब वह जमाअत करायें तो बग़ैर इक़ामत के करायें जबकि जुम्हूर उलमा-ए-सलफ़ और ख़लफ़ का मौक़िफ़ उसके ख़िलाफ़ है। वह कहते हैं कि पहले वाले लोगों की इक़ामत काफ़ी नहीं होगी बल्कि उनके हक़ में इक़ामत कहना मसनून है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 9/69)

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने अपनी सहीह में हज़रत अनस (ﷺ) का अस़र मुअल्लक़न ज़िक्र किया है, फ़रमाते हैं: 'हज़रत अनस (ﷺ) एक ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ लाये जिसमें नमाज़ पढ़ी जा चुकी थी तो उन्होंने अज़ान और इक़ामत कही और बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी।' (सहीह बुख़ारी, अलअज़ान, बाब: 30) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा वग़ैरह में ये अस़र मौसूलन मन्क़ूल है शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने उसकी सनद सही क़रार दी है। देखिये: (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, बतहक़ीक़ अल अल्बानी: 1/209)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(721) हज़रत आमश की ये हदीस़ हज़रत इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने हमें बवास्ता नज़र, शोबा से मज़्कूरा हदीस़ के हम मानी बयान की है।

(721) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ बयान की जा चुकी है, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 799.

फ़ायदा : ये दोनों सनदें एक ही हदीस़ की हैं, दोनों में हज़रत आमश हैं। इत्तेफ़ाक़ ये है कि इमाम नसाई(رحمه الله) को दोनों सनदें बयान करने वाले उस्ताद इस्हाक़ बिन इब्राहीम ही हैं। सनदों का इख़्तेलाफ़ इस्हाक़ और आमश के बैन बैन है। दोनों सनदें सही हैं। लेकिन पहली सनद आली है कि इसमें मुसन्निफ़ और आमश के दरम्यान दो वास्ते हैं जबकि दूसरी सनद नाज़िल कि मुसन्निफ़ और आमश के माबैन तीन वास्ते हैं। (فَذَكَرَ نَحْوَهُ) एहतिमाल है कि इससे मुराद इमाम नसाई के शैख़ इस्हाक़

हों, उन्होंने ये हदीस़ अपनी दूसरी सनद (नज़र अन शोबा) के साथ पहली हदीस़ के मफ़हूम के क़रीब क़रीब बयान की है और मुमकिन है कि इससे मुराद इमाम शोबा हों कि उन्होंने ये हदीस़ ईसा बिन यूनुस की हदीस़ के हम मानी ज़िक्र की है। वल्लाहु आलम!

बाब : (28) मस्जिद में चित (गुद्दी के बल) लेटना

باب (٢٨): الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

(722) हज़रत अ़ब्बाद बिन तमीम के चचा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मस्जिद में सीधे (चित) लेटे हुए देखा। आपने अपना एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रखा हुआ था।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .

(722) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 475, व मुस्लिम, हदीस़: 2100, मौत्ता: 1/173, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 800.

फ़ायदा : एक रिवायत में पाँव पर पाँव रख कर चित लेटने की मुमानिअ़त भी वारिद है। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (72) 2099) कुछ उ़लमा के बक़ौल दोनों रिवायात में तत्बीक़ यूँ है कि टाँगें बिछी हुई हों तो पाँव पर पाँव रख कर लेटना जायज़ है क्योंकि इस तरह पर्दा स़ही हो जाता है और अगर घुटने खड़े हों और टाँग पर टाँग रखी हो तो ये मना है क्योंकि ये शक्ल देखने में क़बीह लगती है। इमाम ख़त्ताबी (رحمه الله) के बक़ौल मुमानिअ़त वाली हदीस़ मन्सूख़ है, लेकिन उसकी दलील होनी चाहिए। राजेह ये है कि अगर पर्दा बरक़रार रहे तो चित लेट कर किसी भी तरह टाँगों पर टाँगें रखी जा सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ है और नबी-ए-अकरम (ﷺ) से स़ाबित है।

बाब : (29) मस्जिद में सोना

باب (٢٩): النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

(723) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि वह अल्लाह के रसूल(ﷺ) के दौर में मस्जिदे नबवी में सो जाया करते थे जब कि वह नौजवान और ग़ैर शादीशुदा थे और उनका घर बार न था।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

(723) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 440, व मुस्लिम, 2479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 801.

फ़ायदा : मस्जिद सोने के लिये नहीं बनाई गई, लिहाज़ा मस्जिद को बिला वजह और मुस्तक़िल सोने के लिये इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र जायज़ है, जैसे: नमाज़ के इन्तिज़ार में कुछ देर सुस्ता लेना या ऐतक़ाफ़ के दौरान में आराम करना या बे घर और मुसाफ़िर आदमी का मस्जिद में ठहरना, इसी तरह तालिबे इल्म जो मस्जिद में तालीम हासिल कर रहा हो, का मस्जिद में रिहाइश इख़्तियार करना वग़ैरह। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) चूंकि ग़ैर शादी शुदा थे, लिहाज़ा बे घर के ज़ुम्रे में आते थे। इस हदीस से मज़ीद एक और बात भी समझ में आती है कि इजाज़त सिर्फ़ बूढ़े के लिये नहीं बल्कि नौजवान भी सो सकता है।

बाब : (30)मस्जिद में थूकना

باب (٣٠): الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

(724) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मस्जिद में थूकना ग़लती (गुनाह) है और उसका कफ़्फ़ारा ये है कि उसे दफ़न कर दिया जाये।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .

(724) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 552, बुख़ारी, हदीस: 415, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 802.

फ़ायदा : थूक ग़लाज़त का सबब है, लिहाज़ा मस्जिद में थूकना मना है। कच्ची मस्जिद हो तो उसे मिट्टी में दफ़न किया जा सकता है और अगर फ़र्श पुख़्ता हो तो कपड़े वग़ैरह से साफ़ किया जाये। नमाज़ के अन्दर अगर थूक ज़ब्त न किया जा सके तो अपने कपड़े में थूक कर कपड़े को मल दिया जाये ताकि कपड़ा भी गन्दा महसूस न हो, या टिशू पेपर हो तो उसमें थूक लिया जाये, और ये बेहतर है।

बाब : (31)मस्जिद की सामने वाली दीवार की तरफ़ खंखारने की मुमानिअत

باب (٣١): النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

(725) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िब्ले वाली दीवार पर थूक लगा देखा। आपने उसे खुरच दिया, फिर आप लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ता हो तो वह अपने सामने न थूके क्योंकि जब इन्सान नमाज़ पढ़ता है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ

يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى " .

तो अल्लाह (ﷻ) उसके सामने होता है।'

(725) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 51/547, बुख़ारी, हदीस: 406, मौत्ता: 1/194, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 803.

फ़ायदा : 'अल्लाह (ﷻ) उसके सामने होता है।' कैसे होता है? जैसे उसकी शाने अज़ीम के लायक़ है। उसका इन्कार दुरुस्त नहीं और न तावील करना ही मुनासिब हैं अहले सुन्नत वल जमाअत और मुहद्दिसीन (رحمهم الله) का यही मौक़िफ़ है। कुर्आन व हदीस के दलाइल के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का भी यही तक़ाज़ा है, इसलिये जब आम इन्सान से हम कलाम होते हुए उसके सामने थूकना उसकी तौहीन है तो नमाज़ में सामने थूकना यक़ीनन अल्लाह तआला की तौहीन है।

باب (٣٢): ذِكْرِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

बाब : (32) नबी (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई शख़्स नमाज़ में अपने सामने या दायें थूके

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ " يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " .

(726) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने मस्जिद की क़िब्ले वाली दीवार पर थूक लगा देखा। आपने उसे कंकरी से खुरच दिया और मना फ़रमाया कि नमाज़ी अपने सामने या दायें थूके बल्कि फ़रमाया: 'वह अपने बायें जानिब थूके या बायें क़दम के नीचे।'

(726) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 414, व मुस्लिम, हदीस: 52/548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 804.

फ़ायदा : दायें तरफ़ थूकना इसलिये मना है कि दायें तरफ़ फ़रिश्त-ए-रहमत होता है और बायें तरफ़ थूकना उस वक़्त जायज़ होगा जब कोई दूसरा इस जानिब न हो क्योंकि ये उसकी दाहिनी जानिब होगी। या क़दम के नीचे थूक ले। नबी-ए-अकरम (ﷺ) के इन फ़रामीन को उन मसाजिद पर महमूल किया जायेगा जहाँ ज़मीन कच्ची हो कि थूकने के बाद उसे दफ़न करना भी आसान हो, और उससे किसी को

अज़ियत भी न पहुँचे, यानी उन ख़ास हालात को भी मद्दे नज़र रखा जाये जिनमें इस क़िस्म के अहकाम सादिर हुए। आज कल तक़रीबन तमाम या अक्सर मसाजिद पक्की ही बनी होती हैं बल्कि फ़र्श पर संगे मरमर लगा होता है। मज़ीद ये कि कुछ ऐसी भी हैं जहाँ चटाइयाँ या सिरे से पूरी मस्जिद में उम्दा और नफ़ीस क़ालीन बिछे होते हैं। वहाँ थूकना यक़ीनन नामुनासिब बल्कि तमाम अहले मस्जिद के लिये इन्तिहाई अज़ियत का बाइस होगा। मुमकिन है आइन्दा पेश आने वाले हालात के पेशे नज़र ही नबी (ﷺ) ने कपड़े वग़ैरह में थूक कर मसलने की हिदायत फ़रमाई हो। आज कल इसी सूरत को अपनाना चाहिए ताकि ज़रूरत भी पूरी हो जाये और मस्जिद भी साफ़ रहे। (मज़ीद देखिये: हदीस: 724)

باب (٣٣): الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلاَّ فَهَكَذَا " . وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ.

बाब : (33) नमाज़ी को अपने पीछे या बायीं तरफ़ थूकने की इजाज़त है

(727) हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह मुहारिबी(ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ पढ़ता हो तो अपने सामने या दायीं जानिब न थूक। अगर ख़ाली जगह हो (नमाज़ी न हों) तो अपने पीछे या बायीं तरफ़ थूक वरना ऐसे कर।' और आपने पाँव के नीचे थूका और उसे मल दिया।

(727) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 571, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 805, सुनन अबी दाऊद, हदीस: 478, व इब्ने माजा, हदीस: 1021.

بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنَخَّعَ فَدَلَكَهُ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى .

बाब : (34) किस पाँव से थूक को मले?

(728) हज़रत शिख़्ख़ीर (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने खंखार फेंका और बायें पाँव से मिट्टी में मल दिया।

(728) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 59/554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 806.

बाब : (35) मस्जिद को ख़लूक़ (ख़ुशबू) लगाना

باب (٣٥): تَخْلِيقِ الْمَسَاجِدِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَحْسَنَ هَذَا " .

(729) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद की सामने वाली दीवार पर खंखार लगा देखा तो आप गुस्से में आ गये यहाँ तक कि आपका चेहर-ए-अनवर सुर्ख़ हो गया। अन्सार की एक औरत उठी, उसने खंखार को खुर्चा और उसकी जगह ख़ुशबू लगा दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये क्या ही ख़ूब है!'

(729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 762, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 807, बुख़ारी, तारीख़े कबीर हदीस़: 7/60.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन में से कुछ ने इसे सही और कुछ ने हसन क़रार दिया है और इन्हीं की राय दुरुस्तगी के क़रीब मालूम होती है क्योंकि दीगर सही रिवायात से भी इसकी ताईद होती हैं मज़ीद बरां ये कि दीगर रिवायात में मज़्कूर मज़मून की इस रिवायत से तर्दीद या मुख़ालिफ़त भी नहीं होती, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा लिल अल्बानी: 7/120, हदीस़: 305, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 762) **(2)** मस्जिद में गन्द लगा हो तो उसे खुरच कर या साफ़ करके ख़ुशबू लगा देना अच्छा अमल है। ख़लूक़ एक रंग दार ख़ुशबू है जिसे औरतें इस्तेमाल करती हैं क्योंकि मर्द के लिये रंगदार ख़ुशबू का इस्तेमाल मना है, अलबत्ता मस्जिद को ये ख़ुशबू लगाना जायज़ है।

बाब : (36) मस्जिद में दाख़िल होते और बाहर निकलते वक़्त क्या पढ़ें?

باب (٣٦): الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلاَنِيُّ، - بَصْرِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ

(730) हज़रत अबू हुमैद और हज़रत अबू उसैद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، وَأَبَا، أُسَيْدٍ يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " .

फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो कहे:

'ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।' और जब मस्जिद से बाहर निकले तो कहे:

'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरा फ़ज़्ल माँगता हूँ।'

(730) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 713, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 808.

फ़ायदा : दाख़िल होते वक़्त रहमते इलाही का हुसूल मक़सूद होता है और बाहर आकर तलबे रिज़्क़ का काम होता है, इसलिये दोनों दुआएँ मौक़ा महल के मुताबिक़ हैं। रहमत से उख़रवी नेमतें और मग़फ़िरत मुराद है। फ़ज़्ल, दीनी नेमत और रिज़्क़ दोनों पर बोला जाता है।

باب (٣٧): الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

बाब : (37) मस्जिद में दाख़िल होने के बाद बैठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " .

(731) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो उसे बैठने से पहले दो रकअतें पढ़नी चाहिए।'

(731) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 714, बुख़ारी, हदीस: 444, मौत्ता: 1/162, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 809.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन दो रकअतों की मशरूइयत वाज़ेह है। इस नमाज़ को तहिय्यतुल मस्जिद कहते हैं। चूंकि मस्जिद नमाज़ के लिये बनाई गई है, लिहाज़ा मस्जिद में आने वाला शख़्स सबसे पहले नमाज़ पढ़े। औक़ाते मकरूहा में दाख़िल हो तो इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फिर भी दो रकअत पढ़ना जायज़ समझते हैं। वह सलाते सबबी (जिस नमाज़ का कोई ख़ास सबब हो) को औक़ाते मकरूहा में जायज़ समझते हैं। मुत्लक़ नफ़ल मना हैं, मुहद्दिसीन की अक्सरियत यही राय रखती है जब कि उलमा-ए-अहनाफ़ मुत्लक़ नह्य के पेशे नज़र हर क़िस्म की नफ़ल नमाज़ को उन औक़ात में मना

समझते हैं। ज़ाहिर अलफ़ाज़ इनकी ताईद करते हैं मगर इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) के क़ौल पर अमल करने से तमाम अहादीस़ क़ाबिले अमल ठहरती हैं और मुख़्तलिफ़ रिवायात में वाक़ेअ तआरुज़ और इख़्तिलाफ़ भी ख़त्म हो जाता है। वल्लाहु आलम! (2) 'बैठने से पहले' उसका मतलब ये नहीं कि बैठने के बाद न पढ़े बल्कि असल मक़सद ये है कि दाख़िल होते ही पढ़े। चूंकि मक़सद ये है कि मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़े, लिहाज़ा कोई ज़रूरी नहीं कि मख़्सूस नफ़ल ही पढ़े बल्कि फ़र्ज़, सुन्नत, नफ़ल जो भी पढ़ ले किफ़ायत हो जायेगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जमाअत के वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। कहीं मन्क़ूल नहीं कि आप (ﷺ) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों।

बाब : (38) मस्जिद में आकर बैठने और बग़ैर नमाज़ पढ़े वापस जाने की इजाज़त

باب (٣٨): الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلاَةٍ

(732) हज़रत कअब बिन मालिक (رضي الله عنه) ने अपना वाक़िया बयान करते हुए फ़रमाया, जब वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पीछे रह गये थे, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह के वक़्त तशरीफ़ लाये, और आप जब सफ़र से वापस आते थे तो सबसे पहले मस्जिद में आते और दो रकअतें पढ़ते, फिर लोगों से मिलने के लिये बैठ जाते। (उस दिन भी) जब आपने ये कुछ कर लिया तो जो लोग इस ग़ज़्वे से पीछे रह गये थे आकर अपना अपना उज़्र पेश करने लगे और (यक़ीन दिलाने के लिये) क़समें खाने लगे। ये अस्सी से ज़्यादा आदमी थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके ज़ाहिरी उज़्र को क़बूल फ़रमाया और उनसे बैअ़ते इताअ़त ले ली और उनके लिये बख़्शिश तलब फ़रमाई और उनकी बातिनी हक़ीक़त को अल्लाह तआला के सुपुर्द फ़रमा दिया यहाँ तक कि मैं भी आया। जब मैंने सलाम कहा तो आप नाराज़ शख़्स की तरह मुस्कुराये, फिर फ़रमाया:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ " تَعَالَ " . فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي " مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ لِتَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشَكُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ " . فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ . مُخْتَصَرٌ .

'आगे आओ।' मैं आकर आपके सामने बैठ गया। आपने पूछा: 'तुम कैसे पीछे रहे? क्या तुमने सवारी नहीं ख़रीदी थी?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! अगर मैं (आपकी बजाये) किसी दुनियादार (सरदार) के पास बैठा होता तो मैं जानता हूँ कि यक़ीनन मैं उसकी नाराज़ी और ग़ुस्से से निकल जाता क्योंकि मुझे बात करने का तरीक़ा (ख़ूब) इनायत हुआ है। लेकिन वल्लाह! (अल्लाह की क़सम) मुझे यक़ीन है कि आपको राज़ी करने के लिये अगर मैंने आपसे झूठ कह दिया तो अल्लाह तआला आपको मुझसे नाराज़ कर देगा और अगर मैंने आपको सच सच कह दिया तो आप (वक़्ती तौर पर) मुझ से नाराज़ हो जायेंगे, लेकिन मझे उम्मीद है कि अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देगा। वल्लाह! मैं कभी भी इस क़द्र साहिबे इस्तिताअत व सहूलत नहीं हुआ जिस क़द्र अब था जब आपसे पीछे रहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसने सच कहा है (फिर मुझसे फ़रमाया:) तुम उठ जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में अल्लाह तआला कोई फ़ैसला फ़रमाये।' मैं उठ के चला आया। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(732) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4676, व मुस्लिम, हदीस: 716, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 810, अबू दाऊद, हदीस: 2202, 3317.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया बहुत लम्बा है, यहाँ सिर्फ़ एक हिस्सा बयान हुआ है। तफ़सील सहीहैन में मज़्कूर है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4418, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2769) **(2)** हदीस में सराहत नहीं कि हज़रत कअब बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) ने तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ी है। इमाम साहिब (رحمہ اللہ) की तबवीब से यही ग़र्ज़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (39)जो मस्जिद से गुज़रे वह भी तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े

صَلاَةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ .

(733) हज़रत अबू सईद बिन मुअला (ﷺ) से मन्कूल है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में बाज़ार को जाते हुए मस्जिद के पास से गुज़रते तो उसमें नमाज़ पढ़ते।

(733) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी (अल कबीर: 22/303, 304, हदीस: 770), सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 811.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इससे उन्वाने बाब पर इस्तिदलाल सही नहीं, ताहम अगर इसका एहतिमाम कर लिया जाये तो बेहतर और बाइसे बा'बरकत है लेकिन ज़रूरी नहीं।

बाब : (40)मस्जिद में बैठ कर (अगली) नमाज़ का इन्तिज़ार करने की तर्ग़ीब

باب (٤٠): التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ " .

(734) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ फ़रिश्ते उस शख़्स के लिये दुआएँ करते रहते हैं जो उस जगह बैठा रहता है जिस जगह उसने नमाज़ पढ़ी: ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा, ऐ अल्लाह इस पर रहम फ़रमा, जब तक वह बे वुज़ू न हो।'

(734) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 445, मौत्ता: 1/160, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 812, मुस्लिम, हदीस: 661/273.

फ़ायदा : मस्जिद में बैठना ज़िक्र के लिये होगा या अगली नमाज़ के इन्तिज़ार के लिये, दोनों सूरतों में वुज़ू होना चाहिए। बे'वुज़ू मस्जिद में ठहरना ज़्यादा फ़ज़ीलत का बाइस नहीं क्योंकि इस हालत में आदमी फ़रिश्तों की दुआ से महरूम रहता है जो कि एक फ़ज़ीलत से महरूमी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً السَّاعِدِيَّ، - رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِى الصَّلاَةِ " .

(735) हज़रत सहल बिन सअ़द साइदी (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स मस्जिद में बैठ कर अगली नमाज़ का इन्तिज़ार करता है, वह (हुक्मन और सवाब के लिहाज़ से) नमाज़ ही में होता है।'

(735) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/331, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 813, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 423, 424.

باب (٤١): ذِكْرِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

बाब : (41) ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने से नबी (ﷺ) की मुमानिअ़त का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ .

(736) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(736) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 769, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 814, सहीह मुस्लिम, हदीस: 360 वग़ैरह.

फ़ायदा : ऊँटों के बाड़े में नमाज़ से मना की वजह नजासत नहीं वरना बकरियों के बाड़े में भी मना होनी चाहिए, हालांकि इसमें नमाज़ पढ़ने की सराहतन इजाज़त आई है। फ़ेअली रिवायत भी गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 703) नह्य (मनाही) की वजह ये हो सकती है कि ऊँट को शैतानुद्दवाब कहा गया है, यानी ये बड़ा शरीर जानवर है। ताक़तवर और ज़िद्दी है। नमाज़ी को हर वक़्त धड़का लगा रहेगा कि कहीं मुँह में न डाल ले या ऊपर ही न बैठ जाये या टाँग न दे मारे तो उसकी तवज्जा नमाज़ की बजाये ऊँटों की तरफ़ लगी रहेगी। इस तरह ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ न रहेगा। अगर बाड़ा ऊँटों से ख़ाली हो तो क्या नमाज़ पढ़ी जा सकती है? ज़ाहिर तो ये है कि पढ़ी जा सकती है क्योंकि मज़्कूरा ख़तरा नहीं रहा, मगर

मुमकिन है कि शैतान की तरफ़ निस्बत की बिना पर ख़ाली बाड़े में शैतानी असरात रहते हों, इसलिये ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के ऐतबार से इज्तिनाब बेहतर है।

بَاب (٤٢): الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَيْنَمَا أَدْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةَ صَلَّى " .

बाब : (42) उसकी रुख़्सत

(737) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सारी ज़मीन मेरे लिये सज्दागाह और ज़रिय-ए-तहारत बनाई गई है, लिहाज़ा मेरे किसी उम्मती को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त हो जाये, वह वहीं नमाज़ पढ़ ले।'

(737) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 432 में देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 815.

फ़ायदा : ये रिवायत आम है। साबिक़ा रिवायत ख़ास है, लिहाज़ा इस आम को उससे ख़ास किया जायेगा जिस तरह पलीद ज़मीन पर, क़ब्रिस्तान और मज़बह (जबह करने की जगह) में नमाज़ मना है, इसी तरह ऊँटों के बाड़े में भी मना है।

بَاب (٤٣): الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَهَا فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهَا فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَأَتَاهَا فَعَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَنَضَحَتْهُ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّوْا مَعَهُ .

बाब : (43) चटाई पर नमाज़ पढ़ना

(738) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुज़ारिश की कि हमारे घर तशरीफ़ लायें और नमाज़ पढ़ें ताकि हम (तबर्रुकन) उस जगह को नमाज़ के लिये मुक़र्रर कर लें। आप तशरीफ़ लाये तो उन्होंने (उम्मे सुलैम (ﷺ)) ने एक चटाई उठाई और उसे पानी से गीला किया, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और सब (घर वालों) ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी।

(738) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 380, व मुस्लिम, 658, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 816.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तबर्रुक की बहस पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 702) (2) 'हसीर' खजूर की चटाई को कहते हैं। उस पर पानी डालना सफ़ाई या नरम करने के लिये था। (3) बाब का मक़सद ये है कि ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं और न माथे को मिट्टी का लगना ही शर्त है जैसा कि कुछ सूफ़ियों का ख़्याल है बल्कि किसी भी मुतमइन और पाक चीज़ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, वह कपड़ा हो या लकड़ी, पत्ते हों या चमड़ा जैसा कि आइन्दा रिवायात से भी साबित होता है। (4) सूर-ए-बनी इस्राईल, आयत: 8 में जो अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'और हमने जहन्नम को काफ़िरों के लिये क़ैद ख़ाना बनाया है।' इसमें हसीर से मुराद क़ैद ख़ाना है न कि वह चटाई जो नमाज़ के लिये इस्तेमाल होती है। गोया इस हदीस से उन लोगों की तर्दीद भी होती है जो चटाई वग़ैरह को नमाज़ के लिये मकरूह समझते हैं। मज़ीद बरां ये कि मुमकिन है इमाम साहिब इस क़िस्म की रिवायात से जिनमें चटाई पर नमाज़ पढ़ने की मशरूइयत है, इस रिवायत के ज़ुअफ़ या शुज़ूज़ की तरफ़ इशारा कर रहे हों जिसमें इसके इस्तेमाल की नफ़ी है। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 9/272)

बाब : (44)छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना

باب (۴۴): الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

(739) हज़रत मैमूना (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चटाई पर नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

(739) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 381, व मुस्लिम, 513, हदीस: 660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 817.

फ़ायदा : हसीर बड़ी चटाई होती है और ख़ुमरा छोटी चटाई। कुछ का ख़्याल है कि ख़ुमरा सिर्फ़ चेहरे और हथेलियों के नीचे होती है मगर हक़ीक़त ये है कि इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल आम है।

बाब : (45)मिम्बर पर नमाज़ पढ़ना

باب (۴۵): الصَّلاَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

(740) हज़रत अबू हाज़िम बिन दीनार से मरवी है कि कुछ आदमी हज़रत सहल बिन सअद साइदी (ﷺ) के पास आये। दरअसल उनका इख़्तेलाफ़ हो गया था कि मिम्बर किसी लकड़ी

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رِجَالاً، أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ

वَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ " أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ " . فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقِيَ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي " .

से बना था? तो उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा। आपने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! मैं ख़ूब जानता हूँ कि मिम्बरे नबवी किसी लकड़ी से बना था। मैंने उसे उसी दिन देखा था जिस दिन वह पहली मर्तबा रखा गया था और जब पहली दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) उस पर बैठे थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फुलां औरत को, जिसका सहल ने नाम लिया था, पैग़ाम भेजाः 'अपने बढ़ई गुलाम से कह कि वह मेरे लिये मिम्बर तैयार करे ताकि मैं जब लोगों से बात चीत करूं तो उस पर बैठा करूं।'उस औरत ने गुलाम को हुक्म दिया तो उसने मुक़ामे ग़ाबा के झाव के दरख़्त से मिम्बर तैयार किया, फिर उसे वह लेकर (उस औरत के पास) आया तो उस औरत ने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेज दिया। आपने हुक्म दिया तो उसे उस जगह रख दिया गया, फिर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप उस पर चढ़े और नमाज़ शुरू की, आपने मिम्बर ही पर तकबीरे तहरीमा कही, मिम्बर ही पर रुकू किया, फिर पीछे पाँव नीचे उतरे और मिम्बर ही से मुत्तसिल होकर सज्दा किया, फिर दोबारा मिम्बर पर चढ़ गये। जब फ़ारिग़ हुए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमायाः 'ऐ लोगो! मैंने ये इसलिये किया है ताकि तुम मेरी इक़्तेदा कर सको और मेरी नमाज़ (का तरीक़ा) सीख लो।'

(740) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 917, व मुस्लिम, 45/544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 818.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये नफ़ल नमाज़ थी और नफ़ल नमाज़ में काफ़ी वुस्अत होती है। अगरचे मिम्बर नमाज़ के लिये नहीं बनाया गया था मगर आपने मुनासिब ख़्याल फ़रमाया कि उसका इफ़्तेताह नमाज़ सिखाने से हो। उसका ये फ़ायदा मक़सूद था कि लोग आपके ऊँचा होने की वजह से आपको बख़ूबी देख सकें और नमाज़ का तरीक़ा सीख लें। आपने सबसे बुलन्द सीढ़ी पर खड़े होकर नमाज़ अदा फ़रमाई। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/514, शरह हदीस़: 917) **(2)** इस हदीस़े मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि अगर कभी रश या जगह की तंगी या ना'हमवारी की वजह से नमाज़ का कोई रुक्न कुछ हट कर या नीचे उतर कर या कुछ आगे पीछे चल कर अदा करना पड़े तो नफ़ल नमाज़ में गुंजाइश है, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ में इज़्तिरारी हालत के अ़लावा ऐसे न किया जाये। **(3)** कहा गया है कि औ़रत का नाम सहला और ग़ुलाम का नाम मैमून था। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/512, शरह हदीस़: 917) **(4)** स़हीह रिवायत में स़राहत है कि मिम्बर बनाने की पेशकश उस औ़रत ने ख़ुद की थी। आपने मन्ज़ूरी या याददेहानी का पैग़ाम भेजा। **(5)** सज्दा करने के लिये आपको कई क़दम उठाने पड़े क्योंकि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से उतर कर नीचे आना और मज़ीद पीछे हट कर मिम्बर की क़रीब तरीन जगह पर सज्दा करना कई क़दमों का मुतक़ाज़ी है, लिहाज़ा क़दमों की दर्जा बन्दी करना कि अगर मुसल्सल तीन क़दम उठायें तो नमाज़ बातिल हो जायेगी, दुरुस्त नहीं। उसकी बजाये अ़मल को ज़रूरत के साथ मुक़य्यद करना चाहिए।

बाब : (46) गधे पर नमाज़ पढ़ना

باب (٤٦): الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ .

(741) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को गधे पर सवार नमाज़ पढ़ते देखा जब कि आप ख़ैबर की तरफ़ जा रहे थे।

(741) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 35/700, मौत्ता: 1/150, 151, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 819.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى

(742) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को गधे पर सवार नमाज़ पढ़ते देखा। आप ख़ैबर की तरफ़ जा रहे थे जब कि क़िब्ला आपकी पुश्त की जानिब था।

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى عَلَى قَوْلِهِ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नहीं जानते कि किसी और रावी ने (युसल्ली अ़ला हिमार) के अल्फ़ाज़ बयान करने में अ़म्र बिन यहया की मुवाफ़िक़त की हो। सही बात ये है कि यहया बिन सईद की हज़रत अनस (ﷺ) से इस मफ़हूम की रिवायत मौक़ूफ़ है। वल्लाहु आलम!

(742) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा हदीस: 820,

फ़वाइद व मसाइल : (1) बात ये है कि दूसरे रावी गधे की बजाये ऊँट का ज़िक्र करते हैं, सिर्फ़ अ़म्र बिन यहया गधे का ज़िक्र करते हैं। (ये बहस हदीस 741 से मुताल्लिक़ है) इमाम दारक़ुतनी (ﷺ) की ताईद की है मगर इमाम नववी (ﷺ) ने लिखा है कि अ़म्र सिक़ा रावी है। हो सकता है कभी आप गधे पर सवार हों, कभी ऊँट पर, जब कि इमाम नसाई (ﷺ) का मक़सद ये है कि अ़म्र की रिवायत शाज़ है, गधे का ज़िक्र सही नहीं। हदीस: 742 में भी अगरचे गधे का ज़िक्र है मगर उसके बारे में इमाम नसाई (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ये दरअसल हज़रत अनस (ﷺ) का अपना फ़ेअ़ल है, यानी वह ख़ुद गधे पर सवार नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। रावी ने ग़लती से उसे नबी-ए-अकरम (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब कर दिया। इमाम नसाई (ﷺ) का इब्ने उ़मर (ﷺ) की रिवायत को (युसल्ली अ़ला हिमार) के इज़ाफ़े के साथ नाक़ाबिले हुज्जत समझना यक़ीनन महल्ले नज़र है क्योंकि इसमें दीगर सिक़ात रावियों की कौन सी मुख़ालिफ़त है बल्कि इसमें तो एक ज़ाइद अम्र है। फिर अ़म्र नामी रावी भी सिक़ा हैं और सिक़ा की ज़्यादती, जबकि दीगर रिवायात के मुनाफ़ी न हो, क़ाबिले क़बूल होती है, और ये हदीस इमाम मुस्लिम (ﷺ) के नज़दीक भी सही है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (35) 770) मज़ीद बरां ये कि इस हदीस की ताईद हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस से भी होती है, जिसे इस्तेलाह में शाहिद कहा जाता है। फिर उनमें तआरुज़ इसलिये भी नहीं रहता कि मुमकिन है कभी गधे पर सवार हों और कभी ऊँट पर, गोया ये दो मुख़्तलिफ़ औक़ात की बात है जैसा कि इमाम नववी (ﷺ) ने फ़रमाया है, इसलिये रिवायत को नाक़ाबिले हुज्जत क़रार देने की बजाये, जबकि रावी भी सिक़ा हो, तत्बीक़ देना ही बेहतर है। फिर ये ऐतराज़ कि हदीसे अनस का मरफ़ूअ होना दुरुस्त नहीं और वजह ये है कि यहया बिन सईद के सिवा दीगर रुवात उसे हज़रत अनस से मौक़ूफ़न ज़िक्र करते है। जैसा कि अनस बिन सीरीन की रिवायत में है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 702) ये भी महल्ले नज़र है क्योंकि अगर एक ने मौक़ूफ़न बयान किया हो और दूसरे ने मरफ़ूअन और बयान करने वाला सिक़ा हो तो ये कोई क़ाबिले जरह बात

नही। बल्कि एक मज़ीद फ़ायदा है गोया ये रिवायत मौक़ूफ़न और मरफ़ूअन दोनों तरह साबित है और ये कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। यूँ समझिये, अगर एक रिवायत मुर्सलन मन्क़ूल हो और दूसरी मौसूलन, या एक मुन्क़तअ हो दूसरी मुत्तसिल, क्या आपस में उनका कोई तज़ाद है? क़तअन नहीं बल्कि मुत्तसिल और मौसूल ही को क़बूल किया जायेगा। यहाँ भी ऐसे ही है बल्कि इस मौक़ूफ़ रिवायत का इब्ने उमर (ﷺ) से मरफ़ूअ शाहिद भी मिलता है जिसे इमाम मुस्लिम (رحمه الله) ने अपनी सही में दर्ज किया है बहरहाल हक़ यही है कि दोनों अहादीस सही हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी दोनों को सही क़रार दिया है बल्कि उन्होंने इन रिवायात को एक दूसरी का शाहिद बनाया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/576, हदीस: 1100) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इन दोनों रिवायात को सही कहा है। देखिये: (सहीह सुनन नसाई) **(2)** ये नफ़ल नमाज़ की बात है। चूंकि नफ़ल हर वक़्त पढ़े जा सकते हैं, लिहाज़ा नफ़ल के लिये सहूलतें रखी गई हैं कि खड़ा होकर न पढ़ना चाहे तो बैठकर पढ़ ले, उतर कर नहीं पढ़ सकता तो सवारी ही पर पढ़ ले और रुकू और सज्दा की बजाये इशारा ही कर ले। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ैबर की तरफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे और ख़ैबर शिमाल की जानिब है जब कि मदीना मुनव्वरा से क़िब्ला जुनूब की जानिब है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

क़िब्ले की वजहे तस्मिया, फ़र्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत और अहकाम व मसाइल

इमाम नसाई (رحمه الله) ने अपनी सुनन की इब्तेदा तहारत जैसे अहम और बुनियादी मसले से की। इसके बाद नमाज़ का ज़िक्र किया जिसकी अहमियत व फ़ज़ीलत किसी से मख़्फ़ी नहीं। फिर औक़ाते नमाज़ के मसाइल बयान किये क्योंकि नमाज़ मुक़र्ररा वक़्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। इरशादे बारी तआला है: '**तहक़ीक़ नमाज़ मोमिनों पर मुक़र्ररा वक़्त पर फ़र्ज़ है।**' (अन्निसा: 4/103) फिर अज़ान का ज़िक्र किया क्योंकि इन्सान दुनियावी मशाग़िल की बिना पर इसे बरवक़्त अदा करने में अक्सर कोताही करता है और उसे याद देहानी की ज़रूरत होती है, ये काम अज़ान देती हैं उसके बाद मसाजिद का ज़िक्र किया जहाँ नमाज़ अदा की जाती है। मस्जिद में नमाज़ी सिर्फ़ एक, यानी क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का मुकल्लफ़ होता है, इसलिये मसाजिद के ज़िक्र के बाद क़िब्ले के मसाइल बयान किये।

ज़ेल में क़िब्ले की लुग़वी व इस्तेलाही तारीफ़, वजहे तस्मिया, फ़र्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत और क़िब्ले के मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल इख़्तेसार से ज़िक्र किये जाते हैं ताकि मसला आसानी से और बख़ूबी समझ में आ सके।

✧ **क़िब्ले की लुग़वी तारीफ़ :** क़िब्ला कुबुल से माख़ूज़ है जो दुबुर की ज़िद है। हर चीज़ के सामने वाले हिस्से को कुबुल और पीछे हिस्से को दुबुर कहते हैं। मुहावरा है: 'एक चीज़ दूसरी के बिल्कुल सामने है।'

✧ **इस्तेलाही तारीफ़ :** शरई इस्तेलाह में क़िब्ले से मुराद वह ख़ास जगह (ख़ान-ए-काबा) है जिसकी तरफ़ रुख़ करके तमाम दुनिया के मुसलमान नमाज़ अदा करते हैं। और हज व उम्रा में उसका तवाफ़ करते हैं।

✧ **वजहे तस्मिया :** क़िब्ले को क़िब्ला इसलिये कहा जाता है कि दौराने नमाज़ में नमाज़ी उसके सामने होता है और ये नमाज़ी के सामने।

✧ **फ़र्ज़ीयत :** ये बात तो मुत्तफ़क़ा है कि पाँच नमाज़ें मैराज की रात फ़र्ज़ हूईं मगर इसमें इख़्तेलाफ़ है की उससे पहले कोई नमाज़ फ़र्ज़ थी या नहीं? अहले इल्म की एक जमाअत का ख़्याल है कि कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी। देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/603, तहत हदीस़: 350) अहले इल्म का तीसरा गिरोह कहता है कि पाँच नमाज़ों से पहले फ़ज्र और अ़स्र की दो नमाज़ें दो दो रकअ़तें फ़र्ज़ थीं। (फ़तहुलबारी: 3/71, तहत हदीस़: 574, व तफ़्सीर अल क़ुर्तुबी, सूरह ग़ाफ़िर, आयत: 55) और इसके मुताल्लिक़ चौथा क़ौल ये है कि नमाज़ आग़ाज़े नबूवत ही में फ़र्ज़ हो चुकी थी, देखिये: (रहमतुल लिल आलमीन: 1/56, व तारीख़ अत्तबरी: 3/53) मगर क़िब्ले के मुताल्लिक़ कोई हुक्म नाज़िल न हुआ था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) की आ़दते मुबारका थी कि जिस बारे में कोई हुक्मे इलाही मौजूद न होता, उसमें अहले किताब से मुवाफ़िक़त फ़रमाया करते थे, इसलिये मक्का के तेरह साला दौर में आपने बैतुल मक़्दिस ही को क़िब्ला बनाये रखा क्योंकि ये अहले किताब यहूद) का क़िब्ला था, लेकिन आप (ﷺ) नमाज़ के लिये दो यमनी रुक्नों के दरम्यान खड़े होते जिससे बैतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस दोनों की तरफ़ मुँह हो जाता। मदीना तशरीफ़ लाने के बाद ये सूरत मुमकिन न थी क्योंकि बैतुल मक़्दिस मदीना से शिमाल और बैतुल्लाह जुनूब की तरफ़ था, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। आप (ﷺ) की शदीद ख़्वाहिश थी कि इस मिल्लते इब्राहीमी के लिये वही इब्राहीमी मस्जिद क़िब्ला हो जिसे आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने अपने हाथों से तामीर फ़रमाया और जो उनका क़िब्ला थी।

नबी-ए-अकरम (ﷺ) बार बार आसमान की तरफ़ नज़र उठाते कि क़िब्ले के मुताल्लिक़ कोई नया हुक्म नाज़िल हो, बिल आख़िर सोलह या सतरह माह के बाद रजब या शाबान 2 हिजरी में तहवीले क़िब्ला का ये हुक्म नाज़िल हुआ: (قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ) फ़तहुलबारी में यही वज़ाहत फ़रमाई है कि बनू सलमा में ज़ुहर की नमाज़ पहली थी जो बैतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी गईं मदीना में ये ख़बर अ़स्र के वक़्त पहुँची। उन्होंने सबसे पहले अ़स्र की नमाज़ बैतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी। और क़ुबा वालों को सुबह की नमाज़ में ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले सुबह की नमाज़ बैतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/97)

तहवीले क़िब्ला के हुक्म के नुज़ूल से आपकी देरीना ख़्वाहिश पूरी हो गई और उम्मते मुस्लिमा का क़िब्ला बैतुल मक़्दिस की बजाये बैतुलल्लाह बना दिया गया जो ज़मीन पर इबादते इलाही के लिये बनाई गई अव्वलीन मस्जिद है। इरशादे बारी तआला है: **'यक़ीनन अल्लाह तआ़ला का पहला घर जो लोगों के लिये बनाया गया वही है जो मक्का में है जो तमाम दुनिया के लिये बरकत व हिदायत वाला है।'** (आले इमरान: /92)

हज़रत अबू ज़र (ﷺ) फ़रमाते हैं, **मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़मीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? आपने फ़रमाया: 'मस्जिदे हराम' मैंने पूछा: उसके बाद? आपने फ़रमाया: 'मस्जिदे अक़्सा' मैंने कहा: इन दोनों की तामीर के दरम्यान कितना वक़्फ़ा रहा? आपने फ़रमाया: 'चालीस साल'** (सहीह बुख़ारी,हदीस: 3366, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 520)

बैतुल्लाह की तामीर सबसे पहले कब हूई? बैतुल मक़्दिस सबसे पहले किस ने तामीर किया? और बैतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस की किस तामीर के दरम्यान चालीस साल का वक़्फ़ा है? इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। तारीख़ी और इस्राईली रिवायात इस बारे में मुख़्तलिफ़ हैं क्योंकि बैतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस की तामीर मुख़्तलिफ़ अदवार में मुतअद्दिद मर्तबा हुई, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि मज़्कूरा हदीस में बैतुल्लाह की तामीर से हज़रत इब्राहीम (ﷺ) और बैतुल मक़्दिस की तामीर से हज़रत सुलैमान (ﷺ) की तामीर मुराद लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि दोनों नबीयों के ज़मान-ए-नबूवत के दरम्यान हज़ारों साल का फ़ासला है।

इस्लाम ने क़िब्ले के लिये किसी ख़ास सिम्त का नहीं बल्कि एक मर्कज़ी मस्जिद का इन्तेख़ाब किया जिसके चारों तरफ़, चारों सिम्तों से नमाज़ पढ़ी जा सके। इस तरह मश्रिक़, मग़रिब, जुनूब और शिमाल सब एक ही वक़्त में मुसलमाने आलम का क़िब्ला हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि सिम्त के तअय्युन से इस सिम्त की मर्कज़ी चीज़, जैसे: आफ़ताब या कुतुबे शिमाली। **'हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ़ उठता देख रहे हैं, अब हम आपको उस क़िब्ले की जानिब ज़रूर फेर देंगे जिसे आप पसन्द करते हैं, आप अपना मुँह मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें और तुम जहाँ कहीं हो अपने मुँह उसी की तरफ़ किया करो।'** (अल बक़र: 2/144)

जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) क़बील-ए-बनू सलमा के यहाँ बिश्र बिन बराअ बिन मअरूर (ﷺ) की वफ़ात पर गये हुए थे। आप अपने सहाबा के साथ ज़ुहर की नमाज़ अदा फ़रमा रहे थे और दो रकअतें अदा फ़रमा चुके थे कि ये हुक्म नाज़िल हुआ। आपने दौराने नमाज़ ही में बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह कर लिया और बाक़ी दो रकअतें बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके अदा फ़रमाईं। इस मस्जिद का नाम **'मस्जिदे क़िब्लतैन'** रखा गया क्योंकि इसमें एक नमाज़ दो क़िब्लों की तरफ़ मुँह करके अदा की गई। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/97, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 6/211)

अ़ब्बाद बिन बिश्र या अ़ब्बाद बिन नुहैक (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद मदीना आये तो बनू हारिसा अपनी मस्जिद में अ़स्र की नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने उन्हें ख़बर दी तो वह भी दौराने नमाज़ ही में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 40)

जबकि क़ुबा वालों को ये ख़बर सुबह की नमाज़ के दौरान में पहुँची जैसा कि सहीह बुख़ारी में है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'लोग क़ुबा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में एक आदमी आया, उसने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर रात वहि नाज़िल हुई है और उन्हें (नमाज़ में) काबा की तरफ़ मुँह करने का हुक्म हुआ है, चुनांचे उन लोगों ने काबा की जानिब अपने रुख़ फेर लिये और वह उस वक़्त शाम की जानिब रुख़ किये हुए थे तो वह काबा की जानिब फिर गये।'** (सहीह बुख़ारी: हदीस: 403)

पहली पहली नमाज़ कौन सी थी जो बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी गई? उसके मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ रिवायात में जो बज़ाहिर तआ़रूज़ नज़र आता है,इसका बेहतरीन हल वही है जो ऊपर बयान हुआ है।

अल मुख़्तसर अल्लाह तआ़ला ने ता'क़यामत बैतुल्लाह को मुसलमानाने आ़लम का क़िब्ला मुक़र्रर कर के इस उम्मत पर एहसाने अ़ज़ीम फ़रमाया है। जिस तरह इनका रसूल, किताब और शरीयत अफ़ज़ल हैं, उसी तरह इनके लिये क़िब्ला भी अफ़ज़ल ही पसन्द फ़रमाया क्योंकि ये अफ़ज़ल तरीन उम्मत है जो जन्नत में भी बलन्द और अफ़ज़ल मक़ाम की हामिल है। अल्लाह तआ़ला हमें हक़ीक़ी मानों में बैतुल्लाह की ताज़ीम की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये। आमीन!

✧ **मक़सद और हिकमत :** तहवीले क़िब्ला का मक़सद अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त ने ख़ुद बयान फ़रमाया है। इरशादे रब्बानी है: **'जिस क़िब्ले पर तुम पहले से थे, उसे हमने सिर्फ़ इसलिये मुक़र्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी ऐड़ियों के बल पलट जाता हे, गोया काम मुश्किल था मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर कोई मुश्किल नहीं।)'** (अल बक़र: 2/143) यानी पहले बैतुल मक़्दिस को क़िब्ला मुक़र्रर करने और फिर उसे फेरने में मुसलमानों, मुशरिकों, अहले किताब और मुनाफ़िक़ों सबका इम्तेहान था। मुसलमानों ने तो ये सुन कर **'समिअ़ना व अतअ़ना'** कहा, यानी **'हमने अल्लाह का हुक्म सुना और इताअ़त की।'** और कहा: दोनों ही हुक्म हमारे अल्लाह की तरफ़ से हैं, इसलिये उन पर क़िब्ले का बदलना गिरां नहीं गुज़रा मुशरिकों ने कहा: जिस तरह ये हमारे क़िब्ले की तरफ़ लौट आया है, थोड़े दिनों तक हमारे दीन की तरफ़ भी लौट आयेगा। यहूदीयों ने कहा: इसने अम्बिया के क़िब्ले की मुख़ालिफ़त

की हैं मुनाफ़िक़ों ने कहा: मुहम्मद (ﷺ) को पता ही नहीं कि मुँह किधर करना है। अगर पहला हुक्म बरहक़ था तो उसे उसने छोड़ दिया है और अगर दूसरा बरहक़ है तो ये बातिल पर था। ग़र्ज़ ये कि बेवक़ूफ़ों ने इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर बातें कीं और ये क़िब्ला उनके हक़ में उसी तरह साबित हुआ जिस तरह अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ) (अल बक़र: 2/143) यानी हिदायत याफ़्ता लोगों के अलावा तहवीले क़िब्ला सब पर शाक़ है। देखिये: (मुख़्तसर सीरतुर्रसूल अज़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब (उर्दू), सफ़ा: 234)

✧ **फ़ज़ीलत :** बैतुल्लाह की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर मुसलमान पर नमाज़ में इस की तरफ़ मुँह करना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। नमाज़ पढ़ने वाला दिन रात में कई दफ़ा इसकी तरफ़ मुतवज्जा होता है और अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होकर आजिज़ी और बंदगी बजा लाता है। अगर जानबूझ कर किसी और तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ अल्लाह के दरबार में क़ाबिले क़बूल नहीं। एक सच्चा मुसलमान किसी और तरफ़ मुँह करने का सोच भी नहीं सकता। हर मुसलमान उसकी ज़ियारत का शौक़ दिल में लिये बैठा है। हर साहिबे इस्तेताअत पर ज़िन्दगी में एक बार उसका हज करना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। फ़रमाने बारी तआला है: '**अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो वहाँ जाने की ताक़त रखते हों, उस घर का हज फ़र्ज़ कर दिया है।**' (आले इमरान: 3/97) इस हुक्म की तामील के लिये हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान दो अनसिले कपड़ों में उसके ज़ायरीन बन कर आते हैं, उसकी ज़ियारत से अपनी आँखों को ठण्डा करते हैं और अपने गुनाह बख़्शवा कर ऐसे पाक साफ़ वापस लौटते हैं जैसे उसी दिन उनकी माँओं ने उन्हें जना हो। ये एक अमन वाला घर है जिसमें बड़े से बड़े दुश्मन यहाँ तक कि बाप के क़ातिल को भी अमन मिल जाता है। इरशादे बारी है: '**जो इसमें आ जाये, वह अमन वाला हो जाता है।**' (आले इमरान: 3/97)

ये बैतुल्लाह ही की अज़मत है कि उसमें एक नमाज़ पढ़ने से एक लाख नमाज़ का सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ अदा करने का सवाब दूसरी मसाजिद में नमाज़ अदा करने के मुक़ाबले में हज़ार गुना ज़्यादा है, सिवाये मस्जिदे हराम के। और मस्जिदे हराम में एक नमाज़ अदा करना इस (मस्जिदे नबवी) में सौ नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।**' (मुसनद अहमद: 4/7) और नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: '**तीन मस्जिदों के सिवा किसी और की तरफ़ रख़्ते सफ़र न बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, ये मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) और मस्जिदे अक़्सा।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1197, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 827, क़ब्ल अल हदीस: 1339) इस फ़ज़ीलत और शर्फ़ की बिना पर जो अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह को हमारा क़िब्ला बनाकर हमें

बख़्शा, यहूद हम से हसद करते हैं। हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'यहूदी हमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं करते जितना जुमा पर करते हैं क्योंकि अल्लाह तआला ने हमें इसकी हिदायत दी और ये इससे गुमराह हूये, इसी तरह जितना हसद क़िब्ले पर करते हैं किसी और चीज़ पर नहीं करते, इसलिये कि अल्लाह तआला ने उसकी तरफ़ हमारी रहनुमाई फ़रमाई और वह गुमराह हुए और इमाम के पीछे आमीन कहने पर भी बहुत हसद करते हैं।'** देखिये: (मुसनद अहमद: 6/135, 136, मुसनद इमाम अहमद: 41/481, व सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 2/306, 307, तहत हदीस़: 691)

ये फ़ज़ीलत भी इस धरती की तमाम मसाजिद में से बैतुल्लाह ही के हिस्से में आई कि वहाँ हर वक़्त नमाज़ अदा की जा सकती है, दिन रात के किसी भी हिस्से में नमाज़ पढ़ना मकरूह या ममनूअ नहीं है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वाले और (इसमें) नमाज़ पढ़ने वाले किसी शख़्स को न रोको, ख़्वाह वह शब व रोज़ की किसी घड़ी में ये काम करे।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1894, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 868, व सुनन नसाई, हदीस़: 2927)

मुतअद्दिद (कई) आयात में मक्का की इस क़द्र फ़ज़ीलत का बयान कि वहाँ लड़ाई झगड़ा, क़त्ल व ग़ारत, शिकार करना, शिकार भगाना दरख़्त और घास फूस काटना, गिरी पड़ी चीज़ को ज़ाती तसर्रुफ़ में लाने के लिये उठाना और हथियार सरे आम लेकर चलना मना है, और नबी-ए-अकरम(ﷺ) का हिजरत के वक़्त उसे बेहतरीन और महबूब तरीन ज़मीन क़रार देना, ग़मे फ़िराक़ का इज़्हार करना और ये फ़रमाना: **'अगर मुझे मजबूर न किया जाता तो मैं कभी यहाँ से निकल कर किसी और जगह को मस्कन न बनाता।'** ये सब बैतुल्लाह ही की वजह से था। मक्का के बाशिन्दों की बेहद इज़्ज़त व एहतिराम और उनके तिजारती क़ाफ़िलों का न लूटा जाना भी इसी वजह से था कि वह बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे।

✧ क़िब्ले के मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल :

❁ नमाज़ के लिये क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना फ़र्ज़ है। फ़रमाने बारी तआला है: **'और तुम जहाँ कहीं भी हो, इसी (बैतुल्लाह) की तरफ़ अपने मुँह किया करो।'** (अल बक़र: 2/144)

❁ दौराने सफ़र में नफ़ली नमाज़ के लिये क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ मुँह करना जायज़ है, अलबत्ता नमाज़ शुरू करते वक़्त किब्ला रुख़ होना ज़रूरी है। हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र करते और नफ़ली नमाज़ पढ़ना चाहते तो (एक मर्तबा) अपनी**

ऊँटनी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ मोड़ लेते और तकबीर कहते। इसके बाद फिर सवारी का रुख़ जिस जानिब भी हो जाता, नमाज़ पढ़ते रहते।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1225)

कुछ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक **'और मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुँह करो, उधर ही अल्लाह का मुँह है।'** आयत का सबबे नुज़ूल भी सफ़र में सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त के मुताल्लिक़ है कि सवारी का मुँह जिधर भी हो नमाज़ पढ़ सकते हो।

❁ दौराने सफ़र में अगर नमाज़ का वक़्त हो जाये और जिहते क़िब्ला का इल्म न हो तो आदमी को मुमकिन हद तक कोशिश करके नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। नमाज़ अदा करने के बाद अगर पता चले कि नमाज़ ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ पढ़ी गई है तो नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं जैसा कि क़ुबा वालों को सुबह की नमाज़ में तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचा था जबकि उसका हुक्म एक दिन पहले ज़ुहर की नमाज़ में नाज़िल हुआ था तो उन्होंने पिछले दिन की नमाज़ें नहीं दोहराईं और न सुबह की नमाज़ का वह हिस्सा दोबारा पढ़ा जो तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचने से पहले पढ़ा जा चुका था। इसी तरह बनू सलमा को अस्र की नमाज़ में ये हुक्म पहुँचा, उन्होंने भी पहले पढ़ी जा चुकी नमाज़ का एआदा नहीं किया।

❁ अगर आदमी मक्का से दूर दराज़ इलाक़े का मुक़ीम है तो उसके लिये ऐन क़िब्ला रुख़ होना लाज़मी नहीं क्योंकि ये बड़ा दुश्वार और मुश्किल है। उसके लिये बस यही काफ़ी है कि उस जानिब अपना मुँह कर ले, अगर कोशिश के बावजूद थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अहले मदीना को फ़रमाया था: **'मशरिक़ और मग़रिब के दरम्यान क़िब्ला है।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 342) मदीना, मक्का के शिमाल में हैं मदीने वाले जब जुनूब (क़िब्ले) की तरफ़ मुँह करते हैं तो मग़रिब दायें और मशरिक़ बायें पड़ता है, लिहाज़ा उनका क़िब्ला इन दो सिम्तों (मशरिक़ और मग़रिब) के दरम्यान हुआ, जबकि हमारा क़िब्ला शिमाल और जुनूब के दरम्यान है। हदीस का मन्तूक़ अगरचे ख़ास अहले मदीना के लिये है लेकिन मफ़हूम ये है कि ये वुस्अत और गुंजाइश दीगर शहरों के लिये भी इसी तरह है जिस तरह अहले मदीना के लिये है।

❁ नमाज़ पढ़ने वाले के सामने (क़िब्ला की जानिब) अगर कोई शख़्स लेटा हुआ हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ हो जाती है। हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं: **'नबी (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते थे और मैं आपके और क़िब्ले के दरम्यान आपके बिस्तर पर अर्ज़ के बल लेटी होती थी। जब आप वित्र पढ़ने का इरादा फ़रमाते तो मुझे जगा देते और मैं वित्र पढ़ लेती।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 512, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 512, व सुनन नसाई, हदीस: 760)

❁ अगर क़िब्ले की जानिब नक़्श व निगार, बेल बूटों या तस्वीरों वाला कपड़ा आरास्ता हो तो

नमाज़ हो जाती है, अलबत्ता बेहतर यही है कि ऐसी कोई चीज़ नमाज़ी के सामने न हो जिससे ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में फ़र्क़ आये और नमाज़ी की तवज्जा नमाज़ से हट जायें हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: मेरे घर में एक तस्वीरों वाला कपड़ा था। मैंने उसे एक ताक़ के सामने (बतौर पर्दा) लटका लिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) उस ताक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने फ़रमाया: **'ऐ आयशा! इसे मेरे सामने से हटा दो।'** मैंने उसे उतार कर तकिये बना लिये। (सुनन नसाई, हदीस: 763)

❀ इमाम और मुक़्तदी के दरम्यान कोई कपड़ा हाइल हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ हो जाती है। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक चटाई थी जिसे आप दिन को बिछा लेते थे और रात को हुजरा सा बना लेते थे और उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को आपकी नमाज़ का पता चल गया तो वह आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जबकि उनके और आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 730, नसाई, हदीस:763)

❀ ख़ाना काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ), उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तल्हा (ﷺ) बैतुल्लाह में दाख़िल हुए और उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया (ताकि लोग हुजूम न करें।) फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले मैं दाख़िल हुआ। मैं बिलाल से मिला और उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने काबे में नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली सफ़ के बायीं तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1598, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1329)

❀ बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है क्योंकि नमाज़ के लिये बैतुल्लाह को जिहत बनाने का हुक्म है: **'आप अपना चेहरा बैतुल्लाह की जानिब फेरें।'** (अल बक़र: 150) जो शख़्स बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ता है, उसकी जिहत बैतुल्लाह नहीं रहती। वल्लाहु आलम।

❀ नमाज़ में और नमाज़ के अलावा क़िब्ले की तरफ़ थूकना मना है। अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िब्ले की दीवार पर थूक देखा, आपने उसे खूरच दिया, फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: **'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो वह अपने सामने न थूके क्योंकि जब वह नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसके सामने होता है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 406)

हज़रत साइब बिन ख़ल्लाद (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी क़ौम की इमामत कराई और उसने क़िब्ले की जानिब थूक दिया जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) देख रहे थे। जब वह फ़ारिग़ हुआ तो आपने (उसकी क़ौम से) फ़रमाया: **'आइन्दा ये तुम्हें नमाज़ न पढ़ाये।'** इसके बाद उसने उन्हें नमाज़ पढ़ाना चाही तो उन्होंने उसे रोक दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान सुनाया। उसने ये बात

रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: '**हाँ**', रावि-ए-हदीस़ कहते हैं: मेरा ख़याल है कि आपने फ़रमाया: '**तुमने अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा दी है।**' (सुनन अबी दाऊद : 481)

हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**क़िब्ले की तरफ़ थूकने वाला क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि थूक उसके चेहरे पर होगा।**' (स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1638, व स़हीह तर्ग़ीब, वत्तर्हीब, हदीस़: 283)

❀ पेशाब करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मना है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाजत के लिये आये तो वह (पेशाब पाख़ाने के वक़्त) क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके न बैठे।**' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 144, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़:264)

❀ ज़रूरत के पेशे नज़र दौराने नमाज़ में सामने क़िब्ले की तरफ़ जूते रखने में कोई हर्ज नहीं, किसी स़ही हदीस़ में इसकी मुमानिअ़त स़ाबित नहीं। इसी तरह किसी स़ही हदीस़ से क़िब्ले की तरफ़ पाँव करने की मुमानिअ़त भी मन्क़ूल नहीं, अलबत्ता अगर कोई बैतुल्लाह की ताज़ीम करते हुए इस तरफ़ पाँव नहीं करता तो ये बेहतर है। हर काम में अस़ल एबाहत है, मुमानिअ़त के लिये दलील चाहिए।

इमाम नसाई (رحمه الله) ने किताबुल क़िब्ला में क़िब्ले के अहकाम व मसाइल बयान करने के बाद सुतरे के मसाइल ज़िक्र किये हैं। उसके बाद लिबास के कुछ अहकाम बयान किये। बज़ाहिर इन दोनों मसलों की ज़ेरे बहस़ किताब से कोई वाज़ेह मुनासिबत नज़र नहीं आती। वल्लाहु आलम!

इमाम स़ाहिब की इन मसाइल को किताबुल क़िब्ला में ज़िक्र करने से ग़र्ज़ किया है? अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुमकिन है इमाम स़ाहिब ने किताबुल क़िब्ला में सुतरे के मसाइल बयान करके इस तरफ़ इशारा किया हो कि बैतुल्लाह में भी सुतरे का एहतिमाम होना चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि ये चूंकि नमाज़ी और क़िब्ले के दरम्यान होता है, इसलिये इसकी मशरूइयत, ज़रूरत, अहमियत और हुक्म बयान कर दिया जिस तरह कि इमाम स़ाहिब ने नमाज़ी और क़िब्ले के दरम्यान हाइल होने वाली दूसरी चीज़ों (क़ब्र, जूते और सोने वाले) के बारे में बयान किया कि उनके दरम्यान में होने से नमाज़ पर कुछ अस़र पड़ता है या नहीं?

नमाज़ के लिये सतर ढाँपना शर्त है तो लिबास के कुछ अहकाम इस वज़ाहत के लिये बयान किये कि (नमाज़ में) क़िब्ला रू खड़ा होने के लिये किस क़िस्म के लिबास से सतर ढाँपना चाहिए, जबकि लिबास के ज़्यादातर अहकाम इमाम स़ाहिब ने किताबुज्ज़ीना में बयान किये हैं। वल्लाहु आलम!

सुतरे और लिबास के अहकाम अहादीस़ के तहत फ़वाइद में तफ्सीलन आ रहे हैं। इस्तेफ़ादे के लिये वहाँ रुजू किया जा सकता है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب القبلة

क़िब्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب (١): باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ . فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

बाब : (1) (नमाज़ में) क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना

(743) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो तक़रीबन सोलह (16) महीने बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, फिर आपका रुख़े अनवर काबे की तरफ़ कर दिया गया। एक आदमी जिसने नबी (ﷺ) के साथ (काबे की तरफ़ मुँह करके) नमाज़ पढ़ी थी, अन्सार की एक क़ौम (बनू हारिसा) के पास से गुज़रा। (वह बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे) उसने कहा: मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को काबा रुख़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे दिया गया है, चुनांचे वह (नमाज़ ही में) काबे की तरफ़ मुड़ गये।

(743) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 490 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 965.

باب (٢): الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

बाब : (2) वह हालत जिसमें (दौराने नमाज़ में) क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ मुँह करना जायज़ है

(744) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में अपनी सवारी पर

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(नफ़ल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे। सवारी का मुँह जिस तरफ़ भी होता।

इमाम मालिक ने कहा: (हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) के शागिर्द अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने कहा कि इब्ने उ़मर(ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

(744) तख़रीज : (सनद सह़ी) हदीस: 493 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 946.

फ़ायदा : लेकिन उसके लिये ज़रूरी है कि नमाज़ का आग़ाज़ करते वक़्त सवारी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ हो। बाद में चाहे उसका रुख़ किसी तरफ़ भी हो जाये। दूसरी रिवायत में इस अम्र की सराहत मौजूद है।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

(745) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सवारी पर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिस तरफ़ भी उसका मुँह होता। और आप सवारी पर वित्र पढ़ लिया करते थे, मगर फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर नहीं पढ़ते थे।

(745) तख़रीज : (सनद सह़ी) हदीस: 491 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 947.

باب (٣): اسْتِبَانَةِ الْخَطَإِ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

बाब : (3)बावजूद कोशिश के (नमाज़ पढ़ लेने के बाद सिम्ते क़िब्ला की) ग़लती का वाज़ेह होना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ

(746) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा लोग क़ुबा (की मस्जिद) में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक आने वाला उनके पास आया और उसने कहा: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) पर आज रात वहि उतरी है और आपको काबे की तरफ़ मुँह करने का हुक्म दिया गया है, लिहाज़ा तुम भी काबे की तरफ़ मुँह कर लो। उनके चेहरे

الْقِبْلَةَ . فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

शाम की तरफ़ थे, वह काबे की तरफ़ घूम गये।

(746) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 494 में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 948.

باب (۴): سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

बाब : (4) नमाज़ी का सुतरा

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ " مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ " .

(747) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) से ग़ज़्व-ए-तबूक में नमाज़ी के सुतरे के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'पालान की पिछली लकड़ी के बराबर होना चाहिए।'

(747) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 244/5000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 821.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

(748) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपने सामने नेज़ा गाड़ लेते, फिर उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते।

(748) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 497, व मुस्लिम, हदीस: 501/246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 822.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुतरे से मुराद वह चीज़ है जो नमाज़ी की नमाज़ को शैतान और गुज़रने वालों से महफ़ूज़ करे सुतरा नमाज़ी के ख़्यालात को मुन्तशिर होने से बचाता है, बशर्ते कि नज़र सुतरे से तजावुज़ न करे जैसा कि मसनून है। इसी तरह सुतरा नमाज़ी के आगे से गुज़रने वालों के असराते बद से नमाज़ और नमाज़ी को महफ़ूज़ करता है। नमाज़ी के आगे से गुज़रना नमाज़ी के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ को ख़त्म करना है और गुज़रने वाले को गुनाहगार बनाता है। सुतरे के आगे से गुज़रना नमाज़ी और गुज़रने वाले को इन दोनों चीज़ों से बचाता है। **(2)** अकेले नमाज़ी को अगर वह खुली जगह नमाज़ पढ़ रहा है तो उसे अपने सामने सुतरा रखना चाहिए। इमाम के पीछे हो तो सिर्फ़ इमाम के सामने सुतरे का होना काफ़ी है। पहले से मौजूद चीज़ भी सुतरा बन सकती है जैसे सुतून वग़ैरह। **(3)** सुतरा तक़रीबन डेढ़

फ़ीट ऊँटा और इतना मोटा होना चाहिए कि दूर से साफ़ नज़र आये, ऐसा न हो कि किसी को पता ही न चले। पालान की पिछली लकड़ी भी तक़रीबन डेढ़ फ़ीट ऊँची होती है। वल्लाहु आलम!

बाब : (5)
सुतरे के क़रीब खड़े होने का हुक्म

باب : (٥)
الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ".

(749) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स सुतरे की तरफ़ नमाज़ पढ़े तो उससे क़रीब खड़ा हो (ताकि) शैतान उसकी नमाज़ को क़तअ न कर दे।'

(749) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 695, हुमैदी, हदीस: 402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 824, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 803, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 409, वल हाकिम: 1/251, 252.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पीछे ज़िक्र हो चुका है कि सुतरा शैतान से भी हिफ़ाज़त करता है क्योंकि शैतान जहाँ नमाज़ी के ख़्यालात मुन्तशिर करता है, वहाँ नमाज़ तोड़ने की भी कोशिश करता है जबकि सुतरा उससे महफ़ूज़ रखने का ज़रिया है। **(2)** सुतरा सज्दे की जगह के क़रीब ही होना चाहिए ताकि नज़र सज्दे की जगह से आगे तजावुज़ न करे। अगर सुतरा दूर होगा तो नज़र आगे जायेगी और शैतानी वार से बचाव भी मुश्किल होगा जिससे असल मक़सद फ़ौत हो जायेगा, इसलिये नमाज़ पढ़ने वाले को सुतरे का ज़रूर एहतिमाम करना चाहिए ताकि ख़ुद भी मअ़सियत का शिकार न हो और दूसरे को भी मौक़ा न दे। **(3)** आज कल इस सुन्नत पर अमल न होने के बराबर है, इसलिये इसकी इशाअ़त की ख़ूब ज़रूरत है। जिस हदीस में ये आता है कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, वह सनदन ज़ईफ़ है। तफ़्सीली बहस के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 9/265, हदीस: 116)

بَاب (٦): مِقْدَارِ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ .

बाब : (6)(नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान) फ़ासले की मिक़्दार

(750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ), उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तल्हा हजबी(ﷺ) काबे में दाख़िल हुए और दरवाज़ा बन्द कर लिया। जब आप तशरीफ़ लाये तो मैंने बिलाल (ﷺ) से पूछा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने काबे में क्या किया? उन्होंने कहा: आपने एक सुतून अपने बायें किया और दो सुतून अपने दायें किये और तीन सुतून अपने पीछे, उन दिनों बैतुल्लाह छ: सुतूनों पर क़ाइम था, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और अपने और क़िब्ले की दीवार के दरम्यान तक़रीबन तीन हाथ का फ़ासला किया।

(750) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 505, व मुस्लिम, हदीस: 1329, मौता: 1/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 825.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस्मान बिन तल्हा (ﷺ) काबे के हाजिब और दरबान थे। काबे की चाबियाँ उनकी तहवील में थीं। ये बनू अब्दुद्दार से ताल्लुक़ रखते थे। इस ख़ानदान को दौरे जाहिलियत से हिजाबत (दरबानि-ए) काबा का ओहदा हासिल था। फ़तहे मक्का के बाद आपने उन्हीं को क़ाइम रखा और अब तक वही ख़ानदान इस ज़िम्मेदारी को सरअन्जाम दे रहा है। उस्मान बिन तल्हा को हजबी इसलिये कहा गया है। **(2)** आज कल काबे में सुतून नहीं हैं। एक हाथ डेढ़ फ़िट का होता है। तीन हाथ तक़रीबन साढ़े चार फ़ीट हूये। सज्दे के लिये आम सफ़ चार या साढ़े चार फ़ीट ही होती है, गोया आपका सज्दा दीवार के बिल्कुल क़रीब पड़ता था, इसलिये सुतरा सज्दे वाली जगह से तक़रीबन मुत्तसिल होना चाहिए। कुछ अहादीस में सज्दे की जगह और सुतरे के दरम्यान से बकरी गुज़रने का फ़ासिल ज़िक्र है। ज़ाहिर है बकरी तंग जगह से भी गुज़र जाती है, उसके लिये ज़्यादा जगह दरकार नहीं। मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये हदीस: 693

باب: (۷) ذِكْرِ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ " . قُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَحْمَرِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .

बाब : (7) जब नमाज़ी के आगे सुतरा न हो तो कौन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं और कौन सी नहीं?

(751) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से एक आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो तो अगर उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ हो तो वह सुतरा बन जाती है और अगर उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ न हो तो औरत, गधा और काला कुत्ता उसकी नमाज़ तोड़ देते हैं।' मैंने कहा: काले, ज़र्द और सुर्ख़ में क्या फ़र्क़ है? तो अबू ज़र ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है तो आपने फ़रमाया था: 'काला कुत्ता शैतान है।'

(751) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 510, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 826.

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक किसी चीज़ के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती क्योंकि अबू दाऊद की रिवायत है: यानी **'कोई चीज़ नमाज़ नहीं तोड़ती।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 719) लिहाज़ा यहाँ नमाज़ टूटने से मुराद ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का ख़त्म होना है। लेकिन अहले इल्म का दूसरा गिरोह नमाज़ टूट जाने का क़ाइल है। उसकी उनके नज़दीक दो दलीलें हैं। एक तो ये कि अबू दाऊद की हवाला दी गई हदीस: (لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ) ज़ईफ़ है, इसलिये वह क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 9/265, हदीस: 116) दूसरी दलील एक वाज़ेह हदीस है जो (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ) के मफ़हूम को वाज़ेह तर कर देती है, उसके अल्फ़ाज़ हैं: (تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ) (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 831, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2391 अस्सहीहा लिल अल्बानी, हदीस: 3323) 'गधे' औरत और स्याह कुत्ते

के गुज़रने से (नमाज़ टूट जाती है) नमाज़ दोहराई जायेगी।' ये हदीस़ क़तऔ स़लात के ज़ाहिरी मफ़हूम को मुतय्यन और उसकी तावील (ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ टूट जाने) को रद्द कर देती है। याद रहे अगली तमाम रिवायात में भी क़तऔ स़लात का ज़ाहिरी मफ़हूम ही मुराद होगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ .

(752) हज़रत क़तादा से रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर बिन ज़ैद से पूछा: कौन सी चीज़ नमाज़ को तोड़ देती है? उन्होंने कहा: हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: हैज़ वाली औरत और कुत्ता।

हज़रत यहया बिन सईद ने कहा कि हज़रत शोबा ने इस रिवायत को मरफ़ूअ बयान किया है।

(752) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 703, व इब्ने माजा, हदीस़: 949, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 827, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 832, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 412.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में हज़रत यहया के दो उस्ताद हैं: शोबा और हिशाम। हिशाम ने तो इस रिवायत को मौक़ूफ़ (हज़रत इब्ने अब्बास का फ़तवा) ही बयान किया है मगर हज़रत शोबा ने मरफ़ूअ भी बयान किया है, यानी ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है। दोनों में कोई तज़ाद नहीं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने ये अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से भी बयान फ़रमाये हैं और ख़ुद भी यही फ़तवा दिया है और ऐसे आम होता है। **(2)** हैज़ वाली औरत से मुराद बालिग़ औरत है, यानी बच्ची के गुज़रने से नमाज़ पर कोई अस़र नहीं पड़ेगा, अलबत्ता बालिग़ औरत के गुज़रने से नमाज़ टूट जायेगी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ، عَلَى أَتَانٍ لَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا

(753) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैं और फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) अपनी एक गधी पर आये जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ा में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। हम कुछ स़फ़ के आगे से गुज़रे, फिर उतर पड़े और गधी को चरने के लिये छोड़ दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें कुछ नहीं कहा।

(753) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़:

تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا .

76, व मुस्लिम, हदीस़: 256/504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 828.

फ़ायदा : इमाम बुख़ारी (رحمه الله) की राय है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सुतरा था जैसा कि दीगर मुफ़स्सल रिवायात से वाज़ेह होता है, लिहाज़ा इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये काफ़ी होता है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 493) इसलिये ये रिवायत इस बाब के तहत नहीं आनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है कि गधे का गुज़रना नमाज़ नहीं तोड़ता, मगर ये इस्तेदलाल कमज़ोर है क्योंकि तोड़ने न तोड़ने की बहस़ उस वक़्त है जब आगे सुतरा न हो और वह सुतरे और नमाज़ियों के दरम्यान से गुज़रा हो।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا

(754) हज़रत फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी बस्ती में हज़रत अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मिलने तशरीफ़ लाये। हमारे यहाँ एक छोटी सी कुतिया और एक गधी थी जो चरती फिरती थी। नबी (ﷺ) ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी और ये दोनों आपके आगे थी। न उन्हें रोका गया और न पीछे हटाया गया।

(754) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 718, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 829.

फ़ायदा : यहाँ सुतरे का ज़िक्र है न कुतिया के स्याह होने की स़राहत, लिहाज़ा जानिबैन के लिये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। इसके अ़लावा ये रिवायत है भी ज़ईफ़।

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ الْحَكَمَ، أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ

(755) हज़रत सुहैब से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) को फ़रमाते सुना कि वह और बनू हाशिम का एक लड़का एक गधे पर सवार रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने से गुज़रे जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। हम दोनों उतरे और आपके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। आपने नमाज़ न छोड़ी और बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब से दो छोटी बच्चियाँ

وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلُوا وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلَّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ .

भागती हुई आईं और उन्होंने आपके घुटनों को पकड़ लिया। आपने उन दोनों को अलग किया लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ी।

(755) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 716, 717, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 830, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2/24, 25.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) तो यही इस्तेदलाल फ़रमा रहे हैं कि गधा और औरत नमाज़ नहीं तोड़ते जबकि दीगर अहादीस में सराहत है कि इनसे नमाज़ टूट जाती है, इसलिये कहा जा सकता है कि यहाँ सुतरे का ज़िक्र है न बच्चों के आगे से गुज़रने का। अस्ल यही है कि आप सुतरे की तरफ़ नमाज़ पढ़ा करते थे। अगर उनका आप (ﷺ) और सुतरे के दरम्यान से गुज़रना तस्लीम कर भी लिया जाये तो वह बच्चियाँ बालिग़ न थी, इसलिये उनके गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटी क्योंकि नमाज़ हाइज़ा या बालिग़ औरत के गुज़रने से टूटती है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ -فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - انْسَلَلْتُ انْسِلاَلاً .

(756) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सामने लेटी होती थी जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब मैं उठने का इरादा करती तो पसन्द न करती कि सीधी खड़ी होऊं और आपके आगे से गुज़रूं, इसलिये मैं लेटी लेटी खिसक जाती।

(756) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 508, व मुस्लिम, हदीस: 512/271, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 831.

फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे औरत का लेटा हुआ होना और बात है और गुज़रना और बात। अव्वलुज ज़िक्र से नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता गुज़रने से नमाज़ टूट जायेगी। गुज़रने से मुराद किसी का, नमाज़ी के आगे से उसकी एक जानिब से दूसरी जानिब, पार करना है, हदीस में वारिद 'मुरूर' की मुमानिअत से यही मक़सूद है, लिहाज़ा नमाज़ी के सामने बैठे या लेटे इन्सान के एक तरफ़ खिसकने को मुरूर (गुज़रना) नहीं कहते।

बाब : (8) नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान से गुज़रना सख़्त गुनाह है

باب (٨): التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

(757) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद ने बुस्र बिन सईद को हज़रत अबू जुहैम (ﷺ) के पास भेजा कि उनसे पूछे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में क्या सुना है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला जान ले कि उस पर इस फ़ेअ़ल (काम) का किस क़द्र गुनाह है तो उसके लिये चालीस (साल या महीने या दिन) तक रुके रहना उसके आगे से गुज़रने से बेहतर हो।'

(757) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 510, व मुस्लिम, हदीस: 507, मौता: 1/154, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 832.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में चालीस के बाद साल का ज़िक्र नहीं। मुसनद बज़्ज़ार में ख़रीफ़ का लफ़्ज़ है, इसके मानी 'साल' के हैं लेकिन ये लफ़्ज़ सनदन ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह लिल अल्बानी, सफ़ा: 302, व फ़तहुलबारी: 1/585, हदीस: 510) एक हदीस में 'सौ साल' खड़े रहने का ज़िक्र है, लेकिन उसकी सनद में उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मौहब ज़ईफ़ है और उसका चचा उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मौहब मज्हूल है। देखिये: (तहज़ीबुल कमाल: 19/80) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इसे ज़ईफ़ इब्ने माजा में ज़ईफ़ कहा है। इससे मालूम हुआ कि मादूद की सराहत दुरुस्त नहीं है। मादूद मुब्हम रखा गया है। अ़रबी में इस तरीक़े से ज़ज्र व तौबीख़ और मामले की संगीनी का बयान मक़सूद होता है बहरहाल मक़सूद अ़दद नहीं कसरत और मुबालिग़ा है। वल्लाहु आ़लम! **(2)** चालीस या सौ साल तक रुके रहने की बात भी बफ़र्ज़े महाल है वरना इतनी देर तक एक इन्सान का नमाज़ पढ़ना या एक जगह रुके रहना क़ाबिले तसव्वुर नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،

(758) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ " .

आदमी नमाज़ पढ़ता हो तो वह किसी को अपने आगे से न गुज़रने दे। अगर वह इन्कार करे तो उससे लड़ाई करे।'

(758) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 505, मोता: 1/154, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 833.

फ़ायदा : नमाज़ में अपने सामने सुतरा ज़रूर रखना चाहिए। सुतरा न रखने की सूरत में अगर कोई आगे से गुज़रे तो गुज़रने वाला और नमाज़ी दोनों गुनाहगार होंगे और अगर सुतरा हो तो आगे से गुज़रा जा सकता है, अलबत्ता अगर कोई शख़्स सुतरा और नमाज़ी के दरम्यान से गुज़रने की कोशिश करे तो नमाज़ी का फ़र्ज़ है कि उसे रोके। बाज़ न आये तो उसे धक्का भी दे सकता है, अलबत्ता धींगामस्ती पर न आये कि ये नमाज़ के मुनाफ़ी है। कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुए धींगामस्ती को भी जायज़ क़रार दिया है मगर याद रहना चाहिए कि इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ की दलालत मौक़ा महल की मोहताज होती है।

باب (٩): الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

बाब : (9)इस अम्र की रुख़सत का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِي حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ .

(759) हज़रत कसीर अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर मक़ामे इब्राहीम के एक किनारे के साथ दो रकअतें पढ़ीं और आपके और तवाफ़ करने वालों के दरम्यान कोई न था।

(759) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2957, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 834, सुनन अबी दाऊद, 2016.

फ़ायदा : इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए कहा जाता है कि ख़ाना काबा में नमाज़ी के आगे से गुज़रना जायज़ है, कुछ मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ भी यही है कि मस्जिदे हराम, यानी बैतुल्लाह शरीफ़ में सुतरे के बारे में नर्मी है जिस तरह कि इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (رحمه الله) ने अपने 'अल्मुसन्नफ़' में इन अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। (बाबो ला यक़्तउस्सलात बिमक्कता शैउन)(अल मुसन्नफ़: 2/35) फिर इस बाब के तहत जो मरफ़ूअ हदीस बयान की है, वह यही 'कसीर बिन कसीर अन अबीह अन जद्दिही'

यानी सुनन नसाई वाली रिवायत है। ये रिवायत दूसरी कुतूबे सुनन में भी मौजूद है। बैतुल्लाह में सुतरे की नर्मी के मुताल्लिक़ मरफ़ूअन यही रिवायत बयान की जाती है, लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने अपनी सही में इस रिवायत के ज़ईफ़ की तरफ़ बड़े ख़ूबसूरत और नफ़ीस अन्दाज़ में इशारा फ़रमाया है। इस रिवायत के मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: **'इस हदीस़ के रावी सिक़ा हैं मगर ये हदीस़ मालूल (पोशीदा इल्लत की वजह से ज़ईफ़) है।'** (फ़तहुलबारी: 1/745, तहत हदीस़: 501)

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने अपनी सहीह अल जामेअ में इन अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। यानी 'मक्का और मक्का के अलावा दूसरी जगह सुतरे का बयान' फिर हज़रत अबू हुजैफ़ा (رضي الله عنه) से मरवी हदीस़ बयान फ़रमाई है जिसका मफ़हूम ये है : अबू हुजैफ़ा फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बतहा-ए-मक्का में अपने सामने नेज़ा गाड़ कर हमें नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 501) इसी तरह इमाम इब्ने अबी शैबा (رحمه الله) ने 'अलमुसन्नफ़' में हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) का ये अस़र नक़ल फ़रमाया है कि अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) ने मस्जिदे हराम, यानी बैतुल्लाह शरीफ़ में (अपने सामने) लाठी गाड़ कर नमाज़ पढ़ी। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस़: 2853) इससे मालूम हुआ कि नमाज़ के लिये सुतरे का हुक्म आम है, चाहे मक्का, मदीना या कोई और जगह हो। बैतुल्लाह शरीफ़ और मस्जिदे नबवी हो या कोई और मस्जिद, नमाज़ी के लिये सुतरा बहरहाल ज़रूरी है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया है कि 'सुतरे ही की तरफ़ नमाज़ पढ़ो।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/10, हदीस़: 800) और फ़रमाया: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 695) 'जब तुममें से कोई शख़्स़ नमाज़ पढ़े तो वह सुतरे की तरफ़ पढ़े और सुतरे के क़रीब खड़ा हो।' इसके साथ साथ ये भी हदीस़ में वारिद है कि नमाज़ी अपने आगे से किसी को गुज़रने न दे बल्कि गुज़रने वाले को रोके। अगर कोई न रुके तो उसे ज़बरदस्ती रोके। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को शैतान क़रार दिया है। मज़्कूरा दलाइल से जहां सुतरे का वजूब मालूम होता है वहाँ बैतुल्लाह शरीफ़ में लोगों के इज़्दहाम (भीड़-भाड़) और उनकी कस़रत का मसला भी दरपेश है, लिहाज़ा इसका लिहाज़ रखना भी मुनासिब है, इसलिए (فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (अत्तग़ाबुन: 64/16) पर अमल करना चाहिए। हरमैन शरीफ़ैन में भी सुतरे का एहतिमाम करना चाहिए। हाँ, इज़्तेरारी सूरत इससे मुस्तस़्ना है। वहाँ लोगों की कस़रत की वजह से कोशिश के बावजूद भी अगर सुतरे का एहतिमाम नहीं हो सका तो ऐसा शख़्स़ इस आयत का मिस्दाक़ क़रार पायेगा। (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ) (अल बक़र: 2/173) इन्शाअल्लाह। इस तरह का मजबूर शख़्स़ अदमे सुतरे की सख़्त वईद से बच जायेगा। वल्लाहु आलम!

باب : (۱۰)

الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ

बाब : (10) सोये हुए शख़्स के पीछे नमाज़ पढ़ने की रुख़्सत का बयान

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ .

(760) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते थे और मैं आपके और क़िब्ले के दरम्यान आपके बिस्तर पर अर्ज़ के रुख़ लेटी होती थी। जब आप वित्र पढ़ने का इरादा फ़रमाते तो मुझे जगा देते और मैं वित्र पढ़ लेती।

(760) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 512, व मुस्लिम, हदीस: 512/268, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 835.

फ़ायदा : जगह की तंगी के पेशे नज़र ऐसा होता होगा वरना बेहतर तो यही है कि सज्दागाह तक कोई चीज़ सामने न हो क्योंकि इससे ख़्यालात मुन्तशिर होंगे मगर चूंकि ये रात का वक़्त होता था, कुछ नज़र न आता था, लिहाज़ा कोई हर्ज नहीं। दिन के वक़्त भी अगर इस क़िस्म की सूरत पेश आ जाये, तब भी कोई हर्ज नहीं क्योंकि अगर शरअन कोई क़बाहत होती तो आप (ﷺ) ऐसा क़तअन न करते। वल्लाहु आलम!

باب : (۱۱)

النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ إِلَى الْقَبْرِ

बाब : (11) क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا" .

(761) हज़रत अबू मर्सद ग़नवी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों की तरफ़ नमाज़ न पढ़ो और न उन पर बैठो।'

(761) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 836.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ना इसलिये मना है कि इसमें उनकी इबादत का शुब्हा है। क़ब्र के अलावा हर उस चीज़ का नमाज़ी के सामने होना मना है जिसकी पूजा होती है, जैसे: बुत और आग वग़ैरह। (2) 'क़ब्र पर न बैठो।' यानी राहत के लिये टेक लगा कर या वैसे ही बैठना मना है क्योंकि इसमें क़ब्र की तौहीन है, चुनांचे जिस तरह क़ब्र की ज़ाइद अज़ ज़रूरत ताज़ीम मना है, इसी तरह उनकी तौहीन भी नाजायज़ है। कुछ ने बैठने से क़ज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना मुराद लिया है मगर ये बहुत बईद है, क़ज़ा-ए-हाजत के लिये नशेबी जगह तलाश की जाती है न कि ऊँची जगह। और कुछ उलमा ने मुजाविर और मोतकिफ़ बन कर बैठने को इसकी तफ़्सीर क़रार दिया है मगर ये मुतबादिर मफ़हूम के ख़िलाफ़ है। ये अलग बात है कि दूसरे दलाइल की बिना पर क़ब्र पर मुजावरत या ऐतकाफ़ भी मना है लेकिन इसका सही मानी पहला ही है।

बाब : (12) ऐसे कपड़े की तरफ़ नमाज़ पढ़ना जिसमें तस्वीरें हों

باب (١٢): الصَّلاَةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

(762) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मेरे घर में एक तसावीर वाला कपड़ा था। मैंने उसे घर में एक ताक़ के सामने (बतौर पर्दा) लटका लिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) उस ताक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने कहा: 'ऐ आयशा! इसे मेरे सामने से हटा दो।' मैंने उतार कर उसके तकिये बना लिये।

(762) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 92/2107, बुख़ारी, हदीस: 5954, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 837.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ أَخِّرِيهِ عَنِّي " . فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ .

फ़ायदा : तस्वीरें या तस्वीर वाले कपड़े घर में लटकाना मना है, ख़ुसूसन जब कि नमाज़ में वह आगे हों। हाँ, अगर उन्हें फाड़ कर तकीये या चटाई वग़ैरह बना ली जाये तो जायज़ है क्योंकि इसमें उनकी तौहीन है। अहादीस से इसकी ताईद होती है। इसी तरह अगर तस्वीरें ढाँप दी जायें और वह नज़र न आती हों तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ उन्हें ज़ाइल करना बस में न हो वहाँ उसकी गुंजाइश है। वल्लाहु आलम!

बाब : (13) इमाम और मुक़्तदी के दरम्यान कोई पर्दा हो तो?

باب (١٣): الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصِيرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْحَصِيرَةُ فَقَالَ " اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ " . ثُمَّ تَرَكَ مُصَلاَّهُ ذَلِكَ فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ .

(763) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक चटाई थी जिसे आप दिन को बिछा लेते थे और रात को उससे हुज्रा सा बना लेते थे और उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को आपकी नमाज़ का पता चल गया तो वह आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जब कि उनके और आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी। आपने फ़रमाया: 'उतने अमल के शाइक़ बनो जिसकी आसानी के साथ ताक़त रखो क्योंकि अल्लाह तआला (सवाब देने से) नहीं उकतायेगा यहाँ तक कि तुम ही उकता जाओगे (और वह नेक काम छोड़ दोगे।) अल्लाह तआला का सबसे पसन्दीदा काम वह है जिस पर हमेशगी हो अगरचे वह थोड़ा ही हो।(फिर आपने उस जगह नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। दोबारा नहीं पढ़ी (फिर घर में पढ़ने लगे) यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपकी रूह क़ब्ज़ कर ली। और आप जब कोई काम शुरू करते तो उस पर हमेशगी करते। (ये नहीं कि चार दिन किया, फिर छोड़ दिया।)

(763) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 730, व मुस्लिम, हदीस: 782, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 368.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बनाना लोगों की मुदाख़लत रोकने और ख़ल्वत (तन्हाई) मुहैया करने के लिये था क्योंकि ख़ल्वत ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में मुआविन है। **(2)** कोई नेक काम शुरू करके छोड़ देना ज़्यादा बुरा है बजाये इसके कि शुरू ही न किया जाये क्योंकि छोड़ने में ऐराज़ है, अलबत्ता अगर कभी कभार नींद, सुस्ती या मसरूफ़ियत की बिना पर रह जाये तो कोई हर्ज नहीं बल्कि उसका सवाब लिखा जाता है, बशर्ते कि मुस्तक़िल न छोड़े।

बाब : (14) एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना

باب (١٤): الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ " أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ " .

(764) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुममें से हर शख़्स के पास दो दो कपड़े हैं?'

(764) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 358, व मुस्लिम, हदीस: 515, मौता: 1/140, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 839.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

(765) हज़रत उमर बिन अबू सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के घर में एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, इस तरह कि आपने उसके दोनों किनारे अपने दोनों कंधों पर डाले हुए थे।

(765) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 354-356, व मुस्लिम, हदीस: 517, मौता: 1/140, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 840.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उमर बिन अबू सलमा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के पहले ख़ाविन्द से बेटे थे और उन्होंने आप (ﷺ) के घर में परवरिश पाई। **(2)** एक कपड़े में नमाज़ मजबूरी की हालत में पढ़ी जाये। अगर वह छोटा हो तो उसे नाफ़ से घुटनों तक बाँध लिया जाये और अगर कुछ बड़ा हो तो बग़लों के नीचे से गुज़ार कर दायें किनारे को बायें कंधे पर और बायें किनारे को दायें कंधे पर डाल लें। अगर खुलने का अन्देशा हो तो गर्दन के पीछे गिरह दे लें वरना खुला छोड़ लें। इस तरह पेट और कमर भी छुप जायेंगे। हदीस में इसी तरीक़े का ज़िक्र है। और अगर दो कपड़े हों तो फिर दो ही में नमाज़ पढ़ें। एक को इज़ार और दूसरे को रिदा या क़मीस बनायें। **(3)** हदीस के अल्फ़ाज़ से वाज़ेह है कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, ऐसी सूरत में यक़ीनन सर नंगा रहता है, इसलिये नंगे सर नमाज़ के हो जाने में भी कोई शुब्हा नहीं। लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब ग़ुर्बत व नादारी आम थी जैसा कि हदीस से वाज़ेह है। अब आसानी की हालत में एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने को आदत बना लेना, इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा, न इसके लिये जवाज़ का फ़तवा ही

ढूंढेगा। इसी तरह नंगे सर नमाज़ पढ़ने का मसला है कि उसके जवाज़ में भी कोई शक नहीं है लेकिन इसे आदत और शिआर बना लेना क़तअन पसन्दीदा नहीं, न ये रसूलुल्लाह (ﷺ), सहाब-ए-किराम और अस्लाफ़े इज़ाम के तर्ज़े अमल ही से मुताबिक़त रखता है।

बाब : (15)एक क़मीस़ में नमाज़ पढ़ना

باب (١٥): الصَّلاَةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

(766) हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से अर्ज़ की कि कभी मैं शिकार के पीछे होता हूँ और मुझ पर स़िर्फ़ एक क़मीस़ होती है तो क्या उसमें नमाज़ पढ़ लिया करूं? आपने फ़रमाया: 'उसे बटन लगा लिया करो अगरचे कांटे ही से हो।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَىَّ إِلاَّ الْقَمِيصُ أَفَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ " وَزُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ " .

(766) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 841, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 777, 778, व इब्ने हिब्बान: 2291, वल हाकिम: 1/250

फ़ायदा : क़मीस़ अगर लम्बी हो, घुटनों से नीचे हो कि किसी भी रुक्न की अदायगी में घुटने आगे या पीछे से नंगे न होते हों तो इस एहतियात के साथ इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं कि सामने के गले में बटन लगा लिया जाये ताकि सामने से सतर न खुले।

बाब : (16) इज़ार में नमाज़ पढ़ना

باب (١٦): الصَّلاَةِ فِي الإِزَارِ

(767) हज़रत सहल बिन सअ़द (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे और वह लोग अपने इज़ार (छोटे होने की वजह से) बच्चों की तरह गर्दन पर बाँधे होते थे तो (एहतियातन) औरतों से कहा गया कि तुम सज्दे से सर न उठाया करो यहाँ तक कि मर्द सीधे बैठ जाया करें।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَاقِدِينَ أُزْرَهُمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

(767) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 362, व मुस्लिम, हदीस़: 441, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 842.

फ़ायदा : इज़ार छोटे होते थे, इसलिये गिरह देना पड़ती थी जैसे कि हदीस़ नम्बर 765 में बयान हुआ। औरतों को कहना सिर्फ़ एहतियातन था कि छोटे होने की वजह से कहीं कपड़ा इधर उधर न हो जाये वरना ये नहीं कि वह सज्दे में पीछे से नंगे होते थे क्योंकि इस तरह तो नमाज़ ही न होगी। अगर कपड़ा इतना छोटा हो तो उसे गर्दन की बजाये इज़ार की तरह कमर पर बाँधना चाहिए क्योंकि शर्मगाह ढाँपना फ़र्ज़ है। याद रहे! आप के दौरे मुबारक में औरतें मर्दों के पीछे बाजमाअ़त मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थीं।

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا إِنَّهُ قَالَ " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ " . قَالَ فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ فَكَانُوا يَقُولُونَ لأَبِي أَلاَ تُغَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ .

(768) हज़रत अ़म्र बिन सलमा (ﷺ) से मरवी है कि जब मेरी क़ौम के लोग नबी (ﷺ) के पास से लौटे तो उन्होंने कहा कि आपने फ़रमाया था: 'तुम्हारी इमामत वह शख़्स कराये जो कुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' तो उन्होंने मुझे बुलाया (क्योंकि मुझे ज़्यादा कुर्आन याद था) और मुझे रुकू और सज्दे का तरीक़ा सिखाया तो मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाया करता था और मुझ पर एक फटी हूई चादर थी। लोग मेरे वालिद से कहते थे: क्या तुम हमारी नज़रों से अपने बेटे की शर्मगाह नहीं ढाँप सकते?

(768) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 4302, अबू दाऊद, हदीस़: 586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 843, हदीस़: 637,

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि सज्दा करते वक़्त बेपर्दगी होती थी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 586) **(2)** अ़म्र बिन सलमा (ﷺ) अभी बच्चे थे। सात साल की उम्र थी, लेकिन ये क़बीला क़ाफ़िलों की गुज़रगाह पर वाक़ेअ़ था, इसलिये आने जाने वाले लोगों से कुर्आन मजीद की बहुत सी आयात और सूरतें हिफ़्ज़ कर चुके थे। बाक़ी लोग इस सआ़दत से महरूम रहे चूंकि अ़म्र बिन सलमा बच्चे थे, इसलिये उन्हें नमाज़ का तरीक़ा सिखाया गया। **(3)** दीगर रिवायात में है कि फिर क़बीले के लोगों ने मुश्तरका रक़म से कपड़ा ख़रीद कर मुझे एक लम्बी क़मीस़ बनवा दी जिससे मैं बहुत ख़ुश हुआ। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 4302)

باب: (١٧) صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

बाब : (17) आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना जिसका कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर हो

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(769) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आपके एक तरफ़ लेटी होती जब कि मैं हाइज़ा होती थी। मुझ पर एक चादर होती थी जिसका कुछ हिस्सा रसूलुल्लाह (ﷺ) पर होता था।

(769) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 514, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 844.

फ़ायदा : सर्दियों में कपड़ों की कमी की वजह से ऐसे होता होगा। अगर नमाज़ के दौरान में हाइज़ा औरत का ज़िस्म नमाज़ी से लग जाये तो नमाज़ में ख़राबी न आयेगी, ख़ुसूसन जब कि मजबूरी भी हो। हाइज़ा औरत का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता।

باب (١٨): صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ

बाब : (18) आदमी का एक ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ "

(770) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स इस तरह एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े कि उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो।'

(770) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 516, बुख़ारी, हदीस: 359, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 845.

फ़ायदा : ये उस वक़्त है जब कपड़ा वसीअ हो। अगर कपड़ा छोटा हो तो उसे इज़ार के तौर पर बाँध

लिया जाये। अगर कोई और कपड़ा मयस्सर न हो तो नाफ़ से घुटनों तक पर्दा किफ़ायत कर जायेगा और शरअ़न ये जायज़ है क्योंकि मजबूरी में इस मामले में तख़्फ़ीफ़ (आसानी) है।

बाब : (19) रेशम के कपड़े में नमाज़ पढ़ना

باب (١٩): الصَّلاَةِ فِي الْحَرِيرِ

(771) हज़रत उ़क़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक रेशम की अच्कन, यानी शेरवानी से मिलता जुलता लिबास तोहफ़े में दिया गया। आपने उसे पहना, फिर उसमें नमाज़ पढ़ी। सलाम फेरा तो उसे बड़ी तेज़ी और सख़्ती से उतार दिया, गोया कि आप उसे नापसन्द फ़रमा रहे हैं, फिर फ़रमाया: 'ये परहेजगारों के लिये जायज़ नहीं।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ " .

(771) तख़रीज : (सनद सह़ी) बुख़ारी, हदीस़: 5801, व मुस्लिम, 2075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 846.

फ़ायदा : रेशम पहनना मर्द के लिये नाजायज़ है। इसमें नमाज़ पढ़ना बदर्ज-ए-औला नापसन्दीदा होगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुर्मत से क़ब्ल पहनी होगी। फिर नापसन्दीदगी की वजह से उतारी। ये नहीं कि हराम होने के बाद पहनी या उतारी। आपके ये अल्फ़ाज़ (لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ) भी दलील है कि ये उस वक़्त की बात है जब रेशम हराम न हुआ था। हुर्मत के बाद तो मुत्तक़ी और ग़ैर मुत्तक़ी बराबर हैं, अलबत्ता रेशम में पढ़ी हूई नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं, इसलिये कि नमाज़ के अन्दर कोई ख़राबी नहीं हूई और न उसकी कोई शर्त या रुक्न मफ़क़ूद हुआ। रेशम का हराम होना नमाज़ से अलग मसला है, गोया रेशम पहनने का गुनाह अलग है और नमाज़ की सेहत एक अलग चीज़ है।

बाब : (20) धारीदार मुनक़्क़श चादर में नमाज़ पढ़ने की रुख़सत

باب (٢٠): الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ

(772) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने एक धारीदार मुनक़्क़श चादर में नमाज़ पढ़ी, फिर फ़रमाया: 'मुझे इसके

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ثُمَّ قَالَ " شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ " .

मुनक़्क़श व निगार ने अपनी तरफ़ मुतवज्जा रखा। इसे अबू जहम के पास ले जाओ और उससे उसकी अम्बजानी चादर ले आओ।'

(772) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 752, मुस्लिम, हदीस: 556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 847.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये मुनक़्क़श चादर अबू जहम (ﷺ) ही ने बतौर तोहफ़ा भेजी थी चूंकि तोहफ़े की वापसी से उनकी दिल शिकनी का ख़तरा था, लिहाज़ा तोहफ़े का तबादला कर लिया। **(2)** 'अम्बजानी' बग़ैर धारियों के सादा चादर होती थी। 'अम्बजान' इलाक़ा था जहाँ वह चादरें बनती थीं। **(3)** रसूले अकरम (ﷺ) का क़ल्बे मुक़द्दस इस क़द्र साफ़ था कि इसमें हल्की सी लहर भी आपको महसूस होती थी। मामूली सा ख़याल भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ होगा वरना आप जैसा ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ किसे नसीब होगा? **(4)** मुसन्निफ़ (رحمه الله)ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है कि मुनक़्क़श कपड़े में नमाज़ हो सकती है आपने नमाज़ दोहराई नहीं। वैसे भी धारीदार कपड़ा पहनना मना नहीं। पहना हुआ या जाए नमाज़ का कपड़ा धारीदार हो तो नमाज़ में कोई ख़राबी लाज़िम न आयेगी लेकिन इससे परहेज़ बेहतर है। हमारे दिल इस क़द्र साफ़ नहीं है कि इतनी मामूली सी धारियाँ हमारी नमाज़ के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में फ़र्क़ डालें क्योंकि हमारा ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पहले ही बहुत कम होता है, अलबत्ता अगर किसी शख़्स का लिबास या मुसल्ले की धारियों, रंगों वग़ैरह से, खुशूअ व ख़ुज़ूअ कम होता हो तो वह ऐसे कपड़े से परहेज़ करे। आज कल मुसल्ले पर मस्जिद, मीनार और गुंबद वग़ैरह की तसावीर होती हैं जो नमाज़ की मुनासिबत से हैं, लिहाज़ा उनमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता, लेकिन इस हदीस की रू से ये भी नापसन्दीदा हैं, उनसे भी बचने का एहतिमाम करना चाहिए, अलबत्ता ऐसा कपड़ा या मुसल्ला बिल्कुल नाजायज़ है जिसमें किसी जानदार की या किसी ऐसी चीज़ की तस्वीर हो जिसकी पूजा होती हो।

باب (٢١): الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمْرِ

बाब : (21) सुर्ख़ कपड़ों में नमाज़ पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(773) हज़रत अबू जुहैफ़ा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुर्ख़ हुल्ले (जोड़े) में तशरीफ़ लाये, एक बरछा गाड़ा और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ी। कुत्ते, गधे और औरतें उसके आगे से

صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

गुज़रते थे।

(773) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 848.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ वह हुल्ला ख़ालिस सुर्ख़ न था बल्कि इसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं, सतह सफ़ेद थी। देखिये: (ज़ादुलमआद: 1/137) लिहाज़ा इस रिवायत का उन रिवायात से तआरुज़ न होगा जिनमें सुर्ख़ कपड़ा पहनने से रोका गया है। **(2)** हुल्ले से मुराद है, दो चादरें एक रंग की और एक जैसी। एक इज़ार और दूसरी रिदा। **(3)** बरछा या छोटा नेज़ा बतौर सुतरा गाड़ा गया था। इसकी बहस हदीस: 748 में गुज़र चुकी है।

بَاب (٢٢): الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

बाब : (22) जिस्म से लगे हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم أَبُو الْقَاسِمِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ، طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ مَعِي فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ .

(774) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है, **फ़रमाती हैं कि मैं और अबुल कासिम रसूलुल्लाह (ﷺ) एक कपड़े में सोते थे। कभी मैं हैज़ की हालत में होती थी। अगर उस कपड़े को मुझसे कोई हैज़ वग़ैरह लग जाता तो उतनी जगह धो लेते, मज़ीद जगह नहीं धोते थे और उसमें नमाज़ भी पढ़ते थे, फिर दोबारा मेरे साथ लेट जाते। अगर फिर कोई चीज़ लग जाती तो दोबारा उसी तरह धोते। उससे ज़्यादा जगह न धोते थे।**

(774) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 285 में देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 849.

फ़ायदा : अगर औरत के जिस्म वाला कपड़ा पाक हो तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, ख़्वाह उसने उसे हैज़ की हालत में पहना हो। अगर कुछ ख़ून लग गया हो तो उतनी जगह धो ली जाये, बाक़ी जगह धोने की ज़रूरत नहीं।

बाब : (23) मोज़ों में नमाज़ पढ़ना

بَاب (٢٣): الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

(775) हज़रत हम्माम ने कहा कि मैंने हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) को देखा कि उन्होंने पेशाब किया, फिर पानी मंगवाया और वुज़ू किया और अपने मौज़ों पर मसह किया। फिर उठे और नमाज़ पढ़ी। उनसे इस बारे में पूछा गया तो फ़रमाने लगे: मैंने नबी (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

(775) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 387, व मुस्लिम, हदीस: 272, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 750.

फ़ायदा : मोज़ों में नमाज़ पढ़ना मुत्तफ़क़ अलैहि मसला है। इसमें किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं।

बाब : (24) जूतों में नमाज़ पढ़ना

بَاب (٢٤): الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، وَغَسَّانَ بْنِ مُضَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، - وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بَصْرِيٌّ - ثِقَةٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ .

(776) हज़रत अबू मस्लमा सईद बिन यज़ीद बसरी ने कहा कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) से पूछा: क्या अल्लाह के रसूल(ﷺ) जूतों में नमाज़ पढ़ लेते थे? उन्होंने फ़रमाया: 'हाँ'

(776) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 386, व मुस्लिम,: 555, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 851.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जूतों में नमाज़ पढ़ी जा सकती है मगर चन्द बातें क़ाबिले लिहाज़ हैं: ○ जूते पाक और साफ़ सुथरे हों। ○ बेहतर है कि जूते इस क़िस्म के हों कि उनमें सज्दे और क़ादे में दिक़्क़त पेश न आये, यानी उन पर बैठने में तकलीफ़ न हों ये सब कुछ तब है जब मस्जिद जूतों से मैली न होती हों अगर फ़र्श जूतों से मैला होता हो या सफ़ें टूटती हों तो जूतों समेत मस्जिद में नमाज़ न पढ़ी जाये, अलबत्ता खुली जगह (मस्जिद से बाहर) या कच्चे फ़र्श पर कोई हर्ज नहीं। चूंकि आज कल मसाजिद में उमूमन फ़र्श बने होते हैं, सफ़ें, दरियां और क़ालीन बिछे होते हैं, लिहाज़ा जूतों में नमाज़ पढ़ने से एहतिराज़ करना चाहिए ताकि मसाजिद में मैल कुचेल और आलूदगी न हो। रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में मसाजिद कच्ची होती थीं। **(2)** अबू दाऊद की एक रिवायत में जूते पहन कर नमाज़ पढ़ने का

अम्र भी है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 650, 652) लेकिन वह अम्र इस्तेहबाब पर महमूल है क्योंकि अबू दाऊद ही की एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) नंगे पाँव भी नमाज़ पढ़ा करते थे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 648) ये अम्र यहूद की मुख़ालिफ़त की बिना पर है। यहूद से आपकी मुवाफ़िक़त और मुख़ालिफ़त वक़्ती चीज़ है। यहूद का नमाज़ में जूते पहनने को नापसन्द करना शायद इस बिना पर हो कि अल्लाह तआला से मुलाक़ात के मौक़े पर मूसा (عليه السلام) को वादि-ए मुक़द्दस में जूते उतारने का हुक्म दिया गया था। (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) (ताहा: 20/12)

बाब : (25)जब इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो जूते कहाँ रखे?

باب (٢٥): أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .

(777) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन नमाज़ पढ़ी तो आपने अपने जूतों को अपनी बायीं तरफ़ रखा।

(777) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 648, इब्ने माजा, हदीस़: 1431, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 852, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1014, 1015, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2186.

फ़ायदा : चूंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) इमाम थे और आपके बायीं जानिब कोई न था, लिहाज़ा आपने अपने जूते बायीं तरफ़ रखे। अगर बायीं तरफ़ कोई आदमी खड़ा हो तो बायीं तरफ़ जूते नहीं रखने चाहिए। हदीस़ में इसकी स़राहत है। इस रिवायत से ये भी मालूम हुआ कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं, स़िर्फ़ जायज़ है, अलबत्ता आपके दौर में जब यहूदी भी मदीना मुनव्वरा में रहते थे, जूतों में नमाज़ पढ़ना मुस्तहब था क्योंकि इससे इम्तियाज़ होता था। आज कल इस्लामी ममालिक में यहूदी नहीं हैं, लिहाज़ा जूते में नमाज़ मुस्तहब नहीं बल्कि हस्बे ज़रूरत स़िर्फ़ जायज़ है। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इमाम साहिब (ﷀ) क़िब्ले से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करने के बाद इमामत के बारे में किताब लाये हैं क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत अदा करना फ़र्ज़ है जिसमें एक हाफ़िज़े क़ुर्आन या साहिबे इल्म व फ़ज़ीलत शख़्स आगे खड़ा होता है और बाक़ी नमाज़ी सफ़ बना कर उसके पीछे नमाज़ से मुताल्लिक़ तमाम हरकात व सकनात में उसकी पैरवी के पाबन्द होते हैं। इमामत एक अज़ीमुश्शान और मुक़द्दस ओहदा है जिसे ये नसीब हो जाये, वह निहायत ख़ुश बख़्त इन्सान होता है और उसे 'इमाम' जैसे मुबारक लक़ब से मौसूम किया (पुकारा) जाता है। ज़ेल (नीचे) में इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत, अन्वाअ़, आदाब और अहकाम का मुख़्तसरन ज़िक्र किया जाता है।

✧ **मफ़हूम :** (इमामत) अम्मा, यउम्मु से मसदर हैं तक़द्दुम के मानी में है। मुहावरा है: 'उसने लोगों की इमामत कराई।' यानी एक आदमी की हैसियत से नमाज़ियों के आगे खड़ा हुआ ताकि नमाज़ में लोग उसकी पैरवी करें दूसरे अल्फ़ाज़ में यूँ समझें कि मुक़्तदी की नमाज़ का इमाम की नमाज़ से चन्द शराइत के साथ मरबूत होना इमामत कहलाता है। इसे इमामते सुग़रा कहते हैं और यही इस किताब में ज़ेरे बहस है जबकि इमामते कुब्रा ख़िलाफ़त को कहते हैं।

(इमाम) हर वह चीज़ जिसे उमूर व मामलात में मुक़द्दम रखा जाये, इमाम कहलाती है, जैसे: नबी (ﷺ) इमामुल अइम्मा हैं ख़लीफ़ा, रिआया का इमाम होता है। क़ुर्आन, इमामुल मुस्लिमीन है। अमीर, लश्कर का इमाम होता है जबकि इमामुस्सलात से मुराद वह शख़्स है जो नमाज़ियों के आगे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है और वह उसकी इक़्तेदा में नमाज़ अदा करते हैं।

✧ **फ़ज़ीलत:** इमामत की फ़ज़ीलत मशहूर व मारूफ़ है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ता'हयात इस मन्सबे जलील पर फ़ाइज़ रहे। बाद में ये सआदत ख़ुलफा-ए-राशिदीन के हिस्से में आई। इल्म व फ़ज़्ल में फ़ाइक़ शख़्सियात ही इस अज़ीम ओहदे पर फ़ाइज़ होती रहीं। शरीयते इस्लामिया ने इसका मैयार यही मुक़र्रर किया कि क़ौम का अफ़ज़ल आदमी जमाअत कराये। शारेअ (ﷺ) ने फ़ज़ीलत का मैयार बजाये माल व दौलत, ख़ानदान और क़बीले के इल्म को मुक़र्रर किया। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: **'लोगों का इमाम ऐसा आदमी हो जो क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 673) और ये बात मालूम है कि ज़्यादा क़ुर्आन पढ़ने वाला अफ़ज़ल होता है, लिहाज़ा

इस हदीस़ से इमामत की फ़ज़ीलत मालूम हुई। नबी (ﷺ) ने अइम्मा के लिये दुआ फ़रमाई है। नबी (ﷺ) का फ़रमान है: '**इमाम ज़ामिन और ज़िम्मेदार है और मुअज़्ज़िन अमीन और क़ाबिले ऐतमाद है। ऐ अल्लाह! इमामों को (सहीह इल्म व अमल की) तौफ़ीक़ दे और मुअज़्ज़िनों को बख़्श दे।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 517, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 207) इस हदीस़ से भी इमाम और इमामत की फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। हज़रत सहल बिन सअद (رضي الله عنه) अपने क़बीले के नौजवानों को अगे बढ़ाते थे कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। उनसे कहा गया: आप ऐसा क्यूँ करते हैं, हालांकि आपको क़दीमुल इस्लाम सहाबी होने का शर्फ़ हासिल है? उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आपने फ़रमाया: '**इमाम ज़िम्मेदार है। अगर अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ायेगा तो उसे भी सवाब होगा और मुक़्तदियों को भी। अगर उसने ग़लती की तो वह गुनाहगार होगा, मुक़्तदी गुनाहगार नहीं होंगे।**' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़:981)

इस हदीस़ से इमाम की फ़ज़ीलत के साथ साथ ये बात भी साबित हुई कि इमामत एक भारी ज़िम्मेदारी है। इमाम को अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए वह उसे मामूली काम न समझे। अगर वह कोताही बरतता है तो उसका ज़िम्मेदार वह ख़ुद होगा, अलबत्ता इमाम मुक़र्रर करते वक़्त इस बात को मद्दे नज़र रखा जाये कि क्या वह इस ओहदे की अहलियत रखता है और वह ज़िम्मेदार है या नहीं? बे'परवाह इमाम के तक़र्रुर के ज़िम्मेदार ख़ुद मुक़्तदी होंगे। या जहाँ मुक़्तदी बेबस हों, वहाँ इन्तेज़ामिया ज़िम्मेदार होगी।

✧ **मन्सबे इमामत की तलब :** अगर इमामत के औसाफ़ मौजूद हों और आदमी समझे कि मैं ये ज़िम्मेदारी दूसरों की निस्बत अहसन अन्दाज़ में निभा सकता हूँ तो मन्सबे इमामत के मुतालबे में कोई हर्ज नहीं। इसका हुक्म दुनियावी इमारत (हुक्मरानी) वाला नहीं कि अगर कोई इसका मुतालबा करे तो उसे न देने का हुक्म है, और अगर इसे मुतालबे की बिना पर इमारत मिल ही जाये तो अल्लाह की नुस्रत (मदद) शामिले हाल नहीं होती। हज़रत उस़्मान बिन अबुल आस़ (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना दीजिये। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '**तुम उनके इमाम हो उनके कमज़ोर तरीन शख़्स का ख़्याल रखना और मुअज़्ज़िन ऐसा मुक़र्रर करना जो अपनी अज़ान पर उजरत न ले।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 531, व सुनन नसाई, हदीस़: 673)

✧ **मरातिबे अइम्मा:** हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी (رضي الله عنه) फ़रमाते है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया लोगों का इमाम ऐसा शख़्स हो जो कुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो अगर इस वस्फ़ में लोग मसावी (बराबर) हों तो फिर वह इमाम बने जिसे सुन्नते नबवी का ज़्यादा इल्म हो और अगर सुन्नते के इल्म में

लोग मसावी हों तो फिर वह इमाम बने जिसने हिजरत पहले की हो। अगर इस वस्फ़ में भी बराबर हों तो फिर वह इमाम बने जिसने पहले इस्लाम कुबूल किया हो और एक रिवायत में सिल्मन की बजाय सिन्नन के लफ़्ज़ है यानी अगर मज्कूरा औसाफ़ में सब बराबर हों तो फिर उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा हो उसे इमाम बनाया जाये। (मुस्लिम हदीस 673)

हज़रत मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैं अपनी क़ौम के एक वफ़्द में रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हमने आप (ﷺ) के पास बीस दिन क़याम किया आप बहुत रहम दिल और रक़ीकुल क़ल्ब थे। जब आपने महसूस किया कि हमें अपने घर जाने का शौक़ है तो फ़रमाया: **'लौट जाओ, अपनी क़ौम में रहो और उन्हें (दीन की बातें) सिखओ और (सफ़र में) नमाज़ पढ़ते रहना। जब नमाज़ का वक़्त आये तो तुम में से एक शख़्स अज़ान दे और जो बड़ा हो वह इमामत कराये।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 628, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 674) मज़्कूरा हदीस़ में नबी (ﷺ) ने उन्हें उम्र में बड़े को इमाम बनाने का हुक्म दिया क्योंकि बाक़ी ख़िसाल और शराइत में सब बराबर थे, यानी उन्होंने इकट्ठे हिजरत की, इकट्ठे इस्लाम क़बूल किया और बीस दिन तक इकट्ठे आप (ﷺ) से किताब व सुन्नत का इल्म हासिल किया। उम्र का लिहाज़ बाक़ी था, इसलिये नबी (ﷺ) ने उम्र में बड़े को इमाम बनाने का हुक्म दिया।

इन अहादीस़ की रोशनी में अइम्मा के बित्तर्तीब मन्दरजा ज़ेल पाँच मरातिब हैं: **(1)** क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला। **(2)** सुन्नते नबवी से ज़्यादा बा'ख़बर **(3)** पहले हिजरत करने वाला **(4)** पहले इस्लाम क़बूल करने वाला। **(5)** उम्र रसीदा। अहनाफ़ इल्म (ज़्यादा इल्म वाले) को अक़्रा (ज़्यादा अच्छा क़ुर्आन पढ़ने वाले) पर तर्जीह देते हैं। हदीस़ से उनके मौक़िफ़ का रद्द होता है।

इमामत की मुख़्तलिफ़ अन्वाअ (क़िस्में)

(1) बच्चे की इमामत : फ़र्ज़ हों या नफ़ल, नाबालिग़ लड़के की इमामत, जब कोई वजहे तर्जीह पाई जाये, बिला कराहत जायज़ है, जैसे: उसे क़ुर्आन मजीद ज़्यादा याद हो, वग़ैरह। हज़रत अम्र बिन सलमा (ﷺ) फ़रमाते हैं: जब मेरे वालिद मोहतरम नबी (ﷺ) से मिलकर वापस आये तो अपनी क़ौम से कहा: मैं तुम्हारे पास नबी-ए-बरहक़ के पास से होकर आ रहा हूँ, उनका इरशादे गिरामी है: **'फ़ुलां नमाज़ फ़ुलां वक़्त पर पढ़ो और फ़ुलां नमाज़ फ़ुलां वक़्त पर पढ़ो। और जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो तुममें से कोई एक अज़ान कहे और इमामत ऐसा शख़्स कराये जो क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो।'** अम्र बिन सलमा (ﷺ) कहते हैं: मेरी क़ौम वालों ने देखा तो मुझ से ज़्यादा कोई क़ुर्आन पढ़ने वाला नहीं था, चुनांचे उन्होंने मुझे आगे कर दिया। उस वक़्त मेरी उम्र छः या सात बरस थी। (सहीह

बुख़ारी, हदीस़: 4302) इस हदीस़ से स़ाबित हुआ कि नाबालिग़ लड़के की इमामत दुरुस्त है, अगर उसे दूसरों की निस्बत क़ुर्आन ज़यादा याद हो। लेकिन अगर नमाज़ के ज़रूरी मसाइल से कमा हक़्क़हू वाक़िफ़ नहीं तो उसे नमाज़ का तरीक़ा और मसाइल सिखाये जायें, इमामत का हक़दार इस सूरत में बहरहाल वही है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 790 के फ़वाइद व मसाइल)

(2) नाबीने शख़्स की इमामत : नाबीने शख़्स की इमामत भी बिला कराहत दुरुस्त है। सय्यदना अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) ने (अपने सफ़रे ग़ज़्वा के मौक़े पर) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (ﷺ) को अपना जानशीन बनाया था और यही लोगों की इमामत कराते थे और ये नाबीने थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 595) एक रिवायत में है कि नबी (ﷺ) ने उन्हें दो मर्तबा मदीने में अपना जानशीन मुक़र्रर किया। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2931, व मुसनद अहमद: 3/132)

इमाम स़नआ़नी (रहिमहुल्लाह) लिखते हैं: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (ﷺ) को तेरह दफ़ा जानशीन बनाया गया। देखिये: (सुबुलुस्सलाम: 2/77, तहत हदीस़: 338)

हज़रत महमूद बिन रबीअ़ अन्सारी (ﷺ) फ़रमाते हैं: हज़रत इत्बान बिन मालिक (ﷺ) अपनी क़ौम की इमामत कराते थे और वह नाबीने थे। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 667)

मज़्कूरा दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि नाबीने शख़्स की इमामत में कोई हर्ज नहीं। कुछ हज़रात नाबीने की इमामत को मकरूह समझते हैं और वजह ये बताते हैं कि वह नापाकी से नहीं बच सकता और कमा हक़्क़हू तहारत भी हासिल नहीं कर सकता, मगर उनकी इस बात में ज़ोर नहीं क्योंकि कुछ नाबीना अफ़राद बीना अफ़राद से ज़्यादा स़फ़ाई पसन्द होते हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा कीजिये। (सुनन नसाई, हदीस़: 879 के फ़वाइद व मसाइल)

(3) गुलाम की इमामत : गुलाम की इमामत दुरुस्त है। हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) फ़रमाते हैं: जब अव्वलीन मुहाजिर अ़क़्बा पहुँचे, जो क़ुबा में एक जगह है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल, सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा उनकी इमामत कराते थे। उन्हें क़ुर्आन सबसे ज़्यादा याद था। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 692) इमाम बुख़ारी (रहिमहुल्लाह) ने इस हदीस़ पर बाब बाँध कर गुलाम, वलदे ज़िना, देहाती और नाबालिग़ बच्चे की इमामत का जवाज़ स़ाबित किया है। एक रिवायत के लफ़्ज़ हैं: सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा, नबी (ﷺ) के स़हाबा और अव्वलीन मुहाजिरीन की, मस्जिदे क़ुबा में इमामत कराते रहे। उनमें अबूबक्र, उ़मर, अबू सलमा, ज़ैद बिन हारिस़ा और आ़मिर बिन रबीअ़(ﷺ) भी थे देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 7175) हज़रत सालिम (ﷺ) अन्स़ार की एक औ़रत के गुलाम थे। उसने उन्हें आज़ाद कर दिया था। उनकी इमामत आज़ाद होने से पहले थी। उन्हें मौला अबू हुज़ैफ़ा इसलिये कहा

जाता है कि उस औरत के आज़ाद करने के बाद ये अबू हुज़ैफ़ा (ﷺ) के पास रहे। उन्होंने उन्हें अपना मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया। जब उसकी मुमानिअत वारिद हुई तो उन्हें अबू हुज़ैफ़ा का मौला कहा जाने लगा। (फ़तहुलबारी: 2/241, तहत हदीस: 693) हज़रत आयशा (ﷺ) ने एक गुलाम (ज़कवान नामी) को मुदब्बर (वह गुलाम जिसे उसका मालिक ये कह दे कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है।) बनाया था, वह उनकी रमज़ानुल मुबारक में मुसहफ़ से देख कर इमामत कराता था। देखिये: (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, 2/337, हदीस: 7287) मज़्कूरा दलाइल से मसले पर दलालत वाज़ेह है।

(4) औरत की इमामत : औरत औरतों की जमाअत करा सकती है, लेकिन वह सफ़ के आगे नहीं बल्कि दरम्यान में खड़ी होगी। जनाब अब्दुर्रहमान बिन ख़ल्लाद हज़रत उम्मे वरक़ा (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत उम्मे वरक़ा (ﷺ) को उनके घर मिलने आया करते थे और उसके लिये एक मुअज़्ज़िन मुक़र्रर किया था जो उसके लिये अज़ान देता था। और आपने उन्हें (उम्मे वरक़ा (ﷺ) को) हुक्म दिया था कि अपने घर वालों की इमामत कराया करे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 592) वाज़ेह रहे कि औरत मर्दों की किसी सूरत जमाअत नहीं करा सकती। ख़ैरुल क़ुरून में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस हदीस के अल्फ़ाज़ से जो वहम पड़ता है कि घर के मर्द हज़रात और मुअज़्ज़िन भी उनके पीछे ही नमाज़ पढ़ते होंगे, ये महज़ वहम ही है, हक़ीक़त के साथ उसका कुछ ताल्लुक़ नहीं क्योंकि सुनन दारकुतनी की एक रिवायत में है: **'वह अपने घर की औरतों की इमामत कराये।'** देखिये: (सुनन दारकुतनी, हदीस: 1069) इन अल्फ़ाज़ से (أهل دارها) का मफ़हूम मुतय्यन हो जाता है।

रबता हनफ़िया (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं: **'आयशा (ﷺ) ने फ़र्ज़ नमाज़ में औरतों की इमामत के फ़राइज़ अन्जाम दिये और वह उनके दरम्यान खड़ी हुईं।'** (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, अस्सलात, : 3/141, रक़म: 5086)

तमीमा बिन्ते सलमा बयान फ़रमाती हैं: सय्यदा आयशा (ﷺ) ने मग़रिब की नमाज़ में औरतों की इमामत कराई तो वह औरतों के दरम्यान में खड़ी हुईं और जहरी क़िराअत की। देखिये: (अलमहल्ली इब्ने हज़म: 4/219) हज़रत हुजैरा बिन्ते हुसैन (ﷺ) फ़रमाती हैं: **'सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) ने नमाज़े अस्र में हमारी इमामत कराई। आप हमारे दरम्यान खड़ी हुईं।'** (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, रक़म : 5082, व मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, रक़म: 4953) हज़रत उम्मे हसन(ﷺ) फ़रमाती हैं: **'मैंने देखा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने औरतों की इमामत के फ़राइज़ अन्जाम दिये और वह उनके साथ सफ़ ही में खड़ी हुईं।'** (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा,: 1/430, रक़म: 4953) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं: औरत, औरत की इमामत करा सकती है लेकिन

वह उनके साथ सफ़ के दरम्यान ही में ख़ड़ी होगी। (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/140) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के मुताल्लिक़ भी मरवी है कि वह अपनी लौण्डी को हुक्म देते थे और वह रमज़ानुल मुबारक में औरतों को बा'जमाअत नमाज़ पढ़ाती थीं। (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 4/220)

इन तमाम दलाइल से वाज़ेह होता है कि औरत, औरतों की फ़र्ज़ और नफ़ल हर दो नमाज़ों में इमामत करवा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन वह आगे खड़ी होने की बजाये सफ़ के दरम्यान खड़ी होगी।

(5) मर्द की औरतों के लिये इमामत : मर्द की इक़्तेदा में औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं। दौरे नबवी में औरतें मस्जिद में आकर इमामे मस्जिद के पीछे नमाज़ अदा करती थीं। हज़रत आयशा(ﷺ) फ़रमाती हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सुबह की नमाज़ में मुसलमान औरतें चादरों में लिपटी हुई आतीं, फिर नमाज़ पढ़ कर घरों को लौट जाती। अन्धेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न सकता था।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 578, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 645)

हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) फ़रमाते हैं: **'नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ लोग अपने तहबन्दों में गर्दन पर गिरह लगा कर नमाज़ पढ़ा करते थे क्योंकि तहबन्द छोटे होते थे। तो (एहतियातन) औरतों से कह दिया गया कि तुम उस वक़्त तक अपने सर (सज्दे से) न उठाओ जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जायें।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 814, व सहीह मुस्लिम: 441)

हजरत अनस फ़रमाते हैं, **'मैं और एक यतीम लड़के ने अपने घर में नबी (ﷺ) के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और मेरी वालिदा मोहतरमा उम्मे सुलैम हम दोनों के पीछे अकेली खड़ी हुई।'** (बुख़ारी हदीस 658)

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मर्दों की बेहतरीन (ज़्यादा ख़ैर व भलाई वाली) सफ़ पहली है और बुरी (कम भलाई वाली) सफ़ आख़री है और ख़्वातीन की बेहतरीन सफ़ आख़री है और बुरी सफ़ पहली है।'** (सहीह मुस्लिम,: 440)

मर्दों की पहली और औरतों की आख़री सफ़ के बेहतरीन होने की वजह यही है कि ये एक दूसरे से दूसरी सफ़ों की निस्बत ज़्यादा दूर होती है। इसी तरह मर्दों की आख़री सफ़ और औरतों की पहली सफ़ के कम अफ़ज़ल होने की वजह ये है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल क़रीब होती हैं। ज़िम्नन ये मसला भी समझ में आया कि औरतें मर्द के पीछे बा'जमाअत नमाज़ पढ़ सकती हैं। अगर एक औरत और एक मर्द हो, तब भी औरत मर्द की इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ सकती है, बशर्ते कि औरत ग़ैर महरम न हो क्योंकि ग़ैर महरम औरत

के साथ अलाहिदगी हराम है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इरशाद फ़रमाया: **'कोई आदमी किसी औरत के साथ अलाहिदगी इख़्तियार न करे, सिवाये इस सूरत के कि उस (औरत) के साथ महरम मर्द मौजूद हो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3006, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (1341) दूसरा ये कि इस सूरत में औरत मर्द की तरह इमाम की दायीं जानिब नहीं बल्कि पीछे खड़ी होगी क्योंकि अकेली औरत की सफ़ हो जाती है जैसा कि पीछे हज़रत अनस (ﷺ) की हदीस गुज़र चुकी है।

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त माँगे तो वह उसे न रोके।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5238, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 442) मज़्कूरा अहादीस से वाज़ेह हुआ कि मर्द औरतों की इमामत करा सकता है।

(6) मफ़ज़ूल की इमामत : मफ़ज़ूल, यानी कम फ़ज़ीलत वाला आदमी अपने से अफ़ज़ल शख़्स की इमामत करा सकता है। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र में पीछे रह गये। मैं भी आपके साथ पीछे रह गया .... जब हम अपने लोगों में पहुँचे तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) उन्हें नमाज़ पढ़ा रहे थे। वह एक रकअत पढ़ा चुके थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये हैं तो वह पीछे हटने लगे। आप (ﷺ) ने उन्हें इशारा किया (कि अपनी जगह पर रहो) चुनांचे उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) खड़े हुए और मैं भी खड़ा हुआ और एक रकअत जो हमसे पहले हो चुकी थी, पढ़ ली। सहीह बुख़ारी, हदीस: 182, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 274 (81) मज़्कूरा रिवायत सहीह बुख़ारी में नो मक़ाम पर आई है मगर हर जगह मुख़्तसर है। नमाज़ वाला वाक़िया मज़्कूर नहीं, ये अल्फ़ाज़ सहीह मुस्लिम में हैं।

(7) मेहमान की इमामत : मेहमान को मेज़बान क़ौम की जमाअत कराने से मना किया गया है अगरचे मेहमान, मेज़बान से अफ़ज़ल शख़्सियत ही क्यूँ न हो। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स किसी क़ौम को मिलने के लिये जाये तो वह उनकी इमामत न कराये बल्कि उन्हीं में से कोई शख़्स इमामत कराये।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 596, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 356) हाँ, अगर मेहमान इमामत का अहल हो और मेज़बान उसे दावत या इजाज़त दे तो फिर इमामत कराने में कोई हर्ज नहीं। सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है, उसके लिये हलाल नहीं कि वह किसी क़ौम की इमामत कराये मगर उनकी इजाज़त से।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 91)

हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'कोई आदमी किसी आदमी के दायर-ए-इक़्तिदार में इमामत न कराये और न घर में उसकी मख़्सूस नशिस्त पर बैठे मगर उसकी इजाज़त से।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 673) अगर मेहमान इमामत का अहल न हो तो फिर उसका इमामत कराना दुरुस्त नहीं, जैसे: मेहमान औरत हो, अगरचे कितनी ही फ़ाज़िला हो और मेज़बान मर्द। या मेहमान अनपढ़ हो और मेज़बान हाफ़िज़े क़ुर्आन वग़ैरह।

(8) फ़ासिक़ और ज़ालिम की इमामत : फ़ासिक़ और ज़ालिम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है बशर्ते कि उसकी मअसियत इस्लाम से ख़ुरूज का बाइस न हो, लेकिन ऐसे आदमी को इमाम मुक़र्रर नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू ज़र (ﷺ) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: **'तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हारे ऊपर ऐसे अमीर (हुक्मरान) होंगे जो नमाज़ को उसके वक़्त से मुअख़्ख़र करेंगे या नमाज़ (का वक़्त) फ़ौत कर देंगे?'** मैंने अर्ज़ किया: तो मुझे क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: **'नमाज़ को वक़्त पर पढ़ लेना, फिर अगर उनके साथ भी नमाज़ मिले तो पढ़ लेना कि ये तुम्हारे लिये नफ़्ल हो जायेंगे और ये न कहना कि मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ, इसलिये अब नहीं पढ़ता।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: (238-242) 648)

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अइम्मा तुम्हें नमाज़ पढ़ायेंगे। अगर वह दुरुस्ती को पहुँचें तो तुम्हारे लिये भी अज्र है और उनके लिये भी। और अगर वह ग़लती करें तो तुम्हारे लिये सवाब है। (ग़लती का) गुनाह उन पर है।'**

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 694)

हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुलाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'इमाम ज़िम्मेदार है। अगर वह दुरुस्ती को पहुँचे तो उसे भी अज्र मिलेगा और मुक़्तदियों को भी और अगर वह ग़लती करे तो उसका गुनाह इमाम पर है। मुक़्तदियों पर नहीं।'**

(सुनन इब्ने माजा: हदीस: 981)

सहाब-ए-किराम (ﷺ) फ़ुस्साक़ अइम्मा के पीछे नमाज़ें, जुमे और ईदैन पढ़ लिया करते थे और उन्हें दोहराते भी नहीं थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अनस (ﷺ) हज्जाज बिन यूसुफ़ के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) इत्तेबा-ए-सुन्नत में अपनी मिसाल आप थे और हज्जाज बिन यूसुफ़ का ज़ुल्म व फ़िस्क़ मारूफ़ है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और दीगर सहाब-ए-किराम (ﷺ) वलीद बिन उक़्बा बिन अबू मुऐत के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। एक दिन उसने सुबह की नमाज़ दो रकअतें पढ़ाई, फिर पूछा और पढ़ाऊं?

दो आदमियों ने गवाही दी कि उसने शराब पी है तो उ़स्मान (ﷺ) ने उसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से चालीस कोड़े शराब की हद लगवाई। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1707) हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं: जिन दिनों हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (ﷺ) महसूर थे, उ़बैदुल्लाह बिन अ़दी बिन ख़्यार उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा: आप अमीरुल मोमिनीन हैं और सूरते हाल ये है कि हमें नमाज़ बाग़ियों का इमाम पढ़ाता है जो हम पर बहुत गिरां हैं आपने फ़रमाया: नमाज़ इन्सान के आ़माल में सबसे अच्छी चीज़ है, इसलिये जब लोग अच्छा काम करें तो तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो और जब वह बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से बचो। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 695)

(9) **मुसाफ़िर की इमामत:** मुसाफ़िर मुक़ीम की इमामत करा सकता है इमाम के सलाम फेरने के बाद मुक़ीम हज़रात खड़े होकर बाक़ी दो रकअ़तें अदा करेंगे। अगर मुसाफ़िर इमाम पूरी नमाज़ पढ़ाना चाहे तो भी जायज़ है मगर ये अफ़ज़लियत के ख़िलाफ़ है। अफ़ज़ल ये है कि वह सफ़र की नमाज़ (दो रकअ़तें) ही पढ़े। हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कई ग़ज़्वात में शिर्कत की और फ़तहे मक्का के मौक़े पर भी आपके साथ था। आप (ﷺ) मक्का में अठारह रातें ठहरे। उन दिनों में आप दो रकअ़तें ही पढ़ते रहे और फ़रमाते: **'ऐ अहले शहर! तुम चार रकअ़तें पढ़ो, हम लोग मुसाफ़िर हैं।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1229) इस हदीस की सनद अली बिन ज़ैद बिन जुदआन की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन मसला दीगर अहादीसे सहीहा की रोशनी में इसी तरह है। दलाइल से वाज़ेह है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मक्का फ़तह किया और वहाँ अठारह-उन्नीस रातें क़याम किया और इस दौरान में नमाज़ क़स्र अदा करते रहे और ज़ाहिर बात है कि मुक़ीम हज़रात चार रकअ़तें पढ़ते थे क्योंकि उन पर पूरी नमाज़ फ़र्ज़ थी, और मौता इमाम मालिक में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) जब मक्का आते तो उन्हें दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाते, फिर फ़रमाते: **'ऐ अहले मक्का! अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लो, हम मुसाफ़िर क़ौम हैं।'** (मौता: रक़म: 185) और ये मालूम है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) सुन्नत के मामले में बड़े हस्सास और मोहतात थे। इमाम इब्ने क़ुदामा (رحمه الله) ने इस मसले पर अहले इल्म का इज्मा नक़ल किया है, वह फ़रमाते हैं: **'अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि मुक़ीम जब मुसाफ़िर की इक़्तेदा करे और मुसाफ़िर दो रकअ़तों पर सलाम फेर दे तो मुक़ीम (बाद में) नमाज़ पूरी करेगा।'** (अल मुग़नी: 2/165)

जब मुक़ीम पहले (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ चुका हो और मुसाफ़िर के पीछे जमाअ़त की फ़ज़ीलत हासिल करने के लिये नमाज़ पढ़े तो फिर वह मुसाफ़िर की नमाज़ की तरह दो रकअ़तें ही पढ़ेगा क्योंकि वह उसके हक़ में नफ़ल हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये:

(मजमूअ़ फ़तावा लिइब्ने बाज़: 12/259-261)

(10) मुक़ीम की इमामत : मुक़ीम आदमी मुसाफ़िर की इमामत करा सकता है। इस सूरत में मुसाफ़िर मुक़ीम की तरह पूरी नमाज़ पढ़ेगा, क़स्र नहीं करेगा, चाहे वह शुरू नमाज़ में इमाम के साथ मिले या सलाम के क़रीब तशह्हुद में। इसकी दलील नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमाने ज़ीशान है: '**इमाम इसलिये है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा उससे इख़्तिलाफ़ न करो। जब वह रूकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम सब बैठ कर नमाज़ पढ़ो।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 722, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 414) मूसा बिन सलमा हुज़ली (رحمه الله) बयान फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से पूछा कि जब मैं मक्का में हूं (यानी सफ़र में) और इमाम के साथ नमाज़ न हो तो कैसे नमाज़ पढ़ूं? उन्होंने फ़रमाया: दो रकअतें पढ़ो (यानी क़स्र करो) ये अबुल क़ासिम (ﷺ) की सुन्नत है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 688) मुसनद अहमद में ये रिवायत इन अल्फ़ाज़ से है: मूसा बिन सलमा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: '**हम इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के साथ मक्का में थे। मैंने पूछा: जब हम आपके साथ होते हैं तो चार रकअत नमाज़ अदा करते हैं और जब अपने घरों को लौटते हैं तो दो रकअतें पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया: ये अबुल क़ासिम (ﷺ) की सुन्नत है।**' (मुसनद अहमद: 1/216)

अबू मिज्लज़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने इब्ने उमर (رضي الله عنه) से पूछा: मुसाफ़िर, मुक़ीमीन के साथ आख़री दो रकअतों में मिलता है तो क्या उसे दो रकअतें किफ़ायत कर जायेंगी या उनकी नमाज़ की तरह (चार रकअतें) पढ़ेगा? इब्ने उमर (رضي الله عنه) हँस पड़े और फ़रमाया: उनकी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ेगा। (सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/157)

(11) मुतनफ़्फ़िल की मुफ़्तरिज़ के लिये इमामत : इमाम नफ़ल नमाज़ पढ़ रहा हो और मुक़्तदी फ़र्ज़ नमाज़ की नियत से उसकी इक़्तेदा कर रहे हों तो ये दुरुस्त है। दोनों की नमाज़ हो जायेगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी क़ौम के पास जाकर उन्हें इशा की जमाअत कराते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 700, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (18, 180) 465) हज़रत मुआज़ (رضي الله عنه) की दूसरी नमाज़ नफ़ल थी क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ एक दिन में दो दफ़ा नहीं पढ़ी जा सकती जबकि मुक़्तदी उनके पीछे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने कुछ दफ़ा नमाज़े ख़ौफ़ एक जमाअत को दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेरा, फिर दूसरी जमाअत को दो रकअतें पढ़ाईं। आपकी दूसरी दो रकअतें नफ़ल होती थीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये:

(सुनन नसाई, हदीस: 836, 837 के फ़वाइद व मसाइल)

(12) मुफ़्तरिज़ की मुतनफ़्फ़िल के लिये इमामत : इमाम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा रहा हो तो उसके पीछे नफ़ल की नियत से नमाज़ पढ़ी जा सकती है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज के मौक़े पर मस्जिदे ख़ैफ़ में सुबह की नमाज़ पढ़ाई तो फ़राग़त के बाद देखा कि दो आदमी पीछे बैठे हैं। उन्होंने जमाअत के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने घर में नमाज़ पढ़ ली है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ऐसे न करो। जब तुम घर में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर मस्जिद में आओ जहाँ जमाअत हो रही हो तो उनके साथ नमाज़ पढ़ो ये तुम्हारे लिये नफ़ल बन जायेगी।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 575, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 219) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो आपने फ़रमाया: **'क्या कोई आदमी उस पर सदक़ा नहीं कर सकता कि उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़े।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 574) तिर्मिज़ी की रिवायत में है: **'तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने उसके साथ नमाज़ पढ़ी।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 220) यानी नियत का इख़्तिलाफ़ हो सकता है। इक़्तेदा इन्तेक़ालात में है, नियत में मुवाफ़िक़त लाज़िमी नहीं।

(13) मुतयम्मिम (तयम्मुम वाले) की मुतवज़्ज़ी (बा'वुज़ू) के लिये इमामत : तयम्मुम वाला बा'वुज़ू शख़्स की इमामत करा सकता है। हज़रत अम्र बिन आस (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ग़ज़्व-ए-ज़ातुस्सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात में एहतिलाम हो गया मुझे अन्देशा हुआ कि अगर मैंने ग़ुस्ल किया तो हलाक हो जाऊंगा, लिहाज़ा मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने ये वाक़िया नबी (ﷺ) की ख़िदमत में ज़िक्र किया तो आपने पूछा: **'ऐ अम्र! क्या तूने जुन्बी होते हुए अपने साथियों को जमाअत कराई थी?'** तो मैंने वह वजह ज़िक्र कर दी जिस बिना पर मैंने ग़ुस्ल नहीं किया था और (ये भी) कहा कि मैंने अल्लाह तआला का फ़रमान सुना है: **'और अपने आपको क़त्ल न करो, यक़ीनन अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है।'** तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हँस पड़े और कुछ न फ़रमाया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 334) इमाम बुख़ारी(رحمه الله) ने इसे तालीक़न ज़िक्र किया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 345 का बाब)

(14) नापसन्दीदा शख़्स की इमामत : ऐसा शख़्स जिसे क़ौम के अक्सर अफ़राद नापसंद करते हों, उसकी इमामत मकरूह है ऐसे इमाम की नमाज़ नहीं होती। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तीन आदमियों की नमाज़ उनके सरों से एक बालिश्त भी बलन्द नहीं होती (कबूल नहीं होती): वह आदमी जो लोगों की इमामत कराये, हालांकि वह उसे नापसन्द करते हों। वह औरत जिसकी रात इस हाल में गुज़रे कि उसका ख़ाविन्द उससे नाराज़ हो। और वह दो भाई जो एक दूसरे से क़तअ ताल्लुक़ किये हुए हों।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 971) एक दो आदमियों की

नापसन्दीदगी कोई मानी नहीं रखती, और कराहत की वजह शरई हो, जैसे: बे वक़्त नमाज़ पढ़ना, ख़िलाफ़े सुन्नत पढ़ाना, मुक़्तदियों का लिहाज़ न रखना या क़िराअत में लहने फ़ाहिश करना वग़ैरह। अगर नापसन्दीदगी की वजह ज़ाती है, या इस बिना पर कि वह आमिल बिलक़ुर्आन वस्सुन्नह है और नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है तो उसका गुनाह नापसन्द करने वालों को होगा।

(15) **बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की इमामत** : उ़ज़्र की बिना पर इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ा सकता है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मर्ज़ुल मौत में बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 687, 713, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 418) ऐसी सूरत में आया मुक़्तदी पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़े या खड़े होकर? उसमें क़द्रे तफ़्सील है जो सुनन नसाई, हदीस़: 833 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती है।

मुक़्तदी कहाँ खड़ा हो?

मुक़्तदी के इमाम के साथ खड़े होने की मुख़्तलिफ़ हालतें हैं जिनका ज़िक्र दर्ज ज़ेल है:

(1) **जब मुक़्तदी एक मर्द हो तो?** : अगर मुक़्तदी एक मर्द हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब खड़ा होगा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है .... रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ने लगे तो मैं भी आकर आप (ﷺ) की बायीं जानिब खड़ा हो गया। (और आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगा।) आप (ﷺ) ने मुझे पकड़ा और अपनी दायीं जानिब खड़ा कर लिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 698, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 763)

(2) **अगर मुक़्तदी दो या दो से ज्यादा हों?** : दो या दो से ज़्यादा आदमी इमाम के पीछे सफ़ बनायेंगे। एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े हुए तो हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) आपकी बायीं जानिब आकर खड़े हो गये। आपने उन्हें अपनी दायीं जानिब कर लिया, फिर जुबार बिन सख़र(رضي الله عنه) आये और वह आपकी बायीं जानिब खड़े हो गये, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों को धकेल कर पीछे कर दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 3010) हज़रत अनस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) (नमाज़ के लिये चटाई पर खड़े हुए। मैं और एक यतीम लड़का आपके पीछे खड़े हुए और एक बूढ़ी औरत हमारे पीछे खड़ी हुई। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 380, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 658)

(3) **अगर मुक़्तदी एक औरत हो तो?**: एक औरत इमाम के साथ खड़ी नहीं होगी बल्कि इमाम के पीछे खड़ी होगी क्योंकि अकेली औरत की सफ़ जायज़ है। देखिये हज़रत अनस की मज़्कूरा हदीस़। लेकिन इस सूरत में औरत ग़ैर महरम न हो क्योंकि ग़ैर महरम औरत के साथ ख़ल्वत हराम है जैसा कि पीछे गुज़र चुका है।

(4) मुक़्तदी एक मर्द और एक औरत हो तो?: अगर मुक़्तदी एक मर्द और एक औरत हो तो मर्द इमाम के दायीं जानिब खड़ा होगा और औरत पीछे खड़ी होगी? हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और हज़रत आयशा (ﷺ) हमारे पीछे खड़ी हुईं। वह भी हमारे साथ ही (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रही थीं जबकि मैं नबी (ﷺ) के पहलू में आपके साथ (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रहा था। (सुनन नसाई, हदीस: 805) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे और मेरे दीगर घर वालों में से एक औरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि मुझे अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया और औरत को पीछे। (सुनन नसाई, हदीस: 806)

(5) अगर मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा मर्द और एक औरत हो तो? : अगर मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा मर्द हों और एक औरत हो तो इमाम के पीछे मर्द हज़रात सफ़ बनायेंगे और मर्दों के पीछे अकेली औरत सफ़ बनायेगी। देखिये मज़्कूरा हदीसे अनस (ﷺ), यानी औरत किसी सूरत में मर्द के साथ खड़ी नहीं हो सकती यहाँ तक कि अपने लख़्ते जिगर या शौहर के साथ भी नहीं, वह एक हो या ज़्यादा, सफ़ मर्दों के पीछे ही बनेगी, देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 803, 804 और उनके फ़वाइद)

(6) इमाम औरत हो और मुक़्तदी भी एक ही औरत हो तो?: अगर औरत इमाम हो और मुक़्तदी भी एक ही औरत हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब खड़ी होगी क्योंकि औरत जब इमाम होगी तो किसी सूरत भी वह आगे खड़ी नहीं हो सकती। तफ़्सीली दलाइल पीछे 'औरत की इमामत' के तहत गुज़र चुके हैं।

(7) इमाम औरत हो और मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा औरतें हों तो?: इमाम औरत हो और मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा औरतें हो तो वह इमाम के दायें बायें खड़ी होंगी और इमाम उनके दरम्यान सफ़ में खड़ी होगी। तफ़्सील के लिये देखिये: गुज़िश्ता उन्वान 'औरत की इमामत'

(8) मुक़्तदी कब खड़े हों?: मुक़्तदियों के खड़े होने का कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं। वह इक़ामत के शुरू में खड़े हो सकते हैं, दरम्यान में भी और आख़िर में भी, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वह उस वक़्त खड़े हों जब इमाम को आता देख लें, इससे पहले खड़ा होना दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: '**जब नमाज़ की इक़ामत कही जाये तो उस वक़्त तक खड़े न हों जब तक मुझे (आता हुआ) न देख लो।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 637, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 604) एक रिवायत में है कि '**इक़ामत के बाद लोग नबी-ए-अकरम (ﷺ) के तशरीफ़ लाने से पहले सफ़ें बना लेते थे।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 639, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 605)

इन रिवायात में तत्बीक़ इस तरह है कि ऐसा शाज़ व नादिर हुआ कि मुक़्तदी नबी (ﷺ) के तशरीफ़ लाने से पहले खड़े हुए, और ये बयाने जवाज़ के लिये था। असल हुक्म यही है कि इमाम को देख कर खड़ा हुआ जाये ये भी मुमकिन है कि मुमानिअत का सबब यही चीज़ बनी हो, यानी पहले मुक़्तदी आपको देखे बग़ैर खड़े हो जाते थे, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इससे मना फ़रमा दिया ताकि लोग मशक़्क़त में न पड़ें क्योंकि बसा औक़ात किसी उ़ज्र की बिना पर ताख़ीर हो सकती थी। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/158, तहत हदीस: 637, व शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, 5/144, तहत हदीस: 605)

सफ़ बन्दी का एहतिमाम

सफ़ों को दुरुस्त करना वाजिब है क्योंकि सफ़ों की दुरुस्ती नमाज़ का हिस्सा है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) बड़े एहतिमाम से सफ़ें सीधी कराया करते थे। सफ़ों की दुरुस्ती के हवाले से आप(ﷺ) के बहुत से फ़रामीन हैं जो आप सफ़ें दुरुस्त कराते वक़्त इरशाद फ़रमाया करते थे जिससे सफ़ों की दुरुस्ती की अहमियत का बख़ूबी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'सफ़ें दुरुस्त कर लो क्योंकि सफ़ों को सीधा करना नमाज़ क़ाइम करने से है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 723, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 433) हज़रत नोमान बिन बशीर (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तीर की तरह सफ़ें सीधी करते थे यहाँ तक कि आपने महसूस किया कि हम इस बात को समझ चुके हैं। फिर आप एक दिन निकले, (मुसल्ले पर) खड़े हुए, तकबीर (तहरीमा) कहने लगे तो देखा एक आदमी का सीना सफ़ से कुछ निकला हुआ है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ऐ अल्लाह के बन्दो! तुम ज़रूर बिज़्ज़रूर सफ़ें सीधी करोगे या फिर अल्लाह तुम्हारे चेहरों में इख़्तिलाफ़ डाल देगा।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 436) और नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'बराबर हो जाओ, आगे पीछे खड़े न हों वरना तुम्हारे दिलों में इख़्तिलाफ़ पड़ जायेगा।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 432)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'सफ़ों को दुरुस्त कर लो, कन्धों को बराबर रखो, दरम्यान में फ़ासला न रहने दो और अपने भाईयों के हाथों में नर्म बन जाओ और शैतान के लिये ख़ुला न छोड़ो, जिसने सफ़ को मिलाया, अल्लाह उसे मिलाये और जिसने सफ़ को काटा, अल्लाह उसे काटे।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 666) हज़रत अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अपनी सफ़ों में ख़ूब मिल कर खड़े हुआ करो। उन्हें क़रीब क़रीब बनाओ और गर्दनों को भी बराबर रखो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं शैतान को देखता हूँ कि ख़ाली जगहों से तुम्हारी सफ़ों में घुस आता है गोया बकरी का बच्चा हो।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 667)

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तुम सफ़ें ऐसे क्यों नहीं बनाते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ सफ़ें बनाते हैं?'** हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रिश्ते कैसे सफ़ें बनाते हैं? आपने फ़रमाया: **'वह पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और ख़ूब मिलकर खड़े होते हैं।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 430)

सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) फ़रमाते हैं कि हम कन्धे से कन्धा और क़दम से क़दम मिलाकर खड़े होते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 725)

सफ़बन्दी के उसूल व अहकाम

(1) **सफ़ों की तर्तीब :** सफ़ बन्दी में सफ़ों की तर्तीब मल्हूज़ रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मर्दों की सफ़ें होंगी, उसके बाद बच्चों की और आख़िर में औरतों की। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मेरे क़रीब वह खड़े हों जो निहायत समझदार और अक़्लमन्द हों, फिर वह जो उनसे क़रीब हों, फिर वह जो उनसे क़रीब हों।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 432)

ये बात मालूम है कि मर्द अक़्ल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि औरत को शरीयत में नाक़िसुल अक़्ल कहा गया है। इसके बाद बच्चों की सफ़ होगी क्योंकि वह भी मर्द ही हैं। औरतों की सफ़ आख़िर में होगी जैसा कि हज़रत अनस (رضي الله عنه) की हदीस पीछे गुज़री है। इससे भी साबित हुआ कि बुज़ुर्ग हज़रात को पहले आना चाहिए क्योंकि उनकी जगह आगे है, ये नहीं कि बाद में आयें और बच्चों को पीछे धकेलना शुरू कर दें क्योंकि इससे उनकी हौसला शिकनी होती है। अगर उन्हें पीछे करना पड़े तो निहायत अहसन अन्दाज़ और प्यार से ताकि उन्हें महसूस न हो। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 1808 और 1809 और उनके फ़वाइद)

(2) **सफ़ों को बराबर करना :** सफ़ों को बराबर करने का हुक्म है। बराबर करने में पाँव से पाँव मिलाना, पाँव सीधे क़िब्ला रुख़ रखना, पाँव का दरम्यानी फ़ासला जिस्म के मुताबिक़ रखना, इमाम की तरफ़ मिलना, व दौराने नमाज़ में अगर किसी नमाज़ी को सफ़ से निकलना पड़े तो इस ख़ला को पुर करना, पहले अगली सफ़ मुकम्मल करना और सफ़ों को क़रीब क़रीब बनाना वग़ैरह शामिल हैं। इमाम को चाहिए कि इन तमाम पहलूओं पर रोशनी डाले और सफ़ों के दरम्यान चल फिर कर बड़े एहतिमाम के साथ सफ़ें सीधी कराये क्योंकि ये उसके फ़राइज़ में से हैं इस मक़सद के लिये अगर इक़ामत और तकबीरे तहरीमा के दरम्यान ज़्यादा फ़ासला भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि ज़रूरत की बिना पर इक़ामत और तकबीरे तहरीमा के दरम्यान फ़ासला जायज़ है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 792, 793 और उनके फ़वाइद व मसाइल) मुक़्तदी हज़रात को भी इस सिलसिले में इमाम साहिब से तआवुन करना

चाहिए क्योंकि स़फ़ों को मिलाने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अल्लाह तआला उन लोगों पर रहमत नाज़िल करता है और फ़रिश्ते उनके लिये दुआए ख़ैर करते हैं जो स़फ़ों को मिलाते हैं और जो शख़्स स़फ़ का शिगाफ़ पुर करेगा, उसके बदले अल्लाह तआला उसका दर्जा बलन्द कर देगा।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 995)

(3) पहली स़फ़ की फ़ज़ीलत : पहली स़फ़ सब स़फ़ों से अफ़ज़ल है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अगर लोगों को अज़ान और स़फ़े अव्वल की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ा हो जाये, फिर कुरा अन्दाज़ी के अलावा वह उनका कोई बस न चले तो वह कुरा डाल कर आया करें।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 615, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 437) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मर्दों की बेहतरीन स़फ़ पहली है।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 440) हज़रत बरा बिन आज़िब (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अल्लाह तआला पहली स़फ़ पर रहमत नाज़िल फ़रमाता है और फ़रिश्ते उसके लिये दुआए ख़ैर करते हैं।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 997) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पहली स़फ़ के लिये तीन मर्तबा दुआए मग़फ़िरत फ़रमाया करते थे और दूसरी स़फ़ के लिये एक मर्तबा। (सुनन नसाई, हदीस़: 818) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने स़हाबा को पिछली स़फ़ों में देख कर फ़रमाया: **'आगे (पहली स़फ़ में) आओ और मेरी इक़्तेदा करो बाद वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें जो लोग (स़फ़े अव्वल से) पीछे रहते (और उसे अपनी आदत बना लेते) हैं तो अल्लाह तआला भी उन्हें अपनी रहमत से पीछे रखेगा।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 438) इसलिये कोशिश करके जल्दी आना चाहिए और पहली स़फ़ में जगह हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।

(4) स़फ़ों की दाहिनी जानिब की फ़ज़ीलत : किसी स़ही हदीस़ में इसकी ख़ुसूसी फ़ज़ीलत मज़्कूर नहीं। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'बेशक अल्लाह तआला स़फ़ों के दायीं अतराफ़ वालों पर अपनी रहमते (ख़ास़) नाज़िल फ़रमाता है और फ़रिश्ते उनके लिये दुआएँ करते हैं।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 676) इस हदीस़ की बाबत मौसूआ हदीसिया के मुहक़्क़िक़ीन फ़रमाते हैं कि मुआविया बिन हिशाम (مَيَامِن الصفوف) के अल्फ़ाज़ बयान करने में मुन्फ़रिद है। ये रिवायत मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की बजाये इन अल्फ़ाज़ से ज़्यादा महफ़ूज़ है: **'बेशक अल्लाह तआला स़फ़ों को मिलाने वालों पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाता है और फ़रिश्ते उनके लिये दुआएं करते हैं।'** देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 40/444, हदीस़: 2481) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इस हदीस़ को इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ हसन क़रार दिया है। जिससे साबित होता है कि अस़ल फ़ज़ीलत स़फ़बन्दी का स़ही तरीक़े से एहतिमाम करने

में है, लिहाज़ा दायीं जानिब जगह होने के बावजूद सफ़ के तवाज़ुन को बरक़रार रखने के लिये अगर बायीं जानिब खड़ा होने की ज़रूरत हो तो बायीं जानिब ही खड़ा होना चाहिए। अगर दोनों तरफ़ खड़ा होना बराबर हो तो फिर हर मामले में दायीं जानिब की जो उमूमी फ़ज़ीलत है, उसके पेशे नज़र दायीं जानिब को तर्जीह देनी चाहिए। वल्लाहु आलम!

(5) सुतूनों के दरम्यान सफ़ : सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना मना है क्योंकि सुतूनों वाली सफ़ कई जगह टूट जाती है और सफ़ का तोड़ना गुनाह है जबकि सफ़ें मिलाने का ताकीदी हुक्म है। हज़रत कुर्रा बिन इयास मुज़नी (ﷺ) फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने से मना किया जाता था और उससे सख़्ती के साथ रोका जाता था। (सुनन इब्ने माजा: 1002) अब्दुल हमीद बिन महमूद बयान करते हैं कि हम हज़रत अनस (ﷺ) के साथ थे। हमने हुक्काम में से एक हाकिम के साथ नमाज़ पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हमने दो सुतूनों के दरम्यान खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। हज़रत अनस (ﷺ) सुतूनों वाली सफ़ से पीछे हटने लगे और फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने) से बचा करते थे। (सुनन नसाई, हदीस: 822)

(6) सफ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ : सफ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ नहीं होती। हज़रत वाबिसा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़ के पीछे अकेले आदमी को नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 682, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 231) हज़रत अली बिन शैबान (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो आप (ﷺ) उसके पास गये और फ़रमाया: **'नये सिरे से नमाज़ पढ़ो सफ़ के पीछे (अकेले) खड़े होने वाले की कोई नमाज़ नहीं।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1003) ये इस सूरत में है जब सफ़ में जगह होने के बावजूद कोई शख़्स पीछे खड़ा होकर अकेला नमाज़ पढ़े। अगर अगली सफ़ में जगह ही न हो तो फिर पीछे खड़े होने वाले को माज़ूर समझा जायेगा क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं। इरशादे इलाही है: **'अल्लाह किसी को उसकी बरदाश्त से बढ़ कर तकलीफ़ नहीं देता।'** (अलबक़र: 2/286) और उम्मीद है कि उसकी नमाज़ हो जायेगी अगली सफ़ से किसी को खींच कर साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ है, और उससे सफ़ भी टूट जाती है जबकि सफ़ तोड़ने वाले के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद दुआ की है: **'जो सफ़ को काटे (तोड़े), अल्लाह उसे काटे।'** (सुनन नसाई, हदीस: 819) किसी के इन्तेज़ार में वैसे ही खड़े रहना बेकार अमल लगता है जबकि इस सूरत में एक दो रकअत या कभी पूरी नमाज़ ही फ़ौत होने का क़वी इम्कान मौजूद होता है। वल्लाहु आलम!

(7) **उ़ज्र की बिना पर इमाम की इक़्तेदा से निकलना :** उ़ज्र की बिना पर नमाज़ तोड़ कर सफ़ से निकल जाना और अपनी अलग नमाज़ पढ़ लेना जायज़ है, लेकिन ये शदीद उ़ज्र की बिना पर है। मामूली वजह क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं। हज़रत मुआ़ज़ (ﷺ) ने जब इशा की नमाज़ में सूरह बक़रा शुरू कर दी थी तो काम काज से थके मान्दे अन्सारी सहाबी ने नमाज़ तोड़ कर अलग अपनी नमाज़ पढ़ ली थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 265) तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा कीजिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 832 के फ़वाइद व मसाइल)

(8) **मुन्फ़रिद को इमाम बना देना :** हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ानुल मुबारक में (रात को) नमाज़ पढ़ा करते थे। (एक दिन) मैं आया और आप (ﷺ) के पहलू में खड़ा हो गया। एक और शख़्स आया, वह भी खड़ा हो गया यहाँ तक कि एक जमाअ़त जमा हो गई जब आपने महसूस किया कि हम आपके पीछे खड़े हैं तो आप (ﷺ) ने नमाज़ मुख़्तसर कर दी। फिर घर तशरीफ़ ले गये और ऐसी नमाज़ पढ़ी कि हमारे साथ न पढ़ते थे (लम्बी नमाज़ पढ़ी) हमने सुब्ह को पूछा कि क्या आप को रात हमारी इक़्तेदा की ख़बर हो गई थी? आपने फ़रमाया: **'हाँ, इसी वजह से तो मैंने ऐसे किया (कि नमाज़ मुख़्तसर कर दी)'** (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1104) इसी तरह एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ानुल मुबारक में हुज्रे में नमाज़ पढ़ा करते थे। सहाब-ए-किराम (ﷺ) भी आपकी इक़्तेदा में तीन रातें नमाज़ पढ़ते रहे। आपको इल्म हुआ तो आपने फ़र्ज़ीयत के डर से उन्हें अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 731)

इन रिवायात से मालूम हुआ कि आदमी अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे इमाम बना कर उसकी इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

(9) **मुक़्तदी को दौराने नमाज़ में इमाम बना देना :** अगर इमाम को कोई उ़ज्र लाहिक़ हो जाये, जैसे: कोई ज़ख़्म वग़ैरह लग जाये तो वह मुक़्तदियों में से किसी को आगे खड़ा कर दे जो उन्हें नमाज़ मुकम्मल कराये जैसा कि हज़रत उ़मर (ﷺ) पर दौराने नमाज़ में हम्ला हुआ था तो उन्होंने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (ﷺ) को आगे किया, फिर उन्होंने नमाज़ मुकम्मल कराई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 3700)

इसी तरह अगर इमाम को हदस़ लाहिक़ हो जाये या नकसीर फूट जाये या याद आये कि मैं बे'वुज़ू हूँ तो इस सूरत में भी इमाम किसी मुक़्तदी को अपनी जगह खड़ा करेगा और वुज़ू करने के बाद उसके पीछे नमाज़ अदा करेगा क्योंकि ये नमाज़ नये सिरे से शुरू करेगा और मुक़्तदी चूंकि नमाज़ का कुछ हिस़्सा पढ़ चुके होंगे जिसकी वजह से उसका इमाम बनना मुमकिन नहीं।

इमाम के फ़राइज़

(1) सफ़ के दरम्यान खड़ा होना : इमाम को मुक़्तदियों के आगे सफ़ के दरम्यान खड़ा होना चाहिए, यानी इमाम के पीछे सफ़ दोनों तरफ़ बराबर होनी चाहिए। अहले इल्म का अमल इसी पर है। देखिये: (मजमूअ फ़तावा लि इब्ने बाज़: 12/205)

(2) नमाज़ मुख़्तसर पढ़ना: इमाम के फ़राइज़ में से है कि वह मुक़्तदियों का ख़्याल रखे और नमाज़ मुख़्तसर मगर मुकम्मल पढ़ाये, यानी क़याम और क़िराअत वग़ैरह कम हो और रुकूअ व सुजूद में तमानियत बरक़रार रहे हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से कोई लोगों की इमामत कराये तो उसे चाहिए कि वह नमाज़ मुख़्तसर पढ़ाये क्योंकि नमाज़ियों में छोटे, बड़े, ज़ईफ़ व नातवां, मरीज़ और मसरूफ़ सभी लोग होते हैं और जब वह अकेला नमाज़ पढ़े तो जितनी चाहे लम्बी कर लें'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 703, 704, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 465) हज़रत क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मैं नमाज़ शुरू करता हूँ तो उसे लम्बा करने का इरादा होता है, फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज़ मुख़्तसर कर देता हूँ ताकि उसकी माँ को तकलीफ़ न हो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 707, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 470)

(3) पहली रकअत दूसरी से लम्बी पढ़ाना : इमाम को चाहिए कि पहली रकअत दूसरी की निस्बत लम्बी पढ़ाये ताकि पीछे रहने वाले भी पहली रकअत में शामिल हो सकें। नबी (ﷺ) पहली रकअत दूसरी से लम्बी पढ़ाते थे देखिये: (सहीह बुख़ारी,: 776, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 451)

(4) पहली दो रकअतें दूसरी दो रकअतों से लम्बी पढ़ाना : नबी-ए-अकरम (ﷺ) पहली दो रकअतें दूसरी दो रकअतों की निस्बत लम्बी पढ़ाते थे क्योंकि आप पहली दो रकअतों में उमूमन फ़ातिहा के अलावा क़िराअत भी करते थे जबकि दूसरी दो रकअतों में सिर्फ़ सूर-ए-फ़ातिहा पढ़ते थे। देखिये: (बुख़ारी, व मुस्लिम हवाल-ए-मज़्कूरा)

(5) मुक़्तदियों की मसलिहत का ख़्याल रखना : नबी-ए-अकरम (ﷺ) जब देखते कि सहाब-ए-किराम नमाज़ के लिए देरी से आये हैं तो आप नमाज़ में कुछ ताख़ीर कर देते और जब सहाब-ए-किराम जल्द जमा हो जाते तो आप (ﷺ) उन्हें जल्दी नमाज़ पढ़ा देते। ऐसा ज़्यादातर इशा की नमाज़ में होता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) बाक़ी नमाज़ें रसूलुल्लाह (ﷺ) अव्वल वक़्त में पढ़ते थे, सिवाये ज़ुहर के कि गर्मियों में थोड़ी ताख़ीर से पढ़ा करते थे। बहरहाल इससे ये ज़रूर साबित होता है कि अगर मस्जिद के मुस्तक़िल नमाज़ी ज़्यादा तादाद में लेट हैं तो इमाम चन्द मिनट

उनका इन्तेज़ार कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं ताकि वह भी तकबीरे तहरीमा पा सकें। इशा की नमाज़ ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है जबकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) उम्मत पर मशक़्क़त के ख़ौफ़ से अव्वल वक़्त में पढ़ा दिया करते थे। अलग़र्ज़! इमाम को मुक़्तदियों की मस्लिहत का ख़्याल रखना चाहिए।

(6) **सलाम के बाद कुछ देर उसी हालत में बैठे रहना :** सलाम फेरने के बाद इमाम को थोड़े से वक़्फ़े के लिये क़िब्ला रूख़ उसी हालत में बैठे रहना चाहिए। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) जब सलाम फेरते तो उसी हालत में बैठे हुए ये दुआ पढ़ते थे: **'ऐ अल्लाह! तू ही सलामती वाला है और तेरी ही तरफ़ से सलामती है और ऐ बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले! बहुत बा'बरकत है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 592)

(7) **मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठना :** मज़्कूरा दुआ पढ़ने के बाद इमाम को मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठना चाहिए। हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ा लेते तो हमारी तरफ़ मुँह करके बैठते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 845)

मुक़्तदियों की तरफ़ दायीं और बायीं दोनों तरफ़ से मुंड़ना दुरुस्त है। किसी एक तरफ़ को ख़ास करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तुममें से कोई शख़्स अपनी नमाज़ में से शैतान को कुछ भी न दे, इस तरह कि अपनी दायीं तरफ़ से लौटना ज़रूरी समझ ले। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अक्सर अपनी बायीं जानिब से लौटते देखा।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 852, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 707) इस हदीस से मालूम हुआ कि दोनों तरफ़ से फिरना दुरुस्त है, किसी एक जानिब को ख़ास करना दुरुस्त नहीं।

(8) **मुस्हफ़ से इमामत :** इमाम को अगर क़ुर्आन मजीद ज़बानी याद नहीं तो वह मुस्हफ़ से देख कर क़िराअत कर सकता है। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को उनका गुलाम ज़कवान मुस्हफ़ से देख कर इमामत कराता था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 692, मुअल्लक़न) इसी तरह अगर लम्बी क़िराअत मक़सूद हो जैसा कि नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े तरावीह में होता है और किसी को इतना क़ुर्आन मजीद याद नहीं तो मुस्हफ़ से देख कर क़िराअत की जा सकती है, अलबत्ता इमाम को क़ुर्आन मजीद ज़बानी याद करने की कोशिश करनी चाहिए।

(9) **सुतरे का एहतिमाम करना :** इमाम को अपने सामने सुतरा रखना चाहिए क्योंकि उसका सुतरा मुक़्तदियों का सुतरा है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 493, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) और फ़रमाने नबवी है: **'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो सुतरे की तरफ़ मुँह करके पढ़े और उसके क़रीब खड़ा हो।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 698)

(10) मुकब्बिर बनाना : अगर जमाअत में लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और सब तक आवाज़ पहुँचाना मुश्किल है तो इमाम, मुकब्बिर खड़ा कर सकता है जो इमाम की तकबीरात सुन कर आगे पहुँचाये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 712, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (96)418)

(11) ज़रूरत के तहत नमाज़ में इज़ाफ़ी हरकत करना : किसी ज़रूरत और मजबूरी के पेशे नज़र या इस्लाहे नमाज़ के लिये नमाज़ में इज़ाफ़ी हरकत जायज़ है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपनी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठा कर जमाअत कराई। आप जब रुकू फ़रमाते तो उसे उतार देते और जब सज्दे के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते। (सुनन नसाई, हदीस: 828) साबित हुआ कि इस क़िस्म की कोई मजबूरी हो तो नमाज़ में ज़्यादा हरकत दुरुस्त है। इससे नमाज़ नहीं टूटती। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने नमाज़े ख़ुसूफ़ पढ़ाई तो दौराने नमाज़ ही में आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। इस्तिफ्सार पर आप (ﷺ) ने फ़रमाया कि मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाई गई थी, मैं अंगूरों का गुच्छा तोड़ने के लिये आगे बढ़ा था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 748, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) इसी तरह नबी-ए-करीम (ﷺ) ने मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई, सज्दा नीचे उतर कर किया और बाक़ी नमाज़ मिम्बर पर पढ़ाई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 377, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544)

(12) नमाज़ की तरबियत देना : इमाम की ज़िम्मेदारी है कि मुक़्तदियों को मसनून नमाज़ की मश्क़ कराये और उनके सामने अमली नमूना पेश करे ताकि वह कमा हक़्क़हू सुन्नत के मुताबिक़ नमाज़ अदा कर सकें। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा कर नमाज़ का तरीक़ा सिखाया। देखिये: (बुख़ारी व मुस्लिम, हवाल-ए-मज़्कूरा)

(13) नमाज़ियों की हाज़िरी का जायज़ा लेना : इमाम को मुक़्तदियों का ख़्याल रखना चाहिए और नमाज़ के बाद देखना चाहिए कि कौन नमाज़ में हाज़िर हुआ है और कौन नहीं हुआ। उनसे ग़ैर हाज़िरी की वजह पूछनी चाहिए। इससे उनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और उससे उन्हें तम्बीह होगी और नमाज़ का मज़ीद शौक़ भी पैदा होगा। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 844)

(14) ग़ैर हाज़िरी की सूरत में अपना नाइब मुक़र्रर करना : इमाम जब किसी सफ़र पर जाये, बीमार हो या अलावा किसी उज़्र की वजह से मस्जिद में न आ सके तो उसे चाहिए कि अपना नाइब मुक़र्रर करे जो लोगों को नमाज़ पढ़ाये। नबी-ए-अकरम (ﷺ) जब किसी ग़ज़्वे या किसी और सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपना नाइब मुक़र्रर फ़रमाते। आप (ﷺ) ने कई मर्तबा नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) को अपना नाइब मुक़र्रर किया। हज़रत अनस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) ने इब्ने उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) को अपना नाइब बनाया। वह लोगों की इमामत कराते थे, हालांकि वह नाबीने थे। (सुनन

अबी दाऊद, हदीस़: 595), और रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बनू अम्र बिन औफ़ में सूलह कराने के लिये तशरीफ़ ले गये तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) को अपना नाइब मुक़र्रर फ़रमा कर गये थे। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 719) सुनन नसाई में आप (ﷺ) के अम्र की स़राहत है। देखिये, हदीस़: 794.

मुक़्तदी के आदाब

(1) नमाज़ के लिये सुकून और वक़ार के साथ आना : नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ बड़े सुकून और वक़ार के साथ आना चाहिए। दौड़ कर आना मना है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुम इक़ामत सुनो तो सुकून और वक़ार के साथ नमाज़ की तरफ़ आओ, दौड़ कर न आओ, फिर जितनी नमाज़ तुम्हें इमाम के साथ मिल जाये, पढ़ लो और जो रह जाये उसे पूरा कर लो।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 636, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 602) ताहम बग़ैर दौड़े इतनी तेज़ी से चल कर नमाज़ के लिये आना जायज़ है जो इन्सानी वक़ार के मुनाफ़ी न हो जैसा कि हज़रत अबू राफ़ेअ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र के बाद बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले जाते और मग़रिब के वक़्त वापस तशरीफ़ लाते। एक दफ़ा आप (ﷺ) मग़रिब के वक़्त (नमाज़ के लिये) जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 863)

(2) स़फ़ में दाख़िल होने से पहले नमाज़ शुरू करना : मुक़्तदी को चाहिए कि स़फ़ में शामिल होकर नमाज़ शुरू करें स़फ़ में शामिल होने से पहले ही नमाज़ शुरू करना दुरूस्त नहीं। अबू बक्रा ने स़फ़ में शामिल होने से पहले नमाज़ शुरू कर दी थी, फिर स़फ़ में शामिल हुए तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें आइन्दा ऐसा करने से मना फ़रमा दिया था। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 783)

(3) इमाम की इक़्तेदा करना : मुक़्तदी की इमाम के साथ चार मुमकिना सूरतें हो सकती हैं : मुसाबिक़त, मुक़ारनत, ताख़ीर और इक़्तेदा व मुताबिअत पहली तीनों सूरतें दुरुस्त नहीं, सिर्फ़ आख़री सूरत, यानी इक़्तेदा जायज़ है। और इक़्तेदा का मतलब है कि इमाम के पीछे पीछे तमाम अफ़आल बजा लाना, जैसे: जब इमाम रुकू में जाये तो उसके बाद रुकू में जाया जाये और जब सज्दे में जाये तो उसके बाद सज्दे में जाया जाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'इमाम इसलिये बनाया गया है कि उसकी पैरवी की जाये, लिहाज़ा जब वह तकबीर कह ले तो तुम तकबीर कहो और जब वह सज्दे में चला जाये तो तुम सज्दे में जाओ और जब वह सर उठा ले तो तुम सर उठाओ .....'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 378, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 414)

(4) दूसरी स़फ़ वाले पहली स़फ़ वालों की इक़्तेदा करें : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'आगे आओ (स़फ़े अव्वल में) और मेरी इक़्तेदा करो।**

तुम से पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 438) ये नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है क्योंकि बसा औक़ात इमाम से आवाज़ के साथ इक़्तेदा में सबक़त हो जाती है जो कि नाजायज़ है। पहली सफ़ वाले इमाम को देख कर अफ़आल बजा लायें और दूसरी वाले पहली सफ़ को देख कर, इसी तरह आख़री सफ़ तक।

(5) **लुक़्मा देना :** इमाम नमाज़ में भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना चाहिए : अगर इमाम क़िराअत में भूल जाये तो आयात पढ़ कर सुनाये और अगर किसी और चीज़ में भूल जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह कहे और औरत उल्टे हाथ से ताली बजाये। नबी (ﷺ) ने एक दफ़ा नमाज़ में क़िराअत फ़रमाई और उसमें से कुछ आयात छूट गईं। फ़रागत के बाद एक आदमी ने नबी (ﷺ) को बताया कि आप फ़ुलां फ़ुलां आयत छोड़ गये हैं तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तो तूने मुझे याद क्यूँ न करा दीं?'** (सुनन अबी दाऊद: 907)

(6) **जमाअत के पीछे खड़े होकर इन्फ़िरादी नमाज़ पढ़ना :** जब जमाअत हो रही हो तो उस वक़्त जमाअत के साथ मिलकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। इन्फ़िरादी तौर पर सुन्नतें वग़ैरह नहीं पढ़नी चाहिए अगरचे सुबह की नमाज़ ही की हों। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब फ़र्ज़ नमाज़ की इक़ामत कह दी जाये तो फिर (उस) फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई और नमाज़ नहीं होती।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 710)

हज़रत इब्ने बुहैना (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि सुबह की इक़ामत हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि मुअज़्ज़िन इक़ामत कह रहा था। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तू सुबह की नमाज़ चार रकअत पढ़ेगा?'** (सुनन नसाई, हदीस: 868) ये रिवायत इस बात में सरीह है कि इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्नतें भी शुरू नहीं करनी चाहिए चे जाए कि जमाअत हो रही हो जैसा कि अहनाफ़ का मौक़िफ़ है।

(7) **इमाम की आमद से पहले जमाअत खड़ी करना :** मुक़र्रर इमाम के आने से पहले ही किसी को इमाम बनाकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं जबकि मुक़र्रर इमाम लेट भी न हों नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने किसी के दाइर-ए-इक़्तेदार में बग़ैर इजाज़त के इमामत कराने से मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 673) अगर इमाम वक़्त से ज़्यादा लेट हो जाये तो फिर हाज़िरीन अपने में से अफ़ज़ल आदमी को इमामत के लिये आगे करें जैसा कि ग़ज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) से ताख़ीर हुई तो सहाब-ए-किराम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) को इमामत के लिये आगे किया और उन्होंने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। नबी-ए-अकरम (ﷺ) दौराने नमाज़ में पहुँचे और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) के पीछे नमाज़ पढ़ी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (81) 274)

इमाम साहिब ने इस किताब में बा'जमाअत नमाज़ के भी चन्द अहकाम बयान किये हैं। नीचे उनका निहायत इख़्तेसार से ज़िक्र किया जाता है:

(8) **जमाअत की फ़ज़ीलत :** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया : **'बा'जमाअत नमाज़, इन्फ़िरादी नमाज़ से सत्ताइस (27) दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 645, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 650) और सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में पच्चीस (25) दर्जे का ज़िक्र है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 649) दोनों हदीसों के दरम्यान उलमा-ए-किराम ने मुख़्तलिफ़ तत्बीक़ात दी हैं जो हदीस : 740 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती हैं।

(9) **नमाज़ बा'जमाअत छोड़ने पर वईद :** हज़रत अबू दरदा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिस किसी बस्ती या सहरा में तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और उनमें नमाज़ (बा'जमाअत) क़ाइम न की जाती हो तो यक़ीनन उन पर शैतान ग़ालिब आ जाता है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 547) इसलिये जमाअत को तर्क करना दुरुस्त नहीं। इसका एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे दो आदमी ही हों क्योंकि दो आदमियों की जमाअत भी हो जाती हैं तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

(10) **जमाअत से पीछे रहने पर वईद :** जमाअत से पीछे रहने पर बहुत सख़्त वईद है क्योंकि नबी -ए-अकरम (ﷺ) ने इरादा फ़रमाया था कि जो लोग मस्जिद में जमाअत के लिये हाज़िर नहीं होते, मैं उन पर उनके घरों को जला दूं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 644) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: अगर तुम घरों में (फ़र्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे और मस्जिद में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने नबी का मारूफ़ तरीक़ा छोड़ बैठोगे और अगर तुमने नबी का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे (सहीह मुस्लिम, हदीस: 654) और फ़रमाते हैं कि जमाअत से सिर्फ़ मुनाफ़िक़ आदमी ही पीछे रहता और मरीज़ आदमी दो आदमियों के सहारे चल कर मस्जिद में आता था। (हवाल-ए-मज़्कूर)

(11) **जमाअत का सवाब पाने की हद :** हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने अहसन अन्दाज़ से वुज़ू किया, फिर (जमाअत के इरादे से) मस्जिद की तरफ़ चला और लोगों को इस हाल में पाया कि वह नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह तआला उसके लिये जमाअत में हाज़िरीन जैसा सवाब लिख देता है। इससे उनके सवाब में कमी नहीं आती।'** (सुनन नसाई, हदीस: 856) क्योंकि उस आदमी ने जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की नियत की थी, फिर कोई कोताही भी नहीं की और उसके पहुँचते पहुँचते जमाअत निकल गई, लिहाज़ा ऐसे शख़्स को नमाज़ बा'जमाअत का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है।

(12) फ़ौत शुदा नमाज़ की जमाअत : अगर चन्द आदमियों की इकट्ठी नमाज़ रह जाये तो वह जमाअत करा के नमाज़ अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷺ) की जब सफ़र में नमाज़ रह गई थी तो उन्होंने बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 595) इसी तरह ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ के मौक़े पर फ़ौतशुदा नमाज़ें भी बा'जमाअत अदा की गई थीं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 596, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 631) इस मसले में कुछ तफ़्सील है जो हदीस: 622 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती है।

(13) नफ़ल नमाज़ की जमाअत : नफ़ल नमाज़ की जमाअत दुरुस्त है। बहुत सी अहादीस इस पर दलालत करती हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत इत्बान बिन मालिक (ﷺ) के घर आकर उन्हें नफ़ल नमाज़ की जमाअत कराई थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 33, हदीस: 657)

(14) उज़्र की बिना पर जमाअत तर्क करना : उज़्र की बिना पर जमाअत से पीछे रहना जायज़ है, जैसे: क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हो या शदीद भूख लगी हो और खाना हाज़िर हो या बारिश या आँधी वग़ैरह हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि वह हज या उम्रे के लिये निकले, उनकी मईयत में कुछ और लोग भी थे और आप उनके इमाम थे। एक दिन नमाज़े फ़ज्र की इक़ामत हुई तो उन्होंने कहा: तुममें से कोई आगे हो (और नमाज़ पढ़ाये) और ख़ुद क़ज़ा-ए-हाजत के लिये चल दिये और कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमा रहे थे: **'जब तुममें से किसी को बैतुल ख़ला जाने की ज़रूरत हो और नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो उसे चाहिए कि वह पहले क़ज़ा-ए-हाजत के लिये जाये।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 88) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब रात का खाना (पक कर) सामने आ जाये और उधर जमाअत खड़ी हो जाये तो पहले खाना खाओ।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 557) और हज़रत अबू मलीह अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हुनैन में थे कि हम पर बारिश बरसने लगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने ऐलान किया कि अपने अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़ लो। (सुनन नसाई, हदीस: 855)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الإمامة

इमामत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب (١): ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

बाब : (1) इमामत और जमाअत के मसाइल इल्म व फ़ज़ीलत वाले लोगों को इमाम बनाना चाहिए

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ . فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ .

(778) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुए तो अन्सार ने कहा: एक अमीर हममें से होगा और एक तुम (मुहाजिरीन) में से। हज़रत उमर (ﷺ) उनके पास आये और फ़रमाया: क्या तुम जानते नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) को हुक्म दिया था कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ायें। तो तुम में से कौन चाहेगा कि अबू बक्र से आगे बढ़े? उन्होंने कहा: हम इस बात से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं कि हम हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से आगे बढ़ें।

(778) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/396, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 853.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अन्सार ये समझते थे कि चूंकि मदीना मुनव्वरा असलन हमारी बस्ती है, लिहाज़ा अमीर (रसूलुल्लाह (ﷺ) का जानशीन) हममें से होना चाहिए लेकिन ये सिर्फ़ शहरे मदीना के अमीर के इन्तेख़ाब का मसला नहीं था बल्कि पूरी मम्लकते इस्लामिया के अमीर का मसला था। ज़ाहिर है कि मम्लकते इस्लामिया का अमीर ऐसा शख़्स होना चाहिए था जिसे वसीअ तर पैमाने पर सियासी हिमायत हासिल हो और उसका ताल्लुक़ ऐसे क़बीले से हो जिसे शोहरत, सयादत और इज़्ज़त कम अज़ कम अरबों की हद तक ज़रूर हासिल हो क्योंकि उस वक़्त इस्लाम अरबों ही तक महदूद था और उस दौर में कुरैश के अलावा कोई क़बीला इन शराइत पर पूरा न उतरता था। बैतुल्लाह के मुतवल्ली होने

की वजह से उन्हें पूरे अ़रब में बेपनाह इ़ज़्ज़त व एहतिराम हासिल था। उनकी सयादत को सब अ़रब मानते थे और वह पूरे अ़रब में मशहूर मारूफ़ थे। ये चीज़ें अन्सार को हासिल न थीं, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेशगोई या रहनुमाई फ़रमा दी थी: 'ख़ुलफ़ा क़ुरैश से होंगे।' (मुसनद अहमद: 3/129, व मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस़: 2247) और क़ुरैश में से हज़रत अबू बक्र (رضی الله عنه) को जो मक़ाम हासिल था, वह किसी और को न था। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, नबूवत से पहले भी आपके दोस्त, तादमे वफ़ात आपके साथी और मुशीर आपके ससुरहिज्रत में आपके रफीक, अशर-ए-मुबश्शरा में अव्वलीन शख़्सियत, तक़्वा व सख़ावत और दूर अन्देशी में तमाम स़हाबा से फ़ाइक़ और सबके नज़दीक मोहतरम व मुकर्रम, इन्हीं वुजूहात की बिना पर नबी (ﷺ) ने अपनी बीमारी के दिनों में उन्हें इमामत के लिये मुक़र्रर फ़रमाया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 678, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 418) ये वाज़ेह इशारा था कि आइन्दा अमीर और ख़लीफ़ा भी अबू बक्र सिद्दीक़(رضی الله عنه) ही होंगे क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अमीर कोई और हो और जमाअत कोई और कराये अन्सार इस तरफ तवज्जा नहीं कर सके हज़रत उमर के तवज्जा दिलाने से अन्सार के ज़हन में ये नुक्ता आ गया और मसला हल हो गया। **(2)** हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضی الله عنه) को इमामत के लिये मुक़र्रर फ़रमाने से मालूम होता है कि अहले इल्म व फ़ज़्ल ही को इमामत जैसे जलीलुल क़द्र मन्सब पर फ़ाइज़ किया जाना चाहिए, और आ़लम को अक़्रा पर तर्जीह देना जायज़ है जब दीगर मक़ासिद मद्दे नज़र हों क्योंकि अक़्रा तो स़ही हदीस़ की रू से उबय बिन कअ़ब (رضی الله عنه) थे। (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 3790, 3791, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 154) जबकि मुत्लक़न आ़लम को अक़्रा पर मुक़द्दम करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि अबू बक्र सिद्दीक़ (رضی الله عنه) की तक़दीम का मक़सद सिर्फ़ नमाज़ की इमामत न था बल्कि ये इमामते कुब्रा, यानी उनकी ख़िलाफ़त की तरफ़ भी इशारा था। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (2) ज़ालिम अइम्मा (हुक्काम) के पीछे नमाज़ पढ़ना

باب (٢): الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

(779) हज़रत अबुल आलिया बर्रा ने कहा कि एक दिन ज़ियाद (गवर्नर कूफ़ा व बस़रा) ने नमाज़ को मुअख़्ख़र किया तो मेरे पास अब्दुल्लाह बिन स़ामित आये, मैंने उनके लिये कुर्सी रखी। वह उस पर बैठ गयें मैंने उनसे ज़ियाद के इस फ़ेअ़ल का ज़िक्र किया तो उन्होंने अपने होंट काटे और मेरी रान पर हाथ मारा और कहने

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، قَالَ أَخَّرَ زِيَادٌ الصَّلَاةَ فَأَتَانِي ابْنُ صَامِتٍ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ

وَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي " .

लगे: मैंने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से ये मसला पूछा था जिसे कि तूने मुझसे पूछा है तो उन्होंने मेरी रान पर इसी तरह हाथ मारा था जिस तरह मैंने तेरी रान पर मारा है और फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) से ये मसला पूछा था जैसा कि तूने मुझसे पूछा है तो आपने भी मेरी रान पर हाथ मारा था जिस तरह मैंने तेरी रान पर मारा है और आप(ﷺ) ने फ़रमाया था: 'वक़्त पर नमाज़ पढ़ लेना, फिर अगर उन (मुअख़्ख़र करने वालों) के साथ नमाज़ पा ले तो उनके साथ भी पढ़ लेना। ये न कहना कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है, लिहाज़ा मैं (उनके साथ) नहीं पढ़ूंगा।'

(779) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 648/242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 854.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावि-ए-हदीस (बर्रा) हैं (तीर ठीक करने वाले) न कि हज़रत बराअ बिन आज़िब सहाबी (ﷺ) (2) होंट काटना अफ़सोस की बिना पर था कि उमरा (हुक्मरान) नमाज़ वक़्त से मुअख़्ख़र कर देते हैं और रान पर हाथ मारना मुतनब्बा करने के लिये था कि उमरा के इस फ़ेअल की बिना पर उनसे बग़ावत जायज़ न होगी। (3) वह (उमरा) नमाज़ को अव्वल और मोताद (फिक्स) वक़्त से मुअख़्ख़र करते थे, तभी वक़्त पर पढ़ने का हुक्म दिया गया। हो सकता है कि वक़्ते मुख़्तार से मुअख़्ख़र करते हों वक़्ते मुख़्तार से ताख़ीर कभी कभार तो जायज़ है मगर हमेशा के लिये आदत बना लेना दुरुस्त नहीं। (4) वक़्त पर नमाज़ पढ़ना तो नमाज़ की हिफ़ाज़त के लिये है जब कि बाद में उमरा के साथ नमाज़ पढ़ना फ़ित्ने से बचने के लिये है कि बग़ावत के जरासीम परवरिश न पायें। अगर इमाम मुक़र्रर करने का इख़्तियार हो तो सालेह और आलिम शख़्स ही को मुक़र्रर करना चाहिए लेकिन अगर ये इख़्तियार न हो या इमाम बिल जब्र मुसल्लत हो जाये और उसकी मुख़ालिफ़त मुमकिन न हो या मुमकिन तो हो मगर उससे फ़ित्ने का ख़दशा हो तो हदीस में बताये हुए तरीक़े पर अमल किया जाये। मुस्तक़िल तौर पर घर में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि जमाअत से महरूमी बहुत से मफ़ासिद का ज़रिया बन सकती है, लिहाज़ा बड़े नुक़सान से बचने के लिये छोटा और थोड़ा नुक़सान क़बूल कर लिया जाये।

(780) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शायद तुम ऐसे लोगों को पाओ जो बे'वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे। अगर तुम पर ऐसा दौर आ जाये तो नमाज़ वक़्त पर पढ़ लिया करना, फिर उनके साथ भी पढ़ लेना और उसे नफ़ल समझ लेना।

(780) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1255, व इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1640.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साबित हुआ कि अगर इमाम में कोई ख़राबी हो तो मुक़्तियों की नमाज़ हो जायेगी। इमाम की कमी बेशी का सवाल उससे होगा, लिहाज़ा किसी इमाम के पीछे इस बिना पर नमाज़ पढ़ने से इन्कार न किया जाये कि इसमें फुलां ख़राबी या ऐब है। एबों से मुनज़्ज़ा (पाक) तो अल्लाह तआला ही की ज़ाते अक़्दस है। (2) अगर एक दफ़ा वक़्त पर नमाज़ पढ़ ली जाये, फिर जमाअत की फ़ज़ीलत हासिल करने के लिये या फ़ित्ने से बचने के लिये दोबारा पढ़नी पड़े तो दूसरी नमाज़ नफ़ल होगी, फ़र्ज़ पहली होगी। ज़ालिम और फ़ासिक़ की इमामत के मुताल्लिक़ मज़ीद तफ्सील के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया देखिये।

बाब : (3)
इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है?

باب (٣): مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

(781) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगों की इमामत वह शख़्स कराये जो उनमें से अल्लाह तआला की किताब को ज़्यादा पढ़ने वाला हो। अगर वह क़िराअत में बराबर हों तो जिसने पहले हिजरत की हो। अगर वह हिजरत में भी बराबर हों तो जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत को ज़्यादा जानता हो। अगर सुन्नत के इल्म में भी बराबर हों तो जो उम्र में बड़ा हो। और तू किसी शख़्स की सल्तनत व इख़्तियार में उसकी इमामत न करा और न

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا

وَلاَ تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ " .

उसकी मस्नदे इज़्ज़त पर बैठ, मगर ये कि वह तुझे इजाज़त दे।'

(781) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 855.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सुनन कुब्रा में भी मौजूद है, दोनों जगह (सुग़रा और कुबरा में) आमश से बयान करने वाले फ़ुज़ैल बिन अयाज़ हैं जो (أقرأ) के बाद (أقدمهم في الهجرة) और उसके बाद (أعلمهم بالسنة) का दर्जा बयान करते हैं, जबकि यही रिवायत सहीह मुस्लिम में भी है। वहाँ आमश से रिवायत करने वाले अबू ख़ालिद अहमद हैं जो (أقرأ) के बाद (أعلمهم بالسنة) का दर्जा बयान करते हैं और उसके बाद (أقدمهم في الهجرة) का। इस रिवायत के दीगर तुरुक पर ग़ौर करने से पता चलता है कि आमश के बाक़ी शागिर्द: अबू मुआविया, जरीर, इब्ने फ़ुज़ैल, सुफ़ियान और अब्दुल्लाह बिन नुमैर वग़ैरह अबू ख़ालिद अहमद की मुताबिक़त करते हैं जो (أعلمهم بالسنة) का दूसरा दर्जा बयान करता है और फ़ुज़ैल बिन अयाज़ की मुख़ालिफ़त करते हैं तो साबित हुआ कि फ़ुज़ैल बिन अयाज़ (أعلمهم بالسنة) से (أقدمهم في الهجرة) को मुक़द्दम बयान करने में मुतफ़र्रिद (तन्हा) है जबकि फ़िल हक़ीक़त (أعلمهم بالسنة) से मुक़द्दम है जैसा कि आमश के दीगर हुफ़्फ़ाज़ शागिर्द बयान करते हैं, लिहाज़ा पहला दर्जा (أقرأهم لكتاب الله) का है, दूसरा (أعلمهم بالسنة) का, तीसरा (أقدمهم في الهجرة) और चौथा उम्र में बड़े का। (2) इमाम किसी न किसी फ़ज़ीलत में मुक़्तदियों से ज़्यादा होना चाहिए, इल्म हो या मर्तबा या उम्र। हिजरत भी मर्तबा और फ़ज़ीलत में इज़ाफ़े का मोजिब है। (3) इस दर्जाबन्दी से मालूम हुआ कि जो हिफ़्ज़ व क़िराअत में मुक़द्दम हो और उसे क़ुरआन मजीद ज़्यादा याद हो, इमामत के लिये उसे ही आगे किया जायेगा। जो सिर्फ़ आलिमे दीन हो, सुन्नत की मारिफ़त ज़्यादा रखता हो, उसका दर्जा क़ारि-ए-क़ुरआन के बाद है, बशर्ते कि वह नमाज़ के वाजिबात व अरकान से वाक़िफ़ हो। अगर ये अहलियत न रखता हो तो उसे उसकी तर्बीयत दी जाये क्योंकि इमामत का ज़्यादा हक़दार वही है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अम्र बिन सलमा के क़बीले के अफ़राद को भी इस बात की तल्क़ीन की थी, हालांकि अफ़रादे क़बीला उनसे आलम (इल्म में फ़ाइक़) थे और उम्र में भी बड़े, चूंकि अम्र बिन सलमा छः सात साल के थे, इसलिये बड़ों ने पहले उनकी तर्बीयत की और बाद में इमामत के लिये आगे किया। याद रहे! दीगर कुछ मक़ासिद के पेशे नज़र सिर्फ़ आलिमे दीन को भी इमामत के लिये आगे किया जा सकता है, और ये मसला वहाँ क़ाबिले अमल है जहाँ किसी का बा'क़ायदा तक़र्रुर न हो, यानी अगर किसी की बा'क़ायदा इमाम की हैसियत से नमाज़ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी हो तो उसको मुक़द्दम किया जायेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि इस अज़ीम मन्सब के लिये किसी साहिबे इल्म व दीन और हाफ़िज़े क़ुरआन ही का इन्तेख़ाब किया जाये। (4) किसी की सल्तनत व इमामत वाली जगह में बिला इजाज़त

इमामत मना है। जब वह ख़ुद इजाज़त दे या दरख़्वास्त करे तो इमामत भी करा सकता है और उसकी मस्नद पर बैठ भी सकता है, जैसे उस्ताद व शागिर्द। कुछ हज़रात ने इजाज़त की क़ैद सिर्फ़ मसनद पर बैठने के लिये क़रार दी है गोया इमामत इजाज़त के साथ भी नहीं करा सकता मगर ये बात सही नहीं और न नबी (ﷺ) के अमल से उसकी ताईद होती है बल्कि कुछ मौक़े पर नाक़ाबिले अमल भी है, जैसे: तरावीह वग़ैरह में हाफ़िज़, इमामे वक़्त की इमामत करा सकता है।

बाब : (4) बड़ी उम्र वाले को आगे किया जाये

باب (۴): تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي - وَقَالَ مَرَّةً أَنَا وَصَاحِبٌ لِي - فَقَالَ " إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا "

(782) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैं और मेरा एक चचाज़ाद भाई या साथी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये तो आपने फ़रमाया: 'जब सफ़र में नमाज़ का वक़्त हो जाये तो अज़ान कहना और जो तुममें बड़ा हो वह इमामत कराये।'

(782) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 635, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 858.

फ़ायदा : बड़ी उम्र वाला इमामत उस वक़्त करायेगा जब सब इल्म में बराबर हों। ये दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए, इकट्ठे आये और इकट्ठे आपके पास रहे, लिहाज़ा इल्म में बराबर थे।

बाब : (5) जब चन्द लोग किसी जगह जमा हों और वहाँ उनकी हैसियत यकसां हो तो?

باب (۵): اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ "

(783) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तीन आदमी हों तो उनमें से एक इमामत कराये और इमामत का ज़्यादा हक़दार उनमें से वह है जो उनमें से ज़्यादा क़ुर्आन पढ़ने वाला हो।'

(783) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:672, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 857.

बाब : (6) जब चन्द लोग जमा हों और उनमें हाकिम भी हो तो?

باب (٦): اجْتِمَاعُ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

(784) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी साहिबे इक़्तेदार शख़्स की सल्तनत में उसकी इमामत न कराई जाये और न उसकी मस्नदे ख़ास पर बैठा जाये मगर उसकी इजाज़त से।'

(784) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 781, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 858.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

फ़ायदा : यानी जब मुख़्तलिफ़ लोग जमा हों और हुक्मरान या वाली भी मौजूद हो तो बिला इम्तियाज़ कोई भी उसकी इजाज़त के बग़ैर इमामत नहीं करा सकता, इमाम साहिब (رحمه الله) का तर्जुमतुल बाब से यही मक़सद मालूम होता है। लेकिन ये तब है जब हुक्मरान दीनदार और बा'शरअ हो, फ़ासिक़ हुक्मरान की इमामत मुराद नहीं क्योंकि ज़ेरे बहस उसूल वुजूबात और मसाइल का इन्तिबाक़ तभी मुमकिन है जब मुआशरा इस्लामी और हुक्मरान दीनदार हो। कुछ ने (فِي سُلْطَانِهِ) से किसी का दायरा इख़्तियार मुराद लिया है, मारूफ़ मानी सल्तनत या हुक्मरानी मुराद नहीं लिये, तब इससे सिर्फ़ हुक्मरान या साहिबे इक़्तेदार शख़्स मुराद न होगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (7) जब रिआया में से कोई शख़्स (इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर हाकिम आ जाये तो क्या वह पीछे हटे?

باب (٧): إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

(785) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये इत्तिला पहुँची कि बनू अम्र बिन औफ़ (अहले क़ुबा) के दरम्यान कुछ झगड़ा हुआ है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये निकले। आपके साथ कुछ और लोग भी थे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) को वहाँ देर हो गई और ज़ुहर की

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي

أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَانَتِ الأُولَى فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ . فَأَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ بِالنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ

नमाज़ का वक़्त हो गया। हज़रत बिलाल (ﷺ) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ अबू बक्र! रसूलुल्लाह (ﷺ) तो वहाँ रुक गये हैं और नमाज़ का वक़्त हो गया है तो क्या आप लोगों को नमाज़ पढ़ायेंगे? वह फ़रमाने लगे: अगर तुम चाहो तो ठीक है। हज़रत बिलाल(ﷺ) ने इक़ामत कही। हज़रत अबू बक्र(ﷺ) आगे बढ़े और अल्लाहु अकबर कहा (इतने में) रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और सफ़ों में से गुज़रते हुए पहली सफ़ में आ खड़े हुए। हज़रत अबू बक्र को मुतवज्जा करने के लिये) लोगों ने तालियाँ बजाना शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) नमाज़ में इधर उधर तवज्जा नहीं करते थे। जब लोगों ने कस़रत से ऐसा किया तो उन्होंने तवज्जा फ़रमाई वहाँ अल्लाह के रसूल (ﷺ) खड़े थे। रसूलुल्लाह ने उन्हें इशारे से हुक्म दिया कि नमाज़ पढ़ाते रहें मगर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ने अपने हाथ उठाये और अल्लाह (عزوجل) की हम्द व तारीफ़ की (कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इमामत के लाइक़ समझा) और उल्टे पाँव पीछे हट आये और सफ़ में मिल गये। रसूलुल्लाह(ﷺ) आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब फ़ारिग़ हुए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'ऐ लोगो! तुम्हें क्या हुआ? जब तुम्हें नमाज़ में कोई ज़रूरत पेश आई तो तुमने तालियाँ बजाना शुरू कर दीं। (ऐसी सूरत में) ताली बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये है। जिस आदमी को नमाज़ में कोई हाजत पेश आये तो (इमाम को

فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلاَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

मुतवज्जा करने के लिये) वह 'सुब्हानल्लाह' (अल्लाह पाक और मुनज़्ज़ा है) कहे। जूं ही कोई उसे 'सुब्हानल्लाह' कहता सुनेगा, उसकी तरफ़ मुतवज्जा होगा।' (फिर अबू बक्र (ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जा होकर फ़रमाया:) 'ऐ अबू बक्र! तुझे नमाज़ पढ़ाने से कौन सी चीज़ मानेअ हुई जब कि मैंने तुझे इशारा कर दिया था?' अबू बक्र (ﷺ) ने कहा: अबू क़ुहाफ़ा के बेटे (अबू बक्र (ﷺ) को लायक़ न था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में जमाअत कराये। (और आपसे आगे खड़ा हो।)

(785) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1234, व मुस्लिम, हदीस: 421/103, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 859.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहिब और अरबाबे इख़्तियार सिर्फ़ इस इन्तेज़ार में न रहें कि लोग लड़ने के बाद आयेंगे तो फ़ैसला करूंगा बल्कि झगड़े की इत्तिला मिलने पर फ़ौरन कार्रवाई करें और सुलह की कोशिश करें। **(2)** कुछ रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद ही हज़रत बिलाल(ﷺ) से फ़रमाया था कि अगर मुझे देर हो जाये तो अबू बक्र से कहना जमाअत करा दे। **(3)** दौराने नमाज़ में सफ़ों को काटने और लोगों की गर्दनें फलांगने की मुमानिअत है क्योंकि ऐसा करना नमाज़ियों की तकलीफ़ का बाइस है लेकिन इस हदीस से मालूम हुआ कि ब'वक़्ते ज़रूरत उसे अपना नाइब बना सके या वह शख़्स अगली सफ़ में मौजूद ख़ला को पुर करना चाहता हो तो ऐसी सूरतें इम्तेनाई हुक्म में शुमार नहीं होंगी। याद रहे कि इमाम के सामने मौजूद सुतरा मुक़्तदियों के लिये किफ़ायत करता है जिससे नमाज़ियों के दरम्यान से गुज़रने की गुंजाइश रहती है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/220, तहत हदीस: 684) **(4)** 'ताली बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये है।' ये मानी जुम्हूर अहले इल्म के क़ौल के मुताबिक़ हैं, यानी अगर औरत के लिये इमाम को मुतनब्बा करने की ज़रूरत पेश आये तो वह एक हाथ की पुश्त पर दूसरे हाथ की उंगलियाँ मारे क्योंकि हथेली पर मारना लहो लइब के लिये होता है जो नमाज़ के लाइक़ नहीं। नमाज़ में मज़्कूरा तरीक़ा इख़्तियार किया जायेगा। ताली बजाने का मतलब यही है। इमाम मालिक (رحمه الله) ने इस जुम्ले के मानी यूँ किये हैं। 'ताली बजाना औरतों का काम है।' यानी ये तो औरतों की फ़ुज़ूल आदत है। गोया आप ताली की हुर्मत फ़रमा रहे हैं नमाज़ में ये मर्दों के लिये जायज़ है न औरतों के लिये इमाम मालिक (رحمه الله) के नज़दीक औरतें

भी ज़रूरत के मौक़े पर 'सुब्हानल्लाह' ही कहेंगी लेकिन ये मफ़्हूम सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है जिनमें स़राहत है कि 'मर्द सुब्हानल्लाह' कहें और औरतें ताली बजायें।' देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1253, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 422) इसकी तावील भी नहीं हो सकती। (5) रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) का हाथ उठाकर अपनी बे हैसियती का इज़्हार करना और हम्द व स़ना करना और पीछे हट आना इस तौजीह की ताईद करता है। नमाज़ के बाद आपका इस्तिफसार करना और हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه)का जवाब देना लोगों को इसी तौजीह की तरफ़ मुतवज्जा करने के लिये था। कस्रे नफ़्सी का अ़ज़ीम इज़्हार है कि अपने आपको मारूफ़ नाम से ज़िक्र करने की बजाये 'अबू क़ुहाफ़ा का बेटा' कहा जो ग़ैर मारूफ़ था। (رضي الله عنه) (6) मुस्तक़िल इमाम की जगह मुक़्तदियों में से कोई नमाज़ पढ़ा रहा हो तो जब इमाम आ जाये तो उसका पीछे हटना और मुस्तक़िल इमाम का आगे बढ़ कर इमामत कराना जायज़ है या नहीं? इमाम बुख़ारी (رحمه الله) और दीगर अइम्मा उसे जायज़ क़रार देते हैं जबकि मालकी इसे रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ख़ास़ समझते हैं लेकिन इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ तमाम अहादीस़ और वाक़िआत को जमा किया जाये तो राजेह बात ये मालूम होती है कि मुस्तक़िल इमाम का आगे बढ़ कर इमामत कराना और पहले इमाम का पीछे हटना इस सूरत में जायज़ है जब मुस्तक़िल इमाम नमाज़ के इब्तेदा में आये जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ में है, लेकिन अगर नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा किया जा चुका हो तो इस सूरत में मुस्तक़िल इमाम को आरज़ी इमाम की इक़्तेदा ही में नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए जैसा कि ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) की इमामत में नमाज़े फ़ज्र अदा की थी क्योंकि अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) एक रकअ़त अदा कर चुके थे। अगर इसे मुत्लक़न जायज़ समझ लिया जाये, यानी इमाम नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो, फिर भी आगे पीछे होना जायज़ है, तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है क्योंकि ये बाद में पेचीदगियों का बाइस़ बनेगा, जैसे: सलाम वग़ैरह के मसले में, लिहाज़ा राजेह यही मालूम होता है कि सिर्फ़ इब्तेदा में जायज़ है। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/220)

बाब : (8)इमाम का अपनी रईयत में से किसी आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ना

باب (٨): صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

(786) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि आख़री नमाज़ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों के साथ पढ़ी, वह आपने हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) के पीछे एक कपड़े में पढ़ी थी जिसे आपने अपने जिस्म पर लपेट रखा था।

الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ .

(786) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद: 3/159, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 860, तिर्मिज़ी, हदीस: 363, मुसनद अहमद, हदीस: 3/243.

फ़ायदा : साहिबे फ़ज़ीलत इन्सान या अमीर आम रिआया के किसी फ़र्द के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है, इसमें कोई शरई और अख़्लाक़ी क़बाहत नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर दौराने सफ़र में लश्कर से पीछे रह गये थे। जब वह क़ौम के पास पहुँचे तो उन्हें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप (ﷺ) ने उनकी इक़्तेदा में नमाज़ अदा फ़रमाई। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 274) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की इस नमाज़ के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि आप इसमें इमाम थे या मुक़्तदी? और ये वाक़िया एक दफ़ा का है या दो दफ़ा का? कुछ ने कहा है कि ये वाक़िया दो मर्तबा का है। एक दफ़ा आप (ﷺ) इमाम थे और एक दफ़ा मुक़्तदी। अगर बात ऐसे ही है तो फिर तो इमाम साहिब का इन अहादीस से इस्तेदलाल वाज़ेह है। कुछ ने कहा है कि ये वाक़िया एक दफ़ा का है, लिहाज़ा इस सूरत में आप इमाम थे या मुक़्तदी? इस बारे में रिवायात मुख़्तलिफ़ हैं। कुछ रिवायात के ज़ाहिर से मालूम होता है कि आप (ﷺ) मुक़्तदी थे जैसा कि सुनन नसाई की हदीस: 786, 787 के अल्फ़ाज़ हैं लेकिन राजेह बात ये मालूम होती है कि आप (ﷺ) इमाम थे क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम में है कि आप अबू बक्र (ﷺ) की बायें जानिब बैठे और ये बात वाज़ेह है कि इमाम बायें जानिब होता है, और उस रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'अबू बक्र (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ की इक़्तेदा कर रहे थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 713, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 418)

हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम नववी और साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी (رحمهم الله) का रुझान भी इसी तरफ़ है। इस सूरत में इमाम नसाई (رحمه الله) का इन अहादीस से इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। बहरहाल इस बारे में इख़्तिलाफ़ है। दोनों तरफ़ अहले इल्म हैं। किसी एक राय को हतमी कहना मुश्किल है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، - صَاحِبُ الْبَصْرِي - قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، صَلَّى لِلنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ

(787) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़ में थे।

(787) **तख़रीज : (सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 861.

باب (٩): إِمَامَةِ الزَّائِرِ

बाब : (9) मेहमान का इमामत कराना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَطِيَّةَ، مَوْلًى لَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ " .

(788) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'जब तुममें से कोई दूसरे लोगों से मिलने जाये तो उन्हें नमाज़ न पढ़ाये।'

(788) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 596, तिर्मिज़ी, हदीस़: 356, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 862, नैलुल मक़सूद, क़: 1/211.

फ़ायदा : ताहम इमाम की इजाज़त से इमामत करा सकता है। ये रिवायत मुख़्तसर है। देखिये हदीस़ नम्बर: 781 का फ़ायदा नम्बर: 3.

باب (١٠): إِمَامَةِ الأَعْمَى

बाब : (10) नाबीने शख़्स का इमामत कराना

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، . أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا

(789) हज़रत महमूद बिन रबीअ़ (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत इत्बान बिन मालिक (ﷺ) अपनी क़ौम की इमामत कराते थे और वह नाबीने थे। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुज़ारिश की कि कभी अन्धेरा, बारिश या बारिशी पानी होता है और मैं नाबीना शख़्स हूँ (ऐसी हालत में मस्जिद नहीं जा सकता), लिहाज़ा आप मेरे घर में एक जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे मैं अपनी नमाज़ के लिये मुक़र्रर कर लूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम कहाँ चाहते हो कि मैं नमाज़ पढूं?' तो उन्होंने घर में एक जगह की तरफ़ इशारा किया। वहाँ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी।

أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ " . فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(789) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 667, व मुस्लिम, हदीस: 33, मौता: 1/172, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 863.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाबीने की इमामत में इख़्तिलाफ़ है कुछ कहते हैं कि मकरूह है क्योंकि वह नजासत से बच नहीं सकता। कुछ ने इसके बरअक्स कहा है कि इसकी इमामत अफ़ज़ल है क्योंकि नज़र न होने की वजह से इसमें ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ ज़्यादा होगा। ये दोनों क़ौल महज़ राय की बुनियाद पर हैं। सही बात ये है कि नाबीने की इमामत सिर्फ़ जायज़ है, लेकन क़ारि-ए-कुर्आन और परहेज़गार साहिबे इल्म को मुक़द्दम करना अफ़ज़ल है। नजासत तो आँखों वाले को भी लग सकती है बल्कि लग जाती है और नाबीने का वाली भी अल्लाह तआला है और वह उसे बसीरत अता फ़रमाता है। बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा नाबीना थे तो क्या वह पलीद ही रहते थे? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। **(2)** नबी (ﷺ) से घर में नमाज़ की गुज़ारिश बतौर तबर्रुक थी। तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर: 702 का फ़ायदा नम्बर 4, और इस किताब का इब्तेदाइया।

बाब : (11)
नाबालिग़ लड़के का इमामत कराना

باب : (١١)
إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ، قَالَ كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ فَأَتَى أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " . فَجَاءَ أَبِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " . فَنَظَرُوا فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ

(790) हज़रत अम्र बिन सलमा जरमी (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि क़ाफ़िले हमारे पास से गुज़रा करते थे। हम उनसे क़ुर्आन सीख लेते थे। मेरे वालिद मोहतरम नबी (ﷺ) के पास (अपनी क़ौम का नुमाइन्दा बन कर) गये। (वापसी के वक़्त) आपने फ़रमाया: 'तुममें से इमामत वह कराये जो ज़्यादा क़ुर्आन पढ़ा हुआ हो।' मेरे वालिद वापस आये और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'तुम्हारी इमामत वह शख़्स कराये जो क़ुर्आन ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' लोगों ने तलाश किया तो मैं उन सबसे ज़्यादा क़ुर्आन पढ़ा हुआ था,

قُرْآنًا فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ .

लिहाज़ा मैं उनकी इमामत कराता था, हालांकि मैं आठ साल का था।

(790) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 637, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 864.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि बच्चा साहिबे तमीज़ हो और कुर्आन पढ़ा हुआ हो तो इमामत करा सकता है। आम तौर पर सात साल की उम्र को तमीज़ के लिये काफ़ी ख़्याल किया जाता है, तभी तो सात साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ने की तर्ग़ीब दी गई है। अगर सात साल का बच्चा नमाज़ पढ़ सकता है तो पढ़ा क्यूँ नहीं सकता? अहनाफ़ ने नाबालिग़ की इमामत इस बिना पर नाजायज़ क़रार दी है कि उसकी नमाज़ नफ़ल होगी जब कि मुक़्तदी बालिग़ हों तो उनकी नमाज़ फ़र्ज़ होगी। और नफ़ल के पीछे फ़र्ज़ नहीं होते, मगर ये बात बिला दलील है कुछ अहनाफ़ तरावीह वग़ैरह में भी, जो कि नफ़ल हैं, नाबालिग़ की इमामत जायज़ नहीं समझते (فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن) हदीसे रसूल के मुक़ाबले में अपनी राय और क़यास को दख़ल देना निहायत ख़तरनाक है। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया देखिये।

باب (١٢): قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

बाब : (12) जब लोग इमाम को (आता) देखें तब (जमाअत के लिये) खड़े हों

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي " .

(791) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ की इक़ामत कही जाये तो खड़े न हो यहाँ तक कि मुझे (आता) देख लो।'

(791) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 865.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में बसा औक़ात ऐसे होता कि हज़रत बिलाल (ﷺ) आप (ﷺ) को नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देते तो आप फ़रमाते: 'तुम इक़ामत कहो, मैं आ रहा हूँ।' वह आकर इक़ामत कह देते। कभी आपको घर में कुछ देर हो जाती, इसलिये लोगों को बे'फ़ायदा खड़े होने से रोकने के लिये ये इरशाद फ़रमाया। बित्तबअ़ मालूम हुआ कि इक़ामत इमाम की इजाज़त से उसके आने से पहले भी कही जा सकती है।

बाब : (13)इक़ामत के बाद इमाम को कोई ज़रूरत पेश आ जाये तो?

باب (١٣): الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

(792) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा नमाज़ की इक़ामत हो गई जब कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक आदमी से बातें कर रहे थे, चुनांचे आप जमाअत के लिये खड़े न हुए यहाँ तक कि लोग सो गये।

(792) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 376, बुख़ारी, हदीस: 6292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 866.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस आदमी से बात चीत किसी ज़रूरी मसले में होगी, लिहाज़ा कोई ज़रूरत पड़ जाये तो इक़ामत और तकबीरे तहरीमा में फ़ासला हो सकता है बल्कि सफ़ों की तस्हीह व तसींस के लिये इमाम इक़ामत के बाद हिदायात दे सकता है। सफ़ों की दुरुस्ती के बाद तकबीरे तहरीमा कही जाये। (2) 'लोग सो गये।' यानी ऊँघने लगे। अरकाने नमाज़ की हालतों में से किसी हालत में ऊँघना उस वक़्त तक वुज़ू के लिये मुज़िर नहीं जब तक शऊर और फ़हम व इद्राक ज़ाइल (ख़त्म) न हो, यानी गहरी नींद न सोये।

बाब : (14) इमाम को अपनी नमाज़ की जगह खड़े होने के बाद याद आये कि वह तहारत की हालत में नहीं तो ...?

باب (١٤): الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلاَّهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(793) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि नमाज़ की इक़ामत हो गई, लोगों ने सफ़ें दुरुस्त कर लीं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आये यहाँ तक कि जब आप अपने मुसल्ले पर खड़े हो गये तो आपको याद आया कि मैंने (फ़र्ज़) गुस्ल नहीं किया। आपने लोगों से फ़रमाया: 'अपनी अपनी जगह खड़े रहो।' फिर आप घर तशरीफ़ ले गये। वापस लौटे तो आपके

حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ " مَكَانَكُمْ " . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ فَاغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ .

सर मुबारक से पानी के क़तरे गिर रहे थे। (यानी गुस्ल फ़रमा कर आये थे।) जब कि हम उसी तरह सफ़ों में खड़े रहे।

(793) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 605/158, बुख़ारी, हदीस: 640, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 867.

फ़ायदा : ऐसा वाक़िया कभी कभार हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आज कल भी इमाम लोगों को सफ़ों में खड़ा करके नहाने जायें। रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात ही और थी। आपके इन्तेज़ार में तो लोग आधी आधी रात तक बैठे रहते थे। अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये तो इमाम अपनी जगह किसी को खड़ा करके जमाअत शुरू करवाये और ख़ुद चला जाये। (أنزلوا الناس منازلهم) यानी हर शख़्स के साथ उसके मुक़ाम व मर्तबा के मुताबिक़ पेश आना चाहिए। बिल फ़र्ज़ अगर किसी इमाम के मुक़्तदी बख़ूशी उसका इन्तेज़ार करें या कोई और जमाअत के क़ाबिल न हो तो मन्दरजा बाला सूरत पर अमल किया जा सकता है।

باب (١٥): اسْتِخْلاَفِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

बाब : (15)जब इमाम कहीं जाये तो किसी को अपना नाइब मुक़र्रर कर दे

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ " يَا بِلاَلُ إِذَا حَضَرَ الْعَصْرُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . فَلَمَّا حَضَرَتْ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه تَقَدَّمْ . فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ

(794) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि बनू अम्र बिन औफ़ में लड़ाई झगड़ा हो गया। ये बात नबी (ﷺ) तक पहुँची तो आप ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उनमें सुलह करवाने तशरीफ़ ले गये, फिर आपने बिलाल(رضی اللہ عنہ) से फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! अगर अस्र का वक़्त हो जाये और मैं न आ सकूं तो अबू बक्र (رضی اللہ عنہ) से कहना कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।' जब नमाज़ का वक़्त हो गया तो बिलाल(رضی اللہ عنہ) ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही और अबू बक्र (رضی اللہ عنہ) से कहा: आगे तशरीफ़ लाइये। अबू बक्र (رضی اللہ عنہ) आगे बढ़े और नमाज़ शुरू कर दी। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़

يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ التَّصْفِيحَ لاَ يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ امْضِهْ ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبَيْهِ فَتَأَخَّرَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ " . فَقَالَ لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ لِلنَّاسِ " إِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ " .

ले आये। आप लोगों में से गुज़रते हुए अबू बक्र(ﷺ) के पीछे जा खड़े हुए। लोगों ने तालियाँ बजाना शुरू कर दीं। और अबू बक्र (ﷺ) जब नमाज़ शुरू कर लेते थे तो इधर उधर तवज्जा न फ़रमाते थे। लेकिन जब अबू बक्र (ﷺ) ने देखा कि तालियाँ रुक ही नहीं रहीं तो उन्होंने तवज्जा की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हाथ से उन्हें इशारा किया कि नमाज़ पढ़ाते रहें लेकिन अबू बक्र (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस (हाली) फ़रमान पर अल्लाह (عزوجل) का शुक्र अदा किया, फिर उल्टे पाँव चलते हुए पीछे हट आये। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सूरते हाल देखी तो आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमाया: 'ऐ अबू बक्र! तुझे कौन सी चीज़ मानेअ (रुकावट) हुई कि तूने जमाअत जारी न रखी जबकि मैंने तुझे इशारा कर दिया था?' उन्होंने कहा: अबू क़ुहाफ़ा के बेटे के लिये मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की इमामत कराये। फिर आप (ﷺ) ने लोगों से फ़रमाया: 'जब तुम्हें (इमाम को मुतवज्जा करने की) कोई ज़रूरत पेश आये तो मर्द 'सुब्हानल्लाह' कहें और औरतें ताली बजायें।'

(794) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 7190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 868.

फ़ायदा : अकेले आदमी को नमाज़ के दौरान में इधर उधर तवज्जा नहीं करनी चाहिए मगर इमाम को मुक़्तदियों की तरफ़ भी तवज्जा रखनी चाहिए। इसी तरह मुक़्तदियों को इमाम की तरफ़ तवज्जा रखनी चाहिए ताकि सही मानों में नमाज़ बा'जमाअत अदा हो। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस: 785)

बाब : (16) इमाम की इक़्तेदा करना

باب(١٦): الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ

(795) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक घोड़े से अपने दायें पहलू पर गिर पड़े। सहाब-ए-किराम (ﷺ) आपकी बीमार पुर्सी के लिये आपके यहाँ हाज़िर हुए। नमाज़ का वक़्त हो गया। जब आपने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो फ़रमाया: 'इमाम इसलिये बनाया जाता है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा जब वह रुकू में चला जाये तो तुम रुकू करो, जब सर उठा ले तो तुम सर उठाओ। जब सज्दे के लिये जा चुके तो तुम सज्दा करो। और जब वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा (अल्लाह ने उस शख़्स की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की) कहे तो तुम रब्बाना लकल हम्द (ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये तारीफ़ है) कहो।'

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " .

(795) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 805, व मुस्लिम, हदीस: 411, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 869.

फ़ायदा : इस हदीस से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अरकान की अदायगी में इमाम से सबक़त करना तो नाजायज़ है लेकिन बराबरी जायज़ है, यानी इमाम के साथ साथ चलने में क़बाहत नहीं। ये एक एहतिमाल है जो, दुरुस्त नहीं जिस तरह इमाम से सबक़त नाजायज़ है, उसी तरह उसकी बराबरी भी मम्नूअ है। इसकी दलील मन्दरजा ज़ेल (नीचे लिखी) हदीस है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रुकू न करो जब तक इमाम रुकू न करे .... और न सज्दा करो जब तक वह सज्दा न करे ....' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 603) ये इस बात की बय्यन (वाजेह) दलील है कि इमाम से न सबक़त जायज़ है और न उसकी बराबरी। वल्लाहु आलम!

बाब : (17) उनकी इक़्तेदा करना जो इमाम की इक़्तेदा करें

باب (١٧): الائتمام بمن يأتم بالإمام

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ " تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

(796) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने देखा कि आप के अस्हाब कुछ पीछे पीछे रहते हैं (सफ़े अव्वल में शरीक नहीं होते) आपने फ़रमाया: 'आगे बढ़ो (सफ़े अव्वल में खड़े हुआ करो) और मेरी इक़्तेदा किया करो। तुमसे पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक़्तेदा करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो (अगली सफ़ों से) पीछे ही रहते हैं यहाँ तक कि अल्लाह तआला भी उन्हें (अपनी रहमत, अपने फ़ज़्ल और बुलन्दि-ए-दर्जात वग़ैरह में) पीछे कर देता है।'

(796) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 870.

फ़ायदा : पहली सफ़ इमाम को देख और सुनकर उसकी इक़्तेदा करे। दूसरी सफ़ पहली सफ़ को देख कर उनकी इक़्तेदा करें इस तरह आख़री सफ़ तक। ये नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन सूरत है। अगर सिर्फ़ आवाज़ सुनकर इक़्तेदा की जाये तो उससे बसा औक़ात इमाम से पहल भी हो जाती है और बदनज़्मी का मुज़ाहिरा भी होता है, इसलिये आपने समझदार लोगों के लिये हिदायत फ़रमाई कि तुम मेरे क़रीब खड़े हुआ करो ताकि मेरी सही इक़्तेदा हो सके। इस जुम्ले के दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि तुम अच्छी तरह मुझसे तर्बीयत हासिल करो ताकि बाद में आने वाले लोग (ताबेईन) तुम्हारी इक़्तेदा करें।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، نَحْوَهُ .

(797) अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने जुरैरी से, उन्होंने अबू नज़रा से इसी तरह (इस रिवायत के हम मानी) बयान किया।

(797) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 781, मुस्लिम, हदीस: 438.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَدَىْ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

(798) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को हुक्म दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। आयशा(ﷺ) ने फ़रमाया: नबी (ﷺ) अबू बक्र(ﷺ) से आगे थे, चुनांचे आप (ﷺ) ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी। अबू बक्र (ﷺ) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और लोग अबू बक्र (ﷺ) के पीछे थे।

(798) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 872, व मुस्लिम, हदीस: 418, देखें हदीस: 835 में।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़्यादा सही रिवायात के मुताबिक़ हज़रत अबू बक्र (ﷺ) की दायीं जानिब बराबर खड़े थे। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) का रुझान इसी तरफ़ है। तर्जुमतुल बाब में फ़रमाते हैं: 'मुक़्तदी इमाम के बिल्कुल बराबर दायीं जानिब खड़ा होगा जबकि (नमाज़ पढ़ते वक़्त) सिर्फ़ दो हों।' (सहीह बुख़ारी, अज़ान, बाब: 57) इसकी दलील इब्ने अब्बास (ﷺ) की तवील हदीस है। मुसनद अहमद में सही सनद के साथ ये इज़ाफ़ा भी मौजूद है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या वजह है मैं तुझे अपने बराबर खड़ा करता हूँ और तू पीछे हटता है।' (मुसनद अहमद: 1/330) इसकी मज़ीद ताईद इस असर से होती है कि एक दफ़ा हज़रत उमर (ﷺ) के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, उन्होंने उसे क़रीब किया और अपनी दायीं तरफ़ बिल्कुल बराबर कर लिया। मौता इमाम मालिक में सही सनद के साथ ये असर मौजूद है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल अल्बानी: 1/226) इन दलाइल से उन लोगों की तर्दीद होती है जो मुक़्तदी के इमाम के ऐन बराबर खड़े होने के कायल नहीं बल्कि उन के यहाँ मुस्तहब ये है कि जब सिर्फ़ दो नमाज़ी हो तो मुक्तदी से कुछ हट कर खड़ा हो लेकिन ये मौक़िफ़ मर्जूह हैं ऐन बराबर खड़ा होने का मौक़िफ़ हनाबिला और अहनाफ़ में से इमाम मुहम्मद (رحمه الله) का है जैसा कि मौता में उनके कलाम से ज़ाहिर होता है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतु अहादीसिस्सहीहा, हदीस: 606) **(2)** लोग अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) की इक़्तेदा करते थे, अलबत्ता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि रसूले अकरम (ﷺ) इमाम थे या अबू बक्र (ﷺ)? इमाम नसाई (رحمه الله) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि उनके नज़दीक नबी (ﷺ) इमाम थे, अबू बक्र(ﷺ) आपके मुक़्तदी और लोग अबू बक्र (ﷺ) के मुक़्तदी। लेकिन अबू बक्र (ﷺ) की हैसियत मुकब्बिर व मुबल्लिग़ की थी

जैसा कि बाद में आने वाली हदीसे जाबिर इस पर दलालत करती है। मज़ीद मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 10/119) **(3)** हज़रत आयशा (ﷺ) का ये फ़रमाना के रसूलुल्लाह (ﷺ) अबू बक्र से आगे थे, मुफ़स्सल और वाज़ेह रिवायात के मुनाफ़ी नहीं क्योंकि उस वक़्त नबी (ﷺ) ने बैठ कर इमामत करवाई थी और बैठा आदमी खड़े की निस्बत आगे ही लगता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا .

(799) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। अबू बक्र (ﷺ) आपके पीछे थे। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) तकबीर कहते तो अबू बक्र(ﷺ) हमें सुनाने के लिये तकबीर कहते।

(799) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 413/85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 873.

باب (١٨): مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً وَالاِخْتِلاَفِ فِي ذَلِكَ

बाब : (18) जब तीन आदमी हों तो इमाम कहाँ खड़ा हो? और उसमें इख़्तिलाफ़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالاَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَشْتَغِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلُّوا لِوَقْتِهَا . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ .

(800) हज़रत अस्वद और अल्क़मा बयान करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) के पास दोपहर के वक़्त हाज़िर हुए। उन्होंने फ़रमाया: तहक़ीक़ (वह वक़्त) क़रीब है कि ऐसे उमरा (हुक्मराँ) होंगे जो नमाज़ के वक़्त (और कामों में) मसरूफ़ रहेंगे, चुनांचे तुम नमाज़ वक़्त पर पढ़ लिया करो, फिर वह उठे और हमारे दरम्यान खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

(800) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 613, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 874.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत उन कसीर सही रिवायात के ख़िलाफ़ है जिनमें दो मुक़्तदियों को इमाम के पीछे खड़ा करने का ज़िक्र है, लिहाज़ा ये रिवायत मन्सूख़ है, यानी आग़ाज़ में नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ऐसे किया, फिर तर्क कर दिया जैसा कि इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) वग़ैरह का मौक़िफ़ है। या फिर इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) भूल गये होंगे। इन्सान थे और निस्यान बशर (इन्सान) का लाज़िमा हैं इसकी ताईद दीगर क़राइन से भी होती है, जैसे उनका रुकू में तत्बीक़ करना (दोनों हाथों को बजाये दोनों घुटनों पर रखने के एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे में पेवस्त करके घुटनों के दरम्यान रख लेना) वग़ैरह। बहरहाल हक़ीक़त जो भी हो आग़ाज़ में ये सिर्फ़ इब्ने मसऊद और उनके साहिबैन का मौक़िफ़ था। बाक़ी तमाम सहाबा और दीगर अइम्म-ए-एज़ाम कसीर अहादीस की रोशनी में इसी बात के क़ाइल हैं कि जब तीन अफ़राद हों तो एक को आगे ही इमामत के लिये खड़ा होना चाहिए। और यही हक़ है। इसी पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। अहादीस व आसार की तफ्सील के लिये देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 10/80-84) **(2)** कुछ ने इस हदीस को हारून बिन अन्तरा की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। उनके बक़ौल ये इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) का ज़ाती फ़ेअल है जो मरफ़ूअ अहादीस के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा हुज्जत नहीं। लेकिन दुरुस्त बात ये है कि ये हदीस मरफ़ूअन दुरुस्त है और जुम्हूर के नज़दीक हारून सिक़ा है। अल्ग़र्ज़ ये हदीस अब क़ाबिले अमल नहीं। मज़ीद देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म अल्हदीस: 262)

(801) हज़रत मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) मेरे पास से गुज़रे। हज़रत अबू बक्र मुझे कहने लगे: ऐ मसऊद! अपने आक़ा अबू तमीम के पास जाओ और उनसे कहो कि वह हमें सवारी के लिये एक ऊँट दें। कुछ ख़र्च भी भेजें और एक रहनुमा भी साथ कर दें जो हमें मदीने की राह बतलाये। मैं अपने आक़ा के पास आया और उन्हें पैग़ाम पहुँचाया तो उन्होंने मेरे हाथ एक ऊँट और दूध का एक मशकीज़ा भेजा (और मुझे रहनुमा बना दिया) मैं उन्हें पोशीदा रास्ते से ले चला। नमाज़ का वक़्त हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने लगे। हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) आपके

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ غُلاَمٍ، لِجَدِّهِ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ فَقَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ يَا مَسْعُودُ ائْتِ أَبَا تَمِيمٍ - يَعْنِي مَوْلاَهُ - فَقُلْ لَهُ يَحْمِلْنَا عَلَى بَعِيرٍ وَيَبْعَثْ إِلَيْنَا بِزَادٍ وَدَلِيلٍ يَدُلُّنَا . فَجِئْتُ إِلَى مَوْلاَىَ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ مَعِي بِبَعِيرٍ وَوَطْبٍ مِنْ لَبَنٍ فَجَعَلْتُ آخُذُ بِهِمْ فِي

إِخْفَاءِ الطَّرِيقِ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ عَرَفْتُ الإِسْلاَمَ وَأَنَا مَعَهُمَا فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ فَقُمْنَا خَلْفَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُرَيْدَةُ هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

दायें खड़े हो गये उस वक़्त तक मैं भी इस्लाम क़बूल कर चुका था। (इसलिये) मैं उन दोनों के साथ आये। मैं उनके पीछे खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू बक्र के सीने पर हाथ मारा (कि वह पीछे हट कर मेरे साथ खड़े हो जाये), फिर हम दोनों आपके पीछे खड़े हुए।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि (सनद में मज़्कूर) ये बुरैदा हदीस़ में क़वी नहीं। (यानी ज़ईफ़ है)

(801) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी फ़िल्कबीर, हदीस़: 20/331, हदीस़: 784, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 875, मुस्लिम, हदीस़: 3010/74.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि मुक़्तदी दो हों तो इमाम के पीछे खड़े हों, न कि दायें बायें। अगरचे ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर दलाइल की रोशनी में मसला इसी तरह है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह, सुनन नसाई: 10/80-84)

باب (١٩): إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً وَامْرَأَةً

बाब : (19) जब (इमाम समेत नमाज़ी) तीन मर्द और एक ओ़रत हो तो ......?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ قَدْ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ " قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ " . قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(802) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि उनकी दादी मुलैका (رضي الله عنها) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खाने की दावत दी जो उन्होंने आपके लिये तैयार किया था। आपने उसमें से कुछ खाया, फिर फ़रमाया: 'उठो! मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊं।' हज़रत अनस (رضي الله عنه) ने कहा: मैं अपनी एक चटाई की तरफ़ उठा जो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से स्याह हो चुकी थीं मैंने उस पर पानी डाला। रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे। मैंने और एक यतीम ने आपके पीछे स़फ़ बनाई और बुढ़िया (दादी मोहतरमा) हमारे पीछे खड़ी हुईं। आपने

عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

हमें दो रकअतें पढ़ाईं, फिर आप तशरीफ़ ले गये।

(802) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 380, व मुस्लिम, हदीस: 658, मौता: 153, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 876.

फ़ायदा : चूंकि औरत मर्दों के बराबर खड़ी होकर बा'जमाअत नमाज़ नहीं पढ़ सकती, ख़्वाह वह उसके महरम ही हों, इसलिये दादी मोहतरमा हज़रत मुलैका (ﷺ) अलग खड़ी हुईं। औरत के लिये अकेले खड़े होने की मुमानिअत मन्क़ूल नहीं है, लिहाज़ा कोई हर्ज नहीं।

باب (٢٠) إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

बाब : (20) जब (नमाज़ी) दो मर्द और दो औरतें हो तो ....?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّي وَالْيَتِيمُ وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ "قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ" . قَالَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ - قَالَ - فَصَلَّى بِنَا .

(803) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये। हम घर वाले सिर्फ़ मैं, मेरी वालिदा, एक यतीम लड़का और मेरी ख़ाला उम्मे हराम (ﷺ) ही थे। आपने फ़रमाया: 'उठो! मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊं।' हालांकि किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त न था, फिर आपने हमें नमाज़ पढ़ाई।

(803) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 877.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُخْتَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا .

(804) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक दफ़ा मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) और मेरी वालिदा और ख़ाला नमाज़ पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई। मुझे अपने दायीं और मेरी वालिदा और ख़ाला को पीछे खड़ा किया।

(804) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 878.

फ़ायदा : चूंकि इमाम के अलावा एक ही मर्द था, लिहाज़ा उसे साथ खड़ा किया गया और दोनों औरतों को अलग सफ़ में, क्योंकि औरतें किसी सूरत में भी मर्दों के साथ बा'जमाअत नमाज़ में खड़ी नहीं हो सकती। साबिक़ा हदीस में दो मर्द इमाम के अलावा थे, लिहाज़ा वह दोनों इमाम के पीछे थे और औरतें उनके पीछे खड़ी हूईं। एक मर्द बच्चा था मगर उसे भी मर्दों ही की सफ़ में खड़ा किया गया। गोया बच्चों के लिये अलग सफ़ की ज़रूरत नहीं, और एक मर्द और एक बच्चा मुकम्मल सफ़ हैं जैसे दो मर्द हों। वल्लाहु आलम!

बाब : (21) जब इमाम के साथ एक बच्चा और एक औरत हो तो इमाम कहाँ खड़ा हो?

باب (٢١): مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ قَزَعَةَ، مَوْلًى لِعَبْدِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي مَعَهُ .

(805) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और हज़रत आयशा (ﷺ) हमारे पीछे खड़ी हूईं। वह भी हमारे साथ ही नमाज़ (बा'जमाअत) पढ़ रही थीं जबकि मैं नबी (ﷺ) के पहलू में आपके साथ (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रहा था।

(805) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 915, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 3/18, 19, हदीस: 1537, व इब्ने हिब्बान (मवारिद) हदीस: 406.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) नाबालिग़ थे। बालिग़ होते तब भी यही तरीक़ा था क्योंकि समझदार बच्चा भी बालिग़ ही के मर्तबे में है। हज़रत आयशा (ﷺ) बावजूद नबी (ﷺ) की ज़ौज-ए मोहतरमा होने के आपके साथ खड़ी नहीं हूईं क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत में औरत और मर्द इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, चाहे कोई भी रिश्ता हो।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ،

(806) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे और मेरे दीगर घर वालों में से एक औरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि मुझे अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया और औरत

قَالَ صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا

को पीछे।

(806) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 804, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 879.

مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

बाब : (22) मुक़्तदी बच्चा हो तो इमाम कैसे खड़ा हो?

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

(807) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (उम्मुल मोमिनीन) (ﷺ) के यहाँ रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह(ﷺ) रात को नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने के लिये उठे तो मैं आपकी बायीं तरफ़ खड़ा हो गया। आपने मुझे इस तरह सर से पकड़ा और दायीं तरफ़ खड़ा कर लिया।

(807) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 699, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 880.

फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि जमाअत के मसले में समझदार बच्चा बालिग़ की तरह है, लिहाज़ा वह अगर एक है तो इमाम के साथ ही खड़ा होगा, और मालूम हुआ कि मुक़्तदी एक हो तो वह इमाम की दायीं तरफ़ खड़ा होगा।

باب(٢٣): مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

बाब : (23) कौन सा शख़्स़ इमाम से मुत्तस़िल हो, फिर जो उससे मुत्तस़िल हो?

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ

(808) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से क़ब्ल हमारे कन्धों को पकड़ पकड़ कर सीधा करते थे और फ़रमाते थे: 'आगे पीछे खड़े न हुआ करो वरना तुम्हारे दिल भी एक दूसरे से बिगड़ जायेंगे (इनमें फूट पड़ जायेगी) मेरे क़रीब तुममें से समझदार (बालिग़) और अक़्लमन्द लोग खड़े हों, फिर

وَيَقُولُ " لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ .

वह लोग जो उनसे क़रीब हैं, फिर वह लोग जो उनसे क़रीब हैं।' हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं: आज तुममें सख़्त इख़्तिलाफ़ है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई)(رحمه الله) बयान करते हैं: (सनद में मज़्कूर) अबू मामर का नाम अब्दुल्लाह बिन सख़बरा है।

(808) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 881.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुक़्तदियों की सफ़ों को सीधा करना इमाम का फ़र्ज़ है ख़ुद करे या नाइब मुक़र्रर कर दे। इस काम की वजह से इक़ामत और तकबीरे तहरीमा में फ़ासला भी हो जाये तो कोई हर्ज नहीं। **(2)** (لَا تَخْتَلِفُوا) एक मानी तो तर्जुमा में बयान किये गये हैं। दूसरे मानी ये भी हैं कि आपस में झगड़ा न किया करो। दिल एक दूसरे से मुतनफ़्फ़िर हो जायेंगे। ज़ाहिर का असर बातिन पर भी होता है। सीधे और मिलकर खड़े हों तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। आगे पीछे और दूर दूर खड़े होने से दिलों में दूरी पैदा होती है। और ये फ़ितरी चीज़ है। इसका इन्कार मुमकिन नहीं। दोस्त मिलकर बैठते हैं और दुश्मन एक दूसरे के साये से भी भागते हैं। **(3)** सफ़े अव्वल में इल्म व फ़ज़्ल और बड़ी उम्र वाले लोग खड़े होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बालिग़, आक़िल नौजवान, जमाअत और नमाज़ के शौक़ीन और पाबन्द को जो पहले आकर अगली सफ़ में बैठा हो, बाद में आने वाला बुज़ुर्ग उठा कर उसकी जगह पर बैठ जाये। ये नौजवानों की दिल शिकनी भी है, हक़ तल्फ़ी भी और शरीयत के ख़िलाफ़ भी। शरीयत की रू से जो पहले आकर जिस जगह बैठ गया है, उसका हक़ है। अहले अक़्ल व दानिश को इमाम के क़रीब खड़े होने का जो हुक्म है, वह तरग़ीबी है। इसका मतलब ये नहीं है कि समझदार नौजवान इसके अहल नहीं है। दूसरी सफ़ में उनसे मिलती जुलती अक़्ल और उम्र वाले तीसरी में उनसे मिलती हुई अक़्ल और उम्र वाले यहाँ तक कि छोटे बच्चे आख़री सफ़ में मगर ये कि बच्चों को इकट्ठे खड़े होने से शरारतों का ख़तरा हो तो उन्हें बड़ों के साथ खड़ा किया जा सकता है मगर पहली सफ़ से पीछे। **(4)** 'आज तुममें सख़्त इख़्तिलाफ़ है।' यानी तुम बहुत आगे पीछे खड़े होते हो। सफ़ों को तोड़ते हो। मिलकर खड़े नहीं होते। मतलब ये है कि आज तुममें बहुत मुआशरती इख़्तिलाफ़ पाया जाता है। मालूम होता है कि तुम सफ़ें सीधी और दुरुस्त नहीं बनाते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ،

(809) हज़रत क़ैस बिन अब्बाद से रिवायत है कि एक दफ़ा मैं मस्जिद में पहली सफ़ में था। मुझे

قَالَ أَخْبَرَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ، فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلاَتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَا فَتَى لاَ يَسُؤْكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا . قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا يَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقَدِ قَالَ الأُمَرَاءُ .

मेरे पीछे से एक आदमी ने खींचा और मुझे पीछे कर दिया और ख़ुद मेरी जगह खड़ा हो गया अल्लाह की क़सम! (मुझे इस क़द्र गुस्सा आया कि) मैं अपनी नमाज़ भी तवज्जा से न पढ़ सका। जब वह शख़्स फ़ारिग़ हुआ तो मैंने देखा वह हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) थे। कहने लगे: ऐ जवान! अल्लाह तआ़ला तुझे हर तकलीफ़ से बचाये तहक़ीक़ ये नबी (ﷺ) की हमें नसीहत है कि हम (समझदार और बड़ी उम्र के लोग) आपके क़रीब (पहली सफ़ में) खड़े हों। फिर आप (उबय बिन कअ़ब) क़िब्ले की तरफ़ मुतवज्जा हुए और तीन दफ़ा फ़रमाया: काबे के रब की क़सम! अहले हिल्ल व अ़क़्द हलाक हो गये। फिर फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे उन पर अफ़सोस नहीं बल्कि अफ़सोस उन पर है जिन्होंने उन्हें गुमराह किया। मैंने कहा: ऐ अबू याक़ूब! आप अहले हिल्ल व अ़क़्द से क्या मुराद लेते हैं? फ़रमाया: उमरा, यानी हुक्काम।

(809) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा फ़ी सहीहा: 3/33, हदीस: 1573, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 882, इब्ने हिब्बान (मवारिद), हदीस: 398, इब्ने ख़ुज़ैमा, मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 2/53, 54, हदीस: 2460, व अहमद: 5/140, तयालिसी, हदीस: 644, वग़ैरहुम।

फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर कोई बच्चा या कम अ़क़्ल इन्सान पहली सफ़ में खड़ा हो जाये तो उसे अच्छे तरीक़े, यानी प्यार मोहब्बत से पीछे हटा दिया जाये ताकि उसकी जगह कोई समझदार मुअ़म्मर (उम्र दराज) आदमी खड़ा हो सके, ताहम ये मामूल दुरुस्त नहीं कि बड़े लोग जमाअ़त से पीछे बैठे रहें जब सफ़ मुकम्मल करके लोग नमाज़ शुरू करने लगे। तो ये नौजवानों को घसीटना शुरू कर दें। इससे दिल शिकनी के अ़लावा बद नज़्मी फैलती है। कभी कभार कोई अहले इल्म व फ़ज़्ल बुज़ुर्ग जिसका सब एहतिराम करते हों, पीछे रह जाये तो वह किसी बच्चे की जगह खड़ा हो सकता है। ज़ाहिर है उस

बुज़ुर्ग के एहतिराम के पेशे नज़र न उस बच्चे की दिल शिकनी होगी न झगड़ा। हर आदमी का ये मक़ाम नहीं। हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) सय्यदुल क़ुर्रा थे जिनका एहतिराम हज़रत उ़मर (ﷺ) जैसे जलीलुल क़द्र और बा'रौब ख़लीफ़ा भी करते थे, फिर उन्होंने कैसे प्यार से समझाया कि मुताल्लिक़ा शख़्स की नाराज़ी ख़त्म हो गई।

باب : (٢٤)
إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا " مَكَانَكُمْ " . فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلَّى .

बाब : (24) इमाम के आने से पहले सफ़ें सीधी की जा सकती हैं

(810) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि जमाअत की इक़ामत हो गई तो हम खड़े हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल सफ़ें दुरुस्त कर ली गईं। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि जब अपनी नमाज़गाह में खड़े हो गये तो तकबीरे तहरीमा से क़ब्ल ही आप वापस मुड़े और हमसे फ़रमाया: 'अपनी जगह खड़े रहो।' हम खड़े इन्तेज़ार करते रहे यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाये तो आप नहाये हुए थे और आपके सर मुबारक से पानी के क़तरे गिर रहे थे। फिर आपने तकबीरे तहरीमा कही और नमाज़ पढ़ाई।

(810) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 605, बुख़ारी, हदीस: 275, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 883.

फ़ायदा : अगरचे इमाम को देख कर खड़े होना चाहिए मगर इतनी देर पहले भी खड़े हो सकते हैं कि इमाम साहिब के आने तक सफ़ें सीधी हो सकें। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस नम्बर 793)

बाब : (25)
इमाम स़फ़ों को कैसे सीधा करे?

باب : (٢٥)
كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ الصُّفُوفَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ فَأَبْصَرَ رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " .

(811) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) स़फ़ों को ऐसे सीधा फ़रमाते थे जैसे तीर सीधे किये जाते हैं फिर आपने एक आदमी को देखा कि उसका सीना स़फ़ से आगे निकला हुआ था। मैंने नबी (ﷺ) को देखा, आप फ़रमा रहे थे: 'यक़ीनन तुम अपनी स़फ़ों को सीधा करोगे वरना अल्लाह तआला ज़रूर तुम्हारे चेहरों के दरम्यान मुख़ालिफ़त डाल देगा।'

(811) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 436/128, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 884.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ " لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ " . وَكَانَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ " .

(812) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (तकबीरे तहरीमा कहने से पहले) एक सिरे से दूसरे सिरे तक स़फ़ों के दरम्यान चला करते थे। हमारे कंधों और सीनों को हाथों से पकड़ पकड़ कर सीधा करते और फ़रमाते थे: 'आगे पीछे खड़े न होओ, वरना तुम्हारे दिल एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हो जायेंगे (उनमें फूट पड़ जायेगी।)' और आप फ़रमाते थे: 'तहक़ीक़ अल्लाह तआला अगली स़फ़ों के लिये ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। और उसके फ़रिशते उनके लिये ख़ुसूसी रहमतें तलब करते हैं।'

(812) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 885, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1551, 1556, व इब्ने हिब्बान: 386 वग़ैरह

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इमाम का फ़र्ज़ है कि सफ़ों को दुरुस्त करे। अगर आज कल एक ही साइज़ की सफ़ें बिछी होती हैं और क़ालीन वग़ैरह पर लाइनें लगी होती हैं जिनकी मदद से सफ़ सीधी करना बहुत आसान होता है मगर फिर भी जहालत और सुस्ती की बिना पर सफ़ें सीधी करने की ज़रूरत पड़ती है। **(2)** अगली सफ़ों से मुराद हर मस्जिद और जमाअत की अगली सफ़ है। मसाजिद की कस्रत की बिना पर जमा का लफ़्ज़ ज़िक्र किया वरना मुराद सिर्फ़ अगली सफ़ है। या एक से ज़्यादा अगली सफ़ें मुराद हो सकती हैं।

باب (٢٦): مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

बाब :(26) जब इमाम जमाअत के लिये आगे बढ़े तो सफ़ें सीधी करने के लिये कौन सा कलिमात कहे?

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ " اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَلْيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " .

(813) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे कंधों को पकड़ते और फ़रमाते: 'सीधे हो जाओ और आगे पीछे न खड़े होओ, वरना तुम्हारे दिल बदल जायेंगे (उनमें फूट पड़ जायेगी) और मेरे क़रीब तुममें से अक़्लमन्द (बालिग़) और समझदार लोग खड़े हों, फिर वह लोग जो उनसे क़रीब हैं, फिर वह लोग जो उनसे क़रीब हैं।'

(813) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 886.

باب (٢٧): كَمْ مَرَّةً يَقُولُ اسْتَوُوا

बाब : (27) इमाम कितनी दफ़ा कहे: 'बराबर हो जाओ?'

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا

(814) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि नबी(ﷺ) तीन दफ़ा फ़रमाया करते थे: 'बराबर हो जाओ। क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! तहक़ीक़ मैं तुम्हें अपने पीछे से भी उसी तरह देखता हूँ जैसे तुम्हें सामने से देखता हूँ।'

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ " .

(814) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/268, 286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 87.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तीन दफ़ा कहना मुस्तहब है वरना ये ज़रूरत पर मौक़ूफ़ है। अगर सफ़ें दुरुस्त हों तो एक दफ़ा कहना भी ज़रूरी नहीं और अगर सफ़ों में ख़राबी, तीन दफ़ा कहने के बावजूद, बाक़ी रहे तो ज़ाहिर है ज़्यादा मर्तबा कहा जायेगा। **(2)** नबी (ﷺ) का नमाज़ की हालत में पिछली सफ़ों को देखना आपका मोजिज़ा था। इमाम बुख़ारी वग़ैरह का रुझान भी इसी तरफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने दुरुस्त और क़ौले मुख़्तार इसी को क़रार दिया है, और ये अपने ज़ाहिर पर महमूल है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/666, तहत हदीस: 418) इसकी तावील करके इसे इसके ज़ाहिरी मफ़हूम से फेरना, मस्लके सलफ़ के ख़िलाफ़ है, ताहम ये देखना सिर्फ़ नमाज़ की हद तक था (यानी दौराने इमामत में) न कि हर वक़्त आप अपने पीछे का मुशाहिदा कर सकते थे, और कहा गया है कि नबी(ﷺ) की कमर पर एक आँख थी, उससे आप हमेशा देखते रहते थे। एक क़ौल ये भी है कि आपके दोनों कंधों पर सूई के नाके के बराबर दो छोटी छोटी आँखें थीं। बहरहाल ये सब तख़मीने और अन्दाज़े हैं, दलील इनकी पुश्त पनाही नहीं करती। वल्लाहु आलम, मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/666)

باب (٢٨): حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

बाब : (28) सफ़ों को मिलाने और क़रीब क़रीब बनाने के सिलसिले में इमाम का रग़बत दिलाना

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي " .

(815) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तकबीरे तहरीमा कहने से पहले हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'अपनी सफ़ें सीधी करो और मिलकर खड़े होओ क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ।'

(815) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 719, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 888.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ

(816) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी सफ़ों को मिलाओ, यानी मिलकर खड़े होओ और उन्हें

حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ " .

क़रीब क़रीब बनाओ, यानी उनमें फ़ासला कम रखो और गर्दनें एक सीध में रखो। क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! मैं शयातीन को देखता हूँ कि वह सफ़ों के शिगाफ़ में इस तरह दाख़िल होते हैं जैसे कि वह भेड़ बकरियों के बच्चे हैं।'

(816) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 667, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 889, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1545, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 387, 391.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दौराने नमाज़ सफ़ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होना चाहिए, जैसे: पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा और टख़ने के साथ टख़ना वग़ैरह। **(2)** इसी तरह दो सफ़ों का दरम्यानी फ़ासला सिर्फ़ इतना हो कि आसानी से सज्दा किया जा सके, जैसे: तीन हाथ। सफ़ें क़रीब होंगी तो इमाम की आवाज़ भी सुनाई देगी। नमाज़ियों की गुंजाइश बढ़ जायेगी। **(3)** गर्दनें एक सीध में रखने का मतलब है सफ़ें, सीधी करना। **(4)** दो आदमियों के दरम्यान ख़ाली जगह न हो वरना शैतान उनके दरम्यान दाख़िल होगा, यानी उनमें इख़्तिलाफ़ात और फ़ासला पैदा करेगा। ज़ाहिर का असर बातिन पर भी होता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ " . قَالُوا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ " يُتِمُّونَ الصَّفَّ الأَوَّلَ ثُمَّ يَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ" .

(817) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी तरफ़ तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम उस तरह सफ़बन्दी क्यूँ नहीं करते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब तआला के यहाँ सफ़बन्दी करते हैं?' सहाबा ने पूछा: फ़रिशते अपने रब के पास कैसे सफ़बन्दी करते हैं? आपने फ़रमाया: '(पहले) सफ़े अव्वल को पूरा करते हैं, और सफ़ों में मिलकर खड़े होते हैं।'

(817) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 890.

बाब : (29)
पहली स़फ़ की दूसरी स़फ़ पर फ़ज़ीलत

باب : (٢٩)
فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاَثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً .

(818) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पहली स़फ़ के लिये तीन दफ़ा दुआ फ़रमाते थे और दूसरी स़फ़ के लिये एक दफ़ा।

(818) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/128, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 891, व स़हीह अल हाकिम: 1/214, इब्ने माजा, हदीस़: 996.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि स़फ़े अव्वल में जगह पाना इस क़द्र फ़ज़ीलत वाला अ़मल है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहली स़फ़ वालों के लिये तीन बार दुआ फ़रमाई है, लिहाज़ा पहली स़फ़ में जगह पाने की हर नमाज़ी को कोशिश करनी चाहिए। **(2)** ये वही फ़र्क़ है जो आपने हज व उ़म्रे में मुहल्लिक़ीन और मुक़स्सिरीन (बाल मुंडवाने वालों और कतरवाने वालों) के दरम्यान किया था।

बाब : (30) आख़री स़फ़ का बयान

باب (٣٠): الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَتِمُّوا الصَّفَّ الأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ " .

(819) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पहली स़फ़ मुकम्मल करो, फिर वह जो इस (पहली) से मिली हुई है (दूसरी) अगर कोई कमी हो तो वह आख़री स़फ़ में होनी चाहिए (न कि पहली स़फ़ में)'

(819) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 671, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1547, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 391, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 892.

फ़ायदा : मतलब ये है कि तर्तीब वार पहले अगली स़फ़ों को मुकम्मल किया जाये उनमें कोई कमी न हों अगर कमी हो (नमाज़ियों की कमी की वजह से) तो वह आख़री स़फ़ में हो।

बाब : (31) जो सफ़ को मिलाये (उसकी फ़ज़ीलत)

باب (٣١): مَنْ وَصَلَ صَفًّا

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

(820) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई सफ़ को मिलायेगा अल्लाह तआला उसे (अपने साथ) मिलायेगा और जो सफ़ को काटे (तोड़ेगा) अल्लाह तआला उसे काटेगा। (तोड़ेगा)'

(820) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 666, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 893, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1549, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 1/213.

फ़ायदा : जोड़ने तोड़ने का मतलब अपनी रहमत से जोड़ना या तोड़ना है और सफ़ को जोड़ने से मुराद ख़ाली जगह पुर करना है। हो सकता है नमाज़ के दौरान में किसी शख़्स को निकलने की ज़रूरत पड़ जाये तो उसके निकलने के बाद सफ़ को मिलाया जाये। दरम्यान में ख़ाली जगह न छोड़ी जाये। याद रहे! सफ़ इमाम की तरफ़ मिलाई जाती है। इमाम की दायीं तरफ़ वाले बायीं तरफ़ को मिलेंगे और बायें तरफ़ वाले दायीं तरफ़ को। सफ़ को मिलाने के लिये बहुत से नमाज़ियों को हरकत करनी पड़ेगी मगर सफ़ की दुरुस्ती या नमाज़ की इस्लाह के लिये जो हरकत भी करनी पड़े, ज़रूरी है। सफ़ को तोड़ने का मतलब है कि फ़ासला छोड़ कर खड़े होना या अगर सफ़ में गुंजाइश मौजूद हो तो वहाँ खड़े होने से किसी को रोकना जबकि किसी ज़रर का अन्देशा भी न हो या नमाज़ बा'जमाअत के दौरान में सफ़ के दरम्यान फ़ारिग़ बैठे रहना।

बाब : (32) औरतों की बेहतरीन सफ़ और मर्दों की बदतरीन सफ़ का बयान

باب (٣٢): ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ

(821) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मर्दों की बेहतरीन सफ़ पहली सफ़ है और बदतरीन सफ़ आख़री सफ़ है। और औरतों की बेहतरीन सफ़ आख़री सफ़ है और बदतरीन सफ़ पहली सफ़ है।' (जो मर्दों से मिली हुई हो।)

آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " .

(821) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 894.

फ़ायदा : मर्दों के लिये पहली सफ़ हर लिहाज़ से बेहतरीन है क्योंकि सफ़े अव्वल अफ़ज़ल भी है और औरतों से दूर भी। बेहतरीन से मुराद बहुत ज़्यादा सवाब वाली। मर्दों की आख़री सफ़ सवाब और दर्जे के लिहाज़ से भी कम सवाब वाली है और अगर वह औरतों से क़रीब है तो मज़ीद नुक़्स पैदा हो जायेगा क्योंकि मर्दों और औरतों का कुर्ब नमाज़ से ग़फ़लत और फ़ित्ने का मूजिब है। औरतों की अव्वल सफ़ का बदतरीन और आख़री सफ़ का बेहतरीन होना तब है कि अगर वह मर्दों के पीछे खड़ी हैं। अगर वह मर्दों से अलग हैं तो ये फ़र्क़ नहीं होगा। वैसे औरत की अफ़ज़ल नमाज़ घर ही में है। लेकिन अगर अल्लाह तआला औरत के मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने को उसके घर में नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल या उसके बराबर कर दे तो कोई बईद अम्र नहीं मगर हम ज़ाहिरी नस की रोशनी में यही कहेंगे कि औरत की नमाज़ घर ही में अफ़ज़ल है, मगर ये कि मस्जिद में नमाज़ बा'जमाअत के अलावा तालीम व तर्बीयत की महफ़िल का भी एहतिमाम हो तो मुमकिन है इस ग़र्ज़ से आने वाली ख़ातून अफ़ज़लियत को पा ले। वल्लाहु आलम!

باب (٣٣): الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ أَنَسٍ فَصَلَّيْنَا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَدَفَعُونَا حَتَّى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَجَعَلَ أَنَسٌ يَتَأَخَّرُ وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

बाब : (33)
सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना

(822) हज़रत अब्दुल हमीद बिन महमूद बयान करते हैं कि हम हज़रत अनस (ﷺ) के साथ थे। हमने हुक्काम में से एक हाकिम के साथ नमाज़ पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हम खड़े हुए और दो सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी। हज़रत अनस (ﷺ) सुतूनों वाली सफ़ से पीछे हटने लगे और फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने) से बचा करते थे।

(822) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 673, बैहक़ी: 3/104, तिर्मिज़ी, हदीस: 229, व सहीह हाकिम: 1/210, 218, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 895.

फ़ायदा : सुतूनों वाली सफ़ की जगह से कट जायेगी और सफ़ तोड़ना गुनाह है, लिहाज़ा सुतूनों वाली

सफ़ में खड़े होने की बजाये उससे अगली या पिछली सफ़ में खड़े होना चाहिए। सही हदीस में सराहतन सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने से रोका गया है। हज़रत कुरा बिन इयास मुज़नी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने से मना किया जाता था और इससे सख़्ती के साथ रोका जाता था। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1002) अलबत्ता ये नह्य जमाअत की सूरत में है। अगर कोई शख़्स अकेला नमाज़ पढ़ना चाहे तो सुतूनों के दरम्यान खड़ा हो सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने काबा शरीफ़ के अन्दर दो सुतूनों के दरम्यान नमाज़ अदा की थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 467)

बाब : (34) सफ़ में किस जगह खड़ा होना मुस्तहब है?

باب: (٣٤) الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ .

(823) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हम जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो मेरी ख़्वाहिश होती थी कि मैं आपकी दायीं तरफ़ खड़ा हों।

(823) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 896.

फ़ायदा : सहीह मुस्लिम वग़ैरह में सेग़-ए-वाहिद की बजाये सेग़-ए-जमा मज़्कूर है, यानी हम दायीं तरफ़ खड़ा होना पसन्द करते थे। देखिये (सहीह मुस्लिम, हदीस: 709) इसके अलावा इसकी वजह ये बयान हुई है कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) की ख़्वाहिश होती थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का रुख़े अनवर पहले पहल हमारी तरफ़ हो। (ऐज़न) और ये कि आपके सलाम के अव्वलीन मुस्तहिक़ हम बनें क्योंकि पहले सलाम दायीं तरफ़ फेरा जाता है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1564)

बाब : (35) इमाम के लिये नमाज़ हल्की पढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है

باب (٣٥): مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى

(824) हज़रत अबु हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई आदमी लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की पढ़ाये

أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " .

क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और बूढ़े भी होते हैं, अलबत्ता जब वह अकेला नमाज़ पढ़े तो जिस क़द्र चाहे लम्बी पढ़े।'

(824) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 703, मौता, हदीस: 1/134, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 897, व मुस्लिम, हदीस: 467.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامٍ .

(825) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि नबी(ﷺ) सब लोगों से हल्की मगर मुकम्मल नमाज़ पढ़ाते थे।

(825) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 469/189, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 898.

फ़ायदा : इस हदीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ क़िराअत के लिहाज़ से हल्की मगर रुकू, सुजूद और दीगर अरकान की अदायगी के लिहाज़ से पुर सुकून और कामिल व आला होती थी।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُوجِزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ" .

(826) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बसा औक़ात मैं नमाज़ में खड़ा होता हूँ, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज़ को मुख़्तसर कर देता हूँ कि उसकी माँ पर मशक़्क़त का सबब न बन जाऊं।'

(826) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 899.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़र्ज़ नमाज़ हर एक को बा'जमाअत पढ़नी होती है, लोग हर क़िस्म के होते हैं, उनमें माज़ूर भी हो सकते हैं, फ़ितरतन कमज़ोर भी, मरीज़ वग़ैरह भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, बच्चों वाली औरतें भी, काम काज करने वाले लोग भी और मसरूफ़ियत वाले भी, लिहाज़ा इमाम को चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज़ हल्की पढ़ाये। इस क़द्र कि मन्दरजा बाला नमाज़ी भी आसानी से नमाज़ अदा कर सकें। दिल तंग न हों वरना नमाज़ का मक़सद फ़ौत हो जायेगा, अलबत्ता नफ़ल नमाज़ जो हर एक पर ज़रूरी नहीं बल्कि निशात पर मौक़ूफ़ है, इसे मुनासिब लम्बा किया जा सकता है मगर इस क़द्र नहीं कि नमाज़ी

नमाज़ से बेज़ार हो जायें तरावीह अगरचे फ़र्ज़ नहीं मगर उम्मते मुस्लिमा का शिआर है, लिहाज़ा इसमें भी तख़फ़ीफ़ ज़रूरी है। (2) अकेला आदमी अपनी चुस्ती और निशात के मुताबिक़ नमाज़ लम्बी कर सकता है। (3) किसी मुक़्तदी की तकलीफ़ के मद्दे नज़र किसी हादसे की बिना पर नमाज़ मुख़्तसर की जा सकती है, जैसे हज़रत उमर (ﷺ) की शहादत के मौक़े पर हुआ। इसी तरह नमाज़ियों के मफ़ाद में नमाज़ लम्बी भी की जा सकती है, जैसे: कसीर लोग वुज़ू कर रहे हों नबी(ﷺ) इसी वजह से पहली रकअत लम्बी पढ़ाया करते थे।

बाब : (36) इमाम को नमाज़ लम्बी करने की इजाज़त

باب: (٣٦) الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

(827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ हल्की पढ़ाने का हुक्म देते थे मगर ख़ुद सूर-ए-साफ़्फ़ात के साथ हमारी इमामत फ़रमाते।

(827) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/26, 40, 157, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 900, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1606.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ .

फ़ायदा : इमाम को मुक़्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिए। नबी (ﷺ) के पीछे लोग शौक़ से नमाज़ पढ़ते थे। दिल तंग होने या बेज़ारी का ख़दशा न था, इसलिये आप लम्बी नमाज़ पढ़ाते थे मगर फिर भी कभी बच्चे का रोना सुनते तो नमाज़ मुख़्तसर फ़रमा देते। हर इमाम अपने मुक़्तदियों के लिहाज़ से नमाज़ पढ़ाये मगर अरकान की अदायगी सही होनी चाहिए। नमाज़ में सुकून व इत्मिनान हो। सिर्फ़ क़िराअत व तस्बीहात और दुआओं में तख़फ़ीफ़ होगी।

बाब : (37) इमाम के लिये नमाज़ में किस क़िस्म का काम करना जायज़ है?

باب: (٣٧) مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ

(828) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप लोगों की इमामत करा रहे थे जब कि आपने उमामा बिन्ते

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا .

अबुल आस़ को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। जब आप रुकू फ़रमाते तो उसे उतार देते और जब सज्दे के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते।

(828) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 712, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 901.

باب (٣٨): مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

बाब : (38) इमाम से आगे बढ़ना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ" .

(829) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है, क्या वह इस बात से डरता नहीं कि अल्लाह तआला उसका सर गधे के सर जैसा बना दे।'

(829) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 902, बुख़ारी: 691.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी बतौर सज़ा क्योंकि उसका ये फ़ेअल हिमाक़त में गधे जैसा है। गधा हिमाक़त में ज़र्बुल मसल(मुहावरा) है या अगर फ़ेअल के मुताबिक़ शक्ल बनाई जाये तो फिर ऐसे शख़्स का चेहरा गधे जैसा होना चाहिए या उसे गधे से तश्बीह दी है। **(2)** ये हदीस़ तशदीद पर महमूल है। जब कोई शख़्स इमाम से पहले नमाज़ से फ़ारिग़ नहीं हो सकता तो फिर पहले सर उठाना हिमाक़त नहीं तो और क्या है? लेकिन ज़ाहिरी मफ़हूम के मुताबिक़ अल्लाह तआला ऐसे शख़्स के सर को गधे के सर जैसा भी बना सकता है। इस वईद से डरते रहना चाहिए।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ، وَكَانَ، غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

(830) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं, और वह झूठे न थे, कि जब वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे और आप रुकू से सर उठाते तो स़हाबा खड़े रहते यहाँ तक कि आपको देख लेते कि आप सज्दे में चले गये हैं तो फिर सज्दा करते।

عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا .

(830) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 747, मुस्लिम, हदीस: 474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 903.

फ़ायदा : हो सकता है इमाम साहिब बुज़ुर्ग हों या उन्हें कोई तकलीफ़ हो जिसकी वजह से उन्हें सज्दे तक जाते जाते देर लग जाये। अगर मुक़्तदी उनके सर झुकाते ही सज्दे में जाना शुरू कर दें तो मुमकिन है तेज़ रफ़्तार या नौजवान मुक़्तदी उनसे पहले सज्दे में पहुँच जायें, इसलिये ज़रूरी है कि मुक़्तदी उस वक़्त सज्दे के लिये झुके। जब इमाम साहब सज्दे में सर ज़मीन पर रख लें। इसी तरह रकअत के लिये खड़े होते वक़्त भी इन्तेज़ार किया जाये कि इमाम साहब सीधे खड़े हो जायें, फिर मुक़्तदी उठना शुरू करें ताकि इमाम से आगे बढ़ने का इम्कान भी न रहे।

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَعْدَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ . فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ . قَالَ يَا حِطَّانُ لَعَلَّكَ قُلْتَهَا قَالَ لاَ وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلاَتَنَا وَسُنَّتَنَا فَقَالَ " إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا

(831) हज़रत हित्तान बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई। जब वह (आख़री) क़अदे में थे तो एक आदमी दाख़िल हुआ और उसने कहा: नमाज़ को नेकी और ज़कात से मिलाया गया है। जब हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने सलाम फेरा तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: तुममें से किसी ने ये बात कही है? लोग ख़ामोश रहे। आप फ़रमाने लगे: ऐ हित्तान! शायद तुमने ये बात कही है? मैंने कहा: नहीं। वैसे मुझे ख़तरा था कि आप मुझे ही इस बात पर डाँटेंगे। आपने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें हमारी नमाज़ और दूसरे तरीक़े सिखाये थे। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये होता है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, चुनांचे जब वह अल्लाहु अकबर कह ले तो तुम अल्लाहु अकबर कहो और जब वह ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन कह ले तो तुम 'आमीन' कहो। अल्लाह तआला तुम्हारी दुआ क़बूल फ़रमायेगा। और जब इमाम रुकू में चला

رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ " .

जाये तो तुम रुकू करो। और जब वह सर उठाये और कहे: समिअल्लाहुलिमन हमिदा तो तुम कहो: रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तआला तुम्हारी हम्द सुनेगा। और जब वह सज्दे में चला जाये, तो तुम सज्दा करो। और जब वह सर उठा ले तो फिर तुम सर उठाओ। इमाम तुमसे पहले सज्दे में जाता है और तुमसे पहले सर उठाता है।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये जल्दी सर उठाना जल्दी जाने के मुक़ाबले में है।' (यानी इधर की कसर उधर निकल गई।)

(831) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 904.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नमाज़ को नेकी और ज़कात से मिलाया गया है।' का मतलब है कि जिस तरह नेकी और ज़कात का हुक्म दिया गया है, उसी तरह नमाज़ भी मामूर बिही है। जिस तरह वह दोनों चीज़ें अज्र व सवाब का बाइस हैं, नमाज़ भी मोजिबे अज्र व सवाब है। **(2)** हदीस में इमाम की इक़्तेदा करने की ताकीद और इक़्तेदा करने के मफ़हूम का बयान है।

باب (٣٩): خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلاَةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلاَتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

बाब : (39) किसी आदमी का इमाम की जमाअत से निकल कर मस्जिद के एक कोने में अलग नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ होना

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ

(832) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मरवी है कि अन्सार में से एक आदमी आया जब कि जमाअत खड़ी हो चुकी थी। वह मस्जिद में आया और हज़रत मुआज़ (رضي الله عنه) के पीछे नमाज़ पढ़ने लगा। उन्होंने नमाज़ लम्बी कर दी। वह आदमी (सफ़ों से) निकल गया और उसने मस्जिद के एक कोने में नमाज़ पढ़ी, फिर चला गया। जब हज़रत

الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلاَةَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَنًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ مُعَاذٌ لَئِنْ أَصْبَحْتُ لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَى مُعَاذٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ فَقَالَ " مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحِي مِنَ النَّهَارِ فَجِئْتُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَطَوَّلَ فَانْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ ".

मुआज़ (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो उन्हें बताया गया कि फ़ुलां शख़्स ने ऐसे ऐसे किया है। हज़रत मुआज़ ने कहा: अगर मुझे सुबह नसीब हुई तो मैं ये बात ज़रूर रसूलुल्लाह(ﷺ) से बयान करूंगा। मुआज़ (ﷺ) नबी (ﷺ) के पास गये और आपसे इस वाक़िये का ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस आदमी को बुला भेजा और फ़रमाया: 'तुझे किस चीज़ ने इस काम पर आमादा किया?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सारा दिन ऊँट पर पानी ढोता रहा। मैं आया तो जमाअत खड़ी थी। मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ और उनके साथ नमाज़ में शामिल हो गया तो उन्होंने फ़ुलां फ़ुलां सूरत (सूरह अल बक़र:) शुरू कर दी और बहुत लम्बी क़िराअत की। मैंने नमाज़ तोड़ कर मस्जिद के एक कोने में अलग नमाज़ पढ़ ली। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! क्या तू लोगों को फ़ित्ने में डाल रहा है? ऐ मुआज़! क्या तू लोगों को आज़माइश में डाल रहा है?'

(832) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 905.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) का ख़याल है कि अब भी अगर कोई माकूल वजह बन जाये तो आदमी नमाज़ बा'जमाअत से निकल कर अपनी अलग नमाज़ पढ़ सकता है, जैसे: जमाअत खड़ी है कि टेन (Train)आ गई। इमाम साहब लम्बी क़िराअत कर रहे हैं तो टेन (Train) का मुसाफ़िर अपनी नमाज़ अलग से पढ़ ले। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) का भी यही ख़याल है। इस क़िस्म की कोई और माक़ूल वजह भी उज़्र बन सकती है। वल्लाहु आलम। (2) ये इशा की नमाज़ का वाक़िया हैं इस अन्सारी को अदायगि-ए-नमाज़ की दाद दीजिये कि सारा दिन काम करने बल्कि रात का एक हिस्सा भी गुज़र जाने के बावजूद उसने खाने और आराम करने की बजाये नमाज़ को तर्जीह दी। (3) हज़रत मुआज़ (ﷺ) को

तम्बीह करने के बाद आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम (वश्शम्सि वज़ुहाहा) (वज़्ज़ुहा), (वल्लैलि इज़ा यग़शा) और (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) जैसी सूरतें पढ़ा करो।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, अज़ान, हदीस: 705, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 465) **(4)** अस्र और मग़रिब की नमाज़ में क़ुर्आन मजीद की आख़री छोटी सूरतें, ज़ुहर और इशा में आख़री दरम्यानी सूरतें और सुबह की नमाज़ में आख़री बड़ी सूरतें मसनून हैं। वैसे मुक़्तदियों के लिहाज़ से कमी बेशी भी हो सकती है।

बाब : (40) बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले इमाम की इक़्तेदा करना

باب : (٤٠)
الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

(833) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक घोड़े पर सवार हुए तो उससे गिर गये और आपका दायाँ पहलू छिल गया। आपने कोई एक नमाज़ बैठ कर पढ़ी। हमने भी आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: 'इमाम इसलिये बनाया गया है कि उसकी पैरवी की जाये, लिहाज़ा जब वह खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो। जब वह समि अल्लाहुलिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्दु कहो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।'

(833) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 411, बुख़ारी, हदीस: 689, मौता: 1/135, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 906.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) ने जब बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाई तो सहाबा खड़े थे, फिर नमाज़ में आपने बैठने का इशारा फ़रमाया तो वह भी बैठ गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 412) **(2)** 'तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।' अहले ज़ाहिर ने इन अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुए जालिस इमाम के पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ने को वाजिब कहा है जब कि जुम्हूर अहले इल्म ने इस रिवायत को उस रिवायत

से मन्सूख़ क़रार दिया है जिसमें आप (ﷺ) बैठे थे जबकि हज़रत अबू बक्र (ؓ)आपकी दायीं जानिब खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और लोग पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि वह मजमअे आम में आपकी आख़री नमाज़ है बाद वाली रिवायत पहली रिवायत के लिये नासिख़ है मगर इसमें इश्काल है कि बाद वाली रिवायत फ़ेअली है जब कि पहली रिवायत क़ौली है। क़ौल व फ़ेअल के तआरुज़ के वक़्त क़ौल को तर्जीह दी जाती है मगर पहली रिवायत से चूंकि बैठने का वजूब साबित होता है और दूसरी रिवायत से बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे खड़े रहने का जवाज़ साबित होता है, इसलिये ये फ़ेअल, वजूब का बहरहाल नासिख़ है, अलबत्ता इमाम अहमद (رحمه الله) और कुछ दीगर मुहद्दिसीन ने इन दोनों रिवायात में ये तत्बीक़ दी है कि अगर नमाज़ की इब्तेदा बैठने से हुई तो फिर मुक़्तदियों को क़ौली रिवायत के मुताबिक़ बैठ कर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर दरम्यान में इमाम बैठे, इब्तेदा खड़े होने से हुई हो तो मुक़्तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। इस तरह दोनों रिवायात पर अमल हो जायेगा। यूँ भी तत्बीक़ दी गई है कि पहली रिवायत के अम्र (फ़सल्लू जुलूसन) को इस्तेहबाब पर महमूल कर लिया जाये, यानी बैठे इमाम के पीछे बेहतर है कि मुक़्तदी बैठ कर नमाज़ पढ़ें लेकिन अगर खड़े होकर भी पढ़ लें तो जायज़ है। वह कहते हैं कि किसी रिवायत को मन्सूख़ कहने की बजाये ये तत्बीक़ मुनासिब है ताकि कोई रिवायत अमल से ख़ाली न रहे। बहरहाल इमाम अहमद (رحمه الله) वग़ैरह की तौजीह व तत्बीक़ राजेह मालूम होती है। वल्लाहु आलम! **(3)** कुछ लोगों ने आख़री जुम्ले के मानी ये किये हैं कि जब इमाम क़अदे के लिये बैठे तो तुम भी बैठो। मगर बात अपनी जगह सही होने के बावजूद इस जुम्ले का सही मफ़हूम नहीं क्योंकि नमाज़ में नबी (ﷺ) का इशारा फ़रमा कर मुक़्तदियों को बैठाना उसके ख़िलाफ़ है। देखिये: (सहीह मुस्लिम: हदीस: 412)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُومُ فِي مَقَامِكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ

(834) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़्यादा बीमार हुए तो बिलाल(ؓ) आपको नमाज़ की इत्तिला देने आये। आपने फ़रमाया: 'अबू बक्र से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू बक्र बहुत नर्म दिल आदमी हैं। जब वह आपकी जगह खड़े होंगे तो (रोने की वजह से) लोगों को क़िराअत न सुना सकेंगे। अगर आप हज़रत उमर (ؓ) को हुक्म दें (तो अच्छी बात है।) आपने फ़रमाया: '(नहीं) अबू बक्र से कहो:

أَمَرْتَ عُمَرَ . فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ فَقَالَتْ لَهُ . فَقَالَ " إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . قَالَتْ فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً - قَالَتْ - فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ فَذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قُمْ كَمَا أَنْتَ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ جَالِسًا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه .

लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मैंने हफ़्सा से कहा: तुम भी रसूलुल्लाह से कहो। उन्होंने भी आपसे कहा। आपने फ़रमाया: 'तुम हज़रत यूसुफ़ (ﷺ) के वाक़िये वाली औरतों की तरह हो। अबू बक्र से कहो, लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' लोगों ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से कहा। फिर जब उन्होंने नमाज़ शुरू की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने आपमें कुछ आराम और अफ़ाक़ा महसूस किया। आप उठे। दो आदमियों के दरम्यान आपको उनके कंधों के सहारे चलाया गया। फिर भी आपके पाँव मुबारक ज़मीन पर घिसट रहे थे। (आप में पाँव उठाने की ताकत न थी।) जब आप मस्जिद में दाख़िल हुए तो हज़रत अबू बक्र (ﷺ) आपकी आहट महसूस करके पीछे हटने लगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इशारा फ़रमाया कि 'इसी तरह खड़े रहें।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और अबू बक्र(ﷺ) की बायीं जानिब बैठ गये, चुनांचे अल्लाह के रसूल (ﷺ) बैठ कर लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे और अबू बक्र (ﷺ) खड़े होकर आपकी इक़्तेदा कर रहे थे और लोग अबू बक्र(ﷺ) की नमाज़ की इक़्तेदा कर रहे थे।

(834) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 713, व मुस्लिम, हदीस: 418/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 907.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (सवाहिबातु यूसुफ़) यानी तुम भी उन औरतों की तरह, असल मक़सद छुपाये हुए ज़ाहिर कुछ और कर रही हो। (सवाहिबात) से मुराद वह औरतें हैं जिन्होंने मकर के साथ हाथ काटे थे। हाथ काटने वाली औरतें यूसुफ़ (ﷺ) को रिझाने (माइल करने) का मक़सद रखती थीं मगर बज़ाहिर इम्रातुल अज़ीज़ (अज़ीज़े मिस्र की बीवी) को शराफ़त का दर्स दे रही थीं। **(2)**

'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अफ़ाक़ा महसूस फ़रमाया।' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से यूँ मालूम होता है कि शायद जिस नमाज़ में अबू बक्र को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया गया था उसी नमाज़ के दौरान में आपने अफ़ाक़ा महसूस फ़रमाया और मस्जिद को तशरीफ़ ले गये मगर हक़ीक़तन ऐसा नहीं है बल्कि ये कई दिन बाद की बात है। गोया आपके हुक्म के तहत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضی اللہ عنہ) जमाअत कराते रहे। एक दिन जमाअत शुरू की तो रसूले अकरम (ﷺ) को अफ़ाक़ा महसूस हुआ और आप तशरीफ़ ले गये। याद रहे कि ये जमाअत जो आपने इस तरह अदा फ़रमाई, ज़ुहर की नमाज़ थी। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 687) **(3)** बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी किस तरह नमाज़ पढ़ें? इसकी तफ़्सीली बहस पीछे रिवायत में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 833.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَصَلَّى النَّاسُ " . فَقُلْنَا لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ " . فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ " أَصَلَّى النَّاسُ " . قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ " . فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ

(835) उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से मन्क़ूल है कि मैं हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) के पास गया और कहा: क्या आप मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के मर्ज़ुल मौत के बारे में बयान नहीं फ़रमातीं? वह फ़रमाने लगीं। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़्यादा बीमार हो गये तो फ़रमाने लगे: 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है?' हमने कहा: नहीं, वह आपका इन्तेज़ार कर रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'मेरे लिये टब में पानी डालो।' हमने तामील की। आपने ग़ुस्ल फ़रमाया (ताकि बुख़ार की हिद्दत कम हो) फिर आपने उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गये। फिर होश में आये तो फ़रमाने लगे: 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नहीं, बल्कि वह आपका इन्तेज़ार कर रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'मेरे लिये टब में पानी रखो।' हमने तामील की। आपने फिर ग़ुस्ल किया और उठने का इरादा किया मगर दोबारा बेहोश हो गये। फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही फ़रमाया। हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) ने कहा: लोग मस्जिद में बैठे इशा की नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का इन्तेज़ार

ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ " أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ " . فَجَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً رَقِيقًا فَقَالَ يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ . فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَجَاءَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمَا فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا . فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

कर रहे थे। आख़िर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र को पैग़ाम भेज दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। क़ासिद उनके पास आया और कहने लगा: रसूलुल्लाह(ﷺ) आपको हुक्म दे रहे हैं कि लोगों को नमाज़ पढ़ाओ। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) नर्म दिल आदमी थे। कहने लगे: ऐ उमर! तुम नमाज़ पढ़ओ। उन्होंने कहा: आप ही इस ऐज़ाज़ (इमामत) के सबसे ज़्यादा हक़दार हैं। फिर उन दोनों में हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने नमाज़ें पढ़ाईं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तबीअत में अफ़ाक़ा महसूस किया तो आप नमाज़े ज़ुहर के लिये दो आदमियों के सहारे तशरीफ़ लाये। इन दो आदमियों में से एक अब्बास (ﷺ) थे। जब आपको अबू बक्र (ﷺ) ने देखा तो वह पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन्हें इशारा फ़रमाया कि पीछे न हटें। और आपने (लाने वाले) उन दो आदमियों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको अबू बक्र (ﷺ) की बायीं जानिब बिठा दिया। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) खड़े होकर नमाज़ पढ़ते रहे। लोग हज़रत अबू बक्र (ﷺ) की नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ते रहे जब कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बैठ कर नमाज़ पढ़ते रहे। उबैदुल्लाह ने कहा: मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास गया और मैंने कहा: क्या मैं आप पर वह रिवायत पेश न करूं जो मुझे हज़रत आयशा (ﷺ) ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के मर्ज़ुल मौत के बारे में बयान की है? उन्होंने कहा: हाँ। मैंने पूरी रिवायत बयान की। उन्होंने किसी भी लफ़्ज़ का इन्कार नहीं किया

عليه وسلم قَالَ نَعَمْ . فَحَدَّثْتُهُ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ . قَالَ هُوَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ .

मगर उन्होंने कहा: क्या हज़रत आयशा (ﷺ) ने तुझे उस आदमी का नाम बताया जो हज़रत अब्बास (ﷺ) के साथ (आपको सहारा देने वाले) थे? मैंने कहा: नहीं। उन्होंने फ़रमाया: वह हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहु थे।

(835) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 687, व मुस्लिम, हदीस: 418, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 908.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) को तपे मुहर्रिक़ा थी और शदीद थी, इसलिये बावजूद तीन मर्तबा गुस्ल फ़रमाने के बुख़ार कम न हुआ और आप उठ न सके बल्कि बार बार बेहोश होते रहे। **(2)** हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने हज़रत उमर (ﷺ) को नमाज़ पढ़ाने के लिये इसलिये कहा कि उनका ख़्याल था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक़सद जमाअत क़ाइम करवाना है, न कि मुझे मुक़र्रर फ़रमाना, लिहाज़ा कोई जमाअत करवा दे। उन्हें इस मुकालमे का इल्म न था जो आपके और आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात के दरम्यान हुआ था। **(3)** 'वह हज़रत अली थे।' हज़रत आयशा (ﷺ) ने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वह मुतअय्यन नहीं थे बल्कि एक तरफ़ तो हज़रत अब्बास (ﷺ) ही रहे, दूसरी तरफ़ बदलते रहे, कभी हज़रत अली, कभी हज़रत बिलाल और कभी हज़रत उसामा (ﷺ) जैसा कि मुख़्तलिफ़ रिवायात से पता चलता है। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस: 833, 834)

بَاب : (٤١)
اخْتِلاَفِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

बाब : (41) इमाम और मुक़्तदी की नियत का मुख़्तलिफ़ होना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ فَأَخَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الصَّلاَةَ وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ فَقَرَأَ سُورَةَ

(836) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत मुआज़ (ﷺ) नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे, फिर अपनी क़ौम की तरफ़ वापस जाते और उनकी इमामत कराते थे। एक रात आपने नमाज़ मुअख़्ख़र की। हज़रत मुआज़(ﷺ) ने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाने के लिये उनकी तरफ़ लौटे और सूर-ए-बक़र: शुरू कर दी। जब एक आदमी ने ये सूरत पढ़ते सुना तो वह जमाअत

الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَأَخَّرَ فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ . فَقَالَ وَاللَّهِ مَا نَافَقْتُ وَلآتِيَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرُهُ . فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأْتِينَا فَيَؤُمُّنَا وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلاَةَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا " .

से पीछे निकल गया, फिर अलग नमाज़ पढ़ कर चला गया। लोगों ने कहा: ऐ शख़्स! तू मुनाफ़िक़ हो गया है। उसने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं मुनाफ़िक़ नहीं हुआ और मैं ज़रूर नबी(ﷺ) के पास जाऊंगा और आपको बताऊंगा। फिर वह नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ हज़रत मुआज़ (ﷻ) आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हमारे पास आकर हमारी इमामत कराते हैं। और रात आपने नमाज़ मुअख़्ख़र की तो उन्होंने आपके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर वापस आकर हमें पढ़ाई और सूर-ए-बक़र: शुरू कर दी। जब मैंने ये सुना तो मैं (जमाअत से) पीछे निकल गया और (अलग) नमाज़ पढ़ ली। हम ऊँटों पर पानी ढोने वाले लोग हैं। अपने हाथों से मेहनत करते हैं। (इतनी देर तक इतनी लम्बी नमाज़ नहीं पढ़ सकते।) नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! क्या तू फ़ित्नाबाज़ है? फुलां फुलां सूरत पढ़ा कर।'

(836) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 909.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत मुआज़ (ﷻ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते और वही नमाज़ जाकर अपनी क़ौम को पढ़ाते। कुछ रिवायात में है कि वह आपके साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ते और अपनी क़ौम को इशा की नमाज़ पढ़ाते थे, अलबत्ता जिस दिन ये वाक़िया हुआ, उस दिन उन्होंने बिल इत्तेफ़ाक़ इशा की नमाज़ भी आप (ﷺ) के साथ पढ़ी थी। **(2)** ज़ाहिर है आपके साथ पढ़ी हुई नमाज़ फ़र्ज़ होती थी और जो अपनी क़ौम को पढ़ाते थे, वह उन (मुआज़ (ﷻ)) के लिये नफ़ल होती थी और मुक़्तदियों के लिये फ़र्ज़। और यही इमाम नसाई (رحمه الله) का इस्तेदलाल है कि इमाम नफ़ल की नियत से पढ़ रहा हो और मुक़्तदी फ़र्ज़ की नियत तो कोई हर्ज नहीं। मुहद्दिसीन इसे जायज़ समझते हैं मगर अहनाफ़ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नहीं पढ़े जा सकते। इस

हदीस़ को वह मन्सूख़ समझते हैं मगर नस्ख़ स़ाबित नहीं, लिहाज़ा हदीस़ में मज़्कूरा सूरत जायज़ है, यानी इमाम नमाज़ पहले पढ़ चुका हो, वह नफ़ल नमाज़ की नियत के साथ हो जब कि मुक़्तदियों की नियत फ़र्ज़ की हो तो ये सूरत बिल्कुल स़ही है और हदीसे मुआज़ इसकी वाज़ेह दलील है। वल्लाहु आलम मज़ीद वज़ाहत के लिये देखिये हदीस़ नम्बर: 832 **(3)** इमाम और मुक़्तदी के इख़्तिलाफ़े नियत से इस्तेदलाल करते हुए ये भी कहा जाता है कि इमाम, जैसे: अस्र की नमाज़ पढ़ा रहा हो तो कोई शख़्स उसके पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ सकता है जिसकी नमाज़े ज़ुहर रह गई हो और नमाज़े अस्र वह बाद में अकेला पढ़ ले। और जिनके नज़दीक तर्तीब के बग़ैर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, उनके नज़दीक मज़्कूरा सूरत में ये भी जायज़ है कि वह इमाम के साथ नमाज़े अस्र ही अदा करे और सलाम फेरने के बाद वह ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ ले। दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत इख़्तियार की जा सकती है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبِالَّذِينَ جَاءُوا رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعًا وَلِهَؤُلاَءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ‏.‏

(837) हज़रत अबू बक्र (ﷻ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। आपने उन लोगों को जो आपके पीछे थे, दो रकअ़तें पढ़ाईं और जो बाद में आये उन्हें भी दो रकअ़तें पढ़ाईं। इस तरह नबी (ﷺ) की चार रकअ़तें हो गईं और उन सब की दो दो रकअ़तें।

(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 1248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 810.

फ़ायदा : बाब से मुनासिबत तब होगी अगर आप (ﷺ) को आख़री दो रकअ़तों में मुतनफ़्फ़िल माना जाये और यही क़रीने क़यास है। गोया नबी (ﷺ) ने दो सलाम से चार रकअ़तें पढ़ीं और बाक़ी ने दो दो।

باب (۴۲): فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

बाब : (42) जमाअ़त की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ‏"‏ ‏.‏

(838) हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ बा'जमाअ़त अकेले की नमाज़ से सत्ताईस (27) दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।'

(838) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 645, व मुस्लिम: 650, मौता: 1/129, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 911.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا " .

(839) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ बा'जमाअत अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25) दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।'

(839) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 649, मौता: 1/129, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 912.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .

(840) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ बा'जमाअत अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25) दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।'

(840) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 913.

फ़ायदा : नमाज़ बा'जमाअत में नमाज़ी को बहुत से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। वक़्त भी ज़्यादा सर्फ़ करना पड़ता है। नेकी के ज़्यादा मौक़े मयस्सर आते हैं, इसलिये नमाज़ बा'जमाअत अकेले की नमाज़ से बहुत अफ़ज़ल है। अक्सर रिवायात में पच्चीस दर्जे का ज़िक्र है जबकि कुछ रिवायात में सत्ताईस दर्जे का भी ज़िक्र है। कुछ अहले इल्म ने पच्चीस को तर्जीह दी है क्योंकि कम यक़ीनी होता है और ज़्यादा मुख़्तलफ़ फ़ीह, जब कि कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि दोनों आदात से अक्सर मुराद है न की मुअय्यन अदद। कुछ ने सिर्री और जहरी का फ़र्क़ बतलाया है, यानी सिर्री नमाज़ पच्चीस दर्जे और जहरी सत्ताईस दर्जे अफ़ज़ल है क्योंकि जहरी नमाज़ में मुक़्तदी को दो काम ज़्यादा करने पड़ते हैं: बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना और क़िराअत सुनना। अकेले की सब नमाज़ें ही सिर्री होती हैं। बहरहाल हक़ ये है कि उसके मुताल्लिक़ कोई सरीह सही दलील मन्क़ूल नहीं जिसकी वजह से कोई मोतबर या मुस्तनद बात या तौजीह की जा सकती हो, इसलिये इसकी हक़ीक़त अल्लाह तआला, ही बेहतर जानता है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 487)

बाब : (43) जब तीन आदमी हों तो जमाअत कैसे होगी

باب: (٤٣) الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ " .

(841) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ी तीन आदमी हों तो उनमें से एक इमामत कराये। और उनमें से इमामत का ज़्यादा हक़दार वह है जो ज़्यादा क़ारी हो।

(841) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 783, हदीस: 914.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस: 781, 1800 और उनके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (44) जब नमाज़ी तीन हों, यानी एक मर्द, एक बच्चा और एक औरत तो जमाअत कैसे होगी?

باب (٤٤): الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ قَزَعَةَ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي مَعَهُ .

(842) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) की एक जानिब नमाज़ पढ़ी और हज़रत आयशा (ﷺ) हमारे साथ नमाज़ पढ़ रही थीं। और मैं नबी (ﷺ) के पहलू में (दायीं जानिब) आपके साथ नमाज़ पढ़ रहा था।

(842) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 805, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 915.

फ़ायदा : जब इमाम के अलावा एक बच्चा और एक औरत हो तो बच्चा इमाम की दायें जानिब और औरत पीछे अकेली ही खड़ी होगी अगरचे अपनी बीवी या कोई महरम ख़ातून ही क्यूँ न हो, शरअन इस क़िस्म की सूरत में बा'जमाअत नमाज़ का यही तरीक़ा है। यही बाब का मक़सद है। (मज़ीद वज़ाहत के लिये हदीस नम्बर 804, 805 के फ़वाइद व मसाइल देखिये)

باب (٤٥): الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

बाब : (45) जब नमाज़ी दो हों तो जमाअत कैसे होगी?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

(843) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी तो मैं आप (ﷺ) की बायीं जानिब खड़ा हो गया। आपने मुझे अपने बायें हाथ से पकड़ कर अपनी दायीं जानिब खड़ा कर लिया।

(843) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 193/763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 916.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِيهِ - قَالَ سَمِعْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَالَ " أَشَهِدَ فُلاَنٌ الصَّلاَةَ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَفُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى

(844) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'क्या फुलां शख़्स नमाज़ में हाज़िर है?' लोगों ने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फुलां?' लोगों ने कहा: नहीं आपने फ़रमाया: 'ये दो नमाज़ें (इशा और फ़ज्र) मुनाफ़िक़ीन पर इन्तेहाई बौझल हैं। अगर वह इनकी फ़ज़ीलत जान लें तो ज़रूर हाज़िर हों अगरचे घिसट कर आना पड़े। पहली सफ़ फ़रिश्तों की सफ़ की तरह है। अगर तुम उसकी फ़ज़ीलत जान लो तो तुम (उसके हुसूल के लिये) एक दूसरे से आगे बढ़ो। और आदमी की नमाज़ एक और आदमी के साथ मिलकर अकेले की नमाज़ से अफ़ज़ल है। और दो आदमियों के साथ मिलकर पढ़ी हुई नमाज़ एक आदमी के साथ मिलकर पढ़ी हुई नमाज़ से अफ़ज़ल है। और वह जिस क़द्र ज़्यादा हों उतना ही अल्लाह (ﷻ) को ज़्यादा महबूब है।'

مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ‏.‏

(844) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 917, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1476, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 430, अबी दाऊद, हदीस: 554.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ नमाज़ के बाद नमाज़ियों की हाज़िरी मालूम की जा सकती है। **(2)** इशा और फ़ज्र की नमाज़ें मुनाफ़िक़ीन पर इसलिये बोझल हैं कि नींद का ग़ल्बा होता है। नींद और आराम छोड़ना ईमान की कुव्वत ही से मुमकिन है और उनमें ये चीज़ नहीं होती। वह तो सिर्फ़ दिखावे के लिये मस्जिद में आते हैं। ये दो नमाज़ें अन्धेरे की हैं, इनमें दिखलावा नहीं होता, लिहाज़ा वह आते ही नहीं। शौक़ तो वैसे ही नहीं। **(3)** 'फ़रिशतों की सफ़ की तरह।' यानी अफ़ज़ल है और उसका सवाब ज़्यादा है। इससे साबित हुआ कि फ़रिशतों की सफ़ इन्सानों की सफ़ से अफ़ज़ल है। **(4)** 'जिस क़द्र ज़यादा हों।' मालूम हुआ, जामेअ मस्जिद की नमाज़ महल्ले की मस्जिद की नमाज़ से अफ़ज़ल होगी, लिहाज़ा अगर कोई शख़्स सवाब की ख़ातिर बड़ी मस्जिद में जाये तो जा सकता है।

باب (٤٦): الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

बाब : (46)
नफ़ल नमाज़ के लिये जमाअत कराना

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ السُّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ سَنَفْعَلُ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ أَيْنَ تُرِيدُ ‏"‏ ‏.‏ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ‏.‏

(845) हज़रत इत्बान बिन मालिक अन्सारी(ﷺ) से मरवी है उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी क़ौम की मस्जिद और मेरे (घर के) दरम्यान बसा औक़ात बारिशी पानी हाइल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लायें और मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ें जिसे मैं नमाज़ की जगह बना लूँ। आपने फ़रमाया: 'हम ऐसे करेंगे।' जब (अगले दिन) रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो पूछा: 'तुम किस जगह चाहते हो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ?' मैंने घर के एक कोने की तरफ़ इशारा किया। रसूलुल्लाह(ﷺ) खड़े हुए। हमने आपके पीछे सफ़ें बाँधीं तो आपने हमें दो रकअतें (नफ़ल) पढ़ाई।

(845) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 33, बाद

हदीसः 657, बुख़ारी, हदीसः 424, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 918.

फ़ायदा : नफ़ल नमाज़ की जमाअत इत्तेफ़ाक़न हो जाये तो कोई हर्ज नहीं लेकिन लोगों को दावत दे कर न बुलाया जाये, अलबत्ता मख़्सूस नमाज़ें इससे मुस्तस्ना हैं, जैसेः नमाज़े कुसूफ़, नमाज़े इस्तिस्क़ा, नमाज़े ईदैन और नमाज़े तरावीह वग़ैरह। इनके लिये लोगों को बुलाना जायज़ है क्योंकि इनका सुन्नत से सबूत मिलता है मगर उनके लिये अज़ान व इक़ामत दुरुस्त नहीं।

बाब : (47)
फ़ौतशुदा नमाज़ की जमाअत कराना

باب: (٤٧)
الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلاَةِ

أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي " .

(846) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये खड़े हुए तो तकबीरे तहरीमा कहने से पहले आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमायाः 'सफ़ें सीधी करो और आपस में मिल कर खड़े हों मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ।'

(846) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीसः 815.

फ़ायदा : इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। ग़ालिबन रावि-ए-किताब या नासिख़ की ग़लती से यहाँ लिखी गई, और रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। (फ़वाइद के लिये देखिये, हदीसः 815, 816)

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، - وَاسْمُهُ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ " . قَالَ بِلاَلٌ أَنَا

(847) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है, हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ (सफ़र में) थे, किसी शख़्स ने कहाः अगर आप हमें आराम का मौक़ा अता फ़रमायें (तो क्या ही अच्छा हो) आपने फ़रमायाः 'मुझे ख़तरा है कि तुम नमाज़ से सोये रह जाओगे।' बिलाल (ﷺ) ने कहाः मैं तुम्हारा ख़्याल रखूंगा। वह लेट कर सो गये। हज़रत बिलाल (ﷺ) ने अपनी पुश्त की टेक अपनी सवारी से लगाई। अल्लाह के रसूल (ﷺ) जागे तो

سُورَج का किनारा तुलूअ हो चुका था। आपने फ़रमाया: 'ओ बिलाल! किधर गई तेरी बात?' उन्होंने कहा: आज जैसी नींद तो मुझे कभी नहीं आई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने जब चाहा तुम्हारी रूहों को क़ब्ज़ फ़रमा लिया और जब चाहा वापस कर दिया। ऐ बिलाल! उठो लोगों को नमाज़ की इत्तिला दो।' बिलाल (ؓ)! उठे और अज़ान कही, फिर सबने वुज़ू किया जब कि सूरज ऊँचा आ चुका था, फिर आप उठे और उन्हें नमाज़ पढ़ाई।

(847) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 595, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 919, अबू दाऊद: 440.

أَحْفَظُكُمْ . فَاضْطَجَعُوا فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ " يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ " . قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلاَلُ فَآذِنِ النَّاسَ بِالصَّلاَةِ " . فَقَامَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا - يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ .

बाब : (48) जमाअत छोड़ देने पर सख़्ती

باب (٤٨) التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

(848) मअदान बिन अबू तल्हा यअमरी से रिवायत है, वह कहते हैं: मुझसे हज़रत अबू दरदा(ؓ) ने कहा: तेरी रिहाइशगाह कहाँ है? मैंने कहा: हिम्स के क़रीब एक बस्ती में। अबू दरदा(ؓ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: 'किसी बस्ती या सहरा में जो भी तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और उनमें जमाअत क़ाइम न की जाती हो तो यक़ीन रखो कि उन पर शैतान ग़ालिब आ चुका है। जमाअत क़ाइम रखो क्योंकि भेड़िया उसी भेड़ बकरी को खाता है जो रेवड़ से दूर रहती है।'

साइब रावी ने कहा कि यहाँ जमाअत से नमाज़ की जमाअत मुराद है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلاَعِيُّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، قَالَ قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكَنُكَ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُوَيْنَ حِمْصَ . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ "

. قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ .

(848) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 920, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1486, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 425, वल हाकिम: 1/246 वग़ैरह.

फ़ायदा : इन्सान मदनियुत्तबअ (लोगों के बीच में रहने वाला) है, अकेला रहना उसके लिये मुमकिन नहीं है वह अपनी तमाम ज़रूरियात अकेला पूरी नहीं कर सकता। अकेले से अफ़्ज़ाइशे नस्ल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी तरह दीनी ज़िन्दगी भी इज्तेमाईयत के बग़ैर मुमकिन नहीं। नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात जैसे अहम और बुनियादी अरकाने इस्लाम की अदायगी भी अकेले के लिये कमा हक़्क़हू मुमकिन नहीं, इसलिये ज़रूरी है कि जहाँ भी एक से ज़्यादा मुसलमान रहते हों, वह मिल जुल कर रहें। अपने में से अफ़ज़ल शख़्स को अमीर और इमाम बनायें। उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। उसकी हिदायात के तहत ज़िन्दगी बसर करें। एक दूसरे के साथ दुख सुख में शरीक हों। नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करें। नमाज़ चूंकि इस्लामी ज़िन्दगी का लाज़िमी और दाइमी जुज़ है बल्कि जुज़्वे आज़म (सबसे जुज़)है, लिहाज़ा इसमें इज्तेमाइयत ज़रूरी है। नमाज़ बा'जमाअत पढ़ना लाज़िमी है। अकेला आदमी आसानी से शैतान के हत्थे चढ़ जाता है जब कि जमाअत में बँधा हुआ शख़्स महफ़ूज़ रहता है जिस तरह कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रेवड़ और भेड़िये की मिसाल बयान फ़रमाई है। इससे ये भी मालूम हुआ कि इज्मा-ए-उम्मत की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करनी चाहिए और बिला वजह जुम्हूर अहले इल्म से जुदा नहीं होना चाहिए क्योंकि तफ़र्रुद और शुज़ूज़ (अकेला हो जाना) इन्सान को शैतान के क़रीब कर देता है बल्कि दरअसल ये शैतानी दाव है। सहाबा व ताबेईन की जमाअत की पैरवी करनी चाहिए और उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए।

باب : (٤٩)
التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

बाब : (49)
जमाअत से पीछे रहने पर सख़्ती

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ

(849) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैंने इरादा किया कि मैं ईंधन (इकट्ठा करने) का हुक्म दूँ, उसे इकट्ठा किया जाये, फिर हुक्म दूं कि नमाज़ की अज़ान कही जाये, फिर एक आदमी को हुक्म दूं, और वह लोगों की इमामत कराये, फिर मैं उन

فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ " .

लोगों की तरफ़ जाऊँ (जो नमाज़ पढ़ने नहीं आये) और उनके घरों को उन पर जला दूं। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर उनमें से कोई शख़्स जान ले कि उसे चर्बी वाली हड्डी या दो बेहतरीन खुर मिलेंगे तो वह ज़रूर इशा की नमाज़ में हाज़िर होगा।'

(849) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 144, मौता: 1/129, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 921.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने ये इरादा तो फ़रमाया मगर उस पर अमल इसलिये न किया कि घर को आग लगाने से औरतें और बच्चे भी बे घर हो जायेंगे जिन पर मस्जिद में हाज़िरी ज़रूरी नहीं। इससे साबित हुआ कि नमाज़ में जमाअत फ़र्ज़ है जैसा कि इमाम अहमद और कुछ मुहद्दिसीन का ख़्याल है। अहले ज़ाहिर ने तो इसे नमाज़ की सेहत के लिये शर्त क़रार दिया है। अगर जमाअत फ़र्ज़ न होती तो नबी(ﷺ) ये राय ज़ाहिर न फ़रमाते। और कुछ दीगर अहले इल्म ने इसे तशदीद पर महमूल किया है जैसा कि इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने फ़रमाया कि जमाअत फ़र्ज़े क़िफ़ाया है जब कि दीगर अइम्मा व मुहद्दिसीन ने जमाअत को सुन्नते मुअक्कदा कहा है। हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो इमाम अहमद के मस्लक की ताईद करते हैं। अगर जमाअत फ़र्ज़े क़िफ़ाया होती तो फिर हर शख़्स की हाज़िरी ज़रूरी न थी। फिर आप (ﷺ) के इज़्हारे ग़ज़ब के क्या मानी? अलबत्ता उज़्र की बिना पर जमाअत से ग़ैर हाज़िरी जायज़ है, इसलिये जिन बुज़ुर्गों ने जमाअत को नमाज़ की सेहत के लिये शर्त क़रार दिया है, उनकी बात बिला दलील है। वल्लाहु आलम!

बाब : (50) नमाज़ों की उस जगह पाबन्दी करना जहाँ उनकी अज़ान कही जाये

باب (٥٠): الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا

(850) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़रमाया करते थे: जिस आदमी की ये ख़्वाहिश है कि कल अल्लाह तआला को (मुकम्मल तौर पर) इस्लाम की हालत में मिले तो उसे इन पाँच नमाज़ों की पाबन्दी उस जगह करनी चाहिए जहाँ उनकी अज़ान कही जाये (यानी मस्जिद में बा'जमाअत) क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) के

فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنِّي لاَ أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلاَّ لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى صَلاَةٍ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً أَوْ يَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ يُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ .

लिये हिदायत के तरीक़े जारी फ़रमाये। तहक़ीक़ ये (पाँचों) नमाज़ें (बा-जमाअत मस्जिद में पढ़ना भी) हिदायत के तरीक़ों में से है। बिलाशुब्हा मैं समझता हूँ कि तुममें से हर एक ने अपने घर में मस्जिद बना रखी है जिसमें वह नमाज़ पढ़ता है। इस तरह अगर तुम घरों में (फ़र्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे और मस्जिदों में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने नबी का (मारूफ़) तरीक़ा छोड़ बैठोगे और अगर तुमने नबी का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। जो भी मुसलमान आदमी वुज़ू करता है और अच्छा वुज़ू करता है, फिर वह नमाज़ के लिये चल कर जाता है तो अल्लाह तआला उसके हर क़दम के ऐवज़, जो वह उठाता है, एक नेकी लिख देता है या उसकी बिना पर एक दर्जा बलन्द फ़रमा देता है या उसकी कोई न कोई ग़लती माफ़ फ़रमा देता है। मुझे बख़ूबी याद है कि हम (इस वजह से) क़रीब क़रीब क़दम रखा करते थे। और वल्लाह! मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके दौरे अक़्दस में नमाज़ से कोई शख़्स पीछे नहीं रहता था मगर वह मुनाफ़िक़ जिसका निफ़ाक़ हर एक को मालूम था। अल्लाह की क़सम! मैंने (उस दौरे मुबारक में) देखा कि एक आदमी को दो आदमियों के सहारे चला कर मस्जिद में लाया जाता यहाँ तक कि उसे सफ़ में खड़ा कर दिया जाता।

(850) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 654/257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 922.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के इस फ़रमान में सुन्नते नबवी(ﷺ) से वह मानी मुराद नहीं जो बाद में फ़िक़्ह की इस्तेलाह बना, यानी जिसका करना ज़रूरी

नहीं, बल्कि इससे मुराद नबी (ﷺ) का तरीक़ा है जिसे छोड़ना गुमराही का मोजिब है और वह फ़र्ज़ व वाजिब के मानी में है। हज़रत इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) की तक़रीर के दीगर अल्फ़ाज़ इसी मानी की ताईद करते हैं। **(2)** 'तुम गुमराह हो जाओगे।' अबू दाऊद की रिवायत में है और तुम काफ़िर बन जाओगे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 550) **(3)** 'हम क़रीब क़रीब क़दम रखते थे।' इससे मक़सूद ज़्यादा सवाब हासिल करना था, गोया इस तरह करना जायज़ है, अलबत्ता घूम कर मस्जिद में आना दुरुस्त नहीं क्योंकि असल मक़सद तो मस्जिद की हाज़िरी है। मस्जिद की हाज़िरी और नफ़ल नमाज़ की अदायगी ज़्यादा सवाब वाली चीज़ है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلاَةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَهُ " أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَأَجِبْ " .

(851) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि एक नाबीना आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: मुझे कोई हाथ पकड़ कर चलाने वाला नहीं जो मुझे मस्जिद में नमाज़ के लिये लाये और उसने आपसे गुज़ारिश की कि उसे घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाये। आपने उसे इजाज़त दे दी। जब वह वापस जाने के लिये मुड़ा तो आपने फ़रमाया: 'तुम अज़ान सुनते हो?' उसने कहा: जी हाँ, आपने फ़रमाया: 'फिर (नमाज़ के लिये) ज़रूर आओ।'

(851) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 923.

फ़ायदा : ये रिवायत भी जमाअत को फ़र्ज़ कहने वालों की दलील है वरना नबी (ﷺ) बे'सहारा ना नाबीने सहाबी को रुख़सत दे देते। पहले आपने रुख़सत दे दी थी, फिर मालूम हुआ कि वह मस्जिद से ज़्यादा दूर नहीं रहता, वहाँ नमाज़ की अज़ान सुनाई देती है, इतने क़रीब से वह अकेला भी आ सकता है। वैसे भी जमाअत के वक़्त इतने फ़ासले से आने वाले बहुत होते हैं, कोई न कोई पकड़ कर ले आयेगा। ऐसे लगता है कि पहले आपने समझा होगा कि ये आदमी दूर रहता है, साथी कोई नहीं, अकेला नहीं आ सकेगा। ये कोई इज्तेहाद की तब्दीली नहीं, न इसके लिये किसी नई वहि का उतरना ज़रूरी है बल्कि ये फ़तवा साइल के हालात पर मौक़ूफ़ है। कुछ उलमा ने कहा है कि हाज़िरी का हुक्म इस्तेहबाब के लिये है, वजूब के लिये नहीं, लेकिन ऊपर दी गई तौजीह की सूरत में ये बात कोई क़वी नहीं।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ . قَالَ " هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَحَيَّ هَلاً " . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ .

(852) हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ मदीना मुनव्वरा में ज़हरीले कीड़े मकौड़े और दरिन्दे बहुत हैं (लिहाज़ा मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिये।) आपने फ़रमाया: 'क्या तुम हय्य अलस्सलात और हय्या अलल फ़लाह की निदा सुनते हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर ज़रूर आओ।' और आपने उन्हें घर में (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ने की रुख़सत नहीं दी।

(852) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 924, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1478, मुस्लिम, हदीस: 653, व अहमद: 3/423, व इब्ने ख़ुज़ैमा: 1479, वल हाकिम: 1/247 वग़ैरहुम.

باب (٥١): الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

बाब : (51) उज़्र की बिना पर जमाअत तर्क करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَمَ، كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ " .

(853) हज़रत उर्वा से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अरक़म (ﷺ) अपने साथियों को जमाअत कराते थे। एक दिन नमाज़ का वक़्त हो गया तो वह क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गये, फिर वापस आये और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: 'जब तुममें से कोई शख़्स क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत महसूस करे तो नमाज़ से पहले क़ज़ा-ए-हाजत कर ले।'

(853) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 88, तिर्मिज़ी, हदीस: 142, व इब्ने माजा, हदीस: 616, मौता: 1/159, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 925, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम, वज़्ज़हबी वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस दिन वह ख़ुद तशरीफ़ न लाये थे। अपनी जगह एक आदमी भेज दिया

था जिसने इमामत करवाई। नमाज़ के बाद पहुँचे तो माज़रत फ़रमाई। (2) क़ज़ा-ए-हाजत महसूस हो तो नमाज़ से पहले फ़ारिग़ हो लेना चाहिए, ख़्वाह जमाअत गुज़र ही जाये क्योंकि फ़राग़त के बग़ैर नमाज़ की सूरत में तवज्जा बटती रहेगी, ज़हन मुन्तशिर रहेगा और पेट में गड़ बड़ होती रहेगी। फ़राग़त के बाद सुकून से नमाज़ पढ़ी जायेगी। बाक़ी रहा जमाअत का सवाब तो इन्शाअल्लाह जमाअत के पाबन्द शख़्स को उज़्र की सूरत में मिलेगा जैसा कि शरई असल (उसूल) है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " .

(854) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब रात का खाना (पक कर) सामने आ जाये और (उधर) जमाअत खड़ी हो जाये तो पहले खाना खा लो।'

(854) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 557, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 926.

फ़ायदा : ये तब है जब खाने की शदीद हाजत हो। अगर इसी तरह नमाज़ पढ़े तो यकसूई न होगी, तबीअत बेचैन रहेगी। या फिर खाना ज़ाया होने का ख़दशा हो क्योंकि नबी (ﷺ) ने माल ज़ाया करने से रोका है। ये दो बातें न हों तो नमाज़ पहले पढ़नी चाहिए जैसा कि सही बुख़ारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) गोश्त खा रहे थे कि नमाज़ की इत्तिला दी गई तो आपने छुरी रख दी और नमाज़ के लिये चले गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 208)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُنَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

(855) हज़रत अबू मलीह अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने फ़रमाया हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हुनैन में थे कि हम पर बारिश बरसने लगी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने ऐलान किया कि अपने अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़ लो।

(855) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927, इब्ने माजा, हदीस: 936, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान,वल हाकिम: 1/293.

फ़ायदा : ये ऐलान अज़ान ही में किया गया है। हय्य अलल फ़लाह के बाद या हय्य अलस्सलात, हय्या अलल फ़लाह की जगह या अज़ान के इख़्तिताम पर। अब भी अगर बारिश बरस रही हो या बहुत ज़्यादा कीचड़ हो या यख़ ठण्डी हवा चल रही हो और मस्जिद में पहुँचना मुमकिन न हो तो मुअज़्ज़िन ये

ऐलान कर सकता है। वल्लाहु आलम!

इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये किताबुल अज़ान का इब्तेदाइया देखिये।

باب (٥٢): حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

बाब : (52) जमाअत (का सवाब) पाने की हद

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ الْفِهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا " .

(856) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने वुज़ू किया और अच्छा वुज़ू किया, फिर जमाअत की नियत से मस्जिद की तरफ़ गया मगर लोगों को इस हाल में पाया कि वह नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह तआला उसके लिये जमाअत में हाज़िर होने वाले जैसा सवाब लिख देता है लेकिन इससे उनके सवाब में कमी नहीं आती।'

(856) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 928, व सहीह हाकिम: 1/208, 209.

फ़ायदा : उस शख़्स की नियत जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने ही की थी, फिर उसने कोई कोताही भी नहीं की बल्कि अपनी पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी जमाअत न मिल सकी। उसने अफ़सोस किया तो उसकी नियत और कोशिश के लिहाज़ से उसे जमाअत का सवाब मिलेगा, बशर्ते कि वह जमाअत का पाबन्द हो। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है। इससे मुराद वह शख़्स नहीं जो नमाज़ बा'जमाअत में सुस्ती का आदी है या ज़्यादा परवाह नहीं करता। मिल जाये तो ठीक, न मिले तो कोई अफ़सोस नहीं। ऐसे शख़्स के लिये कम अज़ कम एक रकअत बा'जमाअत पढ़ने की सूरत में जमाअत का सवाब मिलेगा, कम में नहीं। और ये बात सही अहादीस से साबित है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 580, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 607)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ

(857) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'जिस शख़्स ने नमाज़ के लिये वुज़ू किया और अच्छा वुज़ू किया, फिर फ़र्ज़

وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

नमाज़ (की अदायगी के लिये मस्जिद) की तरफ़ चला और लोगों के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी या (अकेले ने) मस्जिद में पढ़ी, अल्लाह तआला उसके लिये उसके गुनाह माफ़ फ़रमा देगा।'

(857) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 13/332, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 929, बुख़ारी, हदीस: 6433.

باب (٥٣): إِعَادَةِ الصَّلاَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

बाब : (53) अगर कोई शख़्स अकेला नमाज़ पढ़ ले तो जमाअत मिलने की सूरत में दोबारा पढ़ना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ " . قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ " .

(858) हज़रत मेहजन (رضي الله عنه) से मरवी है कि वह अल्लाह के रसूल (ﷺ) की मज्लिस में थे कि नमाज़ की अज़ान कही गई। अल्लाह के रसूल(ﷺ) उठे, फिर (नमाज़ पढ़ कर) वापस तशरीफ़ लाये तो (देखा कि) मेहजन अपनी जगह ही में बैठे थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हें नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका? क्या तुम मुसलमान आदमी नहीं हो?' उन्होंने कहा: क्यूँ नहीं! लेकिन मैं घर में नमाज़ पढ़ आया हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम मस्जिद में आओ (और जमाअत मिल जाये) तो लोगों के साथ नमाज़ पढ़ो, अगरचे तुम (अकेले) नमाज़ पढ़ चुके हो।'

(858) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/34, मौता: 1/132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 930, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम: 1/233.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ अकेले आदमी की नमाज़ भी हो जाती है, चाहे घर ही में पढ़ ले, बशर्ते कि कोई उ़ज्र हो, वरना बिला उ़ज्र नमाज़ बा'जमाअ़त तर्क करना गुनाह है, और जमाअ़त शर्त नहीं है जैसा कि अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ है, बहरहाल उ़ज्र की सूरत में मामूल के मुताबिक़ अज्र मिलता है। **(2)** अगर इन्सान अकेला नमाज़ पढ़ ले ये समझ कर कि जमाअ़त न मिलेगी या जमाअ़त हो चुकी है या शायद मैं मस्जिद में न जा सकूं वग़ैरह, फिर वह मस्जिद में आये और नमाज़ बा'जमाअ़त मिल जाये तो उसे नमाज़ बा'जमाअ़त दोहरानी चाहिए ताकि जमाअ़त का स़वाब मिल जाये। अहनाफ़ तीन नमाज़ों को दोबारा पढ़ना जायज़ नहीं समझते। मग़रिब, फ़ज्र और अ़स्र क्योंकि बाद में पढ़ी जाने वाली नमाज़ नफ़ल होगी। फ़ज्र और अ़स्र के बाद नफ़ल जायज़ नहीं। मग़रिब दोबारा पढ़ने की सूरत में तीन नफ़ल बन जायेंगे और नफ़ल तीन नहीं होते, हालांकि ये ख़ास़ हुक्म है। अ़स्र और फ़ज्र के बाद नफ़ल की मुमानिअ़त आ़म है। आ़म को ख़ास़ से मुक़य्यद किया जा सकता है। बाक़ी रहे तीन नफ़ल तो शरीयत का हुक्म आ जाने के बाद मुमानिअ़त जाती रही, और अगर इन नमाज़ों का दोहराना मना होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) स़राहत फ़रमाते क्योंकि अक्सर का इस्तिसना मुनासिब नहीं। अगर स़िर्फ़ दो नमाज़ें ही दोहरानी ज़रूरी या जायज़ होतीं तो स़िर्फ़ उन दो नमाज़ों ही का नाम ले लेते क्योंकि यहाँ वज़ाहत ज़रूरी थी। ग़लतफ़हमी का इम्कान था। नबी (ﷺ) का वज़ाहत न फ़रमाना दलील है कि हर नमाज़ दोहराई ज़ा सकती है। ये ख़ास हुक्म है। इसे आ़म पर तर्जीह होगी।

बाब : (54) जो आदमी फ़ज्र की नमाज़ अकेला पढ़ चुका हो, जमाअ़त मिल जाने की सूरत में वह दोबारा पढ़े

باب (٥٤): إِعَادَةُ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

(859) ह़ज़रत यज़ीद बिन अस्वद आ़मिरी (رضي الله عنه) ने कहा कि मैंने फ़ज्र की नमाज़ मस्जिदे ख़ैफ़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ पढ़ी। जब आपने नमाज़ पूरी फ़रमा ली तो आपने लोगों (नमाज़ियों) के आख़िर में दो आदमी देखे जिन्होंने आपके साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आपने फ़रमाया: 'उन्हें मेरे पास लाओ।' उन्हें आपके पास लाया गया तो उनके कंधों का गोश्त काँप रहा था। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें हमारे साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका?' उन्होंने कहा: ऐ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ " عَلَىَّ بِهِمَا " . فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ

अल्लाह के रसूल! हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ चुके हैं। आपने फ़रमाया: 'ऐसा मत करो। जब तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर तुम मस्जिद में आओ और जमाअत पाओ तो उनके साथ भी पढ़ लो। वह (बाद वाली) तुम्हारे लिये नफ़्ल हो जायेगी।'

فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا " . قَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . قَالَ " فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ "

(859) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 219, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 931, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1279, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 434, 435, अबू दाऊद, हदीस: 575, 576.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्जिदे ख़ैफ़ मिना में है और ये हज्जतुल विदा का वाक़िया है। मन्सूख़ होने का एहतिमाल नहीं। **(2)** 'काँप रहा था।' रसूलुल्लाह (ﷺ) में क़ुदरती तौर पर रौब और हैबत थी। जो नया आदमी आपको देखता था या जो कभी कभार देखता था, मरऊब हो जाता था। उन्हें तो बुलाया गया था बल्कि पकड़ कर लाया गया था, लिहाज़ा मरऊब होने के अलावा उनका ख़ौफ़ज़दा होना क़रीने क़यास था। **(3)** इस रिवायत में सरीह तौर पर फ़ज्र की नमाज़ के बारे में फ़रमाया गया है कि अकेला रहने वाला जमाअत पाये तो दोबारा पढ़े, लिहाज़ा इस सरीह रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत से इस्तेदलाल करना ख़िलाफ़े इन्साफ़ है। **(4)** 'नफ़्ल हो जायेगी।' कौन सी? इसमें इख़्तिलाफ़ है, इसीलिये मुहक़्क़िक़ीन ने कहा ये अल्लाह के सुपुर्द है जिसे चाहे फ़र्ज़ बनाये जिसे चाहे नफ़्ल। लेकिन ज़ाहिर है कि पहली नमाज़ जब पढ़ी थी तो वह फ़र्ज़ थी और फ़र्ज़ ही की नियत से पढ़ी थी, इसलिये दूसरी नमाज़ ही नफ़्ल होनी चाहिए। अहादीस की रोशनी में इसी मौक़िफ़ की ताईद होती है। वल्लाहु आलम!

बाब : (55) (अफ़ज़ल) वक़्त गुज़र जाने के बाद भी नमाज़ जमाअत के साथ दोहराना

باب (٥٥): إِعَادَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

(860) हज़रत अबू ज़र (ؓ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरी रान पर हाथ मारते हुए मुझसे फ़रमाया: 'तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम उन लोगों में बाक़ी रह जाओगे

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

بُدَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضَرَبَ فَخِذِي " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا " . قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ " .

जो नमाज़ को उसके वक़्त से मुअख़्ख़र करेंगे?' मैंने कहा: आप क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'नमाज़ वक़्त पर पढ़ लिया करना, फिर अपना काम करना, फिर अगर मस्जिद में तुम्हारी मौजुदगी के दौरान में जमाअत शुरू हो जाये तो पढ़ लेना।'

(860) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 779, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 932.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे जमाअत और लुज़ूमे जमाअत की अहमियत ज़ाहिर होती है, ख़्वाह लोग अफ़ज़ल और मुस्तहब वक़्त के बाद भी जमाअत करवायें, तब भी उनके साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। हाँ! अपनी नमाज़ वक़्त पर महफ़ूज़ कर ले। गोया किसी हाल में जमाअत छोड़ने की इजाज़त नहीं क्योंकि जमाअत से अलग होने और तफ़र्रुद व शुज़ूज़ के नुक़सानात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से सहाबा ने अपने इज्तेहाद पर जमाअत के अमल को तर्जीह दी है क्योंकि एक में ग़लती का इम्कान ज़्यादा है। जितने ज़्यादा अहले इल्म होंगे, उतना ही ग़लती का एहतिमाल कम हो जायेगा यहाँ तक कि जब इज्मा (तमाम मोतबर अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ जिसके ख़िलाफ़ कुछ मन्क़ूल न हो) हो जाता है तो ग़लती का एहतिमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। **(2)** रान पर हाथ मारना तम्बीह के लिये है कि ये बात तुझसे मुताल्लिक़ है, अच्छी तरह समझ ले। आपने इस क़िस्म के बहुत से मसाइल में हज़रत अबू ज़र (ﷺ) को ख़ुसूसी हिदायात दीं। वाक़िअतन उन्हें ऐसे हालात से साबिक़ा पेश आया और उन्होंने बावजूद इख़्तिलाफ़ के जमाअत को नहीं छोड़ा। अगरचे मुफ़स्सिरीन और उम्मते मुस्लिमा के बदख़्वाह उन्हें इश्तेआल दिलाने की कोशिशें करते रहे मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) की तर्बीयत की बिना पर वह महफ़ूज़ रहे। (ﷺ)

बाब : (56)
जो शख़्स मस्जिद में इमाम के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुका हो, उससे नमाज़ का साक़ित हो जाना

باب : (٥٦)
سُقُوطِ الصَّلاَةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلاَطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لاَ تُصَلِّي قَالَ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " .

(861) हज़रत मैमूना (ﷺ) के आज़ाद कर्दा गुलाम सुलैमान ने कहा: मैंने हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) को फ़र्श पर बैठे देखा जब कि लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या वजह है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे? उन्होंने कहा: मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है: 'एक नमाज़ दिन में दो मर्तबा नहीं पढ़ी जा सकती।'

(861) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 933, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1641, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 432 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ने मज़्कूरा रिवायत से ये समझा है कि इब्ने उमर (ﷺ) पहले बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुके थे। लोग अकेले अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे, या मुमकिन है कि दूसरी जमाअत हो, तब ये मुकालमा हुआ हो। अगर सूरते हाल यही थी तो फिर इब्ने उमर (ﷺ) का जवाब और इस्तिम्बात सही है। लेकिन ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जमाअत हो रही थी और इब्ने उमर (ﷺ) पहले अकेले पढ़ कर बैठे थे। इस सूरत में उनका इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है। मालूम होता है कि नबी (ﷺ) की मज़्कूरा हदीसें उनके इल्म में नहीं थीं वरना दूसरी मर्तबा नमाज़ पढ़ना उसी वक़्त मना है जब पहले नमाज़ बा'जमाअत कामिल तरीक़े से पढ़ी गई हो, या लौटाने की कोई वजह न हो, या दोनों दफ़ा फ़र्ज़ की नियत की गई हो। ये आख़री तौजीह व तत्बीक़ इमाम अहमद और इस्हाक़ बिन राह्वे (رحمهما الله) की है और हदीस से यही मुराद है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 10/348)

बाब : (57) नमाज़ के लिये दौड़ना

باب (٥٧): السَّعْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا " .

(862) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये आओ तो दौड़ते हुए न आओ बल्कि सुकून और वक़ार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज़ जमाअत के साथ मिल जाये पढ़ लो और जो रह जाये बाद में पूरी कर लो।'

(862) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 602, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 934.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ की तरफ़ दौड़ कर आना संजीदगी के ख़िलाफ़ है, बे'अदबी है, मस्जिद की हुर्मत के ख़िलाफ़ है। रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हाज़िरी मामूली बात नहीं। इसमें सुकून और वक़ार चाहिए। आम मामलात में भी जल्द बाज़ी ना'मुनासिब है। इसकी निस्बत शैतान की तरफ़ की गई है क्योंकि इसमें आम तौर पर जानी और माली नुक़सान हो जाता है। इज़्ज़त का नुक़सान तो है ही। **(2)** जो नमाज़ इमाम के साथ मिल जाये, वह इब्तेदा-ए-नमाज़ है या इमाम वाली? इसमें इख़्तिलाफ़ है, यानी मुक़्तदी की वह कौन सी रकअतें शुमार होंगी? पहली शुमार होंगी तो वह बक़िया रकअतें आख़री रकअतों की तरह पढ़ेगा और अगर इमाम की तर्तीब के हिसाब से शुमार होंगी तो बक़िया रकअतें वह इब्तेदाई रकअतों की तरह पढ़ेगा। शवाफ़ेअ पहली और अहनाफ़ दूसरी बात के क़ाइल हैं। दोनों तरफ़ दलाइल हैं। इस हदीस़ के आख़री लफ़्ज़ (फ़क़्ज़ू) इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) के ताईद करने वाला है और यही राजेह है। वल्लाहु आलम! और अक्सर रिवायात में (फ़अतिम्मू) के अल्फ़ाज़ वारिद हैं जिसके साफ़ माना ये हैं कि मुक़्तदी जहाँ से आग़ाज़ करेगा, वही उसकी इब्तेदा-ए-नमाज़ होगी। जो रह चुकी होगी, बाद में उसकी तकमील करेगा, लिहाज़ा कुछ अहादीस़ में मन्क़ूल अल्फ़ाज़ (फ़क़्ज़ू) के मानी भी यही होंगे, यानी जो नमाज़ रह चुकी हो, उसे बाद में अदा कर लिया जाये। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 10/355)

बाब : (58)
दौड़े बग़ैर तेज़ी के साथ नमाज़ के लिये आना

باب : (٥٨)
الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ " أُفٍّ لَكَ أُفٍّ لَكَ " . قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي فَقَالَ " مَا لَكَ امْشِ " . فَقُلْتُ أَحْدَثْتُ حَدَثًا . قَالَ " مَا ذَاكَ " . قُلْتُ أَفَّفْتَ بِي . قَالَ " لاَ وَلَكِنْ هَذَا فُلاَنٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلاَنٍ فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ " .

(863) हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अस्र की नमाज़ पढ़ लेते तो बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले जाते और उनके यहाँ बातें करते यहाँ तक कि मग़रिब के वक़्त वापस तशरीफ़ लाते। अबू राफ़ेअ ने कहा: एक दफ़ा नबी (ﷺ) मग़रिब के वक़्त जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे कि हम बक़ीअ से गुज़रे तो आपने फ़रमाया: 'अफ़सोस तुझ पर! अफ़सोस तुझ पर!' मुझे ये अल्फ़ाज़ दिल में बहुत तकलीफ़देह महसूस हुए। मैं पीछे हट गया। मैंने समझा कि आप मुझसे मुख़ातिब हैं। आपने फ़रमाया: 'पीछे क्यूँ रह गये हो? चलते आओ।' मैंने कहा: मुझसे कोई क़ुसूर हो गया है? आपने फ़रमाया: 'क्या मतलब?' मैंने कहा: आपने मुझ पर इज़्हारे अफ़सोस किया है। आपने फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि (मेरी) इस बात का सबब ये है कि मैंने एक आदमी को फ़ुलां क़बीले की ज़कात लेने के लिये भेजा था। उसने एक चादर छुपा ली। अब उसे इस जैसी आग की चादर पहनाई गई है।'

(863) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/392, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 935, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2337, तबरानी अल कबीर: 1/961, 968, 974, 988 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर वक़्त तंग हो या जमाअत खड़ी हो चुकी हो तो नमाज़ के लिये ऐसी तेज़ी से चला जा सकता है जिससे मस्जिद व नमाज़ की तौहीन हो न इन्सानी वक़ार ही के ख़िलाफ़ हो। (2) फ़ौतशुदा को तसव्वुर में हाज़िर करके इज़्हारे अफ़सोस व मलामत के लिये उससे ख़िताब किया जा सकता है। इस तरह सलाम व दुआ में उससे ख़िताब किया जा सकता है, जैसे अस्सलामुअलैकुम या अहलल क़ुबूर वग़ैरह, दुआ है, बशर्ते कि मय्यत को हक़ीक़तन हाज़िर नाज़िर न समझे।

خْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ، - رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، نَحْوَهُ .

(864) हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) से ये रिवायत दूसरी सनद के साथ भी ऊपर वाली रिवायत के हम मानी मन्क़ूल है।

(864) **तख़रीज : (सनद हसन)** पिछली हदीस में देखें।

फ़ायदा : ये दोनों सनदें हज़रत इब्ने जुरैज पर इकट्ठी हो जाती हैं। ऊपर सारी सनद एक ही है। इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद मुताबिअत बयान करना है। मुताबिअत से रिवायत क़वी हो जाती है।

باب (٥٩): التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلاَةِ

बाब : (59) नमाज़ के लिये जल्दी (अव्वल वक़्त में) निकलना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الصَّلاَةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَةَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ

(865) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ के लिये जल्दी आने वाले की मिसाल उस शख़्स की तरह है जो एक ऊँट सदक़ा करता है। फिर जो उसके बाद आता है, वह उस शख़्स की तरह है जो गाय सदक़ा करता है। फिर उसके बाद आने वाला उस शख़्स की तरह है जो एक मैंढा सदक़ा करता है। फिर जो उसके बाद आता है, वह उस शख़्स की तरह है जो मुर्ग़ी सदक़ा करता है। फिर जो उसके बाद आता है, वह उस शख़्स की तरह है जो अण्डा सदक़ा करता है।'

(865) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 3211, व

الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ" .

मुस्लिम, हदीस: 850, बाद हदीस: 856, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 936.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में नमाज़ से मुराद नमाज़े जुमा है। मुसन्निफ़ ने आम नमाज़ को भी नमाज़े जुमा पर महमूल किया है क्योंकि कुछ रिवायात से हर नमाज़ में जल्दी आने की फ़ज़ीलत मालूम होती है। देखें: (सुनन नसाई, हदीस: 672) **(2)** रिवायत में लफ़्ज़ (युह्दी) है जिससे मुराद जानवर को हरम भेजना है ताकि वहाँ ज़बह हो और तक़र्रुब हासिल हो। यहाँ मजाज़न सदक़े के मानी में है क्योंकि मुर्ग़ी और अण्डा क़ुर्बान नहीं किये जाते, अलबत्ता उनसे सवाब ज़रूर हासिल होता है। कुछ लोगों ने क़ुर्बानी वाला मानी करके इस हदीस से मुर्ग़ी की क़ुर्बानी साबित की है मगर अण्डे को कैसे और कहाँ से ज़बह किया जायेगा? इस क़िस्म के मज़्हका ख़ेज़ मसाइल से जुम्हूर अहले इल्म की मुख़ालिफ़त करना और अपने आपको तमाशा बनाना है। सियाक़ व सबाक़ और मज्मूई तनाज़ुर से हट कर सिर्फ़ लफ़्ज़ों से इस्तिदलाल बसा औक़ात गुमराही का मोजिब बन जाता है, इसलिये ज़रूरी है कि जुम्हूर सहाब-ए-किराम (ﷺ) और ताबेईन के मन्हज और ताबीर को मद्दे नज़र रखा जाये।

बाब : (60) इक़ामत के वक़्त नमाज़ (नफ़ल वग़ैरह पढ़ने) की कराहत

مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ " .

(866) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ की इक़ामत हो जाये तो उस (बा'जमाअत) फ़र्ज़ के अलावा कोई और नमाज़ नहीं।'

(866) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 64/710, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 937.

फ़ायदा : जब किसी फ़र्ज़ नमाज़ की इक़ामत हो जाये तो कोई नफ़ल या कोई फ़र्ज़ नमाज़ शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि ये जमाअत के उसूल के ख़िलाफ़ है और इससे जमाअत की अहमियत ख़त्म हो जायेगी, अलबत्ता अगर कोई शख़्स पहले से सुन्नतें वग़ैरह पढ़ रहा है और उसे जारी रखने में फ़र्ज़ से कुछ भी फ़ौत होने का अन्देशा नहीं है (जैसे वह तशह्हुद में हो) तो उलमा की एक राय के मुताबिक़ वह

नमाज़ जारी रखे और जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करे ताकि फ़र्ज़ नमाज़ बा'जमाअत पढ़ सके। अगर उसे ख़तरा है कि जारी रखने की सूरत में कुछ फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से रह जायेगी या कोई रकअत फ़ौत हो जायेगी तो नमाज़ मुन्क़तअ कर दे और जमाअत के साथ मिल जाये जबकि बेहतर ये है कि जूँ ही इक़ामत शुरू हो, नमाज़ तर्क कर दी जाये, ख़्वाह नमाज़ के किसी भी मर्हले में हो क्योंकि (फ़ला सलात) की वाज़ेह नस्स से मालूम होता है कि उसे शुमार नहीं किया जाता अगरचे बज़अमे ख़ुवैश(खुद की सोच से) नमाज़ जारी रखे हो।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ " .

(867) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ की इक़ामत हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं।'

(867) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 938, पिछली हदीस में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

(868) हज़रत इब्ने बुहैना (ﷺ) से मन्क़ूल है कि सुबह की नमाज़ की इक़ामत हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि मुअज्जिन इक़ामत कह रहा था। आपने फ़रमाया: 'तू सुबह की नमाज़ चार रकअत पढ़ेगा?'

(868) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 66/711, बुख़ारी: 663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 939.

फ़ायदा : ये रिवायत सरीह है कि इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्नतें भी शुरू नहीं कर सकता। ऊपर वाली अहादीस का तक़ाज़ा भी यही है। मगर अहनाफ़ हज़रात सुबह की सुन्नतों के पढ़ने के क़ाइल हैं, ख़्वाह इक़ामत क्या, जमाअत ही हो रही हो, बशर्ते कि तशहहुद मिल जाये। जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) इक़ामत के दौरान में सुन्नतें शुरू करने पर डाँट रहे हैं। अहनाफ़ इन अहादीस की दूर अज़ कार तावीलात करते हैं, जैसे: ये रिवायात मस्जिद में अलग नमाज़ पढ़ने से रोकती हैं, न कि मस्जिद से बाहर। या सफ़ के अन्दर नमाज़ पढ़ने से मानेअ हैं कि सफ़ मुन्क़तअ होगी। मगर सोचने की बात है कि क्या ऊपर दी गई हदीसें पढ़ कर ज़हन में ये बात आती है? अगर ये क़ुयूद किसी और हदीस से ली गई हैं तो बराहे किराम

उनका हवाला दिया जाये। हक़ीक़त ये है ये तौजीह ख़ुदसाख़्ता है। कोई हदीस़ इस पर दलालत नहीं करती और न कोई रिवायत ही ऊपर दी गई रिवायात के मुनाफ़ी आई है जिसकी बिना पर तावील की गई हो। ये भी कहा गया है कि इस हुक्म से सुबह की सुन्नतें ख़ास़ हैं क्योंकि पहले न पढ़ने की सूरत में वह क़ज़ा से भी रह जायेंगी क्योंकि फ़र्ज़ों के बाद नफ़ल जायज़ नहीं और तुलूअ़े शम्स के बाद नमाज़ का वक़्त ही ख़त्म हो जायेगा, हालांकि ये रिवायत तो है ही सुबह की सुन्नतों के बारे में। बाक़ी रही क़ज़ा तो वह फ़र्ज़ नमाज़ के बाद हो सकती है जैसा कि सुनन अबू दाऊद और जामेअ़ तिर्मिज़ी में एक स़हाबी के फ़ज्र की नमाज़ के बाद सुन्नतें पढ़ने और रसूलुल्लाह(ﷺ) के उन्हें बरक़रार रखने की रिवायत आई है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1267, व जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 422)

बाब : (61) जो शख़्स़ फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ता हो जब कि इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा हो

باب (٦١): فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ

(869) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सरजिस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक आदमी आया। उसने दो रकअ़तें पढ़ीं, फिर नमाज़ में शामिल हुआ। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने फ़रमाया: 'ओ फ़ुलां! तेरी कौन सी नमाज़ मोतबर है? वह जो तूने हमारे साथ पढ़ी या वह जो तूने अकेले पढ़ी?'

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ " يَا فُلاَنُ أَيُّهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ".

(869) तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 940.

फ़ायदा : इस हदीस़ का मक़सद भी यही है कि फ़ज्र की नमाज़ के दौरान में सुन्नतें नहीं पढ़ी जा सकतीं, अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक मस्जिद से बाहर पढ़ी जा सकती हैं। ये मुतक़द्दिमीन का मस्लक था, बाद वालों ने तो मस्जिद के अन्दर जमाअ़त वाली स़फ़ से पिछली स़फ़ में खड़े होकर पढ़ने की इजाज़त दे दी है, हालांकि स़हीह मुस्लिम की रिवायत में स़राहत है कि मज़्कूरा शख़्स़ ने मस्जिद के एक तरफ़ नमाज़ पढ़ी थी। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 712) फिर आप (ﷺ) ने उसे रोका। ऐसी स़रीह रिवायात की मौजुदगी में मस्जिद के अन्दर जमाअ़त की मौजुदगी में सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त देना बहुत बड़ी जसारत है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) से मन्क़ूल है कि वह मस्जिद से बाहर भी इक़ामत के बाद सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इसी की ताईद करते हैं। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (62)
स़फ़ से पीछे अकेले आदमी की नमाज़

باب (٦٢): الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، - رضى الله عنه - قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَهُ وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

(870) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे घर तशरीफ़ लाये। मैं और हमारे एक यतीम ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और (हमारी वालिदा) हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) ने हमारे पीछे नमाज़ पढ़ी।

(870) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 941.

फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर औरत एक हो तो वह मर्दों के साथ खड़ी नहीं होगी बल्कि अकेली खड़ी होकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ेगी, लेकिन अगर मर्द स़फ़ के पीछे अकेला हो तो उसके लिये नह्य मौजूद है, मगर ये कि कोई उ़ज़्र हो क्योंकि रसूले अकरम (ﷺ) ने एक आदमी को स़फ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'स़फ़ के पीछे अकेले मर्द की नमाज़ नहीं होती।' ये रिवायत कुतूबे हदीस़ में मौजूद है और हसन दर्जे की है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 682, व मुसनद अहमद: 4/23) इसलिये इमाम अहमद, इस्हाक़ और दीगर मुहद्दिसीन (ﷺ) ने स़फ़ के पीछे अकेले की नमाज़ को नाजायज़ और क़ाबिले एआ़दा क़रार दिया है, बशर्ते कि वह अगली स़फ़ में जगह होने के बावजूद अकेला खड़ा हुआ हो जब कि दीगर हज़रात इसे जायज़ समझते हैं मगर ये क़ौल बिला दलील है। स़फ़ के पीछे अकेला आदमी क्या करे? इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर स़फ़ में खड़े होने की जगह नहीं है और दूसरा नमाज़ी भी साथ खड़ा होने वाला नहीं है तो फिर अकेला शख़्स़ ही स़फ़ के पीछे खड़ा हो जाये। उसकी नमाज़ इन्शाअल्लाह दुरुस्त होगी। अगली स़फ़ से नमाज़ी खींच कर अपने साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये अगली स़फ़ से आदमी नहीं खींचना चाहिए। शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (ﷺ) का भी यही मौक़िफ़ है। वल्लाहु आ़लम तफ़्सील के लिये देखिये: (मजमूअ अल फ़तावा: 23/396)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا نُوحٌ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنِ ابْنِ مَالِكٍ، - وَهُوَ عَمْرٌو - عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتِ

(871) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक बहुत ख़ूबसूरत औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ा करती थी। कुछ (नेक) लोग क़सदन पहली स़फ़ में खड़े होते थे ताकि वह नज़र

امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ - قَالَ - فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ } .

न आये। और कुछ (मुनाफ़िक़ क़िस्म के) लोग जानबूझ कर पीछे रहते थे यहाँ तक कि आख़री स़फ़ में खड़े होते (ताकि उसे देखें) फिर जब रुकू करते तो बग़ल के नीचे से उसे देखते थे। अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: 'हम ख़ूब जानते है तुममें से आगे रहने वालों को और ख़ूब जानते हैं पीछे रहने वालों को।'

(871) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3122, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 942, सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1046.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये आयत की ये शाने नुज़ूल सही नहीं, ताहम सियाक़ व सबाक़ की रू से आयत के मुनासिब मानी ये हैं कि हम उन लोगों को भी जानते हैं जो आदम (عليه السلام) से लेकर अब तक मर चुके हैं और उन्हें भी जो अभी ज़िन्दा हैं या क़यामत तक आयेंगे।

بَاب : (٦٣)
الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

बाब : (63)
स़फ़ में मिलने से पहले ही रुकू करना

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ " .

(872) हज़रत अबू बक्रा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि वह (एक दफ़ा) मस्जिद में दाख़िल हुए तो नबी(ﷺ) रुकू की हालत में थे, चुनांचे उन्होंने स़फ़ से पीछे ही रुकू कर लिया। (और रुकू ही की हालत में चल कर स़फ़ में पहुँचे।) नबी (ﷺ) ने (नमाज़ के बाद) फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम्हारी (नेकी की) हिर्स़ में इज़ाफ़ा फ़रमाये लेकिन दोबारा ऐसे न करना।'

(872) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 783, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 943, अबू दाऊद, हदीस़: 683.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) के इस तरह करने में नमाज़ के अन्दर चलना पड़ता है जो नमाज़ के मुनाफ़ी है, लिहाज़ा ये जायज़ नहीं। **(2)** इस रिवायत से रुकू की रकअ़त पर इस्तिदलाल किया गया है कि हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) को ख़दशा था कि अगर रुकू ख़त्म हो गया तो मैं रकअ़त न पा सकूंगा, तभी उन्होंने ये अन्दाज़ इख़्तियार किया। मगर ये इस्तिदलाल इतना क़वी नहीं है, और कोई सराहत नहीं कि उन्होंने उठ कर वह रकअ़त पढ़ी थी या नहीं। इस मसले में ये रिवायत मुब्हम है। इस्तिदलाल वाज़ेह होना चाहिए। फ़तहुल बारी में तबरानी के हवाले से हदीस़ है कि नबी (ﷺ) ने अबू बक्रा (ﷺ) को हुक्म दिया था कि 'जो मिल जाये पढ़ो और जो निकल जाये उसे पूरा करो।' (फ़तहुलबारी: 2/348, शरह हदीस़: 783) हदीस़ का मज़्कूरा टुकड़ा हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ में भी आता है। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 602) और ज़ाहिर है कि उन्हें स़िर्फ़ रुकू ही मिला था, क़याम तो उनसे रह गया था। इस पसे मन्ज़र में इस हुक्म का स़ाफ़ मक़सद ये है कि स़िर्फ़ रुकू मिले तो वह रकअ़त शुमार न होगी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ " يَا فُلاَنُ أَلاَ تُحَسِّنُ صَلاَتَكَ أَلاَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّي كَيْفَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ إِنِّي أُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ بَيْنَ يَدَىَّ " .

(873) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन नमाज़ पढ़ाई। सलाम फेर कर मुड़े तो फ़रमाया: 'ऐ फ़ुलां! तू अपनी नमाज़ अच्छी तरह नहीं पढ़ता। क्या नमाज़ी ख़ुद ग़ौर नहीं करता कि वह कैसे नमाज़ पढ़ रहा है? मैं तुम्हें पीछे भी ऐसे देखता हूँ जैसे मैं आगे देखता हूँ।'

(873) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 423, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 944.

फ़वाइद व मसाइल : मुमकिन है मुस़न्निफ़ के नज़दीक ये वही शख़्स़ हो जिसने स़फ़ से पहले रुकू किया था वरना इस हदीस़ का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर ये कि कहा जाये कि स़फ़ से पहले रुकू करना नमाज़ की अच्छाई के ख़िलाफ़ है और आपने इस हदीस़ में नमाज़ को अच्छी बनाने का हुक्म दिया है। (इस हदीस़ की बाक़ी बहस़ के लिये देखिये हदीस़: 814)

बाब : (64)
ज़ुहर के बाद नमाज़ (सुन्नतें)

باب : (٦٤)
الصَّلاَةُ بَعْدَ الظُّهرِ

(874) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर से पहले दो रकअत और बाद में दो रकअत पढ़ते थे। और मग़रिब के बाद घर में दो रकअत और इशा के बाद दो रकअत पढ़ते थे। और जुमे के बाद नमाज़ नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि घर जाकर दो रकअत पढ़ते।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

(874) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 938, व मुस्लिम, हदीस: 70/882, मौता: 1/166, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 344.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस में ज़ुहर से पहले दो रकअत भी मन्कूल है और चार भी, लिहाज़ा दोनों तरह जायज़ है, और जिस रिवायत में बारह रकअत की फ़ज़ीलत का ज़िक्र है, उसमें ज़ुहर से पहले चार ही बनती हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 728, 730) मुमकिन है कभी कभार दो भी पढ़ लेते हों। या अगर पहले दो पढ़े हों तो बाद में चार पढ़ लेते हों क्योंकि कुछ रिवायात में ज़ुहर के बाद चार रकअत का भी ज़िक्र है। गोया मजमूई तौर पर बारह होनी चाहिए। बेहतर ये है कि जिस जिस तरह उनका तरीक़ा अहादीस में मरवी है, उसी तरह अदा की जायें। (2) जुमे के बाद दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) और एक क़ौली रिवायत में चार रकअत का ज़िक्र है कि जिसे जुमे के बाद नमाज़ पढ़नी हो, वह चार रकअत पढ़े। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 881) इन रिवायात की रू से कुछ उलमा ने चार को मस्जिद से और दो को घर से ख़ास किया है। लेकिन इस तख़सीस की ज़रूरत नहीं, मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है, चाहे चार पढ़े और चाहे तो दो, लेकिन चार की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। कुछ उलमा दोनों को जमा करने के क़ाइल हैं, यानी मस्जिद में चार पढ़े और घर में जाकर मज़ीद दो पढ़े। अगरचे इब्ने उमर (ﷺ) से छ: रकआत का अमल मिलता है लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस तरीक़े का सबूत नहीं मिलता। ये इब्ने उमर (ﷺ) का ज़ाती इज्तेहाद या उनकी राय थी जिसकी हैसियत यक़ीनन मरफ़ूअ हदीस की नहीं, इसलिये बेहतर तरीक़ा यही है कि बजाये दो और चार को जमा करने के अलग अलग तौर पर दोनों पर अमल कर लिया जाये, यानी किसी जुमे दो पढ़ लें और किसी जुमे चार, इन्शाअल्लाह ये सुन्नत के अक़रब (ज़्यादा क़रीब) अमल होगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (65) अस्र से पहले (नफ़ल) नमाज़ और इस मसले के मुताल्लिक़ अबू इस्हाक़ से नाक़िलीन के इख़्तेलाफ़ का ज़िक्र

الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْنَا إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا . قَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ .

(875) हज़रत आसिम बिन ज़मरा ने कहा कि हमने हज़रत अली (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नफ़ल नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: तुममें से कौन उसकी ताक़त रखता है? हमने कहा: अगर हम करने की ताक़त नहीं रखते तो कम अज़ कम सुन तो लें। आपने फ़रमाया: जब सूरज इस (मशरिक़ की) तरफ़ इतना ऊँचा होता जितना कि वह इस (मग़रिब की) तरफ़ में अस्र के वक़्त होता है तो आप दो रकअतें पढ़ते। और जब सूरज इस (मशरिक़ की) तरफ़ इतना होता जितना वह इस (मग़रिब की) तरफ़ ज़ुहर के वक़्त होता है तो चार रकअत पढ़ते। और ज़ुहर से पहले चार रकअत और बाद में दो रकअत पढ़ते। और अस्र से पहले इस तरह चार रकअत पढ़ते कि हर दो रकअत के बाद (तशह्हुद में) मुक़र्रब फ़रिश्तों, अम्बिया और उनकी पैरवी करने वाले मोमिनों और मुसलमानों पर सलाम पढ़ते।

(875) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 598, 599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 339.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पहली नफ़ल नमाज़ से मुराद सलातुज्जुहा (चाश्त की नमाज़) है। अगर सूरज के बक़द्रे नेज़ा या दो नेज़े होने पर ये नमाज़ पढ़ी जाये तो उसे सलातुल इश्राक़ कहते हैं। बहरहाल सलातुल इश्राक़, सलातुज्जुहा और सलातुल अव्वाबीन एक ही नमाज़ के मुख़्तलिफ़ नाम हैं। और ये नाम सिर्फ़ वक़्त की तब्दीली की वजह से मुख़्तलिफ़ हैं। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (अलक़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 688) और दूसरी नफ़ली नमाज़ से मुराद सुन्नते ज़वाल है क्योंकि सूरज के ज़वाल पज़ीर होने से पहले उसकी अदायगी होती है। **(2)** इस सलाम से मुराद तशह्हुद के दौरान में

'हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर सलामती हो।' पढ़ना है, न कि फ़राग़त वाला सलाम। और फ़रिशते, अम्बिया और दीगर का ज़िक्र सालेहीन की तफ़्सीर है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ .

(876) आसिम बिन ज़मरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अली बिन अबू तालिब से दिन में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: तुममें से कौन उसकी ताक़त रखता है? फिर हमें बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दो रकअत पढ़ते थे जब सूरज कुछ ऊँचा आ जाता था। और निस्फ़े नहार से पहले चार रकअतें पढ़ते। सलाम आख़िर में फेरते। (दो रकअत के बाद सलाम न फेरते।)

(876) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 338, पिछली हदीस में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरज कुछ ऊँचा आने से मुराद मुमकिन है सलाते इश्राक़ हो और मुमकिन है सलाते ज़ुहा और सलाते अव्वाबीन हो। इस रिवायत में सराहत है कि चार रकअत के आख़िर में सलाम कहते थे, न कि दो रकअत के बाद और ये भी जायज़ है। वल्लाहु आलम! **(2)** सलाते इश्राक़, सलाते ज़ुहा और सलातुल अव्वाबीन (चाश्त की नमाज़) में कोई फ़र्क़ है या नहीं? अगर है तो वह क्या है? असल में इनमें कोई फ़र्क़ नहीं। ये एक ही नमाज़ के मुख़्तलिफ़ नाम हैं। जब ये नफ़ली नमाज़ कराहत का वक़्त निकलते ही, जब कि सूरज नेज़ा या दो नेज़ों के बराबर ऊँचा निकल आये, पढ़ी जाये तो उसे सलाते इश्राक़ कह लिया जाता है और कुछ अर्सा ठहरने के बाद जो नवाफ़िल पढ़े जायें उन्हें हदीस में सलातुज्ज़ुहा और सलातुल अव्वाबीन से ताबीर किया गया है। (मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/340, तबअ क़दीम, वल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 288, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिल अल्बानी, रक़म: 1994) ताहम मग़रिब के बाद छ: नवाफ़िल को जो सलातुल अव्वाबीन क़रार दिया जाता है, वह सही नहीं, इसलिये कि वह हदीस ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम। **(3)** मज़्कूरा दोनों रिवायात से ये भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) निस्फ़ुन्नहार से पहले सलातुल इश्राक़ और ज़ुहा वग़ैरह के अलावा मज़ीद चार रकअत पढ़ा करते थे।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الافتتاح

नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल

باب (١): الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ، ح وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ الزُّهْرِيُّ - قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

बाब : (1) नमाज़ शुरू करते वक़्त क्या करना चाहिए?

(877) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब आप तकबीरे तहरीमा कहते तो (अल्लाहु अकबर) कहते वक़्त अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें अपने कंधों के बराबर करते। फिर जब रुकू की तकबीर कहते तो इसी तरह करते। फिर जब (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो फिर भी ऐसे ही करते और (रब्बना वलकल हम्द) कहते। और जब सज्दे को जाते या सज्दे से सर उठाते तो ऐसे नहीं करते थे।

(877) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 738, मुस्लिम, हदीस: 390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 950.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ का इफ़्तेताह अल्लाहु अकबर से होगा। इसे तकबीरे तहरीमा कहते हैं क्योंकि इस तकबीर से नमाज़ में बहुत सी चीज़ें हराम हो जाती हैं, जैसे: खाना पीना, चलना फिरना और बात चीत करना वग़ैरह। अल्लाहु अकबर के सिवा किसी और लफ़्ज़ से ख़्वाह वह इससे मिलता

जुलता ही हो, नमाज़ का इफ़्तेताह दुरुस्त नहीं। **(2)** कंधों या कानों तक दोनों हाथ उठाना रफ़उल यदैन कहलाता है। और ये नमाज़ में चार जगह साबित है: ❍ तकबीरे तहरीमा के वक़्त। इमाम नववी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़उल यदैन करना उम्मत का इज्माई मसला है। हाफ़िज़ इबने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जो इस रफ़उल यदैन को छोड़ता है, वह गुनाहगार होगा। ❍ रुकू से पहले। ❍ रुकू के बाद। ❍ और तीसरी रकअत से पहले। मज़्कूरा सूरतों में रफउल यदैन रसूलुल्लाह (ﷺ) का दाइमी अमल है और ये ऐसी सुन्नत है जिसे सहाबा की इतनी बड़ी तादाद ने बयान किया है कि कोई और अमल सहाबा की इतनी कसीर तादाद ने बयान नहीं किया, यहाँ तक कि इमाम बुख़ारी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अस्हाबे रसूल में से किसी एक से ये साबित नहीं कि वह नमाज़ में रफ़उल यदैन न करता हो। हज़रत वाइल बिन हुज्र(ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को देखा, जब आपने नमाज़ शुरू की तो अल्लाहु अकबर कहा और अपने दोनों हाथ उठाये, फिर चादर औढ़ ली, फिर दायाँ हाथ बायें पर रखा। जब रुकू करने लगे तो कपड़ों से हाथ बाहर निकाले, अल्लाहु अकबर कहा और रफ़उल यदैन किया, फिर रुकू में चले गये। जब रुकू से उठे तो समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा और रफ़उल यदैन किया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 401) हज़रत वाइल बिन हुज्र 9 और 10 हिजरी में रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आये और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हुई, लिहाज़ा मालूम हुआ कि नबी (ﷺ) आख़री उम्र तक रफ़उल यदैन करते थे। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि रुकू को जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और तीसरी रकअत की इब्तेदा में रफ़उल यदैन करना सुन्नत है मगर अहनाफ़ इसे मन्सूख़ समझते हैं जब कि उनके पास नस्ख़ की कोई दलील नहीं है, सिवाये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की हदीस के जो कि ज़ईफ़ है। और फिर इसके मुक़ाबले में रफ़उल यदैन करने वाली रिवायात बहुत ज़्यादा और बहुत क़वी हैं जैसा कि कुछ इन्साफ़ पसन्द हनफ़ी उलमा ने भी इसे तस्लीम किया है, इसलिये अमल उन रिवायात पर होगा जो तादाद में भी ज़्यादा हैं और सनदन क़वी भी, न कि एक आध रिवायत पर जो सेहत व सनद के ऐतबार से क़वी भी नहीं है, लिहाज़ा एक आध ज़ईफ़ रिवायत को लेकर कसीर सहाब-ए-किराम (ﷺ) से मरवी इस सुन्नते सहीहा को मन्सूख़ कहना बहुत बड़ी नाइन्साफ़ी है जबकि आख़िर में इस्लाम लाने वाले सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने भी इस रफ़उल यदैन को बयान किया है, यानी ये सुन्नते सहीहा, मुतवातिरा, ग़ैर मन्सूख़ा है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार: 2/198-209) **(3)** सज्दे को जाते वक़्त या सज्दे से उठते वक़्त रफ़उल यदैन क़तअन साबित नहीं बल्कि इसकी सरीह नफ़ी आई है, लिहाज़ा इस पर अमल दुरुस्त नहीं। अगर कहीं ज़िक्र है तो वह मन्सूख़ है या इससे मुराद रुकू के बाद रफ़उल यदैन है जो रुकू और सज्दे के दरम्यान होता है। **(4)** इमाम तस्मीअ व तहमीद (समिअल्लाहुलिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द) दोनों कहेगा।

बाब : (2) रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा से पहले किया जाये

باب (٢): رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ - قَالَ - وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

(878) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब आप नमाज़ के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि वह आपके कंधों के बराबर हो जाते, फिर अल्लाहु अकबर कहते। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ये फ़ेअल उस वक़्त भी करते जब रुकू की तकबीर कहते। और जब रुकू से अपना सर उठाते तो फिर यही करते और फ़रमाते (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) और सज्दे में ऐसा नहीं करते थे।

(878) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 736, व मुस्लिम, 23/390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 951.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़उल यदैन करने के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि आया रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये या पहले या कि बाद में। जुम्हूर के नज़दीक रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये। मवालिक, शवाफ़ेअ और हनाबिला का भी यही मौक़िफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक रफ़उल यदैन पहले किया जाये और तकबीरे तहरीमा बाद में कही जाये क्योंकि हाथों का उठाना माबूदाने बातिला की नफ़ी के क़ाइम मक़ाम है और अल्लाहु अकबर में तौहीद का इस्बात है। और अरबी में नफ़ी पहले होती है और इस्बात बाद में, जैसे ला इलाह इल्लल्लाह में है। और कुछ का मौक़िफ़ है कि तकबीरे तहरीमा पहले कही जाये और रफ़उल यदैन बाद में किया जाये। हदीस की रू से तीनों तरीक़े दुरुस्त हैं, कोई तरीक़ा भी इख़्तियार किया जा सकता है क्योंकि ये सही अहादीस से साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को देखा, आप नमाज़ का इफ़्तेताह तकबीरे तहरीमा से करते और तकबीर कहते वक़्त रफ़उल यदैन करते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर ले जाते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 738) और हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप तकबीर के साथ हाथ उठाते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 752) ये अहादीस इस बात की दलील है कि रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये और सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के कुछ अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये

खड़े होते तो कंधों तक हाथ उठाते, फिर तकबीर कहते।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 390 (23) इस हदीस से साबित होता है कि रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा से पहले किया जाये। और सहीह मुस्लिम ही की एक और रिवायत है, अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) को देखा जब आप नमाज़ शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर रफ़उल यदैन करते ..... और फिर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही किया करते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 391) ये हदीस इस बात की दलील है कि रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा के बाद किया जाये। ग़र्ज़ मज़्कूरा तीन तरीक़ों में से कोई तरीक़ा इख़्तियार किया जा सकता है और गाहे गाहे हर एक पर अमल किया जा सकता है। तमाम की हैसियत बराबर है। किसी तरीक़े को तर्जीह देना दुरुस्त नहीं क्योंकि तर्जीह उस वक़्त दी जाती है जब मुतअद्दिद (कई) रिवायात पर अमल मुश्किल हो, जबकि यहाँ ऐसे नहीं है बल्कि मुख़्तलिफ़ औक़ात में हर एक रिवायत पर अमल मुमकिन है, लिहाज़ा जमा औला है। वल्लाहु आलम! **(2)** इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि रफ़उल यदैन की हिकमत के बारे में अहले इल्म की मुख़्तलिफ़ आरा हैं: इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मैं रफ़उल यदैन अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करने और रसूलुल्लाह (ﷺ) की इत्तेबा के लिये करता हूँ। कुछ कहते हैं कि ये आजिज़ी व इन्किसारी और ख़ुद सुपुर्दगी का इज़्हार है और ये ऐसे ही है जैसे कोई क़ैदी पकड़ा जाये तो वह ख़ुद सुपुर्दगी का इज़्हार करने के लिये अपने हाथ खड़े कर देता है। और एक क़ौल ये है कि जब बन्दा हाथ खड़ा करके अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके क़ौल और फ़ेअल में मुवाफ़िक़त हो जाती है कि वह तमाम तर उमूरे दुनिया को छोड़ कर अपने रब से मुनाजात करने के लिये नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जा हो गया है।

बाब: (3) हाथों को कंधों के बराबर उठाना

باب (٣): رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

(879) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते। और जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते तो उन्हें इसी तरह उठाते और फ़रमाते (समिअल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) और सज्दों में ऐसा नहीं करते थे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

(879) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 735, मुस्लिम: 22/390 मौता: 1/75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 952.

फ़ायदा : अक्सर रिवायात में कंधों के बराबर रफ़उल यदैन का ज़िक्र है। कुछ सही रिवायात में कानों के बराबर का भी ज़िक्र है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 391) दोनों सूरतें जायज़ हैं। कुछ अहले इल्म, जैसे: इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने तत्बीक़ दी है कि हाथ इस तरह उठाये जायें कि उंगलियों के किनारे कानों के बराबर और हथेलियों का निचला किनारा कंधों के बराबर हो। इस तरह दोनों रिवायात पर एक साथ अमल हो जायेगा।

बाब : (4) कानों के बराबर हाथ उठाना (रफ़उल यदैन करना)

باب (٤): رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ " آمِينَ " . يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

(880) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो अल्लाहु अकबर कहा और अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि वह कानों के बराबर हो गये, फिर आपने सूरह फ़ातिहा पढ़ी। जब सूरत से फ़ारिग़ हुए तो बलन्द आवाज़ से आमीन कही।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/318, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 953, व 883, 1405.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

(881) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से रिवायत है, और वह नबी (ﷺ) के सहाबा में से हैं, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ पढ़ते तो तकबीरे तहरीमा के वक़्त अपने दोनों हाथ कानों तक उठाते और जब रुकू में जाने का इरादा फ़रमाते और जब रुकू से सर उठाते (तो भी रफ़उल यदैन करते।)

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 25/391, (देखें हदीस: 877) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 954.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि रफ़उल यदैन रुकू में जाने से पहले क़याम की हालत में करना चाहिए न कि जाते हुए। इसी तरह जब सर उठा कर सीधा खड़ा हो जाये तो फिर रफ़उल यदैन करना

चाहिए, न कि सर उठाते हुए। गोया रफ़उल यदैन क़याम की हालत ही में होना चाहिए। (2) हज़रत वाइल बिन हुज्र और मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) दोनों सहाबी, रसूलुल्लाह (ﷺ) की उम्र मुबारक के आख़िर में मुसलमान हुए हैं, दोनों ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी है और दोनों ही रुकू से पहले और रुकू के बाद रफ़उल यदैन करने की अहादीस़ बयान करते हैं जिससे ये साबित होता है कि रफ़उल यदैन के मन्सूख होने का दावा दुरुस्त नहीं, ये नबी-ए-अकरम (ﷺ) का दाइमी अमल है।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى حَاذَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

(882) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा, आप जब नमाज़ में दाख़िल होते तो अपने दोनों हाथ उठाते। और जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते, उस वक़्त भी (हाथ उठाते) यहाँ तक कि वह कानों के किनारों के बराबर हो जाते।

(882) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, देखें पिछली हदीस़, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 955.

باب (٥): مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

बाब : (5) रफ़उल यदैन के वक़्त अंगूठे किस जगह हों?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ إِبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

(883) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा, जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि क़रीब था, आपके अंगूठे कानों की लौ (निचले किनारे) के बराबर हो जाते।

(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 737, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 956.

باب (٦): رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

बाब : (6) रफ़उल यदैन अच्छी तरह हाथ उठा कर किया जाये

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى،

(884) हज़रत सईद बिन समआन से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) मस्जिदे बनी ज़ुरैक़ की

قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ، قَالَ جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ ثَلاَثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ مَدًّا وَيَسْكُتُ هُنَيْهَةً وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ

तरफ़ आये और कहने लगे: तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) अमल करते थे लेकिन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है: आप नमाज़ में अच्छी तरह हाथ उठा कर रफ़उल यदैन करते थे। आप कुछ देर ख़ामोश रहा करते थे। और आप जब सज्दा करते या सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते।

(884) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 753, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 957, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, वल हाकिम: 1/234, वल ज़हबी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुस्ती करते हुए लोगों ने सहाब-ए-किराम (رضی الله عنهم) ही के दौर में कुछ सुन्नतें छोड़ दी थी कि ये कौन सी फ़र्ज़ हैं? हालांकि दीन सिर्फ़ फ़राइज़ ही से मुकम्मल नहीं होता बल्कि सुनन की भी ज़रूरत है। सुनन को मुत्लक़न छोड़ देना क़ाबिले मज़म्मत है, ताहम कभी कभार किसी उज़्र की बिना पर रह जायें तो और बात है। **(2)** रफ़उल यदैन नमाज़ की ज़ीनत है, लिहाज़ा उसे अच्छी तरह मसनून तरीक़े से हाथ उठा कर करना चाहिए। चादर लपेटी हुई हो तो चादर से हाथ निकाल कर रफ़उल यदैन किया जाये। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 401) ये कोई शरमाने की चीज़ नहीं। **(3)** ख़ामोश रहने से मुराद फ़ातिहा से पहले वाला सक्ता है जिसमें दुआए इस्तेफ़ताह पढ़ी जाती है, इसकी दलील मुसनद अहमद की मुफ़स्सल हदीस है उसमें है: 'और क़िराअत से पहले सक्ता।' और ये बात राजेह है। मज़ीद देखिये: (अल्मौसूआ अल्हदीसिया, मुसनद अहमद: 15/372) कुछ का क़ौल है कि इससे मुराद फ़ातिहा और दूसरी सूरत के दरम्यान का वक़्फ़ा है जिसका मक़सद साँस दुरुस्त करना या लोगों को फ़ातिहा पढ़ने का मौक़ा देना है। लेकिन इसकी दलील नहीं है। कुछ रिवायात से क़िराअत ख़त्म करने के बाद तकबीरे रुकू से पहले भी सक्ता मालूम होता है, ख़ुसूसन जब कि क़िराअत लम्बी हो, इसका मक़सद साँस की दुरुस्ती है। मज़ीद देखिये: (ज़ादुलमआद: 1/208) वल्लाहु आलम! **(4)** इस क़द्र सुस्ती हो गई थी कि लोग मसनून तकबीरें कहने वालों पर ऐतराज़ करने लग गये थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 788) **(5)** चार रकअत वाली नमाज़ में बाइस (22) तकबीरें हैं। दो रकअत वाली नमाज़ में ग्यारह (11) और तीन रकअत वाली नमाज़ में सतरह (17) तकबीरें हैं। **(6)** आलिमे दीन को अवामुन्नास की शरई अहकाम के बारे में सुस्ती देख कर उस पर तम्बीह करनी चाहिए और क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में मसले की असल हक़ीक़त वाज़ेह करनी चाहिए। **(7)** हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) की फ़ज़ीलत कि वह सुनने नबवी की तौज़ीह व बयान और तब्लीग़ में किस क़द्र हरीस थे कि

लोगों में सुन्नत के बारे में सुस्ती देखी तो उस पर फ़ौरन तम्बीह फ़रमाई।

बाब : (7)
तकबीरे ऊला (तकबीरे तहरीमा) फ़र्ज़ है

فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

(885) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो एक और आदमी भी आया और उसने नमाज़ पढ़ी। फिर वह आया और उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सलाम किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे जवाब दिया और फ़रमाया: 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह वापस गया। दोबारा नमाज़ पढ़ी जैसे पहले पढ़ी थी और नबी (ﷺ) के पास आया और सलाम किया। आपने फ़रमाया: 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' उस आदमी ने तीन दफ़ा ऐसे ही किया। आख़िर उस आदमी ने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! मैं इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता, लिहाज़ा आप मुझे सिखा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ के लिये खड़ा हो तो (सबसे पहले) अल्लाहु अकबर कहा फिर जिस क़द्र तू क़ुर्आन पढ़ सके, पढ़। फिर रुकू कर यहाँ तक कि तुझे रुकू में इत्मिनान नसीब हो। फिर सर उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये। फिर सज्दा कर यहाँ तक कि सज्दे में तुझे इत्मिनान हासिल हो। फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ जाये। फिर अपनी सारी नमाज़ में इसी तरह कर।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي . قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا " .

(885) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 397, बुख़ारी, हदीस: 757, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 958.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस को हदीसे मुसीउस्सलात कहते हैं, यानी वह हदीस जिसमें ग़लत

नमाज़ पढ़ने वाले का ज़िक्र है। (2) उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस हदीस में फ़राइज़ बतलाये हैं। इनके बग़ैर नमाज़ गोया है ही नहीं। (3) इस हदीस की रू से तकबीरे तहरीमा, क़िराअत, रुकू और इसमें इत्मिनान, सर उठाना और सीधा खड़ा होना, सज्दा और उसमें इत्मिनान, सर उठाना और इत्मिनान से बैठना फ़राइज़ में शामिल हैं मगर अहनाफ़ हज़रात इत्मिनान को तो नमाज़ में किसी भी जगह ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि लुग़त के लिहाज़ से रुकू और सज्दे के मानी में इत्मिनान दाख़िल नहीं मगर सोचना चाहिए कि क्या सही हदीस की हैसियत लुग़त से भी कम है कि अगर लुग़त में लिखा हो फिर तो फ़र्ज़ और सही हदीस में आ जाये तो मुस्तहब? हालांकि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सरीह लफ़्ज़ हैं: 'तहक़ीक़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' और उस शख़्स को तीन दफ़ा नमाज़ लौटाने के लिये कहा गया। चलिये वाजिब ही कह लेते। अफ़सोस! इसी तरह क़ौमे और जल्से को भी वाजिब नहीं समझते कि ये मक़सूद नहीं। शायद इसीलिये राय की मज़म्मत की गई है। (4) 'जिस क़द्र तू क़ुर्आन पढ़ सके, पढ़।' इसी हदीस के दूसरे तुरुक में सूरह फ़ातिहा की सराहत है। गोया ये पढ़ना सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा है या इससे मुराद सूरह फ़ातिहा ही है क्योंकि सूरह फ़ातिहा हर क़ुर्आन ख़्वां को लाज़िमन आती है। इसी से क़ुर्आन की इब्तेदा होती है। (5) नमाज़ के वाजिबात में से अगर कोई चीज़ रह जाये या मसनून तरीक़े के मुताबिक़ न हो तो नमाज़ बातिल हो जायेगी और नमाज़ लौटाना ज़रूरी होगा। (6) अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर हर मुसलमान के लिये ज़रूरी है और इसमें नर्मी और ख़ूश उस्लूबी का मामला करमा चाहिए। किसी भी मसले की वज़ाहत और तालीम में सख़्ती नहीं करनी चाहिए। (7) जब दो आदमियों में जुदाई हो, अगरचे वह चन्द लम्हों की हो, दोबारा मिलने पर सलाम कहना और उसका जवाब देना मशरूअ है। 98) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि तकबीर और क़िराअत सिर्फ़ अरबी ही में की जाये जैसा कि दीगर सही रिवायात में अल्लाहु अकबर की सराहत भी है। जो लोग फ़ारसी या किसी दूसरी ज़बान में तकबीर कहने और क़िराअत करने की इजाज़त देते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं। वल्लाहु आलम!

बाब : (8) नमाज़ का इफ़्तेताह किस दुआ से किया जाये?

الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

(886) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी और कहा: 'अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। और हर तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा। और सुबह व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी बयान होती है।' नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ، - هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ " فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ . فَقَالَ " لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا " .

कलिमात किसने कहे थे?' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! बारह फ़रिशते एक साथ इन कलिमात की तरफ़ लपके थे। (हर एक की ख़्वाहिश थी कि वह इन कलिमात को अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश करे।)'

(886) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 150/601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 959.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दुआ-ए-इस्तेफ़ताह के सिलसिले में और दुआएँ भी आई हैं। इन मसनून दुआओं में से कोई दुआ भी पढ़ी जा सकती है। ये कहना कि (सुब्हानकल्लाहुम्मा ..... अलख़) के अलावा बाक़ी सब नवाफ़िल व तहज्जुद वग़ैरह में जायज़ हैं, फ़राइज़ में नहीं, बिला दलील है और अपने आपको शारेअ क़रार देना है, हालांकि इनमें से कुछ दुआओं के बारे में तो फ़र्ज़ नमाज़ में पढ़े जाने की सराहत है। वल्लाहु आलम। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किरामन कातिबीन के अलावा दूसरे फ़रिशते भी कुछ आमाल अल्लाह के यहाँ लेकर हाज़िर होते हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " عَجِبْتُ لَهَا " . وَذَكَرَ كَلِمَةً

(887) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे तो लोगों में से एक आदमी ने कहा: : 'अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। और हर तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा। और सुबह व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी बयान होती है।' (नमाज़ के बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़ुलां कलिमात किस शख़्स ने कहे थे?' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने। आपने फ़रमाया: 'मुझे उन पर बहुत ताज्जुब हुआ। उनके लिये आसमान के सब दरवाज़े खोल दिये गये।' हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने कहा: जबसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, उस

مَعْنَاهَا " فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ .

वक़्त से मैंने इस दुआ को नहीं छोड़ा।

(887) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 960.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से ये साबित हुआ कि अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के अक़्वाल व आमाल के हद दर्जे तक हरीस और ताबेअ थे। **(2)** छोटी से छोटी नेकी को भी हक़ीर नहीं समझना चाहिए, इसलिये कि कुछ आमाल ज़ाहिरन मामूली होते हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मक़ाम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ तक कि कुछ आमाल के लिये आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, फ़रिशते जिस दरवाज़े से चाहें, उन्हें ऊपर अल्लाह के यहाँ लेकर चढ़ जायें।

باب(٩): وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ पर रखना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ .

(888) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, जब आप नमाज़ में खड़े होते तो अपने दायें हाथ को बायें हाथ पर रख कर उसे पकड़ते।

(888) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/316, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 961.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि नमाज़ के क़याम में दायें हाथ को बायें पर रखा जायेगा। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक हैं मालकिया और अहले तशय्युअ (शीआ) हाथ छोड़ने के क़ाइल हैं मगर उनके पास इसकी एक भी दलील नहीं, टूटी फूटी भी नहीं। **(2)** हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) ही से सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा (1/479) में और हज़रत क़बीसा बिन हलब (ﷺ) से मुसनद अहमद: (5/226) में और हज़रत ताऊस (رحمه الله) से सुनन अबी दाऊद (हदीस: 759) में रिवायात हैं कि हाथ सीने पर बाँधे जायें। ये रिवायात सही हैं। अबू दाऊद की रिवायत मुर्सल है जो हनफ़िया और मालकिया के नज़दीक क़ाबिले हुज्जत है। नाफ़ से नीचे की रिवायात सबकी सब ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा अहादीसे सहीहा की रू से हाथ सीने ही पर बाँधे जायें। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये

हालत एक साइल की सी है और इस तरह नमाज़ी फ़ुज़ूल हरकात से भी महफ़ूज़ रहता है और ये ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ के क़रीब तर है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 11/135-150, व सुनन अबू दाउद (उर्दू) हदीस: 759, तबअ दारुस्सलाम)

باب(١٠): فِي الإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

बाब : (10) जब इमाम किसी को बायाँ हाथ दायें पर रखा देखे तो?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي .

(889) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने मुझे नमाज़ में इस हालत में देखा कि मैंने अपना बायाँ हाथ दायें पर रखा हुआ था तो आपने मेरा दायाँ हाथ पकड़ा और उसे बायें पर रख दिया।

(889) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 755, इब्ने माजा, हदीस: 811, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 962.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शरीयते इस्लामिया में दायें हाथ को तर्जीह और फ़ज़ीलत हासिल है। जन्नतियों को अहले यमीन कहा गया है। दायाँ हाथ अच्छे कामों के लिये मख़्सूस है। और इसी तरह नमाज़ में दौराने क़याम दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखने का हुक्म है। (2) दौराने नमाज़ में ग़लती की इस्लाह की जा सकती है। (3) अपनी नमाज़ की इस्लाह हो या दूसरे की।

مَوْضِعِ الْيَمِينِ مِنَ الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : (11) नमाज़ में दायाँ हाथ बायें पर कहाँ रखा जाये?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(890) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है कि (एक दफ़ा) मैंने (अपने दिल में) कहा: मैं ज़रूर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ को ग़ौर से देखूंगा कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं? चुनांचे मैंने (तवज्जा से) आपकी तरफ़ देखा। आप खड़े हुए, अल्लाहु अकबर कहा और अपने दोनों हाथ

وسلمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا - قَالَ - وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا.

उठाये यहाँ तक कि वह आपके कानों के बराबर हो गये। फिर आपने अपना दायाँ हाथ अपने बायें हाथ की हथेली, जोड़ और कलाई पर रखा। फिर जब आपने रुकू करने का इरादा फ़रमाया तो आपने इसी (पहले रफ़उल यदैन की) तरह हाथ उठाये और आपने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे फिर जब आपने अपना सर उठाया तो उसी तरह रफ़उल यदैन किया। फिर सज्दा किया तो अपने दोनों हाथों को अपने कानों के बराबर रखा। फिर बैठे और अपना बायाँ पाँव बिछाया और अपनी बायीं हथेली अपनी बायीं रान और घुटने पर रखी और अपनी दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं रान पर रखा। फिर हाथ की दो उंगलियाँ बंद कीं। और (दरम्यानी उंगली और अंगूठे से) हल्क़ा बनाया। फिर अपनी (तशह्हुद की) उंगली को उठाया, चुनांचे मैंने देखा, आप उसे हरकत देते थे उसके साथ दुआ करते थे।

(890) **तख़रीज : (सनद स़ही)** अबू दाऊद, हदीस़: 726, 727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 963.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि दायें हाथ (हथेली) को बायें हाथ के जोड़ पर इस तरह रखे कि हथेली का अगला हिस़्सा (उंगलियाँ) बायीं कलाई पर और पिछला हिस़्सा बायें हाथ की हथेली की पुश्त पर हो। ये तब है जब हाथ से मुराद सिर्फ़ हथेली हो। हाथ से कुहनी तक बाज़ू भी मुराद लिया जा सकता है। इस सूरत में दायें हाथ की उंगलियों के किनारे बायीं कुहनी तक पहुँच जायेंगे। अगरचे ये तरीक़ा भी दुरुस्त है क्योंकि एक रिवायत में ज़िराअ को ज़िराअ पर रखने का ज़िक्र है और ज़िराअ कुहनी तक होता है। लेकिन वाइल बिन हुज्र (ﷺ) की हदीस़ पर अ़मल से इस हदीस़ पर भी अ़मल हो जाता है। अगरचे इस (ज़िराअ वाली) सूरत को अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं। **(2)** स़हीह मुस्लिम की एक हदीस़ में, जो कि सुनन नसाई में नम्बर 888 के तहत गुज़री है, दायें हाथ से बायें को पकड़ने का भी ज़िक्र है। तो दोनों रिवायात में कोई तज़ाद नहीं क्योंकि मुख़्तलिफ़ औक़ात में दोनों पर

अ़मल मुमकिन है, कभी एक पर अ़मल कर ले और कभी दूसरी पर। दोनों तरह सही है। इस तरह दोनों रिवायात पर अ़मल हो जायेगा। लेकिन दोनों रिवायात में इस तरह तत्बीक़ देना कि दायें हाथ की दरम्यानी तीन उंगलियाँ बायें पर रखे और छोटी उंगली और अंगूठे से जोड़ को पकड़ ले, बातिल है क्योंकि इस सूरत में हदीस़ में वारिद दोनों तरीक़ों में से किसी पर भी अ़मल नहीं होता बल्कि एक नई तीसरी शक्ल बन जाती है जिसकी कोई दलील नहीं, लिहाज़ा ऐसा करना दुरुस्त नहीं। सही तरीक़ा यही है कि कभी दायाँ हाथ बायें पर रख ले और कभी दायें से बायें को पकड़ ले। वल्लाहु आ़लम! **(3)** 'दायीं कुहनी का किनारा रान पर रखा।' उस किनारे से कुहनी का कलाई वाला किनारा मुराद है। गोया कुहनी को रान की जड़ वाली तरफ़ पर रख कर खड़ा कर ले और कलाई को रान पर बिछा ले। मगर ये सूरत सिर्फ़ तवर्रुक (क़अ़दा में पाँव की बजाये ज़मीन पर बैठना और पाँव को दायीं पिण्डली के नीचे से बाहर निकाल लेना) की सूरत में मुमकिन है। पाँव पर बैठने की सूरत में सिर्फ़ हथेलियाँ रान और घुटनों पर होंगी और बाज़ू क़ौस की ताँत की तरह होंगे। **(4)** तशह्हुद में बायाँ हाथ बायें घुटने पर इस तरह रखा जाये कि उंगलियाँ घुटने पर हों और हथेलियाँ रान पर मगर दायाँ हाथ बन्द करके रखा जाये। इस हदीस़ में बन्द करने का तरीक़ा ये है कि किनारे की दो उंगलियाँ बंद करे। दरम्यानी उंगली और अंगूठे का हल्क़ा बनाकर तशह्हुद की उंगली को खुला छोड़ दे जिस तरह किसी चीज़ की तरफ़ इशारा किया जाता है। **(5)** इस हदीस़ से मालूम होता है कि दौराने तशह्हुद में सलाम तक उंगली को हरकत देना मसनून है। (युहर्रिकु) फ़ेअ़ल मुज़ारिअ़ है जो यहाँ इस्तिमरार (लगातार) का फ़ायदा दे रहा है क्योंकि (यदऊबिहा) इससे हाल है, यानी नबी-ए-अकरम (ﷺ) उंगली को हरकत दे रहे थे, इस हाल में कि आप उसके साथ दुआ कर रहे थे। नामवर मुहद्दिस़ शम्सुल हक़ अ़ज़ीमाबादी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इस हदीस़ से पूरे तशह्हुद में उंगली को हरकत देना स़ाबित होता है, इसलिये कि दुआ तशह्हुद के बाद (सलाम तक) होती है।' (औ़नुल माबूद, हदीस़: 898) सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत में (ला युहर्रिकुहा) के अल्फ़ाज़ हैं। ये अल्फ़ाज़ शाज़ और ज़ईफ़ हैं। इन अल्फ़ाज़ को रिवायत करने में मुहम्मद बिन अ़जलान से ज़ियाद बिन सअ़द मुतफ़र्रिद (तन्हा) है। आ़मिर बिन अ़ब्दुल्लाह से इब्ने अ़जलान के अ़लावा बाक़ी दो सिक़ा रावी इन अल्फ़ाज़ को बयान नहीं करते, और ज़ियाद के अ़लावा मुहम्मद बिन अ़जलान के बाक़ी चार सिक़ा शागिर्द ये अल्फ़ाज़ बयान नहीं करते। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है मगर इसमें ये इज़ाफ़ा मज़्कूर नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 175) हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तब्क़ातुल मुदल्लिसीन में मुहम्मद बिन अ़जलान को तीसरे तबक़े के मुदल्लिसीन में शुमार किया है और इन अल्फ़ाज़ में इब्ने अ़जलान की आ़मिर बिन अ़ब्दुल्लाह से सिमाअ़ की तसरीह नहीं मिली, लिहाज़ा (ला यूहर्रिकुहा) के अल्फ़ाज़ सही हदीस़ से स़ाबित नहीं। दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि तशह्हुद में उंगली को हरकत देते रहना

भी जायज़ है। लेकिन ऐसा वक़्तन फ़वक़्तन करना चाहिए क्योंकि अक्सर रिवायात में सिर्फ़ इशारे का ज़िक्र है जैसा कि सहीह मुस्लिम वग़ैरह की रिवायत में है। जुम्हूर सहाब-ए-किराम (ﷺ) जिन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) का तरीक़-ए-नमाज़ बयान किया है उन्होंने इसे बयान नहीं किया। हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) ने कुछ औक़ात नबी (ﷺ) को ऐसा करते देखा। जिससे मालूम होता है कि आप (ﷺ) का अक्सर अमल इशारे का था न कि हरकत देने का। और इशारे का तरीक़ा ये है कि 53 की गिरह लगा कर मसनून तशह्हुद से लेकर आख़िर तक उंगली को खड़ा रखना। **(6)** इशारा और हरकत दो अलग अलग चीज़ें हैं। लुग़त में इनके अलग अलग मानी हैं, इसलिये ये दो मुख़्तलिफ़ फ़ेअल हैं जो नबी-ए-अकरम (ﷺ) से साबित हैं। कभी आपने एक तरीक़ा इख़्तियार किया और कभी दूसरा। यही तत्बीक़ इन्शाअल्लाह सवाब (दुरुस्तगी के ज़्यादा क़रीब है। दोनों (इशारे और हरकत) को तत्बीक़ के ज़रिये से एक ही तशह्हुद में यकजा करना महल्ले नज़र लगता है क्योंकि दोनों कलिमात का मिस्दाक़ दो अलग अलग चीज़ें हैं। वल्लाहु आलम! **(7)** अहनाफ़ के नज़दीक ला पर उंगली ऊपर उठाये और इल्ला पर नीचे करे। गोया उठाना नफ़ी की अलामत है और गिराना इस्बात की। यही ला और इल्ला के मानी हैं। शवाफ़ेअ के नज़दीक इल्लल्लाहु पर उंगली उठाये और फिर नीचे करे क्योंकि इल्लल्लाहु में तौहीद का इस्बात है, लिहाज़ा उंगली के साथ फ़ेअलन भी एक अल्लाह की तौहीद बयान करे। ताहम इनमें से किसी के पास इस मक़ाम पर उंगली के उठाने और गिराने की कोई दलील नहीं है जबकि सही मौक़िफ़ की वज़ाहत ऊपर हो चुकी है।

باب(١٢): النَّهْيِ عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

बाब : (12) नमाज़ में कोख पर हाथ रखने की मुमानिअत (मनाही)

(891) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने नमाज़ में कोख पर हाथ रखने से मना फ़रमाया है।

(891) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 545, बुख़ारी, हदीस: 1220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 964.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ में हर रुक्न की अदायगी के दौरान में हाथों की कोई न कोई जगह मुक़र्रर है। कोख़ पर हाथ रखने से असली हालत की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी, इसलिये ये मना है। कहा गया है

कि शैतान इस तरह खड़ा होता है, या यहूदी इस तरह इबादत करते थे, या अहले मसाइब नौहे के वक़्त ऐसे खड़े होते हैं, या जहन्नमी जहन्नम में ऐसे खड़े होंगे, या ये मुतकब्बिरीन की ख़सलत है। ये तमाम तशबीहात हैं, लिहाज़ा मना फ़रमाया। वल्लाहु आलम! **(2)** (तख़स्सुर) के ये मानी जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक हैं। कुछ ने इससे, सहारे के लिये हाथ में छड़ी पकड़ना, या सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना, या रुकू और सज्दा मुकम्मल न करना मुराद लिया है मगर ये मानी मर्जूह हैं, और ये आइन्दा हदीस़ के मुनाफ़ी हैं।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَصْرِي فَقَالَ لِي هَكَذَا ضَرْبَةً بِيَدِهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ قُلْتُ لِرَجُلٍ مَنْ هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِّي قَالَ إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنْهُ .

(892) हज़रत ज़ियाद बिन सुबैह ने कहा: मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के पहलू में नमाज़ पढ़ी और मैंने अपना हाथ अपनी कोख पर रख लिया। उन्होंने अपना हाथ मारा (इशारा किया) जब मैं नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो मैंने एक आदमी से पूछा: ये कौन हैं? उन्होंने कहा: अब्दुल्लाह बिन उमर हैं। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! आपको मुझसे क्या शिकायत थी? उन्होंने फ़रमाया: ये हालत सूली पर लटकाये हुए शख़्स की है और अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें इससे मना फ़रमाया है।

(892) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 903, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 965.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कमर (कोख) पर हाथ रखने वाले शख़्स की कुहनियाँ बाहर को निकली होती हैं और सूली पर लटके हुए शख़्स के हाथ बाहर को निकले हुए होते हैं, लिहाज़ा कंधों से कुहनियों तक की हालत दोनों की एक जैसी होती है और ये क़बीह हालत है। सलीब वैसे भी ईसाइयों का मज़हबी निशान है। मज़हबी शिआर में मुशाबिहत क़तअन जायज़ नहीं। **(2)** इस हदीसे मुबारका से भी मालूम हुआ कि अगर नमाज़ में कोई ख़िलाफ़े सुन्नत अमल किया जा रहा हो तो उसकी इस्लाह कर देनी चाहिए, इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

الصَّفُّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

बाब : (13) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ कर खड़ा होना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ،

(893) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि नमाज़ की हालत में

عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ .

उसने अपने दोनों पाँव आपस में मिलाये हुए थे। तो आपने फ़रमाया: उसने सुन्नत की मुख़ालिफ़त की। अगर ये इनमें फ़ासला करके राहत हासिल करता तो बेहतर होता।

(893) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 966, देखें हदीस: 623.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ .

(894) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने एक आदमी को नमाज़ की हालत में अपने दोनों पाँव बाहम मिलाये हुए देखा तो फ़रमाया: 'ये शख़्स सुन्नते नबवी से ख़ता कर गया। अगर ये पाँव खुले रख कर राहत हासिल करता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/288, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 967, सुनन अबी दाऊद, हदीस: 754.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई दोनों रिवायात इन्क़िताअ की वजह से सनदन ज़ईफ़ हैं जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने भी सराहत की है, इसलिये इमाम नसाई (رحمه الله) का 'सुनन कुब्रा, हदीस: 969' में इसे जय्यद कहना महल्ले नज़र है। **(2)** दोनों पाँव जोड़ कर रखना जहाँ तकलीफ़ का मोजिब है कि इन्सान ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता वहाँ सुन्नते सहीहा की मुख़ालिफ़त भी है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नते मुबारका थी कि अपने दोनों पाँव के दरम्यान मुनासिब फ़ासला रखते थे, सफ़बन्दी में तो मिलने के लिये लाज़िमन पाँव कुछ न कुछ खोलने पड़ेंगे, ताहम अपनी जसामत से ज़्यादा न खोले। **(3)** सुनन अबू दाऊद की जिस रिवायत में 'पाँव को मिलाना सुन्नत है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 754) का ज़िक्र है तो इसका मतलब पाँव को बराबर रखना और उन्हें आगे पीछे न रखना मुराद है जैसा कि तख़रीज में सराहत की गई है।

سُكُوتُ الإِمَامِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلاَةَ

बाब : (14) नमाज़ शुरू करने के बाद इमाम का कुछ देर ख़ामोश रहना

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

(895) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो

الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ .

कुछ देर ख़ामोश रहते।

(895) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 968.

फ़ायदा : इस ख़ामोशी से मुराद आहिस्ता मुँह में पढ़ना है। इस दौरान में नबी (ﷺ) दुआए इस्तिफ़ताह पढ़ते थे। इसके बाद बलन्द आवाज़ से क़िराअत शुरू फ़रमाते। गोया तकबीरे तहरीमा के फ़ौरन बाद ही क़िराअत शुरू कर देना ख़िलाफ़े सुन्नत और सुकून व इत्मिनान के मुनाफ़ी है बल्कि कुछ देर तक हम्द व सना और दुआ की जाये, फिर क़िराअत शुरू की जाये।

باب : (١٥)
الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ

बाब : (15)
तकबीरे तहरीमा और क़िराअते फ़ातिहा के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ " أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " .

(896) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो थोड़ी देर ख़ामोश रहते। मैंने कहा: मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान, ऐ अल्लाह के रसूल! आप तकबीरे तहरीमा और क़िराअत के दरम्यान ख़ामोशी के दौरान में क्या पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया: 'मैं ये पढ़ता हूँ: (अल्लाहुम्मा बाइद बैनी .... वल्बरदि) ऐ अल्लाह! मेरे और मेरी ग़लतियों के दरम्यान इतना फ़ासला फ़रमा दे जितना तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरम्यान किया है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरी ग़लतियों से इस तरह पाक और साफ़ फ़रमा जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचेल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे ग़लतियों से बर्फ़, पानी और औलों से धो दे।'

(896) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 969.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** दुआए इस्तिफ़ताह के सिलसिले में सबसे ज़्यादा सही रिवायत ये है, लिहाज़ा इसका पढ़ना औला (सबसे दुरुस्त) है। इमाम मालिक दुआए इस्तिफ़ताह के क़ाइल नहीं मगर इतनी रिवायाते सहीहा की मौजूदगी में ये मौक़िफ़ हैरानकुन है। **(2)** पानी, बर्फ़ और औलों से मुराद मुख़्तलिफ़ क़िस्म की रहमतें हैं। बारी तआला की मुख़्तलिफ़ सिफ़ात हैं, जैसे: अफ़्वो दरगुज़र, मग़फ़िरत और रहमत। पानी के साथ बर्फ़ और औलों का ज़िक्र ताकीद के लिये किया गया है, यानी ऐ अल्लाह! इन गुनाहों की हिद्दत व तमाज़त को, जो जहन्नम की आग में ले जाने का सबब हैं, पानी, बर्फ़ और औलों से ख़त्म कर दे। **(3)** 'मेरे और मेरी ग़लतियों के दरम्यान मशरिक़ व मग़रिब जितनी दूरी डाल दे।' इसका मतलब ये है कि जिस तरह मशरिक़ और मग़रिब का आपस में मिलना महाल है, इसी तरह मुझसे गुनाहों को और गुनाहों से मुझको दूर रख। **(4)** अल्लामा किर्मानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुमकिन है इस दुआए इस्तिफ़ताह में तीन ज़मानों की तरफ़ इशारा हो, यानी मेरे और मेरी ग़लतियों के दरम्यान दूरी से मुराद मुस्तक़बिल के गुनाहों, तन्क़ीह (गुनाहों की सफ़ाई) से मुराद ज़मान-ए-हाल की लग़ज़िशें हों और गुनाह धोने से मुराद ज़माना माज़ी में किये हुए गुनाह हों। वल्लाहु आलम! (फ़तहुलबारी: 2/298, तहत हदीस: 744) **(5)** इस हदीसे मुबारका मे ये भी मालूम हुआ कि बर्फ़ और औलों से तहारत हासिल की जा सकती है। **(6)** इससे पता चलता है कि सहाब-ए-किराम(رضي الله عنهم) हमेशा नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हालात व वाक़िआत, आपकी हरकात व सकनात दरयाफ़्त करते रहते थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनके ज़रिये से अपना मुकम्मल दीन महफ़ूज़ शक्ल में हम तक पहुँचा दिया।

बाब : (16) तकबीरे तहरीमा और क़िराअत के दरम्यान एक और दुआ

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

(897) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर फ़रमाते: 'यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह के लिये है जो सारे जहानों का पालने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। इसी चीज़ का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं फ़रमा बरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! मुझे अच्छे आमाल और अच्छे अख़लाक़ की रहनुमाई

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الأَخْلاَقِ لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ " .

नसीब फ़रमा। यक़ीनन उनकी तरफ़ तेरे सिवा कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। और मुझे बुरे आमाल और बुरे अख़लाक़ से बचा। यक़ीनन तेरे सिवा कोई उनसे बचा नहीं सकता।'

(897) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 4/149, 150, हदीस: 2974, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 970.

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

बाब : (17) तकबीर व क़िराअत के दरम्यान एक और दुआ और ज़िक्र

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي

(898) हज़रत अली (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अल्लाहु अकबर कहते और फ़रमाते:-(वज्जहतु वज्हिया .... इलैक) 'मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ़ मुतवज्जा किया जिसने आसमान और ज़मीन पैदा फ़रमाये, इस हाल में कि मैं सच्चे दीन का ताबेदार हूँ और झूठे दीन से बेज़ार हूँ। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक बनाते हैं। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह के लिये है जो सब जहानों का पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है और मैं फ़रमाबरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! तू कामिल बादशाह है। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। मैं तेरा बन्दा और ग़ुलाम हूँ। मैंने अपने आप पर ज़ुल्म किया। और मैं अपने गुनाहों का ऐतराफ़ करता हूँ, लिहाज़ा मेरे सारे गुनाह माफ़ फ़रमा तेरे

وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " .

सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं। और अच्छी आदात व अख़्लाक़ की तरफ़ मेरी रहनुमाई फ़रमा। तेरे सिवा कोई उनकी तरफ़ रहनुमाई नहीं कर सकता। और बुरे अख़्लाक़ व आदात को मुझसे दूर फ़रमा। तेरे सिवा कोई उन्हें दूर नहीं कर सकता। मैं हाज़िर हूँ। मैं तेरा फ़रमाबरदार हूँ। और ख़ैर सब की सब तेरे हाथों में है और शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं। मैं तेरी मदद से हूँ और तेरे सुपुर्द हूँ। तू बा'बरकत और बलन्द व बाला है। मैं तुझसे बख़्शिश तलब करता हूँ और तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ।'

(898) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 202/771, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 971.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत के कुछ तुरुक में सराहत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब फ़र्ज़ नमाज़ शुरू फ़रमाते तो ये दुआ पढ़ते और कुछ में रात की नमाज़ का ज़िक्र है, गोया ये दुआ फ़र्ज़ और नफ़्ल दोनों में पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता जमाअत की सूरत में मुक्तदियों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। **(2)** 'अल्लाहु अकबर कहते फिर फ़रमाते।' ये सराहत है कि आप ये दुआ तकबीरे तहरीमा के बाद पढ़ते, लिहाज़ा ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये दुआ तकबीरे तहरीमा से पहले पढ़ी जाये। **(3)** (अना मिनल मुस्लिमीन) मैं मुसलमान हूँ, हालांकि आप तो नबी थे। दरअसल ये उम्मत को तालीम देने के लिये है। मतन में लुग़वी तर्जुमा किया गया है: 'मैं फ़रमाबरदारों में से हूँ।' ये नबी और उम्मती सब के लिये बराबर है। आगे आने वाली पूरी दुआ उम्मत के लिये है वरना आप तो मासूम थे और अख़्लाक़े कामिला व फ़ाज़िला से मुज़य्यन थे। **(4)** 'शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं।' अलबत्ता ख़ैर के साथ मिलाकर कहा जा सकता है। ख़ैर व शर का ख़ालिक़, वरना इसमें बे'अदबी का पहलू नुमायाँ है। इस जुम्ले के और भी मफ़हूम बयान किये गये हैं, जैसे: शर के साथ तेरा क़ुर्ब हासिल नहीं किया जा सकता। या शर तेरी तरफ़ नहीं चढ़ता बल्कि पाकीज़ा कलिमात तेरी तरफ़ चढ़ते हैं। या तेरे पैदा करने के लिहाज़ से कोई चीज़ शर नहीं अगर किसी को शर कहा जाता है तो वह किसी न किसी मख़्लूक़ के लिहाज़ से है। जो चीज़ एक मख़्लूक़ के लिहाज़ से शर है, बसा औक़ात वह दूसरी मख़्लूक़ के लिहाज़ से ख़ैर होती है। या जो चीज़ एक वक़्त शर है, वह दूसरे औक़ात में ख़ैर भी हो सकती है, लिहाज़ा हिक्मत के लिहाज़ से हर चीज़ ख़ैर है।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ " . ثُمَّ يَقْرَأُ .

(899) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नफ़ल नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते (फिर कहते:) (वज्जह्तु वज्हिया .... वबिहम्दिक) 'मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ़ मुतवज्जा किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। सबको छोड़ कर उसी का हो चुका हूँ। उसी का फ़रमाबरदार हूँ और मुशरिक नहीं। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिये है। उसका कोई शरीक नहीं। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। ऐ अल्लाह! तू हर क़िस्म के नक़ाइस (कमियों) व उयूब से पाक है और सब तारीफ़ों का मालिक है।' फिर क़िराअत फ़रमाते।

(899) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 19/231, 232,हदीस: 515, हदीस: 1053.

फ़ायदा : (अना अव्वलुल मुस्लिमीन) 'मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ।' से मुराद है कि इस उम्मत में से सबसे पहला मुसलमान हूँ, ये नहीं कि पूरी मख़लूक़ में से सब से पहला मुसलमान हूँ क्योंकि आपसे पहले भी जितने अम्बिया-ए-किराम (ﷺ) आये, उन सब की दावत इस्लाम ही की तरफ़ थी और वह मुसलमान थे। इस जुम्ले के मुताल्लिक़ फ़िक़हा-ए-मदीना से मरवी है कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मख़्सूस है, आम मुसलमानों को (अना मिनल मुस्लिमीन) कहना चाहिए। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 262) मगर दुरुस्त बात ये है कि दोनों तरह पढ़ना सही है और (अना अव्वलुल मुस्लिमीन) का मतलब भी बिल्कुल बजा है, यानी बन्दा इक़रार करता है कि मैं तेरे अहकाम क़बूल करने में सबसे पेश पेश हूँ। वल्लाहु आलम!

बाब : (18) नमाज़ के इफ़्तेताह और क़िराअत के दरम्यान एक और ज़िक्र

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ".

(900) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ का आग़ाज़ फ़रमाते तो ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाहुम्मा .... ग़ैरुका) 'ऐ अल्लाह! तू (हर क़िस्म के नक़ाइस़ व उयूब से) पाक है और सब तारीफ़ों वाला है। तेरा नाम बा'बरकत है और तेरी शान बलन्द है। और तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।'

(900) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 775, तिर्मिज़ी, हदीस़: 242, व इब्ने माजा: 804, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 972, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 467.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ के कुछ तुरुक में भी रात के नफ़ल का ज़िक्र है। गोया दूसरी दुआओं की तरह इस दुआ को भी फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों नमाज़ों में पढ़ा जा सकता है। **(2)** कुछ मुहद्दिसीन ने इस हदीस़ की इस्नादी हैसियत पर कलाम किया है मगर कस़्रते तुरुक की बिना पर क़ाबिले अ़मल है, इसके अ़लावा मुख़्तस़र है। अल्फ़ाज़ मक़ाम व महल के बहुत मुनासिब हैं, इसलिये अ़वामुन्नास का इस पर अ़मल है। अहनाफ़ ने इसके इख़्तेस़ार और अल्फ़ाज़ की उ़म्दगी के बाइस़ इस दुआ ही को इख़्तियार किया है, ख़ुसूसन फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये और बाक़ी मन्क़ूल दुआओं को वह नवाफ़िल से ख़ास़ करते हैं मगर इस तख़्सीस़ की कोई दलील नहीं। सब दुआएँ जायज़ हैं, फ़र्ज़ नमाज़ हो या नफ़ल। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद (उर्दू) हदीस़: 775, 776 के फ़वाइद व मसाइल तबअ़ दारुस्सलाम)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ

(901) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाहुम्मा .....) 'ऐ अल्लाह! तू पाक है और सब तारीफ़ों वाला है। और तेरा नाम बा'बरकत है और तेरी शान बलन्द है। और तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।'

الصَّلاَةَ قَالَ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

(901) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 973.

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

बाब : (19) तकबीरे तहरीमा के बाद एक और ज़िक्र

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ " أَيُّكُمُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ " فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا " . قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا " .

(902) हज़रत अनस (﵁) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक आदमी आया और मस्जिद में दाख़िल हुआ जब कि उसका साँस फूला हुआ था। उसने कहा: (अल्लाहु अकबर, अल हम्दुलिल्लाहि .... मुबारकन फ़ीहि) 'अल्लाह बहुत बड़ा है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बहुत ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा तारीफ़, बा'बरकत तारीफ़।' जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी नमाज़ पूरी फ़रमाई तो पूछा: 'तुममें से किस ने कुछ कलिमात (बलन्द आवाज़ से) कहे थे?' लोग चुप रहे। आपने (उनका ख़ौफ़ दूर करने के लिये) फ़रमाया: 'बेशक! उसने कोई ग़लत कलिमात नहीं कहे।' उस शख़्स़ ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने। दरअस़ल मैं आया तो मेरा साँस फूला हुआ था (बे'इख़्तियार आवाज़ बलन्द हो गई) तो मैंने वह कलिमात कहे थे। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने देखा कि बारह फ़रिश्ते इन कलिमात की तरफ़ लपके थे कि कौन इन कलिमात को उठा कर ले जाये (और अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश करे?)'

(902) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 974.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साँस का फूलना दलील है कि वह सहाबी (ﷺ) नमाज़ की तरफ़ काफ़ी तेज़ तेज़ आये थे। गोया भागने से कम कम तेज़ी जायज़ है, अलबत्ता संजीदगी और वक़ार क़ाइम रहे। (2) साँस फूलने की वजह से वह अपनी आवाज़ पर क़ाबू न रख सके, इसलिये आवाज़ ऊँची हो गई जो दूसरों को सुनाई दी। (3) नबी (ﷺ) का सहाब-ए-किराम (ﷺ) के साथ बाहमी ताल्लुक़ इन्तेहाई मुशफ़िक़ाना था और आप हर अच्छे मौक़े पर अपने सहाबा की दिलजोई करते थे।

बाब : (20) कोई सूरत पढ़ने से पहले सूरह फ़ातिहा से आग़ाज़ करना

الْبَدَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ ‏(‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‏)‏

(903) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ), हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷺ) क़िराअत को (अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू फ़रमाया करते थे।

(903) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 975, बुख़ारी, हदीस: 743, व मुस्लिम, हदीस: 399.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साबित हुआ कि हर रकअत में क़िराअत की इब्तेदा सूरह फ़ातिहा से होगी क्योंकि ये नमाज़ में फ़र्ज़ है। ये दूसरी क़िराअत की जगह किफ़ायत कर सकती है। कोई और सूरत इसकी जगह किफ़ायत नहीं करेगी (जैसे फ़र्ज़ नमाज़ की आख़री एक या दो रकअतें) (2) इस रिवायत से (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से या मुत्लक़न पढ़ने पर इस्तिदलाल किया गया है मगर ये इस्तिदलाल क़वी नहीं क्योंकि (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) सूरह फ़ातिहा की तरफ़ भी इशारा हो सकता है, इसलिये कि (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) सूरह फ़ातिहा के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है जैसा कि सहीह बुख़ारी, हदीस: 506 में है। और (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) के आहिस्ता पढ़ने के तो क़तअन मुनाफ़ी नहीं क्योंकि नबी-ए-अकरम(ﷺ) का अक्सर अमल (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) को आहिस्ता पढ़ने का है और(अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन)से आप बलन्द आवाज़ से क़िराअत शुरू फ़रमाते, लिहाज़ा मालकिया का (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) को मुत्लक़न न पढ़ना दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम!

(904) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ), हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर(ﷺ) के साथ नमाज़ें पढ़ीं। उन सब ने क़िराअत का आग़ाज (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से किया।

(904) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 813, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 976, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - فَافْتَتَحُوا بِـ ‏(‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‏)‏

फ़ायदा : इसका मतलब ये है कि ये सब (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) आहिस्ता पढ़ते थे। इसी से इस्तिदलाल किया गया है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) का आहिस्ता पढ़ना अफ़ज़ल है।

बाब : (21)(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ने का बयान

قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(905) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि एक दिन नबी (ﷺ) हमारे दरम्यान बैठे थे कि आपको ऊँघ सी आ गई, फिर आपने मुस्कराते हुए सर उठाया। हमने आपसे पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हँसने का सबब क्या है? आपने फ़रमाया: 'मुझ पर अभी एक सूरत नाज़िल हुई है: (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) (इन्ना आतैना ....) 'अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से (शुरू) बिला शुब्हा हमने आपको कौसर अता फ़रमाई, लिहाज़ा अपने रब तआला के लिये नमाज़ पढ़ें और क़ुर्बानी करें। यक़ीनन आपका दुश्मन ही बे नामो निशान रहेगा।' फिर आपने फ़रमाया: 'तुम जानते हो, कौसर क्या है?' हमने कहा: अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'वह जन्नत में एक

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا - يُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ نَزَلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏{‏ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ‏}‏ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي

الْجَنَّةِ آنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ تَرِدُهُ عَلَيَّ أُمَّتِي فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي . فَيَقُولُ لِي إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ " .

नहर है जिसका मुझसे मेरे रब तआला ने वादा किया है। उसके बर्तन सितारों की तादाद से भी ज़्यादा हैं। मेरी उम्मत इस पर मेरे पास आयेगी। एक आदमी को उनमें से खींच लिया जायेगा। मैं कहूँगा: ऐ मेरे रब! ये शख़्स तो मेरी उम्मत से है। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: आप नहीं जानते, आपके बाद इसने क्या नया काम किया।'

(905) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 400, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 977.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह कौसर में मज़्कूर 'अल्कौसर' की तफ़्सीर में अस्लाफ़ अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। मुख़्तलिफ़ अहले इल्म सहाबा और ताबेईन वग़ैरह ने इसकी मुख़्तलिफ़ तफ़्सीरें बयान की हैं लेकिन इस हदीस शरीफ़ में ख़ुद ज़बाने रिसालत से 'अल्कौसर' की तफ़्सीर मालूम हो गई है कि वह जन्नत में एक नहर है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका वादा किया गया है। वह बहुत वसीअ व अरीज़ है। इस तरह कि इसकी लम्बाई और चौड़ाई बराबर हैं। उसके आब ख़ोरे आसमान के तारों से भी ज़्यादा हैं। उसके मुताल्लिक़ हदीस शरीफ़ में ये सराहत भी है कि 'जिसने उस नहर का पानी पी लिया, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़यादा मीठा है और उसकी ख़ूशबू कस्तूरी की ख़ूशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6579, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2292) **(2)** मुक़्तदी अपने इमाम से, छोटा अपने बड़े से और इसी तरह शागिर्द अपने उस्ताद से कोई नई बात देख कर उसकी बाबत सवाल कर सकता है जिस तरह कि सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुस्कुराते देखा तो आपसे मुस्कुराने का सबब पूछ लिया। बुज़ुर्गों और मशाइख़ को ऐसे सवाल का जवाब भी देना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) के इस सवाल का जवाब भी दिया था। **(3)** इस ऊँघ से मुराद वहि की कैफ़ियत होगी। **(4)** इमाम साहब का इस्तिदलाल ये है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) सूरत का जुज़ (हिस्सा) है जैसा कि नबी (ﷺ) ने पढ़ा अगरचे ये एहतिमाल भी है कि आपने (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) तबर्रुकन पढ़ी हों दोनों सूरतों में हर सूरत से पहले (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़नी है, ख़्वाह जुज़ हो या तबर्रुक के तौर पर। अलबत्ता सिर्र व जहर, यानी आहिस्ता और ऊँची की बहस हो सकती है। आपने ऊपर दी गई हदीस में तो जहरन ही पढ़ी है मगर ये नमाज़ से बाहर की बात है। नमाज़ के अन्दर अक्सर रिवायात आहिस्ता पढ़ने के बारे में आती हैं अगरचे कभी कभार जहरन भी जायज़ है। **(5)** इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) को हर सूरत का जुज़ समझते हैं जब कि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) इसे

तबर्रुक ख़्याल करते हैं। दुरुस्त बात ये है कि ये सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। (6) 'आपके बाद इसने क्या नया काम किया।' ये इशारा इरतेदाद की तरफ़ भी हो सकता है और बिदआत के इज्रा की तरफ़ भी। वल्लाहु आलम। (7) बिदअत इस क़द्र ख़तरनाक और संगीन जुर्म है कि रोज़े क़यामत बिदअती शख़्स को हौज़े कौसर से दूर हटा कर जहन्नम की तरफ़ धकेल दिया जायेगा। (8) बिदअती को हौज़े कौसर के पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं होगा क्योंकि बिदअती ने जुर्मे अज़ीम का इर्तिकाब किया कि उसने नबी (ﷺ) की सुन्नत को बदला और ख़ुद को 'मक़ामे रिसालत' पर फ़ाइज़ कर लिया, लिहाज़ा उसके लिये सख़्त तरीन वईद है। इससे अल्लाह की पनाह (9) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आलिमुल ग़ैब नहीं। (10) रसूलुल्लाह (ﷺ) इस जहाने फ़ानी से रुख़्सत हो चुके हैं। (11) अल्लाह के रसूल (ﷺ) मुख़्तारे कुल नहीं। क़यामत वाले दिन भी सिर्फ़ उसे ही निजात मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। और उसे माफ़ फ़रमायेगा, लिहाज़ा नीचे दिये अक़ीदा तालीमाते नबवी के मुनाफ़ी और ईमान के फ़ना का मोजिब है कि -

अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है
जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मुहम्मद से

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ } الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقَالَ آمِينَ . فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ . وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(906) हज़रत नुऐम मुज्मिर फ़रमाते हैं: मैंने हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ी, फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ी यहाँ तक कि जब (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ॉल्लीन) पर पहुँचे तो आमीन कही। लोगों ने भी आमीन कही। और जब वह सज्दा को जाते तो अल्लाहु अकबर कहते और जब दो रकअतें पढ़ कर बैठ कर उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। जब उन्होंने सलाम फेरा तो फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं तुम सबसे बढ़ कर नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुशाबेह हूँ।

(906) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: नं.99, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 450, 451, वल हाकिम: 1/134, व इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/251, बैहक़ी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से मालूम हुआ कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) जहरी नमाज़ में ऊँची पढ़ी जायेगी मगर ज़रूरी नहीं क्योंकि आहिस्ता पढ़ने की रिवायतें ज़्यादा और सेहत के ऐतबार से क़वी हैं। अगरचे ये रिवायत भी सही है, लेकिन कभी कभी (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) ऊँची आवाज़ में पढ़ने पर महमूल की जायेगी और मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होगा ताकि सब रिवायात पर उनकी हैसियत के मुताबिक़ अमल हो जाये। **(2)** मज़ीद मालूम हुआ कि (जहरी नमाज़ में) इमाम और मुक़्तदियों का बलन्द आवाज़ से आमीन कहना सुन्नत है और सहाबा के दौरे मुबारक में इसी पर अमल था।

बाब : (22) (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से न पढ़ना

تَرْكُ الْجَهْرِ بِـ { بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا .

(907) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। आपने हमें (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से नहीं सुनाई। हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर(ﷺ) ने भी हमें नमाज़ पढ़ाई। हमने ये (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) उनसे भी नहीं सुनी।

(907) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 978, जामिउत्तहसील लिल्अलाई, सफ़ा 287, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﷺ - فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِـ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } .

(908) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ), हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (ﷺ) के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। मैंने उनमें से किसी को बलन्द आवाज़ से (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ते नहीं सुना।

(908) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 743, व मुस्लिम, हदीस: 399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 979.

(909) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) के बेटे से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) जब हममें से किसी को (बलन्द आवाज़ से) (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ते सुनते तो फ़रमाते: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷺ) के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। मैंने तो उनमें से किसी को (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ते नहीं सुना।

(909) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 244, व इब्ने माजा, हदीस: 815, मुसनद अहमद: 4/85.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَامَةَ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ إِذَا سَمِعَ أَحَدَنَا، يَقْرَأُ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } يَقُولُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ رضى الله عنهما فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

फ़ायदा : (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) न पढ़ने से मुराद, ऊँची आवाज़ से न पढ़ना है और ये रिवायात ज़्यादा और असह (ज्यादा सही) हैं, लिहाज़ा मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होना चाहिए क्योंकि ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन (ﷺ) इल्म व फ़िक़्ह में तमाम सहाब-ए-किराम (ﷺ) से बढ़ कर थे, ख़ुसूसन अबू बक्र व उमर (ﷺ), अलबत्ता ऊँची आवाज़ से भी कभी कभार पढ़ना जायज़ है जैसा कि कुछ रिवायात में आया है।

बाब : (23) सूरह फ़ातिहा में (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) न पढ़ना

تَرْكُ قِرَاءَةِ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(910) अबू साइब से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी ने कोई नमाज़ पढ़ी जिसमें उसने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी तो वह नाक़िस है। नाक़िस है। नाक़िस है। मुकम्मल नहीं।' मैंने कहा: ऐ अबू हुरैरह! मैं कभी इमाम के पीछे होता हूँ? तो उन्होंने मेरा बाज़ू दबाया और फ़रमाया: ओ फ़ारसी! इसे अपने दिल

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ

خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ " . غَيْرُ تَمَامٍ . فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

में पढ़ लिया कर क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है: 'अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: मैंने नमाज़ को अपने और अपने बन्दे के दरम्यान दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। एक हिस्सा मेरे लिये है और दूसरा मेरे बन्दे के लिये। और मेरे बन्दे को हर वह चीज़ मिलेगी जो उसने माँगी।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(फ़ातिहा) पढ़ो। बन्दा कहता है: (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) 'सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है।' अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की। बन्दा कहता है (अर्रहमानिर्रहीम) 'जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: मेरे बन्दे ने मेरी सना की। बन्दा कहता है: (मालिकियौमिद्दीन) 'जो रोज़े जज़ा का मालिक है।' अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बन्दा कहता है (इय्याकनाबुदु व इय्याका नस्तईन) 'हम तेरी ही इबादत करते हैं। और तुझी से मदद चाहते हैं।' अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: ये आयत मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान मुश्तरक है। और मेरे बन्दे को वह मिलेगा जो उसने माँगा है। बन्दा कहता है: (इह्दिनस्सिरातल मुस्तिक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अम्ता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ुबि अलैहिम वलज़ॉल्लीन) 'हमें सीधे रास्ते पर चला। उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तेरा ग़ज़ब नहीं हुआ और न वह गुमराह हुए।' अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: ये सब बातें मेरे बन्दे

وَلاَ الضَّالِّينَ] فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " .

के लिये हैं और मेरे बन्दे के लिये हर वह चीज़ है जो उसने माँगी।'

(910) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 39/395, मौता: 1/84, 85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 981.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नाक़िस है, मुकम्मल नहीं।' और नमाज़ मुकम्मल पढ़नी चाहिए (ख़िदाजुन) के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि ये ऐसा नक़्स है जिसकी मौजुदगी में नमाज़ ग़ैर मोतबर है क्योंकि ये लफ़्ज़ उस ऊँटनी के सिलसिले में बोला जाता है जो वक़्त से पहले बच्चा गिरा दे जिसकी अभी सूरत न बनी हो, यानी नाक़िसुल ख़िल्क़त हो। गोया मुर्दा जिसे उर्फ़ आम के लिहाज़ से बच्चा भी नहीं कहा जा सकता। गोया उस नमाज़ की जिसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये, उस लोथड़े की हैसियत है जो किसी भी काम का नहीं। इससे मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा का पढ़ना नमाज़ की सेहत के लिये लाज़मी है। ये वह नुक़्स नहीं जो लंगड़े पन, अंधे पन या काने पन की तरह हो। और कभी उसका इत्लाक़ उस ताम्मुल ख़िल्क़त बच्चे पर भी होता है जो वक़्त से पहले पैदा हो गया हो। ऐसा बच्चा भी ज़िन्दगी के क़ाबिल नहीं होता जबकि यहाँ पहले मानी मुराद हैं क्योंकि 'ग़ैरे तमाम' की तसरीह मौजूद है। **(2)** 'अपने दिल में पढ़ लिया कर।' यानी आहिस्ता जो दूसरों को सुनाई न दे। इससे मुराद सिर्फ़ तसव्वुर और इस्तिहज़ार नहीं क्योंकि इसे पढ़ना नहीं कहते और यहाँ पढ़ने का लफ़्ज़ सराहत से ज़िक्र है। **(3)** 'नमाज़ को तक़सीम कर दिया है।' हालांकि नमाज़ को नहीं बल्कि सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा को तक़सीम किया है जैसा कि सराहतन ज़िक्र है। मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा को नमाज़ कहा गया है और ये अहम तरीन रुक्न होने की दलील है और रुक्न के बग़ैर नमाज़ नहीं हो सकती। यही हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का इस्तिदलाल है। वैसे अगली हदीस में सरीह अल्फ़ाज़ आ रहे हैं: (ला सलाता लिमन .....अलख़) **(4)** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने इसे मुन्फ़रिद और मुक़्तदी दोनों के लिये ज़रूरी क़रार दिया है और दलाइल की रू से यही मस्लक बरहक़ है। बाक़ी रही ये बात कि जब क़िराअत हो रही हो तो मुक़्तदी को (इन्सात) 'ख़ामोशी' का हुक्म है। इसका जवाब ये है कि आहिस्ता पढ़ना जो किसी को सुनाई न देता हो, इन्सात के मानी नहीं। जिस आयत से इन्सात का हुक्म लिया है, इसके साथ ही ज़िक्र है (वज़्कुर रब्बका ...... अलख़) (अलआराफ़: 7/205) ख़ामोश तो रहो मगर दिल में, बलन्द आवाज़ के बग़ैर रब को याद करते रहो। सुबह हो या शाम (यानी सब नमाज़ों में सिर्री हों या जहरी) और ग़ाफ़िल बन कर न खड़े रहो। साबित हुआ कि आहिस्ता पढ़ना ख़ामोशी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उसके ऐन मुवाफ़िक़ है, लिहाज़ा दोनों पर अमल होगा, ख़ुसूसन अगर इमाम सूरह फ़ातिहा की हर आयत पढ़ कर वक़्फ़ा करे जिसमें मुक़्तदी वह आयत पढ़ लें। रसूलुल्लाह (ﷺ) हर आयत के बाद ठहरते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4001, व मुसनद अहमद: 6/302)

वैसे भी वह आयत सूरह फ़ातिहा के बारे में नाज़िल नहीं हुई जैसा कि मुफस्सिरीन ने वज़ाहत की है बल्कि ये आयत कुफ़्फ़ार के बारे में नाज़िल हुई है। जब नबी-ए-अकरम(ﷺ) कुर्आन पढ़ते तो कुफ़्फ़ारे मक्का शोर मचाते थे तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई। और अल्लामा फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने तफ़्सीरे कबीर में, पीर करमशाह भेरवी ने ज़ियाउल कुर्आन में और मौलाना अब्दुल माजिद दरयाबादी ने भी तफ़्सीरे माजिदी में इसका यही मतलब बयान किया है। अगर इसके उमूम का लिहाज़ करते हुए, इसे नमाज़ पर भी महमूल करें, फिर भी इससे सूरह फ़ातिहा की क़िराअत की मुमानिअत (मनाही) साबित नहीं होती क्योंकि इसका वाज़ेह नुसूस से इस्तिसना साबित है। वल्लाहु आलम! **(5)** 'मुश्तरक है।' क्योंकि इबादत अल्लाह तआला की और शफ़ाअत अपने लिये। **(6)** इमाम साहब ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) सूरह फ़ातिहा का जुज़ नहीं। इतना इस्तिदलाल तो दुरुस्त हो सकता है क्योंकि और भी कुछ लोग इस मौक़िफ़ के हामी हैं, लेकिन दुरुस्त और राजेह बात यही है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। अलबता दूसरा इस्तिदलाल कि सूरह फ़ातिहा से पहले (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) न पढ़ी जाये, दुरुस्त नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ी और लिखवाई है। तमाम मसाहिफ़ में हर सूरत से पहले (सिवाये सूरह तौबा के) लिखी हुई है, लिहाज़ा हर सूरह से पहले पढ़ी जायेगी। इसे न पढ़ना ख़िलाफ़े सुन्नत और मुसहफ़ की ख़िलाफ़वर्ज़ी है। मुसहफ़ (कुर्आन मजीद) मुतवातिर है जो शक व शुब्हा से बाला है। हाँ! ये बहस हो सकती है कि आहिस्ता पढ़ी जाये या फ़ातिहा की तरह ऊँची आवाज़ से। अहनाफ़ आहिस्ता और शवाफ़ेअ जहर के क़ाइल हैं। मालकिया सिरे से (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) पढ़ने के क़ाइल ही नहीं, न सिर्रन न जहरन, मगर ये क़ौल बिला दलील है। सिर्र व जहर की बहस हदीस नम्बर 906 में गुज़र चुकी है।

बाब : (24) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़नी वाजिब (फ़र्ज़) है

إِيجَابِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاَةِ

(911) हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जिसने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .

(911) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 756, व मुस्लिम, हदीस: 394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 982.

फ़ायदा : हदीस के अल्फ़ाज़ आम हैं जिसमें अकेला, इमाम और मुक़्तदी सब शामिल हैं। इसी तरह लफ़्ज़ सलात भी आम है। फ़र्ज़ नमाज़ हो या नफ़्ल, इन्फ़िरादी हो या इज्तेमाई, सिर्री हो या जहरी। और यही मफ़हूम सही है। अहनाफ़ और मालकियों के नज़दीक मुक़्तदी इससे मुस्तसना है। मालकिया के

नज़दीक सिर्फ़ जहरी नमाज़ में इस्तिसना है। मालकिया की दलील कुर्आन की आयत है। 'जब कुर्आन मजीद पढ़ा जाये तो ग़ौर से सुनो और ख़ामोश रहो।' (अल आराफ़: 7/204) इन्सात की बहस हदीस़ नम्बर 910 में गुज़र चुकी है। अहनाफ़ का इस्तिदलाल इस दूसरी रिवायत से भी है: (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 850) मगर ये हदीस़ अइम्म-ए-हदीस़ के नज़दीक़ बिल इत्तेफ़ाक़ मुन्क़तअ है सिवाये ज़ईफ़ रावियों के किसी ने इसे मुत्तसिल सनद के साथ बयान नहीं किया है, लिहाज़ा ये रिवायत ग़ैर मोतबर है, और यहाँ क़िराअत से मुराद जहर हो सकता है, यानी इमाम के होते हुए जहरन न पढ़ा जाये। या ये भी मुमकिन है कि जिस आदमी का इमाम हो, यानी वह इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे अपनी क़िराअत करनी चाहिए क्योंकि इमाम की क़िराअत सिर्फ़ अपने लिये होती है। इन दो तावीलों से ये रिवायत दूसरी सही रिवायात के मुवाफ़िक़ हो जायेगी, वरना मुहद्दिसीन का फ़ैसला ऊपर गुज़र चुका है। या इस रिवायत को फ़ातिहा से मा'बाद क़िराअत पर महमूल किया जाये, यानी फ़ातिहा के बाद मुक़्तदी न पढ़े। इस तरह तमाम रिवायात पर अमल मुमकिन होगा। ज़ईफ़ रिवायात की बिना पर सही रिवायात को नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे भी मुक़्तदी अपनी नमाज़ के तमाम अरकान ख़ुद अदा करता है, इमाम इसकी तरफ़ से रुक्न तो एक तरफ़ रहा, कोई मुस्तहब भी अदा नहीं करता यहाँ तक कि दुआए इस्तिफ़ताह, तस्बीहात, रुकू व सुजूद, तमाम अज़कार व औराद और तकबीरात तक खुद पढ़ता है। तो क्या वजह है कि क़िराअत जो नमाज़ का रुक्ने आज़म है, मुक़्तदी छोड़ दे कि इमाम की क़िराअत मुझे किफ़ायत कर जायेगी। अगर क़िराअते इमाम ख़ुसूसन सिर्री नमाज़ों में, मुक़्तदी की तरफ़ से काफ़ी है तो बाक़ी चीज़ें क्यूँ काफ़ी नहीं? ये बात इन्तेहाई क़ाबिले ग़ौर है, और अहनाफ़ के नज़दीक क़िराअत नमाज़ का लाज़िमी रुक्न है तो रुक्न के बग़ैर नमाज़ कैसे अदा हो जायेगी? जब कि हर एक की नमाज़ की क़बूलियत अलग अलग है। हो सकता है इमाम की नमाज़ क़बूल न हो। (जैसे: वह सूद ख़ोर है) मगर मुक़्तदी की हो जाये। इसके बरअक्स कुर्आन मजीद में है: 'इन्सान के काम वही अमल आयेगा जो उसने ख़ुद किया।' (अन्नज्म: 53/39) ऐसे वाज़ेह दलाइल के मुक़ाबले में चन्द एक ज़ईफ़ और इन्तेहाई कमज़ोर रिवायात को पेश करके इमाम के पीछे हर क़िस्म की (सिर्री और जहरी) नमाज़ों में मुक़्तदी को सूरह फ़ातिहा की क़िराअत से जबरन रोक देना यक़ीनन हैरतअंगेज़ जसारत है। जिस पर अहबाब को ग़ौर करना चाहिए। (ला सलाता) में 'ला' जिन्स की नफ़ी के लिये है, यानी इससे ज़ात की नफ़ी मुराद है, सिफ़ात की नफ़ी मुराद नहीं जैसा कि कुछ लोग इसे लाये नफ़ी कमाल, कहते हैं क्योंकि सिफ़ात की नफ़ी वहाँ मुराद होती है जहाँ ज़ात की नफ़ी मुराद लेने से कोई क़रीना मानेअ हो और इस हदीस़ में इस 'ला' को लाये नफ़ी जिन्स बनाने में कोई क़रीना मानेअ नहीं बल्कि इसकी ताईद इस्माइल की रिवायत से भी होती है कि 'जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह किफ़ायत नहीं करती।' यानी वह क़बूल नहीं होती जैसा कि दूसरी रिवायत में है: 'जिस नमाज़ में उम्मुल कुर्आन, यानी सूरह

फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह (इन्दल्लाह) मक़बूल नहीं।' मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/313-315, तहत हदीस़: 756, व उम्दतुल क़ारी: 6/15-17, तहत हदीस़: 756)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " .

(912) हज़रत उबादा बिन स़ामित (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा या कुछ ज़्यादा क़िराअत नहीं पढ़ता।'

(912) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 37/394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 983.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ स़ही होने की दो सूरतें बयान की गई हैं। ○ सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ना। ○ सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा भी पढ़ना। गोया सिर्फ़ फ़ातिहा फ़र्ज़ है, ज़्यादा क़िराअत फ़र्ज़ नहीं, इसके बग़ैर भी नमाज़ हो जायेगी। ये मुहद्दिसीन का मस्लक है। अहनाफ़ के नज़दीक फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है और फ़ातिहा के बाद और सूरत पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी वह फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क़ करते हैं। अहनाफ़ के नज़दीक फ़ातिहा न पढ़ने से नमाज़ नाक़िस होगी जिसकी तलाफ़ी सज्द-ए-सह्व से की जायेगी जब कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा पढ़ना मना है और फ़ातिहा से ज़्यादा वाली नमाज़ इमाम और मुन्फ़रिद की होगी। दोनों नमाज़ें बिल्कुल स़ही हैं। मालूम हुआ कि मुक़्तदी को इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़नी चाहिए ताकि वह इस हदीस़ पर अमल कर सके। (2) कुछ लोगों ने इस हदीस़ के ग़लत मानी किये हैं कि उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा और ज़्यादा नहीं पढ़ता। गोया फ़ातिहा के बग़ैर भी नमाज़ नहीं और फ़ातिहा से ज़्यादा के बग़ैर भी नमाज़ नहीं। दोनों फ़र्ज़ हैं मगर ये मानी करना लुग़ते अरबिया से नावाक़फ़ियत का नतीजा है। इसी क़िस्म की एक और हदीस़ है जिससे मानी मज़ीद वाज़ेह होगा: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा के बग़ैर नहीं काटा जायेगा।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 6789, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1684) यानी हाथ काटने के लिये चौथाई दीनार की चोरी काफ़ी है। ज़्यादा हो तब भी काटेंगे न हो तब भी। इसी तरह मुताल्लिक़ा हदीस़ के मानी हैं कि नमाज़ की स़ेहत के लिये सूरह फ़ातिहा की क़िराअत काफ़ी है। ज़्यादा हो तब भी नमाज़ हो जायेगी, न हो तब भी। ज़्यादा से उस वक़्त जब नमाज़ी मुन्फरिद या इमाम हो और सिर्फ़ फ़ातिहा से उस वक़्त जब नमाज़ी मुक़्तदी हो। (3) सूरह फ़ातिहा की क़िराअत हर रकअत में ज़रूरी है, न कि सारी नमाज़ में एक दफ़ा। क्योंकि रसूले अकरम(ﷺ) ने मुसीउस्सलात को नमाज़ सिखाने के बाद कहा था: 'ये काम अपनी सारी नमाज़ (हर रकअत) में कर।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 757) अहनाफ़ ने बग़ैर किसी दलील के फ़र्ज़ नमाज़ की आख़री दो रकआत में क़िराअते फ़ातिहा या मुत्लक़ क़िराअत को

ज़रूरी क़रार नहीं दिया बल्कि कोई नमाज़ी यहाँ तक कि इमाम भी आख़री दो रकआत में (रुबाई नमाज़ में) क़िराअत के बजाये ख़ामोश खड़ा रहे तो उसकी नमाज़ अहनाफ़ के नज़दीक क़तअन सही होगी। हैरानी की बात है कि बग़ैर किसी शरई दलील के इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया गया! (4) 'नमाज़ नहीं होती।' अहनाफ़ मानी करते हैं कि 'कामिल नहीं होती' हालांकि अगर ये मानी करें तो लाज़िम आयेगा कि फ़ातिहा वाजिब भी न हो क्योंकि कमाल की नफ़ी तो सुन्नत के तर्क से होती है जब कि फ़ातिहा पढ़ना अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है, सिवाये मुक़्तदी के। कहते हैं: मुत्लक़ क़िराअते क़ुर्आन फ़र्ज़ है, फ़ातिहा वाजिब है। अगर कोई और सूरह पढ़ ले, फ़ातिहा न पढ़े तो नमाज़ हो जायेगी मगर सज्द-ए-सह्व लाज़िम होगा क्योंकि क़ुर्आन मजीद में तो आख़री क़ादा और तशहहुद का भी ज़िक्र नहीं तो वह भी फ़र्ज़ न होना चाहिए, और ये आयत कौन सी नमाज़ की क़िराअत के बारे में उतरी है? फिर ये मुत्तफ़क़ा मसला है कि हदीस़ क़ुर्आन की तफ़्सीर है। इसके इब्हाम को दूर करती है। इसके इश्काल को वाज़ेह करती है। अगर इस क़िस्म के वाज़ेह अल्फ़ाज़ क़ुर्आन की तफ़्सीर नहीं बन सकते तो हदीस़ को तफ़्सीर कहने का क्या फ़ायदा? ग़ौर फ़रमायें।

बाब : (25) सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत

باب(٢٥): فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ . قَالَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ

(913) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जिब्राईल(ﷺ) मौजूद थे कि आपने अपने ऊपर दरवाज़ा खुलने की सी आवाज़ (चर-चराहट) सुनी। जिब्राईल (ﷺ) ने अपनी निगाह ऊपर (आसमान) की तरफ़ उठाई और कहा: ये आसमान का वह दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला, फिर उससे एक फ़रिश्ता उतरा। वह नबी(ﷺ) के पास आया और कहने लगा: आप ख़ुश हो जायें कि अल्लाह तआला ने आपको दो नूर अता फ़रमाये हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिये गये: फ़ातिहतुल किताब और सूरह बक़र: की आख़री आयात। आप इन दोनों में से जो हर्फ़ भी पढ़ेंगे, वह दिये जायेंगे।

أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ .

(913) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 806, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 984.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका में सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़र: की आख़री आयात (आमन्नर्रसूल) से आख़िर तक की फ़ज़ीलत बयान की गई है और जो शख़्स इन्हें इख़्लास के साथ पढ़ेगा, उसे वह कुछ अता कर दिया जायेगा जो इन आयात में है। **(2)** जिब्राईल(ﷺ) के अलावा और भी फ़रिशते वहि इलाही लेकर आते हैं जो जिब्राईल (ﷺ) के मुआविन हैं। **(3)** आसमान के भी दरवाज़े हैं और वह खोले भी जाते हैं, बन्द भी किये जाते हैं। **(4)** इस हदीसे मुबारका से नबी (ﷺ) की दूसरे अम्बिया (ﷺ) पर फ़ज़ीलत भी साबित होती है।

باب : (٢٦)
تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ }

बाब : (26)
अल्लाह तआला के फ़रमान : 'और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपको सात (आयतें) दी हैं बार बार दोहराई जाने वाली और क़ुर्आने अज़ीम।' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ - قَالَ - فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي " قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي . قَالَ " أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

(914) हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) मेरे पास से गुज़रे जब कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आपने मुझे आवाज़ दी, मैं नमाज़ पढ़ता रहा। फिर मैं (फ़ारिग़ होकर) आपके पास आया तो आपने फ़रमाया: 'तुमने उस वक़्त जवाब क्यू नहीं दिया?' मैंने कहा: मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आपने फ़रमाया: 'क्या अल्लाह तआला ने (क़ुर्आन मजीद में) नहीं फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला और (उसके) रसूल की बात का जवाब दो जब वह तुम्हें ऐसी बात की तरफ़ बुलाये जिसमें तुम्हारी ज़िन्दगी है।' फिर आपने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें

يُحْيِيكُمْ] أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . قَالَ فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَكَ . قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّذِي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ" .

मस्जिद से निकलने से पहले पहले क़ुरआन की सबसे अ़ज़ीम सूरत न सिखलाऊं?' आप मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी वह बात? आपने फ़रमाया: 'सूरह (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन) ये सात आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और ये अ़ज़ीम क़ुरआन है जो मुझे दिया गया।'

(914) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 985.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसियत है कि आप नमाज़ में भी बुलायें तो जाना फ़र्ज़ है और जवाब देना भी। **(2)** सबअ़े मसानी के बारे में मुफस्सिरीन का इख़्तिलाफ़ है कि इससे क्या मुराद है? इब्ने मसऊद, इब्ने उ़मर और इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद सात तवील सूरतें, यानी: बक़र:, आले इमरान, निसा, माइदा, अन्आम, आराफ़ और यूनुस हैं क्योंकि इन सूरतों में फ़राइज़, हुदूद, क़सस और अहकाम बयान किये गये हैं। दूसरा क़ौल ये है कि इससे मुराद सूरह फ़ातिहा है और ये सात आयात पर मुश्तमिल है। ये तफ़्सीर हज़रत अ़ली, हज़रत उ़मर और एक रिवायत के मुताबिक़ हज़रत इब्ने मसऊद और इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है। देखिये: (तफ़्सीर अत्तबरी: 14/72, 73) इमाम बुख़ारी (ﷺ) इस बारे में हदीस बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्मुल क़ुरआन (सूरह फ़ातिहा) ही सबअ़े मसानी और क़ुरआने अ़ज़ीम है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4705) ये हदीसे मुबारका दलील है कि सूरह फ़ातिहा ही सबअ़े मसानी, नमाज़ में दोहरा कर पढ़ी जाने वाली सात आयात और क़ुरआने अ़ज़ीम है लेकिन ये इसके मुनाफ़ी नहीं कि सात तवील सूरतों को भी सबअ़े मसानी क़रार दिया जाये क्योंकि इनमें भी ये वस्फ़ मौजूद है बल्कि ये इसके भी मुनाफ़ी नहीं कि पूरे क़ुरआन को सबअ़े मसानी क़रार दिया जाये जैसा कि इरशादे बारी तआ़ला है: 'अल्लाह ने किताबी शक्ल में बेहतरीन कलाम उतारा है जिसकी मिलती जुलती आयात व अहकाम बार बार दोहराये जाते हैं।' (अज़्ज़ुमर: 39/23) यानी इस किताब की आयात बार बार दोहराई भी जाती हैं और ये क़ुरआने अ़ज़ीम भी है। कुछ कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा को क़ुरआन मजीद इसलिये कहा गया है कि क़ुरआने करीम में जो तौहीद व रिसालत, आख़िरत, अवामिरो नवाही, तबशीर व इन्ज़ार, इनामात, क़सस व वाक़ियात और साबिक़ा उम्मतों का बयान है, सूरह फ़ातिहा में ये सब कुछ इख़्तेसार व इज्माल के साथ बयान कर दिया गया है। वल्लाहु आ़लम! **(3)**

जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाये तो बिला ताम्मुल (झिझक) फौरन उसे तस्लीम कर लेना चाहिए और उसके मुक़ाबले में अपनी या किसी उम्मती की राय या क़यास पेश नहीं करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " .

(915) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तौरात और इन्जील में सूरह फ़ातिहा जैसी कोई सूरत नहीं उतारी। और ये सात आयतें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। (अल्लाह ने फ़रमाया:) ये मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान तक़सीम है। और मेरे बन्दे के लिये वह चीज़ है जो उसने माँगी।'

(915) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3125, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 986, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 501, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1714, वल हाकिम: 1/557, अल मुस्तदरक: 1/558 वग़ैरह.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُوتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي السَّبْعَ الطُّوَلَ .

(916) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) को सबअ़े मस़ानी दी गईं, यानी सात लम्बी सूरतें।

(916) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 1459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 987, इब्ने जरीर फ़ी तफ़्सीर: 14/35.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सबअ़े मस़ानी' की एक ये तफ़्सीर भी की गई है कि क़ुर्आन की इब्तेदाई सात लम्बी सूरतें मुराद हैं, यानी: अल बक़र:, आले इमरान, अन्निसा, अल माइदा, अल्अन्आम, अलआराफ़, यूनुस और एक रिवायत के मुताबिक़ सूरह क़हफ़ है। (2) मुहक़्क़िक़े किताब ने इसे सनदन ज़ईफ़ कहा है लेकिन अ़ल्लामा अल्बानी (رحمه الله) ने स़ही और हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने क़वी अल इस्नाद कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (स़हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स़्स़ल) लिल अल्बानी: 5/200, व फ़तहुलबारी: 8/485, तहत हदीस़: 4703)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي } قَالَ السَّبْعُ الطُّوَلُ .

(917) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) ने अल्लाह तआला के फ़रमान (सबअम मिनल मसानी) के बारे में फ़रमाया कि इससे सात लम्बी सूरतें मुराद हैं।

(917) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 988, (इब्ने जरीर: 14/35, 14/37)

تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ

बाब : (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क़िराअत न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से न पढ़े

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } . قَالَ رَجُلٌ أَنَا . قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا " .

(918) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷻ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। एक आदमी ने आपके पीछे सूरह (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: 'सूरह (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) किसने पढ़ी थी?' उस आदमी ने कहा: मैंने। आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मुझे मालूम हो गया था कि तुममें से किसी ने मुझे ख़ल्जान में डाला है।'

(918) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 48/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 989.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इमरान का ये कहना कि 'एक आदमी ने आपके पीछे सूरह अल आला पढ़ी।' इससे ये साबित होता है कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में पढ़ी थी, तभी तो रावि-ए-हदीस ने सुनी। आप (ﷺ) के अल्फ़ाज़ 'किसी ने मुझे ख़ल्जान (शक व इश्तेबाह और इख़्तेलाल) में डाला है।' भी इसी के मुअय्यिद हैं कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में ये सूरह पढ़ी, तभी आप तक आवाज़ पहुँची और आपको इश्तेबाह वग़ैरह हुआ, लिहाज़ा आपका इन्कार भी ऊँची आवाज़ से पढ़ने पर है जिससे किसी साथी या इमाम को तश्वीश हो। अगर आहिस्ता पढ़े कि किसी को सुनाई न दे तो कोई हर्ज नहीं। **(2)** सिर्री नमाज़ में सूरह फ़ातिहा के अलावा ज़्यादा सूरह भी पढ़ सकता है, लिहाज़ा बाब में इमाम साहब (رحمه الله) के अल्फ़ाज़ 'क़िराअत न करना' से मुराद है, बलन्द आवाज़ से न पढ़ना या फ़ातिहा से ज़्यादा न पढ़ना।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا".

(919) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने ज़ुहर या अस्र की नमाज़ पढ़ाई। एक आदमी आपके पीछे क़िराअत करने लगा। जब आप (नमाज़ से) फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: 'तुममें से किसी ने सूरह (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ी है?' एक (उसी) आदमी ने कहा: मैंने। और मैंने इससे नेकी ही का क़सद किया है। तो आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मुझे पता चल गया था कि तुममें से किसी ने मुझे तश्वीश में डाला है।'

(919) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 47/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 990.

फ़ायदा : कोई भी ऐसा काम जो ज़ाहिरन बड़ा ख़ूबसूरत और नेकी मालूम हो लेकिन वह अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के तरीक़े के ख़िलाफ़ हो या अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मुहर उस पर सब्त न हो, वह इन्दल्लाह (अल्लाह के यहाँ) मक़बूल नहीं।

تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ

बाब : (28)
इमाम के पीछे उस नमाज़ में क़िराअत न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ " هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا " . قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " .

(920) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक नमाज़ से फ़ारिग़ हुए जिसमें आपने बलन्द आवाज़ से क़िराअत की थी तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुममें से किसी ने मेरे साथ अभी कुछ पढ़ा है?' एक आदमी ने कहा: 'हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'मैं भी कहता था, क्या वजह है कि मुझे क़ुरआन मजीद पढ़ने में दिक़्क़त हो रही है?' उस (इमाम ज़ोहरी) ने कहा: तो जब उन्होंने आपकी ये बात

قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلاَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ .

सुनी उसके बाद वह उस नमाज़ में क़िराअत करने से रुक गये जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) बलन्द आवाज़ से क़िराअत करते थे।

(920) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 826, मौता: 1/86, 87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 991, व तिर्मिज़ी, 312, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : इस रिवायत में भी नबी (ﷺ) का इन्कार मुक़्तदी के ऊँचा पढ़ने पर था क्योंकि इमाम को दिक़्क़त तभी पेश आयेगी जब किसी की गुन गुन उस तक पहुँचती होगी। अगर वह आहिस्ता पढ़े, उसकी आवाज़ किसी को सुनाई न दे तो उससे किसी को क्या ख़ल्जान या मुनाज़अत हो सकती है? अलबत्ता जहरी नमाज़ में मुक़्तदियों को फ़ातिहा से ज़्यादा पढ़ने से सराहतन रोका गया है, लिहाज़ा जहरी नमाज़ों में मुक़्तदी सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, न जहरन न सिर्रन। आख़री क़ौल से मुराद भी सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा क़िराअत है जिससे लोग रुक गये। बाक़ी रही सूरह फ़ातिहा तो ख़ुद रावि-ए-हदीस इसके पढ़ने का फ़तवा देते थे। (देखिये, हदीस: 910) याद रहे कि ये आख़री क़ौल इमाम ज़ोहरी का है जो सिग़ारे ताबेईन में से हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम इब्ने क़य्यिम और अल्लामा शम्सुल हक़ अज़ीमाबादी ने इमाम बुख़ारी, इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, और इमाम बैहक़ी (رحمهم الله) जैसे अज़ीम मुहद्दिसीन और अइम्म-ए-जरह व तादील के अक़वाल नक़ल किये हैं कि ये इमाम ज़ोहरी का अपना कलाम है, रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस नहीं। देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर, रक़म: 344, औनुल माबूद: 3/50-52) वल्लाहु आलम! उन्होंने ये बात (फ़न्तहन्नासु अनिल क़िराअति ..... अलख़) किससे सुनी? ये सराहत नहीं, लिहाज़ा ये मुर्सल है और 'जोहरी की मुर्सल रिवायात हवा की तरह हैं' लिहाज़ा उनका ये क़ौल भी हवा की तरह है।

قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الإِمَامُ

बाब : (29) जिस नमाज़ में इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाये

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

(921) हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक ऐसी नमाज़ पढ़ाई जिसमें बलन्द आवाज़ से क़िराअत की जाती है। फिर आपने फ़रमाया: 'जब मैं बलन्द आवाज़ से क़िराअत करूं तो तुममें से कोई

الله عليه وسلم بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ " لاَ يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ "

आदमी सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछ न पढ़े।'

(921) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 992, बैहक़ी, व इब्ने हिब्बान अलहाकिम, व इब्ने हज़्म, वज़ ज़हबी वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ रिवायात में ज़िक्र है कि वह सुबह की नमाज़ थी। आप पर क़िराअत सक़ील (भारी) हो गई तो आपने नमाज़ के बाद फ़रमाया: 'शायद तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। इमाम के पीछे सिवाये फ़ातिहा के कुछ न पढ़ा करो क्योंकि इसके बग़ैर नमाज़ नहीं होती।' इमाम के पीछे जहरी नमाज़ में सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ी जाये, अलबत्ता इससे ज़्यादा पढ़ना मना है। और सिर्री नमाज़ में सूरह फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ा जा सकता है अगरचे ज़रूरी नहीं। **(2)** इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बारे में जामेअ बात ये है कि पढ़ने का हुक्म आया है, मना साबित नहीं। अगर कहीं नहीं है तो वह मुत्लक़ क़िराअत, यानी फ़ातिहा से ज़्यादा क़िराअत से है, न कि फ़ातिहा से। और अगर किसी में हर क़िराअत से रोका गया है तो वह सनदन सही नहीं। बहुत से सहाब-ए-किराम से सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म मरवी है। सही सनद के साथ फ़ातिहा से मुमानिअत किसी सहाबी से मन्क़ूल नहीं बल्कि छोड़ने की रुख़सत भी नहीं आती, सिवाये हज़रत जाबिर (ﷺ) के। उनका क़ौल है कि जो आदमी फ़ातिहा न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं होती मगर ये कि वह इमाम के पीछे हो। (लेकिन ये क़ौल सही अहादीस के ख़िलाफ़ है) अहनाफ़ के अलावा बाक़ी मसालिक इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं। अहनाफ़ में से भी इमाम मुहम्मद (رحمه الله) सिर्री नमाज़ में फ़ातिहा पढ़ने को जायज़ समझते हैं। **(3)** अल्लामा अल्बानी (رحمه الله) ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने 'अत्तल्ख़ीस' में इस पर सियर हासिल बहस करते हुए अइम्म-ए-अजिल्ला से इसकी सेहत नक़ल की है और इसकी ताईद में मज़ीद तुरुक़ नक़ल किये हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 1/421, रक़म: 345)

بَاب تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

बाब : (30) अल्लाह तआला के फ़रमान: 'और जब क़ुर्आन पढ़ा जाये तो उसे ग़ौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम रहम किये जाओ।' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي

(922) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये बनाया गया है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी

صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " .

अल्लाहु अकबर कहो और जब वह क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश रहो और जब वह (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) कहो।'

(922) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 604, व इब्ने माजा, हदीस: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 993, व सहीह मुस्लिम, देखें हदीस: 920, 921.

फ़ायदा : (फ़इज़ा कब्बर फ़कब्बिरु) 'जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो।' में 'फ़ाअ' ताक़ीब के लिये है, यानी तकबीर इमाम से पहले न बराबर बल्कि इमाम के फ़ौरी बाद कहो। उसकी ताईद नबी (ﷺ) के इस फ़रमान से भी होती है, आपने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये होता है कि उसकी पैरवी की जाये, लिहाज़ा वह जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब तक वह तकबीर न कह ले तुम तकबीर न कहो। और जब वह रुकू में जाये तो तुम भी रुकू में जाओ। और उस वक़्त तक तुम रुकू में न जाओ जब तक कि वह रुकू के लिये झुक न जाये। और (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) मुस्लिम बिन इब्राहीम (वलकल हम्दु) के अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (इसकी मज़ीद तफ़्सील आगे आयेगी। इन्शाअल्लाह) और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। और उस वक़्त तक तुम सज्दे के लिये न झुको जब तक कि वह सज्दे में चला न जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 603) मालूम हुआ इमाम से पहले या इमाम की बराबरी करना दुरुस्त नहीं, इससे इमाम को मुक़र्रर करने का मक़सद फ़ौत हो जाता है और नबी (ﷺ) के तरीक़े की मुख़लिफ़त होती है जिससे नमाज़ का सवाब भी ज़ाया होने का अन्देशा है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ

(923) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये बनाया जाता है कि उसकी पेरवी की जाये, चुनांचे जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो और जब वह क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश रहो।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं: मख़रमा कहा करते थे कि मुहम्मद बिन सअद अन्सारी सिक़ा हैं।

الْمُخَرِّمِيُّ يَقُولُ هُوَ ثِقَةٌ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ .

(923) तख़रीज : (सनद सही) पीछे वाली हदीस में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 994.

फ़ायदा : इन्सात की बहस, यानी इसमें ख़ामोश रहने का जो हुक्म है, उसका मतलब क्या है? इसके लिये देखिये हदीस नम्बर: 910, फ़ायदा नम्बर: 4.

اكْتِفَاءِ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الإِمَامِ

बाब : (31)क्या मुक़्तदी इमाम की क़िराअत पर किफ़ायत कर सकता है?

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ . فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ مَا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ .

(924) कसीर बिन मुर्रा हज़रमी से रिवायत है, हज़रत अबू दरदा (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) से पूछा गया: क्या हर नमाज़ में क़िराअत है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' अन्सार में से एक आदमी ने कहा: ये तो वाजिब हो गई। आप (अबू दरदा (ﷺ)) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुए, और मैं सब लोगों में से आपके ज़्यादा क़रीब था, आपने फ़रमाया: मेरा ख़्याल है कि जब इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा हो तो वह उन्हें किफ़ायत करेगा।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) ने कहा: इस (क़ौल) को रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान क़रार देना ख़ता और ग़लती है। ये हज़रत अबू दरदा (ﷺ) का क़ौल है।

(924) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 1/331, 332, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 995, बैहक़ी: 2/163, वल हाकिम, नसाई वग़ैरह.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ने सराहत फ़रमाई है कि मुतवज्जा होने वाले और ख़याल ज़ाहिर करने वाले हज़रत अबू दरदा (ﷺ) हैं न कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस क़ौल में भी फ़ातिहा से ज़्यादा क़िराअत में किफ़ायत मुराद होगी। (किफ़ायत वाली बहस के लिये देखिये हदीस: 911) इसके अलावा ये रिवायत ज़ईफ़ है जैसा कि ज़ेल में इसकी सराहत की गई है।

बाब : (32) जो शख़्स क़ुर्आन मजीद पढ़ना न जानता हो, उसे कौन सी चीज़ किफ़ायत करेगी?

مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِمَنْ لاَ يُحْسِنُ الْقُرْآنَ

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ . فَقَالَ " قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " .

(925) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा मैं क़ुर्आन मजीद याद नहीं कर सकता, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिये जो मुझे क़ुर्आन मजीद की जगह किफ़ायत कर सके। आपने फ़रमाया: 'तुम (सुब्हानल्लाहि, वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम) 'अल्लाह पाक है, उसकी तारीफ़ है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और बुराइयों से बचना और नेकी की तौफ़ीक़ मिलना अल्लाह के सिवा किसी से मुमकिन नहीं। वह आली है, अज़मत वाला है' पढ़ लिया करो।'

(925) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 996, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 542, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 473, दारक़ुतनी, वल हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: 1/241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वह शख़्स नौ मुस्लिम था, फ़ौरन क़ुर्आन मजीद हिफ़्ज़ नहीं कर सकता था, इसमें ताख़ीर हो सकती थी लेकिन नमाज़ को तो मुअख़्ख़र नहीं किया जा सकता, इसलिये वक़्ती तौर पर उसे ये जुम्ले सिखला दिये गये जो हर ख़ास व आम जानता है ताकि जब तक उसे क़ुर्आन मजीद हिफ़्ज़ नहीं हो जाता, उस वक़्त तक वह उनसे काम चलाये। ये नहीं कि मुस्तक़िल्लन उन्हीं से नमाज़ पढ़े। (2) साबिक़ा अहादीस से मालूम हुआ कि कम अज़ कम क़िराअते सूरह फ़ातिहा वाजिब है, लिहाज़ा जो कोई अज़ हद आजिज़ हो और किसी भी माक़ूल उज़्र की बिना पर सूरह फ़ातिहा और क़ुर्आन मजीद पढ़ने या याद रखने की ताक़त न रखता हो तो उसे मज़्कूरा ज़िक्र या इसी तरह के दूसरे

मासूर अज़्कार से अपनी नमाज़ मुकम्मल करनी चाहिए न कि नमाज़ या कुर्आन याद न होने का उज़्र बना कर नमाज़ ही छोड़ दे। (उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह) या फिर अरबी के अलावा किसी और ज़बान में नमाज़ के अज़्कार और कुर्आन मजीद पढ़े, इससे भी नमाज़ नहीं होगी। ग़ैर अरबी ज़बान में नमाज़ या अज़ान या कलिम-ए-तौहीद व रिसालत वग़ैरह मुसलमानों में वहदत ख़त्म कर देंगे। कुर्आन मजीद भी अरबी ही में पढ़ा जायेगा। तर्जुम-ए-कुर्आन, बिल इत्तेफ़ाक़ कुर्आन नहीं कहलाता क्योंकि कुर्आने करीम के अल्फ़ाज़ मोजिज़ा हैं और तर्जुमे में ऐजाज़े कुर्आनी ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ा नमाज़ में कुर्आने करीम का तर्जुमा किफ़ायत नहीं करेगा, न उससे नमाज़ ही दुरुस्त होगी। अरबी ज़बान मुसलमानों की वहदत की ज़ामिन और कुर्आने करीम उसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। वल्लाहु आलम!

बाब : (33)
इमाम 'आमीन' बलन्द आवाज़ से कहे

جَهْرِ الإِمَامِ بِآمِينَ

(926) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब पढ़ने वाला (इमाम) आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, चुनांचे जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल गई, अल्लाह तआला उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर देता है।

(926) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 997, मुसनद अहमद: 2/449.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ इमाम साहब आमीन ऊँची आवाज़ से कहें ताकि दूसरे लोग भी कह सकें। अबू दाऊद में सरीह और सही रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (वलज़्ज़ाल्लीन) कहते तो आमीन कहते और उसके साथ अपनी आवाज़ बलन्द करते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 932) इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का यही मस्लक है। (2) फ़रिश्तों की आमीन से मिलने का मतलब ये है कि दोनों एक वक़्त में हों, लिहाज़ा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इमाम और मुक़्तदियों की आमीन मुत्तसिल होनी चाहिए जैसा कि हदीस में है कि 'जब इमाम (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 782) व सहीह मुस्लिम, हदीस: 410), अलबत्ता मुक़्तदियों को इमाम की आवाज़ सुन कर आमीन शुरू करनी चाहिए, इमाम

से पहल करना दुरुस्त नहीं। (3) कुछ हज़रात ने (इज़ा क़ालल इमामुः (वलज़्ज़ाल्लीन), फ़क़ूलूः आमीन) से इस्तिदलाल किया है कि सूरह फ़ातिहा इमाम ही पढ़ेगा और मुक़्तदी सिर्फ़ आमीन कहेगा। लेकिन ये इस्तिदलाल अहादीसे सहीहा मुतवातिरा के ख़िलाफ़ है। सूरह फ़ातिहा के वजूब के दलाइल बेशुमार हैं जिनमें से कुछ का एहाता साबिक़ा अहादीस में भी हो चुका है, लिहाज़ा सूरह फ़ातिहा नमाज़ का रुक्न है जिसके बग़ैर किसी की कोई नमाज़ नहीं होती। वल्लाहु आलम। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि सूरह फ़ातिहा के इख़्तिताम पर सिर्फ़ आमीन कहनी चाहिए, इससे ज़्यादा अल्फ़ाज़ कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि जिन रिवायाते आमीन में ज़्यादा अल्फ़ाज़ हैं, वह रिवायात ज़ईफ़ हैं, जैसेः इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने वाइल बिन हुज्र (ﷺ) के हवाले से रिवायत की है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, जब आपने (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो (रब्बिग़फ़िरली आमीन) कहा। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ीः 2/58) ये रिवायत अबू बक्र नहशली की वजह से ज़ईफ़ है। (5) इस हदीस में इमामिया फ़िर्क़े का रद है जो कहते हैं कि नमाज़ में आमीन कहने से नमाज़ बातिल हो जाती है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(927) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब क़िराअत करने वाला (इमाम) आमीन कहे तो तुम आमीन कहो क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(927) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 6402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 998, बुख़ारी, हदीसः 780, 781, व मुस्लिम, हदीसः 410 वग़ैरहुम.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا " قَالَ الإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ

(928) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब इमाम (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं और इमाम भी आमीन कहता है, चुनांचे जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

(928) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 852, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 999, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(929) हज़रत अबू हुरैरह (﵁) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इमाम आमीन कहे तो तुम आमीन कहो। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(929) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 780, व मुस्लिम, हदीस: 410, मौता: 1/87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1000.

फ़वाइद व मसाइल : 'साबिक़ा सब गुनाह, जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक, इससे और दीगर आमाल जिनके मुताल्लिक़ ये बशारत दी गई है कि उनके बजा लाने पर साबिक़ा सारे गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं, उनसे सग़ीरा गुनाह मुराद हैं जो तौबा किये बग़ैर मुख़्तलिफ़ आमाल से माफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक कबीरा गुनाहों की माफ़ी का मामला है तो वह ख़ालिस तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते। लेकिन ये और इस क़िस्म की दीगर अहादीस के ज़ाहिर का तक़ाज़ा यही है कि इन आमाल की तासीर व बरकत से सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वहाँ तौबा की शर्त नहीं, अल्फ़ाज़ का उमूम भी इसी बात का मुतक़ाज़ी है। वल्लाहु आलम!

باب : (٣٤) الأَمْرِ بِالتَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ

बाब : (34) इमाम के पीछे आमीन कहने का हुक्म

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ

(930) हज़रत अबू हुरैरह (﵁) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इमाम (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो क्योंकि जिसका क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के साथ मिल जाये, उसके लिये उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(930) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 782, व मुस्लिम, हदीस: 409, पिछली हदीस देखें, मौता: 1/87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1001.

फ़ायदा : इमाम के पीछे मुक़्तदियों का आमीन कहना इत्तेफ़ाक़ी मसला है। इख़्तिलाफ़ आहिस्ता और ऊँची कहने में है। बैहक़ी में हज़रत अ़ता से रिवायत है कि मैंने दो सौ अस्हाबे रसूल को मस्जिदे हराम में देखा कि जब इमाम (वलज़्ज़ाल्लीन) कहता तो उनकी आमीन की आवाज़ से गूंज पैदा हो जाती थी। (सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी, सलात: 2/59) हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) से ख़ुसूसन मन्क़ूल है कि उनके मुक़्तदियों की आवाज़ से शोर बरपा हो जाता था। (सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी, अस्सलात: 2/59) इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/339-345, तहत हदीस: 780-782)

باب (٣٥): فَضْلِ التَّأْمِينِ

बाब : (35) आमीन कहने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(931) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई आमीन कहता है और फ़रिश्ते आसमान में आमीन कहते हैं, फिर उनमें से एक आमीन दूसरी आमीन के साथ मिल जाये तो उनके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(931) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 781, मौता: 1/88, वलकुब्रा, हदीस: 1002, मुस्लिम, हदीस: 410, पिछली हदीस देखें।

باب : (٣٦) قَوْلِ الْمَأْمُومِ إِذَا عَطَسَ خَلْفَ الإِمَامِ

बाब : (36) इमाम के पीछे मुक़्तदी को छींक आये तो वह क्या कहे?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّ، أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(932) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। मुझे छींक आई तो मैंने (ऊँची आवाज़ में) कह दिया: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा

فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَقَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ " . فَلَمْ يُكَلِّمْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ " . فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " كَيْفَ قُلْتَ " . قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلاَثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا " .

युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा) 'तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है, बहुत ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा और बा'बरकत (यानी बाक़ी रहने वाली) जिस क़द्र हमारा रब पसन्द करे और जिस पर राज़ी और ख़ुश हो।' जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: 'किस आदमी ने नमाज़ में कलाम किया था?' किसी ने जवाब न दिया। फिर आपने दोबारा फ़रमाया: 'किस आदमी ने नमाज़ में कलाम किया था' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह मैंने कहा: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा) मैंने कहा था। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! तीस से ज़्यादा फ़रिश्ते इस कलिमे की तरफ़ लपके थे कि कौन उन्हें लेकर ऊपर चढ़ता है?'

(932) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 773, तिर्मिज़ी: 404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1003.

फ़वाइद व मसाइल : (1) छींक मारने और रुकू से सर उठाने का वक़्त एक ही था जैसा कि सहीह बुख़ारी में इसकी सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 799) **(2)** छींक भी अल्लाह तआला की नेमत है। इससे दिमाग़ खुल जाता हैं तबीयत चुस्त हो जाती है, इसलिये अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके लिये सिर्फ़ अल हम्दुलिल्लाह कहना काफ़ी है। मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाये तो कोई हर्ज नहीं जैसे कि इस रिवायत में है। **(3)** पहली दफ़ा जवाब न देना, इस डर की बिना पर था कि शायद मैंने ग़लती की है। **(4)** इस रिवायत से इस्तिदलाल किया जाता है कि नमाज़ के दौरान में छींक आने पर जहरन अल हम्दुलिल्लाह कहना भी दुरुस्त है। वल्लाहु आलम! **(5)** जब इमाम अपने मुक़्तदियों में कोई नई चीज़ महसूस करे तो उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करे और मुक़्तदियों को हक़ीक़ते हाल से आगाह करे। **(6)** नमाज़ में छींक मारने वाला अल हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब नहीं दिया जायेगा क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाबा में से किसी ने उस आदमी का जवाब नहीं दिया था। अगर कोई शख़्स

जवाब देगा तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। वल्लाहु आलम! (7) इस हदीसे मुबारका से मज़्कूरा ज़िक्र की फ़ज़ीलत भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह तआला को ये ज़िक्र बहुत पसन्द है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " . فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ . قَالَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ " مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلاَةِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدْتُ بِهَا بَأْسًا . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا نَهْنَهَهَا شَىْءٌ دُونَ الْعَرْشِ " .

(933) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब आपने अल्लाहु अकबर कहा तो कानों से नीचे तक अपने हाथ उठाये (रफ़उल यदैन किया) जब आपने (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो आमीन कहा। मैं आपके पीछे खड़ा था, मैंने आपकी आमीन सुनी। नबी(ﷺ) ने एक आदमी को ये कहते सुना: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि) जब नबी (ﷺ) ने अपनी नमाज़ से सलाम फेरा तो फ़रमाया: 'नमाज़ में किस ने वह कलिमात कहे थे?' उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने। और मेरी नियत बुरी नहीं थी। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! बारह फ़रिश्ते इन कलिमात की तरफ़ लपके थे। अर्श तक किसी चीज़ ने उन्हें नहीं रोका।'

(933) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 22/23, हदीस: 41, सफ़ा: 21-22, हदीस: 36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1004, सुनन इब्ने माजा, हदीस: 855.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़ीन ने मज़्कूरा रिवायत के आख़री जुम्ले (फ़मा .....) के सिवा बाक़ी रिवायत को सही क़रार दिया है जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब और शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसकी सराहत की है। याद रहे आख़िरी जुम्ले के सिवा बाक़ी रिवायत सही और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम। (2) ये दो मुख़्तलिफ़ वाकिआत मालूम होते हैं। पिछली हदीस में रुकू के बाद वाला वाक़िया है और इसमें तकबीरे तहरीमा के बाद इन कलिमात का वुरूद साबित होता है, लिहाज़ा इन दोनों को एक ही वाक़िया शुमार करना तकल्लुफ़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (37)
क़ुर्आन मजीद का बयान

باب : (٣٧)
جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ قَالَ " فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى فَيَنْبِذُهُ إِلَىَّ " .

(934) हज़रत आयशा (ﵱ) से मरवी है कि हज़रत हारिस़ बिन हिशाम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा: आपके पास वहि कैसे आती है? आपने फ़रमाया: 'घण्टी की आवाज़ की तरह। जब वह मौक़ूफ़ होती है तो मैं फ़रिश्ते का पैग़ाम याद कर चुका होता हूँ। तहक़ीक़ ये वहि मुझ पर बहुत गिरां गुज़रती है। और कभी (वहि लाने वाला फ़रिश्ता) एक नौजवान की सूरत में मेरे पास आता है जो मुझ पर वहि डालता है।'

(934) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 87/2333, बुख़ारी, हदीस़: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1005.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आपके पास वहि किस हालत में आती है? इस सवाल में तीन चीज़ें आ जाती हैं: ○ नफ़्से वहि की कैफ़ियत ○ हामिले वहि हज़रत जिब्राईल (ﷺ) की कैफ़ियत ○ ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) की कैफ़ियत। जवाब में इन तीनों चीज़ों की वज़ाहत है इस हदीस़ में वहि की दो सूरतों को बयान किया गया है जो आ़म तौर पर आपको पेश आती थीं। इसके अ़लावा भी वहि की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम (ﷺ) ने वहि की सात मरातिब ज़िक्र किये हैं। ○ सच्चे ख़्वाब आना। इससे नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर वहि की इब्तेदा हूई आप जो कुछ ख़्वाब में देखते बैदारी की सूरत में वैसे ही हो जाता था। ○ फ़रिश्ते का नज़र आये बग़ैर ही कोई चीज़ दिल में डाल देना जैसा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का इरशाद है: 'बेशक रूहुल क़ुदुस (जिब्राईल अमीन) ने मेरे दिल में ये बात डाली।' (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 6/865: 2866) ○ फ़रिश्ते का इन्सानी शक्ल में आप पर वहि लाना जिसका मज़्कूरा हदीस़ में भी ज़िक्र है। ऐसे मौक़े पर हज़रत जिब्राईल (ﷺ) उ़मूमन मशहूर स़हाबी हज़रत दिह्या कलबी (ﷺ) की शक्ल में आते थे। कुछ दफ़ा किसी दूसरे इन्सान की शक्ल में भी आ जाते थे जैसे हज़रत उ़मर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत जिब्राईल (ﷺ) एक अजनबी की सूरत में आये। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 8) ○ कभी घण्टी की तरह आवाज़ आती और

वहि का नुज़ूल शुरू हो जाता था। इसका बयान भी मज़्कूरा हदीस़ में हुआ है। ○ फ़रिश्ते का अस़ली शक्ल में रसूलुल्लाह (ﷺ) पर वहि लाना। इस तरह आप पर दो मर्तबा वहि हुई। ○ आसमानों पर अल्लाह तआला से बराहे रास्त पसे परदा हम कलाम होना जैसे मेराज की रात आप (ﷺ) अल्लाह तआला से हम कलाम हुए और आपको पच्चास नमाज़ों का हदिया मिला जो कम होते होते पाँच नमाज़ें मुक़र्रर हूईं। ○ फ़रिश्ते के वास्ते के बग़ैर बराहे रास्त अल्लाह तआला का पसे परदा हम कलाम होना जैसे अल्लाह तआला ने मूसा (عليه السلام) से कलाम फ़रमाया: (अन्निसा: 4/164) कोई बशर अल्लाह तआला से रू ब रू होकर कलाम नहीं कर सकता। इरशादे बारी है: (अश्शूरा: 42/51) 'किसी बशर के लिये मुमकिन नहीं कि अल्लाह से (रू ब रू होकर) बात करे मगर दिल में इल्क़ा करके या पर्दे के पीछे से।' (ज़ादुलमआद: 1/78-80) **(2)** 'घण्टी जैसी आवाज़' ये वहि की आवाज़ होती थी जिसे समझना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि घण्टी जैसी आवाज़ से अल्फ़ाज़ को समझना काफ़ी तवज्जा का मुतक़ाज़ी होता है और उनके समझने में बड़ी दिक़्क़त होती है, लिहाज़ा उन्हें समझने के लिये काफ़ी ज़्यादा मशक़्क़त उठानी पड़ती है। कुछ उ़लमा ने ये ख़याल ज़ाहिर किया है कि फ़रिश्ता वहि लाते वक़्त अपने परों को फड़ फड़ाता था, इससे ये आवाज़ पैदा होती थी। और कुछ अहले इल्म ने ये राय ज़ाहिर की है कि यहाँ तश्बीह आवाज़ के तरन्नुम में नहीं बल्कि उसके तसल्सुल और कुव्वत में है कि जिस तरह घण्टी की आवाज़ मुसल्सल और शिद्दत से ज़ाहिर होती है और किसी जगह टूटती नहीं, इसी तरह वहि की आवाज़ भी मुसल्सल शदीद होती थी। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 12/55) इस सूरत में चूंकि फ़रिश्ता आपको नज़र नहीं आता था बल्कि बराहे रास्त दिल पर इल्क़ा होता था, इसलिये ये आपके लिये शिद्दत और स़क़ल का सबब था। वल्लाहु आ़लम! हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि आप पर सख़्त सर्दी के दिन में वहि नाज़िल होती। जब वहि का सिलसिला ख़त्म हो जाता तो आपकी पेशानी पसीने से शराबोर हो चुकी होती थी। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2) शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) के मुताबिक़ वहि के वक़्त आपके कान और आँखें ख़ारिज से बन्द हो जाते थे। न आपको कुछ नज़र आता था, न कोई और आवाज़ सुनाई देती थी ताकि वहि में दख़लअन्दाज़ी न हो, तवज्जा इधर उधर मुन्अतिफ़ न हो। ये आवाज़ दरअस़ल कान बन्द होने की वजह से होती थी, इसलिये ये आवाज़ सारी वहि के दौरान में क़ाइम रहती होगी।

(935) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से मन्क़ूल है कि हज़रत हारिस़ बिन हिशाम (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा: आपके पास वहि कैसे आती है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कभी

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ،

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ " . قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

तो वहि आने की कैफ़ियत घण्टी की आवाज़ की तरह होती है और ये वहि मेरे लिये बहुत सख़्त होती है। जब वह मौक़ूफ़ होती है तो मैं फ़रिश्ते की वहि अच्छी तरह याद कर चुका होता हूँ। और कभी फ़रिश्ता इन्सानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे हम कलाम होता है और जो कुछ वह कहता है, मैं याद कर लेता हूँ।' हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर सख़्त सर्दी वाले दिन में वहि उतरते वक़्त आपको देखा। जब वहि आपसे मौक़ूफ़ होती तो आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था।

(935) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2, मौता: 1/202, 203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1006, मुस्लिम, हदीस: 2333, पिछली हदीस में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़रिश्ते का इन्सानी सूरत इख़्तियार करना अहादीसे सहीहा से बकस्रत साबित है। इसमें कोई अक़्ली इश्काल भी नहीं। रोशनी कितने रंग इख़्तियार करती है, कभी किसी रंग में नज़र आती है कभी किसी में, वैसे रोशनी सफ़ेद है। सूरज ग़ुरूब व तुलूअ के वक़्त सुर्ख़ नज़र आता है और दोपहर के वक़्त सख़्त सफ़ेद, हालांकि वह उस वक़्त किसी और जगह तुलूअ या ग़ुरूब हो रहा होता है। इस कायनात के अस्रार व रुमूज़ बेशुमार हैं, इसलिये हक़ीक़तन वाक़ेअ होने वाली चीज़ से इन्कार करना अहले अक़्ल व ख़िरद का शेवा नहीं। **(2)** सर्दियों के मौसम में भी पसीना बह निकलना, वहि के सक़ल की बिना पर था क्योंकि वहि को अख़ज़ करते वक़्त आपको बेइन्तेहा जिस्मानी क़ुव्वत सर्फ़ करनी पड़ती थी। **(3)** इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि सहाब-ए-किराम(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवालात करते थे और नबी-ए-अकरम (ﷺ) किसी उकताहट वग़ैरह के महसूस किये बग़ैर उन्हें जवाब देते और उन्हें दीन की बातें सिखाते थे, फिर सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने जो कुछ आपसे सीखा और याद किया उसे कोई बात छुपाये बग़ैर हम तक पहुँचाया। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक **(4)** इत्मिनाने क़ल्ब के लिये दीन की किसी चीज़ की कैफ़ियत के बारे में सवाल करना यक़ीन के मुनाफ़ी नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(936) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने अल्लाह तआला के फ़रमान: 'ऐ नबी! इस (वहि) को

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ } قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ } قَالَ جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ } قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ .

जल्दी जल्दी याद करने के लिये अपनी ज़बान को हरकत न दें। यक़ीनन इसे जमा करना और पढ़ा देना हमारी ज़िम्मेदारी है।' (अल क़ियामा: 75/16, 17) की तफ़्सीर बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) क़ुर्आन उतरते वक़्त (उसे याद करने के लिये) अपने होटों को हिलाया करते थे और उससे आपको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। (इस पर) अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (ला तुहर्रिक बिही लिसानक ...अलख़) यानी इसे आपके सीने में महफ़ूज़ कर देना और आपका इसे (बिऐनिही) पढ़ना (यानी आपसे बिऐनिही (बिल्कुल वैसे ही) पढ़वाना) हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर इस फ़रमाने इलाही: 'फिर जब हम पढ़ चुकें तो आप हमारे पढ़ने की पैरवी करें।' (अल क़ियामा: 75/18) की तफ़्सीर करते हुए फ़रमाया: ख़ामोशी से कान लगा कर सुनते रहें। इसके बाद जब जिब्रईल (عليه السلام) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आकर क़ुर्आन सुनाते तो आप तवज्जो से सुनते रहते। जब वह चले जाते तो आप (वादा-इलाही के मुताबिक़) बिल्कुल उसी तरह पढ़ते जैसे फ़रिश्ते ने पढ़ा होता था।

(936) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी; हदीस: 7524, व मुस्लिम: 148/448. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1007.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) का साथ साथ पढ़ना इस ख़तरे के पेशे नज़र था कि मुझे कुछ भूल न जाये (यानी मैं कुछ भूल न जाऊँ। जब अल्लाह तआला ने हिफ़ाज़त का ज़िम्मा ले लिया तो आपने साथ साथ पढ़ना छोड़ दिया। (2) हदीस में होंट हिलाने का ज़िक्र है जबकि क़ुर्आन मजीद में ज़बान की हरकत का। दरअसल ज़बान की हरकत का इल्म होटों के हिलने से होता है, और मुराद पढ़ना है और पढ़ते वक़्त होंट भी हिलते हैं और ज़बान भी। मुख़्तसर सहीह बुख़ारी (उर्दू) मतबूआ

दारुस्सलाम में इस हदीस़ के फ़वाइद कुछ यूँ हैं: 'इस हदीस़ में कुर्आने हकीम के मुताल्लिक़ तीन मराहिल का ज़िक्र किया गया है: पहला मरहला आपके सीना-मुबारक में महफ़ूज़ तरीक़े से उतारना है, दूसरा मरहला क़ल्बे मुबारक में जमा शुदा कुर्आन को ज़बान के ज़रिये से पढ़ने की तौफ़ीक़ देना और आख़री मरहला कुर्आन के महमूलात की तशरीह और मुश्किलात की तौज़ीह है जो अहादीसे (सहीहा) की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम मराहिल की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह तआला ने उठाई है।' (औनुल बारी, 58:1) ये याद रहे कि बुख़ारी शरीफ़ की हदीस़ में नसाई शरीफ़ की हदीस़ की निस्बत कुछ अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं, लिहाज़ा इस मुनासिबत से ये तशरीह की गई है। वल्लाहु आलम। **(3)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) को नुज़ूले वहि के वक़्त कभी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था और ये वहि के बोझ की वजह से था जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 'यक़ीनन हम जल्द आप पर भारी बात डालेंगे।' (अल मुज़्ज़म्मिल: 75/5) **(4)** अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) की ज़मानत ख़ुद उठाई थी कि उन्हें कुर्आन याद कराया और वह कुर्आन कभी भूलेंगे नहीं और इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप ग़ौर से सुनते। जब जिब्राईल (عليه السلام) अपनी क़िराअत मुकम्मल कर लेते और वापस चले जाते तो नबी (ﷺ) अपने सहाबा को उसी तरह पढ़ कर सुनाते जिस तरह जिब्राईल ने आपको पढ़ाया होता था जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 'हम जल्द आपको पढ़ायेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं।' (अल आला: 87/6) **(5)** इसके हदीसे मुबारका में इस बात की तरफ़ इशारा है कि कोई भी कुर्आने करीम को हिफ़्ज़ करना चाहे, वह अल्लाह की मदद और उसके फ़ज़्ल के बग़ैर हिफ़्ज़ नहीं कर सकता।

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَأَ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا قُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ كَذَبْتَ مَا هَكَذَا أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

(937) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को सूरह फ़ुरक़ान पढ़ते सुना। उन्होंने इसमें कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ पढ़े जो अल्लाह के नबी(ﷺ) ने मुझे नहीं सिखाये थे। मैंने कहा: तुम्हें किस ने ये सूरह पढ़ाई है। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने। मैंने कहा: तुम ग़लत कहते हो। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने तुम्हें इस तरह नहीं पढ़ाई। मैं उनका हाथ पकड़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले गया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने मुझे सूरह फ़ुरक़ान पढ़ाई है और मैंने उन्हें इस सूरह में ऐसे अल्फ़ाज़ पढ़ते सुना है जो आपने मुझे नहीं

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ وَإِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ تَكُنْ أَقْرَأْتَنِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ يَا هِشَامُ ". فَقَرَأَ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". ثُمَّ قَالَ " اقْرَأْ يَا عُمَرُ ". فَقَرَأْتُ فَقَالَ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ".

पढ़ाये? आपने फ़रमायाः 'ऐ हिशाम! पढ़ो।' उन्होंने पढ़ा जिस तरह पहले पढ़ा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'इसी तरह उतारी गई है।' फिर आपने फ़रमायाः 'ऐ उमर! तुम पढ़ो।' मैंने पढ़ा तो आपने फ़रमायाः 'इसी तरह उतारी गई है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'कुर्आन मजीद सात क़िराअत पर उतारा गया है।'

(937) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 818/271, बुख़ारी, हदीसः 2419, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1008.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने (सबअति अहरुफ़िन) की तशरीह में मुख़्तलिफ़ अक़वाल नक़ल किये हैं और उन पर वारिद होने वाले ऐतराज़ात व इश्कालात पेश करके इन अक़वाल की तर्दीद की है, फिर तर्जीह देते हुए इमाम इब्ने कुतैबा और इमाम अबुल फ़ज़्ल राज़ी(رحمه الله) के अक़वाल नक़ल किये हैं और कहा है कि इमाम राज़ी ने इमाम इब्ने कुतैबा ही की बात को मज़ीद निखार कर पेश किया है। हम तवालत (लम्बा होने) के डर से यहाँ सिर्फ़ राजेह क़ौल ही ज़िक्र करते हैं जिसे हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने फ़तहुलबारी में नक़ल किया है। इमाम इब्ने कुतैबा और इमाम राज़ी के नज़दीक हदीस में हुरूफ़ के इख़्तिलाफ़ से मुराद क़िराअत का इख़्तिलाफ़ है और सात हुरूफ़ से मुराद इख़्तिलाफ़े क़िराअत की सात नौइयतें हैं, चुनांचे क़िराअतें अगरचे सात से ज़्यादा हैं लेकिन इन क़िराअतों में जो इख़्तिलाफ़ात पाये जाते हैं, वह सात अक़साम में मुन्हसिर है। ○ अस्मा का इख़्तिलाफ़: जिसमें इफ़राद(सिंगल), तसनिया, जमा और तज़्कीर व तानीस दोनों का इख़्तिलाफ़ दाख़िल है, जैसेः एक क़िराअत में है (तम्मत कलिमतु रब्बिका) और दूसरी में हैः (तम्मत कलिमातु रब्बिका) ○ अफ़आल का इख़्तिलाफ़ कि किसी क़िराअत में सेग़-ए-माज़ी हो, किसी में मुज़ारिअ और किसी में अम्र, जैसे एक क़िराअत के मुताबिक़ (रब्बना बाइद बैना अस्फ़ारिना) और दूसरी में (रब्बना बअ्इद बैना अस्फ़ारिना) है। ○ वजहे ऐराब का इख़्तिलाफ़: जिसमें हरकात व सकनात मुख़्तलिफ़ क़िराअतों में मुख़्तलिफ़ हों, जैसेः (वला युज़ार्रा कातिबुन) और (वला युज़ार्रु कातिबुन) और (ज़ुल्अर्शिल मजीदि) दूसरी क़िराअत में हैः (ज़ूलअरशिल मजिदि) ○ अल्फ़ाज़ की कमी बेशी का इख़्तिलाफ़: एक क़िराअत में कोई लफ़्ज़ कम और दूसरी में ज़्यादा हो, जैसेः एक क़िराअत में (वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल्उन्सा) और दूसरी में (वज़्ज़करा वल्उन्सा) है। इसमें लफ़्ज़ (वमा ख़लक़) नहीं है।

इसी तरह एक क़िराअत में है (तज्री मिन तहति हल्अन्हारु) और दूसरी में (तज्री तहति हल्अन्हारु) है। ❍ तक़दीम व ताख़ीर का इख़्तिलाफ़: यानी एक क़िराअत में कोई लफ़्ज़ मुक़द्दम और दूसरी में मुअख़्ख़र हो, जैसे: (वजाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ि) और दूसरी में (वजाअत सकरतुल हक़्क़ बिलमौति) है। ❍ बदलियत का इख़्तिलाफ़, यानी एक क़िराअत में एक लफ़्ज़ और दूसरी में उसकी जगह दूसरा लफ़्ज़ हो, जैसे: (नुनशिज़ुहा) और उसकी जगह दूसरी क़िराअत में (ननशुज़ुहा) है, और (फ़तबय्यनू) की जगह (फ़तसब्बतू) और (तलहिम्मन्जूद) की जगह (तलइम्मन्ज़ूद) ❍ लहजों का इख़्तिलाफ़: जिसमें तफ़ख़ीम तरक़ीक़, इमाला, क़स्र, मद, हमज़ा, इज़्हार और इदग़ाम वग़ैरह के इख़्तिलाफ़ शामिल हैं। मुहक़्क़िक़ इब्ने जज़री, इमाम मालिक और क़ाज़ी बाक़लानी (رحمهم الله) भी इससे मुत्तफ़िक़ हैं। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़हुलबारी: 9/29-34, हदीस: 4992, व उसूले तफ़्सीर (उर्दू), सफ़ा: 81-87 मतबूआ दारुस्सलाम) **(2)** ख़ता (ग़लती) पर किज़्ब (झूठ) का इत्लाक़ करना जायज़ है। कुछ लोगों ने ऊपर दी गई हक़ीक़त न समझने की वजह से इस क़िस्म की रिवायात का इन्कार किया है कि इससे कुर्आन मजीद शुकूक व शुब्हात का शिकार होता है, हालांकि मुख़्तलिफ़ इलाक़ों और क़बाइल के लहजे वग़ैरह का इख़्तिलाफ़ एक बदीही चीज़ है, इससे असल कलाम में फ़र्क़ नहीं पड़ता जिस तरह ग़ैर ज़बानों में कुर्आन मजीद के मुख़्तलिफ़ तराजिम से कुर्आन मजीद की बाबत कोई शुब्हा पैदा नहीं होता।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى

(938) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने हिशाम बिन हकीम (رضي الله عنه) को सूरह फ़ुरक़ान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते हुए सुना जिनके साथ मैं नहीं पढ़ता था, हालांकि ये सूरह मुझे ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पढ़ाई थी। क़रीब था कि मैं जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें फ़ौरन (नमाज़ ही में) पकड़ लेता मगर मैंने सब्र किया यहाँ तक कि वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मैं उन्हीं की चादर उनके गले में डाल कर उन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले आया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इन्हें सूरह फ़ुरक़ान इस (क़िराअत) से मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते हुए सुना है जिस तरह आपने मुझे पढ़ाई। आपने फ़रमाया: 'पढ़ो।' उन्होंने वही पढ़ा जो मैंने

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ " . فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ لِي " اقْرَأْ " . فَقَرَأْتُ فَقَالَ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } " .

उन्हें पढ़ते सुना था। आपने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई है।' फिर मुझसे फ़रमाया: 'तुम पढ़ो।' मैंने पढ़ा तो भी आपने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई है। ये कुआर्न सात लहजों में उतारा गया है, चुनांचे जो आसान हो, पढ़ो।'

(938) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस़: 2419, व मुस्लिम, हदीस़: 818/270, पिछली हदीस़ देखें, मौता: 1/201, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1009.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (सबअ़ति अह़रुफ़िन) की तफ़सील पीछे गुज़र चुकी है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत उ़मर (ﷺ) दीन के मामले में किस क़द्र सख़्त थे जैसा कि वह ख़ुद फ़रमाते हैं कि क़रीब था कि मैं जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें नमाज़ ही में पकड़ लेता। **(3)** मुजरिम को गले से पकड़ना जायज़ है जबकि उसके भागने का ख़दशा हो। **(4)** इस उम्मत पर अल्लाह तआ़ला की इनायत व मेहरबानी का बयान है कि अल्लाह ने इस उम्मत की आसानी के लिये कुआर्नि करीम सात क़िराअतों में नाज़िल फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ

(939) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हिशाम बिन हकीम (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते तय्यबा में सूरह फ़ुरक़ान पढ़ते सुना। मैंने उनकी क़िराअत की तरफ़ गहरी तवज्जा की तो पता चला कि वह बहुत से ऐसे अल्फ़ाज़ पढ़ रहे थे जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुझे नहीं पढ़ाये थे। क़रीब था कि मैं उन पर नमाज़ ही की हालत में हमला कर देता लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से स़ब्र किया यहाँ तक कि उन्होंने सलाम फेरा। जूंही उन्होंने सलाम फेरा , मैंने उन्हीं की चादर उनके गले में डाली और पूछा:

ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَقَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقُلْتُ كَذَبْتَ . فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ ". فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ يَا عُمَرُ " . فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}".

तुम्हें किसने ये सूरह पढ़ाई है जो मैंने तुम्हें पढ़ते सुनी है? उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ये सूरह पढ़ाई है। मैंने कहा: तुम ग़लत कहते हो अल्लाह की क़सम! अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ख़ुद मुझे ये सूरह पढ़ाई है जो मैंने तुमसे पढ़ते सुनी है। मैं उन्हें खींचता हुआ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले गया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इन्हें सूरह फ़ुरक़ान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते सुना है जो आपने मुझे नहीं पढ़ाई जब कि आपने ख़ुद मुझे सूरह फ़ुरक़ान पढ़ाई है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उमर! इन्हें छोड़ दो। ऐ हिशाम! पढ़ो!' उन्होंने आपके सामने उसी तरह क़िराअत की जिस तरह मैंने उनसे पढ़ते सुनी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे ही उतारी गई है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उमर! तुम पढ़ो।' मैंने उसी तरह क़िराअत की जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे पढ़ाई थी। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई है।' फिर आपने फ़रमाया: 'ये कुर्आन सात लहजों में उतरा है, चुनांचे जो पढ़ सको, पढ़ो।'

(939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 818/271, देखें पीछे हदीस: 937, बुख़ारी: हदीस: 6936, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1010.

फ़ायदा : नबी-ए-अकरम (ﷺ) ख़ानदाने कुरैश के फ़र्द थे, इसलिये कुर्आने करीम कुरैश की लुग़त में नाज़िल हुआ, फिर क़बाइल की दिक़्क़त के पेशे नज़र नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अल्लाह तआला से कुर्आन को सात क़िराअतों में पढ़ने की इजाज़त ले ली। रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद जब इस्लाम अरब से बाहर अजम में फैला तो इख़्तिलाफ़े क़िराअत की बिना पर आपस में झगड़े होने लगे। हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) के दौरे ख़िलाफ़ में जब दूसरी मर्तबा कुर्आन को जमा किया गया तो हज़रत

ज़ैद(ﷺ) की सरकर्दगी में एक जमाअत ने इसे मुरत्तब किया। हज़रत उस्मान ने उन्हें हुक्म दिया था कि अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इख़्तिलाफ़ हो जाये तो उसे कुरैश की लुग़त पर लिखना क्योंकि क़ुर्आन उन्हीं की ज़बान में नाज़िल हुआ है। हज़रत उस्मान (ﷺ) ने दीगर क़िराआत वाले नुस्ख़ेजात जला दिये थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4987) ताकि अजमी लोगों के लिये वह फ़ित्ना न बन जायें क्योंकि अरब तो अरबी के मुख़्तलिफ़ लहजों के फ़र्क़ को समझते थे मगर अजमी तो उन्हें सात क़ुर्आन ही कहते, लिहाज़ा उन्होंने इसका सद्देबाब कर दिया। (ﷺ)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ قَالَ ‏"‏ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ

(940) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) से मरवी है कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) बनू ग़िफ़ार के तालाब के पास थे कि हज़रत जिब्राईल(ﷺ) आपके पास आये और कहा: अल्लाह (عزوجل) आपको हुक्म देता है कि आप अपनी उम्मत को क़ुर्आन मजीद एक हर्फ़ में पढ़ायें। आपने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह तआला से माफ़ी और बख़्शिश का तलबगार हूँ (यानी इस सिलसिले में रिआयत मतलूब है) क्योंकि मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती।' फिर जिब्राईल (ﷺ) दोबारा आपके पास आये और कहा: अल्लाह तआला आपको हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को क़ुर्आन मजीद दो हुरूफ़ में पढ़ायें। आपने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह तआला से इसकी आफ़ियत और बख़्शिश का तलबगार हूँ, मेरी उम्मत इसकी भी ताक़त नहीं रखती।' फिर वह तीसरी दफ़ा आपके पास आये और कहा: 'अल्लाह तआला आपको हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को क़ुर्आन मजीद तीन हुरूफ़ में पढ़ायें।' आपने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह तआला से इसकी आफ़ियत और मग़फ़िरत का ख़ास्तगार हूँ, मेरी उम्मत इसकी भी ताक़त नहीं रखती।' फिर वह चौथी दफ़ा आपके पास आये और फ़रमाया:

عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خُولِفَ فِيهِ الْحَكَمُ خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً .

अल्लाह तआला आपको हुक्म देता हे कि अपनी उम्मत को क़ुर्आन मजीद सात हुरूफ़ में पढ़ायें। वह क़ुर्आन मजीद को उनमें से जिस हुरूफ़ में पढ़ लें, दुरुस्त है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि इस हदीस़ (की सनद के बयान) में हकम की मुख़ालिफ़त की गई है। मन्सूर बिन मोतमिर ने उनकी मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने इस रिवायत को अन मुजाहिद अन उ़बैद बिन उ़मैर मुर्सल बयान किया है।

(940) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 821, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1011.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सात हुरूफ़ में पढ़ायें।' से क्या मुराद है? इस सिलसिले में आराअ व नज़रियात का शदीद इख़्तिलाफ़ मिलता है यहाँ तक कि इब्ने अलअ़रबी ने इसके मुताल्लिक़ पैंतीस (35) अक़वाल शुमार किये हैं जिनमें से राजेह तरीन बात वही है जो हमने (हदीस़: 937 के फ़वाइद में) ज़िक्र की हैं बाक़ी जितने अक़वाल हैं, उनमें कोई न कोई ख़ामी और वजहे तर्दीद मौजूद है, इनमें से मशहूर अक़वाल ये हैं। ○ कुछ हज़रात इससे सात मशहूर क़ुर्राए-किराम की क़िराअतें मुराद लेते हैं। लेकिन ये ख़्याल ग़लत है क्योंकि इन सात क़िराअतों के अलावा भी मुतअद्दिद क़िराअतें तवातुर से स़ाबित हैं। ये सात क़िराअतें इसलिये मशहूर हूईं कि उन्हें इब्ने मुजाहिद (رحمه الله) ने एक किताब में जमा कर दिया था, लिहाज़ा इससे सात क़िराअतें ही मुराद लेना दुरुस्त नहीं। ○ इससे मुराद तमाम मुतवातिर क़िराअतें हैं लेकिन सात से मुराद मख़्सूस़ अ़दद नहीं बल्कि कस़्रत मुराद है जैसा कि अहले अ़रब सात का लफ़्ज़ चीज़ की कस़्रत बयान करने के लिये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही मज़्कूरा रिवायत जिसे बुख़ारी व मुस्लिम ने भी बयान किया है, इसका सियाक़ बिल्कुल वाज़ेह है कि उससे मुराद सात का मख़्सूस़ अ़दद ही है, महज़ कस़्रत मुराद नहीं है। ○ इब्ने जरीर तबरी (رحمه الله) वग़ैरह ने इससे क़बाइले अ़रब की सात लुग़ात मुराद ली हैं चूंकि अहले अ़रब मुख़्तलिफ़ क़बाइल से ताल्लुक़ रखते थे और हर क़बीले की ज़बान अ़रबी होने के बावजूद दूसरे क़बीले से कुछ मुख़्तलिफ़ थी और ये इख़्तिलाफ़ ऐसे ही है जैसे किसी भी बड़ी ज़बान का इख़्तिलाफ़ इलाक़ाई तौर पर होता है। फिर इन सात क़बाइल की तअ़य्युन में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। लेकिन बहुत से मुहक़्क़िक़ीन, जैसे: इब्ने अ़ब्दुलबर्र, इमाम सुयूती और इब्ने जज़री (رحمهم الله) ने इस क़ौल की तर्दीद की है क्योंकि अ़रब के बहुत से क़बाइल थे। इन

सात के इन्तेख़ाब की क्या वजह हो सकती है। दूसरे ये कि हज़रत उमर और हिशाम (ﷺ) के दरम्यान तिलावते क़ुर्आन में इख़्तिलाफ़ हुआ, हालांकि ये दोनों क़ुरैशी थे और नबी (ﷺ) ने दोनों की तस्दीक़ फ़रमाई और वजह ये बताई कि क़ुर्आने करीम सात हुरूफ़ पर नाज़िल हुआ है। अगर इससे सात क़बाइल मुराद लें तो हज़रत उमर और हज़रत हिशाम (ﷺ) के दरम्यान इख़्तिलाफ़ की कोई वजह नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों क़ुरैशी थे। तीसरे ये कि ये क़ौल क़ुर्आन के भी ख़िलाफ़ है: 'और हमने हर रसूल उसकी अपनी क़ौम की ज़बान बोलने वाला भेजा।' (इब्राहीम: 14/4) और ये मुत्तफ़क़ अलैहि बात है कि आप क़ुरैशी ही थे। इसके अलावा जिन लोगों का यही नज़रिया है, उनके नज़दीक (सब्अत अह्रुफ़) और (क़िराअत) दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क़िराअत का इख़्तिलाफ़ जो आज तक मौजूद है, वह सिर्फ़ एक हर्फ़, यानी क़ुरैश में है, बाक़ी हुरूफ़ या मन्सूख़ हो गये या उन्हें मस्लिहतन ख़त्म कर दिया गया। इस पर दूसरे इश्कालात के अलावा एक इश्काल ये भी होता है कि पूरे ज़ख़ीर-ए-अहादीस़ में कहीं ये नहीं मिलता कि तिलावते क़ुर्आन में दो क़िस्म के इख़्तिलाफ़ थे: एक सब्अत अह्रुफ़ और दूसरा क़िराअत का बल्कि अहादीस़ में जहाँ कहीं क़ुर्आने करीम के लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र है, वहाँ 'अहरुफ़' का इख़्तिलाफ़ बयान हुआ है, क़िराअत का कोई जुदागाना इख़्तिलाफ़ ज़िक्र नहीं हुआ। इन वजहों की बिना पर ये क़ौल भी निहायत कमज़ोर है। वल्लाहु आलम! **(2)** इस हदीसे मुबारका में नबी (ﷺ) की अपनी उम्मत पर कमाल शफ़क़त का भी ज़िक्र है जैसा कि आपने फ़रमाया: 'मैं अल्लाह से माफ़ी और बख़्शिश का तलबगार हूँ। मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती।' इस बात को क़ुर्आन ने बयान किया है: 'यक़ीनन तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आ गया है इस पर तुम्हारा तकलीफ़ में मुब्तला होना गिरां गुज़रता है, वह तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस़ है। मोमिनों पर निहायत शफ़ीक़, बहुत रहम करने वाला है।' (अत्तौबा: 9/128) **(3)** सात हुरूफ़ में से जिस हर्फ़ के साथ पढ़ा जाये दुरुस्त है। **(4)** हज़रत हकम ने ये रिवायत अन मुजाहिद अन इब्ने अबी लैला अन उबय बिन कअब की सनद से मुत्तसिल मरफ़ूअ बयान की है, यानी सहाबी का वास्ता बयान किया है जबकि हज़रत मन्सूर बिन मोतमिर ने किसी सहाबी का ज़िक्र नहीं किया। उबैद बिन उमैर ताबेई हैं। मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में ऐसी रिवायत को मुर्सल कहते हैं, यानी जिसमें कोई ताबेई रसूलुल्लाह (ﷺ) का वाक़िया बयान करे।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ

(941) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने एक सूरह पढ़ाई। मैं मस्जिद में बैठा था कि मैंने एक आदमी को वही सूरह अपनी क़िराअत के ख़िलाफ़ पढ़ते सुना। मैंने कहा: तुझे ये सूरह

كَعْبٍ، قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُورَةً فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ إِذْ سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْرَؤُهَا يُخَالِفُ قِرَاءَتِي فَقُلْتُ لَهُ مَنْ عَلَّمَكَ هَذِهِ السُّورَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَ تُفَارِقْنِي حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا خَالَفَ قِرَاءَتِي فِي السُّورَةِ الَّتِي عَلَّمْتَنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ يَا أُبَىُّ " . فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحْسَنْتَ " . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ " اقْرَأْ " . فَقَرَأَ فَخَالَفَ قِرَاءَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحْسَنْتَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أُبَىُّ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهُنَّ شَافٍ كَافٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ .

أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَىٍّ، قَالَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلاَّ أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأَهَا آخَرُ غَيْرَ قِرَاءَتِي فَقُلْتُ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ الآخَرُ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَيْتُ

किसने सिखाई है? उसने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने। मैंने कहा: मुझसे जुदा न हो यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जायें। फिर मैं (उसके साथ) आपके पास आया और कहा: ये शख़्स इस सूरह में मेरी क़िराअत के ख़िलाफ़ पढ़ता है जो आपने मुझे सिखाई है। आपने फ़रमाया: 'उबय! पढ़ो।' मैंने वह सूरह पढ़ी तो आपने फ़रमाया: 'तुमने अच्छा पढ़ा।' फिर उस आदमी से कहा: 'तुम पढ़ो।' उसने मेरी क़िराअत से मुख़्तलिफ़ पढ़ा तो उसे भी अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने भी अच्छा पढ़ा।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उबय! क़ुर्आन सात हुरूफ़ में उतरा है। इनमें से हर एक शाफ़ी व काफ़ी है।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि (सनद में मज़्कूर रावी) मअ़क़िल बिन उ़बैदुल्लाह इल्मे हदीस में क़वी नहीं है।

(941) तख़रीज : (सनद हसन) अब्दुलबर्र अतम्हीद : 8/286, 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1012.

(942) हज़रत उबय (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि मैं जब से मुसलमान हुआ, मुझे कभी दिल में शक पैदा नहीं हुआ मगर एक दफ़ा जब मैंने एक आयत पढ़ी और एक दूसरे शख़्स ने मेरी क़िराअत से मुख़्तलिफ़ पढ़ी तो मैंने कहा: मुझे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ये आयत (इस तरह) पढ़ाई है। दूसरे शख़्स ने कहा: मुझे ये आयत रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (इस तरह) पढ़ाई है, चुनांचे मैं नबी (ﷺ) के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपने

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَقْرَأْتَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ " نَعَمْ " . وَقَالَ الآخَرُ أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ " نَعَمْ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ . قَالَ مِيكَائِيلُ اسْتَزِدْهُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ " .

फ़ुलां आयत मुझे इस तरह पढ़ाई है? आपने फ़रमायाः 'हाँ' दूसरे शख़्स ने कहाः यही आयत आपने मुझे इस तरह नहीं पढ़ाई? आपने फ़रमायाः 'हाँ - जिब्राईल और मीकाईल (عليه السلام) दोनों मेरे पास आये तो जिब्राईल (عليه السلام) मेरे दायें बैठ गये और मीकाईल(عليه السلام) मेरे बायें। जिब्राईल (عليه السلام) ने कहाः आप क़ुर्आन मजीद एक हर्फ़ पर पढ़ें। मीकाईल (عليه السلام) ने मुझसे कहाः ज़्यादा की इजाज़त तलब फ़रमायें। वह बार-बार कहते रहे यहाँ तक कि जिब्राईल (عليه السلام) (अल्लाह के हुक्म से) सात हर्फ़ तक पहुँच गये और उनमें से हर हर्फ़ शाफ़ी व काफ़ी है।'

(942) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमदः 5/114, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1013, देखें हदीसः 729, पिछली हदीस में देखें।

फ़ायदा : जब भी किसी मसले में इख़्तिलाफ़ हो जाये तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ रुजू करना चाहिए, यानी क़ुर्आन व सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ " .

(943) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'क़ुर्आन को याद करने वाले (हाफ़िज़े क़ुर्आन) की मिसाल बँधे हुए ऊँट के मालिक की तरह है। अगर वह उनका ख़याल रखेगा तो उन्हें महफ़ूज़ रखेगा और अगर उन्हें खोल देगा तो वह भाग जायेंगे।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारीः 5031, व मुस्लिमः 789, मौताः 1/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 1014.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका में क़ुर्आने करीम का बार बार दौर करने और उसकी कसरत से तिलावत करके उसकी हिफ़ाज़त की तरफ़ रग़बत दिलाई गई है। **(2)** क़ुर्आन के हाफ़िज़ के

लिये ज़रूरी है कि वह क़ुर्आन को बार बार पढ़ता रहे। मुतशाबिहात की तरफ़ तवज्जा करे वरना भूलने का ख़तरा है। (3) किसी बात की वज़ाहत करने के लिये मिसाल बयान करनी चाहिए ताकि हक़ीक़ते हाल ज़हनों के क़रीब तर हो जाये।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ".

(944) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान के लिये बुरी बात है कि वह कहे: मैं फ़ुलां आयत भूल गया हूँ बल्कि वह उसे भुला दिया गया है। क़ुर्आन मजीद दोहराते रहो क्योंकि क़ुर्आन मजीद लोगों के सीनों से ज़्यादा जल्दी निकल जाता हे बनिस्बत उन ऊँटों के जिन्हें रस्सी से बाँध दिया गया हो।'

(944) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5032, व मुस्लिम, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1015.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बुरी बात है' के दो मफ़हूम बयान किये गये हैं: ○ अगर कोई आदमी कोई आयत भूल जाये तो ये न कहे: (मैं भूल गया) बल्कि कहे: (मैं भुला दिया गया) क्योंकि पहले लफ़्ज़ में बेपरवाई पाई जाती है। गोया उसने क़ुर्आन जानबूझ कर भुला दिया, ग़फ़लत की, इसे कोई अहमियत नहीं दी, आम सी बात समझा। जबकि दूसरे लफ़्ज़ में नदामत और माज़रत का अन्दाज़ है कि मैंने याद रखने की पूरी कोशिश की मगर मुझे भुला दिया गया, लिहाज़ा पहले लफ़्ज़ की बजाये दूसरा लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ○ दूसरा मफ़हूम ये है कि ये बहुत बुरी बात है कि किसी आदमी को कहना पड़े: 'मैं फ़ुलां आयत भूल गया।' क्योंकि ये उसकी सुस्ती पर दलालत करती है कि उसने इसे भुला दिया। गोया ऐसा मौक़ा ही न आने दिया जाये कि किसी को कहना पड़े: 'मैं फ़ुलां आयत भूल गया।' (2) 'मैं भूल गया' निस्यान की निस्बत अपनी तरफ़ करने से मुमानिअत इसलिये है कि इन्सान उन लोगों के ज़ुम्रे में शामिल न हो जाये जिनकी अल्लाह तआला ने मज़म्मत की है। फ़रमाने इलाही है: 'जिस तरह (दुनिया में) तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने वह भुला दीं और उसी तरह आज (क़यामत के दिन) तुझे भी भुला दिया जायेगा।' (ताहा: 20/126) चुनांचे ऐसी बात करने से इज्तेनाब करना चाहिए। वैसे भी ये बात इन्सान की सुस्ती और क़ुर्आन से ग़फ़लत पर दलालत करती है। (3) इस हदीसे मुबारका में बयान किया गया है कि जो शख़्स क़ुर्आने करीम का दौर करने और उसकी तिलावत

में सुस्ती करता है, उसके लिये कुर्आन मुश्किल है। और ये बात अल्लाह के फ़रमान: (व लक़द यस्सर्नल कुर्आन लिज़्ज़िक्र) के मुनाफ़ी नहीं है क्योंकि जो शख़्स कुर्आन मजीद याद करना चाहे और उसे समझना चाहे, उसके लिये कुर्आन आसान है और जो उसकी परवाह न करे, उसके लिये ये मुश्किल है। वल्लाहु आलम (4) ऊँटों को भागने से रोकना मक़सूद हो तो उनका अगला एक घुटना बाँध दिया जाता है। इसी तरह ऊँट मुश्किल से चलता है मगर वह ज़ोर लगा लगा कर कोशिश करता रहता है कि घुटना खुल जाये। अगर उसका ख़्याल न रखा जाये तो वह आहिस्ता आहिस्ता घुटना रस्सी से निकाल लेता है और दूर भाग जाता है। इसी तरह कुर्आन मजीद बा'क़ायदगी से पढ़ा जाता रहे तो वह सीने में महफ़ूज़ रहता है। सुस्ती की जाये तो ये सीने से निकल जाता है।

बाब : (38) फ़ज्र की सुन्नतों में क़िराअत

الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا } إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَفِي الأُخْرَى { آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }.

(945) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की दो सुन्नतों में से पहली में सूरह बक़र: की आयत (कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना ...) और दूसरी रकअत में (आमन्ना बिल्लाहि वश्हद बिअन्ना मुस्लिमून) वाली आयत पढ़ते थे।

(945) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1016.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका में फ़ज्र की दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के बाद क़िराअत करने की दलील है जैसा कि जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ है लेकिन इमाम मालिक और उनके अक्सर अस्हाब फ़ज्र की सुन्नतों में सूरह फ़ातिहा के बाद क़िराअत के क़ाइल नहीं, उनकी दलील हज़रत आयशा (ﷺ) की रिवायत है जिसमें वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की दो रकअतें इस क़द्र हल्की पढ़ते थे कि मैं (दिल में) कहती कि आपने सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी है कि नहीं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 724) इमाम नववी (रहिमहुल्लाह) इसकी तशरीह करते हुए फ़रमाते हैं कि इसमें नमाज़ के मुख़्तसर होने का मुबालिग़ा है क्योंकि आपकी आम आदत ये थी कि आप नफ़ल नमाज़ लम्बी पढ़ते

और फ़ज्र की सुन्नतें उनकी निस्बत इन्तेहाई मुख़्तसर होती थीं। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 6/906) (2) फ़ज्र की दो सुन्नतों में मज़्कूरा आयात की क़िराअत करना मुस्तहब है।

बाब : (39) फ़ज्र की सुन्नतों में (कुल या अय्युहल क़ाफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ना

الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(946) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की दो सुन्नतों में दो सूरतें (कुल या अय्युहल क़ाफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते।

(946) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 726, पिछली हदीस में देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1017.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

बाब: (40) फ़ज्र की सुन्नतें हल्की पढ़ना

باب(٤٠): تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(947) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुबह की सुन्नतें पढ़ते देखती थी। आप उनको क़द्रे हल्का पढ़ते थे कि मैं (दिल में) कहती थी क्या आपने सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी है?

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 1171, व मुस्लिम: 724/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 1018.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये मुबालिग़ा है जिससे मक़सूद तख़्फ़ीफ़ है, न कि उन्हें शक था। ख़ुसूसन रात की नमाज़ (तहज्जुद) के मुक़ाबले में तो ये बहुत ही ख़फ़ीफ़ मालूम होती होंगी, चुनांचे इस हदीसे मुबारका से साबित हुआ कि फ़ज्र की दो सुन्नतें हल्की पढ़ना मुस्तहब है। (2) मज़्कूरा क़िराअत सूरह फ़ातिहा के अलावा है। ये नहीं कि सिर्फ़ ये आयात या ये सूरतें ही पढ़ते थे। सूरह फ़ातिहा के बारे में तो आपका सरीह फ़रमान है कि जो फ़ातिहा न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं होती। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 756, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 874)

बाब : (41) सुबह की नमाज़ में सूरह रूम पढ़ना

باب(٤١): الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِالرُّومِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ " .

(948) एक सहाबी से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो सूरह रूम की क़िराअत की। आपको इश्तेबाह होने लगा। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: 'लोग हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं मगर अच्छी तरह वुज़ू नहीं करते। इस क़िस्म के लोग हम पर क़ुर्आन को मुश्तबह कर देते हैं।'

(948) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/363, 3/471, 5/268, 3/471, 472, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1019.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह की नमाज़ में क़िराअत लम्बी करनी चाहिए जिस तरह कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और दीगर सहाब-ए-किराम (ﷺ) से सुबह की नमाज़ में सूरह मोमिनून, सूरह युसूफ़, सूरह युनूस और सूरह कहफ़ वग़ैरह पढ़ना साबित है। (2) ज़ाहिरी कोताहियों का असर बातिन पर भी होता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की रूहानियत बहुत आला और लतीफ़ थी। हल्की सी आलाइश भी आपको महसूस होती थी। नमाज़ बा'जमाअत में इमाम का रूहानी असर मुक़्तदियों पर और मुक़्तदियों का रूहानी असर इमाम पर और आपस में एक दूसरे पर पड़ता है और वाज़ेह तौर पर महसूस होता है। (3) वुज़ू मुकम्मल और इत्मिनान से करना चाहिए। अगर वुज़ू नाक़िस हो तो उसका असर नमाज़ पर पड़ता है। अगर कोई जगह ख़ुश्क रह जाये तो नमाज़ नहीं होती यहाँ तक कि एक नाख़ुन के बराबर भी जगह ख़ुश्क रह जाये तो उस पर भी सख़्त वईद है।

बाब : (42) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से सौ (100) तक आयात पढ़ना

الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَمَةَ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ،

(949) हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से लेकर सौ (100) तक आयात पढ़ते थे।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

(949) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 461, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1020, बुख़ारी, हदीस: 541, देखें हदीस: 496.

फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में बाक़ी नमाज़ों की निस्बत लम्बी क़िराअत मसनून है। शायद इसी बिना पर इसकी रकआत सब नमाज़ों से कम हैं, अलबत्ता क़िराअत की तवालत (लम्बी करना) मुक़्तदियों के अहवाल पर मौक़ूफ़ है। साठ से लेकर सौ तक के अल्फ़ाज़ भी यही मफ़हूम समझाते हैं।

باب(٤٣): الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِـ { ق }

बाब : (43) सुबह की नमाज़ में सूरह क़ॉफ़ पढ़ना

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ مَا أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ .

(950) हज़रत उम्मे हिशाम (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने सूरह (क़ॉफ़ वल कुर्आनिल मजीद) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे (नमाज़ पढ़ते हुए) सीखी क्योंकि आप इसे (अक्सर) सुबह की नमाज़ में पढ़ा करते थे।

(950) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1021, हदीस: (1412)

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस, ख़वातीन के मस्जिद में हाज़िर होकर बा'जमाअत नमाज़ अदा करने पर सरीह और वाज़ेह दलालत करती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की बहुत सारी सहाबियात (ﷺ) का ये मामूल था। (2) इस सूरह की आयात छोटी छोटी और मज़मून बहुत मुअस्सिर है। अल्फ़ाज़ के तरन्नुम से मानी की असरअंगेज़ी मज़ीद बढ़ जाती है। क़यामत वग़ैरह का ज़िक्र सौज़ में इज़ाफ़े का ज़रिया बनता है। इन वजहों की बिना पर रसूलुल्लाह (ﷺ) अक्सर ये सूरह तिलावत फ़रमाते थे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي، يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي

(951) हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा से रिवायत है कि मैंने अपने चचा से सुना, वह कहते थे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी तो आपने एक रकअत में पढ़ा (वन्नख़्ल .....) 'और खजूरों के लम्बे लम्बे दरख़्त जिनके ख़ौशे तह ब तह होंगे।'

إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ { وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ } قَالَ شُعْبَةُ فَلَقِيتُهُ فِي السُّوقِ فِي الزِّحَامِ فَقَالَ { ق } .

शोबा ने कहा: मैं ज़ियाद से बाज़ार में हुजूम में मिला तो उन्होंने कहा: सूरह क़ाफ़ पढ़ी।

(951) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 457/167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1022.

फ़ायदा : ज़ियाद बिन इलाक़ा के चचा सहाबी-ए-रसूल कुतैबा बिन मालिक (ﷺ) हैं। कुतूबे सित्ता में इनसे सिर्फ़ दो रिवायात मरवी हैं। एक यही मज़्कूरा हदीस और दूसरी जामेअ तिर्मिज़ी में हदीस: 3591 है।

بَاب(٤٤): الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِـ { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ }

बाब : (44)सुबह की नमाज़ में (इजश्शम्सु कुव्विरत) पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُرَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } .

(952) हज़रत अम्र बिन हुवैरिस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़ज्र की नमाज़ में (इजश्शम्सु कुव्विरत) पढ़ते हुये सुना।

(952) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/306, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1023.

الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

बाब : (45) सुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तैन पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ .

(953) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मरवी है कि मैंने नबी (ﷺ) से मुअव्विज़तैन (की फ़ज़ीलत) के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ की इमामत फ़रमाते हुए ये दोनों सूरतें पढ़ीं।

(953) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला: 3/276, हदीस: 1734, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1024, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 536, व इब्ने हिब्बान, (मवारिद) हदीस: 471, वल हाकिम: 1/240, नसाई: 5431-5442.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुअव्विज़तैन से मुराद कुर्आन मजीद की आख़री दो सूरतें (कुल अऊज़ु बि रब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊज़ु बि रब्बिन्नास) हैं। इन्हें मुअव्विज़तैन इसलिये कहा जाता है कि ये जादू और जिन्न वग़ैरह के शर से इन्सान को पनाह मुहैया करती हैं बल्कि उनके उतारने का सबब ही ये है। **(2)** इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि ये दोनों सूरतें कुर्आन मजीद का जुज़ हैं और इन्हें नमाज़ में पढ़ा जा सकता है न कि जैसा इब्ने मसऊद (ﷺ) का ख़याल था कि 'ये सिर्फ़ दम और तावीज़ के लिये हैं, इनकी क़िराअत दुरुस्त नहीं और न ये कुर्आन का जुज़ हैं।' इस हदीस़ की मज़ीद तफ़्सील अगले बाब में आ रही है। नबी (ﷺ) का इन सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना इनकी अज़मत पर दलालत करता है। **(3)** नबी (ﷺ) का मामूल तो सुबह की नमाज़ में लम्बी क़िराअत करना ही था लेकिन कभी कभी बयाने जवाज़ के लिये छोटी सूरतें भी पढ़ लिया करते थे जैसे सूरह ज़िलज़ाल के बारे में है कि आपने फ़ज्र की नमाज़ में इसे पढ़ा था देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 816)

बाब : (46)
मुअव्विज़तैन की क़िराअत की फ़ज़ीलत

باب : (٤٦)
الْفَضْلِ فِي قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

(954) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे चला जब कि आप सवार थे। मैंने आपके पाँव पर अपना हाथ रखा और गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ़ पढ़ा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'तू हरगिज़ कोई ऐसी सूरह नहीं पढ़ेगा जो अल्लाह तआला के नज़दीक (कुल अऊज़ुबि बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊज़ुबि बिरब्बिन्नास) से ज़्यादा मर्तबे वाली हो।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، أَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ . فَقَالَ " لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " .

(954) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/149, 159, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1025, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1776, 1777, वल हाकिम: 2/540, मुस्लिम, हदीस़: 814 वग़ैरह.

फ़ायदा : मुब्तदी तालिबे इल्म को छोटी सूरतों से इब्तेदा करनी चाहिए, न कि बड़ी सूरतों से। हज़रत

ड़क़्बा बिन आमिर (ﷺ) ने इब्तेदा ही दो लम्बी सूरतें, यानी सूरह हूद और सूरह युसूफ़ सिखाने का मुतालबा किया तो आपने रहनुमाई फ़रमाई कि छोटी सूरतों से इब्तेदा करें। छोटी सूरतों की अपनी फ़ज़ीलत है। या मुमकिन है इस्तिआज़ा का मौक़ा हो। ज़ाहिर है मुअव्विज़तैन को इस मक़सद से जो मुनासिबत है, वह किसी और सूरत को नहीं।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " آيَاتٌ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " .

(955) हज़रत ड़क़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आज रात मुझ पर कुछ आयात नाज़िल हुई हैं कि उन जैसी आयात कभी भी नहीं देखी गईं। और वह (क़ुल अऊज़ुबि बिरब्बिल फ़लक़) और (क़ुल अऊज़ुबि बिरब्बिन्नास) हैं।'

(955) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 814, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1026.

باب: (۴۷) الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब : (47) जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में क़िराअत का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ { الم * تَنْزِيلُ } وَ { هَلْ أَتَى }

(956) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जुम्अतुल मुबारक के दिन सुबह की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम! तन्ज़ीलु) और (हल अता) पढ़ा करते थे।,

(956) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 891, व मुस्लिम, हदीस: 880, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1027.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ الْمُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ وَ { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ } .

(957) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जुम्अतुल मुबारक के दिन सुबह की नमाज़ में (तन्ज़ील) अस्सज्दा और (हल अता अलल इन्सानि) पढ़ा करते थे।

(957) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1028, तिर्मिज़ी, हदीस: 520.

फ़ायदा : इन दो सूरतों को जुम्अतुल मुबारक के दिन सुबह की नमाज़ में पढ़ना मुस्तहब है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) का यही मामूल था। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन सूरतों के अलावा कोई और सूरत पढ़नी दुरुस्त नहीं, और सूरतें पढ़ना भी जायज़ है लेकिन अक्सर अमल यही होना चाहिए ताकि फ़र्ज़ीयत का तास्सुर ख़त्म हो जाये। इमाम तबरानी (رحمه الله) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के हवाले से रिवायत बयान करते हैं जिसमें नबी-ए-अकरम (ﷺ) के इस अमल पर दवाम का बयान है कि आपका हमेशा यही मामूल था। देखिये: (अल्मजमुस्सग़ीर लित्तबरानी, हदीस: 956) मगर दवाम और हमेशगी वाले अल्फ़ाज़ ज़ईफ़ हैं। देखिये: (बुलूग़ुल मराम, हदीस: 228 की तहक़ीक़)

سُجُودِ الْقُرْآنِ السُّجُودِ فِي ص

बाब : (48) क़ुर्आनी सज्दों का बयान सूरह स़ॉद में सज्दा करने का बयान

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي { ص } وَقَالَ " سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا " .

(958) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने सूरह स़ॉद में सज्दा किया और फ़रमाया: 'दाऊद (عليه السلام) ने ये सज्दा बतौर तौबा किया था और हम इसे शुक्राने के तौर पर करते हैं।'

(958) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी अलकबीर: 12/34, हदीस: 12386, दारक़ुतनी व हुवा फ़ी अल कुब्रा, हदीस: 1029, (अत्तल्ख़ीसुलहबीर: 2/9).

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद में कुछ आयात ऐसी आती हैं जिनमें अल्लाह तआ़ला के नेक बन्दों की फ़रमांबरदारी और उनके सज्दा करने का ज़िक्र है या उनमें तकब्बुर की मज़म्मत की गई है

या अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी, बन्दगी और सज्दे की तारीफ़ की गई है या उनमें सज्दे का हुक्म है। इन आयात को पढ़ते वक़्त एक मोमिन शख़्स बेसाख़्ता सज्दे में गिर पड़ता है उन्हें सज्दे की आयात कहा जाता है और इस सज्दे को सज्द-ए-तिलावत कहते हैं। अगर क़ारी सज्दे की इस्तिताअत रखता हो तो उसे सज्दा करना चाहिए, वैसे ही न गुज़र जाये। अगर सज्दा करने की हालत में नहीं तो सर झुका ले और इशारे से सज्दा करे, जैसे: साईकल या गाड़ी चलाने वाला। नीचे उतर कर सज्दा करना मुमकिन हो तो क्या ही बात है। अगर कोई शख़्स क़िराअत सुन रहा हो और उसके लिये सज्दे की इस्तिताअत हो, तो वह भी सज्दा करे। सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है। और अफ़ज़ल ये है कि इसे तर्क न किया जाये। सज्द-ए-तिलावत के तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद (उर्दू) सुजूदुल क़ुर्आन, का इब्तेदाइया, तबअ दारुस्सलाम, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 12/190-196) **(2)** सूरह सॉद का सज्दा इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) तस्लीम नहीं करते क्योंकि वहाँ आयत में सज्दे का लफ़्ज़ ही नहीं, बस ये अल्फ़ाज़ हैं: (ख़र्रा राकिअव व अनाब) (सॉद: 38/24) जबकि दीगर अहले इल्म इस सज्दे के क़ाइल हैं क्योंकि यहाँ मानी तो सज्दे ही का है अगरचे लफ़्ज़ (राकिअन) के हैं। इमाम मालिक भी इमाम शाफ़ेई के हमनवा हैं। **(3)** हज़रत दाऊद(عليه السلام) से कोई (इज्तेहादी) ग़लती हो गई थी जिसकी तफ़्सील क़ुर्आनि मजीद और अहादीसे सहीहा में नहीं है, लिहाज़ा हमें भी इसकी कुरेद नहीं करनी चाहिए। जब उन्हें ग़लती का एहसास हुआ तो उन्होंने बतौर तौबा सज्दा किया। अल्लाह तआला ने उनकी तौबा क़बूल फ़रमाई तो उसके शुक्राने के तौर पर हम सज्दा करते हैं।

बाब : (49)
सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान

باب (۴۹): السُّجُودِ فِي { وَالنَّجْمِ }

(959) हज़रत मुत्तलिब बिन अबू वदाआ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का मुकर्रमा में सूरह नज्म तिलावत फ़रमाई। फिर आपने सज्दा किया और जितने लोग आपके पास थे, उन सबने सज्दा किया। मैंने सर उठा लिया और सज्दा करने से इन्कार कर दिया। उस वक़्त (रावि-ए-हदीस) हज़रत मुत्तलिब मुसलमान न हुए थे।

(959) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/420, 5/215, 216, 6/391, 400, वल कुब्रा, हदीस: 1030.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ

رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम मालिक (رحمه الله) सूरह नज्म के सज्दे के क़ाइल नहीं, हालांकि यहाँ स़रीह लफ़्ज़ हैं (फ़स्जूदू लिल्लाहि वअबुदू) (अन्नज्म: 53/63) **(2)** जब आपने ये सूरह तिलावत फ़रमाई, उस वक़्त आपके पास मुश्रिकीन भी थे। उन्होंने भी सज्दा कर लिया क्योंकि वह अल्लाह तआला को सज्दा करने से इन्कारी न थे। बाद में जब उनके सरदारों ने मलामत की कि सियासी नुक़्त-ए-नज़र से दुरुस्त नहीं तो फिर उन्होंने झूठ घड़ लिया कि मुहम्मद (ﷺ) ने हमारे बुतों की तारीफ़ की थी, हालंकि ये बात अक़्लन व नक़लन बईद है, और इसके बारे में जो रिवायत आती है वह ज़ईफ़ है। **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये भी स़ाबित हुआ कि सज्द-ए-तिलावत के लिये वुज़ू करना ज़रूरी नहीं क्योंकि आपके पास जितने लोग थे, सबने सज्दा किया यहाँ तक कि मुश्रिकीन ने भी सज्दा किया। और मुशरिक नजिस होता है, अगर वह वुज़ू कर भी ले तो नापाक ही रहता हे, चुनांचे मालूम हुआ कि सज्द-ए-तिलावत के लिये वुज़ू करना ज़रूरी नहीं, अलबता बा'वुज़ू हो तो बेहतर और अफ़ज़ल है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا .

(960) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने सूरह नज्म तिलावत फ़रमाई तो उसमें सज्दा किया।

(960) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1067, व मुस्लिम, हदीस़: 576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 1031.

तَرْكُ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ

बाब : (50)
सूरह नज्म में सज्दा न करने का बयान

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ، مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَىْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ

(961) हज़रत अ़ता बिन यसार (رحمه الله) से रिवायत है कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (رضي الله عنه) से इमाम के साथ क़िराअत करने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: किसी चीज़ में इमाम के साथ क़िराअत नहीं। और फ़रमाया: मैंने एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) पर (वन्नज़्मि इज़ा हवा) 'क़सम है सितारे की जब वह गुरूब हो जाये।'

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى } فَلَمْ يَسْجُدْ.

तिलावत की तो आपने सज्दा नहीं किया।

(961) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 577, बुख़ारी, हदीस: 1072, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1032.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस क़ौल में क़िराअत से मुराद सूरह फ़ातिहा से बाद वाली क़िराअत है ताकि तमाम अहादीस में मुताबिक़त मुमकिन हो। **(2)** रसूले अकरम (ﷺ) का सज्दा न करना इस बिना पर था कि क़ारी, यानी ज़ैद बिन साबित (ؓ) ने सज्दा न किया था, अलबत्ता इससे इतना साबित होता है कि सज्द-ए-तिलावत फ़र्ज़ नहीं, मुस्तहब है, वरना आप ज़ैद बिन साबित (ؓ) को सज्दा करने का हुक्म देते और ख़ुद भी करते। मगर इमाम मालिक (رحمه الله) का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं कि सूरह नज्म में सज्दा मन्सूख़ है क्योंकि दोनों रिवायात में तत्बीक़ मुमकिन है कि फ़र्ज़ नहीं, मुस्तहब है। ज़ैद बिन साबित (ؓ) से भी मुताख़िख़र सहाबी हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने मुफ़स्सलात में सज्दे किये हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 578) लिहाज़ा उन्हें मन्सूख़ कैसे कहा जा सकता है? मुफ़स्सलात से मुराद सूरह हुजुरात से आख़िर क़ुर्आन तक की सूरतें हैं। इनमें तीन सज्दे हैं।

السُّجُودِ فِي { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ }

बाब : (51) (इजस्समाउन शक़्क़त) में सज्दा करने का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَرَأَ بِهِمْ { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا .

(962) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) ने उन पर (नमाज़ में) सूरह (इजस्समाउन शक़्क़त) पढ़ी और सज्दा किया। जब (नमाज़ से) फ़ारिग़) हुए तो उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इस सूरत में सज्दा फ़रमाया था।

(962) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 578, पिछली हदीस में देखें। मौता: 1/205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1033, बुख़ारी, हदीस: 1074.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ، — وَهُوَ

(963) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरह (इजस्समाउन शक़्क़त) में सज्दा फ़रमाया।

مُحَمَّدٌ - عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } .

(963) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1034.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ }

(964) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मरवी है कि हमने नबी (ﷺ) के साथ सूरह (इज़स्समाउन शक्क़त) और सूरह (इक़रा बिस्मिरब्बिक) में सज्द-ए-तिलावत किया।

(964) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 574, इब्ने माजा, हदीस: 1059, अल हुमैदी, हदीस: 998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1035.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ .

(965) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) की ये रिवायत हज़रत क़ुतैबा ने भी हज़रत सुफ़ियान से हमें इसी तरह बयान की है।

(965) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 574, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1036.

फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन मनसूर और क़ुतैबा। बाक़ी सनद एक है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - فِي { إِذَا

(966) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ؓ) ने सूरह (इज़स्समाउन शक्क़त) में सज्दा किया, और उस शख़्सियत (रसूलुल्लाह (ﷺ)) ने भी जो इन दोनों से बेहतर थी।

السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا .

(966) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/281, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/340, हदीस: 5886) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1037.

फ़ायदा : इमाम मालिक (رحمه الله) इस सज्दे को भी मन्सूख़ समझते हैं मगर उनका मौक़िफ़ मज़्कूरा रिवायात के पेशे नज़र दुरुस्त नहीं है ख़ुसूसन आख़री रिवायत क्योंकि इसमें ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन अबू बक्र और उमर (رضي الله عنهما) का अमल भी साबित है।

السُّجُودِ فِي { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ }

बाब : (52) सूरह (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) में सज्दा करने का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا صلى الله عليه وسلم فِي { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } .

(967) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه), हज़रत उमर (رضي الله عنه) और वह शख़्सियत जो इन दोनों से बेहतर थी (रसूलुल्लाह (ﷺ)) इन सबने सूरह (इजस्समाउन शक़्क़त) और सूरह (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) में सज्दा किया है।

(967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1038, पिछली हदीस में देखें।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

(968) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (इजस्समाउन शक़्क़त) और (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) में सज्दा किया है।

(968) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 578/108, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1039.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम मालिक (رحمه الله) इस सज्दे के भी क़ाइल नहीं हैं। वह इसे मन्सूख़ समझते हैं मगर ये बात न सिर्फ़ बिला दलील है बल्कि ख़िलाफ़े सुन्नत है। (2) इमाम नसाई (رحمه الله)

ने सिर्फ़ उन सज्दों के अबवाब बाँधें हैं जिनमें इख़्तिलाफ़ है। बाक़ी मुत्तफ़क़ अलैहि सज्दों का ज़िक्र नहीं किया, अलबत्ता सूरह हज का दूसरा सज्दा भी बावजूद इख़्तिलाफ़ी होने के ज़िक्र नहीं किया। अहनाफ़ व मवालिक इस सज्दे को नहीं मानते। उनके नज़दीक ये सलाती सज्दा (नमाज़ वाला सज्दा) है। **(3)** क़ुर्आन मजीद में कुल पन्द्रह (15) सज्दे मज़्कूर हैं। हनाबिला और अहले हदीस इन सबके क़ाइल हैं। अहनाफ़ और शवाफ़ेअ चौदह सज्दों के क़ाइल हैं जब कि इमाम मालिक कुल ग्यारह सज्दे मानते हैं लेकिन अहादीस से क़ुर्आन पाक में 15 सज्द-ए-तिलावत का ज़िक्र मिलता है, लिहाज़ा क़ुर्आन मजीद की तिलावत करते हुए 15 मक़ामात पर सज्दा करना मुस्तहब है।

बाब : (53)
फ़र्ज़ नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत

السُّجُودِ فِي الْفَرِيضَةِ

(969) हज़रत अबू राफ़ेअ से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ी। उन्होंने सूरह (इज़स्समाउन शक़्क़त) पढ़ी और उसमें सज्दा किया। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मैंने कहा: ऐ अबू हुरैरह! ये सज्दा हम तो नहीं किया करते थे। तो उन्होंने फ़रमाया: अबुल क़ासिम (ﷺ) ने ये सज्दा किया जब कि मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहा था, लिहाज़ा मैं तो ये सज्दा करता रहूंगा यहाँ तक कि अबुल क़ासिम (ﷺ) को जा मिलूं (फ़ौत हो जाऊं)

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَخْضَرَ - عَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ - يَعْنِي الْعَتَمَةَ - فَقَرَأَ سُورَةَ { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذِهِ - يَعْنِي سَجْدَةً - مَا كُنَّا نَسْجُدُهَا . قَالَ سَجَدَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَأَنَا خَلْفَهُ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

(969) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 587/110, बुख़ारी, हदीस: 766, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1040.

फ़ायदा : अबू राफ़ेअ का इन्कार मज़्कूरा सूरत में सज्दे पर हो सकता है और मुत्लक़न नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत करने पर भी। दोनों सूरतों में ऐतराज़ ग़लत है। मज़्कूरा सूरत में भी सज्दा साबित है और नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत करना भी।

बाब : (54) दिन की नमाज़ों (ज़ुहर व अस्र) में क़िराअत

باب (٥٤): قِرَاءَةِ النَّهَارِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَاهَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

(970) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हर नमाज़ में क़ुर्आन पढ़ा जाता है। जिस नमाज़ में हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुना दिया (ऊँची आवाज़ से पढ़ा) हमने तुम्हें सुना दिया और जिस नमाज़ में हमसे मख़्फ़ी रखा (आहिस्ता पढ़ा) हमने तुमसे मख़्फ़ी रखा।

(970) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1041.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَاهَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

(971) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हर नमाज़ में क़िराअत है, जो हमें अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने सुनाई, वह हमने तुम्हें सुनाई और जो आपने हमसे मख़्फ़ी रखी, वह हमने तुमसे मख़्फ़ी रखी।

(971) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 772, व मुस्लिम, हदीस: 396/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1042, मुसनद अबी अवाना: 2/125.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इशारा है कि नमाज़े ज़ुहर और अस्र में आहिस्ता क़िराअत है। ये नहीं कि इनमें क़िराअत है ही नहीं जैसा कि कुछ लोगों को ग़लतफ़हमी हुई है। दिन की नमाज़ों में आहिस्ता क़िराअत का राज़ शायद ये है कि दिन में शोर व गुल होता है, जमाअत बड़ी हो तो सिमाअ मुश्किल होगा, जब कि रात में सुकून होता है, इसलिये रात की नमाज़ों में क़िराअत बलन्द आवाज़ से होती है। जिस नमाज़ में ज़्यादा सुकून होता है, उसमें क़िराअत भी तवील रखी गई है। वल्लाहु आलम। **(2)** हदीस का ये मतलब भी हो सकता है कि हर रकअत में क़िराअत है अगरचे पहली दो में क़िराअत ऊँची की जाती है और आख़री रकअतों में आहिस्ता ताकि नमाज़ ज़यादा लम्बी न हो जाये।

बाब : (55) ज़ुहर की नमाज़ में क़िराअत

باب(٥٥): الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ .

(972) हज़रत बरा (बिन आज़िब) (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम नबी (ﷺ) के पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। और हमें चन्द आयतों के बाद एक आयत सूरह लुक़मान और सूरह ज़ारियात की सुनाई देती थी।

(972) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 830, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 1043, देखें हदीस: 96.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ النَّضْرِ، قَالَ كُنَّا بِالطَّفِّ عِنْدَ أَنَسٍ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الظُّهْرِ فَقَرَأَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } .

(973) अबू बक्र बिन नज़र कहते हैं कि हम हज़रत अनस (ﷺ) के पास मक़ामे तफ़्फ़ (कर्बला) में थे। आपने हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। जब फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: तहक़ीक़ मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। आपने दो रकअतों में ये दो सूरतें (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ीं।

(973) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1044, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 512, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 469.

फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, ताहम इमाम सिर्री नमाज़ों में भी कोई आयत या कुछ अल्फ़ाज़ बलन्द आवाज़ से पढ़ सकता है ताकि मुक़्तदी क़िराअत का अन्दाज़ा कर लें कि रुकू में कितनी देर बाक़ी है और वह अपनी क़िराअत वक़्त पर ख़त्म कर लें जैसा कि दूसरे दलाइल से इसकी ताईद होती है, अलबत्ता ये बलन्द आवाज़ जहरी नमाज़ों की क़िराअत से कम और मुख़्तलिफ़ होनी चाहिए ताकि इम्तियाज़ क़ाइम रहे। ज़ाहिर है ये जहर आप क़सदन कर दिया करते थे। लेकिन ये भी मुमकिन है कि इत्तेफ़ाक़न आवाज़ बलन्द हो जाती हो।

बाब : (56) नमाज़े ज़ुहर की पहली रकअ़त में क़याम लम्बा करना

باب (٥٦): تَطْوِيلِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِيءُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى يُطَوِّلُهَا .

(974) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि तहक़ीक़ ज़ुहर की इक़ामत होती और कोई जाने वाला बक़ीअ़ तक जाता और क़ज़ा-ए-हाजत करता, फिर वुज़ू करके वापस आता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी पहली रकअ़त में होते थे। उसे (इस क़द्र) लम्बी करते थे।)

(974) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 454/161, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1045.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ुहर की पहली रकअ़त लम्बी करना मसनून है चूंकि ये कारोबार का वक़्त होता है, इसलिये जब पहली रकअ़त लम्बी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी नमाज़ बा'जमाअ़त अदा कर सकेंगे। वल्लाहु आलम! **(2)** लोग आपके पीछे बडे ज़ौक़ शौक़ से खड़े होते थे। आपकी सोहबत व मज्लिस की बरकत से तवील क़याम में उन्हें सुरूर आता था। आपकी रूहानियत भी उनका एहाता कर लेती थी, इसलिये आपको इतना लम्बा क़याम मुनासिब था। आप कभी मुख़्तसर क़याम भी करते थे। दूसरे अइम्मा के लिये नमाज़ियों के मुनासिब हाल क़याम करने का इरशाद है। क़िराअत लम्बी भी हो और मख़्फ़ी भी, तो ये उकताहट और बेज़ारी पैदा करती है जो नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी है।

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ الْقَنَّادُ - قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ يُسْمِعُنَا الآيَةَ كَذَلِكَ وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالرَّكْعَةَ الأُولَى يَعْنِي فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ .

(975) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाते और पहली दो रकअ़तों में क़िराअत फ़रमाते तो हमें कोई कोई आयत सुना दिया करते थे। और आप ज़ुहर और सुबह की नमाज़ों में पहली रकअ़त को लम्बा किया करते थे।

(975) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 759, व मुस्लिम, हदीस: 451, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1046.

फ़ायदा : ज़ुहर के वक़्त लोग कारोबार में मशग़ूल होते हैं और फ़ज्र के वक़्त लोग नींद से बेदार होते हैं। जागने में देर हो सकती है। जागने के बाद के लवाज़मात, जैसे: क़ज़ा-ए-हाजत, ग़ुस्ल या मिस्वाक में वक़्त लगता है, इसलिये पहली रकअ़त को लम्बा किया जाये ताकि ज़्यादा लोग जमाअ़त के साथ शामिल हो सकें, इसीलिये इन नमाज़ों में अज़ान और इक़ामत का दरम्यानी फ़ासला भी ज़्यादा रखा जाता है।

إِسْمَاعِ الإِمَامِ الآيَةَ فِي الظُّهْرِ

बाब : (57) इमाम का ज़ुहर की नमाज़ में कोई आयत सुनाना

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، - يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى .

(976) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर और अ़स्र की पहली दो रकअ़तों में फ़ातिहा के अलावा दो सूरतें पढ़ा करते थे और कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी दिया करते थे। और आप पहली रकअ़त को लम्बा किया करते थे।

(976) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस में देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1047.

फ़ायदा : नमाज़े ज़ुहर और नमाज़े फ़ज्र के अलावा दूसरी नमाज़ों में भी पहली रकअ़त लम्बी करनी चाहिए ताकि लोग हवाइजे ज़रूरिया और वुज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर मिल सकें।

تَقْصِيرِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ

बाब : (58) ज़ुहर की दूसरी रकअ़त का क़याम छोटा करना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

(977) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े ज़ुहर की पहली दो रकअ़तों में क़िराअत फ़रमाते और

بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ يُطَوِّلُ الأُولَى وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ .

कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी देते थे। और पहली रकअ़त लम्बी करते थे और दूसरी रकअ़त (पहली रकअ़त के मुक़ाबले में) छोटी करते थे। और सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही करते थे। पहली रकअ़त लम्बी करते थे और दूसरी छोटी करते थे। और नमाज़े अ़स्र की पहली दो रकअ़तों में भी क़िराअत फ़रमाते। पहली रकअ़त में लम्बी क़िराअत फ़रमाते और दूसरी में (पहली से) मुख़्तसर।

(977) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1048.

باب (٥٩): الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ

बाब : (59) ज़ुहर की पहली दो रकअ़तों में (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क़िराअत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ .

(978) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े ज़ुहर और अ़स्र की पहली दो रकअ़तों में सूरह फ़ातिहा के अलावा दो सूरतें पढ़ते थे और आख़री दो रकअ़तों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ते। और कभी कभी हमें कोई आयत सुना देते थे। और ज़ुहर की पहली रकअ़त लम्बी करते थे।

(978) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1049, व मुस्लिम, हदीस: 451/155.

फ़ायदा : फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली दो रकअ़तों में सूरह फ़ातिहा के साथ मज़ीद सूरत मिलाई जाती है मगर आख़री दो रकअ़तों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा काफ़ी है। इससे ये भी मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा हर

रकअत में पढ़ना ज़रूरी है और यही जुम्हूर का मज़हब है लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक आख़री दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि नमाज़ी को इख़्तियार है, चाहे क़िराअत कर ले या तस्बीह व तहमीद करे या ख़ामोश खड़ा रहे। लेकिन जुम्हूर का मज़हब राजेह और सुन्नते सहीहा के मुताबिक़ है। मज़ीद देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/232, हदीस: 451) कुछ रिवायात में आख़री दो रकअतों में भी सूरत पढ़ने का ज़िक्र मिलता है। ये जायज़ है, ज़रूरी नहीं। वल्लाहु आलम!

باب(٦٠): الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ

बाब : (60) अस्र की पहली दो रकअतों में (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क़िराअत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى فِي الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ .

(979) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े ज़ुहर और अस्र की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के अलावा दो सूरतें पढ़ते थे। और कभी कभी हमें कोई आयत सुना देते थे। और ज़ुहर की पहली रकअत लम्बी करते थे और दूसरी छोटी करते थे। और सुबह में भी ऐसे ही करते थे।

(979) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 975, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1050.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا .

(980) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) ज़ुहर और अस्र की नमाज़ों में (वस्समाइ ज़ातिल बुरूज) और (वस्समाइ वत्तारिक़) और इन जैसी सूरतें पढ़ा करते थे।

(980) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 805, तिर्मिज़ी: 307, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1051, व सहीह इब्ने हिब्बान (मवारिद), हदीस: 465.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

(981) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ में (वल्लैलि इज़ा यग़्शा) (और इस जैसी सूरत) पढ़ते। और अस्र की नमाज़ में भी इस क़िस्म की सूरतें पढ़ते थे। और सुबह की नमाज़ में इससे लम्बी सूरतें पढ़ते थे।

(981) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1052.

फ़ायदा: ज़ुहर और अस्र में क़िराअत के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहादीस बयान हुई हैं, इनमें तआरुज़ नहीं बल्कि इन तमाम रिवायात का मफ़हूम ये है कि आप ज़ुहर और अस्र में दरम्यानी क़िराअत करते थे, यानी न बहुत लम्बी और न बहुत मुख़्तसर। और सुबह की नमाज़ में क़िराअत लम्बी करते थे। वल्लाहु आलम!

بَاب (٦١): تَخْفِيفِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ

बाब : (61) (इमाम का) क़याम और क़िराअत में तख़फ़ीफ़ करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَلَّيْتُمْ قُلْنَا نَعَمْ . قَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وَضُوءًا مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا . قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ .

(982) हज़रत ज़ैद बिन असलम से रिवायत है, उन्होंने कहा: हम हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) के पास गये, आपने फ़रमाया: तुमने नमाज़ पढ़ ली? हमने कहा: हाँ। आपने लौण्डी से फ़रमाया: मेरे लिये वुज़ू का पानी लाओ। (फिर फ़रमाया:) मैंने किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो तुम्हारे इस इमाम (हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله)) से बढ़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसे नमाज़ पढ़ता हो। हज़रत ज़ैद ने कहा: हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रुकू और सज्दा मुकम्मल करते थे और क़याम व क़ादा हल्का करते थे।

(982) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1053.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़र्ज़ नमाज़ चूंकि हर शख़्स को पढ़नी होती है, इसलिये इमाम के लिये ज़रूरी है कि वह नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ को मल्हूज़ ख़ातिर रखे मगर रुकू व सुजूद जो नमाज़ की जान हैं, सुकून व इत्मिनान से अदा करे। इनमें कमी न करे, अलबत्ता क़िराअत और दुआयें मुख़्तसर करे जिससे क़याम और क़ादा मुख़्तसर हो जायें। नमाज़ हल्की भी हो जायेगी और मुकम्मल भी। (2) ये हदीस़ शरीफ़ हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज (رحمه الله) की अ़ज़ीम मन्क़बत, जलालते शान और आ़ला व अरफ़अ अ़ज़मत पर दलालत करती है। वह इस तरह कि हज़रत अनस (رضي الله عنه) जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ादिमे ख़ास़ थे और उन्होंने दस बरस तक रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तेदा में नमाज़ें अदा कीं, वह फ़रमा रहे हैं कि मैंने किसी ऐसे इमाम की इक़्तेदा नहीं की जिसकी नमाज़ इन (हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (رحمه الله)) की नमाज़ से बढ़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुशाबेह हो, हालांकि हज़रत अनस (رضي الله عنه) ने तमाम ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की इक़्तेदा में भी नमाज़ें पढ़ी हैं लेकिन हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (رحمه الله) के मुताल्लिक़ उनके जज़्बात और एहसासात अपने अन्दर अ़जीब क़िस्म की ख़ूबसूरती, कशिश और वज़न रखते हैं। अल्लाहुम्मा इज्अ़ल्ना मिन इबादिका अस्सालिहीन (आमीन) (3) हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (رحمه الله) ख़लीफ़ा थे जो बनू उमैया के दीगर ख़ुलफ़ा से बहुत मुख़्तलिफ़ थे। अल्लाह के डर, बेग़र्ज़ी, अमानत व दयानत, एहसासे ज़िम्मेदारी, जवाबदेही, और इल्म दोस्ती में इस क़द्र मशहूर हुए कि उन्हें 'उ़मर स़ानी' के लक़ब से याद किया जाता है। ऐसी बेमिस़ाल आ़दिलाना हुकूमत की कि ख़िलाफ़ते राशिदा के सिवा कोई हुकूमत उनकी हम पल्ला नहीं। (رحمه الله)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلاَنٍ . قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ

(983) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने किसी ऐसे शख़्स के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जिसकी नमाज़ फ़ुलां (उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़) से बढ़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुशाबेह हो। और सुलैमान बिन यसार ने कहा: वह शख़्स ज़ुहर की पहली दो रकअ़तें लम्बी करता था और आख़री दो हल्की पढ़ाता था। और अ़स्र की नमाज़ हल्की पढ़ाता था। मग़रिब की नमाज़ में छोटी मुफ़स़्स़ल सूरतें पढ़ाता था। और इशा में दरम्यानी मुफ़स़्स़ल सूरतें पढ़ाता था। और सुबह की नमाज़ में लम्बी मुफ़स़्स़ल सूरतें पढ़ाता था।

بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ .

(983) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1054, व सहीह इबने ख़ुज़ैमा, हदीस: 520, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1837.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगरचे कुछ रिवायात में अस्र की नमाज़ को ज़ुहर के बराबर बतलाया गया है मगर कसीर और राजेह रिवायात की रू से अस्र की नमाज़ ज़ुहर की नमाज़ से तक़रीबन निस्फ़ होती थी। इसकी मुनासिबत ज़ुहर की बजाये मग़रिब के साथ ज़्यादा थी। **(2)** मग़रिब की नमाज़ में बहुत हल्की क़िराअत होनी चाहिए। **(3)** 'मुफ़स्सल' से मुराद क़ुर्आन मजीद की आख़री सातवीं मन्ज़िल है जिसमें छोटी सूरतें हैं जो आम तौर पर नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं। फ़ासला थोड़ा थोड़ा होने की वजह से उन्हें मुफ़स्सल कहा जाता है। उनकी इब्तेदा सूरह हुजुरात से होती है। आगे तक़सीम में मुख़्तलिफ़ अक़वाल मन्क़ूल हैं। ज़्यादा मशहूर ये है कि तिवाले मुफ़स्सल 'हुजुरात' से 'बुरूज' तक और औसाते मुफ़स्सल यहाँ से 'बय्यना' तक और क़िसारे मुफ़स्सल इससे आगे आख़िर तक हैं। तिवाले मुफ़स्सल सुबह की नमाज़ में, औसाते मुफ़स्सल इशा और ज़ुहर की नमाज़ में और क़िसारे मुफ़स्सल मग़रिब और अस्र की नमाज़ में पढ़ी जाती हैं। मग़रिब की नमाज़ में नबी (ﷺ) बसा औक़ात लंबी सूरत भी पढ़ लेते थे, मामूल क़िसारे मुफ़स्सल ही का था। वल्लाहु आलम!

باب(٦٢): الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ

बाब : (62) मग़रिब की नमाज़ में छोटी मुफ़स्सल सूरतें पढ़नी चाहिए

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلاَنٍ . فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذَلِكَ الإِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ

(984) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने किसी ऐसे शख़्स के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो फ़ुलां शख़्स (उमर बिन अब्दुल अज़ीज़(رحمه الله)) से बढ़ कर अल्लाह के रसूल(ﷺ) जैसी नमाज़ पढ़ाता हो हमने उस शख़्स के पीछे नमाज़ पढ़ी। वह ज़ुहर की पहली दो रकअतें लम्बी करता था और आख़री दो हल्की पढ़ाता था। वह अस्र की नमाज़ भी हल्की पढ़ाता था। वह मग़रिब की नमाज़ में छोटी मुफ़स्सल सूरतें पढ़ता था और इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व ज़ुहाहा) और इस जैसी सूरतें पढ़ता था। और सुबह की नमाज़ में लम्बी

بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ‏.‏

सूरतें पढ़ता था।

(984) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1055.

फ़ायदा : देखिये हदीस: 983.

الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِـ ‏{‏ سَبِّحِ اسْمَ ... رَبِّكَ الأَعْلَى ‏}‏

बाब : (63) मग़रिब की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِنَاضِحَيْنِ عَلَى مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ ذَهَبَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَلاَ قَرَأْتَ بِـ ‏{‏ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ‏}‏ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا ‏"‏ ‏.‏

(985) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक अन्सारी आदमी अपने पानी ढोने वाले दो ऊँटों के साथ हज़रत मुआज़(ﷺ) के पास से गुज़रा जब कि वह मग़रिब की नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने सूरह बक़र: शुरू कर ली। वह आदमी (अकेला) नमाज़ पढ़ कर चला गया। ये बात नबी (ﷺ) तक पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! क्या तुम फ़ित्नाबाज़ हो? ऐ मुआज़! क्या तुम लोगों को आज़माइश में डाल रहे हो? तुमने क्यूँ न (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (वश्शम्सि वज़ुहहा) और इन जैसी दूसरी सूरतें पढ़ीं?'

(985) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1056, व हसन इब्ने अल मुल्क़न फ़ी तोहफ़तुल मोहताज, हदीस: 566, 567.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहीह बुख़ारी (हदीस: 701) में इशा की नमाज़ का ज़िक्र है हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं कि या तो इसे तअ़द्दुदे वाकिआत पर महमूल किया जायेगा, यानी मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ों में ये वाक़िया हुआ, या इशा की नमाज़ के लिये मगरिब का लफ़्ज़ मजाज़न बोल दिया गया (क्योंकि ये दोनों रात की नमाज़ें हैं जैसे अहादीस में इशा ऊला और इशा आख़िरा के लफ़्ज़ मिलते हैं) वरना जो सहीह बुख़ारी में है, वही ज़्यादा सही है। वल्लाहु आलम: देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/251, हदीस:701) **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि

मुफ़्तरिज़ (फर्ज़ पढ़ने वाला) मुतनफ़्फ़िल (नफ़्ल पढ़ने वाला) के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है यानी इमाम मुतनफ़्फ़िल हो और मुक़्तदी मुफ़्तरिज़ क्योंकि हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ कर आते थे, फिर अपनी क़ौम को आकर पढ़ाते थे। हज़रत मुआज़ (ﷺ) की नमाज़ नफ़्ल होती थी। (3) किसी उ़ज्र की बिना पर मुक़्तदी नमाज़ से निकल सकता है। (4) मुक़्तदियों का ख़्याल रखते हुए नमाज़ हल्की पढ़ाना मुस्तहब है। (5) जब मस्जिद में जमाअ़त हो रही हो तो किसी शरई उ़ज्र की वजह से कोई आदमी अकेला नमाज़ पढ़ ले तो जायज़ है।

बाब : (64)
मग़रिब की नमाज़ में सूरह मुर्सलात पढ़ना

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً حَتَّى قُبِضَ ﷺ.

(986) हज़रत उम्मे फ़ज़्ल बिन्ते हारिस़ (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें अपने घर में मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई और सूरह मुर्सलात पढ़ी। इसके बाद आपने कोई बा'जमाअ़त नमाज़ नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि आप(ﷺ) फ़ौत हो गये।

(986) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1057.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से स़ाबित होता है कि नबी (ﷺ) ने अपनी ज़िन्दगी में आख़री नमाज़ मग़रिब पढ़ाई जबकि स़हीहैन में हज़रत आयशा (ﷺ) से ज़ुहर की नमाज़ के मुताल्लिक़ स़राहत है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 687, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 418) इन दोनों रिवायात में तआरुज़ नहीं है जिस हदीस़ में ज़ुहर की नमाज़ का ज़िक्र है, इससे मुराद है कि आपने मस्जिद में लोगों को आख़री नमाज़ ज़ुहर की पढ़ाई और मज़्कूरा हदीस़ से मुराद है कि आपने बीमारी की वजह से घर में औरतों को मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/227, हदीस़: 687) (2) नमाज़े मग़रिब में क़िराअत का आ़म मामूल तो छोटी छोटी सूरतें पढ़ना ही है लेकिन अगर किसी वक़्त लम्बी क़िराअत कर ली जाये तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(987) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) अपनी वालिदा से बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (ﷺ) को मग़रिब की नमाज़ में सूरह मुर्सलात पढ़ते सुना।

عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ .

(987) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 462, बुख़ारी, हदीस: 763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1058.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की वालिदा मोहतरमा उम्मे फ़ज़्ल बिन्ते हारिस (ﷺ) ही हैं जो पहली हदीस की भी राविया हैं।

باب(٦٥): الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

बाब : (65) मग़रिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

(988) हज़रत जुबैर बिन मुत्इम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को मग़रिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ते सुना।

(988) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 765, व मुस्लिम, हदीस: 463, मौता: 1/78, वल कुब्रा, हदीस: 1059.

باب(٦٦): الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِـ { حم } الدُّخَانِ

बाब : (66) मग़रिब की नमाज़ में सूरह हाम मीम अद्दुख़ान पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِـ { حم } الدُّخَانِ .

(989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उतैबा बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मग़रिब की नमाज़ में सूरह हाम मीम अद्दुख़ान पढ़ी।

(989) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1060.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुमकिन है कि आपने दोनों रकअतों में ये सूरत पढ़ी हो जैसा कि अगले बाब में सूरह आराफ़ के मुताल्लिक़ है कि आपने मग़रिब की दोनों रकअतों में सूरह आराफ़ तक़सीम

करके पढ़ी। और ये भी मुमकिन है कि आपने पूरी सूरह एक ही रकअत में पढ़ी हो। वल्लाहु आलम। **(2)** मज़्कूरा रिवायत को शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने ज़ईफ़ुल इस्नाद क़रार दिया है लेकिन ज़ईफ़ की वज़ाहत नहीं फ़रमाई, ताहम मज़्कूरा हदीस का सही होना ही दुरुस्त मालूम होता है। वल्लाहु आलम। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 12/271-275)

बाब : (67) मग़रिब की नमाज़ में सूरह अलिफ़ लाम मीम साद पढ़ना

باب(٦٧): الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِـ {المص}

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَ { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَمَحْلُوفَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ { المص } .

(990) हज़रत ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से मरवी है, उन्होंने हज़रत मरवान से कहा: ऐ अबू अब्दुल मलिक! क्या आप हमेशा मग़रिब की नमाज़ में (क़ुल हुवल्लाहु अहद) और (इन्ना आतैना कलकौसर) ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसकी क़सम उठाई जाती है! (यानी अल्लाह (عزوجل) की!) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस नमाज़ में दो लम्बी सूरतों में से ज़्यादा लम्बी सूरत अलिफ़ लाम मीम साद पढ़ते देखा है।

(990) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1/271, 272, हदीस: 541, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1061.

फ़ायदा : दो लम्बी सूरतों से मुराद सूरह अन्आम और सूरह आराफ़ हैं और इनमें से ज़्यादा लम्बी सूरत सूरह आराफ़ है। इसे सूरह अलिफ़ लाम मीम साद भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं हुरूफ़ से इस सूरत का आग़ाज़ होता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ مَا

(991) हज़रत मरवान बिन हकम ने बयान किया कि हज़रत ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) ने मुझसे कहा: क्या वजह है कि मैं तुम्हें मग़रिब की नमाज़ में छोटी छोटी सूरतें ही पढ़ते देखता हूँ, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस नमाज़ में दो लम्बी

لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ قَالَ الأَعْرَافُ

सूरतों में से ज़्यादा लम्बी सूरत पढ़ते देखा है? मैं (मरवान) ने कहा: ऐ अबू अब्दुल्लाह! ये कौन सी सूरत है? उन्होंने कहा: सूरह आराफ़।

(991) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 764, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1062.

फ़ायदा : हज़रत मरवान उस वक़्त मदीने के गवर्नर थे, बाद में अमीरुल मोमिनीन हुए, लगता है कि वह हमेशा बहुत छोटी सूरतें पढ़ते होंगे जैसा कि हदीस नम्बर: 990 में ज़िक्र है, हालांकि छोटी मुफ़स्सल सूरतों में उनसे दुगुनी बल्कि तिगुनी सूरतें भी शामिल हैं। उन्हें भी पढ़ना चाहिए। गोया हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) का ऐतराज़ बहुत छोटी सूरतें हमेशा पढ़ने पर था, न कि क़िसारे मुफ़स्सल पढ़ने पर क्योंकि उनका पढ़ना तो मसनून है। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (ﷺ) का सूरह आराफ़ जैसी तवील सूरत मग़रिब में पढ़ना तो वह कभी कभार था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَأَبُو حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ .

(992) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मग़रिब की नमाज़ में सूरह आराफ़ दोनों रकअतों में तक़सीम करके पढ़ी।

(992) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 4/299, हदीस: 3363, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1063.

फ़ायदा : पीछे ज़िक्र हो चुका है कि मग़रिब में लम्बी सूरतें पढ़ना नबी (ﷺ) का कभी कभार का अमल था। आपके पीछे मुक़्तदियों को लज़्ज़त और सुरूर आता था जो आपकी रूहानियत का असर था। हर शख़्स ऐसा नहीं। हमें तख़्फ़ीफ़ का हुक्म है।

الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

बाब : (68) मग़रिब के बाद (की दो सुन्नतों में) क़िराअत

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ

(993) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने बीस (20) दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) को मग़रिब के बाद की दो सुन्नतों और फ़ज्र से पहले की दो सुन्नतों में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .

अहद) पढ़ते देखा है।

(993) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:1064, तिर्मिज़ी: 417, व इब्ने माजा, हदीस: 1149, व लि बअ़ज शवाहिद इन्द मुस्लिम, हदीस: 726.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इस हदीस के कुछ हिस़्से के शवाहिद सहीह मुस्लिम वग़ैरह में हैं जबकि जामेअ़ तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा की तहक़ीक़ में इसी रिवायत को हसन क़रार दिया है जिससे मालूम होता है कि यहाँ मुहक़्क़िके किताब को सह्व हो गया है, वल्लाहु आलम! इसके अ़लावा दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है। मुहक़्क़िके अ़स्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इसे हसन क़रार दिया है। याद रहे दलाइल की रू से मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अ़मल हैं मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअ़तुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 8/381, 382, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 991, व ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 21/286-289) **(2)** मग़रिब और फ़ज्र की सुन्नतों में मज़्कूरा दोनों सूरतें पढ़ना मुस्तहब है।

الْفَضْلِ فِي قِرَاءَةِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

बाब : (69)
(क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ، مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " سَلُوهُ

(994) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को एक लश्कर पर अमीर मुक़र्रर फ़रमाया। वह अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाते हुए क़िराअत करता तो आख़िर में (क़ुल हुवल्लाहु अहद) (ज़रूर) पढ़ता। जब वह वापस आये तो उन्होंने इस बात का ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने किया। आपने फ़रमाया: 'उससे पूछो, उसने ऐसा क्यूँ किया?' उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा: इसलिये कि ये रहमान (अल्लाह) (عز وجل) की सिफ़त है। मैं चाहता हूँ कि इसे (बार-बार) पढ़ूँ।

لأَىِّ شَىْءٍ فَعَلَ ذَلِكَ " . فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ "

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे बताओ कि अल्लाह (ﷻ) उससे मोहब्बत फ़रमाता है।'

(994) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7375, व मुस्लिम, हदीस: 813, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1065.

फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से सूरह इख़्लास की फ़ज़ीलत के साथ ये भी साबित हुआ कि एक रकअत में दो सूरतें जमा करना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ " . فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْجَنَّةُ "

(995) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आ रहा था कि आपने एक आदमी को ये सूरह पढ़ते हुए सुना: (क़ुल हुवल्लाहु अहद .....) 'कह दीजिये: अल्लाह एक है। अल्लाह बेन्याज़ है। न उसने जना और न वह जना गया। और न कोई उसका हमसर है।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या (वाजिब हो गई)? आपने फ़रमाया: 'जन्नत'

(995) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2897, मौता: 1/208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1066.

फ़ायदा : क्योंकि ये सूरह ख़ालिस तौहीद है और तौहीद का बदला जन्नत है। इब्तेदा में मिल जाये या कुछ सज़ा भुगत कर रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'जिसकी आख़री बात ला इलाह इल्लल्लाह हो, वह जन्नत में दाख़िल होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3116) हर मुवह्हिद लाज़िमन जन्नत में जायेगा, जब भी जाये, फिर हमेशा वहीं रहेगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، سَمِعَ رَجُلاً، يَقْرَأُ { قُلْ

(996) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है एक आदमी ने एक आदमी को (नमाज़ में) बार बार सूरह (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते सुना। जब सुबह हुई तो वह नबी (ﷺ) के पास आया और इस बात का आपसे ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह

هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ } يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

(ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! यक़ीनन ये सूरत तिहाई क़ुर्आन मजीद के बराबर है।'

(996) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5013, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1067, मौता: /208.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तिहाई के बराबर' इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं। कुछ कहते हैं कि ये अपने मज़मून के लिहाज़ से तिहाई के बराबर है क्योंकि दीन की बुनियाद तीन चीज़ों पर है: ○ तौहीद ○ रिसालत और ○ आख़िरत। इसमें कामिल व अकमल तौहीद का बयान है। कुछ अहले इल्म का ये ख़्याल है कि इसे एक तिहाई क़ुर्आन इसलिये कहा गया है कि क़ुर्आन में अहकाम, अख़बार और अल्लाह तआला की तौहीद बयान की गई है। और ये सूरत तीसरे हिस्से पर मुश्तमिल है, लिहाज़ा ये तिहाई क़ुर्आन है। इनकी दलील सहीह मुस्लिम की रिवायत है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह तआला ने क़ुर्आने करीम को तीन हिस्सों में तक़सीम फ़रमाया, चुनांचे सूरह (क़ुल हुवल्लाहु अहद) को तीसरा हिस्सा बनाया।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 811) और कुछ के नज़दीक इससे मुराद ये है कि इसकी तिलावत का सवाब एक तिहाई क़ुर्आन की तिलावत के बराबर है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 9/77-78, हदीस: 5013) ये हर एक गिरोह की अपनी अपनी तौजीहात हैं, लिहाज़ा मुख़्तलिफ़ क़िस्म की तावीलात करने के बजाये अगर नस्स को उसके ज़ाहिर पर महमूल कर लें कि ये सूरत तिलावत और सवाब के लिहाज़ से सुलुस (तिहाई क़ुर्आन) के बराबर है तो अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से बईद नहीं। वल्लाहु आलम। **(2)** 'एक आदमी ने एक आदमी को सुना' पढ़ने वाले हज़रत क़तादा बिन नोमान (رضي الله عنه) थे जैसा कि इमाम अहमद (رحمه الله) हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) के हवाले से बयान करते हैं कि क़तादा (رضي الله عنه) ने रात को क़याम किया और सारी रात (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते रहे, इससे ज़्यादा कुछ न पढ़ा (मुसनद अहमद: 3/15) हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुमकिन है सुनने वाले अबू सईद ही हों, इसलिये कि ये उनके अख़्याफ़ी भाई थे और एक दूसरे के पड़ौस में रहते थे और यही बात इब्ने अब्दुलबर्र ने बिलजज़्म कही है। गोया कि अबू सईद (رضي الله عنه) ने अपना और अपने भाई का नाम पौशीदा रखा। (फ़तहुलबारी: 9/75, हदीस: 5013) लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर(رحمه الله) का अबू सईद (رضي الله عنه) को सामेअ क़रार देना महल्ले नज़र है क्योंकि सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत अबू सईद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे भाई क़तादा (رضي الله عنه) ने बतलाया कि नबी (ﷺ) के ज़माने में एक आदमी रात के क़याम में (क़ुल हुवल्लाहु अहद) ही पढ़ता रहा, जब हमने सुबह की तो एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और रात का सारा माजरा सुनाया। गोया कि उस आदमी ने इस क़िराअत को कम समझा ..... तो नबी-ए-अकरम (ﷺ)

ने फ़रमाया: 'क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! बेशक ये सूरत एक तिहाई क़ुर्आन के बराबर है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5014) इस रिवायत से सराहतन मालूम होता है कि सुनने वाले अबू सईद नहीं थे। हाँ, अलबत्ता पढ़ने वाले क़तादा (ﷺ) हो सकते हैं। वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह का हाथ है जैसे उसकी शान के लायक़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُلُثُ الْقُرْآنِ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا

(997) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरह (कुल हुवल्लाहु अहद) क़ुर्आन मजीद का एक तिहाई हिस्सा है।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं इससे लम्बी सनद नहीं जानता।

(997) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2896, (हदीस: 995 देखें) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1068.

फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) और नबी-ए-अकरम (ﷺ) के दरम्यान दस वास्ते हैं। इससे ज़्यादा वास्ते इमाम नसाई (رحمه الله) की किसी रिवायत में नहीं और दस वास्ते भी सिर्फ़ इसी सनद में हैं। वल्लाहु आलम!

باب (٧٠): الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}

बाब : (70) इशा की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَطَوَّلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَالضُّحَى وَ { إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ } " .

(998) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक दफ़ा मुआज़ (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई तो बहुत लम्बी कर दी। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़ क्या तू फ़ित्नेबाज़ है? ऐ मुआज़! क्या तू लोगों को फ़ित्ने में डालता है? तू (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (वज़्ज़ुहा) और (इज़स्समाउन फ़तरत) से कहाँ चला गया था?'

(998) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें हदीस: 832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1069.

बाब : (71) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व ज़ुहाहा) पढ़ना

باب (٧١): الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } " .

(999) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) ने अपनी क़ौम को इशा की नमाज़ पढ़ाई और बहुत लम्बी कर दी। हममें से एक आदमी जमाअत से निकल गया। हज़रत मुआज़ (ﷺ) को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा: वह मुनाफ़िक़ हो गया है। जब ये बात उस आदमी तक पहुँची तो वह नबी (ﷺ) के पास आया और आपको मुआज़ (ﷺ) के वाक़िये की ख़बर दी। नबी(ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! तू फ़ित्नेबाज़ बनना चाहता है? जब तू लोगों की इमामत कराये तो (वश्शम्सि व ज़ुहाहा) (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला), (वल्लैलि इज़ा यग़्शा) और (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) जैसी सूरतें पढ़ा कर।'

(999) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 465/179, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1070.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ .

(1000) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व ज़ुहाहा) और इस जैसी दीगर सूरतें पढ़ा करते थे।

(1000) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1071.

फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम होता है कि इशा की नमाज़ में दरम्यानी मुफ़स्सल सूरतें पढ़ना मुस्तहब है।

الْقِرَاءَةِ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

बाब : (72) इशा की नमाज़ में सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ैतून) पढ़ना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

(1001) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी तो आपने उसमें सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ैतून) पढ़ी।

(1001) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 464/176, बुख़ारी, हदीस: 767, मौता: 1/79, 80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1072.

باب (٧٣): الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

बाब : (73) इशा की पहली रकअत में क़िराअत

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

(1002) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में थे तो आपने इशा की नमाज़ की पहली रकअत में सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ैतून) पढ़ी।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1073.

الرُّكُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ

बाब : (74) पहली दो रकअतों में ठहरना (उन्हें लम्बा करना)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ . فَقَالَ سَعْدٌ أَتَّئِدُ

(1003) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत सअद (ﷺ) से कहा: तहक़ीक़ लोगों (अहले कूफ़ा) ने तुम्हारी हर चीज़ की शिकायत की है यहाँ तक कि नमाज़ की भी। हज़रत सअद(ﷺ) ने कहा: मैं पहली दो रकअतों में ठहरता (लम्बी

क़िराअत करता) हूँ और आख़री दो को हल्का पढ़ता हूँ। और मैं उस नमाज़ से ज़र्रा भर कोताही नहीं करता जो मैंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) की इक़्तेदा में पढ़ी है। हज़रत उमर(ﷺ) ने फ़रमाया: तुमसे यही उम्मीद है।

فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

(1003) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 770, व मुस्लिम, 453/159, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1074.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) क़दीमुल इस्लाम सहाबी थे। अश्र-ए-मुबश्शरा (वह दस सहाबा जिन्हें ज़बाने रिसालत से नाम लेकर जन्नत की ख़ुशख़बरी मिली) में से थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के ननिहाल में से थे। जंगे क़ादसिया के फ़ातेह थे। हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें कूफ़े का गवर्नर मुक़र्रर किया था। ऊपर दी गई शिकायत पर माज़ूल कर दिया मगर अपने बाद जिन छः सहाबा को ख़िलाफ़त के लिये नामज़द किया, उनमें हज़रत सअद (ﷺ) को भी शामिल फ़रमाया। और वज़ाहत फ़रमाई कि 'मैंने उन्हें किसी नुक़्स की बिना पर माज़ूल नहीं किया था बल्कि वह इन्तेज़ामी मसला था, लिहाज़ा ये ख़िलाफ़त के अहल हैं।' (ﷺ) **(2)** अक्सर अहले कूफ़ा बद बातिन लोग थे। झूठी शिकायात के आदी थे। गवर्नरों तक को तंग किया करते थे। किसी को टिकने न देते थे। हज्जाज ने उन्हें ख़ूब कस कर रखा। हज़रत सअद (ﷺ) की बाबत उनकी ऊपर दी गई शिकायत भी ग़लत साबित हुई। फिर भी हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें माज़ूल कर दिया कि जब हाकिम और महकूम में ग़लतफ़हमियाँ इस हद तक हो जायें तो उमूरे हुकूमत ख़ुश उस्लूबी से नहीं चलाये जा सकते। **(3)** पहली दो रकअतें लम्बी करना मुस्तहब है। **(4)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) नबी-ए अकरम (ﷺ) की पैरवी का बहुत एहतिमाम करते थे। उनकी नमाज़ नबी-ए-अकरम (ﷺ) की नमाज़ के ऐन मुताबिक़ होती थी। **(5)** अगर हुकूमत को किसी गवर्नर या ओहदेदार की शिकायत पहुँचे जो लोगों के मामलात का ज़िम्मेदार हो तो हाकिमे वक़्त मसलिहत के पेशे नज़र उसे माज़ूल कर सकता है अगरचे उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित न भी हो। **(6)** माज़ूल होने वाला अपने मुताल्लिक़ शिकायात के बारे में पूछ गछ कर सकता है। **(7)** किसी की तारीफ़ मुँह पर की जा सकती है जब कि उससे फ़ित्ने में मुब्तला होने का अन्देशा न हो। **(8)** हुक्मरान को अपने मातहतों के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान ही रखना चाहिए।

(1004) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) ने बयान किया कि अहले कूफ़ा में से कुछ लोगों ने हज़रत उमर (ﷺ) के पास हज़रत सअद (ﷺ) की

أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

دَاوُدَ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ وَقَعَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي سَعْدٍ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يُحْسِنُ الصَّلاَةَ . فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ . قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

शिकायत कीं। कहने लगे: अल्लाह की क़सम! वह नमाज़ भी सही नहीं पढ़ाता। हज़रत सअ़द ने फ़रमाया: मैं तो उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ जैसी नमाज़ पढ़ाता हूँ, उससे ज़र्रा भर कमी नहीं करता। मैं पहली दो रकअ़तों में ठहरता (लम्बी क़िराअत करता) हूँ और आख़री दो में इख़्तेसार करता हूँ। हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: तुम्हारे बारे में यही गुमान है।

(1004) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी:755, मुस्लिम पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 1075

باب (٧٥): قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

बाब : (75)
एक रकअ़त में दो सूरतें पढ़ना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنِّي لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَأَخْبَرَنَا بِهِنَّ .

(1005) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि बेशक मैं उन मिलती जुलती बीस सूरतों को बख़ूबी जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) दस रकआ़त में पढ़ते थे। फिर वह अ़ल्क़मा का हाथ पकड़ कर अन्दर चले गये। फिर अ़ल्क़मा बाहर आये तो हमने उनसे उन सूरतों के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें उनकी तफ़्सील बताई।

(1005) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 822/277, बुख़ारी, हदीस: 4996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1076.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक रकअ़त में दो सूरतें हों या एक नमाज़ की दो रकअ़तों में दो सूरतें, इनमें मानवी मुनासिबत भी होनी चाहिए। नज़ाइर (मिलती जुलती सूरतें) से मुराद भी यही मुनासिब है। कुछ लोगों ने तूल में मुनासिब मुराद ली है मगर वह दुरुस्त नहीं जैसा कि इन सूरतों की तफ़्सील से ज़ाहिर होता है, जैसे 'इक़्तरबत' और 'अल हाक़्क़ा' एक रकअ़त में, इसी तरह 'इज़श्शम्सु कुव्विरत' और 'दुख़ान' एक रकअ़त में। **(2)** क़ुर्आन मजीद की क़िराअत करते हुए सूरतों की तर्तीब मल्हूज़ रखना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर कोई पहले सूरह कहफ़ फिर सूरह बक़र: की क़िराअत करता है तो

उसमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता तर्तीब से पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का बेश्तर अ़मल इसी पर था। (3) इस हदीसे मुबारका से हज़रत आ़यशा और इब्ने अ़ब्बास (ؓ) के क़ौल की मुवाफ़िक़त हो गई कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की रात की नमाज़ वित्र के अ़लावा दस रकअ़ात थी। (4) कुर्आन मजीद की तिलावत मानी पर तदब्बुर व तफ़क्कुर करके करनी चाहिए। बग़ैर सोचे समझे बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ना मुनासिब नहीं। (5) बसा औक़ात दूसरी रकअ़त पहली से लम्बी पढ़ना जायज़ है क्योंकि इन सूरतों में से कुछ बाद वाली सूरतें पहली सूरतों से ज़्यादा लम्बी हैं, और रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े जुमा में पहली रकअ़त में सूरह आ़ला और दूसरी रकअ़त में सूरह ग़ाशिया पढ़ते थे। और ये बात मालूम है कि सूरह ग़ाशिया, सूरह आ़ला से लम्बी है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . قَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ . فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ .

(1006) हज़रत अबू वाइल बयान करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(ؓ) के पास कहा कि मैंने तमाम मुफ़स्सल सूरतें आज रात एक रकअ़त में पढ़ लीं। आपने फ़रमाया: शायर की तरह तेज़ तेज़ कतर डालीं। अल्लाह (ﷻ) की क़सम! मैं इन मिलती जुलती सूरतों को बख़ूबी पहचानता हूँ जिन्हें अल्लाह के रसूल (ﷺ) मिलाकर पढ़ा करते थे। फिर उन्होंने मुफ़स्सल सूरतों में से बीस सूरतें ज़िक्र कीं। हर रकअ़त में दो दो सूरतें।

(1006) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 775, व मुस्लिम: 822/279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1077.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अश्आ़र वैसे तो ठहर ठहर कर पढ़े जाते हैं मगर जब हिफ़्ज़ शुदा अश्आ़र का दौर किया जाता है तो उन्हें तेज़ तेज़ पढ़ा जाता है, जिस तरह कुछ क़ुर्रा हज़रात क़ुर्आन मजीद का दौर करते वक़्त बहुत तेज़ पढ़ते हैं कि ग़ैर हाफ़िज़ समझ ही नहीं सकता। ये मफ़हूम है। (2) इस रिवायत से साबित होता है कि क़ुर्आन मजीद ठहर ठहर कर और तदब्बुर करते हुए पढ़ना चाहिए, इतना तेज़ तेज़ नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी की समझ ही में न आये। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ،

(1007) हज़रत मस्रूक़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ؓ) से बयान करते हैं कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा: तहक़ीक़ मैंने

عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَتَاهُ، رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ مِنْ آلِ حم.

आज रात तमाम मुफ़स्सल सूरतें एक रकअत में पढ़ लीं उन्होंने फ़रमाया: तूने इस तरह तेज़ तेज़ पढ़ा होगा जैसे शेअर पढ़े जाते हैं? लेकिन अल्लाह के रसूल (ﷺ) तो मिलती जुलती बीस सूरतें (दस रकअतों में) पढ़ते थे जो मुफ़स्सल से हा मीम वाली सूरतें थीं। (जिन सूरतों के शुरू में हा मीम है।)

(1007) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 10/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1078, बुख़ारी, हदीस: 775, 4996, 5043, व मुस्लिम, हदीस: 822.

باب (٧٦): قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ

बाब : (76) सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى أَوْ عِيسَى - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

(1008) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आपने काबे के सामने नमाज़ पढ़ी। अपने जूते उतार कर बायीं तरफ़ रखे (नमाज़ में) और आपने सूरह मोमिनून शुरू की। जब मूसा और ईसा (عليهما السلام) का ज़िक्र आया तो आपको खाँसी आने लगी, चुनांचे आपने रुकू कर दिया।

(1008) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 455, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1079, बुख़ारी: 774.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर सूरत को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी होता तो आप खाँसी ख़त्म होने का इन्तेज़ार फ़रमाते, फिर सूरत को मुकम्मल फ़रमाते। नबी (ﷺ) का खाँसी आने पर रुकू में चले जाना जवाज़ की दलील है। हो सकता है इसे कोई उज़्र क़रार दे, मगर हदीस: 992 में सूरह आराफ़ को आपने बिला उज़्र दो रकअतों में तक़सीम किया। ये हदीस इस मसले में सरीह दलील है। **(2)** जब नमाज़ में कोई आरिज़ा लाहिक़ हो जाये तो नमाज़ को मुख़्तसर कर लेना चाहिए।

बाब : (77) क़ुर्आन मजीद पढ़ने वाला जब अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह की पनाह तलब करे

باب : (۷۷) تَعَوُّذِ الْقَارِئِ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَرَأَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " .

(1009) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मरवी है कि मैंने एक रात नबी (ﷺ) के पहलू में नमाज़ पढ़ी। आपने क़िराअत फ़रमाई तो जब अज़ाब वाली आयत पढ़ते तो रुकते और अल्लाह की पनाह माँगते। और जब रहमत वाली आयत पढ़ते तो रुकते और अल्लाह तआला से रहमत माँगते। और अपने रुकू में (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) 'पाक है मेरा अज़मत वाला रब।' और सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा बलन्द व बाला रब।' पढ़ते।

(1009) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1080, तिर्मिज़ी, हदीस: 463.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद पढ़ते वक़्त इन्सान में जज़्ब की कैफ़ियत होनी चाहिए कि क़ुर्आन का हर लफ़्ज़ उस पर असर करे। इस कैफ़ियत से पढ़ने वाला इन्सान लाज़िमन वही करेगा जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) का मामूल बयान किया गया है। ये कैसे हो सकता है कि वह रहमत की आयत से गुज़र जाये और रहमत तलब न करे या अज़ाब का ज़िक्र पढ़े और अज़ाब से बचाव की दरख़्वास्त न करे। क़ुर्आन का असर होना लाज़िमी अम्र है। इस कैफ़ियत को सिर्फ़ नफ़ल नमाज़ से ख़ास करना अहनाफ़ की ज़्यादती है। क्या फ़र्ज़ नमाज़ में ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ ममनूअ है? हरगिज़ नहीं बल्कि नवाफ़िल से ज़्यादा मतलूब है, इसलिये फ़राइज़ में भी आयते अज़ाब या रहमत पढ़ते वक़्त अज़ाब से पनाह और रहमत की इल्तेजा करना मुस्तहसन अम्र है।

बाब : (78)
कुर्आने मजीद पढ़ने वाला जब रहमत वाली आयत पढ़े तो रहमत का सवाल करे

باب : (٧٨)
مَسْأَلَةِ الْقَارِئِ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ سَأَلَ وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ اسْتَجَارَ

(1010) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने एक रकअत में सूरह बक़र:, आले इमरान और निसा पढ़ीं। जब भी आप किसी रहमत वाली आयत पर पहुँचते तो अल्लाह तआला से रहमत माँगते और अज़ाब की आयत पर पहुँचते तो बचाव का सवाल फ़रमाते।

(1010) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1081, 1082, पिछली हदीस में देखें।

बाब : (79)
एक आयत को बार बार दोहराना

باب (٧٩): تَرْدِيدِ الآيَةِ

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةٍ وَالآيَةُ { إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } .

(1011) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) बयान करते हैं कि (एक दफ़ा) नबी (ﷺ) ने सारी रात एक आयत बार बार पढ़ते गुज़ार दी यहाँ तक कि सुबह हो गई। और वह आयत ये थी (इन तुअज़्ज़िबहुम) (ऐ मेरे मौला!) अगर तू इन (बन्दों) को अज़ाब दे तो बेशक वह तेरे गुलाम हैं (चूं नहीं कर सकते) और अगर तू इन्हें बख़्श दे तो बिला शुब्हा तू ही ग़ालिब हिकमत वाला है।' (कोई तुझ पर ऐतराज़ नहीं कर सकता, और रहमत व मग़फ़िरत पर क्या ऐतराज़?)

(1011) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 1350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1083, वल हाकिम: 1/241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि नमाज़ में एक आयत को बार बार पढ़ा जा सकता है। (2) नबी-ए-अकरम (ﷺ) उम्मत के लिये बहुत फ़िक्रमन्द थे और हर नेक व बद के लिये मग़फ़िरत की दुआ करते रहते थे। (3) किसी को बख़्शना या उसे सज़ा देना सिर्फ़ अल्लाह के इख़्तियार में है इसके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं जो किसी के अच्छे या बुरे अन्जाम का फ़ैसला कर सके यहाँ तक कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) भी उस चीज़ का इख़्तियार नहीं रखते कि अगर अल्लाह तआला किसी को अज़ाब देने का फ़ैसला कर दें तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) उसे अज़ाब से बचा सकें। हाँ! अल्लाह तआला सिफ़ारिश का हक़ देंगे जिसे चाहेंगे और जिसके लिये चाहेंगे।

बाब : (80) अल्लाह तआला के फ़रमान (वला तज्हर बिसलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा) 'क़ुर्आन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ न ज़्यादा ऊँची करें और न बिल्कुल पस्त' की तफ़्सीर

باب : (٨٠) قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا }

(1012) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने अल्लाह तआला के इस फ़रमान (वला तज्हर बिसलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा) की तफ़्सीर में फ़रमाया: ये आयत उस वक़्त उतरी जब आप मक्का मुकर्रमा में छुप कर रहते थे। आप जब अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाते तो क़ुर्आन मजीद बलन्द आवाज़ से पढ़ते। मुश्रिकीन जब आपकी आवाज़ सुनते तो क़ुर्आन को, उसके उतारने वाले और उसके लाने वाले (सब) को गालियाँ देते। तो अल्लाह (عزوجل) ने अपने नबी (ﷺ) से फ़रमाया: 'इतनी बलन्द आवाज़ से न पढ़ा करें कि मुश्रिकीन उसे सुन कर क़ुर्आन को गालियाँ दें और इतना आहिस्ता भी न पढ़ें कि आपके सहाबा भी न सुन सकें बल्कि इनकी दरम्यानी राह इख़्तियार करें।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ - وَهُوَ ابْنُ إِيَاسٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا } قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ - وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ - وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ { وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ } أَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ

الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ { وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا } عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ يَسْمَعُوا { وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً } .

(1012) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4722, व मुस्लिम, हदीस: 446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1084.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुश्रिकीन से क़तओ नज़र नमाज़ के अन्दर इमाम दरम्यानी आवाज़ इख़्तियार करे। इसी तरह नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाला इतनी आवाज़ रखे जिससे दूसरों की नमाज़ या आराम में ख़लल भी न पड़े और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे। वैसे भी मुँह में पढ़ने से वह तास्सुर पैदा नहीं होता जो आवाज़ के साथ पढ़ने से होता है। वल्लाहु आलम! **(2)** इब्तेदा-ए-इस्लाम में नबी-ए-अकरम (ﷺ) लोगों को दावत देते तो मुश्रिकीन आपको तकलीफ़ें देते थे। आप और आपके सहाबा छुप कर नमाज़ पढ़ते और मुसल्सल दावत का काम करते रहे, इसी तरह हर दाई को बचाव के अस्बाब इख़्तियार करने चाहिए और मुख़ालिफ़ीन की तरफ़ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों को बरदाश्त करे। आख़िरकार कामयाबी दीने इस्लाम ही की है, और अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ दावत देने वाला हर उस काम और बात से दूर रहे जिससे लोगों को अल्लाह, उसके रसूल और दीने इस्लाम पर तअन व तशनीअ करने का मौक़ा मिले। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ أَصْحَابُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً } " .

(1013) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि, नबी (ﷺ) बलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ते थे। मुश्रिकीन जब आपकी आवाज़ सुनते तो क़ुर्आन और उसके लाने वाले को बुरा भला कहते। नबी (ﷺ) क़ुर्आन (की तिलावत) के साथ अपनी आवाज़ इतनी पस्त और आहिस्ता कर लेते कि आपके अस्हाब (رضی اللہ عنہم), भी न सुन सकते। तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी (वला तज्हर बिसलातिक .....) 'नमाज़ में आवाज़ को ज़्यादा बलन्द किया करें न इन्तेहाई पस्त, बल्कि दरम्यानी राह इख़्तियार करें।'

(1013) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1085, पिछली हदीस देखें।

बाब : (81) बलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ना

باب (٨١): رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

(1014) हज़रत उम्मे हानी (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं अपने घर की छत पर लेटी नबी (ﷺ) की क़िराअत सुन लिया करती थी।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي .

(1014) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1349, तिर्मिज़ी: 301, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1086,

फ़ायदा : जब किसी फ़ित्ने या किसी की नमाज़ या आराम में ख़लल का अन्देशा न हो तो क़ुर्आन ऊँची आवाज़ से पढ़ा जा सकता है।

बाब : (82) हुरूफ़ को खींच खींच कर पढ़ना

باب (٨٢): مَدِّ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

(1015) हज़रत क़तादा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत कैसे होती थी? उन्होंने फ़रमाया: आप आवाज़ को खींच खींच कर पढ़ते थे।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا .

(1015) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5045, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1087.

फ़ायदा : ये मतलब नहीं कि बेजा खींचते थे बल्कि जिस हर्फ़ पर मद होती थी उसे लम्बा करके पढ़ते थे। मद वाले हुरूफ़ को खींचने से क़िराअत में सुकून और ठहराव पैदा होता है जिसे तर्तील कहते हैं और ये ज़रूरी है, इससे क़ुर्आने करीम में ग़ौर व फ़िक्र करने का मौक़ा मिलता है। तेज़ तेज़ पढ़ना जिससे सिवाये यअ्लमून और तअ्लमून के कुछ पता न चले, मज़मूम क़िराअत है।

बाब : (83) क़ुर्आन को ख़ूबसूरत और मुज़य्यन आवाज़ से पढ़ना

باب (٨٣): تَزْيِينِ الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ

(1016) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ुर्आन मजीद को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ " .

(1016) **तख़रीज : (सनद सही)** अबू दाऊद, हदीस: 1468, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1088, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, व पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ " . قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ كُنْتُ نَسِيتُ هَذِهِ " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ " . حَتَّى ذَكَّرَنِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ .

(1017) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ुर्आन मजीद को पुर सोज़ आवाज़ से पढ़ा करो।'

रावी हदीस इब्ने औसजा बयान करते हैं कि ये अल्फ़ाज़ (ज़य्यिनुल क़ुर्आन) मैं भूल गया था यहाँ तक कि (मेरे साथी) ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम ने मुझे याद दिलाये।

(1017) **तख़रीज : (सनद सही)** इब्ने माजा, हदीस: 1342, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1089, पिछली हदीस में देखें।

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद को तवज्जा, तसहीह और हुज़ूरे क़ल्ब से पढ़ना कि क़ारी और सामेईन पर इसका मुस्बत (सकारात्मक) असर हो, शरीयत का मतलूब है, अलबत्ता गाने का अन्दाज़ न हो, यानी साज़ की बजाये सोज़ हों पढ़ने और सुनने वाले पर खशियते इलाही तारी हो। दोनों को रोना आये न कि तरब की कैफ़ियत पैदा हो और वाह वाह के नारे बलन्द हों। रियाकारी और तहसीन के लिये पढ़ना मोजिबे अज़ाब है। अआजनल्लाहु मिन्हु। अगर ख़ूबसूरत कलाम को पुर सोज़ और अच्छी आवाज़ से पढ़ा जाये तो ये चीज़ कलाम के हुस्न को मज़ीद चार चाँद लगा देती है जैसा कि हज़रत बराअ बिन आज़िब(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ुर्आने करीम को अपनी आवाज़ों के साथ ख़ूबसूरत बनाओ, इसलिये कि ख़ूबसूरत आवाज़ क़ुर्आन के हुस्न में इज़ाफ़ा करती है।' (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 2/401, हदीस: 771)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا

(1018) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: 'अल्लाह तआला ने कभी किसी आवाज़ की तरफ़ इतनी तवज्जा नहीं दी (ग़ौर से नहीं सुना) जिस क़द्र ख़ूबसूरत आवाज़ वाले नबी की तरफ़ तवज्जा दी जो बलन्द (और पुर सोज़) आवाज़ से

أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ " .

कुर्आन पढ़ता है।'

(1018) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7544, व मुस्लिम: 792/233, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1090.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ख़ूबसूरत आवाज़ वाले नबी' से मुराद कुछ के नज़दीक ख़ुद रसूले अकरम (ﷺ) हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद अम्बिया की जमाअत है। जिन्होंने इससे मुराद सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) लिये हैं, उन्हें वहम हुआ है। (फ़तहुलबारी: 9/87, हदीस: 5023) **(2)** इस हदीसे मुबारका से अल्लाह की सिफ़ते सिमाअ साबित होती है जैसा कि उसकी शान के लायक़ है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَىْءٍ يَعْنِي أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ" .

(1019) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने किसी चीज़ की तरफ़ इतनी तवज्जा नहीं दी जिस क़द्र उस नबी की तरफ़ तवज्जा फ़रमाता है जो पुर सोज़ आवाज़ से कुर्आन पढ़ता है।'

(1019) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5024, व मुस्लिम, 792, पिछली हदीस में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1091.

फ़ायदा : कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तआला की फ़िक्र अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) से भी बढ़ कर है ऐसी अहादीस सुन कर बड़े पैचां व ग़ल्ताँ हो जाते हैं कि 'कान लगाना, ग़ौर करना, तवज्जा फ़रमाना, सुनना, तो अल्लाह तआला की शान के लायक़ नहीं, लिहाज़ा तावील करनी चाहिए। गुज़ारिश है कि इन तावीलात से तो ये अहादीस ही बेमानी हो जाती हैं और अल्लाह तआला अपने अस्मा-ए-हुस्ना ही से महरूम हो जाता है। तुफ़ है ऐसी अक़्ल पर जो अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) को पढ़ाने बैठ जाये। नबी (ﷺ) सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला को जानने वाले थे।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ " لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " .

(1020) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) की क़िराअत सुनी तो फ़रमाया: 'इसे तो दाऊद (عليه السلام) की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी गई है।'

(1020) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1092, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 7152, इब्ने माजा, हदीस: 1341 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत दाऊद (ﷺ) आवाज़ व क़िराअत की ख़ूबसूरती में ज़रबुल मसल बन चुके हैं। क़ुर्आन मजीद में उनकी क़िराअत के साथ पहाड़ों और परिन्दों की क़िराअत का ज़िक्र है, इसलिये नबी (ﷺ) ने हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) की ख़ूबसूरत आवाज़ को हज़रत दाऊद(ﷺ) की आवाज़ के साथ तश्बीह दी। और इसके लिये (मिज़्मार) का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया। (मिज़्मार) के मानी बांसुरी हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि वह बांसुरी के साथ पढ़ते थे बल्कि ये तो सिर्फ़ तश्बीह है कि आवाज़ इस तरह पुर सोज़ और पुर कशिश थी जैसे बांसुरी हो। (2) अच्छी आवाज़ की तारीफ़ करना दुरुस्त है। (3) अच्छी आवाज़ वाले क़ारी की क़िराअत सुनना मुस्तहसन अम्र है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ " لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " .

(1021) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने अबू मूसा (رضي الله عنه) की क़िराअत सुनी तो फ़रमायाः 'बिला शुब्हा इसे तो दाऊद(ﷺ) की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी गई है।'

(1021) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमदः 6/37, 167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1093, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीसः 7151, इब्ने सअदः 2/344.

फ़ायदा : उलमा ने 'आले दाऊद' के लफ़्ज़ में लफ़्ज़ 'आल' को ज़्यादा क़रार दिया है। हदीस नम्बर 1020 का तर्जुमा इसी के मुताबिक़ किया गया है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ " لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " .

(1022) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) की क़िराअत सुनी तो फ़रमायाः 'बिला शुब्हा इसे दाऊद (ﷺ) की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी गई है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 6/167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 1094, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ

(1023) हज़रत यअला बिन मम्लक ने हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत और नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः तुम्हें आपकी नमाज़ से क्या सरोकार?

أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلاَتِهِ قَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ ثُمَّ نَعَتَتْ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

(उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है) फिर उन्होंने आप (ﷺ) की क़िराअत की नक़ल फ़रमाई (उसे बयान किया) तो वह ऐसी क़िराअत थी जिसका एक एक हर्फ़ अलग अलग था (हर आयत और जुम्ले पर वक़्फ़ होता था।)

(1023) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 2923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1095, तिर्मिज़ी, हदीस: 1466.

फ़ायदा : क़िराअत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हर एक लफ़्ज़ अलग अलग समझ में आना चाहिए। हर आयत और जुम्ले पर ठहरना चाहिए ताकि पढ़ते और सुनते वक़्त मानी व मफ़हूम की तरफ़ तवज्जा हो। मानी दिल में नक़्श हों और दिल पर असर हो और नसीहत हासिल हो जो कुर्आन का असल मक़सद है, वरना ख़ाली तज्वीद से तो कोई फ़ायदा न होगा।

باب (٨٤): التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ

बाब : (84) रुकू को जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِي

(1024) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि जब मरवान (गवर्नरे मदीना) ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को मदीने पर (आरज़ी तौर पर) अपना नाइब मुक़र्रर किया तो जब वह (अबू हुरैरह (ﷺ)) फ़र्ज़ नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू करते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू से सर उठाते तो (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। फिर जब सज्दे को जाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब दरम्यानी तशहहुद के बाद दो रकअतों से उठते तो फिर अल्लाहु अकबर कहते। और फिर नमाज़ के इख़्तिताम तक ऐसे ही करते। जब नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो नमाज़ियों की तरफ़ मुतवज्जा होते और फ़रमाते: क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर

نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुशाबेह हूँ।

(1024) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 392/30, बुख़ारी: 803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 1096.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहाब-ए-किराम (ﷺ) के आख़री दौर में नये लोगों ने कुछ सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया था, जिनमें से एक सुन्नत तकबीराते इन्तेक़ाल थी। लोगों ने नमाज़ में तकबीरात कहना छोड़ दी थीं। सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने इस तरफ़ तवज्जा दिलाई। **(2)** अगर कोई सुन्नत मतरूक हो रही हो तो हाकिमे वक़्त को उसे ज़िन्दा करने के लिये कोशिश करनी चाहिए।

باب (٨٥): رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ

बाब : (85) रुकू को जाते वक़्त कानों के बराबर रफ़उल यदैन करना

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

(1025) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा, आप जब तकबीरे तहरीमा कहते और जब रुकू को जाते और जब रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि वह कानों के किनारों के बराबर हो जाते।

(1025) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 881, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1097.

फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) माहे रजबुल मुरज्जब सन 9 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए थे। रफ़उल यदैन के एक और रावी सहाबी-ए-रसूल हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) शव्वालुल मुकर्रम 10 हिजरी में हाज़िर हुए थे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आख़री उम्र तक रफ़उल यदैन फ़रमाते रहे। इस हदीस से अहनाफ़ के दाव-ए-नस्ख़ की तर्दीद होती है। लतीफ़ा ये है कि अहनाफ़ रुकू को जाते और उठते वक़्त के रफ़उलयदैन को तो नहीं मानते जो बहुत क़वी इस्नाद से साबित हैं मगर क़ुनूते वित्र और तकबीराते ईदैन के रफ़उल यदैन के क़ाइल हैं जो नबी (ﷺ) से सही सनद के साथ साबित नहीं। ताज्जुब की बात है कि अगर रफ़उल यदैन मन्सूख़ है तो ये दो क्यूँ न मन्सूख़ हुए? आख़िर तफ़रीक़ की कोई वजह? जो ऐतराज़ाते रुकू के रफ़उल यदैन पर किये जाते हैं, क्या वह क़ुनूत के रफ़उल यदैन पर वारिद नहीं होते? रफ़उल यदैन मन्सूख़ भी है, नमाज़ के सुकून के मुनाफ़ी भी है मगर शुरू नमाज़ में, दौराने नमाज़ क़ुनूते वित्र में और ईदैन की तकबीरात में बार

बार किये भी जा रहे हैं? सिर्फ़ रुकू का रफ़उल यदैन ही इतना क़बीह है कि इस पर ऐतराज़ात भी हैं और वह मना भी है? क्या सिर्फ़ रुकू के रफ़उलयदैन के नस्ख़ की कोई माक़ूल वजह है? या तो सबको ख़त्म करो या इन्हें भी मानो। या उलिल अल्बाब! (मज़ीद बहस के लिये देखिये फ़वाइद हदीस़ नम्बर: 877)

बाब : (86) रुकू को जाते वक़्त कंधों के बराबर रफ़उल यदैन करना

رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

(1026) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब आप नमाज़ शुरू फ़रमाते और जब रुकू को जाते और जब रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर करते।

(1026) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस़: 879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1098, मुस्लिम, हदीस़: 290.

बाब : (87) रुकू का रफ़उल यदैन न करने का ज़िक्र

باب (٨٧): تَرْكِ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ .

(1027) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में न बताऊं? फिर आप उठे (नमाज़ शुरू की) पहली दफ़ा रफ़उल यदैन किया, फिर न किया।

(1027) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 748, 751, तिर्मिज़ी, हदीस़: 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 1099.

फ़ायदा : ये रिवायत रुकू के रफ़उल यदैन के नस्ख़ की दलील के तौर पर पेश की जाती है, मगर यहाँ चन्द बातें क़ाबिले ग़ौर हैं। **(1)** इस रिवायत में रुकू के रफ़उल यदैन का ज़िक्र ही नहीं तो मन्सूख़ कैसे? अगर कहा जाये: 'फिर न किया' से ये मफ़हूम अख़ज़ होता है तो अर्ज़ है कि क़ुनूते वित्र का रफ़उल यदैन इससे कैसे बच गया? तकबीराते ईदैन क्यूँ इसकी ज़द में न आईं? **(2)** इस रिवायत की इस्नादी हैसियत इतनी

क़वी नहीं जितनी रफ़उल यदैन के सबूत की अहादीस की है। इस हदीस को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है जब कि रफ़उल यदैन करने की बुख़ारी और मुस्लिम की मुस्तनद रिवायात हैं। फिर वह तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। क्या इब्ने मसऊद (ﷺ) से मरवी एक ज़ईफ़ रिवायत लेकर कसीर सहाबा की रिवायात छोड़ना किसी भी लिहाज़ से मुनासिब है? तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 13/50-52) **(3)** कसीर सहाब-ए-किराम (ﷺ) से रफ़उल यदैन करने का सबूत मिलता है जबकि उनसे इसकी नफ़ी मन्क़ूल है। किसको तर्जीह होनी चाहिए? यक़ीनन उसूली तौर पर इस्बात नफ़ी पर मुक़द्दम होता है। या मुमकिन है इब्ने मसऊद (ﷺ) भूल गये हों जिस तरह वह चन्द बातें और भूल गये थे, जैसे: मुअव्विज़तैन क़ुर्आन का जुज़ हैं या नहीं? और इमाम के साथ दो मुक़्तदी हों तो कैसे खड़े हों? रुकू के दौरान में हाथ कहाँ और कैसे रखे जायें? इन मसाइल में अहनाफ़ भी उनकी बात नहीं मानते। तो क्या मुनासिब नहीं कि रफ़उल यदैन को भी इन मसाइल में शामिल कर लिया जाये क्योंकि उनका मौक़िफ़ कसीर सहाबा के मुवाफ़िक़ नहीं। **(4)** इस हदीस की मुनासिब तावील भी हो सकती है, जैसे: पहली रकअत के शुरू में रफ़उल यदैन किया। दूसरी रकअत के शुरू में नहीं किया। ईद की तरह बार बार नहीं किया वग़ैरह, ताकि ये रिवायत असह और कसीर रिवायात के मुताबिक़ हो सके। **(5)** अगर बिलफ़र्ज़ इस हदीस को सही भी माना जाये, तावील भी न की जाये और अमल भी किया जाये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कभी कभार रफ़उल यदैन न भी किया जाये तो कोई हर्ज नहीं। मामूल रफ़उल यदैन ही का होता कि सब हदीसों पर अमल हो। इस रिवायत से नस्ख़ तो क़तअन साबित नहीं होता। ऊपर दी गई माक़ूल बातों को छोड़ कर नस्ख़ ही बावर कराने पर तुले रहना, जब कि मौलाना अनवर शाह कशमीरी ने भी नस्ख़ की तर्दीद की है, यक़ीनन इन्तेहाई ना'माक़ूलियत है जिसका कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता।

बाब : (88) रुकू में कमर को सीधा रखना

إِقَامَةُ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ

(1028) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह नमाज़ नहीं होती जिसमें इन्सान रुकू और सज्दे के दौरान में अपनी पुश्त को सीधा न रखे।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .

(1028) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 855, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1100, तिर्मिज़ी, हदीस: 265, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 291, 592, 666, व इब्ने हिब्बान (मवारिद) हदीस: 501, 502.

फ़ायदा : पुश्त या कमर सीधा करने या रखने से मुराद रुकू और सज्दे में इत्मिनान करना है जो हदीस

की रू से वाजिब है मगर अहनाफ़ की अक्सरियत इसे ज़रूरी नहीं समझती, इसलिये कि लुग़त में रुकू और सज्दे के मानी में इत्मिनान नहीं लिखा। क्या उन हज़रात से ये पूछा जा सकता है कि नमाज़ क़ुर्आन व सुन्नत से माख़ूज़ है या लुग़त से? ताज्जुब नहीं कि लुग़त लिखे तो वाजिब, हदीस में आये तो ग़ैर वाजिब? अस्तग़्फ़िरुल्लाह! इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन!

बाब : (89) रुकू में ऐतदाल

باب (٨٩): الاِعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ " .

(1029) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रुकू और सज्दे में ऐतदाल रखो। तुममें से कोई आदमी कुत्ते की तरह अपने बाज़ू न फैलाये।'

(1029) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 532, 822, व मुस्लिम, हदीस: 493/233.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इफ़रात व तफ़रीत किसी काम में भी अच्छी नहीं बल्कि ऐतदाल और म्यानारवी ही दुरुस्त है। नमाज़ में भी ऐतदाल ज़रूरी है। रुकू में ऐतदाल ये है कि सर को पुश्त से ऊँचा करे, न नीचा। बाज़ूओं और टाँगों को बिलकुल सीधा कस कर रखे। हाथों को घुटनों पर पकड़ने के अन्दाज़ में रखे और सज्दे में ऐतदाल ये है कि खुला सज्दा करे। बाज़ूओं को न तो बिल्कुल सिकुड़ कर पहलूओं से लगाये और न ज़मीन पर रखे और न रानों पर। पेट को भी रानों से उठा कर रखे। बाज़ू मुनासिब हद तक बाहर को निकले हुए हों। अगर सफ़ के अन्दर हो तो गुंजाइश के मुताबिक़ ही बाज़ू खोले ताकि साथियों को तकलीफ़ न हो। हथेलियों को सीधा क़िब्ला रुख़ ज़मीन पर रखे। **(2)** कुत्ते की तरह बाज़ू फैलाने का मतलब ये है कि हथेलियों के साथ साथ कुहनियों को भी ज़मीन पर रख दे। ये मना है। नमाज़ के दौरान में किसी भी जानवर की मुशाबिहत बहुत बुरी बात है, जैसे: ऊँट की तरह सज्दे को जाना या उठना। दो सज्दों के दरम्यान कुत्ते की तरह बैठना की पाँव मक़अद और हाथ ज़मीन पर रखे हों और घुटने खड़े हों, ये सब मम्नूअ (मना) हैं।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب التطبيق

रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान

बाब : (1)
रुकू के दौरान में तत्बीक़ करना

باب (١): التطبيق

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلاَءِ قُلْنَا نَعَمْ . فَأَمَّهُمَا وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ . قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1030) हज़रत अल्क़मा और अस्वद से मरवी है कि हम दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) के घर में उनके साथ थे तो उन्होंने फ़रमाया: क्या ये लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं? हमने कहा: जी हाँ। तो उन्होंने हम दोनों को बग़ैर अज़ान और इक़ामत के नमाज़ पढ़ाई और हमारे दरम्यान खड़े हो गये और फ़रमाया: जब तुम तीन आदमी हो तो इसी तरह किया करो और जब तुम तीन से ज़्यादा हो तो फिर तुममें से एक (इमाम आगे खड़ा होकर) जमाअत कराये और (रुकू में) अपने बाज़ू रानों पर बिछा कर (दोनों हाथ एक दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान) रख ले। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की उँगलियों को एक दूसरी में फँसी हुई देख रहा हूँ।

(1030) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें हदीस: 720, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 617.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में फँसा कर हाथों को घुटनों के दरम्यान रखना तत्बीक़ कहलाता है। बहस आगे आ रही है। **(2)** रुकू के बयान में ये रिवायत बहुत मुख़्तसर है। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत तफ़्सील से आई है। तर्जुमे में इस रिवायत को सामने रखा गया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 534) **(3)** दो मुक़्तदियों की सूरत में इमाम कैसे खड़ा हो, ये मसला पीछे किताबुल इमामा के इब्तिदाइये में गुज़र चुका है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالاَ صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ فَقَامَ بَيْنَنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَنَزَعَهَا فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

(1031) हज़रत अस्वद और अल्क़मा से रिवायत है कि हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के साथ उनके घर में नमाज़ पढ़ी। आप हमारे दरम्यान खड़े हुए (रुकू में) हमने अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लिये। उन्होंने हमारे हाथों को घुटनों से हटा दिया और एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में फँसा दिया। और (रानों के दरम्यान रखवाया) फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

(1031) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 721, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 619.

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَرَكَعَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ .

(1032) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें नमाज़ सिखाई। फिर अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) उठे और अल्लाहु अकबर कहा। जब रुकू करने का इरादा किया तो अपने हाथों की उँगलियों को एक दूसरे में फँसा कर हाथों को घुटनों के दरम्यान रख लिया। ये बात हज़रत सअद (ﷺ) को पहुँची तो उन्होंने फ़रमाया: मेरे भाई (इब्ने मसऊद) ने सच कहा मगर हम ये काम पहले किया करते थे, फिर (रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से) हमें घुटने पकड़ने का हुक्म दिया गया।

(1032) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:747, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 620.

फ़ायदा : इस तरीक़े को तत्बीक़ कहते हैं जो कि मन्सूख़ है। हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) को पता न चला, इसलिये वह ये करते थे मगर फुक़हा-ए-उम्मत में से किसी ने उनकी ये बात तस्लीम नहीं की यहाँ तक कि अहनाफ़ ने भी जो कि उमूमन उनकी बात रद्द नहीं करते।

बाब : (1) तत्बीक़ की मन्सूख़ी

باب(۱): نَسْخِ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ لِي اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ . قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ .

(1033) मुसअब बिन सअद से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया: मैंने अपने वालिद के पहलू में नमाज़ पढ़ी और मैंने अपने हाथ अपने घुटनों के दरम्यान रख लिये तो वालिद मोहतरम ने मुझसे कहा: अपने हाथ अपने घुटनों पर रखो। मैंने एक दफ़ा फिर इसी तरह किया तो उन्होंने मेरे हाथ पर मारा और फ़रमाया: यक़ीनन हमें इस काम से रोका गया है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम हाथ घुटनों पर रखें।

(1033) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 535, बुख़ारी, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 621.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَقَالَ أَبِي إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ .

(1034) हज़रत मुसअब बिन सअद से मरवी है उन्होंने फ़रमाया: मैंने रुकू में तत्बीक़ की तो मेरे वालिद मोहतरम ने फ़रमाया: ये काम हम पहले किया करते थे, फिर हमें घुटनों के ऊपर हाथ रखने के लिये कहा गया।

(1034) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 622.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शरीयत में नस्ख़ जायज़ है, यानी पहले एक काम करने का हुक्म दिया गया और बाद में उसे दूसरे हुक्म के ज़रिये से मन्सूख़ कर दिया गया। **(2)** तत्बीक़ मन्सूख़ है। **(3)** हाथ घुटनों पर रखना मशरूअ है। **(4)** दौराने नमाज़ में आदमी को बतलाया जा सकता है कि ऐसे न करो बल्कि सुन्नत तरीक़ा इस तरह है। **(5)** हस्बे इस्तेताअत मुन्कर को हाथ से रोकना चाहिए।

बाब : (2) रुकू में घुटनों को पकड़ना

الإِمْسَاكِ بِالرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ

(1035) हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि तुम्हारे लिये घुटनों को पकड़ने का तरीक़ा राइज

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ .

किया गया है, लिहाज़ा घुटनों को पकड़ा करो।

(1035) तख़रीज : (सनद सही) अबी दाऊद अत्तयालिसी, सफ़ा: 12, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 623.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّمَا السُّنَّةُ الأَخْذُ بِالرُّكَبِ .

(1036) हज़रत उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं (रुकू में) घुटनों को पकड़ना सुन्नत है।

(1036) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 624.

फ़ायदा : सहाबी का किसी काम को यक़ीन के साथ सुन्नत कहना रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअल के बराबर हैसियत रखता है और इसे मरफ़ूअे हुक्मी कहा जाता है। मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में सुन्नत से मुराद, सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) है।

باب (٣): مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

बाब : (3) रुकू में हथेलियों की जगह

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ .

(1037) हज़रत सालिम बयान करते हैं कि हम हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) के पास गये और उनसे गुज़ारिश की कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ बयान कीजिये। आप हमारे आगे खड़े हो गये और अल्लाहु अकबर कहा। जब आपने रुकू किया तो अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखीं और उँगलियाँ उससे नीचे रखीं और अपनी कुहनियों को पहलूओं से दूर रखा यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) सीधा और दुरुस्त हो गया। फिर समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा और खड़े हो गये यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) सीधा और दुरुस्त हो गया।

(1037) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 863, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 624, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 598, वल हाकिम: 1/224.

बाब : (4)
रुकू में हाथों की उँगलियों की जगह

باب (۴): مَوَاضِعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَلاَ أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى . فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا .

(1038) हज़रत सालिम से रिवायत है कि हज़रत उ़क़्बा बिन अ़म्र (ﷺ) ने कहा: क्या मैं तुम्हारे सामने उस तरह नमाज़ न पढ़ूँ जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पढ़ते देखा है? हमने कहा: क्यूं नहीं! आप खड़े हुए। जब रुकू किया तो अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखीं और अपनी उँगलियों को घुटनों से नीचे रखा और अपनी बग़लों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर रखा) यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) सीधा और दुरुस्त हो गया (अपनी जगह पर जम गया) फिर आपने अपना सर उठाया और खड़े हो गये यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) सीधा हो गया। फिर आपने सज्दा किया और अपनी बग़लों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर रखा) यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) (अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर बैठे यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) (अपनी जगह पर ठहर गया। फिर सज्दा किया यहाँ तक कि हर अज्व (अंग) (अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर आपने चारों रकआत में इसी तरह किया। फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा है और आप हमें इसी तरह नमाज़ पढ़ाते थे।

(1038) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 625.

बाब : (5)
रुकू में बाज़ूओं को पहलू से दूर रखना

باب(٥): التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ

(1039) हज़रत सालिम बर्राद से रिवायत है, हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) ने कहा: क्या मैं तुम्हें न दिखाऊं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कैसे नमाज़ पढ़ते थे? हमने कहा: हाँ, ज़रूर! आप खड़े हुए और अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रुकू किया तो अपनी बग़लों को ख़ूब खोला यहाँ तक कि जब आपका हर अज्व (अंग) (अपनी जगह पर) जम गया तो आपने अपना सर उठाया। फिर चारों रकआत इसी तरह पढ़ीं और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा है।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَلاَ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قُلْنَا بَلَى . فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي .

(1039) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 626.

बाब : (6) रुकू में ऐतदाल करना

باب(٦): الاِعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ

(1040) हज़रत अबू हुमैद साइदी (ﷺ) फ़रमाते हैं: नबी (ﷺ) जब रुकू फ़रमाते तो मियानारवी इख़्तियार फ़रमाते, यानी न तो अपना सर बहुत नीचे झुकाते और न उसे ऊपर उठाते (बल्कि पुश्त के बराबर रखते) और आप अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ .

(1040) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 627, तिर्मिज़ी, हदीस: 304, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, बुख़ारी वग़ैरहुम.

बाब : (7)
रुकू में क़ुर्आन मजीद पढ़ने की मुमानिअ़त

النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا .

(1041) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे नबी (ﷺ) ने क़स्सी और रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठी पहनने से रोका है और इस बात से भी कि मैं रुकू की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ूँ।

(1041) तख़रीज : (सनद सही) अल बज़्ज़ार, हदीस: 2/178, हदीस: 554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 628, अबू दाऊद, हदीस: 4050..

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़स्सी कपड़े से मुराद क़स्स (मिस्र की एक बस्ती) में बनाये गये कपड़े हैं जिनमें रेशमी पट्टियाँ होती थीं या जिनका ताना रेशम से होता था और बाना सूती। चूंकि इसमें रेशम काफ़ी मिक़्दार में होता था, लिहाज़ा इससे भी मना फ़रमा दिया, अलबत्ता अगर एक आध पट्टी रेशम की हो तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: सिर्फ़ हाशिया रेशम का हो। **(2)** हरीर से मुराद ख़ालिस रेशमी कपड़ा है। वह तो बदर्ज-ए-औला मना है। **(3)** रेशमी कपड़ा और सोना पहनने की मुमानिअ़त सिर्फ़ मर्दों के लिये है। औरतों के लिये रेशम और सोना पहनना जायज़ है। हज़रत अबू मूसा (ﷺ) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल कर दिया गया है और मर्दों पर हराम।' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 1720, व सुनन नसाई, हदीस: 5151)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ .

(1042) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे नबी (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने, रुकू में क़िराअते क़ुर्आन करने, क़स्सी और मुअ़स्फ़र (ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का कपड़ा) पहनने से मना किया है।

(1042) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 480/213, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 629, देखें हदीस: 1119.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब सोने की अंगूठी मना है तो सोने के दीगर ज़ेवरात बदर्ज-ए-औला मना हैं। **(2)** मुअ़स्फ़र कुसुम्बे के रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी औरतों के लिये जायज़ है, मर्दों के लिये

नहीं वरना औरतों से मुशाबिहत होगी। फिर इसमें साधूओं के साथ भी मुशाबिहत होगी। मर्द ज़ीनत की बजाये वक़ार का ज़्यादा लिहाज़ रखें।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .

(1043) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुझे ..... मैं नहीं कहता कि तुम्हें ..... सोने की अंगूठी, क़स्सी कपड़े, ख़ालिस और इन्तेहाई सुर्ख़ और ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के कपड़े पहनने और रुकू में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(1043) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 630, इब्ने माजा, हदीस: 3601.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मैं नहीं कहता कि तुम्हें' हज़रत अली (ﷺ) का मतलब सिर्फ़ ये है कि नबी (ﷺ) ने मुझसे ख़ुसूसन मुख़ातिब होकर ये लफ़्ज़ फ़रमाये थे और कोई उस वक़्त मौजूद न था और मैंने जिस तरह नबी (ﷺ) से सुना है, बऐनिही (बिल्कुल) उसी तरह बयान कर रहा हूँ। ये मतलब नहीं कि ये हुक्म सिर्फ़ मेरे लिये है, तुम्हारे लिये नहीं, बल्कि ये हुक्म हर मुसलमान के लिये है जैसा कि दीगर सरीह रिवायात से साबित है। **(2)** 'मुफ़द्दम' ख़ालिस और इन्तेहाई सुर्ख़। गोया अगर सुर्ख़ धारियाँ हों बाक़ी रंग कोई और हो या हल्का सुर्ख़ हो (जो औरतें उमूमन नहीं पहनतीं) तो वह जायज़ है जैसा कि कई रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुर्ख़ हुल्ला पहनते थे। गोया वह धारीदार था।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ .

(1044) हज़रत अली (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़स्सी और मुअस्फ़र (ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का) कपड़ा और सोने की अंगूठी पहनने और रुकू में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(1044) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 480/213, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 631.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .

(1045) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ)ने क़स्सी, ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के कपड़े और सोने की अंगूठी पहनने और रुकू में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(1045) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मौता: 1/80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 632.

بَاب(٨): تَعْظِيمِ الرَّبِّ فِي الرُّكُوعِ

बाब : (8) रुकू में रब तआला की अज़मत बयान करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ - ثُمَّ قَالَ - أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " .

(1046) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने (दरवाज़े का) पर्दा हटाया जब कि लोग हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पीछे सफ़ें बाँधे हुए थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! नबूवत से मख़सूस ख़ूशख़बरी देने वाली चीज़ों में से अब नेक और सच्चे ख़्वाब ही रह गये हैं जो कोई मुसलमान ख़ुद देख ले या उसके लिये किसी और को नज़र आये।' फिर फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुझे रुकू या सज्दे की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से रोका गया है, चुनांचे रुकू में रब तआला की अज़मत बयान करो और सज्दे में दुआ माँगने की कोशिश करो (पूरा ज़ोर लगा दो क्योंकि) सज्दे में दुआ क़बूलियत के ज़्यादा लायक़ है।'

(1046) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 633.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये इरशादात रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते मुबारका के आख़री दिन के हैं। **(2)** नबी को तो ख़ूशख़बरी वहि के ज़रिये से भी दी जा सकती है मगर उम्मतियों को सिर्फ़ ख़्वाब या कभी कभार इल्हाम के ज़रिये से ही ख़ूशख़बरी दी जा सकती है। चूंकि आपकी वफ़ात क़रीब थी, वहि

का इन्क़िताअ होने ही वाला था, इसलिये यूँ इरशाद फ़रमाया। (3) रुकू में अज़मत का बयान और तस्बीह ज़्यादा मुनासिब हैं, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ज़्यादा तवज्जा दी जाये। सज्दे में दुआ का मौक़ा है क्योंकि ये इन्सान के तज़ल्लुल व ख़ुशूअ और आजिज़ी की इन्तेहाई सूरत है नमाज़ के अरकान में से मक़सूदे आज़म है, लिहाज़ा सज्दे में पूरी कोशिश और तन्दही से ख़ूब दुआ की जाये। अगरचे सज्दा तस्बीह का भी महल है।

बाब : (9) रुकू का ज़िक्र

باب (٩): الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

(1047) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने रुकू फ़रमाया तो अपने रुकू में (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) 'पाक है मेरा अज़मतों वाला रब।' और सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा बलन्द व बाला रब।' पढ़ा।

(1047) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 1009, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 634.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى".

फ़ायदा : एक और रिवायत में ये तस्बीहात कम अज़ कम तीन दफ़ा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। आख़िर में है कि ये कम अज़ कम रुकू व सुजूद है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ हैं देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 155) सही रिवायत में बजाये हुक्म के रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़ाती फ़ेअल मन्क़ूल है। देखिये: (सहीह अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 828) लिहाज़ा कम अज़ कम सज्दे में तीन तस्बीहात अफ़ज़ल हैं, ज़रूरी नहीं। और ताक़ की क़ैद के बग़ैर तीन से ज़्यादा तस्बीहात भी कही जा सकती हैं। इसकी दलील रसूलुल्लाह(ﷺ) की वह अहादीस़ हैं जिनमें आपके क़याम, रुकू और सज्दे की यकसां मिक़्दार बताई गई है।

बाब : (10) रुकू में एक और क़िस्म का ज़िक्र (तस्बीह)

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

(1048) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने रुकू और सज्दे में अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे: (सुब्हानक रब्बना व

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَيَزِيدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " .

बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़्फ़िर्ली) 'ऐ हमारे रब! तू हर क़िस्म के नक़ाइस व उयूब से पाक है और हर क़िस्म की तारीफ़ों का मुस्तहिक़ है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा दे।'

(1048) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 794, मुस्लिम, हदीस: 484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 135.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी उम्मत को तालीम देने के लिये ये दुआएँ पढ़ते थे वरना आप तो गुनाहों से मासूम थे।

باب (۱۱): نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ

बाब : (11)एक और क़िस्म की तस्बीह

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ".

(1049) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) रुकू में (सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूहि) 'बहुत पाक है, मुनज़्ज़ह है फ़रिश्तों और रूह (जिब्रईल अमीन) का रब।' पढ़ा करते थे।

(1049) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 487/224, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 136.

फ़ायदा : रूह से क्या मुराद है? कहा जाता है कि जिब्रईल (ؑ) या फ़ररिश्तों से बाला एक मख़्लूक़ जो फ़रिश्तों को देखती है, फ़रिश्ते उसको नहीं देखते या अर्वाहे इन्सानिया। लेकिन क़ुआनि करीम से इसकी सराहत होती है कि इससे मुराद जिब्रईल अमीन ही हैं कि उनके शर्फ़ व मर्तबत की बिना पर बतौर ख़ास फ़रिश्तों के बाद अलग ज़िक्र किया। इरशादे बारी तआला है: 'इस (क़ुर्आन) को अमानतदार फ़रिश्ता लेकर उतरा है।' (अश्शुअ़रा: 26/193)

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

बाब : (12) रुकू में एक और ज़िक्र

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي النَّسَائِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ -

(1050) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक रात नमाज़ में खड़ा हुआ। जब आपने रुकू फ़रमाया तो सूरह बक़र: के बक़द्र रुकू में ठहरे रहे और पढ़ते रहे:

عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، - وَهُوَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ - قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " .

(सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल्किब्रियाइ वलअज़मति) 'पाक है अज़ीमुश्शान ग़ल्बे और बड़ी बादशाहत वाला और बेइन्तेहा बुज़ुर्गी (बड़ाई) और अज़मत वाला रब।'

(1050) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 873, देखें हदीस: 1131.

باب (١٣): نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ

बाब : (13) एक और क़िस्म का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي " .

(1051) हज़रत अली बिन अबू तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रुकू फ़रमाते तो यूँ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा! लक रकअ्तु ...... व अ़सबी) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे सामने झुका, अपने आपको तेरे सुपुर्द किया और तुझ पर ईमान लाया। मेरे कान, आँखें, हड्डियाँ, मग़ज़ और पट्ठे सब तेरे सामने इज़्ज़ो न्याज़ ज़ाहिर करते हैं।'

(1051) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 771/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 637.

باب (١٤): نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (14) एक मज़ीद ज़िक्र

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ

(1052) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) जब रुकू फ़रमाते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लक रकअ्तु .... रब्बल आलमीन) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे सामने झुका, तुझ पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे सुपुर्द किया

إِذَا رَكَعَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

और तुझी पर भरोसा किया। तू मेरा रब है। मेरे कानों, आँखों, ख़ून, गोश्त, हड्डियों और पट्ठों ने अल्लाह (ﷻ) के सामने इज्ज़ो न्याज़ ज़ाहिर किया जो तमाम जहानों का पालने वाला है।'

(1052) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 638.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا يَقُولُ إِذَا رَكَعَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " .

(1053) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नफ़्ल नमाज़ में खड़े होते तो रुकू के दौरान में यूँ अर्ज़ परदाज़ होते: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे लिये झुका, तुझे, माना, तेरा फ़रमांबरदार बना और तुझ पर भरोसा किया। तू मेरा रब है। मेरे कान, आँखें, गोश्त, ख़ून, मग़्ज़ और पट्ठे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ी और तवाज़ोअ करते हैं।'

(1053) **तख़रीज : (सनद सही)** तबरानी फ़िल्कबीर: 19/232, 232, हदीस: 515, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 639, देखें हदीस: 897.

फ़ायदा : इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ से मक़सूद कामिल ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का इज़्हार है। ख़ुशूअ अगरचे क़ल्बी कैफ़ियत का नाम है मगर इसका इज़्हार आज़ा-ए-ज़ाहिरा ही से होता है। रुकू और सुजूद के दौरान में न सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ विर्दे ज़बान होने चाहिए बल्कि वाक़िअतन हर अज़्व (अंग) ज़ाहिरन भी बारी तआला के हुज़ूर सरापा इज़्ज़ो न्याज़ बना नज़र आये। कान और आँख नमाज़ में किसी और चीज़ की तरफ़ मुतवज्जा न हों। सर और हाथ पाँव ढीले और नर्म हों। उनमें बेन्याज़ी और फ़ख़्र न पाया जाये।

الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

बाब : (15) रुकू में ज़िक्र और तस्बीह छोड़ने की रूख़सत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ

(1054) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (رضي الله عنه), जो बदरी सहाबी हैं, से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे कि एक आदमी मस्जिद में आया और उसने नमाज़ पढ़ी।

رَافِعٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ وَلاَ يَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . قَالَ لاَ أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِي وَأَرِنِي . قَالَ " إِذَا أَرَدْتَ الصَّلاَةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلاَتِكَ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे देखते रहे जब कि उसे इल्म न था। फिर वह (नमाज़ से) फ़ारिग़ हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और आपको सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया, फिर फ़रमाया: 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' न मालूम दूसरी या तीसरी दफ़ा उसने कहा: क़सम है उस ज़ात की जिसने आप पर किताब उतारी! मैंने तो पूरी कोशिश से नमाज़ पढ़ी है। मुझे सिखला दीजिये और बतला दीजिये आपने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ का इरादा करे तो वुज़ू कर और अच्छी तरह वुज़ू कर। फिर खड़ा हो और क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर। फिर अल्लाहु अकबर कह। फिर क़ुर्आन मजीद पढ़। फिर रुकू कर यहाँ तक कि इत्मिनान से रुकू कर लें फिर सर उठा यहाँ तक कि तू सीधा खड़ा हो जाये। फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर ले। फिर सर उठा यहाँ तक कि इत्मिनान से बैठ जाये। फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर ले। जब तू (हर रकअत में) ये कर लेगा तो अपनी नमाज़ अदा कर लेगा और जिस क़द्र तू इसमें कमी करेगा, अपनी नमाज़ में कमी करेगा।'

(1054) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 858, व इब्ने माजा: 460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 640, व सहीह हाकिम: 1/241, 242, तिर्मिज़ी, हदीस: 302.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि रुकू और सज्दे में तस्बीहात फ़र्ज़ नहीं हैं क्योंकि इस हदीस में उनका ज़िक्र नहीं। अगर इत्तेफ़ाक़न या भूल से रह जायें तो नमाज़ हो जायेगी, अलबत्ता जानबूझकर न छोड़ी जायें लकिन अहले इल्म ने सज्दे और रुकू की तस्बीहात पर बिनाये दलील वाजिब क़रार दी हैं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 631) और अदमे ज़िक्र अदमे वजूद को मुस्तलज़िम

नहीं। जिस शख़्स से तस्बीहात इत्तेफ़ाक़न या भूल से रह जायें, वह नमाज़ के आख़िर में सुजूदे सह्व करेगा। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) **(2)** मज़्कूरा हदीस़ में आपने फ़राइज़ और वाजिबात बतलाये हैं या वह चीज़ें ज़िक्र की हैं जो वह शख़्स सही अदा नहीं करता था जिसकी वजह से उसकी नमाज़ न होती थी। इस रिवायत की रू से भी रुकू, सज्दे, क़ौमे और जल्से में इत्मिनान ज़रूरी है। अइम्म-ए-अहनाफ़ में से इमाम अबू यूसुफ़ (رحمه الله) इसके क़ाइल हैं, दीगर अहनाफ़ इत्मिनान को ज़रूरी नहीं समझते जबकि हदीस़ उनके मौक़िफ़ का रद्द करती है। **(3)** इस हदीस़ के दूसरे तरीक़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का स़रीह हुक्म है, लिहाज़ा यहाँ क़ुर्आन मजीद से मुराद सूरह फ़ातिहा ही है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 859) **(4)** 'नमाज़ में कमी करेगा।' ये अल्फ़ाज़, इब्तेदाई अल्फ़ाज़ 'तूने नमाज़ नहीं पढ़ी' के मुक़ाबले में नर्म हैं मगर अक्सर चीज़ों का तर्क, नमाज़ न होने को मुस्तलज़िम है। मज़ीद फ़वाइद व मसाइल के लिये देखिये: (हदीस़: 885)

बाब : (16) रुकू मुकम्मल करने का हुक्म

باب (١٦): الأَمْرِ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ

(1055) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम रुकू और सज्दा करो तो रुकू और सुजूद मुकम्मल किया करो।

(1055) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 641, बुख़ारी, हदीस़: 742, हदीस़: 6644, व मुस्लिम, हदीस़: 425/110.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुकम्मल करने से मुराद ऐतदाल, इत्मिनान और तस्बीहात व अज़्कार का पढ़ना है जिनकी तफ़्सील साबिक़ा अहादीस़ में गुज़र चुकी है। **(2)** इमाम को गाहे गाहे नमाज़ के अहकाम की तल्क़ीन करते रहना चाहिए, ख़ुसूसन जब मुक़्तदी अरकाने नमाज़ सही तरीक़े से अदा न कर रहे हों।

बाब : (17) रुकू से उठते वक़्त रफ़उल यदैन करना चाहिए

رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

(1056) हज़रत वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो देखा कि आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते या रुकू को जाते या समिअल्लाहुलिमन हमिदा

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي

أَبِي قَالَ، صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . هَكَذَا وَأَشَارَ قَيْسٌ إِلَى نَحْوِ الأُذُنَيْنِ .

कहते तो इस तरह रफ़उल यदैन करते। (रावि-ए-हदीस़) क़ैस ने कानों की तरफ़ इशारा किया, यानी कानों तक।

(1056) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 10, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 642.

फ़ायदा : रफ़उल यदैन की बहस़ अहादीस़ 1025, 1026, 1027 में तफ़सीलन गुज़र चुकी है। ये क़तअन सुन्नत है।

رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

बाब : (18) रुकू से उठते वक़्त कानों के किनारों के बराबर रफ़उल यदैन करना

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ " .

(1057) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷻ) से रिवायत है, उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा आप जब रुकू फ़रमाते या रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के किनारों के बराबर ले जाते।

(1057) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 881, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 643.

رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

बाब : (19) रुकू से उठते वक़्त कंधों के बराबर रफ़उल यदैन करना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

(1058) हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर उठाते और जब रुकू से सर उठाते तो फिर उसी तरह करते और जब (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो (रब्बना लकल हम्द) कहते और आप सज्दों के

فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". قَالَ " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ". وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

दरम्यान (सज्दे से उठते और सज्दे को जाते वक़्त) रफ़उल यदैन नहीं करते थे।

(1058) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 644.

باب(٢٠): الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

बाब : (20)
इस मौक़े पर रफ़उल यदैन करने का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً .

(1059) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ जैसी नमाज़ न पढ़ाऊं? तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और एक दफ़ा से ज़्यादा रफ़उल यदैन न किया।

(1059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें हदीस: 1027, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 645.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। मज़ीद देखिये, हदीस: 1027.

باب(٢١): مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

बाब : (21)
जब इमाम रुकू से सर उठाये तो क्या पढ़े?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

(1060) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते और जब रुकू की तकबीर कहते और जब रुकू से अपना सर उठाते तो फिर उन्हें इस तरह उठाते और कहते (समिअल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) और आप सज्दे में रफ़उल यदैन नहीं करते थे।

(1060) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 646.

(1061) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब रुकू से सर उठाते तो (अल्लाहुम्मा! रब्बना वलकल हम्द) कहते।

(1061) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 647, बुख़ारी, हदीस: 803, व मुस्लिम, हदीस: 392.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

फ़ायदा : मालूम हुआ कि इमाम रुकू से उठे तो (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा) भी कहे और (रब्बना वलकल हम्द) भी। इसी तरह अकेला नमाज़ पढ़ने वाला भी दोनों जुम्ले कहें इमाम मालिक (رحمه الله) इमाम के लिये (रब्बना वलकल हम्द) कहने के क़ाइल नहीं। उनका ख़्याल है कि ये (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा) का जवाब है, लिहाज़ा ये जुम्ला सिर्फ़ मुक़्तदी कहेंगे और इमाम सिर्फ़ (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा) कहेगा मगर ये सरीह अहादीस के ख़िलाफ़ है। इस क़िस्म की मुनासिबात वहाँ तलाश की जाती हैं जहाँ नस्स (सरीह क़ुर्आन व हदीस) मज़्कूर न हो।

बाब : (22)
(रुकू से उठ कर) मुक़्तदी क्या करे?

باب (٢٢): مَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ

(1062) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) घोड़े से दायें पहलू पर गिर पड़े तो सहाबा बीमारपुर्सी के लिये आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए। नमाज़ का वक़्त हो गया। जब आपने नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमाया: 'इमाम इसलिये होता है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब वह सर उठाये तो तुम भी सर उठाओ और जब (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना वलकल हम्द) कहो।'

(1062) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 795, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 648.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुम्हूर अहले इल्म ने इससे इस्तेदलाल किया है कि मुक़्तदी सिर्फ़ (रब्बना

वलकल हम्द) कहे। इमाम शाफ़ेई का ख़्याल है कि मुक़्तदी को (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा) भी कहना चाहिए ताकि इमाम की इक़्तेदा हो जाये, फिर (रब्बना वलकल हम्द) कहे। बज़ाहिर यही मौक़िफ़ राजेह है क्योंकि मज़्कूरा हदीस़ में (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा) पढ़ने की नफ़ी नहीं। बल्कि इसमें तो (रब्बना वलकल हम्द) के महल का तअय्युन है। मक़सद ये है कि मुक़्तदी इमाम के समिअ़ल्लाह के साथ या उससे पहले ये कलिमात न कहे बल्कि उसके बाद कहे। अब रहा ये मसला कि आया मुक़्तदी भी (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहेगा या नहीं? इस हवाले से इस हदीस़ में कोई स़राहत नहीं बल्कि मुक़्तदी के लिये इन कलिमात की मशरूइयत दूसरी अहादीस़ के उ़मूम से अख़ज़ होती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'नमाज़ उसी तरीक़े से पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है, और आप (ﷺ) ने 'मुसीउस्स़लात' (नमाज़ को जल्दी जल्दी और ग़लत तरीक़े से पढ़ने वाले) से मुख़ातिब होकर फ़रमाया: 'हक़ीक़त ये है कि लोगों में से किसी एक की भी नमाज़ उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक कि वह अच्छी तरह वुज़ू न करे ...., फिर समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा, न कहे, यहाँ तक कि बराबर और ऐतदाल के साथ खड़ा हो जाये ....' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 757, स़फ़ा: 118) इस हदीस़ की रू से इमाम और मुक़्तदी वग़ैरह सब इन कलिमात के कहने के मुकल्लफ़ हैं। वल्लाहु आलम! **(2)** (रब्बना वलकल हम्द) कुछ रिवायात में बग़ैर वाव के आया है। और कुछ में 'अल्लाहुम्मा' और 'वाव' के इज़ाफ़े के साथ भी, यानी (रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द) और (अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द) तीनों कलिमात में से कोई भी कहे जा सकते हैं सब जायज़ है बेहतर है कि अदायगी में तनव्वोअ़ हों मज़ीद देखिये: (सिफ़तु स़लातिन नबी, स़फ़ा: 118, लिल अल्बानी)

(1063) हज़रत रिफ़ाअ़ा बिन राफ़ेअ़ (رضي الله عنه) से रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू से सर उठाया तो कहा (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा) आपके मुक़्तदियों में से एक आदमी ने (ज़रा बुलन्द आवाज़ से) कहा: (रब्बना वलकल हम्द हम्दन कस़ीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह) 'ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये सब तारीफ़ें हैं। बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा और बा'बरकत तारीफ़ें।' जब अल्लाह के रसूल (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: 'किसी शख़्स

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلاً " .

ने अभी कुछ कलाम किया था?' उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैंने तीस (30) से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि वह इन कलिमात की तरफ़ एक दूसरे से सबक़त कर रहे थे कि कौन उन्हें पहले लिखे।' (और अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश करे।)

(1063) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:799, मौता: 1/211, 212, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 649.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन रिवायात में मुक़्तदी के लिये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने की नफ़ी है न ज़िक्र व इस्बात, इसलिये दीगर मुफ़स्सल रिवायात की तरफ़ रुजू लाज़िमी है, जैसा कि हदीस: 1062 के फ़वाइद के तहत गुज़र चुका है। **(2)** कुछ हज़रात ने इस रिवायत से इन कलिमात को बलन्द आवाज़ से कहने पर इस्तेदलाल किया है मगर हैरानी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) और जलीलुल क़द्र सहाबा के तर्ज़े अमल को नज़र अन्दाज़ कर दिया जो आहिस्ता पढ़ते थे और एक सहाबी के इत्तेफ़ाक़ी फ़ेअल से इस्तेदलाल कर लिया, हालांकि क़रीने क़यास ये है कि ये फ़ेअल उस सहाबी से बे'इख़्तियार या इत्तेफ़ाक़न सादिर हुआ था। अगर ये आम मामूल होता तो रसूले अकरम(ﷺ) इस्तेफ़सार क्यूँ फ़रमाते? लिहाज़ा ये कलिमात आहिस्ता ही कहने चाहिए।

بَاب (٢٣): قَوْلِهِ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"

बाब : (23) (रब्बना वलकल हम्द) कहने का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(1064) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इमाम (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना वलकल हम्द) कहो क्योंकि जिस आदमी का ये क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के साथ मिल गया, उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(1064) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 409, बुख़ारी, हदीस: 796, मौता: 1/88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 650.

फ़ायदा : मालूम होता है कि इन्सान पर मुक़र्रर फ़रिश्ते भी नमाज़ में उसके साथ शरीक होते हैं, ख़ुसूसन इमाम को जवाब देते हैं, जैसे: इमाम की फ़ातिहा पर आमीन कहना और (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा) के जवाब में (रब्बना वलकल हम्द) कहना वग़ैरह, लिहाज़ा मुक़्तदी भी इमाम को जवाब दे और फ़ौरन दे (जैसा कि जवाब का दस्तूर है) इस तरह वह फ़रिश्तों की मुवाफ़िक़त की फ़ज़ीलत हासिल करेगा। और अल्लाह तआला के नेक बन्दों की मईयत कोई मामूली बात नहीं और फिर मासूम फ़रिश्तों की मईयत। अल्लाह! अल्लाह!

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا مُوسَى، قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِذَا

(1065) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया और हमारे लिये तरीक़-ए-ज़िन्दगी बयान फ़रमाया और हमें नमाज़ सिखलाई, चुनांचे आपने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपनी सफ़ें सीधी करो। फिर तुममें से एक शख़्स जमाअ़त करवाये। फिर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वह (ग़ैरिल मग़ज़ुबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो। अल्लाह तआला (तुम्हारी दुआ) क़बूल फ़रमायेगा। और जब वह अल्लाहु अकबर कह कर रुकू करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कह कर रुकू करो। इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है और पहले सर उठाता है।' नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो वह सबक़त इस ताख़ीर के बदले में है। और जब वह (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम (अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द) कहो अल्लाह तआला तुम्हारी (हम्द को) ज़रूर सुनेगा क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) की ज़बानी फ़रमाया है कि अल्लाह तआला हर उस बन्दे की बात सुनता है जो उसकी हम्द करता है। फिर जब वह अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो क्योंकि इमाम तुमसे पहले सज्दे को जाता है और पहले सर उठाता

كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَبْعَ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ الصَّلاَةِ " .

है।' नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो ये ताख़ीर उस सबक़त के बदले में है। और जब वह तशह्हुद के लिये बैठे तो तुममें से हर शख़्स की पहली बात ये होनी चाहिए: (अत्तहिय्यातु त्तय्यिबातु स्सलातु लिल्लाहि, सलामुन अलैक अय्युहन्नबिय्यु! वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामुन अलैना वअला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू) 'तमाम अच्छे आदाब और तमाम इबादात सिर्फ़ अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बन्दों पर भी अल्लाह की सलामती हों मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' ये सात जुम्ले हैं और ये नमाज़ के सलाम व आदाब हैं।'

(1065) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 831, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 651.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'आमीन कहो' अहनाफ़ कहते हैं आहिस्ता कहनी चाहिए क्योंकि ये दुआ है और दुआ ख़ुफ़िया होनी चाहिए। मगर ताज्जुब है कि असल दुआ सूरह फ़ातिहा का आख़री हिस्सा है (आमीन तो ततिम्मा है) वह बलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती है मगर ततिम्म-ए-दुआ आहिस्ता होना चाहिए। ये नुक्ता समझ में नहीं आ सका। ज़ाहिर बात है कि दुआ बलन्द आवाज़ से हो तो आमीन भी बलन्द आवाज़ से होनी चाहिए, इसीलिये जब नमाज़ के अलावा दुआ की जाती है तो आमीन ऊँची कही जाती है बल्कि ज़्यादा ऊँची कही जाती है। क्या उस वक़्त वह दुआ नहीं होती? सिर्फ़ नमाज़ ही में दुआ होती है? **(2)** 'बदले में है' यानी वह तुमसे पहले रुकू में जाता है, उठता भी इतनी देर पहले है और तुम जितनी देर बाद रुकू में जाते हो, उठते भी उतनी देर बाद में हो, लिहाज़ा तुम्हारा रुकू उसके रुकू के बराबर है। **(3)** (अत्तहिय्यातुस्सलवा तुत्तय्यबातु) तहिया के लुग़वी मानी अदब व सलाम हैं। किसी को ज़िन्दगी की दुआ देते वक़्त कहते हैं! (हय्याकल्लाहु) 'अल्लाह आपको तादेर ज़िन्दा व सलामत

रखे।' इसके अलावा इसके मानी अ़ज़मत व बुज़ुर्गी, बादशाहत, दवाम व बक़ा और ज़िन्दगी भी किये गये हैं, और (अत्तिहिय्यातु) से क़ौली इबादात भी मुराद ली ली गई हैं। (अस्सलवातु) हर अच्छी बात और उम्दा कलाम को कहते हैं, जैसे: अल्लाह की हम्द व सना, ज़िक्रे इलाही और अक़्वाले सालेहा वग़ैरह। यहाँ आम आमाले सालेहा और माली इबादात भी मुराद हो सकती हैं। वल्लाहु आलम! **(4)** आपने तशह्हुद से आगे ज़िक्र नहीं फ़रमाया। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि बस इतना ही फ़र्ज़ या वाजिब है इससे ज़यादा दरूद शरीफ़ और दुआ वाजिब नहीं मगर अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में सलातो सलाम को इकट्ठा ज़िक्र किया है। मज़्कूरा तशह्हुद में सलाम तो है, सलात नहीं। मसावी हैसियत तक़ाज़ा करती है कि इसके बाद सलात (दरूद) अपनी नमाज़ ही में उम्मते रसूले रऊफ़ व रहीम का हक़ दरूद की सूरत में अदा करे।(ﷺ) इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का यही मस्लक है। **(5)** 'सात कलिमात' इस तरह हैं। अत्तिहिय्यात, अस्सलवात, अत्तय्यिबात, सलामुन अ़लन्नबी, सलामुन अ़लस्सालिहीन, शहादाति तौहीद, शहादाति रिसालत.

बाब : (24) रुकू और सज्दे के दरम्यान कितनी देर खड़ा रहना चाहिए?

باب (٢٤): قَدْرِ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ رُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

(1066) हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का रुकू, रुकू से सर उठाने के बाद क़ौमा, आपका सज्दा और दो सज्दों के दरम्यान बैठना तक़रीबन बराबर होता था।

(1066) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 792, मुस्लिम, हदीस: 471/194, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 656.

फ़ायदा : ये हदीस उन हज़रात के लिये लम्ह-ए-फ़िक्रिया ये है जो रुकू के बाद क़ौमा (खड़ा होना) और दो सज्दों के दरम्यान जल्सा (बैठना) में ठहरना और दुआएँ पढ़ना मकरूह समझते हैं। नमाज़ तो वही है जो सुन्नते रसूल (ﷺ) के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुताबिक़त रखती हो, न कि फ़िक़्ही मूशग़ाफ़ियों से नमाज़ का सुकून और हुस्न ही ज़ाइल हो जाये और नमाज़ उठक बैठक और चौंचे मारने की शबीह बन जाये। अआज़नल्लाहु मिन्हु!

बाब : (25)
रुकू के बाद खड़ा होकर क्या पढ़े?

باب (٢٥): مَا يَقُولُ فِي قِيَامِهِ ذَلِكَ

(1067) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जब (रुकू से उठते वक़्त) (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो यूँ फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा! रब्बना लकल हम्द .... मिन शैइन बअ़द) 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये तारीफ़ है, इस क़द्र कि आसमान व ज़मीन भर जायें और हर वह चीज़ भर जाये जो तू उनके बाद चाहे।'

(1067) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 478, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 653.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी वह तारीफ़ अगर मुजस्सम हो जाये तो सब कुछ से बढ़ जाये। मुमकिन है सवाब की तरफ़ इशारा हो। **(2)** रुकू के बाद क़ौमे में ये दुआ पढ़ना मसनून है। **(3)** रुकू के बाद ऐतदाल व इत्मिनान ज़रूरी है क्योंकि ऐतदाल के बग़ैर इस दुआ का क़ौमे में पढ़ना मुमकिन नहीं। **(4)** हर नमाज़ी के लिये ये दुआ मुस्तहब है, ख़्वाह वह इमाम हो या मुक़्तदी या मुन्फ़रिद क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ये दुआ पढ़ी है और आप (ﷺ) ने सहाब-ए-किराम (ﷻ) को हुक्म दिया कि 'नमाज़ इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 631) आपका ये फ़रमान पूरी उम्मत के लिये है। **(5)** हर नमाज़ में ये दुआ पढ़ी जा सकती है, ख़्वाह वह फ़र्ज़ हो या नफ़ल। कुछ उलमा इसे नफ़्ली नमाज़ के साथ ख़ास करते हैं लेकिन तख़सीस की कोई दलील नहीं। वल्लाहु आलम!

(1068) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) जब रुकू के बाद सज्दा करने का इरादा फ़रमाते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा! रब्बना वलकल हम्द ...... मिन शैइन बअ़द) 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पालने वाले! तेरे ही लिये है सब तारीफ़ जो आसमानों और ज़मीन को भरने के बराबर हो और हर उस चीज़ को भरने के बराबर हो जो तू उनके बाद चाहे।'

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا

وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ " .

(1068) **तख़रीज : (सनद हसन)** मुसनद अहमद: 1/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 654, नैलुल मक़सूद, हदीस: 888.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

(1069) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते तो यूँ फ़रमाते: (रब्बना लकल हम्द .... मिन्कल जद्दु) 'ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये तारीफ़ है आसमानों और ज़मीनों के भरने के बक़द्र और हर उस चीज़ के भरने के बक़द्र जो तू उनके बाद चाहें ऐ बुज़ुर्गी और सना के लायक़! बेहतरीन बात जो किसी बन्दे ने कही, और हम सब तेरे बन्दे हैं, ये है कि जो चीज़ तू देने का फ़ैसला कर ले कोई उसे रोकने वाला नहीं और किसी माल वाले को उसका माल तेरे नज़दीक नफ़ा नहीं दे सकता।'

(1069) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 655.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . وَكَانَ يَقُولُ فِي

(1070) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मरवी है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो मैंने आपको कहते सुना: (अल्लाहु अकबर ज़ल्जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाई वलअज़मति) 'अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐ अज़ीमुश्शान ग़ल्बे और बादशाही वाले! (बेइन्तेहा) बुज़ुर्गी (बड़ाई) और अज़मत के मालिक!' और आप अपने रुकू में फ़रमाते थे: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) 'पाक है मेरा अज़मत वाला रब।' और जब आपने रुकू से सर उठाया तो फ़रमाया: (लिरब्बियल हम्दु

رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي " . وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

लिरब्बियल हम्दु) 'मेरे रब ही के लिये है सब तारीफ़ मेरे रब ही के लिये है सब तारीफ़।' और अपने सज्दे में फ़रमाते: (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा बुज़ुर्ग व बरतर रब।' और दो सज्दों के दरम्यान फ़रमाते: (रब्बिग़फ़िर्ली रब्बिग़फ़िर्ली) 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा। ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' और आपका क़याम, रुकू, रुकू से सर उठाने के बाद क़ौमा, सज्दा और दो सज्दों के दरम्यान वक़्फ़ा (जल्स-ए-इस्तेराहत) तक़रीबन बराबर थे।

(1070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 874, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 656.

باب (٢٦): الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

बाब : (26) रुकू के बाद क़ुनूत पढ़ना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(1071) हज़रत अनस बिन मालिक (﵁) से मरवी है, फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक महीना रुकू के बाद क़ुनूत फ़रमाई। आप रिअल, ज़कवान और उसय्या क़बाइल पर बद दुआ करते थे। (क्योंकि) उन्होंने अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की मअसियत (नाफ़रमानी) की थी।

(1071) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4094, व मुस्लिम: 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 657.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उनके एक आदमी ने नबी (ﷺ) से धोखा करके कुछ मुबल्लिग़ीन हासिल किये जो सब क़ुर्आन के क़ारी थे और उन्हें अपने इलाक़े में ले जाकर इन क़बाइल से क़त्ल करा दिया। एक दूसरे हादसे में नबी (ﷺ) के दस सहाबा शहीद कर दिये गये। ये वाक़िआत जंगे उहुद के बाद क़रीब ही पेश आये थे। जंगे उहुद में भी मुसलमानों का ख़ास्सा नुक़सान हुआ था। इन मुसल्सल जानी नुक़सानात से नबी (ﷺ) ग़मगीन हुए तो आपने क़ुनूते नाज़ला का एहतिमाम फ़रमाया। (नाज़ला अरबी में मुसीबत को

कहते हैं और क़ुनूत वह दुआ जो खड़े होकर की जाये।) आप मुख़्तलिफ़ नमाज़ों में आख़री रकअत में रुकू के बाद हाथ उठा कर बलन्द आवाज़ से दुआ माँगते। सहाब-ए-किराम(ﷺ) भी शरीके दुआ होते। नबी (ﷺ) कुछ मुश्रिकीने मक्का, धोखा देने वाले क़बाइल और क़ातिलीने क़ुर्रा के नाम लेकर बद दुआ फ़रमाते थे। एक महीने तक ये अमल जारी रहा। इससे ये मालूम हुआ कि मख़्सूस हालात में किसी शख़्स या क़बीले का नाम लेकर बद दुआ करना जायज़ है, ताहम इससे पहले जंगे उहुद के बाद आपने क़ुनूते नाज़ला का एहतिमाम फ़रमाया जिसमें आपका सर ज़ख़्मी हो गया था और एक रुबाई दाँत टूट गया था, इस मौक़े पर आपको उनकी बाबत क़ुनूत से रोक दिया गया। ये दो अलग अलग वाक़िआत और अलग अलग क़ुनूत हैं। मुख़्तलिफ़ क़बाइल का नाम लेकर जो क़ुनूत की, वह आयत (लैसा लक मिनल अम्रि शैआ) (आले इमरान: 3/128) के नुज़ूल के बाद का वाक़िया है, इसलिये हस्बे ज़रूरत किसी शख़्स या क़बीले का नाम लेकर क़ुनूते नाज़ला करना जायज़ है। लेकिन कभी कभार, न कि हमेशा। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) किसी मुअय्यन शख़्स या क़बीले का नाम लेकर उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ दुआ करने से मना करते हैं। ये हदीस उनके मौक़िफ़ की ताईद नहीं करती। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) सुबह की नमाज़ में हमेशा क़ुनूत के क़ाइल हैं मगर ये सहाबा में मुख़्तलफ़ फ़ीह मसला रहा है, लिहाज़ा एक आधी रिवायत की बिना पर उस पर दवाम मुनासिब नहीं है, जब कि उसके ख़िलाफ़ भी रिवायात मौजूद हैं। जुम्हूर अहले इल्म दवाम को ग़लत समझते हैं। सिर्फ़ किसी अहम मौक़े पर जब कोई ख़ुसूसी मुसीबत नाज़िल हो, रुकू के बाद फ़ज्र या किसी और नमाज़ में क़ुनूत कर ली जाये। दलाइल को जमा करने से यही नतीजा निकलता है। जब दलाइल मुतआरिज़ मालूम हों तो दरम्यानी राह निकालनी चाहिए न कि किसी एक जानिब को लाज़िम कर लिया जाये। बाक़ी रही क़ुनूते वित्र तो उसका ज़िक्र वित्र की बहस में मुनासिब हैं इन्शाअल्लाह वहीं आयेगा। (2) इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) नमाज़ में ग़ैर क़ुर्आनी अल्फ़ाज़ के साथ दुआ करना ममनूअ क़रार देते हैं। हदीस उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती है। (3) कुफ़्फ़ार पर लानत भेजना और उनके ख़िलाफ़ बद दुआ करना जायज़ है।

बाब : (27) सुबह की नमाज़ में क़ुनूत

باب(٢٧): اَلْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

(1072) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से पूछा गया: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ में क़ुनूत पढ़ी है? आपने फ़रमाया: हाँ। पूछा गया: रुकू से पहले या बाद? आपने फ़रमाया: रुकू के बाद।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ

نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ .

(1072) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1001, व मुस्लिम, हदीस: 677/298, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 658.

फ़ायदा : यही वह कुनूत है जिसे इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने सुबह की कुनूत समझा है जब कि जुम्हूर अहले इल्म इसे आरज़ी कुनूते नाज़ला समझते हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ، مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهَةً .

(1073) हज़रत इब्ने सीरीन बयान करते हैं कि मुझे एक ऐसे सहाबी (رضي الله عنه) ने बयान किया जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े सुबह पढ़ी। (उनके बयान के मुताबिक़) जब आपने दूसरी रकअत में (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहा तो आप कुछ देर खड़े रहे।

(1073) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 659.

फ़ायदा : इमाम साहब (رحمه الله) ने शायद कुछ देर खड़े रहने को कुनूत पर महमूल किया है, हालांकि नबी (ﷺ) रुकू के बाद भी कुछ अज़्कार व औराद पढ़ा करते थे। कुनूत तो हाथ उठा कर और जहरन पढ़ी जाती है जैसा कि रिवायात में सराहतन आया है। (मुसनद अहमद: 3/3)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ".

(1074) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सुबह की नमाज़ की दूसरी रकअत के रुकू से सर उठाते तो फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया और मक्का में दूसरे कमज़ोर और मज़लूम मुसलमानों को निजात दे। ऐ अल्लाह! मुज़र (क़ुरैश) पर अपना अज़ाब सख़्त फ़रमा और उस अज़ाब को क़हत की सूरत में नाज़िल फ़रमा जो यूसुफ़ (عليه السلام) के दौर के क़हत की तरह हो।'

(1074) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6200, व मुस्लिम, हदीस: 675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 660.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्फ़ाज़ से सराहतन मालूम होता है कि ये कुनूते नाज़ला है जो आप हमेशा नहीं फ़रमाते थे। **(2)** यूसुफ़ (ﷺ) के क़हत से तश्बीह का मतलब ये है कि वह कई साल जारी रहा और ऐसा ही हुआ, उनके ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ये दुआ क़बूल हुई, उन पर क़हत साली आई और मुज़र वाले कई बरस तक क़हत की बला में गिरफ़्तार रहे यहाँ तक कि वह हड्डियाँ, चमड़े और मुरदार तक खाने लगे। फिर जब कुरैश इस क़हत से आजिज़ आ गये तो उनका नुमाइन्दा और सरदार अबू सुफ़ियान मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुआ और क़हत के ख़ातमे के लिये दुआ की अपील की तो नबी-ए-रहमत (ﷺ) ने ग़ैर मशरूत तौर पर क़हत के ख़ातमे की दुआ फ़रमा दी और क़हत दूर हो गया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1007) **(3)** सुबह की नमाज़ में कुनूते नाज़ला जायज़ है। **(4)** कुनूते नाज़ला रुकू के बाद होगी। **(5)** किसी का नाम लेकर दुआ या बद दुआ करने से नमाज़ बातिल नहीं होती जैसा कि अहनाफ़ का मौक़िफ़ है। **(6)** कुनूते नाज़ला बलन्द आवाज़ से करना मुस्तहब है। सहीह बुख़ारी में सराहत है कि आप बलन्द आवाज़ से कुनूत कराते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4560) और सुनन अबी दाऊद की रिवायत में है: 'आप के पीछे वाले आमीन कहते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1443)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ حِينَ يَقُولُ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ " اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ ". ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ ". فَيَسْجُدُ وَضَاحِيَةُ مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(1075) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में जब (समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हमद) पढ़ते तो सज्दे में जाने से पहले खड़े खड़े दुआ फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा! अन्जिल वलीद ... अलख़) 'ऐ अल्लाह! वलीद, सलमा बिन हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया और दूसरे कमज़ोर मुसलमानों को निजात अता फ़रमा। ऐ अल्लाह! मुज़र (कुरैश) पर अपना अज़ाब सख़्त फ़रमा और उसे युसूफ़ (ﷺ) के दौर के क़हत की सूरत में नाज़िल फ़रमा।' फिर आप अल्लाहु अकबर कहते और सज्दे को जाते। इन दोनों मुज़र के बादिया नशीन(देही इलाक़े में रहने वाले) रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुख़ालिफ़ थे।

(1075) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4560, व मुस्लिम, हदीस: 675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 661.

बाब : (28) ज़ुहर की नमाज़ में क़ुनूत

باب (٢٨): الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لأُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ. وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ .

(1076) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं मैं तुम्हें ज़रूर अल्लाह के रसूल (ﷺ) की नमाज़ समझाऊंगा तो हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ज़ुहर, इशा और सुबह की नमाज़ों की आख़री रकअत में (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने के बाद क़ुनूत पढ़ते जिसमें ईमान वालों के लिये दुआऐं करते और काफ़िरों को लानत करते थे।

(1076) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 797, व मुस्लिम, हदीस: 676, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 662.

बाब : (29) मग़रिब की नमाज़ में क़ुनूत

باب (٢٩): الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، ح وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1077) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) सुबह और मग़रिब की नमाज़ में क़ुनूत पढ़ा करते थे।

(1077) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 678, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 663.

फ़ायदा : सही बात ये है कि ये क़ुनूते नाज़ला थी जो आपने मुख़्तलिफ़ नमाज़ों में ज़रूरत के वक़्त की है मगर कुछ हज़रात ने इसे क़ुनूते नाज़ला की बजाये सुबह और मग़रिब की क़ुनूते लाज़िमा क़रार दिया है, यानी इन दो नमाज़ों में आप हमेशा क़ुनूत फ़रमाते थे। मगर मग़रिब की क़ुनूत के तर्क पर तो इत्तेफ़ाक़ व इज्मा-ए-उम्मत है। कोई मुहद्दिस या फ़क़ीह भी क़ुनूते नाज़ला के अलावा मग़रिब की क़ुनूत का क़ाइल नहीं, अलबत्ता इमाम शाफ़ेई और कुछ मुहद्दिसीन (हमेशा) फ़ज्र की क़ुनूत के क़ाइल हैं। इस

रिवायत को देखें तो दोनों नमाज़ें बराबर हैं। अगर मग़रिब में मन्सूख़ है तो फ़ज्र में क्यूँ मन्सूख़ नहीं? और यही सही बात है कि कुनूते नाज़ला तो बाक़ी है मगर कुनूते फ़ज्र (फ़ज्र और मग़रिब की कुनूत) बाक़ी नहीं है। जिस रिवायत से सुबह की नमाज़ में कुनूत साबित होती है, उसे कुनूते नाज़ला पर महमूल किया जायेगा, यानी नबी (ﷺ) आख़री ज़िन्दगी तक सुबह की नमाज़ में बवक़्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला करते थे। इस तरह सब अहादीस में तत्बीक़ हो जायेगी।

باب (٣٠): اللَّعْنِ فِي الْقُنُوتِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا - قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رِجَالاً وَقَالَ هِشَامٌ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ - ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ . هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ .

बाब : (30)
कुनूत में (काफ़िरों पर) लानत करना

(1078) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक महीना रुकू के बाद कुनूत फ़रमाई। आप चन्द लोगों के नाम लेकर उन पर लानत करते थे और अरब के कुछ क़बाइल का नाम लेकर बद दुआ करते थे। फिर आपने कुनूत करना तर्क कर दी। एक रिवायत में है कि नबी (ﷺ) ने एक महीने तक कुनूत फ़रमाई। आप रिअल, ज़कवान और लिहयान (नामी क़बाइल) पर लानत करते थे।

(1078) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 677/303, पिछली हदीस देखें। बुख़ारी, हदीस: 4089, व मुस्लिम: 677/304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 664.

باب (٣١): لَعْنِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُنُوتِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ

बाब : (31)
कुनूत में मुनाफ़िक़ों पर लानत करना

(1079) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से मरवी है कि उन्होंने नबी (ﷺ) से सुना, आपने जब सुबह की नमाज़ में आख़री रकअत के रुकू से सर उठाया तो फ़रमायाः (अल्लाहुम्मा! इलअन फ़ुलाना व फ़ुलाना) 'ऐ अल्लाह! फ़ुलां और फ़ुलां पर लानत फ़रमा।' आप मुनाफ़िक़ीन में से कुछ

الآخِرَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا " . يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ } .

लोगों का नाम ले लेकर बद दुआ करते थे तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी (लैसा लका मिनल अम्रि शैआ ....) 'आपके लिये इस मामले में कोई इख़्तियार नहीं। (ये अल्लाह तआला का काम है कि) वह उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ दे या उन्हें अज़ाब दे। बिलाशुब्हा वह ज़ालिम हैं।'

(1079) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4069, 4559, 7346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 665.

फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने सराहत की है कि फ़अन्ज़लल्लाहु रावी का इदराज है, इसलिये इस आयत को कुनूते नाज़ला से रुकने का सबब क़रार नहीं दिया जा सकता। देखिये: (फ़तहुलबारी: 8/286, हदीस: 4560 मज़ीद देखिये, फ़वाइद हदीस: 1071)

बाब : (32) क़ुनूत छोड़ देना

باب (٣٢): تَرْكِ الْقُنُوتِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَىٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

(1080) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक माह क़ुनूत फ़रमाई। आप अरब के क़बाइल में से एक क़बीले के ख़िलाफ़ बद दुआ करते थे। फिर आपने क़ुनूत छोड़ दी।

(1080) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 1078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 666.

फ़ायदा : एक नहीं बल्कि कई क़बीलों के ख़िलाफ़ बद दुआ करते थे। (देखिये, रिवायत: 1078)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ خَلَفٍ، - وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ

(1081) हज़रत अबू मालिक अश्जई ने अपने वालिद मोहतरम (तारिक़ बिन उशैम)(رضي الله عنه) से बयान किया, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने क़ुनूत न फ़रमाई। मैंने अबू बक्र (رضي الله عنه) के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी क़ुनूत न की। मैंने उमर(رضي الله عنه) के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी क़ुनूत न की। मैंने उस्मान

فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ .

(ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी कुनूत न की। मैंने अली (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने भी कुनूत न की। फिर फ़रमाया: ऐ बेटे! ये बिदअ़त है।

(1081) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 402, 403, व इब्ने माजा, हदीस: 1241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 667.

फ़ायदा : इन सहाबी के इल्म में नबी (ﷺ) और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का कुनूत फ़रमाना नहीं आ सका, इसलिये उन्होंने इसे बिदअ़त क़रार दिया। या फिर उनका मतलब ये है कि कुनूत पर दवाम बिदअ़त है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) बवक़्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला पढ़ते थे। (मज़ीद देखिये, हदीस: 1077)

باب (٣٣): تَبْرِيدِ الْحَصَى لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ

बाब : (33) सज्दा करने के लिये गर्म कंकरियों को ठण्डा करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الآخَرِ فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي .

(1082) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ा करते थे तो मैं अपनी मुट्ठी में कुछ कंकरियाँ पकड़ लेता था ताकि उन्हें ठण्डा करूं। फिर (जब हाथ जलने लगते तो) उन्हें दूसरी हथेली में मुन्तक़िल कर लेता था। फिर जब मैं सज्दा करता तो उन्हें अपने माथे के नीचे रख लेता।

(1082) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 668, व सहीह इब्ने हिब्बान (मवारिद), हदीस: 267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़मीन गर्म होती थीं बराहे रास्त शदीद गर्म ज़मीन पर माथा रखना इन्तेहाई मुश्किल था, लिहाज़ा निस्बतन ठण्डी कंकरियाँ बिछा कर उन पर माथा रख लेते। रसूलुल्लाह(ﷺ) का सज्दा भी लम्बा होता था। मालूम होता है नमाज़ या नमाज़ी की मसलिहत के लिये नमाज़ के अलावा कोई फ़ेअ़ल करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। फ़ेअ़ल की हदबन्दी मुमकिन नहीं है, अलबत्ता ऐसा मशग़ूल न हो कि देखने वाला उसे नमाज़ से ख़ारिज तसव्वुर करे। (2) ये भी साबित हुआ कि नमाज़े ज़ुहर जल्दी

अदा करनी चाहिए और उसे इस क़द्र लेट नहीं करना चाहिए कि ज़मीन ठण्डी होने का इन्तेज़ार किया जाये। इस तरह तो उसका वक़्त निकल जायेगा। हदीस़ में जो इब्रादे ज़ुहर का हुक्म है, उससे मुराद ये है कि ज़वाल के बाद थोड़ा बहुत इन्तेज़ार कर लिया जाये ताकि ऐन ज़वाले शम्स के वक़्त धूप की जो शिद्दत और तमाज़त होती है, उसमें क़द्रे कमी आ जाये और साये ढल जायें ताकि लोग आसानी के साथ मस्जिद में आ सकें, वरना गर्मी और ज़मीन की तपिश तो अस्र के वक़्त भी ख़त्म नहीं होती। (3) दौराने नमाज़ में तकलीफ़ और ज़रर की तलाफ़ी की जा सकती है, इस तरह के अमल से नमाज़ बातिल नहीं होती। (4) नमाज़ का एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे उसके लिये मशक़्क़त बरदाश्त करनी पड़े। (5) उन तमाम सहूलियात व मराआत को ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है जो ख़ुशूअ में इज़ाफ़े का बाइस़ हों। (6) किसी स़हाबी का ये कहना कि 'हम ऐसे किया करते थे' मरफ़ूअ के हुक्म में है लेकिन यहाँ इससे भी क़वी क़रीना मौजूद है। वह ये कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (﵁) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे और आप(ﷺ) नमाज़ियों को अपने पीछे से भी देखते थे और आप (ﷺ) ने उन्हें मना नहीं फ़रमाया। इस ऐतबार से उसका मरफ़ूअ होना ज़्यादा क़वी है। वल्लाहु आलम!

बाब : (34) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना

باب (٣٤): التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا - قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي - صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

(1083) हज़रत मुतर्रिफ़ से रिवायत है कि हज़रत इमरान बिन हुस़ैन (﵁) ने और मैंने हज़रत अली बिन अबू तालिब (﵁) के पीछे नमाज़ पढ़ी। आप जब सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते और जब सज्दे से सर उठाते, तब भी अल्लाहु अकबर कहते और जब दो रकअतों से उठते, तब भी अल्लाहु अकबर कहते। जब आपने नमाज़ पूरी कर ली तो हज़रत इमरान बिन हुस़ैन (﵁) ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! इन स़ाहब ने मुझे मुहम्मद (ﷺ) की नमाज़ याद करा दी है।

(1083) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 786, व मुस्लिम, हदीस़: 393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 669.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पीछे गुज़र चुका है कि स़हाब-ए-किराम (ﷺ) ही के दौर में कुछ अइम्मा ने तकबीरें कहने में सुस्ती शुरू कर दी थी। या तो कहते ही नहीं थे या बहुत आहिस्ता बल्कि ज़ेरे लब

कहते थे। ये नज़ाकत थी, कोई उज़्र न था, लिहाज़ा ऐसा करना मज़मूम था। हाँ उज़्र हो तो अलग बात है, जैसे हज़रत उस्मान (ﷺ) के बारे में कहा गया है कि बुढ़ापे की वजह से उनकी तकबीर की आवाज़ पिछली सफ़ों को सुनाई न देती थी। (2) हज़रत अली बिन अबू तालिब (ﷺ) की फ़ज़ीलत साबित होती है कि वह किस क़द्र सुन्नते नबवी के मुहाफ़िज़ और आमिल थे कि जब अक्सर लोग तकबीराते इन्तेक़ाल छोड़ चुके थे बल्कि कुछ उनकी मशरूईयत का इन्कार भी करते थे, ऐसे वक़्त में उन्होंने उनका एहया (उन्हें ज़िन्दा) किया।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَيَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - يَفْعَلاَنِهِ.

(1084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर झुकने और उठने के वक़्त अल्लाहु अकबर कहते थे और आख़िर में दायें बायें दोनों तरफ़ सलाम फेरते थे। हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

(1084) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 670, तिर्मिज़ी, हदीस: 253.

फ़ायदा : 'हर झुकने और उठने के वक़्त' अलबत्ता इससे रुकू से उठना मुस्तस्ना (अलग) है कि वहाँ अल्लाहु अकबर की बजाये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) मसनून है। गोया एक आध को अक्सर के ताबेअ कर दिया।

باب (٣٥): كَيْفَ يَخِرُّ لِلسُّجُودِ

बाब : (35) सज्दे के लिये नमाज़ी कैसे झुके?

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ، - وَهُوَ ابْنُ مَاهِكٍ - يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ أَخِرَّ إِلاَّ قَائِمًا .

(1085) हज़रत हकीम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ अहद किया था कि मैं सज्दे में नहीं जाऊंगा मगर सीधा खड़ा होकर।

(1085) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 671.

फ़ायदा : यानी रुकू ही से सीधा या रुकू से मुकम्मल सीधा खड़े हुए बग़ैर सज्दे में नहीं जाऊंगा बल्कि रुकू से सीधा खड़ा हूँगा, फिर सज्दे में गिरूंगा। इस जुम्ले के और भी कई मानी किये गये हैं, जैसे: मैं नहीं मरूंगा मगर इस्लाम पर साबित क़दमी की हालत में वग़ैरह। मगर पहला मानी ही मुनासिब है। वल्लाहु आलम!

باب (٣٦): رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلسُّجُودِ

बाब : (36) सज्दे में जाते वक़्त रफ़उल यदैन करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

(1086) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा आप अपनी नमाज़ में जब रुकू करते या रुकू से सर उठाते या सज्दे में जाते या सज्दे से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के किनारों के बराबर करते।

(1086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 672

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(1087) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा कि आपने अपने दोनों हाथ उठाये (रफ़उल यदैन किया) फिर उसी साबिक़ा (रिवायत) की मिस्ल बयान किया।

(1087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 673.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(1088) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा, आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते। फिर उसी (साबिक़ा हदीस) की तरह बयान किया। इसमें इतना ज़्यादा किया: और जब रुकू करते, तब भी ऐसे ही करते और जब रुकू से सर उठाते, फिर भी ऐसे ही करते और

وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

जब सज्दे से सर उठाते, तब भी ऐसे ही करते।

(1088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 674.

फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) की मज़्कूरा रिवायात में सज्दे में जाते वक़्त और सज्दे से सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैन करने का ज़िक्र है, लेकिन ये तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं जिसकी तफ़्सील तख़रीज में मौजूद है। इसके बरअक्स बिल्कुल सहीह रिवायात में सज्दे के रफ़उल यदैन की नफ़ी आई है। इनमें से एक रिवायत अगले बाब में आ रही हैं इन सही रिवायात को छोड़ कर एक ज़ईफ़ या मुतनाज़अ फ़ीह (विवाद वाली) रिवायत पर अमल करना दानिशमन्दी नहीं।

تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ

बाब : (37) सज्दे में जाते या उठते वक़्त रफ़उलयदैन न करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

(1089) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू करते और जब रुकू से उठते तो रफ़उल यदैन करते। लेकिन सज्दे में (जाते या सज्दे से उठते वक़्त) ऐसा नहीं करते थे।

(1089) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 878, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 675.

باب(٣٨): أَوَّلِ مَا يَصِلُ إِلَى الأَرْضِ مِنَ الإِنْسَانِ فِي سُجُودِهِ

बाब : (38) सज्दे को जाते वक़्त इन्सान का कौन सा अज्व (अंग) ज़मीन पर पहले लगना चाहिए?

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ

(1090) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा जब आप सज्दा करते तो अपने घुटने, अपने हाथों से पहले रखते। और जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते।

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

(1090) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** अबू दाऊद, हदीस़: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 676, तिर्मिज़ी, हदीस़: 268, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ " .

(1091) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(क्या) तुममें से एक आदमी नमाज़ में बैठना चाहता है, फिर वह ऊँट की तरह बैठता है?'

(1091) **तख़रीज : (सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस़: 841, तिर्मिज़ी, हदीस़: 266, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 677

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ " .

(1092) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई आदमी सज्दा करने लगे तो अपने हाथ अपने घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे और ऊँट की तरह न बैठे।'

(1092) **तख़रीज : (सनद हसन)** पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 678.

फ़ायदा : बाब की तीसरी रिवायत दूसरी रिवायत की तफ़्सील है और ये पहली रिवायत के बिल्कुल उलट है। पहली रिवायत अक्स़र मुहद्दिस़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ है जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने भी इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम कुछ ने इसे स़ही भी कहा है, इसलिये उनके नज़दीक दोनों तरह जायज़ है क्योंकि उनके ख़याल में दोनों रिवायत स़ही हैं। अहनाफ़ वग़ैरह ने हज़रत वाइल बिन हुज्र(ﷺ) की रिवायत को तर्जीह दी है क्योंकि जो अज़्व (अंग) ज़मीन के ज़्यादा क़रीब है, वह पहले लगना चाहिए और जो दूर है, वह बाद में। अक्स़र मुहद्दिस़ीन ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत को तर्जीह

दी है क्योंकि हज़रत वाइल (ﷺ) की रिवायत पर अमल करने से ऊँट से मुशाबिहत होती है और इस मुशाबिहत से रोका गया है। लेकिन सही बात ये है कि हाथ पहले रखने चाहिए घुटने बाद में क्योंकि ये फ़ितरते इन्सानिया के मुताबिक़ है। अल्लाह तआला ने इन्सान को सहारे के लिये हाथ दिये हैं। जानवर तो मजबूर है कि उनके पास हाथ नहीं हैं, लिहाज़ा वह बग़ैर सहारे के बैठते उठते हैं बल्कि सब काम बग़ैर हाथों के करते हैं: खाना, पीना, मारना वग़ैरह। मगर इन्सान के लिये हाथों का इस्तेमाल ज़रूरी है वरना जानवरों से मुशाबिहत हो जायेगी। हदीस में ऊँट का ज़िक्र है। ऊँट बैठते वक़्त पहले घुटने ज़मीन पर रखता है। अगर घुटने पहले रखे जायें तो हाथों का सहारा न होने की वजह से घुटने ऊँट की तरह ज़मीन पर टिकेंगे। बूढ़ों के लिये मुश्किल भी है और चोट लगने या गिरने का ख़तरा भी, लिहाज़ा उठते बैठते वक़्त हाथों का सहारा चाहिए, यानी बैठते वक़्त पहले हाथ रखें, फिर घुटने और उठते वक़्त पहले घुटने उठायें, फिर हाथ। याद रहे! ऊँट (बल्कि सब जानवरों) के घुटने अगले पाँव में होते हैं, शकलन भी फ़ेअलन भी, और पिछली टाँगें इन्सानों के बाज़ूओं जैसी होती हैं। चूंकि ऊँट सीधा घुटनों पर बैठता है, इसलिये उसका ख़ास ज़िक्र किया गया है और उसकी मुशाबिहत से रोका गया है। वल्लाहु आलम!

बाब : (39) सज्दे में दोनों हाथों को चेहरे के साथ रखना

باب (٣٩): وَضْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ فِي السُّجُودِ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، دَلُّويَهْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا ".

(1093) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है और उन्होंने इसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है कि आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ दोनों हाथ चेहरे की तरह सज्दा करते हैं। जब तुममें से कोई शख़्स अपना चेहरा ज़मीन पर रखे तो अपने दोनों हाथ भी रखे और जब चेहरा उठाये तो उन्हें भी उठा ले।'

(1093) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 679, व सहीह अल हाकिम: 1/226, 227.

फ़ायदा : मक़सूद ये है कि सज्दे में सिर्फ़ चेहरा ज़मीन पर लगाना काफ़ी नहीं बल्कि दोनों हाथ भी ज़मीन पर चेहरे के इर्द गिर्द रखे होने चाहिए ताकि उनका भी सज्दा हो सके। अगली रिवायत में इसकी मज़ीद वज़ाहत है।

बाब : (40) सज्दा कितने आज़ा (अंगों) पर करे?

باب (٤٠): عَلَى كَمِ السُّجُودُ

(1094) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) को हुक्म दिया गया कि सात आज़ा पर सज्दा करें और नमाज़ के दौरान में अपने बालों और कपड़ों को इकट्ठा न करें।

(1094) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 815, व मुस्लिम, हदीस: 490, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 680.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सात आज़ा, यानी दो हाथ, दो घुटने, दो पाँव और चेहरा, यानी पेशानी (नाक समेत) ये सब आज़ा ज़मीन पर लगने चाहिए। थोड़ी देर के लिये कोई अज़्व (अंग) किसी वजह से उठ जाये तो अलग बात है। मजमूई तौर पर सज्दा इन सात आज़ा के साथ होना चाहिए। (2) सज्दे में जाते वक़्त बाल या कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिये इकट्ठा नहीं करने चाहिए बल्कि उन्हें ज़मीन पर लगने दें। इससे आजिज़ी पैदा होगी, तकब्बुर की नफ़ी होगी, और वह भी सज्दा करते हैं, इकट्ठा करने से उनका सज्दा नहीं होगा।

बाब : (41) उन (सात) आज़ा की तफ़्सील

باب (٤١): تَفْسِيرِ ذَلِكَ

(1095) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब(ﷺ) से मरवी है, उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'जब इन्सान सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा करते हैं: उसका चेहरा, उसकी दो हथेलियाँ, उसके दो घुटने और उसके दो पाँव।'

(1095) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 491, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 681.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مِنْهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .

फ़ायदा : चेहरे से मुराद, नाक समेत पेशानी है जैसा कि अगली रिवायात से वाज़ेह है।

باب(٤٢): السُّجُودِ عَلَى الْجَبِينِ

बाब : (42) माथे पर सज्दा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ . مُخْتَصَرٌ .

(1096) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाया: (रमज़ानुल मुबारक की) इक्कीसवीं रात की सुबह को मेरी आँखों ने रसूलुल्लाह (ﷺ)के माथे और नाक पर पानी और मिट्टी, यानी कीचड़ के निशानात देखे। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(1096) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2027, व मुस्लिम, हदीस: 1167/214, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 682, मौता: 1/319.

फ़ायदा : सज्दे में माथे का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है क्योंकि सज्दे के मानी ही माथा ज़मीन पर रखना है, मगर ये कि कोई उज़्र हो, जैसे: फोड़ा फूँसी हो या कमर या सर में तकलीफ़ हो या आँख का ऑपरेशन कराया हो या उसके अलावा जो चीज़ भी माथा ज़मीन पर रखने से मानेअ (रुकावट) हो।

باب (٤٣): السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

बाब : (43) नाक पर सज्दा

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ - لاَ أَكُفَّ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ - الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ" .

(1097) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करूं और मैं बाल और कपड़े न समेटूं। (सात आज़ा ये हैं:) माथा और नाक, दो हाथ, दो घुटने और दो क़दम।'

(1097) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 490/231, बुख़ारी, हदीस: 814, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 683.

फ़ायदा : इस हदीस़ में माथा और नाक एक अज्व (अंग) शुमार किये गये हैं। गोया दोनों मिलकर एक अज्व (अंग) बनते हैं क्योंकि दोनों एक अज्व (अंग), यानी चेहरे के अज्ज़ा (हिस्से) हैं, लिहाज़ा दोनों को ज़मीन पर लगना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के नज़दीक दोनों में से किसी एक का लगना काफ़ी है क्योंकि कोई अज्व (अंग) भी मुकम्मल तो लग नहीं सकता, कुछ हिस्सा ही लगता है। जब ये दोनों एक अज्व (अंग) हैं तो फिर इन दोनों में से किसी एक का कुछ हिस्सा लगना काफ़ी है मगर अहादीस़ इस मौक़िफ़ की ताईद नहीं करतीं। सही बात यही है कि दोनों को लगना चाहिए।

बाब : (44) दोनों हाथों पर सज्दा

باب(٤٤): السُّجُودِ عَلَى الْيَدَيْنِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ".

(1098) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सात आज़ा पर सज्दा करूं। माथे पर' और (ये कहते हुए आपने अपनी नाक की तरफ़ इशारा किया 'दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों पर और दोनों पाँव के अतराफ़ पर।'

(1098) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 684.

फ़ायदा : इस रिवायत में 'अज़्म' का लफ़्ज़ है जिसके मानी हड्डी के होते हैं मगर मुराद अज्व (अंग) ही है अगरचे एक अज्व (अंग) कई हड्डियों और जोड़ों पर मुश्तमिल हो, जैसे: हाथ, पाँव वग़ैरह।

बाब : (45) घुटनों पर सज्दा

باب(٤٥): السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ - وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ - عَلَى يَدَيْهِ

(1099) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है, नबी (ﷺ) को हुक्म दिया गया कि आप सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करें .... और आपको बाल और कपड़े समेटने से रोका गया .... दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों पर और दोनों पाँव की उँगलियों के किनारों पर (हदीस़ के रावी) सुफ़ियान ने कहा: इब्ने ताऊस ने अपने दोनों हाथ अपनी पेशानी पर रखे और उन्हें नाक पर से

وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ . قَالَ هَذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

गुज़ारा और फ़रमाया: ये एक अज़्व (अंग) है। (इमाम नसाई ने फ़रमाया) ये (इमाम नसाई ने फ़रमाया) लफ़्ज़ (मेरे उस्ताद) मुहम्मद बिन मन्सूर के हैं।

(1099) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 685.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये रिवायत दो उस्तादों से सुनी। एक मुहम्मद बिन मन्सूर और दूसरे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद हैं। रिवायत में बयानकर्दा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन मन्सूर के हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद के अल्फ़ाज़ इससे कुछ मुख़्तलिफ़ हो सकते हैं, अगरचे मानी दोनों के एक ही हैं।

باب (٤٦): السُّجُودِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

बाब : (46) दोनों पाँव पर सज्दा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .

(1100) हज़रत अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब(ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब बन्दा सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा करते हैं: उसका चेहरा, उसके दोनों हाथ (हथेलियाँ) उसके दोनों घुटने और उसके दोनों क़दम।'

(1100) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 1095, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 686.

باب (٤٧): نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

बाब : (47) सज्दे में पाँव खड़े करना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ

(1101) हज़रत आ़यशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बिस्तर पर न पाया। (मैंने टटोलना शुरू किया) मेरा हाथ आपको लगा तो आप सज्दे में थे और आपके दोनों पाँव खड़े थे और आप पढ़ रहे थे:

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

(अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिरिज़ाक .... कमा अस्नैता अला नफ़्सिक) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे ग़ुस्से से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में आता हूँ और तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ और तुझ (तेरे अज़ाब) से (बचने के लिये) तेरी (रहमत की) पनाह में आता हूँ। मैं तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू उसी तरह है जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।'

(1101) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 169, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 687.

फ़ायदा : सज्दे की हालत में फ़ितरी तौर पर पाँव खड़े ही होते हैं। इस फ़ितरत को क़ाइम रहना चाहिए, यानी पाँव को किसी एक तरफ़ बिछाया न जाये बल्कि पाँव सीधे खड़े हों और ऐड़ियाँ मिली हों, दरम्यान में फ़ासला न हो। उँगलियाँ जिस क़द्र मुड़ सकें उन्हें क़िब्ला रुख़ मोड़ लिया जाये जो न मुड़ सके उन्हें ज़मीन पर लगा लिया जाये। छोटी उँगलियाँ ज़मीन पर न लग सकें तो कोई हर्ज नहीं।

باب(٤٨): فَتْحِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي السُّجُودِ

बाब : (48) सज्दे में पाँव की उँगलियों को (क़िब्ले की तरफ़) मोड़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَهْوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ . مُخْتَصَرٌ .

(1102) हज़रत अबू हुमैद साअदी (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब सज्दा करते हुए ज़मीन पर गिरते तो अपने बाज़ू बग़लों से दूर रखते और अपने पाँव की उँगलियों को (क़िब्ले की तरफ़) मोड़ लेते। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(1102) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 1040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 688.

مَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ السُّجُودِ

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلاَةَ .

बाब : (49) सज्दे में दोनों हाथों की जगह

(1103) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा आया तो मैंने (अपने दिल में) कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ को ब'ग़ौर देखूंगा। (मैंने देखा कि) आपने अल्लाहु अकबर कहा और अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि मैंने आपके अंगूठे आपके कानों के क़रीब देखे। जब आपने रुकू करने का इरादा किया तो अल्लाहु अकबर कहा और अपने दोनों हाथ उठाये, फिर अपना सर (रुकू से) उठाया तो आपने कहा: (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) फिर अल्लाहु अकबर कहा और सज्दा किया तो आपके दोनों हाथ कानों से उसी जगह थे जहाँ नमाज़ शुरू करते वक़्त थे। (यानी कानों के बराबर थे।)

(1103) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 689.

फ़ायदा : आग़ाज़े नमाज़ में रफ़उल यदैन कानों के बराबर भी किया जा सकता है और कंधों के बराबर भी। इसी तरह सज्दे में हाथ कानों के बराबर भी रखे जा सकते हैं और कंधों के बराबर भी और उस तत्बीक़ के मुताबिक़ भी जो रफ़उल यदैन के बारे में बयान हो चुकी है।

النَّهْيِ عَنْ بَسْطِ الذِّرَاعَيْنِ فِي السُّجُودِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ، - وَاسْمُهُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ

बाब : (50) सज्दे के दौरान में बाज़ू ज़मीन पर बिछाने की मुमानिअत

(1104) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई आदमी सज्दे की हालत में अपने बाज़ू इस तरह ज़मीन पर न फैलाये जिस तरह कुत्ता फैलाता है।'

(1104) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/231, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 190.

बाब : (51) सज्दा करने का तरीक़ा

باب (٥١): صِفَةِ السُّجُودِ

(1105) हज़रत अबू इस्हाक़ ने कहा कि हज़रत बराअ बिन आज़िब ने हमें सज्दा करने का तरीक़ा बयान किया तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, सुरीन को ऊँचा किया और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह (सज्दा) करते देखा है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُودَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ .

(1105) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 896, देखें हदीस: 1090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 691.

(1106) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ में सज्दा करते तो अपने दोनों बाज़ू खोलते, उन्हें अपने पहलूओं से दूर रखते और पेट को ज़मीन से ऊँचा रखते।

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، - هُوَ النَّضْرُ - قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَّى .

(1106) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/115, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 692, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 647, अबी दाऊद, हदीस: 900.

फ़ायदा : 'खोलते' का मतलब ये है कि बाज़ूओं को पहलूओं से दूर रखते, ज़मीन से भी ऊँचा रखते और पेट को रानों से उठा कर रखते। सज्दा ज़मीन पर बिछ कर नहीं करना चाहिए बल्कि ऊँचा रहे। इस मसले में मर्द और औरत का कोई फ़र्क़ नहीं। कुछ फ़ुक़हा ने ख़ालिस राय के साथ औरत के लिये मेण्डक की तरह ज़मीन से चिमट कर सज्दा करना तज्वीज़ किया है मगर याद रखना चाहिए कि दीन किसी की राय की बुनियाद पर नहीं बल्कि वहि की बुनियाद पर क़ाइम हुआ है, इसलिये सराहतन मन्क़ूल चीज़ के मुक़ाबले में राय का इस्तेमाल मज़मूम और ऐसा क़ौल मरदूद है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (حفظه الله) की तालीफ़ 'क्या मर्द और औरत की नमाज़ में फ़र्क़ है?' तबअ दारुस्सलाम।

(1107) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने बुहैना (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ में सज्दा फ़रमाते तो अपने बाज़ू

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

खोलते यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी नज़र आती।

(1107) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 3564, व मुस्लिम, हदीस: 495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 693.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) बग़लों के बाल साफ़ रखते थे, इस लिये सफ़ेद चमड़ा नज़र आता था या बालों के इर्द गिर्द की सफ़ेदी मुराद होगी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبْصَرْتُ إِبْطَيْهِ . قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لأَنَّهُ فِي صَلاَةٍ .

(1108) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि अगर मैं (मुक़्तदी होने की बजाये) रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने होता तो मैं (आपके सज्दा फ़रमाने के वक़्त) आपकी बग़लें देख लेता अबू मिज्लज़ (रावी) ने कहा: मालूम होता है, अबू हुरैरह (رضی الله عنه) उस वक़्त नमाज़ में थे, इसलिये यूँ फ़रमाया।

(1108) **तख़रीज : (सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस: 746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 694.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ .

(1109) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अक़रम (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ें पढ़ीं। जब आप सज्दा फ़रमाते तो मैं आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखता था।

(1109) **तख़रीज : (सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 695.

باب(٥٢): التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

बाब : (52) सज्दा खुला होना चाहिए

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ - عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ الأَصَمِّ - عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(1110) हज़रत मैमूना (رضی الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब सज्दा फ़रमाते तो अपने दोनों हाथों को इतना कुशादा रखते कि अगर भेड़ बकरी का छोटा सा बच्चा आपके बाज़ुओं के नीचे से गुज़रना चाहता तो गुज़र सकता था।

كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .

(1110) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 697, अबू दाऊद, हदीस: 898.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हाथों को पहलूओं से ख़ूब दूर रखना चाहिए, इसी तरह पेट को रानों से उठा कर रखना चाहिए। (2) ये हैयत ख़ुशूअ व ख़ूज़ूअ और तवाज़ोअ के ज़्यादा क़रीब है। (3) उम्महातुल मूमिनीन की फ़ज़ीलत कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के तरीक़-ए-इबादत को बग़ौर देखा और समझा, बाद में उम्मत तक ऐसे वाज़ेह अन्दाज़ से पहुँचाया कि किसी क़िस्म का इब्हाम बाक़ी न रहा। (رضي الله عنه)

باب(٥٣): الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

बाब : (53) सज्दे में ऐतदाल

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ " . اللَّفْظُ لإِسْحَاقَ .

(1111) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सज्दे में ऐतदाल इख़्तियार करो और कोई शख़्स अपने बाज़ू इस तरह ज़मीन पर न बिछाये जिस तरह कुत्ता बिछाता है।' ये लफ़्ज़ हज़रत इस्हाक़ बिन इब्राहीम के हैं।

(1111) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 1029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 698.

फ़ायदा : इस वज़ाहत की ज़रूरत इसलिये पेश आई कि इस रिवायत को इमाम नसाई (رحمه الله) ने दो सनदों से बयान किया है। दोनों सनदें हज़रत क़तादा पर मुत्तफ़िक़ होती हैं। पहली सनद हज़रत इस्हाक़ बिन इब्राहीम से है और दूसरी हज़रत इस्माईल बिन मसऊद से। (मज़ीद देखिये, हदीस: 1029)

باب(٥٤): إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي السُّجُودِ

बाब : (54) सज्दे में कमर सीधी करना

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى، -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنِ الأَعْمَشِ،

(1112) हज़रत अबू मसऊद (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह नमाज़ दुरुस्त नहीं होती जिसमें नमाज़ी रुकू और सज्दे के दौरान

عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .

में अपनी कमर को सीधा न करे।'

(1112) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1028, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 699.

بَاب (٥٥): النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ،

बाब : (55) कव्वे की तरह ठोंगें मारने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ لِلصَّلاَةِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ .

(1113) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शहल (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन चीज़ों से मना फ़रमाया: कव्वे की तरह ठोंगें मारने से दरिन्दे की तरह बाज़ू बिछाने से और आदमी नमाज़ के लिये एक ही जगह मुक़र्रर कर ले, जैसे ऊँट (बैठने के लिये) एक जगह मुक़र्रर कर लेता है।

(1113) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 862, इब्ने माजा, हदीस: 1429, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 696, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 662, 1319, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 476, वल हाकिम: 1/229, मुसनद अहमद (5/447).

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है, और अल्लामा अतयूबी शारेह सुनन नसाई ने मज़्कूरा हदीस के पहले और दूसरे जुज को शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है और शैख़ अल्बानी और शारेह सुनन नसाई ने इस पर तफ़्सीली बहस की है जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद मअनन सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 3/156, 157, रक़म: 1168, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 13/337-343) **(2)** कव्वे की तरह ठोंगें मारने से मुराद बहुत हल्का सज्दा करना है यहाँ तक कि देखने वाला समझे ठोंगें मार रहा है। बल्कि सज्दे में कम अज़ कम तीन दफ़ा तस्बीह पढ़नी चाहिए।

ये नहीं कि एक तस्बीह जाते हुए, दूसरी तस्बीह सज्दे में और तीसरी उठते हुए पढ़े क्योंकि ये तो हक़ीक़तन सज्दे में एक दफ़ा तस्बीह है। (3) बाज़ू बिछाने से मुराद ये है कि सज्दे में बाज़ू ज़मीन पर रख दे जिस तरह कुत्ता वग़ैरह लेटने की हालत में ज़मीन पर अपने बाज़ू खोल कर रख देता है और मुँह भी ज़मीन पर रख लेता है। (4) एक जगह मुक़र्रर करने से मुराद ये है कि वह किसी और जगह नमाज़ न पढ़े यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा शख़्स उस जगह आ खड़ा हो तो उसे हटा कर वहाँ खड़ा हो या उससे नाराज़ हो, अलबत्ता इमाम और मुअज़्ज़िन इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं कि उनके लिये मजबूरी है।

बाब : (56)
सज्दे में बाल समेटने की मुमानिअत

(٥٦): باب
النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ

(1114) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करूं और (सज्दे में जाते वक़्त) बाल और कपड़े न समेटूं।'

(1114) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 700.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَرَوْحٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا " .

फ़ायदा : अरब लोग उमूमन सर के बाल बड़े रखते थे और खुली आस्तीनों वाली क़मीस पहनते थे। सज्दे में जाते तो बालों और आस्तीनों को मिट्टी से बचाने के लिये कुछ लोग बालों को बार बार समेटते और उन्हें इकट्ठा करते या उन्हें सर पर गुच्छे की सूरत में बाँध लेते इसी तरह वह आस्तीनों चढ़ा लेते चूंकि ये ग़ैर ज़रूरी हरकत है जो नमाज़ में मना है, लिहाज़ा इससे रोक दिया गया, अलबत्ता अगर पहले से बाल बाँध लिये गये हों या आस्तीनें चढ़ा ली गई हों और नमाज़ के दौरान में कुछ न किया जाये तो कुछ उलमा के नज़दीक जायज़ है मगर अगली हदीस उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती है। मालूम होता है कि नमाज़ में मिट्टी से बचने की क़सदन कोशिश करना तकब्बुर के ज़ेल में आता है बल्कि हर अज्व (अंग) को जो ज़मीन पर लगता है, लगने दे। मिट्टी का लगना तकब्बुर की नफ़ी है और तबीअत में तवाज़ोअ पैदा होती है वरना नमाज़ी किस किस चीज़ को मिट्टी से बचायेगा? चेहरे को? हाथों को? पाँव को? इज़ार को? पगड़ी को? मिट्टी तो ज़रूर ही लगेगी।

बाब : (57)
जो शख़्स बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ पढ़े, उसकी मिसाल?

(٥٧): باب
مَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو السَّرْحِيُّ، - مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ " .

(1115) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) ने अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस़ को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि वह सर के बालों का जूड़ा बनाकर उसे पीछे बाँधे हुए थे। आप उठे और बालों का जूड़ा (गुच्छा) खोलने लगे। अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस़ नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जा होकर कहने लगे: आपको मेरे बालों से क्या शिकायत थी? (जो आपने उन्हें खोला) उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'इस क़िस्म के नमाज़ की मिस़ाल उस शख़्स की तरह है जो पीछे बँधे हुए हाथों (कसी मश्कों) से नमाज़ पढ़ता है।'

(1115) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 701.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस तरह पीछे बँधे हुए हाथों वाला बहुत नाक़िस़ नमाज़ पढ़ता है, उसी तरह बँधे हुए बालों वाला अपने बालों को स़वाब से महरूम रखता है, ब'ख़िलाफ़ इसके अगर वह बाल ज़मीन पर लगते तो उनका भी सज्दा शुमार होता और उन्हें स़वाब मिलता। गोया नमाज़ से पहले भी बालों का जूड़ा नहीं बना होना चाहिए, नमाज़ में जूड़ा बनाना तो दूर की बात है। **(2)** ख़िलाफ़े शरअ़ काम होता देखकर मौक़े ही पर तम्बीह कर देनी चाहिए, ख़्वाहमख़्वाह या बिल्कुल सुकूत नहीं करना चाहिए। **(3)** बुराई को हाथ से मिटाने की ताक़त हो तो उसे हाथ से मिटा देना चाहिए। **(4)** ख़बरे वाहिद हुज्जत है।

बाब : (58) सज्दे में जाते वक़्त कपड़े इकट्ठे करने (समेटने) की मुमानिअ़त

النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ، فِي السُّجُودِ

(1116) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) को हुक्म दिया गया कि सात आज़ा (अंगों), पर सज्दा करें और मना किया गया बाल या कपड़े इकट्ठे करने (समेटने) से।

(1116) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 702.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

फ़ायदा : अगर कपड़ा पहले से इकट्ठा किया हुआ है जैसे नमाज़ से पहले आस्तीनें चढ़ा ली जायें तो कुछ उ़लमा के नज़दीक कोई हर्ज नहीं लेकिन हदीस के अल्फ़ाज़ में इस मफ़हूम की गुंजाइश नहीं है, लिहाज़ा पहले भी ऐसे न किया जाये।

बाब : (59) कपड़ों पर सज्दा करना

باب(٥٩): السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ

(1117) हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे दोपहर के वक़्त सख़्त गर्मी में नमाज़ पढ़ते तो गर्मी से बचने के लिये अपने कपड़ों पर सज्दा कर लिया करते थे।

(1117) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 542, व मुस्लिम, हदीस: 620, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 703.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - هُوَ السَّلَمِيُّ - قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ .

फ़ायदा : अगर अलग कपड़ा मुराद है जैसे आज कल मुसल्ला वग़ैरह होता है तो फिर ज़ाहिर है कोई इश्काल व ऐतराज़ नहीं। उन पर बिला शक व शुब्हा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता अगर पहने हुए कपड़े मुराद हों, जैसे: आस्तीनें आगे बढ़ा कर उन पर हाथ रख लिये जायें और पगड़ी नीचे करके उस पर माथा रख लिया जाये तो ज़रूरत के वक़्त ये भी जायज़ है, जैसे: सख़्त गर्मी या सर्दी से बचना, अल्बत्ता मिट्टी से चेहरे और हथेलियों को बचाने के लिये ऐसा करना ममनूअ है कि ये तकल्लुफ़ है जबकि सर्दी गर्मी से बचना इन्सान की ज़रूरत है।

बाब : (60)
सज्दा मुकम्मल करने का हुक्म है

باب(٦٠): الأَمْرِ بِإِتْمَامِ السُّجُودِ

(1118) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रुकू और सज्दा मुकम्मल करो। अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें अपने पीछे तुम्हारे रुकू और सज्दे में देखता हूँ।'

(1118) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 704.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ" .

फ़वाइद व मसाइल : (1) रुकू और सज्दा नमाज़ की जान हैं। उन्हें पूरे आदाब व सुनन समेत अदा करना उन्हें मुकम्मल करना है। ऐतदाल व इत्मिनान इख़्तियार किया जाये। सज्दे को खुला किया जाये। तस्बीहात व अज़्कार ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से किये जायें। (2) रुकू और सज्दे की हालत में नबी (ﷺ) का पीछे मुक़्तदियों को देख लेना, आपका मोजिज़ा था। कुछ ने इसे कंखियों से देखने से ताबीर किया है लेकिन ये स़ही नहीं। कंखियों से ज़्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता, जब कि आप का फ़रमान मुत्लक़ है, यानी सब नमाज़ियों को आप देख सकते थे, सिर्फ़ चन्द अफ़राद को नहीं।

बाब : (61)
सज्दे में क़ुर्आन मजीद पढ़ने की मुमानिअ़त

باب (٦١): النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ

(1119) हज़रत अली बिन अबू तालिब (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब (ﷺ) ने तीन चीज़ों से मना फ़रमाया है, मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों को मना फ़रमाया है, सोने की अंगूठी पहनने से, क़स्सी और ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का कपड़ा पहनने से और सज्दे या रुकू की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से।

(1119) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़:

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ، عُثْمَانُ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ نَهَانِي حِبِّي ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ - لاَ أَقُولُ نَهَى

النَّاسَ - نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلاَ أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلاَ رَاكِعًا " .

1042, मुस्लिम, हदीस: 480/212, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 705.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये हदीस नम्बर: 1041, 1042, 1043.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

(1120) हज़रत अली (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकू और सज्दे की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से रोका है।

(1120) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 480/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 706.

बाब : (62) सज्दे में अच्छी तरह कोशिश से दुआ करने का हुक्म

الأَمْرِ بِالاِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

(1121) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने मर्ज़े वफ़ात में घर की खिड़की का पर्दा हटाया। आपका सर मुबारक पट्टी से बँधा हुआ था। आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरा दीन लोगों तक पहुँचा दिया (तीन दफ़ा फ़रमाया) ऐ लोगो! नबूवत के ज़रिये से ख़ूशख़बरी देने वाली चीज़ों में से सिर्फ़ नेक ख़्वाब ही रह गये हैं जिन्हें कोई शख़्स देख ले या उसके लिये किसी दूसरे को नज़र आयें। ख़बरदार! मुझे रुकू और सज्दे में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से रोक दिया गया है, लिहाज़ा जब तुम रुकू करो तो अपने रब की

يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " .

अज़मत बयान करो (तस्बीहात पढ़ो) और जब सज्दा करो तो पूरी कोशिश से दुआ करो क्योंकि सज्दे की दुआ क़बूलियत के बहुत लायक़ है।'

(1121) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये हदीस नम्बर: 1046.

باب (٦٣): الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

बाब : (63) सज्दे में दुआ करना

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، - وَهُوَ كُرَيْبٌ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا

(1122) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना बिन्ते हारिस (ﷺ) के घर रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह (ﷺ) भी उनके पास वहीं आराम फ़रमा थे। मैंने आप (ﷺ) को देखा कि आप क़ज़ा-ए-हाजत के लिये उठे। फिर आप मशकीज़े के पास आये, उसका बन्द खोला, फिर दरम्याना सा वुज़ू किया। फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाये और सो गये। फिर दोबारा उठे और मशकीज़े के पास गये, उसका बन्द खोला, फिर मुकम्मल वुज़ू फ़रमाया, फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। आप अपने सज्दे में कहते थे: (अल्लाहुम्मा! इज्अल फ़ी क़ल्बी ... व आज़िम ली नूरन) 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल को मुनव्वर फ़रमा। मेरे कान मुनव्वर फ़रमा। मेरी आँखें रोशन कर दे। मुझ पर ऊपर नीचे से नूर बरसा। मेरे दायें बायें को मुनव्वर फ़रमा। मुझे आगे पीछे से पुर नूर फ़रमा और मुझे अज़ीम नूर अता फ़रमा।' फिर (नमाज़ मुकम्मल करने के बाद) आप सो गये यहाँ तक कि ख़र्राटे भरने

وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " . ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلاَةِ .

लगे। कुछ देर बाद हज़रत बिलाल (ﷺ) आये और आपको नमाज़ के लिये जगाया।

(1122) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 763/188, बुख़ारी, हदीस: 6316, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 708.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने नबी (ﷺ) की नमाज़ देखने के लिये क़सदन ये रात आप (ﷺ) के हुज्र-ए-मुबारक में गुज़ारी थी और उसके लिये बा'क़ायदा हज़रत मैमूना (ﷺ) और उनके तवस्सुत से रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त तलब की थी। **(2)** दरम्याना वुज़ू सोने के लिये था। नमाज़ के लिये होता तो आप मुकम्मल वुज़ू फ़रमाते जैसा कि बाद में किया। **(3)** यहाँ नूर से मुराद इल्म, हिदायत और ईमान है क्योंकि कुर्आन मजीद और अहादीस़ में मुतअद्दिद (कई) मक़ामात पर लफ़्ज़ नूर इन मानी में इस्तेमाल हुआ है।

باب (٦٤): نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (64)
(सज्दे में) एक और क़िस्म की दुआ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

(1123) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने रुकू और सज्दे में ये पढ़ा करते थे: (सुब्हान कल्लाहुम्मा रब्बना वबिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फ़िरली) 'ऐ अल्लाह! हमारे रब! तू हर क़िस्म के उयूब व नक़ाइस से पाक है और तमाम ख़ूबियों का हामिल है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा।' आप क़ुर्आन पर अमल करते थे।

(1123) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1048, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 709.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते तय्यबा के आख़री ज़माने में सूरह नस्र उतरी जिसमें इशारा फ़रमाया गया कि आप जिस मक़सद के लिये तशरीफ़ लाये थे, वह पूरा हो चुका। अब आप सारी तवज्जा अपने रब की तस्बीह व तहमीद की तरफ़ मबज़ूल फ़रमाइयें और बख़्शिश तलब करें। आपकी वफ़ात क़रीब है। रसूले अकरम (ﷺ) ने इन हिदायात के पेशे नज़र रुकू और सज्दे में ऊपर दी गई दुआ कस्रत से शुरू फ़रमाई। हज़रत आयशा (ﷺ) के अल्फ़ाज़ 'आप क़ुर्आन पर अमल करते थे।' में इसी की तरफ़ इशारा है।

बाब : (65) (सज्दे में) एक और क़िस्म की दुआ

باب (٦٥): نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

(1124) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने रुकू और सज्दे में ये दुआ पढ़ते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा! रब्बना वबिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फ़िरली) 'ऐ अल्लाह! हमारे रब! तू हर क़िस्म के उयूब व नक़ाइस़ से पाक है और हर क़िस्म की ख़ूबियों और तारीफ़ों वाला है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा।' आप क़ुर्आन पर अमल फ़रमाते थे।

(1124) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1048, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 716.

फ़ायदा : कुछ नुस्ख़ों में इस दुआ में आख़री लफ़्ज़ (अल्लाहुम्मग़फ़िरली) नहीं है। इस लिहाज़ से ये पिछली हदीस़ की दुआ से मुख़्तलिफ़ है। हमारे नुस्ख़े के लिहाज़ से दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं जबकि फ़र्क़ होना चाहिए ताकि 'और क़िस्म की दुआ' बन सके। वल्लाहु आलम!

बाब : (66) (सज्दे में) एक और दुआ

باب (٦٦): نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ " .

(1125) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: (एक दफ़ा) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बिस्तर पर न पाया तो मैं आपको ढूँढने लगी। मैंने ख़याल किया कि आप अपनी किसी लौण्डी के पास चले गये होंगे। (मैंने टटोलना शुरू किया) तो मेरा हाथ आपको लगा। आप सज्दे की हालत में थे और पढ़ रहे थे: (अल्लाहुम्मग़फ़िरली मा अस्रर्तु वमा आलन्तु) 'ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा जो मैंने छुप कर किये और जो मैंने ऐलानिया किये।'

(1125) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/147, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 710, मुस्लिम: 771.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (ﷺ) का ये गुमान औरत की फ़ितरत के मुताबिक़ है वरना रसूलुल्लाह(ﷺ) सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा से फ़रमाते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3662, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2384) आप उन्हें छोड़ कर कहाँ जा सकते थे? दरअसल ये दलील है कि हज़रत आयशा (ﷺ) को भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से इन्तेहा दर्जे की मोहब्बत थी। इस क़िस्म के एक और मौक़े पर आपने फ़रमाया था: 'क्या तू समझती है कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 974)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ " رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ " .

(1126) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: (एक रात) मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को न पाया तो मैंने समझा कि आप अपनी किसी बीवी या लौण्डी के पास चले गये होंगे। मैंने आपको तलाश करना शुरू कर दिया तो आप सज्दे में थे, ये दुआ फ़रमा रहे थे: 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा दे, वह गुनाह जो मैंने छुप कर किये और जो मैंने ऐलानिया किये।'

(1126) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 710 (ब).

फ़ायदा : हदीस के मतन में लफ़्ज़ (जवारी) है जिसके आम मानी लौण्डियाँ किये जाते हैं। वैसे इसके मानी बीवी भी किये जा सकते हैं क्योंकि ये लफ़्ज़ आज़ाद औरत के लिये भी अहादीस में इस्तेमाल हुआ है। लौण्डी की बारी मुक़र्रर नहीं होती जब कि बीवी की (अगर एक से ज़्यादा हों) बारी मुक़र्रर होती है, लिहाज़ा किसी बीवी की बारी के दिन अपनी लौण्डी के पास जाना मना नहीं, दूसरी बीवी के पास जाना मना है। शायद इसीलिये लौण्डी का लफ़्ज़ बोला वरना बदगुमानी की कोई हद नहीं होती।

बाब : (67)
(सज्दे में) एक और क़िस्म का ज़िक्र

باب (٦٧): نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

(1127) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सज्दा करते तो फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा लका सजदतु .... अहसनुल ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा किया और तेरे ही लिये मुतीअ हुआ और तुझी पर ईमान लाया। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा

الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " .

किया जिसने इसे पैदा किया, उसकी सूरत बनाई और अच्छी सूरत बनाई और इसमें कान और आँखें बनाईं। बा'बरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है।'

(1127) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 771/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 711.

باب (٦٨): نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (68) एक और क़िस्म का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَيْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " .

(1128) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) अपने सज्दे में ये पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा! लक सजदतु .... अहसनुल ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा किया और तुझी पर ईमान लाया और तेरे ही लिये मुतीअ हुआ। तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पैदा किया और उसकी सूरत बनाई और उसमें कान और आँखें बनाईं। बा'बरकत है अल्लाह तआला जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है।'

(1128) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 712, देखें, हदीस: 897.

باب (٦٩): نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (69) (सज्दे में) एक और क़िस्म का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ

(1129) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को उठते तो नफ़ल पढ़ते। जब सज्दा करते तो कहते: (अल्लाहुम्मा! लका सजदतु ..... अहसनुल ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा

مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ إِذَا سَجَدَ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " .

किया, तुझी पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे सुपुर्द किया। ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पैदा किया और उसकी सूरत बनाई और उसमें आँख और कान बनाये। बा'बरकत है अल्लाह सबसे बेहतर पैदा करने वाला।'

(1129) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 713, देखें, हदीस: 1053.

نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (68) एक और क़िस्म का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ " .

(1130) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) रात की नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत के दौरान में ये दुआ पढ़ते थे: (सजद वज्हिया लिल्लज़ी ख़लक़हु ..... वकुव्वतिही) 'मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पैदा किया और अपनी तदबीर और कुव्वत से उसमें आँख और कान पैदा किये।'

(1130) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 714, सुनन अबी दाऊद,: 1414.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है इस हदीस का शाहिद सहीह मुस्लिम वग़ैरह में है। याद रहे मालूम हुआ कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद शवाहिद की बिना पर सही और क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम!

نَوْعٌ آخَرُ

बाब : (71) एक और क़िस्म की दुआ

خْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ

(1131) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: एक रात मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को (बिस्तर पर) न पाया। (तलाश किया) तो आप सज्दे की हालत में मिले और आपकी उँगलियाँ क़िब्ले की तरफ़ मुड़ी हुई थीं। मैंने सुना, आप

فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

फ़रमा रहे थे: (अऊज़ुबि रिज़ाक मिन सख़तिक ... अला नफ़्सिक) '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरे ग़ुस्से से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में आता हूँ। और तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ। और तुझसे (तेरे अज़ाब से बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। मैं तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू इस तरह है जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।'

(1131) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 3493, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 715, मुस्लिम: 486/222, जामिउत्तहसील लिल अलाई (सफ़ा: 261) वग़ैरहुम.

फ़ायदा : अपनी तारीफ़ आप करना हममें मायूब है क्योंकि मुबालिग़ा आराई और तकब्बुर का डर है। अल्लाह तआला के हक़ में हर मुबालिग़ा हक़ीक़त है और अल्लाह तआला बुज़ुर्गी और बड़ाई का मालिक है। उसे तकब्बुर जचता है, लिहाज़ा वह अपनी तारीफ़ आप करता है।

باب (۷۲): نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " . فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ .

बाब : (72) एक और क़िस्म की दुआ

(1132) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं, एक रात मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को (बिस्तर पर) न पाया तो मैंने सोचा आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास गये होंगे। मैंने आपको टटोलना शुरू किया तो आप रुकू या सज्दे की हालत में थे और पढ़ रहे थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा! वबिहम्दिका ला इलाह इल्ला अन्त) 'ऐ अल्लाह! तू पाक है और तारीफ़ों वाला है तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।' मैंने कहा: मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! मैं किस ख़याल में थी और आप किस शान में हैं?'

(1132) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 717.

फ़ायदा : उन दिनों घरों में चराग़ न होते थे। हों भी तो बुझा कर सोते थे, इसी लिये नौबत यहाँ तक पहुँची।

नَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً ثُمَّ سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

बाब : (73) एक और क़िस्म का ज़िक्र

(1133) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ के लिये उठा। आपने सबसे पहले मिस्वाक फ़रमाई और वुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाई। (सूरह फ़ातिहा के बाद) आपने सूरह बक़रः शुरू की। आप जब भी कोई रहमत वाली आयत पढ़ते तो रुकते और रहमत का सवाल फ़रमाते और अज़ाब की आयत पढ़ते तो रुकते और अज़ाब से पनाह माँगते। फिर आपने रुकू फ़रमाया और अपने क़याम के बराबर रुकू में ठहरे। आप रुकू में ये दुआ पढ़ते: (सुब्हान ज़िल्जबरूति वलमल्कूति वलकिब्रियाइ वलअज़मा) 'पाक है अज़ीम कुव्वत, बादशाही, बुज़ुर्गी वाला और अज़मत का मालिक।' फिर आपने रुकू के बराबर सज्दा फ़रमाया और अपने सज्दे में भी यही पढ़ते रहे। 'पाक है अज़ीमुश्शान कुव्वत, बेमिसाल बादशाही, बेइन्तेहा बुज़ुर्गी और अज़मत का मालिक।' फिर दूसरी रकअत में आपने आले इमरान पढ़ी। फिर एक और सूरत, फिर एक और सूरत और इस (रकअत) में भी आपने (रुकू व सुजूद) ऐसे ही किया।

(1133) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1050, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 718.

बाब : (74) एक और क़िस्म की दुआ

نَوْعٌ آخَرُ

(1134) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने (सूरह फ़ातिहा के बाद) सूरह बक़रः शुरू की। आपने सो आयात पढ़ लीं मगर रुकू न फ़रमाया बल्कि क़िराअत जारी रखी। मैंने सोचाः आप दो रकआत में पूरी कर लेंगे मगर आपने क़िराअत जारी रखी। मैंने (दिल में) कहाः ये सूरत ख़त्म करके रुकू फ़रमायेंगे मगर आप पढ़ते रहे यहाँ तक कि सूरह निसा भी पढ़ डाली। फिर सूरह आले इमरान पढ़ी, फिर तक़रीबन अपने क़याम के बराबर रुकू फ़रमायाः अपने रुकू में कहते रहेः (सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम) फिर सर उठाया और फ़रमायाः (समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द) और बहुत देर तक खड़े (कुछ पढ़ते) रहे। फिर सज्दा फ़रमाया और बहुत लम्बा सज्दा फ़रमाया। और सज्दे में पढ़ते रहेः (सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला) आप जूंही कोई डराने वाली या अल्लाह तआला की अज़मत वाली आयत पढ़ते तो (उसके मुनासिब) दुआ और अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते।

(1134) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 1009, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 719.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يَرْكَعْ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ ذَكَرَهُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) आपने सूरह निसा पहले पढ़ी, आले इमरान बाद में। इससे मालूम हुआ कि क़िराअत में सूरतों की तर्तीब में तक़दीम व ताख़ीर जायज़ है। (2) इस हदीस में रुकू और सज्दे की

मज़्कूरा तस्बीहात मुख़्तसर और जामेअ हैं, इसलिये उम्मत में यही राइज हो चुकी हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि फ़र्ज़ नमाज़ में इनके अलावा दूसरी तस्बीहात या दुआयें जायज़ ही नहीं बल्कि अपने ज़ौक़ और जमाअत की सूरत में, मुक़्तदियों और इमाम का लिहाज़ रखते हुए कोई सी तस्बीहात पढ़ी जा सकती हैं। (3) क़िराअते क़ुर्आन के वक़्त अल्फ़ाज़ व मानी की तरफ़ पूरी तवज्जा देना और फिर उनसे मुतास्सिर होना, अल्लाह तआला की रहमत व मग़फ़िरत का सवाल, सज़ा और अज़ाब से तअव्वुज़, सालेहीन की मईयत और मुफ़्सिदीन से बचाव, दुख़ूले जन्नत और जहन्नम से निजात की दुआएँ करना नमाज़ी के ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ की दलील है और यही नमाज़ से मतलूब है। इसमें फ़र्ज़ और नफ़्ल नमाज़ का कोई फ़र्क़ नहीं, अलबत्ता मुक़्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिए। (4) क्या मुक़्तदी भी इमाम की क़िराअत में किसी सवाल का जवाब, हुक्म की बजा आवरी और रहमत की दुआ वग़ैरह कर सकते हैं? उलमा-ए-उम्मत का इसमें इख़्तिलाफ़ है कुछ अदमे जवाज़ के क़ाइल हैं और कुछ ने उमूमात से इस्तेदलाल करते हुए जवाज़ का फ़तवा दिया है। राजेह बात ये मालूम होती है कि सिर्फ़ क़ारी जवाब देगा क्योंकि हदीस में सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के जवाब देने का ज़िक्र है और रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ुद क़िराअत कर रहे थे क्योंकि आप इमाम थे। इसी तरह मुन्फ़रिद भी जवाब देगा क्योंकि वह भी ख़ुद क़िराअत करता है, मुक़्तदी जवाब नहीं देगा क्योंकि वह फ़ातिहा के अलावा क़िराअत नहीं करता। वल्लाहु आलम!

बाब : (75) एक और क़िस्म का ज़िक्र

نَوْعٌ آخَرُ

(1135) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने रुकू और सज्दे में ये तस्बीह पढ़ते थे: (सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन, रब्बुल मलाइकति वर्रूहि) 'बहुत पाक है, मुनज़्ज़ह है फ़रिश्तों और रूह (जिब्राईल अमीन) का रब।'

(1135) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 487/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 720.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 1049.

أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ " .

बाब : (76)सज्दे में तस्बीहात की तादाद

باب (٧٦): عَدَدِ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ

(1136) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने किसी को उस जवान, यानी

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي

أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَتَى - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ .

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बढ़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुशाबेह नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। हमने रुकू और सज्दे में उनकी तस्बीहात का अन्दाज़ा दस तस्बीहात का लगाया।

(1136) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 721.

फ़ायदा : इस अन्दाज़े में छोटी तस्बीहात, यानी (सुब्हान रब्बियल आला) मुराद हैं। तीन और दस के दरम्यान तस्बीहात एक दरम्यानी दर्जे का रुकू और सज्दा हैं इसी पर अमल करने से आदमी इफ़रात व तफ़रीत से महफ़ूज़ रह सकता है। कुछ रिवायात में आप (ﷺ) का अमल तीन तस्बीहात का है। जिससे इस्तेदलाल करते हुए उलमा-ए-किराम कहते हैं कि ये तादाद कम अज़ कम है। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं। वल्लाहु आलम!

الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ

बाब : (77) सज्दे में तस्बीहात ज़िक्र न करने की रुख़सत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ أَبُو يَحْيَى، بِمَكَّةَ - وَهُوَ بَصْرِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَأَتَى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ

(1137) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (رضي الله عنه) से रिवायत है, फ़रमाते हैं: एक बार ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मस्जिद में) बैठे थे और हम आपके इर्द गिर्द (हल्क़ा बाँधे हुए) थे। इतने में एक आदमी आया और वह मस्जिद की क़िब्ले वाली दीवार के पास जाकर नमाज़ पढ़ने लगा। जब उसने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो वह आया और रसूलुल्लाह (ﷺ) को और सब लोगों को सलाम किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया: 'जा फिर नमाज़ पढ़ क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह गया और फिर नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी नमाज़ को

جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَذَهَبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُ صَلاَتَهُ وَلاَ يَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِبْتَ مِنْ صَلاَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ " . قَالَ هَمَّامٌ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " وَيَحْمَدَ اللَّهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ " . قَالَ فَكِلاَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ " وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولَ سَمِعَ

बग़ौर देखते रहे। उसे इल्म नहीं था कि आप उसकी कौनसी ग़लती पकड़ रहे हैं। जब वह नमाज़ पढ़ चुका तो फिर आया और रसूलुल्लाह(ﷺ) को और सब लोगों को सलाम किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वअलैक', 'जा नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' उसने दो या तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी। आख़िर उसने कहा: ऐ अलाह के रसूल! आपने मेरी नमाज़ में क्या ग़लती महसूस फ़रमाई है? आपने फ़रमाया: 'तुममें से किसी की नमाज़ मुकम्मल नहीं होती जब तक वह अच्छी तरह वुज़ू न करे जिस तरह कि अल्लाह तआला ने उसे हुक्म दिया है, यानी वह अपना चेहरा और कुहनियों तक हाथ धोये। फिर अल्लाहु अकबर कहे और अल्लाह (عزوجل) की हम्द और बुज़ुर्गी बयान करे (सना पढ़े) और जो क़ुर्आन उसे आसान हो, जो उसे अल्लाह तआला ने सिखलाया है और उसे तौफ़ीक़ दी है, पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कह कर रुकू करे यहाँ तक कि उसके जोड़ मुत्मइन हो जायें और अपनी मौजूदा जगह पर ठहर जायें। फिर वह (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कह कर सीधा खड़ा हो जाये और अपनी पुश्त को बिल्कुल अपनी अस्ली हालत में करे। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे यहाँ तक कि अपने चेहरे को अच्छी तरह ज़मीन पर जमाये यहाँ तक कि उसके जोड़ मुत्मइन और पुर सुकून हो जायें और अपनी अपनी जगह ठहर जायें। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर उठाये और मक़अद (सुरीन) पर अच्छी तरह बैठ जाये

اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ " . وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلاَتُهُ " .

और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर ले। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे और अपने चेहरे या माथे को ज़मीन पर जमाये और लगाये। जब तक (नमाज़ में) ऐसे न करे, उसकी नमाज़ पूरी नहीं होती।'

(1137) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 722, व सहीह हाकिम: 1/241, 242, ज़हबी, हदीस: 668.

फ़ायदा : इस रिवायत में रुकू और सज्दे की तस्बीहात का ज़िक्र नहीं। इससे मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने इस्तिम्बात किया है कि तस्बीहात फ़र्ज़ नहीं। उनके बग़ैर भी नमाज़ हो जाती है लेकिन अदमे ज़िक्र अदम वजूद को मुस्तलज़िम नहीं। हो सकता है रावी ने किसी वजह से उसकी तफ़्सील तर्क कर दी हो, फिर उसमें कौनसे तमाम फ़राइज़ व वाजिबात का अहाता है। इस्तिम्बाते मसाइल हमेशा एक मौज़ूअ की मज्मूई अहादीस देख कर होना चाहिए, इसलिये तस्बीहात ज़रूर पढ़नी चाहिए। (मज़ीद तफ़्सीलात के लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 1054)

باب (٧٨): أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (78) बन्दा अल्लाह तआला के सबसे ज़्यादा क़रीब कब होता है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَىٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " .

(1138) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बन्दा अपने रब (عزوجل) के सबसे ज़्यादा क़रीब सज्दे की हालत में होता है, लिहाज़ा सज्दे में ख़ूब दुआ किया करो।'

(1138) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ का असल मक़सूद सज्दा है, बाक़ी तहमीद और ख़ातिमा है, लिहाज़ा सज्दे में मुकम्मल सुकून व इत्मिनान होना चाहिए। (2) कुछ हज़रात दुआ के लिये नमाज़ से अलग सिर्फ़ सज्दे को भी मुनासिब ख़्याल करते हैं लेकिन इसका सुन्नत से सबूत नहीं मिलता। हाँ सज्द-ए-शुक्र मसनून है। (3) यहाँ क़ुर्ब से जिस्मानी या मकानी क़ुर्ब मुराद नहीं बल्कि रुत्बे और इज़्ज़त व शर्फ़ वाला क़ुर्ब मुराद है क्योंकि शैतान सज्दे से इन्कार करके ज़लील व रुस्वा हुआ और इन्सान शैतान की मुख़ालिफ़त, यानी सज्दा करके इज़्ज़त व रुत्बा हासिल कर सकता है।

बाब : (79) सज्दे की फ़ज़ीलत

باب(٧٩): فَضْلِ السُّجُودِ

(1139) हज़रत रबीआ बिन कअब असलमी(ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आपके वुज़ू का पानी और दूसरी ज़रूरियात मुहैया किया करता था। आपने फ़रमाया: 'मुझसे (कुछ) माँग।' मैंने कहा: जन्नत में आपकी रफ़ाक़त माँगता हूँ। आपने फ़रमाया: 'कोई ओर चीज़?' मैंने कहा: बस यही माँगता हूँ। आपने फ़रमाया: 'इस सिलसिले में तू सज्दों (नफ़ल नमाज़) की कस्रत के ज़रिये से मेरी मदद कर।'

(1139) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 489, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 724.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ كُنْتُ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ " سَلْنِي " . قُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ सिर्फ़ शिफ़ारिश और दूसरों की दुआ पर ऐतमाद काफ़ी नहीं बल्कि ख़ुद भी कुछ मुश्किलात बरदाश्त करनी चाहिए ताकि सिफ़ारिश और दुआ का सही महल बन सके। सिफ़ारिश और दुआ की वजहे जवाज़ भी तो होनी चाहिए। (2) ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ सज्दा इस्लाहे नफ़्स का बेहतरीन नुस्ख़ा है जो नबी (ﷺ) ने तज्वीज़ फ़रमाया। (3) जन्नत में जाने के लिये इस्लाहे नफ़्स अज़ हद ज़रूरी है। (4) मरातिबे आलिया का हुसूल नफ्से अम्मारा की मुख़ालिफ़त ही से मुमकिन है। (5) इस हदीसे मुबारका से नफ़ली नमाज़ की फ़ज़ीलत भी साबित होती है। (6) जन्नत में कुछ आम लोग भी अम्बिया के साथ होंगे।

बाब : (80) ख़ालिस़ अल्लाह (عزوجل) के लिये सज्दा करने वाले को क्या स़वाब मिलेगा?

باب (٨٠): ثَوَابِ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً

(1140) हज़रत मअ़दान बिन तल्हा यअ़मरी बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम हज़रत स़ौबान (ؓ) से मिला और गुज़ारिश की: मुझे ऐसा अ़मल बताइये जो मुझे नफ़ा दे या मुझे जन्नत में दाख़िल कर दे। आप कुछ देर ख़ामोश रहे, फिर मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: कस़रते सुजूद को लाज़िम पकड़ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है: 'जो बन्दा अल्लाह तआ़ला के लिये सज्दे करता है, अल्लाह तआ़ला उस सज्दे की वजह से उसका दर्जा बलन्द फ़रमाता है और एक ग़लती माफ़ फ़रमाता है।' मअ़दान ने कहा: फिर मैं हज़रत अबू दरदा (ؓ) से मिला और उनसे भी वही सवाल किया जो हज़रत स़ौबान (ؓ) से किया था। उन्होंने भी फ़रमाया: सज्दे (कस़रत के साथ) किया कर क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जो बन्दा ख़ालिस़ अल्लाह तआ़ला के लिये सज्दा करता है तो अल्लाह तआ़ला उस सज्दे की बिना पर उसका दर्जा बलन्द फ़रमाता है और उसकी ग़लती (या ग़लतियाँ) माफ़ फ़रमाता है।'

(1140)तख़रीज: (सनद स़ही) मुस्लिम: 488, मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 725.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " . قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ لِي عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सलफ़ स़ालेहीन की फ़ज़ीलत कि वह हुसूले जन्नत के लिये किस क़द्र कौशां और हरीस़ थे कि अक्स़र व बेश्तर उनके सवालात का मेहवर आख़िरत होती थी। (2) आ़लिमे

दीन को सवाल का जवाब देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि पहले सोचना चाहिए। जब दलाइल मुस्तह्ज़र हों तब जवाब दे।

बाब : (81) आज़ा-ए-सज्दा की फ़ज़ीलत

باب (٨١): مَوْضِعِ السُّجُودِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيْنٌ بِالْمَصِّيصَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا، حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَالآخَرُ مُنْصِتٌ قَالَ فَتَأْتِي الْمَلاَئِكَةُ فَتَشْفَعُ وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ وَذَكَرَ الصِّرَاطَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرَفُونَ بِعَلاَمَاتِهِمْ إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَىْءٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " .

(1141) हज़रत अता बिन यज़ीद बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू सईद(ﷺ) के पास बैठा था। उनमें से एक ने शफ़ाअत वाली हदीस़ सुनाई और दूसरा ख़ामोश बैठा था। उस (स़हाबी) ने फ़रमाया: फ़रिश्ते आयेंगे और सिफ़ारिश करेंगे। तमाम रुसूल(ﷺ) भी सिफ़ारिश फ़रमायेंगे। फिर उन्होंने पुल स़िरात का ज़िक्र करके कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं सबसे पहले गुज़रूंगा। फिर जब अल्लाह तआला बन्दों के दरम्यान इन्साफ़ करके फ़ारिग़ हो जायेगा और जिन्हें आग से निकालना चाहेगा, उन्हें निकालने लगेगा तो फ़रिश्तों और रसूलों को सिफ़ारिश करने का हुक्म देगा तो उन्हें उनके (सज्दों के) निशानात से पहचाना जायेगा क्योंकि आग इन्सान के हर अज्व (अंग) को जला देगी मगर सज्दे वाली जगहों को न जला सकेगी, चुनांचे (जहन्नम से निकाल कर) उन पर आबे हयात डाला जायेगा, तो वह ऐसे (खूबसूरत) उगेंगे जैसे सैलाबी कूड़ा करकट में दाना उगता है।'

(1141) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 6573, मुस्लिम, हदीस़: 182, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 726.

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़िरात या उर्फ़े आम में पुल स़िरात, जहन्नम के ऊपर रखा जायेगा जिस पर से सब लोग गुज़रेंगे यहाँ तक कि अम्बिया (ﷺ) भी, मगर आला दर्जे के लोगों को जहन्नम का पता तक भी नहीं चलेगा जबकि गुनाहगारों को वह स़िरात और उसकी रुकावटें रोकेंगी, खींचेंगी, ज़ख़्मी

करेंगी। कुछ तो ज़ख़्मी होकर निजात पा जायेंगे और जन्नत में चले जायेंगे, बाक़ी जहन्नम में गिर जायेंगे कुफ़्फ़ार व मुनाफ़िक़ीन तो हमेशा के लिये जहन्नम का ईंधन बने रहेंगे और गुनाहगार मोमिनीन मैले सोने की तरह आग में जलेंगे। जब गुनाह और उनके असरात जल जायेंगे और नेकियाँ बाक़ी रह जायेंगी तो उन्हें निकाल कर आबे हयात में, जो जन्नत से लाया जायेगा, रखा जायेगा। जब वह जन्नतियों जैसे ख़ूबसूरत हो जायेंगे तो उन्हें जन्नत में ले जाया जायेगा जैसा कि भट्टी में सोने के साथ होता है। **(2)** सैलाबी कूड़ा करकट में रूईदगी की कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, लिहाज़ा सैलाब ख़त्म होने के बाद इस कूड़ा करकट में रह जाने वाले दाने बेहतरीन और बहुत जल्दी और ख़ूबसूरत उगते हैं। इसी तरह जन्नत का आबे हयात आग के असरात को ख़त्म करके उन्हें चमकते सोने की तरह ख़ूबसूरत बना देगा तो फिर वह जन्नत में जायेंगे। **(3)** जिस तरह आग सारा मैल कुचेल खा जाती है, सोने को नहीं खाती, बिल्कुल उसी तरह जहन्नम की आग गुनाह और गुनाह के असरात खायेगी। नेकी, ईमान और उनके असरात नहीं खा सकेगी, लिहाज़ा इसमें कोई अक़्ली इश्काल नहीं। बख़िलाफ़ इसके काफ़िर चूंकि सरापा गुनाह हैं, लिहाज़ा जहन्नम उन्हें ईंधन की तरह मुकम्मल तौर पर जलायेगी। गोया काफ़िर जलाने के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे जब कि गुनाहगार मोमिन सफ़ाई के लिये, लिहाज़ा दोनों इसी फ़र्क़ से पहचाने जायेंगे। **(4)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) अदब के कमाल दर्जे पर फ़ाइज़ थे कि जब एक बात करता तो दूसरे ख़ामोशी से सुनते अगरचे उन्हें पहले से उस बात का पता होता। **(5)** रसूलों और फ़रिश्तों के लिये शफ़ाअत का सबूत। मोतज़िला और ख़वारिज उसका इन्कार करते हैं। हदीस उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती है। **(6)** पुल सिरात का सबूत, और ये कि मोमिन भी उस पर से गुज़रेंगे। **(7)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) और आपकी उम्मत की फ़ज़ीलत का बयान कि वह तमाम उम्मतों से पहले पुल सिरात से गुज़रेगी। **(8)** कुछ मोमिन अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे, बाद में अल्लाह तआला उन पर रहम फ़रमायेगा और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल करेगा। **(9)** मोमिन लोगों के अज़ाब की कैफ़ियत कुफ़्फ़ार से मुख़्तलिफ़ होगी कि उनके सारे जिस्म को आग जलायेगी जबकि मोमिन के आज़ा-ए-सुजूद आग से महफ़ूज़ रहेंगे और यही उनकी पहचान की निशानी होगी। सिफ़ारिशी उन्हें उसी निशानी से पहचान कर आग से निकालेंगे।

बाब : (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे से लम्बा हो सकता है?

باب (٨٢): هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ

(1142) हज़रत शद्दाद (ﷺ) बयान करते हैं कि मग़रिब या इशा की नमाज़ के लिये अल्लाह के

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ

بْنُ حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا . قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ . قَالَ " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ " .

रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत हसन या हुसैन (رضي الله عنه) को उठा रखा था। रसूलुल्लाह(ﷺ) (नमाज़ पढ़ाने के लिये) आगे बढ़े और बच्चे को नीचे बिठा दिया। फिर नमाज़ के लिये तकबीरे तहरीमा कही और नमाज़ शुरू कर दी। नमाज़ के दौरान में आपने एक सज्दा बहुत लम्बा कर दिया। मैंने सर उठाकर देखा तो बच्चा रसूलुल्लाह (ﷺ) की पुश्त (पीठ) पर बैठा था और आप सज्दे में थे। मैं दोबारा सज्दे में चला गया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पूरी फ़रमाई तो लोगों ने गुज़ारिश कीः ऐ अल्लाह के रसूल! आपने नमाज़ के दौरान में एक सज्दा इस क़द्र लम्बा किया कि हमने समझा कोई हादसा हो गया है या आप को वहि आने लगी है। आपने फ़रमायाः 'ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि मेरा बेटा मेरी पुश्त पर सवार हो गया तो मैंने पसन्द न किया कि उसे जल्दी में डालूं (फ़ौरन उतार दूं) यहाँ तक कि वह अपना दिल ख़ूश कर ले।'

(1142) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/493, 494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 727.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हादसा' मर्ज़ या वफ़ात से किनाया है, तभी तो सहाबी को तश्वीस हुई और सर उठा कर देखा। **(2)** बिला वजह सज्दे के दरम्यान सर उठाना मना है मगर कोई उज़्र हो, जैसेः पेशानी के नीचे कोई तकलीफ़ देह चीज़ आ गई हो या सर में शदीद दर्द महसूस हो या इमाम की हालत देखना मक़सूद हो तो ज़रूरत के मुताबिक़ सर उठाया जा सकता है। उज़्र ख़त्म होने पर दोबारा सज्दे में चला जाये। ये दो सज्दे नहीं बनेंगे, एक ही रहेगा क्योंकि नियत मोतबर है। **(3)** बच्चों की ख़ूशी का इस क़द्र लिहाज़ रखना रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसे दुर्रे यतीम ही से हो सकता है। यक़ीनन ऐसा फ़ेअल दुगने सवाब का हामिल है कि इबादत में भी इज़ाफ़ा हुआ और अल्लाह तआला की छोटी सी मख़लूक़ की

दिलजोई हुई। (4) क़राबत के ऐतबार से नवासे को बेटा कहना दुरुस्त है अगरचे वह विरासत के ऐतबार से बेटे की तरह नहीं होता।

बाब : (83) सज्दे से उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना

التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ

(1143) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप हर झुकते, उठते, बैठते और खड़े होते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते थे और अपने दायें बाये (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि) 'तुम पर अल्लाह तआला की सलामती और रहमत हो।' कहते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती थी। और मैंने हज़रत अबू बक्र व उमर(ﷺ) को भी इसी तरह करते देखा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ . قَالَ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ .

(1143) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 728.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 1084.

बाब : (84) पहले सज्दे से उठते वक़्त रफ़उल यदैन करना?

رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى

(1144) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अपने दोनों हाथ उठाते और जब रुकू करते तो ऐसे करते और जब रुकू से सर उठाते तो ऐसे करते और जब सज्दे से अपना सर उठाते तो इन सब में ऐसे ही करते, यानी रफ़उल यदैन करते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ

مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ .

(1143) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 1086, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 729.

फ़ायदा : सज्दे में रफ़उल यदैन करने वाली सब रिवायात ज़ईफ़ हैं। मज़ीद देखिये, हदीस: 1088.

تَرْكِ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

बाब : (85) सज्दों के दरम्यान रफ़उल यदैन न करना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

(1145) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अल्लाहु अकबर कहते और रफ़उल यदैन करते इसी तरह जब रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते (तब भी ऐसा ही करते) लेकिन दो सज्दों के दरम्यान रफ़उल यदैन नहीं करते थे।

(1145) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1026, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 730.

फ़ायदा : ये रिवायत सही है, इसलिये सज्दे में रफ़उल यदैन करना सही नहीं है।

باب (٨٦): الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

बाब : (86) दो सज्दों के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . ثُمَّ

(1146) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मरवी है कि वह नबी (ﷺ) के पास पहुँचे (तो आप नमाज़ पढ़ रहे थे) और वह नबी (ﷺ) के साथ पहलू में खड़े हो गये। आपने फ़रमाया: (अल्लाहु अकबर ज़ुल्मलकूति वलजबरूति वलकिब्रियाइ वलअज़मति) 'अल्लाह सबसे बड़ा है, वह बादशाही, अज़ीमुश्शान क़ुव्वत, बेइन्तेहा बुज़ुर्गी और अज़मत का मालिक है।' फिर आपने (सूरह फ़ातिहा के बाद) सूरह बक़रः तिलावत फ़रमाई।

قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ". وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ " لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ". وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ". وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي ".

फिर रुकू फ़रमाया। आपका रुकू तक़रीबन आपके क़याम के बराबर था। आपने रुकू में (बार-बार) पढ़ा: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम) और जब रुकू से सर उठाया तो (समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहने के बाद) फ़रमाया: (लिरब्बियल हम्दु, लिरब्बियल हम्दु) 'मेरे रब के लिये ही सब तारीफ़ें हैं, मेरे रब के लिये ही सब तारीफ़ें हैं।' और आप अपने सज्दे में पढ़ते रहे: (सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला) और आप दो सज्दों के दरम्यान पढ़ते रहे: (रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली) 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा दे। ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा दे।'

(1146) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 1070, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 731.

फ़ायदा : दो सज्दों के दरम्यान रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली पढ़ना भी सही है बल्कि आम मारूफ़ दुआ से सनद के ऐतबार से ये ज़्यादा क़वी है। वल्लाहु आलम!

بَاب (٨٧): رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ الْوَجْهِ

बाब : (87) दो सज्दों के दरम्यान अपने चेहरे के सामने दोनों हाथ उठाना

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو سَهْلٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ

(1147) अबू सहल अज़दी बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने मिना की मस्जिदे ख़ैफ़ में मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। उन्होंने जब पहला सज्दा करने के बाद सर उठाया तो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने उठाये। मैंने इस फ़ेअल को दुरुस्त न समझा। मैंने (अपने साथी) वुहैब बिन ख़ालिद से कहा कि ये ऐसा काम करते

مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ . فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ .

हैं जो मैंने किसी और को करते नहीं देखा। वुहैब नें उनसे कहा, आप ऐसा काम करते हैं जो मैंने किसी और को करते नहीं देखा। अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने कहा: मैंने अपने वालिद मोहतरम को ऐसे करते देखा है और उन्होंने फ़रमाया: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को ऐसे करते देखा है और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

(1147) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 732.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत के रावी अबू सहल अज़दी ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा ये हदीस ग़ैर मोतबर है, ख़ुसूसन इसलिये कि ये इन्तेहाई सही अहादीस, जो कि सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम और दीगर कुतूबे अहादीस में मज़्कूर हैं, के ख़िलाफ़ है। इन अहादीस में सराहतन सज्दों के दरम्यान रफ़उल यदैन की नफ़ी आई है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 735, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 39) इन अहादीस को छोड़ कर ऐसी कमज़ोर हदीस पर किसी मसले की बुनियाद रखना अहले इल्म के शायाने शान नहीं। सलफ़ सालेहीन दीन के मामले में इस क़द्र हस्सास और मोहतात थे कि कोई नई होती चीज़ देख कर फ़ौरन उसका इन्कार कर देते या उसकी दलील पूछते। **(2)** जिस शख़्स से उसके किसी काम के मुताल्लिक़ पूछा जाये तो उसे गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए बल्कि उसकी दलील पेश करके हुज्जत क़ाइम करनी चाहिए।

(٨٨) باب: كَيْفَ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

बाब : (88) दो सज्दों के दरम्यान कैसे बैठना चाहिए?

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ

(1148) हज़रत मैमूना (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सज्दा करते तो अपने बाज़ूओं को खोलते यहाँ तक कि पीछे से बग़लों की सफ़ेदी नज़र आती थी और जब बैठते थे तो बायीं रान पर इत्मिनान से बैठते।

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

(1148) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1110, मुस्लिम, 497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 733.

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ में बायीं रान पर बैठना मसनून है। ये हुक्म आम है और नमाज़ के तमाम जल्सात को शामिल है, सिवाये उस जल्से के जिसे दलील के साथ मुस्तस्ना किया गया हो जैसा कि आख़री तशह्हुद है। दूसरी रिवायत से उसका इस्तिस्ना साबित है और इसमें तवर्रुक मसनून है, यानी बायें पाँव को दायीं पिण्डली के नीचे से गुज़ार कर बायीं सुरीन पर बैठना। इमाम साहब का इस हदीस से इस्तेदलाल वाज़ेह है कि दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना चाहिए क्योंकि ये जल्सा भी उन जल्सात में से है जिसके बारे में कोई ख़ास रिवायत वारिद नहीं हुई, सिवाये इस रिवायत के, लिहाज़ा इस रिवायत पर अमल करते हुए दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना चाहिए। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत (536) में ऐड़ियों पर बैठने को मसनून क़रार दिया गया है और उलमा-ए-किराम ने इससे दो सज्दों के दरम्यान बैठना मुराद लिया है। इस ऐतबार से वह रिवायत इस रिवायत के ख़िलाफ़ हैं उनके दरम्यान तत्बीक़ इस तरह है कि दो सज्दों के दरम्यान दोनों तरह बैठना दुरुस्त है लेकिन पहला तरीक़ा अफ़ज़ल है क्योंकि आप (ﷺ) का अक्सर अमल यही है। बख़िलाफ़ आख़री तशह्हुद के कि इसमें दोनों तरह दुरुस्त नहीं बल्कि तवर्रुक ही मसनून है क्योंकि आप (ﷺ) का अमल यही है। वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये हदीस नम्बर: 1106, 1107.

قَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

बाब : (89) दो सज्दों के दरम्यान बैठने की मिक़्दार

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

(1149) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ में आपका रुकू और सज्दा और रुकू से सर उठाने के बाद क़याम और दो सज्दों के दरम्यान जल्सा (बैठना) तक़रीबन बराबर होते थे।

(1149) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1066, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 734.

बाब : (90) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना

باب (٩٠): التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضى الله عنهم .

(1150) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर उठने, झुकने और क़याम व क़ादा (खड़े होने और बैठने) के वक़्त अल्लाहु अकबर कहते थे और हज़रत अबू बक्र व उमर व उस्मान (ؓ) भी ऐसे ही करते थे।

(1150) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 735, तिर्मिज़ी, हदीस: 253.

फ़ायदा : देखिये हदीस नम्बर: 1084.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

(1151) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू फ़रमाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू से अपनी पुश्त उठाते (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। फिर खड़े खड़े कहते: (रब्बना लकल हम्द) फिर जब सज्दे के लिये झुकते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब सज्दे से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब दूसरा सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब सज्दे से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर सारी नमाज़ में ऐसे ही करते यहाँ तक कि उसे मुकम्मल फ़रमाते। और जब दो रकअतों के बाद बैठ कर उठते तो अल्लाहु अकबर कहते।

(1151) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:

ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ .

392/29, बुख़ारी, हदीस़: 789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 736.

بَاب (٩١): الاِسْتِوَاءِ لِلْجُلُوسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

बाब : (91) दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद सीधा बैठना

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي . قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ .

(1152) हज़रत अबू क़िलाबा से रिवायत है कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को कैसे नमाज़ पढ़ते देखा है। उन्होंने कहा: आपने जब पहली रकअत में दूसरे सज्दे से सर उठाया तो बैठ गये।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 677, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 737, अबू दाऊद, हदीस़: 843.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا .

(1153) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ पढ़ते देखा। जब आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअत में होते तो आप खड़े नहीं होते थे यहाँ तक कि पहले सीधे बैठ जाते।

(1153) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 823, तिर्मिज़ी, हदीस़: 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 738.

फ़ायदा : ताक़ रकअत के बाद अगली रकअत के लिये खड़े होने से पहले सीधा बैठना जल्स-ए-इस्तेराहत कहलाता है और ये ज़रूरी है। इस हदीस़ के अलावा और भी कई अहादीस़ में इसका स़राहतन ज़िक्र है। क़ौलन भी और फ़ेअलन भी। कुछ हज़रात जो इसके क़ाइल नहीं वह इसे नबी (ﷺ) के बुढ़ापे पर महमूल करते हैं कि बुढ़ापे की वजह से आपको बैठना पड़ता था, नमाज़ की सुन्नत के तौर पर नहीं। मगर उनके पास इस तावील की कोई दलील नहीं जब कि आँखों से देखने वाले स़हाब-ए-किराम

(ﷺ) तो उसे बुढ़ापे की बिना पर नहीं समझते थे जैसा कि हज़रत अबू हुमैद (ﷺ) का दस सहाबा के सामने रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बयान में इस अम्र का ज़िक्र करना और इन सहाबा का ख़ामोश रहना वाज़ेह दलील है। मुसीउस्सलात वाली क़ौली रिवायत भी सरीह है। अगर किसी रिवायत में इसका ज़िक्र नहीं है तो वह इख़्तिसार के पेशे नज़र है। किसी चीज़ का हुक्म मज्मूई तौर पर अहादीस से अख़ज़ करना चाहिए, लिहाज़ा किसी हदीस में इसका अदमे ज़िक्र उसके वजूब के ख़िलाफ़ नहीं। सहाब-ए-किराम (ﷺ) का ख़्याल बाद वालों के ख़्याल से यक़ीनन ज़्यादा मोतबर है। वैसे नबी (ﷺ) बुढ़ापे में भी इतने कमज़ोर नहीं हुए थे कि एक मुसल्लमा मसले को छोड़ना या तब्दील करना पड़ गया।

(٩٢): باب الاِعْتِمَادِ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ النُّهُوضِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ‏.‏

बाब : (92) उठते वक़्त ज़मीन पर हाथों का सहारा लेना

(1154) अबू क़िलाबा से रिवायत है कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) हमारे पास आये थे और कहते थे: क्या मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल (ﷺ) की नमाज़ न बयान करूं? फिर वह किसी फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त के अलावा (नफ़ल) नमाज़ पढ़ते। जब वह पहली रकअत के दूसरे सज्दे से सर उठाते तो सीधे बैठते, फिर खड़े होते और ज़मीन पर हाथों का सहारा लेते।

(1154) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1152, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 739.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस नम्बर 1092 में ज़िक्र हो चुका है कि हाथ इन्सान को सहारे का काम देते हैं और हाथों के सहारे के बग़ैर उठना या बैठना ऊँट बल्कि आम जानवरों की मुशाबिहत है जो मुनासिब नहीं। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत में सहारे से मना किया गया है। इसे हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे मुन्कर क़रार दिया है। देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, रक़म: 992) **(2)** बित्तबअ़ ये भी मालूम हुआ कि उठते वक़्त घुटने पहले उठाये जायेंगे और हाथ बाद में क्योंकि सहारा बाद में हटाया जाता है और इसी में सहूलत है। बूढ़े भी आसानी से उठ सकेंगे।

बाब : (93) उठते वक़्त हाथ ज़मीन से घुटनों से पहले उठाना

باب (٩٣): رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ، قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ

(1155) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, जब आप सज्दा करते तो अपने दोनों घुटने अपने दोनों हाथों से पहले रखते और जब उठते तो दोनों हाथ घुटनों से पहले उठाते।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये रिवायत शरीक से यज़ीद बिन हारून के अलावा किसी ने भी इस तरह बयान नहीं की। वल्लाहु तआला आलम!

(1155) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 1090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 740.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहाँ शरीक से क़ाज़ी शरीक मुराद हैं। इस रिवायत को इस तरह बयान करने में वह मुतफ़र्रिद हैं। सिक़ा रावी (जैसे: हम्माम) इस रिवायत को मुर्सल, यानी सहाबी के बग़ैर बराहे रास्त नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बयान करते हैं। क़ाज़ी शरीक हाफ़िज़े के लिहाज़ से इतने क़वी नहीं कि उनकी मुन्फ़रिद रिवायत को क़बूल किया जा सके। इमाम साहब का मक़सूद ये है कि ये रिवायत मुर्सल है, मुत्तसिल नहीं, लिहाज़ा मोतबर नहीं। दूसरे मुहद्दिसीन, जैसे: इमाम तिर्मिज़ी, दारक़ुतनी और बैहक़ी (رحمهم الله) भी इस फ़ैसले में इमाम साहब के साथ हैं। **(2)** इस हदीस की दीगर इस्नाद में हज़रत वाइल सहाबी का ज़िक्र नहीं है। उनका ज़िक्र करने वाले रावी मुतकल्लम फ़ीह हैं, लिहाज़ा ये रिवायत मुतनाज़अ फ़ीह है। हदीस नम्बर: 1184 मोतबर है। इस मसले पर मज़ीद बहस इससे पहले फ़वाइद हदीस नम्बर: 1092 में हो चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमायें।

बाब : (94) उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना

باب (٩٤): التَّكْبِيرِ لِلنُّهُوضِ

(1156) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) हमें नमाज़ पढ़ाते तो जब

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ،

كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

भी (रुकू और सज्दे के लिये) झुकते और (सज्दे से) उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। जब नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो फ़रमाते: अल्लाह की क़सम! यक़ीनन मैं अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुशाबेह हूँ।

(1156) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 785, मुस्लिम, हदीस: 392, मौता: 1/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 741.

फ़ायदा : दूसरे सज्दे से उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना खड़े होने के लिये काफ़ी है अगरचे दरम्यान में जल्स-ए-इस्तेराहत भी हो। अलग तकबीर की ज़रूरत नहीं क्योंकि जल्स-ए-इस्तेराहत तो मामूली होता है, हाँ अगर दूसरी रकअत के आख़िर में तशह्हुद के बाद उठें तो अलग तकबीर कहनी होगी क्योंकि वह अलग रुक्न है।

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا . وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ .

(1157) हज़रत अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) के पीछे नमाज़ पढ़ी। उन्होंने जब रुकू किया तो अल्लाहु अकबर कहा। जब रुकू से सर उठाया तो (समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) कहा। फिर सज्दे में गये तो अल्लाहु अकबर कहा। सज्दे से सर उठाया तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रकअत से उठे तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर फ़रमाया: क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुशाबेह हूँ और आप (ﷺ) की नमाज़ यही रही यहाँ तक कि आप दुनिया से जुदा हो गये (फ़ौत हो गये) ये लफ़्ज़ हज़रत सव्वार के हैं।

(1157) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 742.

फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं। नस्र बिन अ़ली और सव्वार बिन अ़ब्दुल्लाह। रिवायत में बयानकर्दा अल्फ़ाज़ हज़रत सव्वार के हैं अगरचे हज़रत नस्र के अल्फ़ाज़ भी मअ़नन उनसे मुख़्तलिफ़ नहीं।

बाब : (95) पहले तशह्हुद में कैसे बैठा जाये?

(٩٥): باب كَيْفَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

(1158) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: तहक़ीक़ नमाज़ में (बैठने का) तरीक़ा ये है कि तू अपना बायाँ पाँव बिछाये और दायाँ पाँव खड़ा करे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى .

(1158) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 827, अबु दाऊद, हदीस: 959, 960, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 743.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस में पहले या दूसरे तशह्हुद की तख़्सीस नहीं, इसीलिये अहनाफ़ हर तशह्हुद में इसी तरह बैठने के क़ाइल हैं मगर दीगर सही रिवायात में आख़री तशह्हुद की अलग कैफ़ियत है जिसे तवर्रुक कहते हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 828) तवर्रुक की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 1263 और उसका फ़ायदा। याद रहे इस तरीक़े को पहले तशह्हुद पर महमूल किया जायेगा। यही मुसन्निफ़ (رحمه الله) का मक़सूद है। **(2)** इबादात वग़ैरह में सहाबी का किसी फ़ेअ़ल को सुन्नत कहना रसूले अकरम (ﷺ) के किसी क़ौल व फ़ेअ़ल ही का बयान होता है, लिहाज़ा हुज्जत है।

बाब : (96) तशह्हुद में बैठते वक़्त दायें पाँव की उँगलियाँ क़िब्ले की तरफ़ मोड़ना

الاِسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ

(1159) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: नमाज़ में (बैठने का) तरीक़ा ये है कि तू दायें पाँव को खड़ा करे और उसकी उँगलियाँ क़िब्ला रुख़ करे और बायें पाँव पर बैठे।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، -

(1159) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:

وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ، الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى

827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 744.

باب (٩٧): مَوْضِعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

बाब : (97) पहले तशह्हुद में बैठते वक़्त हाथ कहाँ रखे जायें?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى . قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ .

(1160) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷻ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया तो मैंने देखा कि आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते और जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर फ़रमाते और जब दो रकअतों के बाद बैठते तो बायें पाँव को बिछाते और दायें को खड़ा करते और अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर रखते और अपनी (तशह्हुद की) उँगली दुआ-ए तशह्हुद के लिये उठाते और बायाँ हाथ बायीं रान पर रखते। फिर मैं अगले साल आया तो मैंने देखा कि सहाब-ए-किराम (ﷻ) अपने अपने जुब्बों में रफ़उल यदैन करते थे।

(1160) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 746.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷻ) पहली दफ़ा ग़ज़्व-ए-तबूक के बाद 9 हिजरी में आये थे और मुसलमान हुए। फिर दोबारा (इस रिवायत के मुताबिक़) अगले साल, यानी 10 हिजरी में आये। ये रमज़ान या शव्वाल की बात है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात तक छः सात माह बनते हैं गोया वफ़ात से इतना अर्सा पहले तक तो नबी (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷻ) रफ़उल यदैन किया करते थे। मन्सूख़ कब हुआ? **(2)** तशह्हुद पढ़ते वक़्त अंगूश्ते शहादत से इशारा करना चाहिए

और ये उँगली सलाम फेरने तक उठी रहनी चाहिए और बसा औक़ात किसी नमाज़ में सलाम फेरने तक पूरे तशह्हुद में बदस्तूर हरकत भी दी जा सकती है। इसकी तफ़्सील हदीस़ नम्बर 1890 और इसके फ़वाइद व मसाइल में गुज़र चुकी है।

बाब : (98) तशह्हुद में नज़र की जगह

باب (٩٨): مَوْضِعُ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُّدِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لاَ تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ . قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ .

(1161) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने हाथ से नमाज़ में कंकरियों से खेल रहा था। जब वह फ़ारिग़ हुआ तो उससे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने कहा: नमाज़ में कंकरियों को न छूआ कर, इसलिये कि ये शैतान की तरफ़ से है। लेकिन इस तरह कर जिस तरह रसूलुल्लाह(ﷺ) किया करते थे। उसने कहा: आप (ﷺ) कैसे किया करते थे? हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर रखा और अंगूठे के साथ वाली उँगली से क़िब्ले (सामने) की तरफ़ इशारा किया और अपनी नज़र उस पर लगाई। फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

(1161) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 580/116, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 747.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** तशह्हुद में दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत खुली रखी जाती है और बाक़ी हाथ बन्द रखा जाता है। और अंगुश्ते शहादत से इशारे की सूरत बनाई जाती है। गोया किसी चीज़ की ओर इशारा किया जा रहा है। नज़र इशारे पर टिकी रहे (और देखिये: हदीस़: 890) **(2)** कोई शख़्स ख़िलाफ़े सुन्नत काम कर रहा हो तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए।

बाब : (99)
पहले तशह्हुद में उँगली से इशारा करना

الإِشَارَةِ بِالأُصْبُعِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ، - يُعْرَفُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ نَزَلَ بِدِمَشْقَ أَحَدُ الثِّقَاتِ - قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ .

(1162) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ؓ) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब दो या चार रकआत के बाद बैठते तो अपने हाथ अपने घुटनों पर रखते। फिर उँगली से इशारा फ़रमाते थे।

(1162) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 745, मुस्लिम, हदीस़: 579.

फ़ायदा : तशह्हुद में इशारे की कैफ़ियत, सुन्नियत और मक़ाम की बहस़ हदीस़ नम्बर 1890 और उसके फ़वाइद में तफ़्सील से बयान हो चुकी है। ख़ुलास़ा ये है कि दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत को इशारे के अन्दाज़ में शुरू क़अदे से आख़िर तक खड़ा रखा जाये। कुछ लोग कहते हैं कि अश्हदु अल ला इलाह पर उँगली को उठा ले या हरकत दे और फिर इल्लल्लाह पर नीचे कर ले। लेकिन इसकी कोई दलील नहीं। अहादीस़ से यही मालूम होता है कि आख़री वक़्त, यानी सलाम फेरने तक उँगली बराबर उठी रहे और बसा औक़ात किसी नमाज़ में उँगली सलाम फेरने तक पूरे तशह्हुद में हरकत में रहे। ये दोनों तरीक़े दुरुस्त और मसनून हैं। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (100)
पहला तशह्हुद कैसे पढ़ा जाये?

كَيْفَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

(1163) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ؓ) बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तालीम दी कि जब हम दो रकअ़तों के बाद बैठें तो ये पढ़ें: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि .... व रसूलुहू) 'तमाम आदाब (क़ौली इबादात), दुआएँ (या बदनी इबादात) और अच्छे

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

अफ़आल व कलिमात (या माली इबादात) अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की तरफ़ से सलामती, रहमत और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के दूसरे तमाम नेक बन्दों पर सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।'

(1163) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 289, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 748, बुख़ारी, हदीस: 823, 830, 831, व मुस्लिम, हदीस: 402.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (अत्तहिय्यातु, अस्सलवातु, अत्तय्यिबातु) के मानी के बारे में तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर 1065 का फ़ायदा नम्बर 3 **(2)** मालूम हुआ पहले तशह्हुद में इतना पढ़ लेना भी काफ़ी है, ताहम नवाफ़िल में नबी (ﷺ) से पहले तशह्हुद में दरूद शरीफ़ का पढ़ना भी साबित है, इसलिये पहले तशह्हुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, तफ़्सीर 'अहसनुल बयान' में (इन्नल्लाह वमलाइकतहु युसल्लून अलन्नबी ... अल्आयत) (अल अहज़ाब: 33/56 की तफ़्सीर) बाक़ी रहे दुआएँ तो उसका महल नमाज़ का आख़री तशह्हुद है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ " إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

(1164) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम (पहले पहले) नहीं जानते थे कि दो रकअतों के बाद (बैठ कर) क्या पढ़ें मगर हम तस्बीह, तकबीर और अपने रब की हम्द पढ़ते रहते थे। हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ने हमें नेकी की इब्तेदा व इन्तेहा (नेकी के तमाम उमूर) की तालीम दी। आपने फ़रमाया: 'जब तुम हर दो रकअतों के बाद बैठो तो ये पढ़ो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु .....) तमाम आदाब, दुआएँ और अच्छे कलिमात अल्लाह तआला ही के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " .

तरफ़ से सलामती, रहमत और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह तआला के दूसरे नेक बन्दों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' और तुममें से हर आदमी वह दुआ मुन्तख़ब करे जो उसे ज़्यादा अच्छी लगे फिर अल्लाह तआला से वह दुआ करे।'

(1164) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 969, तिर्मिज़ी, हदीस: 1105, इब्ने माजा, हदीस: 899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 749.

फ़ायदा : अगर दो रकअतों के बाद सलाम फेरना हो तो दरूद शरीफ़ के बाद दुआ भी की जायेगी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاَةِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . إِلَى آخِرِ التَّشَهُّدِ .

(1165) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में (पढ़ने के लिये) तशह्हुद और दूसरी ज़रूरियात के लिये तशह्हुद सिखाया। नमाज़ वाला तशह्हुद तो ये है: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु .....) 'तमाम क़ौली इबादात, बदनी इबादात और माली इबादात अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की तरफ़ से सलामती, रहमत और बरकतें हो। हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।'

(1165) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 750.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَتَشَهَّدُ بِهَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ وَيَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(1166) हज़रत यहया बिन आदम बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सुफ़ियान को ये तशह्हुद फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों क़िस्म की नमाज़ में पढ़ते सुना और वह कहते थे: हमें (ये तशह्हुद) अबू इस्हाक़ ने अबू अल अह्वस से, उन्होंने (अबू अलअह्वस) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया।

(1166) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 6328, व मुस्लिम, हदीस: 402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 751, 752, 753.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" .

(1167) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ रहते थे। (पहले) हम कुछ नहीं जानने थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया: 'हर जल्से, यानी तशह्हुद में कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अ़लैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अ़लैना व अ़ला इबादिल्लाहि स्सालीहीन, अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसुलुहू)

(1167) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 1163, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 754.

(1168) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम नहीं जानते थे कि नमाज़ पढ़ें तो क्या कहें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें जामेअ़ कलिमात सिखाये और हमसे फ़रमाया: 'तु यूँ कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अ़लैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अ़लैना व अ़ला इबादिल्लाहिस्सालीहीन, अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू) हज़रत अ़ल्क़मा ने कहा: मैंने देखा कि हज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) ये कलिमात हमें इस तरह सिखाते जैसे क़ुर्आन सिखाते थे। (लफ़्ज़ लफ़्ज़ हिफ़्ज़ करवाते थे।)

(1168) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 970, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 755.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا " قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ .

(1169) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मरवी है कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते तो हम (तशह्हुद में) कहते: (अस्सलामु अ़लल्लाहि, अस्सलामु अ़ला जिब्रील, अस्सलामु अ़ला मीकाईल) अल्लाह तआ़ला पर सलाम हो, जिब्रईल पर सलाम हो, मीकाईल पर सलाम हो तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम ये न कहो कि अल्लाह तआ़ला पर सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तआ़ला तो खुद

خْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ، - وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ النَّاسِ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَقُولُ السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ . فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

सलामती का मम्बअ है बल्कि तुम यूँ कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु....) 'तमाम आदाब, नमाज़ें और अच्छे कलिमात अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की तरफ़ से सलाम, रहमत और बरकत हों। हम पर और अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।'

(1169) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 756, मज्मउज़्ज़वाइद लिल हैसमी: 1/119, 120.

फ़ायदा : अकेले अकेले का नाम लेने की बजाये इबादिल्लाहिस्सालिहीन में सब फ़रिश्ते और नेक इन्सान आ जाते हैं, लिहाज़ा यही दुरुस्त है, अलबत्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) की शान अलग है, उन्हें न सिर्फ़ ख़ुसूसन सलाम कहा जायेगा बल्कि ख़िताब के सेग़े से उन्हें सलाम पहुँचाया जायेगा ..(ﷺ) ..... इसके अलावा तशह्हुद में आपको सेग़-ए-ख़िताब के साथ सलाम इसलिये अर्ज़ नहीं किया जाता कि आप सुनते हैं, बल्कि सिर्फ़ इसलिये ये अल्फ़ाज़ (अस्सलामुअलैक अय्युहन्नबिय्यु) पढ़े जाते हैं कि आपने मुसलमानों को तशह्हुद इसी तरह पढ़ने का हुक्म दिया है, इसलिये आपके हुक्म की तामील में ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ इस मौक़े पर पढ़े जाते हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَقُولُ السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ . فَقَالَ رَسُولُ

(1170) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे तो कहते थे: (अस्सलामु अलल्लाहि, अस्सलामु अला जिब्रील, अस्सलामु अला मीकाईल) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम (अस्सलामु अलल्लाहि) न कहो क्योंकि अल्लाह तआला तो ख़ुद सलाम है, बल्कि तुम

اللّٰهِ ﷺ " لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" .

कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अशहदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू)

(1170) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1166, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 757.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، وَأَبِي، هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ"التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هَاشِمٍ غَرِيبٌ.

(1171) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हमें तशह्हुद के बारे में बतलाया: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालीहीन, अशहदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू)

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि (इस रिवायत में अबू हाशिम का ज़िक्र ग़रीब है।

(1171) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 6338, व मुस्लिम: 402/56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 758.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस को इमाम शोबा (رحمه الله) सुलैमान, मन्सूर, हम्माद और मुग़ीरा से बयान करते हैं और ये सब अबू वाइल से बयान करते हैं। इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में शोबा के उस्तादों में अबू हाशिम का ज़िक्र दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्होंने ये रिवायत अबू वाइल से बयान नहीं की, मज़्कूरा चार उस्तादों ही से बयान की है। वल्लाहु आलम! **(2)** ग़रीब हदीस वह होती है जिसकी सनद की किसी तबक़े में एक रावी रह जाये। मज़ीद देखिये: (जिल्द अव्वल में इस्तिलाहाते मुहद्दिसीन)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

(1172) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मरवी है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये तशह्हुद उस तरह सिखाया जिस तरह क़ुर्आन मजीद की कोई सूरत सिखाते थे। (जब आपने मुझे ये तशह्हुद सिखाया तो) मेरी हथेली आप(ﷺ) के दोनों मुबारक हाथों के दरम्यान थी: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अ़लैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अ़लैना व अ़ला इबादिल्लाहिस्सालीहीन, अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू)

(1172) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6265, व मुस्लिम, हदीस: 402/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 759.

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) की हथेली आपके मुबारक हाथों में शफ़क़त और तालीम की तरफ़ तवज्जा के लिये थी। मालूम हुआ किसी वजह से किसी के हाथ को दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है, जैसे: बतौर एहतिराम। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) इस रिवायत को दो हाथ से मुसाफ़े के बाब में लाये हैं। गोया वह बता रहे हैं कि दो हाथों से मुसाफ़ा करने का अगर कोई सबूत है तो यही है जो कि दरहक़ीक़त सबूत नहीं। यक़ीनन मुसाफ़ा एक हाथ से मुकम्मल हो जाता है मगर किसी और वजह से अगर दूसरा हाथ साथ लगाया जाये, जैसे: बतौर एहतिराम या शफ़क़त या तफ़हीम वग़ैरह तो ये अलग अम्र है और जायज़ है, अलबत्ता ये मुसाफ़े का जुज़ नहीं। मुसाफ़ा तो एक हाथ ही से मसनून है और ख़ुद मुसाफ़े का लफ़्ज़ भी इसी मानी पर दलालत करता है क्योंकि मुसाफ़े के मानी हैं: हथेली का हथेली से मिलना। इसमें दोनों हाथों का कोई तसव्वुर नहीं है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, मौलाना अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपूरी (رحمه الله) की किताब (अल्मकालतुलहुस्ना फी सुन्नियतिल मुसाफा बिल्यदिलयुम्ना)

बाब : (101)
एक और क़िस्म का तशह्हुद

(1173) हज़रत (अबू मूसा) अशअरी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया। हमें हमारे तरीक़े बताये और हमारी नमाज़ हमारे लिये बयान फ़रमाई, फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी सफ़ें सीधी और दुरुस्त करो। फिर तुममें से एक आदमी तुम्हारी इमामत कराये। जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु अकबर कहो और जब वह वलज़्ज़ाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो। अल्लाह तआला तुमसे क़बूल फ़रमायेगा। जब वह तकबीर कह कर रुकू करे तो तुम भी तकबीर कह कर रुकू करो। इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है और पहले सर उठाता है। ये ताख़ीर उस सबक़त के बदले में है। और जब वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना वलकल हम्द) कहो। अल्लाह तआला तुम्हारी (हम्द) सुनेगा क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) की ज़बानी इरशाद फ़रमाया है कि अल्लाह तआला उस शख़्स की बात सुनता है जो उसकी तारीफ़ करता है। फिर जब इमाम अलाहु अकबर कह कर सज्दा करता है तो तुम भी अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो। इमाम तुमसे पहले सज्दे को जाता है और पहले सर उठाता है। ये ताख़ीर उस सबक़त के बदले में है। फिर जब इमाम क़अदे में हो तो तुममें से हर आदमी को सबसे पहले ये कहना चाहिए:

١٠١: باب
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الأَشْعَرِيَّ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ { وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ

أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

(अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु ..... व रसूलुहु) 'तमाम पाकीज़ा आदाब अल्लाह तआला के लिये हैं, दुआएँ और नमाज़ें भी। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला का सलाम, रहमत और बरकतें हों हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।'

(1173) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 761.

(١٠٢): باب
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

बाब : (102)
एक और क़िस्म का तशह्हुद

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ، - وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ - عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

(1174) हज़रत हित्तान बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हमने हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) के साथ नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इमाम क़अदे में हो तो तुममें से हर आदमी की पहली बात ये होनी चाहिए: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि अत्तय्यिबातु .....व रसूलुहू) 'तमाम आदाब अल्लाह तआला के लिये हैं और तमाम अच्छे कलिमात और दुआएँ भी अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला का सलाम, रहमत और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके

बन्दे और रसूल हैं।'

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

(1174) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 761.

बाब : (103)
एक और क़िस्म का तशह्हुद

(١٠٣): باب
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

(1175) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तशह्हुद इस तरह सिखाते थे जिस तरह क़ुर्आन सिखाते थे और आप फ़रमाते थे: (अत्तहिय्यातुल मुबारकातु .... व रसूलुहू) 'बा'बरकत आदाब, तमाम अच्छे कलिमात और पाकीज़ा दुआएँ सब अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमत और बरकतें हों हम पर और अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।'

(1175) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 762.

बाब : (104)
एक और क़िस्म का तशह्हुद

(١٠٤): باب
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَيْمَنَ، - وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ - يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،

(1176) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तशह्हुद इस तरह सिखाते थे जिस तरह हमें क़ुर्आन मजीद की सूरत सिखाते थे: (बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि अत्तहिय्यातु .....

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ " .

मिनन्नार) 'अल्लाह के बा'बरकत नाम और अल्लाह तआला की मदद और तौफ़ीक़ के साथ तमाम आदाब (या क़ौली इबादतें), तमाम दुआएँ और नमाज़ें (या बदनी इबादात) और तमाम अच्छे कलिमात व अफ़आल (या माली इबादात) अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह की तरफ़ से सलाम, रहमत और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। मैं अल्लाह तआला से जन्नत माँगता हूँ और आग से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।'

(1176) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 902, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 763, देखें: 594.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तमाम क़िस्म के तशह्हुद एक जैसे हैं। कहीं कहीं मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ है। मानी में कोई फ़र्क़ नहीं। **(2)** तमाम तशह्हुद तीन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं: अल्लाह की मज्द व सना, नबी-ए-अकरम (ﷺ) और दूसरे सालेहीन पर सलाम और शहादतैन (तौहीद व रिसालत) **(3)** आख़री क़िस्म के तशह्हुद के शुरू और आख़िर में इज़ाफ़े (ज़्यादा कलिमात) हैं। शुरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर में सवाल व तअव्वुज़, मगर इस हदीस़ का रावी ऐमन बिन नाबिल मुतफ़र्रिद है। किसी ने उसकी मुवाफ़िक़त नहीं की, लिहाज़ा ये ग़ैर मोतबर है, यानी ये हदीस़ ज़ईफ़ है। **(4)** तमाम क़िस्म के तशह्हुदात में नबी-ए-अकरम (ﷺ) को बसेग़ा-ए-ख़िताब सलाम कहा गया है। ये आप (ﷺ) की ख़ुसूसियत है वरना ख़िताब से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। कहा जा सकता है कि सिर्फ़ सेग़ा ख़िताब का है मक़सूद ख़िताब नहीं बल्कि दुआ है क्योंकि आप ख़ुद भी इन्हीं अल्फ़ाज़ से तशह्हुद पढ़ा करते थे। इन अल्फ़ाज़ को पढ़ते वक़्त ये अक़ीदा नहीं होना चाहिए कि आप सलाम सुन रहे हैं। हाँ, आपको पहुँचाया जाये तो अलग बात है। इसी तरह आपके जवाबी सलाम का भी कोई ज़िक्र नहीं। **(5)** (अब्दुहु व रसूलुहू) मालूम होता है कि आपके औसाफ़े फ़ाज़िला में से ये दो वस्फ़ सबसे आला हैं, तभी इन्हें शहादतैन में दाख़िल किया गया जो कि किसी के ईमान की दलील हैं ''अब्द'' बहुत बड़ा एज़ाज़ है इसलिये हर अफ़्ज़ल मक़ाम में उसका जिक्र किया गया है। जैसे:- मेराज व इस्रा वग़ैरह। देखिये सूरह बनी इस्राईल और सूरह नज्म (अस्रा बिअब्दिही) (बनी इस्राईल 17/1) और (फ़औहा इला अब्दिही) (अन्नज्म: 53/10)

बाब : (105)
पहले तशह्हुद (क़अदे) में तख़्फ़ीफ़

التَّخْفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ . قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ ذَلِكَ يُرِيدُ .

(1177) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं: नबी (ﷺ) दो रकअतों के बाद इतना हल्का बैठते थे गोया गर्म पत्थर पर बैठे हैं (यानी जल्दी खड़े हो जाते।)

रावि-ए-हदीस अबू उबैदा बयान करते हैं कि मैंने पूछा: यहाँ तक कि उठ खड़े हुए। उन्होंने फ़रमाया: हाँ, यही मुराद है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 366, अबू दाऊद, हदीस: 995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 764.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम इब्ने अबी शैबा में तमीम बिन सलमा की सही सनद से मरवी है कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का पहले तशह्हुद में बैठना ऐसे होता था कि गोया गर्म पत्थर पर बैठे हों। देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 1/263) इससे मालूम होता है कि दो रकअतों के बाद सिर्फ़ तशह्हुद पढ़ना काफ़ी है, ताहम उसके बाद दरूद शरीफ़ पढ़ लिया जाये तो बेहतर है, यानी पहले तशह्हुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है, जैसा कि पीछे गुज़र चुका है। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सिफ़तु सलातिन्नबी (ﷺ) लिल अल्बानी, सफ़ा: 45)

बाब : (106)
पहले तश्हुद (क़अदे) का तर्क करना

تَرْكِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا

(1178) हज़रत मालिक इब्ने बुहैना (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने (एक दफ़ा) नमाज़ पढ़ी तो दो रकअतों के बाद (भूल कर) खड़े हो गये लेकिन फिर नमाज़ में जारी रहे (वापस न हुए) यहाँ तक कि जब नमाज़ के आख़िर में पहुँचे तो आपने सलाम फेरने से पहले दो सज्दे (सुजूदे सह्व) किये, फिर सलाम फेरा।

(1178) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस:

كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

570/87, बुख़ारी, हदीस: 1225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 765.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

(1179) हज़रत मालिक इब्ने बुहैना (ؓ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने (एक दफ़ा) नमाज़ पढ़ी तो दो रकअतों के बाद (भूल कर) खड़े हो गये। लोगों ने सुब्हानल्लाह कहा मगर आप जारी रहे (दोबारा न बैठे) फिर जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो दो सज्दे किये। फिर सलाम फेरा।

(1179) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 766.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस वाक़िये से जुम्हूर उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि पहला तशह्हुद फ़र्ज़ नहीं। अगर फ़र्ज़ होता तो सहाबा के तवज्जा दिलाने पर नबी (ﷺ) लौट आते मगर आपका आगे जारी रहना और आख़िर में सज्द-ए-सह्व करना दलील है कि ये फ़र्ज़ नहीं, जबकि कुछ उलम-ए-मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक पहला तशह्हुद भी वाजिब है। हाँ अगर भूल कर रह जाये तो इस वाजिब की सुजूदे सह्व से तलाफ़ी हो सकती है जैसा कि ऊपर दी गई हदीस से ज़ाहिर होता है, और सुनन अबू दाऊद में इसका हुक्म मन्क़ूल है: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने 'मुसीउस्सलात' को फ़रमाया था: 'जब तुम नमाज़ के दौरान में बैठो तो इत्मिनान से बैठो और अपनी बायीं रान बिछा लो, फिर तशह्हुद पढ़ो ...' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 860) उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर जब खड़े हो तो पहले की तरह करो यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाओ।' अइम्मा में से इमाम लैस, इस्हाक़ बिन राहवे, मशहूर क़ौल के मुताबिक़ इमाम अहमद भी इसके क़ाइल हैं। इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल भी यही है, और अहनाफ़ से भी वजूब की एक रिवायत मिलती हैं तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/310, हदीस: 829, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 14/143, 144) **(2)** अगर कोई रुक्न रह जाये, जैसे: रुकू, तो वापस लौटना ज़रूरी है या आख़िर में पूरी रकअत दोहरानी पड़ेगी अलबत्ता ये उस वक़्त है जब भूल कर उठ खड़ा हो। अगर कोई भूल कर सीधा खड़ा हो जाये और उसे याद आ जाये तो वापस न लौटे बल्कि आख़िर में सह्व के दो सज्दे कर ले, फिर सलाम फेरे और अगर अभी थोड़ा सा उठा था, यानी बैठने के क़रीब था, अभी टाँगें सीधी नहीं हुई थी कि याद आ गया तो बैठ जाये और तशह्हुद पढ़े। सज्द-ए-सह्व की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अगर आख़री तशह्हुद भूल कर खड़ा हो जाये तो जब भी याद आये, वापस लौटे और आख़िर में सज्द-ए-सह्व करे। **(3)** सज्द-ए-सह्व के बाद तशह्हुद नहीं (सुजूदे सह्व की तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) **(4)** बतक़ाज़ा-ए-बशरियत अम्बिया (ؑ) को भी सह्व और निस्यान लाहिक़ हुआ है लेकिन वहि के पहुँचाने में क़तअन नहीं।